दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

प्रो. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

ICSSR द्वारा प्रायोजित

राष्ट्रीय संगोष्ठी

दिनांक 10, 11 व 12 दिसम्बर 2022

National Education Policy - 2020 (Challenges & Prospects)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 (चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ)

आलेख पत्रिका

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 15 अंक : 2 ❑ मार्च-अप्रैल, 2023

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

संरक्षक
प्रो रवि जूनीवाल
अध्यक्ष, संजय शिक्षा समिति, जयपुर,
अपेक्स फाउण्डेशन, जयपुर, राजस्थान
संगोष्ठी संयोजक
प्रो० रतन कुमार भारद्वाज
सह संयोजक
डॉ० अल्पना शर्मा
डॉ० श्वेता भार्गव
प्रबंध सम्पादक
डॉ० रीटा झाझड़िया
डॉ० यशवन्ती गौड
डॉ० अर्चना मेहन्दीरत्ता
सम्पादक (अंग्रेजी विभाग)
डॉ० अंजना अग्रवाल
प्रो० कल्पना सेंगर
डॉ० मौसम पारीक
डॉ० सुमनलता यादव
डॉ० गोमती साँखला
डॉ० मीनू जैन
श्रीमती ज्योति भारद्वाज
प्रधान सम्पादक
प्रो० सुनीता भार्गव
आयोजन सचिव, प्राचार्य
संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
जयपुर
सलाहकार
प्रो० अशोक कुमार सिडाना
अधिष्ठाता, शिक्षा विभाग,
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर
सम्पादक (हिन्दी विभाग)
डॉ० महेश कुमार पारीक
डॉ० विनोद भाम्बू
श्रीमती चन्दन बाला जैन
श्रीमती सोनिका चौहान
श्रीमती ममता शर्मा
श्रीमती अंजली प्रजापति
डॉ० कृपाशंकर शर्मा
तकनीकी कार्य प्रभार
श्री शशिकान्त शर्मा
श्री डी.आर. सिंह
श्री विजय त्यागी
श्री जी.एल. शर्मा

संपादकीय सम्पर्क:
448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें रट्टा विद्या को खघ्त्म करने की भी कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिये दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र दूसरे वर्ष पे छोड़ने पे डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे डिग्री देने का प्रावधान है।

शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना: कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वित्तपोषण: वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित खर्च करने की इच्छाशक्ति

कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं। मानव के सर्वांगीण विकास का मूल शिक्षा है। एक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागेदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं और बाधाओं को पहचाना है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। यह सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागेदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को तो दर्शाता ही है साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की ओर सुखद संकेत देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुभव किया गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ये जो भी समूह हैं उनमें सभी में आधी संख्या महिलाओं की है। इसलिए एसईडीजी वर्ग के लिए जो भी योजनाएं और नीतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित की गई हैं उनमें विशेष रूप से इन समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बालिकाओं, महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं पर नई शिक्षा नीति में विचार किया गया है और उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किये हैं। सबसे पहले तो बालिकाओं की शिक्षा में भागेदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेन्डर समावेशी (इन्क्लूशन) फंड की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा जिनमें बालिकाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा शिक्षण परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति जागरूक और संवेदनशील है।

इन्हीं सब विषयों पर ICSSR द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार 10/11/12 दिसम्बर 2022 को संजय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रस्तुत किये गए श्रेष्ठ आलेखों को इस विशेष अंक में प्रस्तुत किया गया है।

— प्रो० सुनीता भार्गव; प्रो० रतन कुमार भारद्वाज

इस अंक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना–प्रो. आर. पी. पाठक 1
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, के संदर्भ में संरचना, चुनौतियाँ और संभावनाएँ–डॉ० सुनीता भार्गव 3
नई शिक्षानीति 2020 में उच्चशिक्षा का भविष्य–प्रो० माता प्रसाद शर्मा 10
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख ताकतें–प्रो० रतन कुमार भारद्वाज 13
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ) आकलन और मूल्यांकन–डॉ० यशवन्ती गौड; श्री खुशाल मेहता 16
Advertisement in Teaching and Learning in TEL–डॉ० आभा शर्मा 18
युवा और प्रौद्योगिकी–डॉ० हर्ष कुमार 20
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत - चुनौतियाँ एवं संभावनाएं–डॉ० राजेन्द्र कुमार श्रीमाली 21
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आध्यात्मिक शिक्षा–डॉ० विनोद कुमार उपाध्याय; अमृता शर्मा 24
Digital India Skill India–डॉ० सुनिता जोशी 27
शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएँ–डॉ० अर्चना मेंहदीस्ता 29
युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर तकनीकी का प्रभाव (सन्दर्भ NEP 2020)–डॉ० रीटा झाझड़िया 31
शिक्षक सक्षमता एवं NEP 2020–डॉ० सुमन चौधरी; डॉ० अंजना अग्रवाल 34
आत्मनिर्भर भारत (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)–डॉ० संजीव कुमार सिंघल 38
नई शिक्षा नीति निर्माण का आधारभूत प्रारूप एवं इनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां–डॉ० निम्मी महषि 39
तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर–डॉ० रश्मी उपाध्याय; शीतल गुप्ता 43
इंटरनेट आसक्ति कारण, प्रभाव और समाधान–डॉ० उषा रानी मदनावत; शैलजा त्रिपाठी 47
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक दक्षता–डॉ० गायत्री बैरवा 51
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक दक्षता–डॉ० महेशा कुमार पारीक; श्रीमती ऊषा शर्मा 55
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन और चुनौतियाँ–डॉ० विनोद भाम्बू; श्री अजीत सिंह 57
NEP 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत–डॉ० मौसम पारीक 60
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 संभावनाएं एवं चुनौतियां–डॉ० भारती विजय 62
शिक्षक-शिक्षा में कशल और प्रभावी तकनीकी संसाधनों का उपयोग–सोनिका चौहान 66
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समता मूलक और समावेशी शिक्षा–डॉ० सुमन लता यादव 68
शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं–डॉ० गोमती साँखला 70
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान एवं पाठ्यचर्या संरचना–डॉ० मीनू जैन 73
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत–ज्योति भारद्धाज 76
शिक्षा का महत्त्व: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में–डॉ० सुनीता शर्मा 79
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में संस्थागत संभावनाऐं–डॉ० मीनाक्षी तंवर 82
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संकल्पना और चुनौतियाँ–श्रीमती सुकिना पुरोहित 85
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: मुद्दे और चुनौतियाँ–दीपिका शर्मा 90
युवाओं की प्रौद्योगिकी निर्भरता–अंकश्री भार्गव 93
तकनीकी संवर्धित शिक्षक शिक्षा: ICT के उपयोग द्वारा आठ प्रकार की ई-प्रस्तावना शिक्षण कौशल का निर्माण–डॉ० मृदुला शर्मा 95
ऑनलाइन शिक्षा: भविष्य की आवश्यकता एवं निर्भरता–डॉ० उषा मदनावत; संगीता शर्मा 100
नई शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षिकाओं की शिक्षण दक्षता का अध्ययन–श्रीमती हेमलता सैन; डॉ० महेश कुमार पारीक 104
NEP 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत–डॉ० मौसम पारीक; ममता शर्मा 107
समग्र दृष्टिकोण और शैक्षणिक नींव (एनईपी-2020)–सुभिता कुमारी; डॉ० रीटा झाझडिया 110
युवाओं पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन–प्रियंका कुमावत; डॉ. विनोद भाम्बू 112

दृष्टिकोण

एनईपी 2020 में शिक्षक दक्षता–कृष्णा कुमारी गौतम 114
नईशिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में नामांकन एवं ठहरावा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन–सपना पारीक; डॉ० यशवन्ती गौड़ 116
युवा और प्रौद्योगिकी–संगीता कंवर; प्रो० अशोक कुमार सिडाना 119
राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020–अनीता चौहान; डॉ० पूनम मिश्रा 123
नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में–रेखा चाहर; डॉ० मौसम पारीक 127
आंकलन और मूल्यांकन (एन.ई.पी. 2020)–दामोदर प्रसाद शर्मा 130
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मुख्य विशेषताएँ–वंदना शर्मा; डॉ० मौसम पारीक 132
शिक्षा स्नातक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020- एक अध्ययन–कमला 135
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ''युवा और प्रौद्योगिकी"–कृतिका जोशी; डॉ० सुमनलता यादव 138
नई शिक्षा नीति में विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों के लिए नई स्कूल नीति में नवीनतम प्रावधान–मुकेश कुमार रूण्डला; डॉ० भारती विजय 141
प्रावधान और पाठ्यचर्या संरचना (एन.ई.पी.2020)–शकुन्तला जाँगिड़ 145
डॉ० भीमराव अम्बेडकर के स्त्री शिक्षा सम्बंधी विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में–समता कुमावत; प्रो० अशोक कुमार सिडाना 148
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनोतियाँ व सभांवनायें–रतनी देवी 152
राष्ट्रिय शिक्षा नीति-2020 (चुनौतियां एवं सूचीपत्र)–महेंन्द्र सिंह 154
राष्ट्रिय शिक्षा नीति-2020 (चुनौतियां एवं सूचीपत्र)–हेमंत कुमार हल्दैनिया 156
दिव्यांग विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन: नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में–रीना राठौड़; डॉ० पूनम मिश्रा 158
आत्मनिर्भर भारत- "शिक्षा नीति 2020''–विजयता सोनी 160
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आंकलन और मूल्यांकन–नीलम जैन; डॉ० सुमनलता यादव 162
शिक्षक एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020–ललिता धाकड़; डॉ० भारती विजय 165
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: अवलोकन चयनात्मक परिप्रेक्ष्य–माधुरी पंचोली 170
शिक्षक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 एक अध्ययन–सत्यवीर 173
प्रावधान और पाठ्चर्या संरचना शिक्षक शिक्षकों के संदर्भ में एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएँ–रवि कुमार सेन 176
कोविड महामारी के दौरान माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन–नीरू बाला 180
आत्मनिर्भर भारत और व्यावसायिक शिक्षा - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में–राजेन्द्र शर्मा; डॉ० अशोक कुमार सिडाना 183
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शैक्षिक वातावरण और विद्यार्थियों के तनाव पर प्रभाव–मुकेश गुर्जर 187
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: व्यावसायिक कौशल शिक्षा संबंधी प्रावधानों को लागू करने संबंधी चुनौतियां–सुश्री कल्पना सोनी 190
राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, क्रियान्वयन के दौरान चुनौतियाँ–नीता आर्य 194
ऑनलाइन शिक्षा का युवा वर्ग पर प्रभाव–डॉ० अंकुश शर्मा; अनीता स्वर्णकार 198
एनईपी के सन्दर्भ मे अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का गुणात्मक विकास–भूपेन्द्र सिंह 200
अधिगम प्रतिफल के सन्दर्भ में विद्यालय वातावरण एवं वैज्ञानिक सृजनशीलता विकास की भूमिका–ममता शर्मा; डॉ० गिरिराज भोजक 202
उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन –डॉ० भावेश कुमार सिंहवाल; मिनाक्षी जान्दु 205
विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन–मंजू सैनी; डॉ० रेणु शर्मा 210
आधुनिकता का युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व पर प्रभाव–लता आसनानी; डॉ० रेणु शर्मा 212
आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी का प्रभाव–मोनालिसा शर्मा 215
राजकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल विकास का तुलनात्मक अध्ययन–निकिता गर्ग 218
कोविड-19 वैश्विक महामारी का छात्रों पर प्रभाव–दुर्गा जाट; डॉ० अल्पना शर्मा 222
महिलाओं के संवैधानिक अधिकार: विश्लेषणात्मक अध्ययन–प्रियंका शर्मा; डॉ० रीटा झाझड़िया 224
शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों का प्रयोग–नीलिमा जोशी; डॉ० श्वेता भार्गव 226
The Structural and Institutional Reforms in Teacher Education as per NEP 2022—Dr. N. R. Sharma 229
New Education Policy 2020 And Teacher Education—Prof. Kamla Vashist 231
School Environment in the Light of NEP 2020—Dr. Poonam Mishra; Prof. Ashok Sidana 232

National Education Policy: A Thrust on Vocational Education—Dr. Kalpana Sengar 236
NEP 2020: Reimagining Vocational Education—Dr. Reena Uniyal Tiwari 239
A Remarkable Step Towards Digital India- Vision of NEP 2020—Dr. Alpna Sharma 245
Challenges during the implementation of NEP 2020—Dr. Sweta Bhargava 247
Assessment and Evaluation in New Education Policy 2020—Garima Yadav 254
Holistic Approach and Educational Foundation of National Education Policy—Mr. Khemraj Choudhary; Dr. Anita Vyas 257
Skill India and Digital India: Make in India—Laxmi Chhipa 259
Relationship between Competencies and Aspirations of Primary School Teachers: An Empirical Study —Dr. Alpna Sharma; Ashima Jain 261
Salient Features of NEP 2020 in the context of Teacher Educator—Dr. Jagriti Parikh; Mrs. Chandan Bala Jain 265
Self-efficacy of Special Educator in Special Education: A Review—Virendra Singh Ruhela; Dr. Poonam Mishra 268
Teacher Education in the Light of NEP-2020—Prof. Mudit Rathore; Ms. Mahak Chhabra 273
National Education Policy 2020: A Viewpoint on the Implementing Challenges in Hospitality and Tourism Education System of India—Mahesh Kumar Bairwa; Dr. Vipula Mathur 277
New Education Policy 2020 and inclusive Education—Mrs Akanksha Dhir; Prof. (Dr.) Vinod Kumar Upadhyay 283
New Education Policy 2020 with Special Reference towards Teacher Education —Mrs Priyanka Narang; Prof.(Dr.) Vinod Kumar Upadhyay 285
Provisions and Curriculum Structure: "Analyzing the Inclusivity Perspectives of the National Education Policy 2020" —Asha Sharma; Dr. Archana Mendiratta 287
National Educational Policy, 2020: A Critical Review—Minaxi Acharya; Dr. Kripa Shankar Sharma 291
National Education Policy -2020 Considering Futuristic Challenges And Its Prospects—Bharat Joshi 294
NEP 2020 From the Lens of Dr. Zakir Hussain: A Theoretical Analysis—Mrs. Shivanshi Shekhawat 297

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना

प्रो. आर. पी. पाठक

वरिष्ठ प्रो., पूर्व विभागाध्यक्ष,,एवं अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय,) नई दिल्ली

तीन दशक के बाद 29 जुलाई 2020, पद्मश्री कस्तूरीरंगन इस नीति के चेयरमैन है। इस नीति के 5 मुख्य स्तम्भ हैं-

- Access
- Equality
- Quality
- Affordability
- Accountability

इस नीति से सम्बन्धित मुख्य तथ्य निम्न हैं -

- विद्यालय से विश्वविद्यालय में बदलाव लाने का प्रयास किया है।
- इस नीति के चार भागों - विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वयन की रणनीति है।

स्कूली शिक्षा -

10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान पर बल दिया गया है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन-अध्यापन पर बल, बहुभाषावाद कौशल, क्षमताओं, स्थानीय विषयक पर बल, अध्यापक की गुणवत्ता, भर्ती पद स्थापन, सेवा पूर्ति आदि पर बल दिया गया है। सेवाकाल के दौरान् कैरियर मैनेजमेंट, प्रगति कोर्स करने की बात कही गयी है। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक NPST समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल परिवार, प्रभावी गवर्नेंस, मानक निर्धारण, प्रमाणन पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, 360 आकलन पर बल दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा -

उच्च शिक्षा को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं का ध्यान में रखा गया है और उच्च बनाने का प्रयास किया गया है। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय, स्वायत्तापूर्ण महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की बात कही गई है। मल्टीपल एन्ट्री, मल्टीपल एक्जिट विज्ञान के साथ कला विषय के साथ प्रवेश दिया जा सकता है। प्रथम वर्ष में प्रमाण पत्र, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, तृतीय वर्ष में उपाधि (डिग्री), चतुर्थ वर्ष में पी.जी. और पंचम वर्ष में पी.एच.डी में प्रवेश की बात कही गई है।

संस्थागत पुनर्गठन एवं समेकन-समग्र और बहुविषयक शिक्षा, उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, छात्रगतिविधि, भागीदारी, वित्तीय सहायता, प्रेरित, सक्रिय, और सक्षम संकाय, शिक्षा में समता और समावेशन आदि पर विशेष बन दिया गया है। सी.पी.यू., सी.एम.पी. पर बल दिया गया है।

अध्यापक शिक्षा में 2030 तक बहुविषयक शिक्षण संस्थानों में चार वर्षीय, एकीकृत बी.एड., आई.टी.ई.पी. प्रारम्भ करने की बात कही गई है। एकल विषयक संस्थान बन्द होंगे। सप्ताह मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित होगा (एन.एम.एम.), जिसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउन्डेशन की स्थापना (एन.आर.एफ.) विश्वविद्यालय को स्वायत्तता, एन टी ए कई भाषाओं में प्रवेश परीक्षा credit transfer, Academic Bank of Credits, विश्वस्तरीय परिसर, मिशन नालन्दा, मिशन तक्षशिला शोध, शिक्षण विश्वविद्यालय खोलने की बात, प्रभावी प्रशासन, नेतृत्व पर बल दिया गया है।

अन्य केन्द्रीय विचारणीय बिन्दु -

भाग तृतीय में व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, तकनीकी, स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, वास्तुकला टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल प्रबन्धन, कैटरिंग को पुनः प्रकल्पित करने की बात कही गई है। प्रौढ. शिक्षा, जीवनपर्यन्त सीखना, भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग, एकीकरण, ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षा आदि पर बल दिया गया है। इसके लिए एन एफ टी एम बनाने की बात कही गई है।

चतुर्थः- क्रियान्वयन की रणनीति -

सी.ए.बी.ई. से सशक्त किया जाएगा। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय, सी.ए.बी.ई., केन्द्र, राज्य सरकारें एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, आईसीएआर, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शामिल करके आपसी समन्वय स्थापित की जाएगी।

- एनपीई-2020 को इस तरह से पढ.ा गया है-भारत पुनः विश्वगुरू बने
- नालन्दा, तक्षशिला के गौरव को पुनः स्थापित कर सके।
- भारत को Knowledge Hub बनाकर विश्वभर के विद्यार्थियों को अपने यहाँ अध्ययन हेतु प्रेरित किया गया।
- इस नीति से बहुत आशायें है भारत और भारतीय शिक्षा का स्वरूप अवश्य दिखेगा।
- रटने-रटाने के दौर से निकलकर ज्ञान-विज्ञान और बौद्धिक कौशल पर बल दिया गया है।
- 21 वीं सदी की जरूरत के हिसाब से गढ.ा गया है।
- एमएचआरडी के स्थान एम.ई. होगा। शिक्षा मंत्रालय देश की आत्मा से जुडी है।
- क्या सोचे? के स्थान पर केसे सोचे? पर बल, भारतीय भाषाओं में शोध को बढ.ावा मिलेगा।
- नये भारत की नींव बनेगी, अपनी शान परम्परा को जुडने का अवसर, उच्च शिक्षा में नया प्रयोग।
- औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी से मुक्ति, भाषाई वर्चस्व से मुक्ति मिलेगी।
- भारतीय बोध को स्थापित करने का प्रयास, आत्मविश्वास, बढ.ाने वाली, शिक्षा नीति है।
- देश की आत्मा से जुडी है भाषा-संस्कृति पर बल।
- संस्कृत, संस्कृति को समृद्ध करने का प्रयास, कौशल सिखाने वाली शिक्षा नीति है।
- भविष्य के लिए दिशा निर्देश दिया गया है।
- एनपीई-2020 स्वरूप वैश्विक है आत्मा भारतीय है।
- स्वभाषा, स्वराज, स्वेदशी पर बल दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत की ओर
- उच्च शिक्षा को शिक्षक शिक्षा को ज्ञान, कर्म, भाव, सहयोग से समग्र करने का प्रयास किया गया है।
- अध्यापक अपनी तेजस्विता को जाग्रत करें। इसी के सहारे 21 वीं सदी के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। हमें टेक्नो फ्रेंडली बनना होगा। साथ ही साथा नेचर फ्रेंडली, कम्यूनिटी फ्रेंडली भी बनना होगा।
- स्टडी के स्थान पर लर्निंग पर बल दिया जायेगा।
- स्ट्रीम समाप्त होगी।
- यह देश की नीति है सरकार की नीति नहीं है।
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच हेल्दी कम्पीटिशन होगा।
- भारतीय परम्परा में लोकपरम्परा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड.ा गया है।
- प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा लेते हुए एमईआरयू की स्थापना की गई है।
- Flexible and Innovative curriculum, Value based Education
- देश को राष्ट्र बनाना है। अपनी जिससे सभी जडों. से जुड.े रहें, अपने मूल्यों को पहचाने, अपनी नींव पकडे रहे।
- विश्व हमें देख रहा है हम अतीत को देख रहे हैं। एनपीई-2020 के द्वारा जो स्वप्न दिखाये गये हैं निःसन्देह भविष्य में सच साबित होंगे ऐसा विश्वास है। एनपीई 1986 ने यदि पूरे भारत वर्ष के बच्चों को स्कूल के द्वार तक पहुँचाने का प्रयास किया तो इस एनपीई -2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा शिक्षा के मायने भी बदलेंगे। पूरी शिक्षा प्रक्रिया कई उपक्रमों पर निर्भर करेगी। आज हमारे सामने बडी चुनौतियों का सामना करने के लिए विकल्प भी बहुत है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 को इस तरह से गढ.ा गया है कि भारत पुनः विश्वगुरू बने। नालन्दा और तक्षशिला के गौरव को पुनः वापस लाया जाए। भारत को नॉलेज हब बनाकर विश्वभर में विद्यार्थियों को अपने यहाँ आकर अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए। उसी तरह जैसे प्राचीन भारत में पूरे विश्व के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ.ने आते थे। शिक्षा के हर स्तर को पुनर्संगठित और जीवन्त बनाने की बात कही गई है। इस नीति से म सभी भारतवासियों को बहुत आशायें हैं कि भारत और भारतीय शिक्षा का रूप और स्वरूप अवश्य बदलेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः-

- NPE - 2020, Ministry of Education, Govt of India, New Delhi.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, के संदर्भ में संरचना, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

डॉ० सुनीता भार्गव

पूर्व संयोजिका, बी.ओ.एस. शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व प्राचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सारांश –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में संरचना को आधार मानते हुए जो प्राप्त आँकड़ों से निष्कर्षत: चुनौतियाँ एवं संभावनाऐं प्रतीत हुई उसमें निस्संदेह कहा जा सकता है यदि NEP 2020 के उद्देश्यों, क्रियान्वति को पूर्णत: शिक्षकों, शिक्षाविद् एवं अभिभावकों को समझना एवं समझाना होगा अर्थात् जागरूकता लानी होगी तभी जनचेतना उत्पन्न होगी अध्यापक शिक्षा में उच्चतर गुणवत्ता युक्त सकारात्मक विकास सम्भव होगा। हर नागरिक को शिक्षा के क्षेत्र में अहम् एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तभी सही मायने में देश के नागरिकों को प्रतिफल प्राप्त हो सकेगा।

मुख्य शब्द – NEP – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NCERT- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, SCERT - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, GEC - सामान्य मानक परिषद, PSSB – व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी, NPST – अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक

राष्ट्रीय नीति 2020 के सन्दर्भ में संरचना चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

शिक्षा मानव को जीने की कला में सत्त विकास, मानव क्षमता विकसित करना, एक न्यायसंगत, न्यायपूर्ण समाज का विकास और राष्ट्रीय विकास करने में सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है इस नीति का शिक्षा विकास एजेण्डा के अनुसार 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त अवसरों को बढ़ावा दिए जाने'' का लक्ष्य है। निष्कर्षत: 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GROSS ENROLMET RATIO-GER) को शत प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का विस्फोट बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। इस दौर में मानव किस तरह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे? जिससे भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी अभ्यर्थी अपने-आपको कमजोर या पिछड़ा हुआ न समझे। जिस प्रकार नई तकनीकी विकसित होती जा रही है उससे सम्बन्धित नए-नए रोजगार की मांग बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार हमारे युवा भी मांग के अनुसार व्यावसायिक कौशल में निपुण होकर मांग की पूर्ति में सक्षम हो सकें। उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय नीति 2020 का निर्णय किया गया है। जिससे संस्थानों, शिक्षकों एवं छात्रों को मार्गदर्शन मिलें। जिससे बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान हो सके, जो वे चाहते हैं और क्षमता रखते हैं। उसे वे ही प्राप्त हो सके। बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाये उसका छात्र स्थायी अधिगम करें और सतत् सीखते रहने की कला भी सीखें। इसमें ये उद्देश्य रखा गया कि शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर जो दिया जाना जरूरी है कि बच्चे समस्या, समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध भाषाओं एवं विषयों से तारतम्यता रखते हुए कुछ नया खोज पाने में सक्षम हों।

इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य संस्कृति और मूल्यों का समावेश किया जाये। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं बल्कि पूर्ण रूप से आत्मज्ञान एवं मुक्ति माना गया था। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर, हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के समस्त सम्मानित जन एवं अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की अगली पीढ़ी को सही तरीके से आकार प्रदान कर सकते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों से अपेक्षा है कि बालकों को सक्षम बनाने के लिए हर सम्भव कदम उठाये जाने चाहिए। जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें।

शोधकर्त्री के मन में जिज्ञासा है कि NEP 2020 लागू होने पर से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समाज एवं छात्रों पर इससे सम्बन्धित क्या विचार, सोच, दृष्टिकोण विकसित होने की सम्भावनाएँ होंगी? जो हमारे समक्ष चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत होंगी। जिससे वर्तमान समय से ही हमारी संस्थाऐं, शिक्षक एवं छात्र सजग होकर स्वीकार करेंगे, समाधान करने योग्य चुनौतियों का समाधान कर सकने में सफल होंगें।

शीर्षक –

''राष्ट्रीय नीति 2020 के सन्दर्भ में संरचना चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ''

उद्देश्य –

1. NEP 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन करना।
   1.1. NEP 2020 के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा उच्चतर गुणवत्ता को बनाये रखने की विशेषताओं का अध्ययन करना।
   1.2 NEP 2020 के सन्दर्भ में समग्र दृष्टिकोण और शैक्षिक आधार का अध्ययन करना।
   1.3 NEP 2020 के सन्दर्भ में नीति के विजन का अध्ययन करना।
   1.4 NEP 2020 के सन्दर्भ में व्यावसायिक शिक्षक दक्षता के प्रति अध्ययन करना।

मान्यताऐं –

1. NEP 2020 के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा उच्चतर गुणवत्ता को बनाए रखने में सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।
2. NEP 2020 के लागू होने पर सम्भावना है कि समग्र दृष्टिकोण और शैक्षिक आधार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।
3. NEP 2020 की नीति के विजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षक दक्षता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।

शब्दों का पारिभाषीकरण –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में जो ड्राफ्ट संरचना सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई, उसके अध्ययन करने के पश्चात् शोधकर्त्री के मन में जो चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ जाग्रत हुई। उससे अभिप्राय है।

- शोध विधि – शोध पत्र हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।
- उपकरण – उद्देश्य आधारित गूगल फार्म प्रश्नावली का निर्माण किया गया। उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों को आधार मानते हुए कथनों का निर्माण किया गया।
- न्यादर्श – समय सीमा कम होने के कारण उद्देष्य मूलक विधि के माध्यम से जयपुर शहर के शिक्षाविदों, अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।
- सांख्यिकी – शोध पत्र में प्रदत्त आंकडों. से परिणाम निकालने हेतु मध्यमान, एवं पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है।

परिसीमन –

- सरकार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्राप्त ड्राफ्ट के अध्ययन तक सीमित है।
- शोध पत्र के आंकडें. उद्देश्यपूर्ण प्रणाली से राजस्थान राज्य जयपुर के सम्बन्धित विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अध्यापन एवं अध्ययन करने वाले शिक्षाविदों तक सीमित है।
- शोधकर्त्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सीमित विशेषताओं का अध्ययन कर चुनौतियाँ एवं सम्भावनाओं के सन्दर्भ में विचार प्रस्तुत किये है।

NEP 2020 के सन्दर्भ में विषेषताएँ:-

- 10+2 वाली शिक्षा पद्धति को 18 वर्ष के समस्त बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और षिक्षणषास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नयी व्यवस्था का अध्ययन से जुड़े सम्प्रत्यय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है।

आधार	अवधि	कक्षा	वर्ष
Foundational Stage	3 वर्ष	आंगनबाड़ी / प्री–विद्यालय / बालवाटिका	3,4,5
	2 वर्ष	1, 2 Class	6,7,8
Preparatory	3 वर्ष	3, 4, 5 Class	8–11
Middle	3 वर्ष	6 to 8 Class	11–14
Secondary	4 वर्ष	9 to 12 Class	14–18

- NEP 2020 के तहत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया जायेगा। इसके तहत् 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड. सकेंगे, और उन्हें उनके क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। अर्थात् 1 वर्ष अध्ययन करने के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के अध्ययन कर लेने के पश्चात् एडवान्स डिप्लोमा, 3 वर्षों के अध्ययन कर लेने के पश्चात् स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के अध्ययन कर लेने के पश्चात् शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी।
- NEP 2020 विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना कर क्रेडिट सुरक्षित रखे जाएंगे जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्र के इच्छानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के आधार पर डिग्री प्रदान की जा सके।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- भारत में समग्र एवं बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा रही है। एक समग्र और बहु-विषयक का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संकाय में न बाँधकर समग्र और बहु-विषयक की ओर बढ़ेंगे अर्थात् कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, कोशिष यह करनी होगी कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को सीखें।

NEP 2020 के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा में उच्चतर गुणवत्ता के प्रति दृष्टिकोण -

अध्यापक शिक्षा के महाविद्यालयों को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजो और विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय तक बहु-विषयक बनाने की दिशा में बढ़कर ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित किये जायेंगे जो बी.एड., एम.एड. और पीएच.डी. की डिग्री प्रदान करेंगे।

2030 वर्ष तक 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले एवं इन्हीं बहु-विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक तक डिग्री प्राप्त कर चुके है। जिन्होंने 4 वर्षीय बहु-विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में शिक्षक बनना चाहते हो। इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियाँ केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु-विषयक उच्चतर संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकेगी।

बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षणशास्त्र की जाँची परखी तकनीकों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकों में शिक्षण दिया जायेगा। जिसमें बुनियादी और शिक्षार्थी केन्द्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल एवं सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने का व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जायेगा।

सभी बी.एड. कार्यक्रम में भारतीय संविधान के मौलिक कर्त्तव्यों (अनुच्छेद 51 ए) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जायेगा।

कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक कार्यक्रम बी.आई.टी.ई., डी.आई.ई.टी. या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध स्थानीय कला, संगीत, कृषि व्यावसाय एवं खेल आदि व्यावसायिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा।

NEP 2020 के नीति के विजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनकर भारत के नागरिकों को ज्ञानयुक्त बनाने की परिकल्पना की है, ऐसी पाठ्यचर्या बनाई जायेगी कि मौलिक दायित्वों को, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न कर सकें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व ना केवल विचार में, बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कार्यों में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य, एवं सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकारों स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि सही मायने में वैश्विक नागरिक बने।

4. राष्ट्रीय नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षक दक्षता का सकारात्मक दृष्टिकोण।

राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् द्वारा एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.ई.आर.टी. सभी स्तर के शिक्षक तैयारी और विकास हेतु संस्थाओं और उच्चत्तर शिक्षण संस्थाओं के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद् (जी.ई.सी.) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी पी.एस.बी. के रूप में पुनगठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी.) का एक सामान्य मार्गदर्शन 2022 तक विकसित करने को कहा गया। शिक्षक की भूमिका में उनकी रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं को शामिल किया जायेगा।

प्रदत्तों विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष -

शोधकर्त्री को गूगल फॉर्म के माध्यम से 115 शिक्षाविदों, अभिभावकों से जो आंकड़े प्राप्त हुये प्रश्नावली में उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों पर आधारित कथनों के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे है।

उद्देश्य 1 के अनुसार -

1. कथन 1 - वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये एनईपी 2020 का लक्ष्य, ''सन् 2030 तक सभी के लिए समावेशी व समानगुणवत्तायुक्त शिक्षा'' प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदत्तों के आधार पर कहा जा सकता है कि 80.9 प्रतिशत लोग सहमत है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हमें लगन-शीलता से पूर्ण करने हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधन की भी आवश्यकता होगी, जो चुनौती है उसकी सम्भावनाओं और आवश्यकता से पूर्ण किया जा सकता है अर्थात् इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।

2. कथन 2 - शिक्षा नीति का लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।

   प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 89.6 प्रतिशत लोगों का कहना है कि शिक्षा नीति के लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा कर सकता है लेकिन शेष प्रतिशत लोगों का मानना है कि ये एक चुनौती है, सम्भावना है कि हम अनिवार्य आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण कर पायेंगे? इसके लिए भी हमें सजग, तत्पर होकर कोई न कोई नीति इस प्रकार रखें कि गरीब एवं आवश्यकता वाले सदस्यों की पूर्ति हो सके।

3. कथन 3 - एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थी अपने निवास स्थान पर गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

   प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि एन.ई.पी. 2020 में कहा गया कथन है उसके प्रति 66 प्रतिशत लोग सहमत है। शेष 39 प्रतिशत असहमत है शोधार्थियों का मानना है कि यदि शिक्षा के लिए हमारे कभी गुरूकुल हुआ करते थे तो वहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होता था। वहाँ गुरूओं की व्यवस्था में बच्चे को एक अलग वातावरण मिलता था उसके व्यक्तित्व को एक नया ढ़ाँचा प्राप्त होता था उसमें नैतिक गुण, संस्कार आदि का विकास होता था उसको निवास स्थान का अर्थ भली-भांति समझना एवं समझाना होगा कि क्रेडिट बैंक, उच्च संस्थाओं, शिक्षाविदों से आपके निवास के नजदीक हो वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बशर्ते जहाँ वे निवास कर रहा है उसके समीप उच्च गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान संचालित हों। नहीं तो सभी के समक्ष एक चुनौती होगी।

4. कथन 4. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगी।

   राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण गत वर्षों से चल रहा है। इस पर अत्यधिक सेमीनार, व्यवसाय, विचारगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिससे शिक्षण संस्थाएँ एवं शिक्षक एवं छात्र मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त आंकडों के आधार पर भी कहा जा सकता है। 92.2 प्रतिशत लोग सहमत है।

5. कथन 5. एनईपी 2020 में प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) का शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

   प्रदत्तों के आधार पर शैक्षणिक संरचना की शिक्षा व्यवस्था से 82.6 लोग सहमत पाये गये। शोधकर्त्री का मानना है। जो प्रारम्भ के तीन वर्ष, आंगनबाड.ी/प्री. विद्यालय/बालवाटिका शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है उसके लिए सभी प्रान्तों से एन.टी.टी. जैसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उनको ही उक्त स्टेज के बालकों के शिक्षण हेतु नियुक्ति की जानी चाहिए। आधारभूत नींव हमारी मजबूत होगी तो इमारत भी बुलन्द होगी, तभी बालक उच्च शिक्षास्तर पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकेगा।

6. कथन 6. एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक व पाठ्यक्रम ''फाउण्डेशन स्टेज व स्टडी विद गेम'' के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान दे पायेंगे।

   प्रदत्तों के आधार पर फाउन्डेशन स्टेज व स्टडी विद गेम, के आधार पर व्यावहारिक ज्ञान दे पायेंगे। 85.2 प्रतिशत लोग सहमत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री का मानना है कि हम लोग नीति, विधियाँ, प्रविधियाँ कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न बना लें? जब तक उसको उसी तरह से क्रियान्विति न कर सकें तो सब बेकार है। अत: ये एक शिक्षकों के लिए चुनौती है। आधार अवस्था के बालकों हेतु शिक्षक को पूरे मन से समर्पण भाव रखना होगा। शिक्षक स्वयं संस्कारों से युक्त होगा तभी शैक्षिक कार्य करने में सफल हो सकेगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा।

7. कथन 7. मध्य चरण में कौशल विकास व कम्प्यूटर कोडिंग का ज्ञान विद्यार्थी विकास में सहायक होगा।

   प्रदत्तों के आधार पर 93.9 प्रतिशत लोग सहमत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उक्त निर्णय सराहनीय कदम है कि मध्य चरण से ही कौशल विकास की नींव प्रारम्भ करनी चाहिए जिससे आने वाले नव तकनीकी से युक्त भारत का सामना कर सकेगा। वे किसी भी प्रकार के रोजगार को अपनाकर धनोपार्जन करने में सक्षम हो सकेगा।

8. कथन 8. माध्यमिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा में बोर्ड न होने से विद्यार्थी पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

   उक्त कथन से प्रभावित प्रदत्तों के आधार से कहा जा सकता है कि 36.5 प्रतिशत लोग सहमत है, 45.2 प्रतिशत असहमत है, अर्थात् जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्णय है कि बोर्ड परीक्षा न हो उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। शोधार्थी का भी मानना है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने-अपने राज्य के बोर्ड हैं। सारे के सारे राज्यों की शिक्षा संरचना का ढांचें में परिवर्तन आयेगा जो देखने को मिलता है कि कोचिंग केन्द्र इतने हावी है कि वे नवीं कक्षा से बालकों को जकड़ लेता है या यूँ कहें कि अभिभावकों की महत्वाकांक्षा इस कदर हावी हो गई की वह बालकों को विद्यालय में अध्ययन करने भेजते ही नहीं है तो हमारी कोई भी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य पूर्ण होता ही नहीं हैं बल्कि बोर्ड परीक्षा के भय से वह अध्ययन कर परीक्षा देता है। यदि छूट मिल जाये तो वह केवल व्यावसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की ही तैयारी करता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है इसलिए इस फैसले को वास्तविक कार्यान्वयन करने से पूर्व राज्य सरकारों के सामने लाना चाहिए साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर क राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद् को विचार करना चाहिए।

9. कथन 9. उच्च शिक्षा में ''मल्टीपल एन्ट्री व एक्जिट सिस्टम'' से उत्कृष्टता आयेगी।

   प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर 68.7 प्रतिशत व्यक्ति सहमत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एन्ट्री व एग्जिट सिस्टम को सही मायने के अर्थ को शिक्षक छात्र समझ सकेंगे। लेकिन उसकी क्रियान्वति एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नियम बनाकर पालना करवानी होगी अन्यथा परेशानी की सम्भावनाऐं अधिक होगी।

10. कथन 10. एनईपी 2020 गहन चिन्तन, वैचारिक समझ, खोज आधारित व समस्या समाधान केन्द्रित शिक्षा पर बल देती है।

    प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर उक्त कथन के संदर्भ में 87 प्रतिशत का मानना है कि एनईपी 2020 गहन चिन्तन आदि विधियों पर शिक्षा पर बल देने की सम्भावना है तब ही छात्रों में उच्च शिक्षा हेतु उत्कृष्टता सम्भव है।

11. कथन 11. चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम बहु-विषयक संस्थानों में ही संचालित होंगे तो 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम संचालित संस्थाओं का औचित्य नहीं है।

    उक्त कथन के संदर्भ में प्रदत्त आंकड़ों से प्राप्त परिणाम से ज्ञात होता है कि 56.5 प्रतिशत लोग इस बिन्दु से असहमत है। अर्थात् 04 वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम बहु विषयक संस्थानों में ही संचालित होंगे तो दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम वाली संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं होगा जो कि एक बड़ी चुनौती के रूप में महाविद्यालय होंगे दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाध न के उपयोग की सोच विकसित करने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए।

12. कथन 12. दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम संस्थाओं को ही 2030 तक बहुविषयक संस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

    प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर 72.2 प्रतिशत शिक्षाविदों का मानना है कि उक्त कथन के अनुसार 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं को ही 2030 तक चार वर्षीय पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिससे मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अपव्यय अपरोधन एवं शिक्षकों को बेरोजगारी से रोका जाना चाहिए।

13. कथन 13. बी.एड. पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षण दिया जाना एक ठोस कदम होगा।

    प्रदत्तों आंकड़ों पर आधारित बिन्दुओं से 99.1 प्रतिशत शिक्षाविद् सहमत है कि भविष्य में भावी शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षण दिया जाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। जिससे हमारे नौनिहालों को पढ़ाने वाले कर्णधार यदि तकनीकी से युक्त होंगे तो हमारा देश उन्नति कर सकेगा।

14. कथन 14. अल्पावधि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में यथा वीआईईटी, डाईट, जैसे उप पाठ्यक्रम संचालित कर अच्छे शिक्षकों का निर्माण किया जा सकता है।

    उक्त कथन हेतु प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 73.9 प्रतिशत लोग सहमत है कि शिक्षक के प्रशिक्षण के बीच में अल्पावधि उप व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कार्यक्रम संचालित कर अनिवार्य किया जाये।

15. कथन 15. एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) के द्वारा शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि करना सराहनीय प्रस्ताव है।

    प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के द्वारा शिक्षकों की दक्षता के अवश्य वृद्धि की जा सकेगी। 93.9 प्रतिशत लोग सहमत है।

16. कथन 16. शिक्षकों को जनगणना, पल्स पोलियो, अभियान या मिड डे मिल जैसे कार्य प्रभार देना उनकी दक्षता में कमी करने जैसा है।

    उक्त बिन्दु के संदर्भ में 73.9 प्रतिशत लोग सहमत है। अत: ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षकों का काम कक्षा-कक्ष में शिक्षण करना है उन्हें अन्य कार्यो में लगाते है उनकी दक्षता में कमी महसूस होती है।

17. कथन 17. प्रत्येक राज्य में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों पर होने वाले बजट का गम्भीरता व व्यावहारिकता से अवलोकन बजट में वृद्धि करना आवश्यक है।

    उक्त बिन्दु के संदर्भ में 94.8 प्रतिशत लोग सहमत है। कि यदि शिक्षा पर बजट में वृद्धि की जाती है तो शिक्षण में स्वत: ही गुणवत्ता का सुध ार होगा जो कि ये महत्त्वपूर्ण चुनौती माना जा सकता है।

18. कथन 18. अकादमिक शिक्षा व अध्यापक शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा जाना चाहिए।

    इस बिन्दु के संदर्भ में 89.6 प्रतिशत लोग सहमत है कि शैक्षणिक शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा बहुत ज्यादा भेदभाव राजस्थान में देखा गया और अनुभव किया गया अपितु पूरे भारत में एक उदाहरण परिलक्षित हुआ है। राष्ट्रपति अवार्ड हेतु अकादमिक शिक्षा से जुडेघ् शिक्षकों को प्राय: नवाजा जाता है। आवेदन मांगे जाते है। अध्यापक शिक्षा में कोई अच्छे-अच्छे परिणाम दे फिर भी दरकिनार कर दिये जाते है। राजस्थान राज्य में अध्यापक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में मानी जाती थी कुछ वर्ष पूर्व ही उच्च शिक्षा में मानी जाने लगी हैं फिर भी कोई पक्षपात रहित दृष्टिकोण अध्यापक शिक्षा हेतु देखने को नहीं मिलता है। शोधकर्त्री के मन में जिज्ञासा है कि चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम को किस प्रकार अपनायेंगे क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक बनाने को जो लक्ष्य रखा है वे ही इस पाठ्यक्रम को चुनें जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहता है। किन्तु लोगों का दृष्टिकोण अलग ही प्रतीत होता है।

19. कथन 19. शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षण शास्त्र को विषय के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य है।

    आंकड़ों के आधार पर 93 प्रतिशत लोग सहमत है कि शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षण शास्त्र विषय बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है कि इसे अन्य राज्यों की तरह उच्च माध्यमिक शिक्षा स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विषय के रूप में होना चाहिए। किन्तु ये विषय राजस्थान राज्य में बी.एड. एम.एड. के आधार पर ही उपलब्ध है यहाँ तक कि शिक्षाशास्त्र विषय को राजस्थान राज्य स्लेट जैसी परीक्षा से भी वंचित कर दिया है जिससे सरकारी नौकरी से अभ्यर्थी वंचित रहने लगे है। जिससे उनका रूझान कम होता जा रहा है।

20. कथन 20. अध्यापक शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के उद्देश्य जो व्यावहारिक प्रशिक्षण की सोच को विकसित करें।

    उक्त बिन्दु के संदर्भ में 95.7 प्रतिशत लोग सहमत है अध्यापक शिक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है उसी प्रकार व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाकर सकारात्मक सोच विकसित किया जाना अपेक्षित है प्राय: देखने में आया है कि छात्र-छात्राऐं शिक्षक बनने का प्रथम लक्ष्य ना रखकर, अन्तिम लक्ष्य रखते है अर्थात् जब अन्य लक्ष्य से थक हार जाते है तब शिक्षक बनना स्वीकार करते है जो सही निष्ठा, लगन से शिक्षार्थी के प्रति समर्पण भाव नहीं रख पाते है। ऐसा प्रतीत होता है राज्य सरकार शिक्षक विद्वान भी एनसीएफ के अनुसार व्यवस्थित नहीं रख पाते है। जिसका सीधा साधा उदाहरण राजस्थान में इन्टर्नशिप के दौरान देखने को मिलता है। प्रशिक्षणार्थी अध्यापक अभ्यास अपने गृह जिले या मन चाही विद्यालय में करता है उसके

पास कोई भी महाविद्यालय द्वारा विषय प्रवक्ता पाठयोजना निरीक्षण करने जाता ही नहीं है। एनसीटीई गाइड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था में भयंकर विरोधाभास देखने को मिलता है जो कि अपने आप में एक चुनौती के रूप में खड़ी है।

21. कथन 21. अध्यापक शिक्षा में इंटर्नशिप स्थानीय विद्यालयों में सम्पन्न कराई जाए, ताकि विद्यार्थी को विषय विशेषज्ञ का मागदर्शन प्राप्त हो सकें।

    उक्त बिन्दु के अनुसार 95.7 प्रतिशत लोग सहमत है कि इंटर्नशिप उन विद्यालयों में सम्पन्न करवाई जाये जहाँ महाविद्यालय का अध्यापक विषय प्रवक्ता के निर्देशन में पूर्ण करें। तब छात्र को प्रशिक्षण में अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

22. कथन 22. अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु एक पोर्टल या एजेन्सी द्वारा नियुक्ति एवं वेतन दिया जाना चाहिए।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु पोर्टल या एजेन्सी द्वारा नियुक्ति एवं वेतन दिया जाना चाहिए। 87 प्रतिशत लोग सहमत है। क्योंकि कहीं कहीं एक अध्यापक कई जगह नौकरी करता हुआ देखने को मिलता है और वेतन समस्त राज्यों में समान न होने के कारण अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है जिसे सुधार की अपेक्षा है।

23. कथन 23. अध्यापक शिक्षा के प्रति उदासीनता को खत्म करने हेतु व शिक्षकों के उन्नयन हेतु आकर्षक वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उक्त बिन्दु से 97.4 प्रतिशत सहमत है कि अध्यापक शिक्षा के प्रति निरन्तर उदासीनता आती जा रही है। उन्हें शिक्षकों का उन्नयन करने हेतु आकर्षक वेतन एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए जिससे अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक संतुष्टि होगी तो शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पडेघ्गा। ऐसा शोधकर्त्री का मानना है।

24. कथन 24. अध्यापक शिक्षा हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 98.3 प्रतिशत सहमत है योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक दक्षता का निर्माण हुआ है उसे अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

25. कथन 25. अध्यापक शिक्षा को संचालित करने वाले बहुविषयक संस्थान के निर्माण में आने वाली समस्याओं के समाधान में लचीलापन होना चाहिए।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 86.11 प्रतिशत लोग सहमत है कि बहुविषयक संस्था के निर्माण में आने वाली समस्याओं के समाधान में लचीलापन लाना होगा। तभी शिक्षा नीति भलीभांति उपयोगी हो सकेगी।

26. कथन 26. एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए।

    प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 92.2 प्रतिशत लोग सहमत है कि एनईपी 2020 अधिगम प्रयोगात्मक विधि पर आधारित कर उपयोग में लिया जाये तभी सम्भव हो सकेगा।

27. कथन 27. एनईपी 2020 मानती है कि मध्य चरण में विद्यार्थी की नैतिक क्षमता को भारतीय परम्परा की प्रेरक कहानियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

    प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 82.6 प्रतिशत लोग सहमत है कि एनईपी 2020 मध्य चरण के विद्यार्थी में नैतिक क्षमता को भारतीय परम्परा की प्रेरक कहानियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है ये तभी सम्भव होगा। जब भारतीय संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम में जुड़ा होगा।

28. कथन 28. एनईपी 2020 में की गई बहुभाषावाद की सिफारिश उचित है।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उक्त कथन से 79.1 प्रतिशत लोग सहमत है कि बहुभाषावाद की सिफारिश उचित है भारत के किसी प्रदेश में व्यक्ति जा सकता अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अधिकार रखकर कर गौरवान्वित हो सकता है। भाषा विवाद के कारण उत्पन्न विवाद से ग्रसित नहीं होगा। अन्य भाषा का अध्यापक भी कर सकता है।

29. कथन 29. एनईपी 2020 मानती है कि बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी माध्यम के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उक्त कथन से 84.3 प्रतिशत लोग सहमत है कि शिक्षक बहुभाषी माध्यम से शिक्षण कार्य करेगा तो छोटे बालकों में नींव से बहु भाषा का ज्ञान प्रारम्भ होगा उच्च कोटि का ज्ञान हो सकेगा।

30. कथन 30. एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा।

    प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उक्त कथन के प्रति 96.5 प्रतिशत लोग सहमत है कि एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार तकनीकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक तेजी से वृद्धि कर रही है भारत में संसाधन समय और मांग के अनुसार लोगों तक संसाधन पहुँच नहीं पाते तो शोधकर्त्री का मानना है कि एनईपी 2020 में नवाचारी की बात कर रहे हैं लेकिन हम सब को उत्तरदायित्व भूमिका निभानी होगी जो लक्ष्य रखा है उससे बाधायें, चुनौती आये उनका डटकर सामना कर समाधान एवं पूर्ति करनी होगी तभी एनईपी 2020 की सार्थकता सिद्ध होगी।

उपसंहार –

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों। जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिन्तन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य आधार हो। ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु

विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विषयक और समग्र का विकास होगा। सम्प्रत्यात्मक समझ पर जोर दिया जाये न की रटन्त पद्धति पर जोर दिया जाये। नैतिकता मानवीय और संवैधानिक मूल्य का विकास हो। जीवन कौशल का विकास हो। बहु-भाषिकता पर बल दिया है भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया। समस्त पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और नीति में स्थानीय सन्दर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान हो। भारतीय जड़ों और गौरव से बँधे रहना चाहिए इसप्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाये।

संदर्भ -

- भार्गव, महेश. (1993). ''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'' द्वितीय संस्करण, भार्गव बुक हाउस, राजामण्डी, आगरा-2
- गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ट संख्या 4, 22 अगस्त 2020
- कपिल, एच.के. (2008). ''सांख्यिकी के मूल तत्व'' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मत्रांलय, भारत सरकार।
- ूww.nep2020.nic.in
- www.researcharticle.com

नई शिक्षानीति 2020 में उच्चशिक्षा का भविष्य

प्रो० माता प्रसाद शर्मा

संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए तैयार होने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में होकर नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई।नई शिक्षा नीति पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन है। नई शिक्षा नीति में रखी गई दृष्टि प्रणाली को एक उच्च उत्साही और ऊर्जावान नीति में बदल रही है। शिक्षार्थी को उत्तरदायी और कुशल बनाने का प्रयास होना चाहिए।

मूलशब्द:- नई शिक्षानीति, उच्चशिक्षा, एनसीटीई, एआईसीटीई।

प्रस्तावना

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पशुत्व का त्याग कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अद्वितीय कार्य करता है।राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करेंगे, और जल्द से जल्द जीडीपी को 6: तक बढ़ाएंगे।नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का भोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है।नई शिक्षा निति सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखने की अनुमति देता है। एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचारों के नए तरीके स्थापित करेगी।मौजूदा शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी जिसे 1986 में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप परिवर्तन नई शिक्षा नीति का ही नतीजा है। नीति में कई सकारात्मक विशेषताएं हैं, लेकिन इसे केवल सख्ती से ही हासिल किया जा सकता है।

शिक्षानीति:- बदलते परिवेश के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय-समय पर नवाचार करना आवश्यक होता है। किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था वहां की संस्कृति, रीति रिवाज परंपराओं एवं मूल्यों को संरक्षित करती है एवं उनका पोषण करती है तथा समयानुसार अनुकूल आवश्यक परिवर्तन परिवर्धन एवं संशोधन करती है। शिक्षाविदों एवं समाजशास्त्रियों का मानना है कि ''समाज शिक्षा को जन्म देता और शिक्षा समाज को जन्म देती है।" भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 को क्रियान्वित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र लागू करने की संस्तुति की गई।शिक्षा में अवसरों के सामान्यीकरण पर बल दिया गया।भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 को क्रियान्वित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को भारत की वर्तमान स्थितियों एवं आदर्शों के अनुसार बनाया गया। जिसके द्वारा छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आदर्श भावना का निर्माण करने एवं लोकतंत्र के प्रति आस्था भाव का विकास करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) - इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।

इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये ''ऑपरेशनब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ''ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1. बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
3. भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति 2020:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय में कहा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है भारतीय जड़ों व गौरव से बंधे रह कर जहां प्रासंगिक लगे। वहां प्राचीनता के साथ आधुनिकता का समावेश करके भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का संकल्प किया गया हैजो एक नवभारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए नींव की ईंट साबित होगीऔर एक नए भविष्य का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक उत्कृष्ट दूरदृष्टि का परिणाम है और एक प्रेरणादायक नीति दस्तावेज है जो भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक मूलभूत परिवर्तन का आगाज करेगा। इसके तहत भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की जटिलता और चुनौतियों को ईमानदारी और स्पष्टता के साथ पहचाना गया है।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

1. राज्यों का सहयोग: शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
2. महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
4. फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना: कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
5. वित्तपोषण: वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6:खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
6. मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

1. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
2. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
3. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

1. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा।
4. वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
5. NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
6. NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपलएंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
7. विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
8. नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा परिषदके कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद: यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।

सामान्य शिक्षा परिषद: यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद: यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद-यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान- इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान- भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

विशेष बिंदु

आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाएगा।

देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडरइंक्लूजनफंड' की स्थापना करेगा।

वित्तीय सहायता-एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। इसके तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियलइंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार।
2. https://highereducation.gov.in//national.
3. www.raj.edu.in.
4. अवनीश कुमार सिंह, नए भार की नींव (राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020), प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख ताकतें

(National Education Policy 2020 Major Strengths)

प्रो० रतन कुमार भारद्वाज

प्रोफॅसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी स्कीम, टोंक रोड़, जयपुर

सारांश:

वर्तमान में भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यन्त द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना करने के लिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। जिस-जिस समय हमारे देश में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया, उस समय नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा नीति को एक परिवर्तन के साधन के रूप में अपनाया गया। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। इसके बाद 1986 में बनाई गई। जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधन किया गया। लगभग 34 वर्ष बाद सन् 2020 में हमारे देश की शिक्षा में विशेष सुधार व उन्नत शिक्षा हेतु अहम बदलाव कर नई शिक्षा नीति 2020 का गठन डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया। मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। वर्ष 1968 के बाद भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है।

प्रस्तावना:

नई शिक्षा नीति क्या है?

नई शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक की शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है तथा वर्तमान में भारत में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए देश की 6 प्रतिशत जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख ताकतें:-

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख ताकतों को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ताकत शिक्षा नीति के उद्देश्यों पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- शैक्षिक नीति में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना।
- सम्पूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना।
- शैक्षिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता लाना।
- छात्रों को शिक्षा की गुणवत्ता के महत्त्व से परिचित कराना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएँ ही शिक्षा नीति की ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

- इस शिक्षा नीति में बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं।
- इसमें शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा गया है, जिससे सभी विद्यालयों में तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता हो सके व छात्रों व अध्यापकों को तकनीकी ज्ञान हो सके।
- इस शिक्षा नीति में मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है।
- इस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया गया है। इसमें सभी प्रकार की शैक्षिक विषयवस्तु को प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी अनुवाद किया गया है।
- कक्षा 6 के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को कई प्रकार के शैक्षिक विकल्प दिए गए हैं। इसमें कक्षा 10 में अन्य शैक्षिक विकल्प भी रखे गए हैं, जिससे छात्र कोई संकाय न चुनकर अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प चुन सके।
- नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से ही कूट लेखन (कोडिंग) भी अनिवार्य रूप से सिखाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का उच्च विकास होगा।
- सभी शिक्षण संस्थाओं में वर्चुअल प्रयोगशालाओं का भी निर्माण करना होगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता उत्पन्न की जा सके।
- वर्षों से चल रही 10+2 के नियम को बदलकर सम्पूर्ण भारत में 5+3+3+4 के नए शैक्षिक नियम को लागू किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य तथ्यः-

- शिक्षा नीति 2020 में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के गठन पर बल दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल अकादमिक क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संगृहीत कर छात्र के अंतिम वर्ष की उपाधि में स्थानांतरित कर सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम को हरसम्भव लचीला बनाए जाने पर भी हरसम्भव कोशिश की जाए। यदि कोई विद्यार्थी किसी कोर्स में रूचि ना रखने के कारण उस कोर्स को बीच में छोड़ कर दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स में निश्चित समय तक रूक कर दूसरा कोर्स कर सकता है।
- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाये।
- 2040 तक प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है।
- स्नातक कोर्स को 3 से 4 वर्ष तक पढ़ा जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को बहुविकल्प प्रदान किए जायेंगे। इन सभी बहुविकल्पों में उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाए। यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के लिए स्नातक कोर्स का अध्ययन करता है तो उस विद्यार्थी को केवल एक वर्ष के अध्ययन का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और दो वर्ष उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और तीन वर्ष बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे उपाधि दी जाएगी। अन्त में चार वर्ष के बाद विद्यार्थी को बैचलर उपाधि के साथ-साथ शोध की उपाधि भी दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन करके करेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का विकास होगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी तथा निजी संस्थानों को एक समान माना जाएगा।
- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल, जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा एक्रीडिटेशन काउंसिल में 4 भारतीय शिक्षा आयोग के वर्टिकल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत रखे गए हैं।
- पुस्तकों पर निर्भरता कम करने के लिए ई-लर्निंग पर भी राष्ट्रीय शिक्ष नीति 2020 में विशेष जोर दिया गया है।
- दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव पर भी नई शिक्षा नीति 2020 में विशेष जोर दिया गया है।
- माध्यमिक स्तर से ही विद्यार्थियों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्पों पर भी विशेष जोर दिया गया है।
- शिक्षकों की भर्ती पर विशेष जोर दिया गया है।
- वोकेशनल स्टडीज की शुरूआत देश में 2025 तक 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अनिवार्य करवाई जाए। ऐसे बहुत कम छात्र हैं जो वोकेशनल स्टडी करना चाहते है परंतु इसे अधिक से अधिक छात्रों को प्रदान किया जाए। जिसमें ज्यादा ध्यान कक्षा 6 से 8 के छात्रों का रखा जाए और इसके अन्तर्गत लकड़ी का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम आदि कराएं जाएं।
- कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन दो घंटे का गृहकार्य दिया जाए।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष नई शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है।
- 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
- स्वास्थ्य नीति के तहत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिसके साथ विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
- शिक्षकों को समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान भी नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापक के लिए बी.एड़ की उपाधि को चार वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है।
- एम.फिल. की उपाधि को नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया है।
- 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एन.सी.ई.आर.टी. के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषयवस्तु को भी तैयार करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है।
- खेल, कला, बॉक्सिंग आदि में विद्यार्थियों को जिसमें अधिक रूचि है, उसी क्षेत्र में विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए।

- शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ नई शिक्षा नीति में उनके कौशल पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाने की बात कही गई है तथा मूल पाठ्यक्रम में भी अतिरिक्त पाठ्यसहगामी क्रियाएं भी शामिल करने की बात कही गई है।
- पढ़ाई के बोझ को कम करने का भी नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है, जिससे पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाए।
- बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम किया जाए, जिससे एक वर्ष में दो बार विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जाएं।
- विद्यार्थियों को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कोर्स उपलब्ध करवासए जाएंगे।
- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।

निष्कर्षः-

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख ताकतों को बल देने में इस शिक्षा नीति के उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसके अन्तर्गत ''शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना'', ''सम्पूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना'', ''शैक्षिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता लाना'' तथा ''छात्रों को शिक्षा की गुणवत्ता के महत्त्व से परिचित कराना'' आदि प्रमुख हैं। इन उद्देश्यों के परिणामस्वरूप ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ताकत मिली है। इसके साथ ही इसकी विशेषताओं और मुख्य तथ्यों का भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ताकत को बढ़ाने में पूर्ण योगदान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उक्त सभी ताकतों का यदि ईमानदारी से क्रियान्वयन किया गया तो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था तो श्रेष्ठ होगी, साथ ही साथ इसका सकारात्मक प्रभाव परिवार, समाज व संस्कृति पर निश्चित रूप से पड़ेगा और एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- पंडित राव, एम.एम., (2020), नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी 2020: व्हॉट इज इन इट फॉर ए स्टूडेंट, ए पेरेन्ट, ए टीचर, और अस, एस ए हायर एज्यूकेशन इंस्टिट्यूशन/यूनिवर्सिटी? आदेश यूनिवर्सिटी, जे. मेडिकल साइंस रिसर्च, 2(2) 70-90
- वरमनी, एस., (2018), लाइफ लेसन फ्राम भगवद गीता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एण्ड एम्पलाइड रिसर्च, www.pragatipublication.com ISSN 2249-3352 (P) 2278-0505 (E), July, Volume 8, Number 7, PP 598-607.
- https://www.education.gov.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ) आकलन और मूल्यांकन

डॉ० यशवन्ती गौड

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लाल कोठी, जयपुर

श्री खुशाल मेहता

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

आलेख (सारांश)

शिक्षा किसी भी समाज में निरन्तर चलने वाली एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर उसकी ज्ञान कौशल व्यवहार में वृद्धि कर एक सुनागरिक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य है सभी बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बालक की क्षमता आयु और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुँचाना है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को सभी उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक आधुनिक जीवन्त समाज के रूप में अपना सहयोग प्रदान करना है ।

प्रस्तावना-

समाज के नागरिक में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य के प्रति जागरूक हो ताकि इस बदलते परिवेश में वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आकलन एक परिमाणी प्रक्रिया है। आकलन क्रिया की सहायता से चरों को परिमाण में परिवर्तित कर लिया जाता है। आकलन वास्तव में किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का नहीं होता है अपितु उसके गुणों का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए बुद्धि को बुद्धिलब्धि को अंकों आकलन प्रक्रिया से बदल लेते हैं। आकलन प्रक्रिया के तीन प्रमुख कार्य होते हैं साफल्य-आकलन के द्वारा किसी चर को परिमाण में आंकने से यह ज्ञात हो जाता है कि किसी समूह या व्यक्ति में कितनी क्षमता है इसके प्रयोग से छात्रों के वर्गीकरण स्तरीकरण, प्रगति चयनप्रगति, तथा पूर्व कथनों को काम में लिया जाता है। निदान साफल्य में विद्यार्थियों की योग्यताओं के स्तर की जानकारी तो प्राप्त हो जाती है किंतु विद्यार्थी की कमजोरी का बोध नहीं हो पाता है। अत: आकलन का दूसरा कार्य विद्यार्थियों की कमजारियों का निदान करना है। आकलन के निदान कार्य का शिक्षा में विशेष महत्व है। उपचारात्मक शिक्षण निदान पर ही आश्रित होता है। शोध शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक शोध कार्यों को अधिक बढ.ावा दिया जा रहा है। आकलन का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें प्रोत्साहित कर उचित माहौल प्रदान करना है। प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसकी एक निश्चित स्तर तक पहुचानें में मदद करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन के सीखने के साधन के रूप में हमें यह देखना होगा कि किसी के किए गए कार्य की जांच में हम कौन-कौन से उपकरण काम में ले रहे हैं । विद्यार्थी ने सीखा है या नहीं और अगर सीखा है तो कितना सीखा मात्र यह जान लेना आकलन नहीं वास्तव में बच्चे कैसे सीख रहे हैं क्या नहीं सीख पा रहे हैं और वे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। सिखाने के कौन से तरीके उन्हें आनंद देते हैं और इनमें से कौन से झुझलाहट या तनाव उत्पन्न करते है यह सब जानना आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। आकलन में रचनात्मकता होना जरूरी है यह कार्य निरंतर चलने वाला कार्य है जो व्यापक रूप से विद्यार्थी का प्रतिपल निरीक्षण करता है। आकलन कोई पृथक गतिविधि ना होकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जो ना तो अतिरिक्त समय की मांग करता है और ना ही विशेष प्रयास। सतत् और व्यापक रूप से किया गया आकलन कक्षा की गतिविधियों को रोचक बनाने में शिक्षक की मदद करता है। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी आकलन भी जरूरी है। आकलन की प्रचलित पद्धति में विभिन्न पद एवं परीक्षाओं के माध्यम से यह कार्य पूर्ण कर लिया जाता है प्रचलित परीक्षा पद्धति के द्वारा सभी कौशलों का परीक्षण नहीं हो पाता है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन सहजता से किया जा रहा सकता है। यह आकलन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमे विद्यार्थियों में आए परिवर्तनों की निरंतर जांच की जाती है मनोविज्ञान का आधार व्यक्तिगत भिन्नता का सही अध्ययन के द्वारा ही किया जाता है। आकलन का दर्शन हमें अतीत के संबंधों की जानकारी देता है जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है और भविष्य की समस्याओं के समाधान में आंखें उनका प्रयोग करती है । आकलन वह प्रक्रिया है जिससे चल राशि को परिणाम में बदल लिया जाता है। आनंदमयी शिक्षण में गतिविधि या क्रियाकलाप पर विशेष बल दिया जाता है इसमें शिक्षण बिंदु पर एक गतिविधि करवाई जाती है। मूल्यांकन भी गतिविधि आधारित होता है,जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का शिक्षण कराने पर शिक्षक द्वारा विभिन्न

गतिविधियां करवा सकती है जैसे पाठ में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का चयन करवाना अपने चारों ओर देखकर उसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे छात्रों से कॉपी में लिखवाएं। कहने का तात्पर्य है कि गतिविधि किसी भी प्रकार की हो सकती है जैसे लिखना, पढ.ना, सोचना, चयन करना, अभिनय करना, वाचन करना, संकलन करना, समस्या पूर्ति, वाक्य पूर्ति शब्दों की ढेरी में से वाक्य रचना वाक्य प्रयोग करना, रिक्त स्थान पूतिर्ख अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, भाषाई विभिन्न प्रकार के खेल आदि गतिविधि आधारित मूल्यांकन है गतिविधियां प्राय: तीन प्रकार से करवाई जा सकती है प्रथम कक्षा कक्ष गतिविधि जिसमें प्रश्न पूछ कर लिखित एवं मौखिक उत्तर प्राप्त करना, वाक्य रचना कराना, एक पंक्ति में उत्तर, चित्र, वस्तु लेख कर उस पर वाक्य रचना लिखित या मौखिक कराना, पाठ्यपुस्तक में निर्देशित विषयवस्तु का संकलन करना, कहानी, कथन, घटना, वर्णन, अनुकरण वाचन कराना, कविता वाचन कराना, मौन वाचन कराना, द्रुत वाचन कराना, लिखित वांछित प्रश्नों के उत्तर देना या लिखवाना, संवाद पाठ एकांकी का स्वाभाविक रूप से वाचन कराना आदि गतिविधियों के द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

निष्कर्ष-

एनसीपी अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नवीन परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है इसका उद्देश्य बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कराना है। बच्चों को बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति को जानने के लिए नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने हेतु अपनाया गया है। आकलन प्रणाली में विश्लेषण, तार्किकता की स्पष्टता है। उस पर विशेष बल दिया गया है। छात्रों के समग्र विकास को लक्षित कर कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में परिवर्तन कर भविष्य में चंस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारक निकायों के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात को 26 पॉइंट 3 प्रतिशत वर्ष 2018 से बढ.ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 पॉइंट 5 करोड. नई सीटों को जोड.ा जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों या क्रेडिट दिया ताकि अलग-अलग संस्थाओं के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको डिग्री प्रदान की जा सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास उनके स्तरानुकूल एवं सभी पहलुओं का निरन्तर, व्यापक और सतत् आकलन एवं मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन-राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ.
2. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) . द्वारा rkrstudy.net

Advertisement in Teaching and Learning in TEL

डॉ० आभा शर्मा

शिक्षा संकाय, विभागाध्यक्षा, महात्मा ज्योति राव फूले विष्वविद्यालय, जयपुर

सारांशः-

शिक्षा का अर्थ है देना, पढ़ना या प्रशिक्षित करना। अतः शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी धारणाओं की मदद लेता है जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं तो उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। डॉ. एस.एस. कुलकर्णी के अनुसार. "शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्राप्त एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।''

शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में कृत्य परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ परिमार्जित होती है। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोवैज्ञानिक तकनीकी और विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा स्वयं एक आत्मनिर्भर (स्वतन्त्र) प्रत्यय नहीं है यह तकनीकी विज्ञान से सम्बन्धित है। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं का प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है।

छात्रों की उपलब्धियों को निर्धारित उद्देष्यों के सम्बन्ध में मूल्यांकन कर शिक्षण में सुधार करना है। पुनर्बलन की प्रविद्यियों का चयन करना और उनका प्रयोग करना है। शिक्षण का सरल, स्पष्ट रूचिकर, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य एवं प्रभावी बनाना है। ज्ञान का संचयन विकास एवं प्रसार करना है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थायी सुधार करना है। शिक्षकों में शिक्षण-कौशल का विकास कर उनकी योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि करना है। शिक्षण के उद्देश्यों पर समावेश करना यह पढ़ने, सोचने, विश्लेषण करने और फिर प्रदर्शन करने में मदद करेगा और यह निश्चित रूप से शिक्षा के मानकों को बढ़ाएगा। उन्नत अनुसंधान कार्य करने और नई-नई चीजें सीखने में यह हमारी मदद करता है।

प्रस्तावनाः-

छात्र सीखने के अनुभव को अधिकतम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग वैश्विक शिक्षा के सभी स्तरों पर करता है। प्रौद्योगिकी सवर्द्धित शिक्षा (टी. ई.एल.) को अक्सर ई. लर्निंग के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग केवल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत कक्षाओं और प्रौद्योगिकी के साथ सीखने के सन्दर्भ में किया जा सकता है। हमारी लचीली शिक्षाशास्त्र भविश्य की शोध श्रृंखला की तैयारी में एक प्रकाषन शामिल है जो प्रौद्योगिक सवर्धित शिक्षण की बेहतर समझ पर केन्द्रित है, जिसमें कुछ चुनौतियाँ और अवसरों को उजागर करना शामिल है जो टी.ई.एल.कहलाता है। प्रतिधारण मुद्दों की गहरी समझ हासिल करना और आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्थन और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना है। विषयगत श्रृंखला का उद्देश्य प्रभावी अभ्यास और केन्दित सिद्धान्त के साझाकरण के माध्यम से शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमताओं को मजबूत करना है और शिक्षण और शिक्षण की संस्थागत वृद्धि का समर्थन करना है। प्रासंगिक सामग्री और अनुभवों के लिए मार्गदर्षन करना है ताकि वे स्वयं के शिक्षण अभ्यास को विकसित करने में सहायता कर सके। जनवरी 2020 श्रृंखला का विषय "टैक्नोलॉजी एनहास्ड लर्निंग (टी.ई. एल) था। शिक्षण और अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (I.C.T.) के प्रयोग में विशेष रूपसे शिक्षा के क्षैत्र में अविकसित दुनिया के भविष्य को बदल सकते है। शिक्षा प्रणाली से स्थानीय और अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में डिजिटल विभाजन को समाप्त कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षा में कुछ चुनौतियाँ है जिसका विकासशील दुनिया शिक्षा क्षेत्र में I.C.T. को अपनाने में मुश्किलों का सामना करती है। ये चुनौतियाँ निम्न से सम्बन्धित है- धन की कमी, नई तकनीक को बदलने में शिक्षक और नीति की अपर्याप्त कई शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने सुझाव दिया है कि आई.सी.टी. अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

आधुनिक शिक्षक-शिक्षा में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार के कई साधन प्रदान करती है। यू.के, यू.एस.ए, सिंगापुर जैसे विकसित देशों की तुलना में प्राप्त अनुभवों के साथ-साथ स्थानीय और अर्न्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों के निर्देषों और दिशानिर्देषों के आधार पर जिम्मेदार शिक्षाविदों ने आई.सी.टी. शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियाँ प्रस्तुत की हैं।

आई.सी.टी. तेजी से विकास के लिए एक प्रमुख घटक है इसे स्कूली शिक्षा से शिक्षक-शिक्षा में उपयोग के मंच तक लागू किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक और ई-लर्निंग दृष्टिकोणों के साथ-साथ कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए मौजूदा संसाधनों का भी प्रयोग करता है। कोरोना महामारी के समय उन तरीकों की पहचान पर केन्द्रित की गयी जो शिक्षक-शिक्षा में नई तकनीक काम में लेकर ज्ञान प्रदान करने में कामयाब रहे। जब बहुत कम समय में विश्वविद्यालयों (शिक्षक-शिक्षा व अन्य विश्वविद्यालयो) को विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया को अनुकूलित करना पड़ा। इस सम्बन्ध में शिक्षण में ऑनलाईन सीखने की जानकारी को आत्मसात करने की क्षमता और ई-लर्निंग प्लेटफार्म के उपयोग

के बारे में छात्रों की धारणाओं का विश्लेषाण किया। अर्द्ध संरचित प्रश्नावली पर आधारित एक ऑनलाईन सर्वेक्षण किया गया जिसमें अधिकतर विद्यार्थी तकनीकी आधारित शिक्षण के पक्ष में थे।

कोरोना वायरस महामारी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन उत्पन्न किया और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बातचीत को प्रभावी किया। महामारी के परिणाम स्वय विश्वविद्यालयों विशेशकर षिक्षक-शिक्षा मे ऑनलाईन ही शिक्षक छात्रों की गतिविधि हुई। शैक्षिक प्रक्रिया की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गए और ऑनलाईन शिक्षण को अपनाया गया। इन्टरनेट आधारित शिक्षक को एक विकल्प के रुप में अपनाया गया।

इन्टरनेट आधारित शिक्षण शिक्षण-शिक्षा में गतिविधि को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया । तकनीकी प्रतिमानों के बदलाव से छात्रों की धारणा में बदलाव हुआ। शिक्षण में हुए परिवर्तनों के अस्तित्व को पकड़ने का प्रयास किया। प्रौद्योगिकी युक्त तकनीकों के प्रयोग से छात्र केन्द्रितता शामिल होती है तथा लचीलापन होता है। ई.मेल जैसे अतुल्यकालिक और तुल्यकालिक उपकरण प्रदान करके छात्रों के साथ बातचीत में भी सुधार कर सकता है। फोरम, चौट, वीडियो कॉन्फ्रेन्स, इन्टरनेट प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक ही समय में सामग्री के वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ई.लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों को कई फायदे प्रदान करते हैं जैसे सामग्री पर नियन्त्रण और इस प्रकार प्रक्रिया को सीखने वाले की जरूरतों और सीखने के उद्देश्यों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता। प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही बेहतर संचार में योगदान दे सकता है। तकनीकी के बेहतर प्रयोग से शिक्षक शिक्षण व अधिगम में छात्रों की प्रेरणा शक्ति में वृद्धि हुई साथ ही प्रतिक्रिया में तेजी आई। सभी आवश्यक शिक्षण सामग्री समय पर उपलब्ध हो जाती है।

तकनीक के उपयोग के माध्यम से ही शिक्षण की रणनीतियों को छात्रों की जरूरतों के अनुकूल बनाना चाहिए। इसी से शिक्षकों के शिक्षण अनुभव में वृद्धि होती है। शिक्षण शैली भी समय व विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम में तकनीक व प्रौद्योगिकी ने छात्रों के दृष्टिकोण में बदलाव लाया तथा विद्यार्थियों की समझ व जानकारी में वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों में अपनी कठिनाई पहचान कर उसका निराकरण भी किया है।

इस प्रकार तकनीकी व प्रौद्योगिकी शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान दे सकता है। क्योंकि यह पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों की उपयोगिता कार्यो एवं परियोजना का पूरा करने में लगने वाले समय को कम किया तथा पाठ्यक्रम की सामग्री को आवश्यकताओं व इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाया है। ये ज्ञान व षिक्षा को स्थानान्तरित करने के लिए सन्दर्भित करता है। शिक्षण व अधिगम में तकनीकी का प्रयोग एक लोगों को सीखने व विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करती हे। इन तकनीकों का प्रयोग एक शिक्षक के ज्ञान व कौशल पर निर्भर करती है। अन्ततः शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग मददगार साबित होता है। सूचना प्रणाली की सफलता इसी पर ज्यादा निर्भर करती है। अधिगम में सहजता व सजगता रहती है।

युवा और प्रौद्योगिकी

डॉ० हर्ष कुमार

(प्राचार्य) पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वाटिका, जयपुर।

सारांश-

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 सालसे 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स थ्री डी मशीन।

प्रस्तावना:-

आज के युवाओं को जेनटेक कहा जाता है। टेक्नोलॉजी लगभग सभी के जीवन का एक हिस्सा बन गई है, खासकर युवाओं की। सामान्य तौर पर, हम में से प्रत्येक नवीनतम रुझानों और गैजेट्स के बराबर रहना चाहता है। जबकि तकनीक ने दुनिया के लिए चमत्कार किया है, बहस अभी भी जारी है कि तकनीक हमारे लिए कितनी अच्छी या बुरी है। तकनीक ने दुनिया को जोड़ा है। मैसेजिंग एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम- तकनीकी दुनिया हमारे आसपास के लोगों के बारे में हमारे ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इसने हमारे जीवन को भी आसान बना दिया है- हम बिलों का भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, आधिकारिक डेटा बनाकर अग्रेषित कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ज्ञान को सुरक्षित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, दुनिया अब तकनीक की दीवानी हो गई है। प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता ने हमें आत्म-जागरूक होने के बजाय गूंगा बना दिया है। अनियंत्रित और इस तरह के उपयोग में आसानी के कारण प्रौद्योगिकी हम सभी के लिए अभिशाप बन गई है। किशोरों और युवाओं के बीच प्रौद्योगिकी की खपत अब लोलुपता के बराबर है।

आज का युवा गंभीर और अप्राप्य रूप से प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। स्कोर के हिसाब से नए गैजेट्स और नए एप्लिकेशन के आने से यह स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। फोन दिन भर गुलजार रहते हैं, गेमिंग कंसोल कभी आराम नहीं करते और एक टच स्क्रीन आधुनिक युग का जिन्न बन गया है। 5 इंच की स्क्रीन के माध्यम से सब कुछ आसानी से उपलब्ध होने के साथ, दुनिया सचमुच आपके हाथों में है। एक कदम भी चले बिना अपना सारा काम पूरा करना बेहद सुविधाजनक हो जाता है। ऐसी जीवनशैली भारत के युवाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। जबकि प्रौद्योगिकी, अवसरों की दुनिया प्रदान करती है, इसने हमारे समय को सीमित कर दिया है। यहां तक कि 24 घंटे भी सब कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमारे पास शारीरिक श्रम करने या खुद को आराम देने का समय नहीं है। यहां तक कि युवाओं के लिए खाली समय में यूट्यूब देखना और फेसबुक न्यूज फीड के माध्यम से स्क्रॉल करना आवश्यक होता है। जबकि यह केवल आँखों को संतुष्ट कर रहा है, इसमें से कोई भी हमारी आत्मा का पोषण नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना विकलांग कर दिया है कि अब हमें केवल एक किताब पढ़ने के लिए किंडल की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आकर्षण, गतिविधियों का सार और विचारों की मौलिकता एक दुखद मौत मर गई है। चूँकि Google के पास सभी उत्तर हैं, कोई भी विश्वकोश की जाँच नहीं करना चाहता। लोग एलेक्सा से बात करते हैं, लेकिन अपने माता-पिता से नहीं। प्रोफाइल पिक्चर पर 300 लाइक्स किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान की पुष्टि करते हैं। युवा स्वयं पर खर्च करने के बजाय, फोन पर 70 हजार खर्च करना पसंद करेंगे।

प्रौद्योगिकी ने सभी कार्यालयों, घरों, रिश्तों और शिक्षाविदों पर कब्जा कर लिया है। तकनीक से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहता। प्रत्येक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित उपयोग के खतरनाक परिणाम सामने आए हैं। साइबर-अपराध लगातार बढ़ रहा है, परिवार दुस्साहसी हो रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक मुद्दे युवाओं के दिमाग में रेंग रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसे 'बहुत अधिक' जानकारी के रूप में जाना जाता है, जो जितना सिखाता है उससे कहीं अधिक भ्रमित करता है। युवा भोले और भोलेपन का अभिनय करते हैं, क्योंकि वे अंत में इंटरनेट पर मिलने वाली किसी भी चीज पर केवल इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि यह उन्हें सूट करता है। प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून कई मामलों में घातक हो गया है- हम सड़क दुर्घटनाओं को नियमित रूप से होते देखते हैं क्योंकि लोग एक साथ ड्राइव करते हैं और संदेश भेजते हैं। कुछ हफ्ते पहले, एक लड़की सेल्फी लेने की कोशिश में चट्टान से गिर गई और उसका दुखद अंत हुआ। यह काफी हास्यास्पद है कि कैसे तकनीक ने हमें पागल और जंगली बना दिया है। निराशा और दुश्मनी आम है क्योंकि तकनीक के अत्यधिक उपयोग से युवा तनावग्रस्त हो रहे हैं।

प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता पर अंकुश लगाने की जरूरत है, स्वयं प्रौद्योगिकी पर नहीं। हमें अपने आप को नियंत्रित करने और गैजेट्स और इंटरनेट के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता है। हमें डेटा और मशीनों को अपने पूरी तरह कार्यात्मक दिमाग को नियंत्रित क्यों करने देना चाहिए? होना तो इसका उलटा चाहिए। अपनी दिनचर्या को अनुकूलित करें और प्रौद्योगिकी के बंधनों को तोड़ने के लिए दृढ़ रहें। उद्देश्य, प्रौद्योगिकी के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना है; यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे वरदान ही रहने दें, अभिशाप न बनायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत - चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

डॉ० राजेन्द्र कुमार श्रीमाली

प्राचार्य, श्री जैन आदर्श कन्या शि. प्र. महाविद्यालय, नोखा, बीकानेर (राज.)

सारांश

जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, केवल डिग्री ही नहीं। हमारी डिग्री है - हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता और जमीन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली और हमारी आत्मा जाग्रत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। शिक्षा संबंधी यह उद्‌गार शिक्षा की महत्ता को परिलक्षित करती है। हमारी सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर एवं कटिबद्ध है यही कारण है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करते हुए शिक्षा का दायित्व केन्द्र एवं राज्य में संचालित दोनों सरकार इसकी अभिवृद्धि हेतु भागीरथी प्रयास कर रही है साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2021, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 को लागू करके शिक्षा में आमुलचुल परिवर्तन कर घर-घर शिक्षा - हर घर शिक्षा को सुलभ कराया है। डिजिटल शिक्षा एक तकनीक या सीखने की विधि है जिसमें डिजिटल उपकरण तकनीक शामिल है। यह एक ऐसा नया और व्यापक प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जो किसी भी विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने और देशभर के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। भारत में डिजिटल शिक्षा और सीखने की विधि में नवाचार को शामिल कर डिजिटल इंडिया का आगाज किया जा रहा है और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है - अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, दूसरों की जरुरतों को पूरा कर सकने की क्षमता का होना।

भारत डिजिटल शिक्षा की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि यहां के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में डिजिटलीकरण को अपनाने, इन्टरनेट की पहुंच बढ़ाने तथा सरकार के फोकस से डिजिटल शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया गया है जिसमें न केवल शहरों में अपितू दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आंकड़े बताते है कि भारत में 2025 तक 900 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हो जायेंगे तथा देश की कुल जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग इन्टरनेट का उपयोग कर सकेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने 2015 से ही डिजिटल इंडिया की पहल कर दी है ताकि 2025 तक दूरस्थ क्षेत्रों में भी ई-शिक्षा को प्रारम्भ कर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके।

मुख्य शब्द - डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ई-लर्निंग, तकनीकी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020

प्रस्तावना:

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान अत्यन्त औचित्यपूर्ण है ताकि यहां के नागरिक किसी भी जरूरत के लिए परमुखादेक्षी नहीं रहे, पराधीन नही रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है क्योंकि इस शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा खाका खींचा है जो ज्ञान कौशल और उद्यमिता का सम्यक विचार करती है। आज हमारा भारत खाद्यान्न, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष एवं चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है अपितु दूसरों की जरूरतों का दुनिया में सबसे कम कीमत पर पूरा करने वाला राष्ट्र भी बन गया है। भारत ने अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी। यह आत्मनिर्भरता का ही उदाहरण है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है। आत्मनिर्भर भारत ने इण्डिया को डिजिटल बना दिया है।

डिजिटल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इन्टरनेट नेटवर्क प्रदान कने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक ऐसी पहल और मिशन है जिसका प्रारम्भ 01 जुलाई 2015 को किया गया। डिजिटल भारत मिशन का आदर्श वाक्य ''पावर टू एक्यावर'' है जिसकी हमारे देश में न तो कभी कमी थी, न कमी है और न कभी कमी रहेगी। हमारे देश में मेघा की कभी कोई कमी नहीं रही लेकिन गुलामी के कालखंड में दुर्भाग्यवश ऐसी व्यवस्था बना दी गयी जहां पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही पाना माना जाता था क्योंकि तब अंग्रेजों का उद्देश्य था - अपने लिए सेवक वर्ग तैयार करना। भारत के गरमदल और नरमदल स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका जमकर विरोध किया। हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमने शनैः-शनैः प्रयास करना प्रारम्भ किया। आज हम भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे है। आजादी के 75 वर्षों में हमने शिक्षा और डिग्री में अंतर करना सीखा क्योंकि हमें चाहिए कि हम केवल डिग्री धारक युवा ही तैयार नहीं करे बल्कि ऐसे इंसान तैयार करे जिनमें सेवा की भावना हो। अपने घर-परिवार एवं समाज तथा राष्ट्र के प्रति सेवा का जज्बा हो। युवाओं में संस्कार और संस्कृति का संरक्षण, संवर्द्धन एवं हस्तांतरण का जज्बा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी मूल आधार यही है।

जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है केवल डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है - हमारा सेवाभाव, हमारी नम्रता और जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिलती और हमारी आत्मा जाग्रत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। शिक्षा संबंधी यह वाक्य शिक्षा की महत्ता को परिलक्षित करता है। हमारी सरकार भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रतिबद्ध है इस हेतु हमारी सरकार हर घर में, हर गांव में, हर ढ़ाणी में शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयासरत है यही कारण है कि सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागु किया। वैदिक काल से आधुनिक काल तक शिक्षा के स्वरूप में अनेकानेक परिवर्तन हुए है। वैदिक काल में शिक्षा में जहां गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी वही आधुनिक काल में शिक्षा में स्मार्ट क्लास प्रचलित है जिसे ऑनलाइन शिक्षा का नाम दिया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नि:संदेह शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है लेकिन इसके चलते कुछ चुनौतियों का समानता भी हमने किया है। जब-जब देश में प्राकृतिक एवं मानवीय संकट उभर कर आए है उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। कोरोना जैसी विश्वव्यापी संकट से जो शिक्षण एवं अधिगम को नुकसान पहुंचा है वह हम सबसे छिपा नहीं है इस समय ऑनलाइन शिक्षा कारगर सिद्ध हुई है परन्तु ग्रामीण बच्चे इससे अभी काफी दूर है उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम अधोलिखित चूनौतियों को दूर कर ले तो हम 2025 तक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं-

चुनौतियां

- मानव संसाधन का समुचित विदोहन नहीं होना।
- भौतिक संसाधन का समुचित विदोहन नहीं होना।
- वित्तीय संसाधन का समुचित विदोहन नहीं होना।
- लक्ष्य का सही ढंग से योजनानुरूप निर्धारण नहीं होना।
- लक्ष्य के अनुरूप उद्देश्य का सही ढंग से निर्धारण नहीं होना।
- उद्देश्य के अनुरूप कार्य का सही ढंग से निर्धारण नहीं होना।
- कार्य के अनुरूप क्रियान्वयन को एकरुपता का अभाव होना।
- दूरस्त क्षेत्रों में कम्प्यूटर की अनुपलब्धता का पाया जाना।
- सुदूर क्षेत्रों में स्मार्ट मोबाईल की अनुउपलब्धता का पाया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनुपलब्धता का पाया जाना।
- गांवों में नेटवर्क की अनुपलब्धता का पाया जाना।
- स्मार्ट फोन से प्राप्त अनैतिक प्रथाओं का पाया जाना।
- सभी क्षेत्रों में वर्चुअल लैब का नहीं होना।
- सभी नागरिकों में डिजिटल शिक्षा संबंधी जागरूकता का अभाव होना।
- देश में अभी तक पूर्ण रूप से डिजिटल पाठ्यक्रम का नहीं बनना।
- डिजिटल पाठ्यक्रम के मुताबिक देश में प्रशिक्षित शिक्षकों का नहीं होना।
- डिजिटल परीक्षा के मानक निर्धारित नहीं हो पाना।
- डिजिटल मॉडल का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाना।
- देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का अभी शैश्वावस्था में होना।

कोरोना के चलते पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बच्चों को फिर से शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे है। परन्तु यह प्रयास तभी सफल होंगे जब हम आत्मनिर्भर भारत से संबंधित चुनौतियों को उधोलिखित उपाय से कम कर सकते हैं।

उपाय

- गांवों में कम्प्यूटर एवं मोबाईल का उपलब्ध कराना।
- गांवों में बिजली की उपलबधता सुनिश्चित करना।
- गांवों में नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं कम करना।
- मोबाईल से प्राप्त अनैतिक प्रथाओं को रोकना।
- ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाना।
- देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना।
- ऑनलाइन शिक्षण मंच तैयार करना।
- ऑनलाइन शिक्षण उपकरण तैयार करना।
- ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का निर्माण करना।

- ऑनलाइन कोर्स वर्क तैयार करना।
- ऑनलाइन लर्निंग ऐप तैयार करना।
- शहर एवं गांव में डिजिटल अंतर को कम करना।
- ऑनलाइन शिक्षण हेतु वर्चुअल लैब स्थापित करना।
- डिजिटल शिक्षा हेतु शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण देना।
- डिजिटल परीक्षा के मानक निर्धारित करना।
- डिजिटल मूल्यांकन के मानक निर्धारित करना।
- डिजिटल मॉडल का निर्माण करना।

इस प्रकार उक्त सभी उपायों से हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यापार और रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है। हम सुरक्षित रहेंगे, हम स्वाभिमानी रहेंगे, हम परावलंबी नहीं होंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे, अपनी जीवन को बेहतर बनाएंगे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के यत्न करेंगे, यह कर सकने की क्षमता भारत के पास है। इस आदमी तक विकास को पहुंचाने वाला आदर्श नियोजन संभव है। अविश्वास का यह जो वातावरण समाज में निर्मित हुआ है कि हम सब तक विश्व बाजार में नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे, उससे मुक्ति अति आवश्यक है। समाज अंतिम आदमी तक की जरूरतों की पूर्ति करने वाली उतपाद और वितरण व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, खासतौर पर उसकी क्रयशक्ति ऐसी हो कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को प्राप्त कर सके। ऐसे ढांचेवाला आत्मनिर्भर समाज खड़ा हो और उसमें यह विश्वास जागे कि मेरे परिवेश का उत्पादन है, मेरे परिवेश के लोगों के श्रम का परिणाम है, इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठतम है। यह एक भाववृत्ति है जिसकी निर्मिति शिक्षा के माध्यम से ही होगी।

यह सब केवल और केवल तभी संभव होगा जब पढ़ाई का अर्थ नौकरी नहीं रोजगार होगा। रोजगार का अर्थ दूसरे के द्वारा काम के अवसर उपलब्ध कराना नहीं है अपितु इसका एकमात्र अर्थ है ज्ञान और कौशल से सम्पन्न युवा में उस उद्यमिता का विकास हो, तो उनको साहस के साथ दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बना सके।

आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी जो सतत् सीखने रहने की कला को विकसित कर सके, जिससे रोजगार के क्षेत्र में आ रहे विविध परिवर्तनों को समझने और उसका मुकाबला करने की योग्यता निर्मित हो सके। जब दुनिया तेजी से परिवर्तन की दौर ये गुजर रही है बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस आदि वैज्ञानिक ज्ञान विधियों और तकनीकी के कारण से सर्वत्र अकुशल कामगारों के स्थान मशीनें लेने लगी हैं। तो दूसरी ओर ज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उभर रहे उपर्युक्त नए क्षेत्रों में कुशल और निपुण मनुष्यों की आवश्यकता बढ़ी है, इसकी पूर्ति के लिए समूची शिक्षा का बदला जाना आवश्यक है। इस बदल के संकेत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की निर्मित के लिए ऐसे युवाओं की ऐसी मालिका खड़ी की जाए तो समस्याओं के समाधान में निपुण हो, समीक्षात्मक मेधा, सृजनात्मक कल्पना से सम्पन्न हो, नया सोचे और नयी जानकारियों को निरंतर बदलती परिस्थितियों और क्षेत्रों में उपयोग कर सके, जिसका विकास एक ऐसे संतुलित व्यक्ति के रूप में हो जो जीवन के सभी पक्षों और समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो तथा सीखने की प्रक्रिया को रूचिकर बनाए। इसके लिए शिक्षा नीति ने यह प्रस्तावित किया है कि सभी पाठ्यक्रम किया है कि सभी पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, बुनियादी कला शिल्प के साथ-साथ मानविकी और खेल का भी समावेश हो। इस प्रकार शिक्षा ही उत्पादकता के गुणों का विकास करेगी। इस प्रकार की शिक्षा ही भारत को संपूर्ण विश्व के परिदृश्य में एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी, जो आत्मनिर्भर तो होगा ही संपूर्ण विश्व के संचालन में श्रेष्ठ और बेहतर योगदान करने वाला होगा। इसको हम गांधी की बुनियादी शिक्षा का 21 वीं शताब्दी की आवयकताओं के अनुरूप भारत की निर्मित के रूप में एक विस्तार भी समझ सकते हैं। ऐसी ही शिक्षा की कल्पना संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानन्द ने की थी। आत्मनिर्भर भारत, मनुष्य और समाज की निर्मिति के लिए ही पंडित मदनमोहन मालवीय ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की थी जिसमें वेद से लेकर परमाणु ऊर्जा, विज्ञान तक की पढ़ाई एक छत के नीचे हो और इन सभी विद्या स्थानों की सूचना से समन्वित ऐसे युवाओं का निर्माण होगा जो नया भारत गढ़ेंगे। यह नया भारत की स्वातंत्र्य समर का स्वप्न था जिसको शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन कर साकार करने का यत्न प्रारम्भ हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आध्यात्मिक शिक्षा

डॉ० विनोद कुमार उपाध्याय

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

अमृता शर्मा

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

सारांश

इस अध्ययन की धुरी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल कार्यान्वयन में शिक्षाशास्त्र पहलू के विशेष संदर्भ के साथ भगवद गीता से शैक्षिक निहितार्थों का पता लगाना है। यह शोध पत्र गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण करता है और भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में नवीन शिक्षा शिक्षा के विशिष्ट संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थों का पता लगाने का कार्य करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार से अध्ययन किया गया है इसमें निहित शैक्षिक और आध्यात्मिक निहितार्थों को भगवद गीता के संदर्भ में विश्लेषित करने के लिए भगवद गीता का भी गहन अध्ययन किया गया है।

प्रसतुत शोध में पाया गया है कि नई शिक्षा नीति और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों और आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया गया है। इसमें शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों, पाठ्यक्रमों, सभी भाषाओं, बालक बालिकाओं के साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी शिक्षा नीति में अपनाएग गए प्रावधान भविष्य में समान शिक्षा को बढ़ावा देने वाले है। पाठ्यक्रम में वेद, पुराण और आध्यात्मिक विषयों के समावेश से विद्यार्थियों का चारित्रिक उत्थान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मुख्य शब्द - भगवद गीता, शिक्षा नीति, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, आध्यात्म

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 मे संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति, 2020 के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से होगी। जिसके तहत क्रमश:

फाउंडेशनल स्टेज - आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल + प्राथमिक के 2 साल (कक्षा 1-2) 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित।

प्रीपरेटरी स्टेज - 3 साल (कक्षा 3-5) 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित।

मिडिल स्कूल स्टेज - 3 साल (कक्षा 6-8) 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित।

सेकेंड्री स्टेज - 4 साल (कक्षा 9-12) 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित (2 फेज में, यानी पहले फेज मे कक्षा 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12)।

द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर उच्चतर-गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। पाठ्यक्रम के विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केन्द्रित किया जाएगा। विद्यार्थियों को विशेष रूप से, माध्यमिक विद्यालय मे अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम 3 मे 2 भारतीय भाषाएं हो। विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21 तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावक को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जायेगा। यह प्रगति कार्ड एक समग्र, 360-डिग्री, बहु-आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक

विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थियों की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज-आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित है।

एमएचआरडी के तहत एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डो के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशनिर्देश बनाने जैसे मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा।

शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है। भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर-समावेशी निधि' का गठन करेगी। एसईडीजी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। हर राज्य/जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी जिसमें डीईओ, बीईओ आदि भी शामिल हैं। राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले एससीईआरटी के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सदृढ़ किया जाएगा।

NEP 2020 और भगवद् गीता से शिक्षाशास्त्र के परिप्रेक्ष्य

लेख के इस खंड में भगवद् गीता के उन प्रासंगिक श्लोकों पर चर्चा की गई है, जिनका एनईपी-2020 में लक्षित शिक्षण के शिक्षाशास्त्र के पहलू पर सीधा प्रभाव माना जाता है।

अध्यापन एक ऐसी गतिविधि और प्रक्रिया है जो किताबी ज्ञान को तो आगे हस्तांतरित करती है साथ ही अध्यापक अपने निजी अनुभवों से भी विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। जिससे विद्यार्थियों में कुछ नया करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे वह न केवल ज्ञान के स्तर पर वरन जागरूकता, प्रेरणा के स्तर भी आगे बढ़ते है। शिक्षाशास्त्र के पांच प्रमुख दृष्टिकोण हैं - रचनावादी, सहयोगात्मक, एकीकृत, चिंतनशील और पूछताछ आधारित शिक्षा। जैसा कि NEP -2020 ऐसे नागरिकों का निर्माण करने पर केंद्रित है जो अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण विचारक, नवप्रवर्तक, बहु-विषयक हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों अपने दायित्वों के प्रति सजग किया जाए जिससे वे अपनी कक्षाओं का संचालन इस तरह से करें जहाँ शिक्षार्थी सोचने के बजाय स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित हों।

भगवद् गीता में कई श्लोक हैं जहाँ एक शिक्षक के रूप में कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के संदेह को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं और एक शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण वर्तमान शंकाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन भविष्य के संभावित संदेहों से भी अवगत करवाते है। एक शिक्षक के रूप में कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अपने शिक्षण के केंद्र में रखने के महत्व को समझते हैं और फिर उसकी शंकाओं को दूर करते हैं और छात्र को सोचने और फिर कार्य करने का अवसर देते हैं, अन्यथा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वास का नुकसान होता। अर्जुन के संदेह के जवाब में उनके शिक्षक कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा, भगवद् गीता के अध्याय 9 के श्लोक 32 से पता चलता है कि कृष्ण, शिक्षक सभी व्यक्तिगत मतभेदों के लिए खुले हैं और सुझाव देते हैं कि एक आदर्श शिक्षक को लिंग, जाति, रंग और पंथ से परे छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के प्रति विचारशील और सम्मानपूर्ण होना चाहिए, इस प्रकार छात्र केंद्रित शिक्षण पर जोर देना चाहिए।

अध्याय-18(72) के श्लोकों में, कृष्ण अर्जुन की सतर्क रहने की क्षमता की जाँच करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उसकी गलत धारणाएँ मिट जाएँ। इस प्रकार, यह स्थापित हो गया है कि भगवद गीता दो प्रकार की स्थितियों को सामने लाती है जिसमें एक आदर्श शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। पहला उदाहरण वह है जहाँ छात्र को उकसाया जाता है और छात्र को अपने दृष्टिकोण को आगे रखने का अवसर देते हुए अपने अजीब रवैये को सही ठहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा वह है जहाँ छात्रों की समझ की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक शिक्षक को चर्चा की गई अवधारणा/विचार से संबंधित प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार चर्चा आधारित शिक्षण की बात की गई है जो नवीन शिक्षा नीति का एक भाग है। भगवद् गीता में कई श्लोक हैं जो छात्रों के मूल्य प्रणाली को विकसित करने पर जोर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने आंतरिक कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को परिणामों के डर के बिना सभी जन्मजात कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अध्याय-16 (1) कृष्ण के श्लोक पहले दैवीय गुणों का वर्णन करता है और फिर आसुरी गुणों का। उसी प्रकार एक शिक्षक से भी एक छात्र को दोनों के बीच के अंतर को समझने में मदद करने की अपेक्षा की जाती है ताकि एक छात्र सचेत रूप से एक अच्छे इंसान के मूल्यों को अपना सके।

अध्याय -16 (2) में, कृष्ण ऐसे संचार पर जोर देते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अनुकूल है और आगे उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां व्यक्ति क्रोध, त्याग से मुक्त होता है और दूसरों पर दया करते हुए शांति, सज्जनता और अकापलम का पालन करता है। 16.3 में, कृष्ण जोश, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष से मुक्ति, अभिमान की अनुपस्थिति के महत्व को और अधिक महत्व देते हैं, इस प्रकार सभी परिस्थितियों में या दूसरे शब्दों में शेष रहते हुए इन मूल्यों को बनाए रखने और जीने के महत्व पर जोर देते हैं। कृष्ण ज्ञान के महत्व पर मूल्यों की शक्ति को सामने लाते हैं। कोई भी ज्ञान, जो स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य को स्थापित करना कि मानव जाति के मूल्यों और कल्याण के बिना जीवन और कार्यों का कोई फायदा नहीं है। शिक्षकों को हमेशा अपने छात्रों को मूल्यों की उपेक्षा न करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार नई शिक्षा नीति और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों और आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया गया है। इसमें शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों, पाठ्यक्रमों, सभी भाषाओं, बालक बालिकाओं के साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी शिक्षा नीति में अपनाएग गए प्रावधान भविष्य में समान शिक्षा को बढ़ावा देने वाले है। पाठ्यक्रम में वेद, पुराण और आध्यात्मिक विषयों के समावेश से विद्यार्थियों का चारित्रिक उत्थान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ

1. एथल, पी.एस., (2020), एनालिसिस ऑफ द इंडियन नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी 2020 टूवार्डस् एचीविंग इटस् ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एण्ड सोशल साइंसेज, 5(2), 18-41
2. गोयनडका, आई., (2010), श्रीमद् भगवद गीता, कोलकाता, गीता प्रेस, गोरखपुर।
3. न्यू एज्यूकेशन पॉलिसी 2021 स्कूल: एनईपी 2020 इम्पलीमेन्टेंशन (2021) https://www.policeresults.com/new-education-policy/
4. पंडित राव, एम.एम., (2020), नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी 2020: व्हॉट इज इन इट फॉर ए स्टूडेंट, ए पेरेन्ट, ए टीचर, और अस, एस ए हायर एज्यूकेशन इंस्टिट्यूशन/यूनिवर्सिटी? आदेश यूनिवर्सिटी, जे. मेडिकल साइंस रिसर्च, 2(2) 70-90
5. वरमनी, एस., (2018), लाइफ लेसन फ्राम भगवद गीता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एण्ड एम्पलाइड रिसर्च, www.pragatipublication.com ISSN 2249-3352 (P) 2278-0505 (E), July, Volume 8, Number 7, PP 598-607.

Digital India Skill India

डॉ० सुनिता जोशी

(प्राचार्य) शंकरा कालेज ऑफ एजूकेशन कूकस, जयपुर

सारांश

वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण विश्व एक छोटे से ग्राम में बदल गया है ऐसे समय में समय के साथ कदम मिलाकर चलना एक नितान्त आवश्यकता है। विश्व में शिक्षा मात्र एक माध्यम है। जिसकी सहायता से सभी एक मंच पर आ सकते है। वर्चुअल क्लासरुम का इस संदर्भ में महत्व सर्वाधिक है। लर्निंग आधुनिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के तौर तरीके अपनाने का बेहद लोकप्रिय व एकमात्र माध्यम है विदेशों में आन लाईन लर्निंग कन्सेप्ट बेहद लोकप्रिय है। क्योंकि इससे पाठकों को घर बैठे नित नये अध्याय व ज्ञान सीखने को मिल जाता है। 2015 में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक विशाल संकलन जिसे डिजिटल इंडिया के रुप में जाना जाता है। इसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचन के लिए लागु किया। देश भर में लोग इस कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी पहुंच में सुधार करते है।

प्रस्तावाना:-

डिजिटल भारत प्रोग्राम भारत को समद्ध करने की दिशा में भारत सरकार की नई पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये कीर्तिमान गढना है इसके द्वारा देश को डिजीटल रुप से सशक्त करना एकमेव लक्ष्य है। वर्तमान युग में आज वही देश आगे है जिसने विज्ञान और तकनीकी को अपने देश कीतरक्की का माध्यम बना लिया है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान नाम से शुरु किया गया । यह अभियान इंटरनेट के माध्यम से देश में क्रांति लाना है।साथ ही इंटरनेट को सशक्त करने भारत के तकनीकी पक्ष को मजबूत करना है। यह अभियान भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान नाम से शुरु किया गया है।

डिजिटल भारत की शुरुआत:-

एक कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री आर आईएल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अम्बानी विप्रो के चौयरमेन अजीज प्रेमजी आदि दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान के नाम से शुरु किया गया।

देश को डिजिटल रुप से विकसित करने और देश के आईटी संस्थान में सुधार करने के लिए डिजिटल इंण्डिया महत्वपूर्ण पहल है। डिजिटल इंडिया अभियन की विभिन्न योजनाओं जैसे डिजिटल लॉकर राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल ई स्वास्थ्य ई शिक्षा ई साईन आदि को शुरु करके इस कार्यक्रम का अनावरण किया गया है।

2015 में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक विशाल संकलन जिसे डिजिटल इंडिया के रुप में जाना जाता है। इसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचन के लिए लागु किया। देश भर में लोग इस कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी पहुंच में सुधार करते है। डिजिटल इंडिया का उददेश्य देश को डिजिटल सक्षम समाज में परिवर्तित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक रुप से निवासियों को उपलब्ध हों।

1 जुलाई 2015 को शुरु किया गया यह ग्रामीण लोगों को हाइ स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोडने के लिए आवश्यक देशव्यापी कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया का समाज के हर हिस्से के लोगों पर गहरा प्रभाव पडा है। इसका समाज की प्रगति और व्यक्तिगत जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पडता है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 28000 बीपीओं नौकरियों के सृजन का अवसर है। इसने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर की भी व्यवस्था की है।

यह परियोजना उन गांव के लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो देश के सुदुर इलाके में बसे हुये है। या शहरी क्षेत्र से बहुत दूर है यह परियोजना उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करके अपने समय के उपयोग को कम करती है जो अब ग्रामीणों को सभी काम करने देगी सिर्फ एक क्लिक से और शहरी कार्यालय बंदरगाहों की यात्रा करने से बचे विभिन्न सरकारी विभागों ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है जैसे आईटी शिक्षा कृषि आदि क्योंकि यह देश के उज्जवल और अधिक ज्ञान से सुसज्जित भविष्य की झलक दिखाता है।

डिजिटल भारत की समस्या:-

भारत में ई गवर्नेस के सफर में जन-आधारित सेवाओं पर जोर देने के साथ व्यापक क्षेत्रीय प्रयोगों के लिए नब्बे के दशक में कई उतार चढाव देखे। बाद में कई राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न ई गवर्नेस परियोजनाएं चलाई। हालांकि ये ई गवर्नेस जन आधारित परियोजनाएं थी लेकिन ये उतने प्रभावी नही

हुए जितना होगा चाहिए था। 2006 में शुरु हुई भारत सरकार की यह पहल विभिन्न डोमेन को कवर करने वाले 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट को साथ ल ेचल रही थी। देश में कई ई गवर्नेस परियोजनाओं में सफल कार्यान्वयन के बाद भी ई गवर्नेस वो सफलता नहीं दे पाई जो अपेक्षित थी।

यह महसूस किया गया है कि देश में ई शासन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक जोर की आवश्यकता है जो इलेक्ट्रोनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और नौकरी के अवसरों को शामिल करने वाले समावेशी विकास को बढावा देता है। इसके अलावा देश में इलेंक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत में डिजिटल रुप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आरंम्भ किया है।

इससे सबसे अधिक लाभ ग्राम निवासियों को हुआ है। रिलांयस इंडिया के जीयो नेटवर्क सविर्स ने बहुत कम दूर पर नेट की सुविधा देकर मुकेश अंबानी ने देश का स्वरुप ही बदल दिया। अब हर हाथ में टचस्क्रीन मोबाइल फोन है चाहे शहर हो या गांव।

डिजिटलीकरण के कारण अब घर बैठे हम रेल, वायुयान बस के टिकट बुक कर सकते है। अब लंबी लंबी कतारों में खडे होने की आवश्यकता नहीं। अब हर काम आनलाईन संभव है। कोई भी जानकारी चाहिये। सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। ई-कामर्स मंचों ने बहुतों को रोजी रोटी का साधन दिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने के लिए शुरु किया गया एक अभियान है। इस अभियान का मकसद सरकारी सेवाओं को उन्नत करके कागजी कामकाज को कम करना है।

डिजिटल भारत में नौ स्तंभः-

1. ब्रॉडबैड सुविधाः-डिजिटल भारत के अंतर्गत करीब ढाई लाख पंचायतों को इससे जोडने का प्लान है बीस हजार करोड की अनुमानित राशि से आप्टिकल फाइबर नेटवर्क को देश में फैलाने की योजना 2016-2017 में बनाई गयी।
2. घर घर में फोनः-भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं ने 2014 में 581 मिलियन उपयोगकर्ताओं को पार किया और पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि हुई है। 2015 में ई मार्केटर के एक सर्वेक्ष्ण के अनुसार भारत में 2019 में 800 मिलियन से अधिक मोंबाइल फोन उपयोगकर्ता आंके गये।
3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशनः- इस कार्यक्रम के द्वारा सीएससी को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण के लिए बहुआयामी अंतबिन्दुओं के माध्यम से सबके अनुकूल बनाया गया है। डीआइटीवाई के माध्यम से तकरीबन 4,750 करोड रुपये लागत से करीब 130000 से 250000 गांवों तक पहुचाने का लक्ष्य है। साथ ही डाक घरो को भी बहु सेवा केंद बनाया जाना है।
4. ई गवर्नेसः प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधारः- सरकार सरलीकरण और कटौती , ऑनलाइन अनुप्रयोगों विभागों के बीच विकासशील इंटरफेस स्कूल प्रामणपत्र और मतदाता पहचान पत्र सेवाओं और प्लेटफार्मो के एकीकरण जैसे आनलाईन संग्रह का उपयोग सहित लेनदेन में सुधार करने के लिए आईटी का उपयोग करके बिजनेस प्रोसेस री इंजिनियरिंग(बीपीआर) करेगी। जैसे पेमेंट गेटवे मोबाइल प्लेटफॉर्म आदि।
5. ई क्रांमिः इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी ऑफ सर्विसेजः- इसमें नियोजन , कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य वितीय समावेशन, न्याय और सुरक्षा के क्षेत्रों में पौद्योगिकी को बढावा देना शामिल होगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिये पौद्योगिकी का विकास वास्तविक समय की जानकारी इनपुट के आनलाईन आर्डर जैसे उर्वरक और आनलाईन नकदी ऋण, राहत भुगतान के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग के विकास में परिणत होगा।
6. सभी के लिए सूचनाः- सभी को जानकारी का स्तभं का उदेश्य आनलाईन जानकारी प्रदान करना और वेबसाइटों और दस्तावेजों की मेजबानी करना शामिल होगा। यह सामान्य रुप से खुले डेटा प्लेटफार्मो के विकास के साथ साथ जनता द्वारा सूचना के लिए एक आसान और खुली पहुंच के रुप में होगा।
7. इलेक्ट्रिानिक विनिर्माणः- इलेक्ट्रिानिक विनिर्माण को बढावा देने के लिए मौजूदा संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में इस डोमेन में नेट शून्य आयात का लक्ष्य रखा गया है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य होगा जिसमें कराधान, प्रोत्साहन पैमाने की अर्थव्यवस्था जैसे कई मोर्चो पर समन्वित कारवाही की आवश्यकत होगी और लागत के नुकसान को खत्म करना होगा।
8. आईटी नौकरियाः- इस का उद्देश्य आईटी सेक्टर की नौकरियों के लिए छोटै शहरों और गांवो में लोगो को प्रशिक्षित करना है।
9. प्रारंभिक फसल कार्यक्रमः- इसके तहत ग्रामीण अंचल में बहुत सारी योजनाएं कार्यांवित हो रहीं है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राम स्तर पर आधारभूत सुविध एं मुहैया कराने की योजना है। शीघ्र कटाई कार्यक्रम में सरकारी मंच के द्वारा शुभकामनाएं भेजना केंन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों को बायोमैट्रिक उपस्थित कराना अनिवार्य किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को एक डिजिटल रुप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए जारी किया गया है।

REFERENCES

- Sharma, S. K., Lama, V., & Goyal, N. (2015). Digital India: A Vision Towards Digitally Empowered Knowledge Economy. Indian Journal Of Applied Research, 5(10).
- Quibria, M. G., & Tschang, T. (2001). Information and communication technology and poverty: An Asian perspective (No. 12). ADBI Research Paper Series.
- Kapur, D., & Ramamurti, R. (2001). India's emerging competitive advantage in services. The Academy of Management Executive, 15(2), 20-32.
- 5 e-Book on e-Governance Policy Initiatives under Digital India

शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएँ

डॉ० अर्चना मेंहदीस्ता

सह आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 29 जुलाई 2020 में स्वीकृत किया गया। हम जानते है कि अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश होगा, इन युवाओं को उच्चतम गुणवळापूर्ण शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना है।

NEP 2020 के अनुसार सन् 2030 तक भावी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु चार-वर्षीय एकीकृत बी.एड् कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। इसमें स्कूली शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करेंगे। शिक्षक शिक्षा को बहु-विषयक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शामिल किया जायेगा ताकि भावी शिक्षकों को सीखने के उळाम अवसर प्राप्त हो सके।

अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा तैयार की जायेगी। नवीनतम तकनीकी, शिक्षण अभ्यास एवं आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा सीखने को प्रभावी बनाया जायेगा।

शिक्षकों को व्यावसायिक विकास हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा गैर-शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रख कर स्थानान्तरण विशेष परिस्थिति में एवं पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवळा लाने हेतु कदम उठाये गये है। परन्तु परम्परागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नवीन अधिगम शैली को प्रयोग में लाना, बहु- विषयक विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना, उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षक-शिक्षा हेतु आकर्षित करना, संस्थागत ढांचे में सुधार करना, पाठ्यक्रम की संरचना करना, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना आदि ऐसी चुनौतियां है जिनका सामना हमें स्वयं के विवेक एवं धैर्य के साथ करना होगा तभी हम भावी शिक्षकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार-''शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है, शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाये जा सकते है।''

उक्त कथन से हम स्वत: शिक्षकों के महत्त्व को समझ सकते है। हम सभी जानते है कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, परन्तु वास्तविकता क्या है, इससे भी हम सभी परिचित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा आयोग (2012) ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 10,000 से अधिक स्टैंड - अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थान स्वयं का कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे है। अथक प्रयास के बाद भी हम ना तो व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए है, ना ही गुणवळा के लिए बुनियादी मानक स्थापित कर पाए है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षण व्यवसाय में गुणवळा लाने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये है-

- नई पीढ़ी को आकार देने वाले भावी शिक्षकों के निर्माण में शिक्षक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसके लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक बनाना होगा अर्थात् शिक्षक संस्थानों में भिन्न-2 विषयों के भिन्न संकाय होंगे जैसे-मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, हिन्दी रसायनशास्त्र, संगीत आदि। इससे एक संस्थान में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे जो भावी शिक्षकों को सीखने में सहायता कर सकेंगे।
- NEP 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा में बहु-विषयक इनपुट के साथ गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षणिक प्रक्रिया भी आवश्यक होगी। अत: उत्कृष्ट विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में 2030 तक शिक्षा संकायों की स्थापना की जायेगी। यह विभिन्न विभागों के साथ मिलकर बी.एड. कार्यक्रम संचालित करने के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगी।
- सन् 2030 से बहु-विषयक चार- वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाऐंगे। इसमें स्कूली शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेगे। यह कोर्स दोहरी डिग्री के साथ एक वर्ष की बचत करेंगे। यह पाठ्यक्रम व्यावसायिक डिग्री प्रदान करने के साथ अन्य विशेष विषय जैसे विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास, संगीत आदि में भी स्नातक की डिग्री प्रदान करेंगे।

चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कोर्स के साथ द्वि-वर्षीय कार्यक्रम भी संचालित किए जायेंगे इनमें त्रि-वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेगें।

एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो चार-वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके है या जिन्होंने किसी विशिष्ट विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम 1,2 एवं 4 वर्ष का होगा जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को बी.एड. करने हेतु आकर्षित कर उळाम भावी शिक्षक तैयार करना है, जो देश का भविष्य संवार सके।

- शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त करे इस उद्देश्य से मेरिट आधारित छात्रवृति का प्रावधान रखा गया है। प्रतिभाशाली शिक्षकों से स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करवा कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जायेगा।
- समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों में नवीनतम तकनीकी एवं आधुनिक शिक्षण विधियों के प्रयोग के साथ स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोग द्वारा शिक्षण अभ्यास पर विशेष बल दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों को बहुस्तरीय शिक्षण, दिव्यांग बालकों को पढ़ाने, सहयोगात्मक शिक्षण करने आदि के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
- स्थानीय व्यवसाय, कौशल, कला, संगीत, खेल आदि को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूल परिसर में अल्प अवधि कोर्स उपलब्ध करवाये जायेंगें। इसको सिखाने के लिए स्थानीय शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।
- शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रतिवर्ष 50 घंटे कार्यशाला एवं ऑनलाइन शिक्षक विकास माड्यूल जैसे स्वयं, दीक्षा आदि में भाग लेकर स्वयं नवाचार सीखना अनिवार्य होगा।
- शिक्षकों की गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी को रोका जायेगा एवं स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में व सॉफ्टवेयर द्वारा पारदर्शिता के साथ किए जाऐंगे।
- वरिष्ठ अथवा सेवानिवृत प्रतिभाशाली सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जायेगी जो शिक्षकों को परामर्श एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगी।
- सीखने के प्रतिफल, सामाजिक भावनात्मक पक्षों के आधार पर शिक्षण कार्य करने वाले प्रतिभाशाली शिक्षकों को वेतनवृद्धि व पदोन्नति द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवळाा लाने हेतु सरहानीय उपाय सुझाये गऐ है, परन्तु हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी है। जिनका हमें सामना करना पड़ेगा।

- परम्परागत शिक्षण विधियों एवं पुरानी अधिगम शैली के स्थान पर छम्च् 2020 द्वारा लागू किये जाने वाले बहु-विषयक दृष्टिकोण एवं आधुनिक शैली के अनुसार शैक्षिक व्यवस्था और उनका व्यवहारिक प्रयोग कर पाना शिक्षक शिक्षा संस्थानों हेतु कठिन कार्य होगा।
- बहु-विषयक विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था करना अथवा विभिन्न संकायों के सहयोग द्वारा शिक्षण कार्य करना भी चुनौतीपूर्ण होगा।
- कक्षा 12 के बाद चार- वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी प्रवेश हेतु आकर्षित नहीं होते है, तो शिक्षक शिक्षा हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के चयन का सपना साकार नही होगा।
- चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहु-विषयक बनाकर उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण करना भी एक चुनौती है।
- संस्थानों में आवश्यक संसाधन जुटाना एवं उपयुक्त ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी कठिन कार्य है।
- वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है यदि उपयुक्त व्यवस्था को अपनाकर भी हम रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवा सके तो यह राष्ट्र की प्रगति के लिए भी हानिकारक होगा।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा उठाए गए कदमों से हम निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवळाा को प्राप्त कर सकेंगे। यह शिक्षकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करेगी। किसी भी नीति को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की व्यक्तिगत उत्कृष्टता की प्राप्ति पर ध्यान देना पड़ता है। अत: हम एक अधिगमकर्ता बन, नवीनतम जानकारी प्राप्त कर, नवीन तकनीकों को सीखकर, व्यावसायिक विकास कर एवं स्वयं के प्रदर्शन को सुधार कर हमारे समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते है एवं एक शिक्षक को दिए जाने वाले आदर और सम्मान के भाव के पुन: जीवित कर सकते है।

संदर्भ -

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या 68-70
- https://ncte.gov.in/Website/Index.aspx
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर तकनीकी का प्रभाव (सन्दर्भ NEP 2020)

डॉ० रीटा झाझड़िया

सह-आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर (राजस्थान)

सारांश

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा अनावरण की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हर दृष्टि से क्रांतिकारी है। NEP 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी को भी बढावा दिया गया है।

वर्तमान महामारी की परिस्थितियों ने व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की जगह वर्चुअल लर्निंग के साथ छात्रों और शिक्षकों को पारम्परिक शिक्षण और शिक्षण तकनीकों के लिए आधुनिक तरीके से करवाने अर्थात् शिक्षा में तकनीकी को बढावा देने के लिए मजबूर कर दिया है। कोविड-19 महामारी इस महत्वपूर्ण फैसले के लिये हमारे लिए सबसे मुख्य उदाहरण है। क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढियों के लिए यह आवश्यक है, आत्म निर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि युवा वर्ग के लिये तकनीकी बेहद जरूरी हो गयी है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने भी तकनीकी को बढावा देने की बात कही है और कहा गया है कि छात्रों को जरूरी कौशलों एवम् ज्ञान से लैस करना और विज्ञान टैक्नॉलोजी अकादमिक क्षेत्र में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए ज्ञान को सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना।

नई राष्ट्रीय शिक्षा निति, 2020 में यह भी कहा गया है कि देश का प्रत्येक कार्य युवा वर्ग की सोच के अनुरूप हो व युवाओं को एक्सपोजर चाहिए। वे शिक्षा के पुराने बंधनों और पिंजरों से मुक्त होना चाहते है अर्थात् तकनीकी का आगे बढाते हुए युवा वर्ग आगे बढना चाहता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा को और ज्यादा समावेशी बनाने की बात कही है। पारम्परिक शिक्षा को बदलने की बात कही गयी है। तकनीकी शिक्षा को इण्डस्ट्री की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए शैक्षणिक वर्ष-2021 से अनुमोदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। डिजिटल/ऑनलाईन शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता, जब तक डिजिटल इण्डिया अभियान के लिए हमारे पास उचित संसाधन नहीं होंगे।

प्रभावशाली तकनीकी प्रशिक्षक बनने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था तभी सम्भव होगी जब हमारे पास तकनीकी का उचित ज्ञान होगा।

आज हम देख रहे है कि लगभग सभी परीक्षाएं ऑनलाईन आयोजित की जा रही है।

मुख्य शब्दः ऑनलाईन, डिजिटल, व्यक्तित्व, तकनीकी

प्रस्तावनाः वर्तमान समय में तकनीकी युवाओं के लए बेहद जरूरी हो गयी है। आज हमारा भारत विकास की ओर बढ रहा है। ज्यों-ज्यों भारत विकास की ओर बढ रहा है, त्यों-त्यों तकनीकी का प्रभाव भी बढता नजर आ रहा है। तकनीकी सभी को प्रभावित कर रही है, चाहे, हम उससे सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हो या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है।

आज के युवा तकनीकी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते है और उससे जुड जाते है। तकनीकी से ही आज के युवाओं में नये विचार और प्रक्रियायें आ रही है। आज का युवा तकनीकी में पैदा हुआ है, वह नयी-नयी तकनीकी को जानता है, यहां तक कि वो अपने आपको डिजिटल निवासी मानते है।

आज के आधुनिक जगत में तकनीकी को आमतौर पर आवश्यक माना जाता है। यह सोच आज के युवाओं की मुख्य रूप से बनी हुई है। आज के युवा तकनीक पर ही निर्भर है, क्योंकि वे इसके बिना जीना ही नहीं जानते है। आधुनिक तकनीक में सेल फोन, लेपटॉप, टेलीविजन और कई अन्य उपकरण शामिल है।

आज के युवाओं की जीवन-शैली में तकनीकी महत्वपूर्ण हो गई है। आज का युवा तकनीकी का आदि हो गया है और उसे इसे अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक एकीकृत कर लिया है। तकनीकी का ज्यादा प्रयोग युवाओं को नकारात्मकता की ओर से जा रहा है। हर बात के दो पहलू होते हैं।

हम एक शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते हमें हमेशा सभी बातों से अवगत रहना चाहिए कि कौनसी घटना कब, कहां और क्यों घट रही है। या इस बात को हम यूं भी कह सकते है कि क्या को जन्म ही शिक्षकों ने दिया है और इस क्या का उत्तर सबसे सरल आसान व जल्दी ढूंढने का एकमात्र उपाय ही

तकनीक है। इस तकनीकी का जिस तरह युवाओं ने अपनाया है, वह अपने आप में एक नया आयाम है। आज का युवा यदि सुबह अपनी नींद से उठता है तो नींद से उठाने कार्य भी तकनीक के द्वारा ही करता है, अर्थात् वह रात को अपने मोबाईल में अलार्म लगाकर सोता है, जिससे सुबह उसकी नींद खुलती है। आज का युवा अपने अगले दिन का कार्यक्रम भी मोबाईल, लेपटॉप या टेबलेट पर अपडेट करके रखता है। यही नहीं आज का युवा पूर्णतया तकनीकी पर अपने आपको निर्भर रखता है।

वर्तमान तकनीक आज के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। उनकी सभी गतिविधियाँ आज की तकनीकी संरचना की देन है। आज का युवा सीखने से लेकर सूचित रखने तक काम से लेकर मनोरंजन तक की सभी गतिविधियाँ तकनीक के माध्यम से ही करता है। आज के युवा ने शारीरिक गतिविधियाँ करना पूरी तरह से बन्द कर दिया है, वह अगर मनोरंजन भी चाहता है तो वह अपने लेपटॉप या मोबाईल पर गेम खेल करके अपना मनोरंजन करना चाहता है।

तकनीकी में तेजी ने युवा पीढी के भविष्य को आकार देने में मदद की है। दशकों से मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में जो प्रगति हुई है, वह बहुत तीव्र गति से हुई है। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग आज के युवा ने अपने शिक्षण कार्य में पूर्णता करना शुरू कर दिया है। हालांकी डिजिटल तकनीक ने आधुनिक समाज में युवा पीढी के बीच नकारात्मक व सकरात्मक प्रभावों में अपना योगदान दिया है। युवाओं को डिजिटल तकनीक से इस हद तक अवगत कराया है कि समाज ने इस तकनीक के प्रभाव को अनुभव करना शुरू कर दिया है।

अगर हम, कोविड-19 काल की बात करें तो आज के युवाओं ने इस कोविड काल में जो तकनीक सीखी है, इस तकनीक से प्रत्येक चीज को प्रभावित करने से रोकने की कोशिश की। अगर आज का युवा तकनीक का ज्ञाता नहीं होता तो हमें कोविड काल में कई परेशानियों का सामना करना पडता। यह एक सकारात्मक पहलू है, तकनीक का।

आज हम देखते है कि जितनी बडी-बडी कम्पनियाँ है, वे सभी आज के युवाओं को ॅवता थ्तवउ भ्वउम के लिए भी प्रेरित करती है। इससे युवा वर्ग अपने घर पर रहकर भी अपना कार्य कर सकता है। आज इस तकनीक के कारण ही छात्र को यदि शिक्षण में कोई समस्या का अनुभव करता है तो वह गुगल पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। कुछ समय पहले छात्र को अपने विषय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करना होता था, तब जाकर उसे कुछ मिलता था। आज का युवा तुरन्त प्रभाव से उसे गुगल पर जाकर ढूंढ लेता है तो इस बात के भी सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते रहे है। सकारात्मक प्रभाव तो यह हुआ कि वह आसानी से ढूंढ लेता है व नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि उसका ज्ञानकोष धीरे-धीरे बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर वह पुस्तकालय में पुस्तकों में देखता तो उसे पुस्तकों में कुछ ओर भी सीखने को मिलता है, इससे वह वंचित हो गया है।

यही नहीं अगर आज हम बात करते है कि अगर हमें कहीं यात्रा करनी है तो हम पहले तो बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन जाकर हम टिकट खरीदते थे। लेकिन आज का युवा घर बैठे ही अपनी टिकट बुक कर लेता है।

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी जगह एक जैसी शिक्षा मिले व सभी को तकनीक से जोडा जाये। तकनीकी का ज्ञान शिक्षक व युवा दोनों के लिए आवश्यक है। जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार ने कई प्रकार के शिक्षा से सम्बन्धित पोर्टल खोल रखे है, ताकि सभी स्थानों पर सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा सुविधाऐं प्रदान की जाये। जैसे स्वयम् पोर्टल दीक्षा इत्यादि। इन पोर्टलों पर जाकर छात्र कई प्रकार के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अनिवार्य कर दिया है।

अत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो पहल की है, वह एक सराहनीय कार्य है, जिससे कि आज का हमारा युवा वर्ग अपने आपको पूरी तरह से डिजिटलाईजेशन कर सके व आगे बढ सके।

- कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए शिक्षा को संचालित रखने हेतु ऑन लाईन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया गया; ताकि एज्यूकेशन फोर ऑल ;म्कनबंजपवद थ्वत ंससद्ध के विजन को पाया जा सके।
- जब टेक्नोलोजी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल की जाती है तो शिक्षक का अनुभव ज्यादा असरदार होने में हमें सहायता मिलेगी। आज सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में च्च्ज्रै वीडियो प्रेजेटेंशन ई-लर्निंग के तरीके और अन्य डिजिटल पद्तियों को महत्व दिया जा रहा है; ताकि कक्षा में सिखाना ज्यादा सम्भव (इन्टेरेक्टिव) हो सके।
- सीखना बुनियादी तौर से एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए हमें बच्चों को नेटवर्क से जोडना चाहिए; ताकि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अंग बन जाये।

डिजिटल एज्यूकेशन फोर ऑल के लिए सरकारी प्रयास:-

1- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल:-

- भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और प्रोद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के माध्यम से देश में डिजिटल या ऑनलाईन शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है, इसके अन्तर्गत कई पहले शामिल है, यथा:-
- स्वयं
- स्वयं प्रभा
- राष्ट्रीय डिजिटल लाईब्रेरी
- स्पोकन ट्यूटोरियल
- शिक्षा के लिए और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर

- वर्चुअल लैब
- ई-यंत्र
- नेशनल लिजोजिप्री ऑपन एज्यूकेशन रिसोर्सेज

2- राज्यों की प्रमुख डिजिटल पहलें:-

- राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में ''स्माईल" (सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग एंगेजमेंट)

अत: नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं को देखते हुए यह जरूरी हो गया।

निष्कर्ष:- निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए तकनीकी का ज्ञान बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रौद्योगिकी का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक माना है। डिजिटल इण्डिया अभियान पूरे देश में लागू होने जा रहा है। शिक्षा इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, प्रौद्योगिकी ही शैक्षिक प्रक्रियाओं व परिणामों में सुधार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तकनीकी शिक्षा को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकती है व आगे बढा सकती है। आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चौन, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्यूटर टेस्टिंग और अन्य प्रकार के एज्यूकेशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुडी हुई नई तकनीकों से यह पता चल सकेगा कि छात्र कक्षा में क्या सीख रहे है। अत: युवा वर्ग के व्यक्तित्व विकास पर तकनीकी का ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है।

सन्दर्भ:-

1. डॉ0 धीरेन्द्र पाठक, वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता का लक्ष्य
2 . डॉ0 ओम विकास, हिन्दी का वर्तमान और भविष्य दृष्टि

शिक्षक सक्षमता एवं NEP 2020

डॉ० सुमन चौधरी

प्राचार्य, मेहता टी टी कॉलेज, हरमाड़ा, सीकर रोड़, जयपुर

डॉ० अंजना अग्रवाल

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सारांश –

गौरतलब है कि समग्र, बहुविषयक और सार्वभौमिक रूप से सुलभ शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए NEP-2020 में पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रचार के रास्ते, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा के साथ अच्छे वेतन की प्रक्रिया की भी सिफारिश की गई है, ताकि राष्ट्र निर्माता जिस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये गये हैं। उसके लिए स्वयं को समर्पित कर सकें।

शिक्षक की शक्ति' को स्वीकारते हुये NEP-2020 ने कुछ प्रणालीगत सुधार किए हैं जो 'शिक्षण' को उज्ज्वल और प्रतिभाशाली युवा दिमाग के लिए एक आकर्षक पेशे के रूप में उभरने में मदद करेंगे।

आज आवश्यक है कि 21 वीं सदी के शिक्षकों का निर्माण हो। आज हमारी भावी पीढ़ी तो है 21 वीं सदी की, शिक्षक है 20 वीं सदी के पाठ्यक्रम है 19 वीं सदी का व शिक्षण की विधियां है 18 वीं सदी की। इस असंतुलन के कारण वर्तमान की आवश्यकता को हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रही है। इस तकनीकी युग व 21 वीं सदी की मांग को ध्यान में रखते हुए NEP-2020 में भावी शिक्षकों के लिए आवश्यक शिक्षक दक्षताओं की बात की गई है। जिसका सफल क्रियान्वयन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ही संभव हो सकता है।

मुख्य शब्दावली– शिक्षण दक्षता, शिक्षक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना –

शिक्षकों को आमतौर पर स्कूलों में ज्ञान व गुणवत्ता के सूत्रधार के रूप में देखा जाता है, शिक्षकों को अक्सर कठिन विषयों के बारे में गंभीर रूप से सोचने और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता के लिए कम आंका जाता है।

NEP-2020 शिक्षण के प्रति समाज के विचारों को बदल रही है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्यों, नैतिकता और विश्वासों को सीखने की प्रक्रिया है। NEP-2020 शिक्षक शिक्षा पर जोर देती है। यह नीति ''आचार्य देवो भव:'' की विरासत को देखते हुए शिक्षक शिक्षा के महत्त्व पर जोर देती है। शिक्षक शिक्षा शिक्षकों के उस पुल का निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जो कि अगली पीढ़ी को आकार देगा। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है और प्रत्येक नागरिक की सीखने की यात्रा में शिक्षक सबसे महत्त्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए NEP-2020 शिक्षकों के सशक्तिकरण की बात करती है। NEP-2020 के अनुसार शिक्षक सशक्तिकरण द्वारा ही शिक्षक सक्षमता का विकास संभव है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम व उपलब्धि प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले निर्देश व विद्यार्थियों से की जाने वाली बातचीत किसी भी शैक्षिक संस्था की आधारशिला है।

शिक्षक दक्षताएँ (Teacher Competencies) क्या हैं?

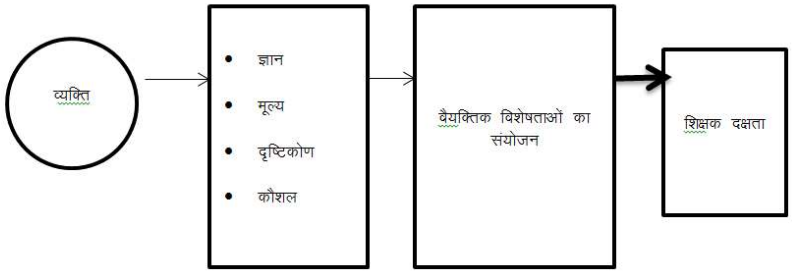

शिक्षक दक्षताएँ वे कौशल ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य व व्यक्तिगत विशेषताओं का संयोजन है जो शिक्षक को पेशेवर व उचित रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। विद्यार्थी के अधिगम को अधिकतम करने हेतु प्रेरित करती हैं, सैंकड़ों महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु शिक्षक को दक्षताओं की श्रृंखला का एक विशेषज्ञ बनाती है। एक विद्यार्थी की सफलता हो या उपलब्धि दोनों पर ही शिक्षक का प्रभाव सबसे शक्तिशाली होता है।

दक्षताएँ जो शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करती है –

- अनुदेशनात्मक वितरण/ संप्रेषण
- कक्षाकक्ष प्रबंधन
- निर्माणात्मक मूल्यांकन
- व्यक्तिगत दक्षताएँ

इन दक्षताओं का प्रभाव शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावित करता है। NPST (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक) NEP-2020 के लक्ष्य में यह निर्धारित करता है कि सभी शिक्षार्थियों तक उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा समान रूप से पहुँचे। सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को भावुक, प्रेरित, उच्च योग्य, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित व शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाये।

समाज के सजीव जगत में शिक्षक विद्या का फल देने वाले वृक्षों के समान है। हम यानि अध्यापक शिक्षकों (Teacher educator) को मजबूत जड़े विकसित करने के लिए पर्याप्त पोषण व निर्देशन की आवश्यकता होती है अर्थात् प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रथाओं के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल व दृष्टिकोण।

वर्तमान डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता के अलावा उन्हें अपनी कक्षा में 21वीं सदी के विभिन्न कौशलों जैसे प्रभावी सम्प्रेषण, सहयोग, आलोचनात्मक चिन्तन, सृजनात्मक चिन्तन, निर्णय निर्माण व समस्या समाधान को सीखने की आवश्यकता है।

उपरोक्त लिखित कौशलों के व्यावहारिक प्रयोग को NEP-2020 शिक्षक दक्षता में सम्मिलित करती है। NEP-2020 अनुसार शिक्षक दक्षता के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होने चाहिए –

- शिक्षक छात्र अंत:क्रिया – शिक्षक को सभी छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए। प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व शिक्षक पर ही निर्भर करता है। शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रहों व भावनाओं को एक तरफ रखकर प्रत्येक छात्र के साथ समान व्यवहार करना चाहिए व सीखने के समान अवसर देने चाहिए।
- अधिगम वातावरण का सृजन – शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए सीखने का एक अनुकूल व सुरक्षित माहौल बनाना आवश्यक है। शिक्षक को अपने विद्यार्थी से अच्छे व्यवहार व प्रदर्शन की उम्मीद रखनी चाहिए।
- पाठ योजना निर्माण में निपुण – शिक्षक को विद्यार्थी व पाठ्यक्रम की मांग व मानकों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना निर्माण में निपुण होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक पर्याप्त समय, शिक्षण–सामग्री, शिक्षण युक्ति के चयन में शिक्षक को सक्षम होना आवश्यक है।
- विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग – सर्वोत्तम अभ्यास व उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षक को पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की अनुमति देती है। शिक्षक को चाहिए कि वह वैयक्तिक उन्नयन के लिए नई रणनीतियों व नवीन प्रथाओं को सीखने के लिए नियमित व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले।
- आंकलन करने में सक्षम – शिक्षक को विद्यार्थी आकलन हेतु प्रभावी आकलन उपकरण का उपयोग करना चाहिए जिससे वह सटीक रूप से यह माप सके कि क्या पढ़ाया गया है? और छात्र ने क्या सीखा? शिक्षक विद्यार्थी का आकलन करने लिए प्रौद्योगिकी, पोर्टफोलियो व अन्य रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।

- छात्र की जरूरतों की पहचान में सक्षम – विद्यार्थी की जरूरतों को पहचानना शिक्षक के दायित्वों के महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसमें एक निर्देशात्मक स्तर से परे छात्र को जानना, उसकी रूचि जानना, मनोदशा परिवर्तन को पहचानना व यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विद्यार्थी का ध्यान मानसिक व भावनात्मक रूप से अधिगम पर केन्द्रित है।
- प्रभावी संप्रेषण – प्रभावी संप्रेषण भी शिक्षक के दायित्वों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है। बच्चे व बच्चे के माता-पिता के साथ प्रभावपूर्ण संवाद शिक्षक की दक्षता व कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। गंभीर मुद्दों पर अभिभावकों के साथ शांतिपूर्वक चर्चा व बच्चे में सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का कौशल भी प्रभावी संप्रेषण का अंग है।
- सहयोग की भावना – शिक्षक में सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि सहयोग द्वारा हम अधिक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। वे विद्यालय को सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, प्रभावी सीखने का माहौल बनाने और संस्था की समग्र छवि और वहां होने वाली शिक्षा में सुधार के लिए भी सहयोग कर सकते हैं।
- प्रोफेशनल स्वरूप – शिक्षक छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में होते हैं। अत: शिक्षक को अपनी पेशेवर छवि बनाए रखनी चाहिए। शिक्षक को इस हेतु सभ्य व सुसंस्कृत भाषा, शालीन व्यवहार व उचित वेशभूषा को अपनाना चाहिए।
- पेशे के प्रति प्रतिबद्धता – शिक्षकों को शिक्षा व व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। शिक्षक को समयानुसार अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर ज्ञान का संवर्द्धन करने और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना जारी रखना चाहिए।

शिक्षक दक्षताएँ एवं NEP-2020 –

शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए NEP-2020 में राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षकों की वांछित विशेषताओं के साथ-साथ शिक्षकों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। यह शिक्षक भूमिका सीधे-सीधे शिक्षक दक्षता से व शिक्षक दक्षता, शिक्षण सशक्तिकरण से संबंधित है। यदि हम शिक्षक की भूमिका को सकारात्मक प्रभावी व वास्तविक राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना चाहते हैं तो आवश्यकता है शिक्षक सशक्तिकरण की।

यहाँ शिक्षक सशक्तिकरण से आशय है शिक्षकों को स्कूल के लक्ष्यों और नीतियों के निर्धारण में भाग लेने का अधिकार देना और क्या और कैसे पढ़ाना है, इस बारे में पेशेवर रूप से निर्णय लेना। जब शिक्षक सुधार प्रक्रिया में लगे होते हैं, तो उन्हें अपने काम पर स्वतंत्रता व स्वनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह उन्हें सशक्त अनुभव कराता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, उन्हें कड़ी मेहनत के लिए प्ररित करता है और अपने कार्य, अपने शिक्षार्थियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है।

अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने हेतु NEP-2020 शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का चयन करने की स्वायत्तता देती है और उन्हें विद्यार्थियों की सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस नीति में शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक आवश्यकता मूलभूत सुधारों के केन्द्र में रखा गया है। NEP-2020 ने सभी स्तरों पर शिक्षकों को हमारे समाज के सबसे सम्मानित व आवश्यक सदस्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया है क्योंकि वे भावी पीढ़ी को आकार देते हैं। NEP-2020 शिक्षा व्यवस्था में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की बात करती है ताकि प्रत्येक शिक्षक में जवाबदेही व जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हुए उन्हें स्वायत्तता दी जा सके।

अतीत में, शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे परन्तु आज बाल केन्द्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है जो कि करके सीखने पर आधारित है। आज शिक्षक को एक Facilitator के रूप में कार्य करना होगा ताकि वह विद्यार्थी की नई अवधारणाओं की खोज करने व समझने में मदद कर सके। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिन्तन में भी कुशल होना चाहिए। आलोचनात्मक सोच किसी समस्या या प्रश्न के बारे में गहराई से सोचने व रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता है। हम सभी शिक्षक शिक्षा से जुड़े हैं। हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि एक शिक्षक की भूमिका चार दीवारों की कक्षा में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम निर्माण, गुणवत्ता युक्त पाठ्य सामग्री व पुस्तकें तैयार करने, शिक्षण-अधिगम के तरीकों, में नवाचार, विद्यार्थी का आकलन करने, छात्रों को सलाह देने व भावी शिक्षक तैयार करने में भी है। NEP-2020 में सशक्तिकरण के साथ समाज में शिक्षकों के लिए सम्मानित पद व स्थिति की बहाली को दोहराया है। NEP-2020 में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को आदर्श शिक्षक की बात करते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि आदर्श शिक्षक कौन होता है? एक आदर्श शिक्षक में समय की पाबंदी, समय प्रबन्धन, व्यावसायिक व वैयक्तिक नैतिकता, जिज्ञासा, नवाचारों के प्रति उत्सुकता, प्रभावपूर्ण संचार कौशल, सहृदयी, आत्मविश्वासी, बहु-अनुशासनात्मक व व्यापक दृष्टिकोण जैसे गुण होने चाहिए।

शिक्षा एक मिशन है और इसकी सफलता सभी हितकारकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। एक शिक्षक को लाभप्रद शिक्षण-अधिगम के लिए समूह के भीतर प्रभावी सहयोग के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निभानी पड़ सकती हैं। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ विभिन्न विषयों को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखने व नया करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। NEP-2020 भी समय व आवश्यकतानुसार बदलाव की, परिवर्तन की बात करती है।

समय के साथ समाज के संसाधन व आवश्यकताएँ बदल रही हैं। तदनुसार पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन अपेक्षित हैं। यदि हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो समय की मांग व नाजुकता के अनुसार संसाधनों के नवीनतम तरीकों की उपयोग हमें यकायक करना प्रकृति ने सिखाया है। COVID - 19 महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से महत्त्वपूर्ण कदम यकायक उठाने पड़े। भौतिक कक्षा शिक्षण का स्थान आभासी कक्षाओं ने ले लिया। जो समूह तकनीकी ज्ञान से दूर-दूर तक परिचित नहीं था वह भी आनन-फानन में तकनीकी का उपयोग करना सीख गया। यहां शिक्षक की कार्य कुशलता ने ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका दिखाई। ऑन -रूम परीक्षाएँ ऑनलाइन परीक्षाओं में तब्दील हो गयी। यहाँ शिक्षक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी व अनुकूल

दिखाई दिया यह तभी संभव हुआ जब शिक्षक ने समय की मांग को स्वीकार करते हुए अपनी कार्यशैली में सक्रिय रहते हुए परिवर्तन किया। अपनी कार्यशैली में नवीन अभ्यास को स्थान देना भी एक आदर्श शिक्षक का महत्त्वपूर्ण गुण है।

NEP-2020 आनुभाविक अधिगम व वास्तविक दुनिया पर जोर देती है। यह व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है। NEP-2020 का मानना है कि वर्तमान समय व समय की आवश्यकता है - हैंड्स - ऑन लर्निंग, कला - एकीकृत शिक्षण व खेल-एकीकृत शिक्षण। NEP-2020 में शिक्षा के सभी स्तरों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने पर जो दिया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे शिक्षकों को सामुदायिक निर्माता होना चाहिए ताकि NEP-2020 का मूल जनादेश पराजित न होकर प्रचारित हो।

शिक्षक की शक्ति' को स्वीकारते हुये NEP-2020 ने कुछ प्रणालीगत सुधार किए हैं जो 'शिक्षण' को उज्ज्वल और प्रतिभाशाली युवा दिमाग के लिए एक आकर्षक पेशे के रूप में उभरने में मदद करेंगे।

- NEP-2020 शिक्षकों के लिए प्रदर्शन मानक बनाने की बात करता है। जिसें विशेषज्ञता/चरण और उस हेतु आवश्यक दक्षताओं के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका स्पष्ट की गई है।
- 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NPST) का एक सेट तैयार किया
- गया जाएगा। यह सेट कार्यकाल, वेतन वृद्धि, व्यावसायिक विकास प्रयास, पदोन्नति व
- कैरियर प्रबन्धन के सभी पहलुओं को निर्धारित करेगा।
- NEP-2020 नियमित अंतराल पर शिक्षक ऑडिट की बात भी करता है।
- पदोन्नति व वेतन वृद्धि शिक्षक ऑडिट पर आधारित होगी।
- कार्यशाला व ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉडयूल में भाग लेना आवश्यक होगा।

गौरतलब है कि समग्र, बहुविषयक और सार्वभौमिक रूप से सुलभ शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए NEP-2020 में पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रचार के रास्ते, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा के साथ अच्छे वेतन की प्रक्रिया की भी सिफारिश की गई है, ताकि राष्ट्र निर्माता जिस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये गये हैं। उसके लिए स्वयं को समर्पित कर सकें।

हालांकि शिक्षण के अलावा, आजकल प्रत्येक शिक्षक को एक संचालन में कई भूमिकाएँ निभानी होती हैं, जिनमें कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, यथा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षक व कर्मचारी के मामलों को संभालना आदि। विशेष रूप से एक आदर्श शिक्षक को इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है।

आइए हम अपनी दक्षताओं, शक्तियों, योग्यताओं को पहचाने व NEP-2020 में परिकल्पित जनादेश के साथ अपनी शिक्षा को सफल बनाने के लिए एक आदर्श शिक्षक बनने का संकल्प लें। हेनरी बूक्स एडम्स के कहे शब्दों को ध्यान में रखते हुए आदर्श शिक्षक बनने का संकल्प लें - ''शिक्षक अनंत काल को प्रभावित करते हैं, कोई नहीं बता सकता कि उनका प्रभाव कहाँ समाप्त होता है।''

संदर्भ -

- A Joseph Dorairaj, Attributes of an Ideal Teacher, University News, Vol-58722, June 01.07.2020.National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Govt of India published in the Gazette of India, 29 July 2020
- https://www.sentinelassam.com/ editor/ nep-2020 - and- desired- attributes - of - teachers-550398
- https://www.insightsonindia.com /social - justice/ issues-related- to -education-sector/new-education-policy/key-highlights-of-the-nep/
- https://www.collpoll.com/blog/teacher-education-in-nep-2020 /#:~:text=Teaching%20Career%20%26%20 Professionalism %20 % E2 % 80%93%20 The%20NEP,part%20of%20NEP%20for%20teacher.

आत्मनिर्भर भारत (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

डॉ० संजीव कुमार सिंघल

प्राचार्य, अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सागानेरी गेट, जयपुर

सारांशः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करके भारत की आंतरिक एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये 21वीं सदी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में नये-नये परिवर्तन किये गये। मानव संसाधान विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। जोकि मानव की सांस्कृतिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता को बतलाता है। स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के अध्यापन के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में अध्यापन पर बल दिया जाता है। पांचवी तक की पढाई मात्भाषा और क्षेत्रिय भाषा पर जोर दिया है।

परिचय- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरे लॉकडाउन की समाप्ति के 5 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत करते हुये 20 लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जोकि भारत की जी.डी.पी. का करीब-करीब 10 प्रतिशत है। जो सार्वजनिक एवं निजी निवेश को राहत प्रदान करने में सहायक होगी।

आयाम- प्रथम चरण में वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा। द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन क्षेत्रों के आयात में कटौती का निर्णय किया है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढाने के लिये इन 10 क्षेत्रों में फर्नीचर, फूटवियर, एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाईल एवं इलेक्ट्रोनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मा एवं टैक्सटाइल आदि शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत के पांच मुख्य स्तम्भ-

1. अर्थव्यवस्था
2. अवसरंचना
3. प्रौद्योगिकी
4. गतिशील जनसांख्यिकी
5. मांग

निष्कर्ष-

कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के उपरांत देश के नागरिकों का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है जिससे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से ना केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई।

नई शिक्षा नीति निर्माण का आधारभूत प्रारूप एवं इनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां

डॉ० निम्मी महषि

सह-आचार्य, एस.के.डी. विश्वविद्यालय, हनुमानढ़

सारांश

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया I इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

पिछली शिक्षा नीति तीन दशक पहले आई थी इसलिए नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 34 साल बाद बदलती परिस्थिति व परिवेश के कारण हमने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करके अपने नवाचार और अनुसन्धान के सम्बन्ध में जनसँख्या की बदलती हुई आवश्यकता को पूरा करना है। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी को आवश्यक कौशल व ज्ञान से युक्त प्रोधोगिक एवं उद्योग क्षेत्रो में नये कौशल को विकसित करना है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है। यह शिक्षा नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित करते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए शैक्षिक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था एवं उसके नियमों का वर्णन तथा सर्वांगीण पक्षों के सुधार का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational LiteracyAnd Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

तीन वर्ष से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन किया गया जिसमेंतीन वर्ष से छः वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्च्यात से ही शिक्षा मेंपरिवर्तन किया जाने लगा है। शिक्षा में हर बार नए प्रयोग कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है जितने प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में होते होंगे प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा पर अनेक परिवर्तन किए जाते रहे हैं लेकिन उन परिवर्तनों के बावजूद शैक्षिक परीस्थितियो मेंजनसँख्या वृद्धि के कारण एक बड़ा बदलाव आया है और बेरोजगारी की समस्या ने शिक्षा नीति मेंबदलाव के संकेत दिये है जिसके कारण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का एक प्रयास किया गया है।

सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नयी शिक्षा नीति का विजन ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परंपराओं व मूल्यों को सम्मिलित करते हुए शैक्षिक प्रणाली विकसित करे जिसमें उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो संसाधन प्रदान किये जा रहे है उन्हें अधिक तार्किक व लक्ष्य केंद्रित बनाने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति 2020, भारत

की नई शिक्षा नीति है जो 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है. जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित की है. 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया संशोधन है. भारत में कुल 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव करके नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया गया है. यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है इस समिति मेंमई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 'मसौदा' प्रस्तुत किया गया था। यह 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020, 1968 और 1986 की शिक्षा नीति के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी

इस नीति से विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा- जैसे अगर कोई बच्चा एक साल स्नातक की पढाई करता है, तो उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जायेगा. और दो वर्ष स्नातक की पढाई करता है, तो उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्राप्त होगा. उसके बाद अगर वह किसी कारणवश पढाई छोड़ देता है. उसके बाद फिर एक या दो वर्ष के बाद ग्रेजुएशन की पढाई पूरी करना चाहता है. तो उसे फिर से प्रथम वर्ष में एडमिशन नहीं लेना होगा. उसे सीधा स्नातक 3तक लमंत में एडमिशन मिल जायेगा. क्योंकि पहले से उसके पास दो वर्ष का प्रमाण पत्र है।

नयी शिक्षा नीति मेंबोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रयास किया गया। इसमें शिक्षार्थी के परीक्षा परिणाम को जीवन कौशल से जोड़कर रोजगार परख बनाया जाए इस पर जोर दिया गया है।

इस शिक्षा नीति में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। नयी शिक्षा नीति में प्रोढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया है।

इस शिक्षा नीति में शिक्षार्थी को अपनी पसंद के अनुरूप विषयों के चयन में स्वतंत्रता दी गयी है जिसके कारण नयी शिक्षा नीति में महाविद्यालय को बहु-विषयक बनाने पर जोर दिया गया जिसमें अब विद्यार्थी भोतिकी और रसायन शास्त्र के साथ संगीत कला के विषय का भी चयन कर सकता है

जो विद्यार्थी डिग्री कोर्स को 1 साल या 2 साल करके बिच मेंछोड़ देते थे उनके लिए भी इस शिक्षा नीति मेंएक साल मेंसर्टिफिकेट व दो साल मेंडिप्लोमा तीन या चार साल मेंडिग्री का प्रावधान रखा गया।

इस शिक्षा नीति में सामान्य प्रवेश परीक्षा (COMMON ENTRANCE TEST) पर जोर दिया गया (जैसे NTA, JEE, NEET, UGC NETआदि)। इसमें डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव 'अमित खरे' ने बताया नये सुधारो मेंतकनिकी व ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है नयी शिक्षा नीति में डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैंड अलोन इंस्टीटूशन के संचालन लिए समान नियम होंगे।

तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। नयी शिक्षा नीति मेंप्रोढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

अध्ययन का उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 की रूप रेखा की जानकारी प्राप्त करना।
2. इस नीति के सिद्धांतो की जानकारी प्राप्त करना।
3. नई शिक्षा नीति तुलान्त्मक अध्ययन करना।
4. नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों में शिक्षा के स्वरूप के नवाचार का अध्ययन करना।

शोध विधि

इस शोध पत्र में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग हुआ है।

शोध समीक्षा

नयी शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

इस शिक्षा नीति मेंविद्यार्थियों को अपनी भाषा मेंपढने की स्वतंत्रता दी गयी है। अपनी भाषा मेंपढने की स्वतंत्रता के साथ कला, साहित्य, खेल-कूद, तकनीकी कौशल पर भी जोर दिया गया है। इसमें शैक्षिक क्षेत्र में 030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाना है। शैक्षिक क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की मदद से जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी इस शिक्षा नीति में रखा गया।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है जिसमें 2 लाख सुझाव का सहारा लिया गया है। नीति का मसौदा निर्माण कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया है ताकि पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सके। इस नीति में वर्तमान युवा पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं - आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है।

उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3% वर्तमान में से बढ़ाकर 50% तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ती जा रही है।

शिक्षा महंगी हो रही है सरकारी शिक्षा में बजट कम हो रहा है ऐसे में नई नीति किस तरह से देश एवं युवाओं के लिए मददगार होगी। यह अभी विषय गत में है प्रोफेसर के. एल शर्मा 2020 ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा से सशक्त एवं स्वाधीन समाज बनाया जा सकता है लेकिन शिक्षा इतनी गुणवत्ता परक हो कि मनुष्य खुद को स्वतंत्र रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से समझ सके शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का साधन है।

सरकार का प्रयास नयी शिक्षा नीति 2020 द्वारा शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सराहनीय कार्य है लेकिन इनके किर्यावयन में कई चुनोतियाँ है।

- अपने देश मे लग-भाग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा बीच मे ही छोड़ देते है जो की अधिकांश निचले तबके के बच्चे अनुसूचित जन-जाती, धार्मिक अल्प-संख्यक, दिव्यांग-समूह से सम्बंधित है। ऐसे मे 100% शैक्षिक नामांकन महत्वपूर्ण चुनौती है
- आम-तौर पर स्कूलों, विश्व विद्यालयों मे पानी, बिजली, पुस्तकालय, शोचालय, नियमित कक्षा-कक्ष, कंप्यूटर की कमी है जिसके कारण शैक्षिक व्यवस्था प्रभावी तौर पर कार्य नही कर रही है और विद्यार्थियों का भी रुझान कम हो रहा है।
- नयी शिक्षा नीति के किर्यावयन मे सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूल, महा विद्यालयों व विश्व विद्यालयों मे प्रशिक्षित व नियमित शिक्षको का आभाव है जिसके फल-स्वरूप शैक्षिक कार्यो का संपादन सुचारू रूप से नही किया जा सकता।
- बहु-प्रवेश व बहु-निकास (MULTIPLE ENTRY & MULTIPLE EXIT) महाविद्यालय, विश्व-विद्यालय मे किसी भी शैक्षिक कोर्स को सुचारू रूप से नही चलाया जा सकता।
- शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में लगाया जाता है यह एक आवश्यक विषय है जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में हमारे समक्ष प्रथम चुनौती इस रूप में विद्यमान है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर हमारे देश की जीडीपी का लगभग 6% खर्च किया जाना प्रस्तावित है परंतु यह तथ्य वर्तमान में भी वाद-विवाद के योग्य है कि क्या यह 6% अंश खर्च किया जा रहा है या अब किया जाएगा ?
- स्नातक स्तर पर बहु विषयक (Multi-disciplinary) या बहुआयामी तरीके से पढ़ाई एक बेहतर विकल्प है परंतु इतने प्रयास के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण तथा जागरूकता फैलाने वाले आवश्यक विषय जैसे- स्त्री-शिक्षा, लैंगिक-शिक्षा, सांस्कृतिक-शिक्षा, विषमता एवं बहिष्करण-शिक्षा, पर्यावरण- शिक्षा, विकास की शिक्षा, यह सभी हाशिए पर रह गई है।
- अध्यापक प्रशिक्षण भी एक प्रमुख चुनौती है। जैसे गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए कुशल शिक्षकों के प्रशिक्षण की वित्तीय व्यवस्था (Funding) कहां से होगी ?
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य उच्च शिक्षा में 50% तथा माध्यमिक शिक्षा में 100% का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह लक्ष्य उच्च शिक्षा में 25.8 प्रतिशत तथा कक्षा 9 (माध्यमिक शिक्षा) में 68% है।

निष्कर्ष प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विचार किया गया तथा इसमें निहित अवसर और चुनौतियों पर समीक्षा करके विचार प्रस्तुत किए गए हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम सभी भारतवासियों को इसके सभी सकारात्मक पक्षों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। आधारभूत शिक्षा से ही प्रारंभ किया जाए तो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्रों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करें तथा आर्थिक सहायता तार्किक रूप से सुसंगत करते हुए उन्हें सुदृद बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा में भी आधारभूत शिक्षा में मातृभाषा की आवश्यकता को स्वीकारने के साथ ही वैश्विक स्तर पर वर्तमान में प्रासंगिक एवं मान्य अंग्रेजी को भी पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा (माध्यमिक शिक्षा) में ड्रॉप-आउट (Drop- out) बच्चों का अनुपात कम किया जाने की तरफ विचार किया जाना आवश्यक है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्नातक स्तर पर जो विचारणीय बिन्दु हैं जैसे - किसी भी स्ट्रीम की बाध्यता समाप्त कर बहु विषयक (Multi-disciplinary) शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए उन अन्य देशों में जहां यह व्यवस्था चल रही है उनका व्यापक अध्ययन एवं अनुसरण करें तथा प्राप्त सुझावों को लागू करने की मानसिकता सकारात्मक बनाने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए।

शोध पत्र के अंत में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे लिए एक नया अवसर तथा चुनौती दोनों ही लेकर आई है जिसे हम सभी को एकजुट होकर क्रियान्वित करके तथा चुनौतियों का निराकरण करने के लिए कार्य करने के लिए तत्पर होना होगा।

संदर्भ

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
- प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020
- गंगवालए सुभाष नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला दैनिक नवज्योति पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020
- GUPTA STUTI (2020). ROLE AND PERPECTIVE CONTRIBUTION OF TECHNOLOGY IN EDUCATION SECTOR with respect to NATIONAL EDUCATION POLICY 2020. In Gupta Payal (e.d) NATIONAL EDUCATION POLICY (2020) A parading shiftIn indian education Ishika book distribution, p183.
- https://bachpanexpress.com/higher-education/05-2020—580641
- https://reflections.live/articles/23/244-kd8upntt-2020.html
- https://kisansuchna.com/nai-rashtriya-shiksha-niti-2020/#:~:text=Nai%20Shiksha%20Niti%202020%20in%20Hindi

तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर

डॉ० रश्मी उपाध्याय

शोध निर्देशक, महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर

शीतल गुप्ता

पीएचडी शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर

"शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। शिक्षक की योग्यता, सूझ-बूझ कार्यक्षमता से ही भवन पाठ्यचर्या एवं उपकरणों का समुचित प्रयोग कक्षागत शिक्षण में संभव है।"

सारांश

"शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। शिक्षक की योग्यता, सूझ-बूझ कार्यक्षमता से ही भवन पाठ्यचर्या एवं उपकरणों का समुचित प्रयोग कक्षागत शिक्षण में संभव है।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक मील का पत्थर प्रतीत होती है, जो वर्तमान अध्यापक शिक्षा में सुधार और शिक्षण को आकार देने के लिए सभी आवश्यक कारकों का समावेश करती है। नई शिक्षा नीति ने जिस बहु-विषयात्मक शिक्षा एवं नए स्कूली ढांचे की परिकल्पना की है उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि वह गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों का प्रभावशाली शिक्षण एक आदर्शवादी समाज की स्थापना में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। देश की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रभावी व अत्यंत कुशल अध्यापकों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से समृद्धिशाली बनाने की बात भी मुख्य रूप से कही गई है। इसके लिए हमारे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह तय करती है कि प्रत्येक विद्यालय को एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जिससे की विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा हेतु उपयुक्त मंच मिल सके। शिक्षकों को स्वयं भी पाठ्यवस्तु पर विचार कर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण को अधिक रूचिकर सुगम व सुग्राही बनाने का प्रयास करना होगा।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति ने जिस बहु-विषयात्मक शिक्षा एवं नए स्कूली ढांचे की परिकल्पना की गई है उसके लिए ऐसे प्रभावी और शोध उन्मुखी अध्यापकों की जरूरत है जो विषय-वस्तु के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत हों।अब एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की यह जिम्मेदारी है कि वह एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत करे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं समितियों के सुझावों के जरिये अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं परिवर्तन किया गया। इसमें सबसे खास योगदान 1964-66 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का रहा, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। इसकी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि सेवाकालीन शिक्षा के दौरान व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में सेवाकालीन कार्यक्रम प्रदान किया जाए। इसके साथ अध्यापक शिक्षा से जुड़े सभी पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बाद में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (चट्टोपाध्याय आयोग) 1983-85 ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा के चार-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक मील का पत्थर प्रतीत होती है, जो वर्तमान अध्यापक शिक्षा में सुधार और शिक्षण को आकार देने के लिए सभी आवश्यक कारकों का समावेश करती है। यह अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा को पुनर्जीवित करने को समर्पित है। नई शिक्षा नीति ने बहुविषयक संस्थानों में चार-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा लाने पर पर्याप्त जोर दिया है। इसमें जिस बहु-विषयात्मक शिक्षा एवं नए स्कूली ढांचे की परिकल्पना की गई है, उसके लिए ऐसे प्रभावी और शोध उन्मुखी अध्यापकों की जरूरत है, जो अपनी विषय-वस्तु के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत हों। विद्यालयों एवं समुदायों में जाकर कार्य करना और समाज उपयोगी एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देना इस नीति का एक महत्वपूर्ण सुझाव है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक के महत्व पर सर्वाधिक जोर देती है। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक छात्र का विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जिससे की छात्रों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश की ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकते है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को सर्वोच्च

प्राथमिकताएं होनी चाहिए। छात्रों का पूर्ण विकास केवल संबंधित विषय का अध्ययन करने से नहीं हो पाता है। पूर्ण विकास के लिए छात्रों को कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संभावित शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी जोर दिया गया है। आवश्यकतानुसार शिक्षकों की भर्ती में गुणवत्ता प्रोत्साहन भी किए जाने की बात है। विद्यालय के कार्यों के वातावरण और संस्कृतियों को आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य है, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों का अधिकतम स्तर पर विकास हो सके। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहुत ही संयुक्त दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ बेहतरीन तथ्यों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति जागरूक रहें। अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अत: इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक, शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहां उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत इत्यादि और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बीएड कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान को निर्धारित करने वाले घटकों में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। अध्यापक ही स्थाई विकास को विकसित करने में अपनी भूमिका सही तरीके से निभा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। बच्चों में तकनीकी और रचनात्मकता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। शैक्षिक पाठ्यक्रम इस तरह से ही लचीला बनाना है की शिक्षा उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। शिक्षा नीति एन ई पी 2020 में क्षेत्रीय व मातृभाषा शिक्षण को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। बालकों के लिए बहु विषयक शिक्षण को भी प्रभावकारी और आवश्यक बताया गया है। इसके लिए इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर बल दिया गया है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर वोकेशनल शिक्षा को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित हो सकें। इसके लिए विद्यालयों में शिक्षकों को शिक्षण तकनीक से जोड़े जाने के प्रयास किए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री एवं क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

मेरा शोध क्षेत्र "सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों का ऑनलाइन शिक्षण के संदर्भ में गुणवत्ता पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रभावित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों का प्रभावशाली शिक्षण एक आदर्शवादी समाज की स्थापना में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। देश की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रभावी व अत्यंत कुशल अध्यापकों की आवश्यकता है, जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें और उपयोगी तथा नए समाज निर्माण में योगदान देने वाले नागरिक तैयार कर सकें। वैश्विक महामारी कोविड 19 के प्रभाव से हम सभी अवगत हैं। कोविड-19 से विश्व में आर्थिक व सामाजिक पहलुओं पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव हमारी शिक्षा व्यवस्था एवं पठन पाठन की प्रक्रिया पर पड़ा।

जब भी बालकों की अधिगम या सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात आती है तो कक्षागत शिक्षण को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे अपने शिक्षक से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं, लेकिन कोरोना संकटकाल में सब कुछ बंद हो गया, उस समय वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में "ऑनलाइन शिक्षण" बहुत अच्छा विकल्प बना। ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही बालकों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से समृद्धिशाली बनाने की बात भी मुख्य रूप से कही गई है। इसके लिए हमारे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा।

वर्तमान में कोविड 19 जैसी कोरोना संकटकालीन भयावह स्थितियां नहीं हैं, परंतु ऑन लाइन शिक्षा अनवरत चल रहा है। जिससे ग्रामीण तथा दूरस्थ विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण अथवा डिजिटल लर्निंग एक नवाचार है और यह समय, संसाधन तथा दूरी की बचत करने वाला माध्यम बन गया है।

ऑनलाइन शिक्षण सुगमता उत्पन्न करता है परंतु हमारी शिक्षकों के लिए यह एक चुनौती भी है, क्योंकि कक्षागत शिक्षण में तो शिक्षक विद्यार्थी को भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझता है, परंतु ऑनलाइन शिक्षण में किस तरह से एक शिक्षक अपने विद्यार्थी का तार्किक विकास कर सकेगा? यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की ही है। क्योंकि शिक्षक को राष्ट्रीय निर्माता माना गया है। एनईपी में शिक्षकों हेतु किए गए परिवर्तनों को समझकर शिक्षक को स्वयं को उसके अनुसार अपने आप को तकनीकी रूप से ही कुशल बनाना होगा। एनईपी 2020 विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इन सभी को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का कार्य शिक्षकों को ही करना है। शिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही तरीके से ही सही रूप में प्रशिक्षित कर सकें। कक्षागत शिक्षण में शिक्षक जिस प्रकार विषय वस्तु को बढ़ाने हेतु विभिन्न चार्ट्स, मॉडल, मानचित्र आदि का प्रयोग करता है उसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक विषयवस्तु को एनिमेशन या स्लाइड्स के माध्यम से छात्रों के लिए रुचिकर बना सकता है, जिससे विद्यार्थी निरंतर क्रियाशील रह सकता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण नीति के तहत

इस तरह से विषय वस्तु को विभाजित कर लेना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री सरल व सुलभ हो जाए। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है इसी लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में भी इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि शिक्षक किस रूप में शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करे कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान भी विद्यार्थी पूरी तरह से सक्रिय रहे। यह तथ्य सर्वविदित है कि शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान तब ही पूर्ण रूप से ही सार्थक है जब विद्यार्थी, शिक्षण- अधिगम प्रक्रिया में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाए। कक्षागत शिक्षण में शिक्षक-विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से अंत: क्रिया करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी के मनोभावों को समझ जाता है लेकिन ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक- विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रह पाता। ऐसे में शिक्षार्थी को पूरी तरह से सक्रिय रखना शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षण सामग्री को तकनीक के प्रयोग से इस तरह से रुचिकर बनाए की वह सामग्री छात्र के लिए स्थाई ज्ञान दे सके। विद्यार्थी जिस प्रकार से कक्षागत शिक्षण में अपनी शिक्षक से विषयवस्तु संबंधी चर्चा करता है, प्रश्नोत्तर करता है, वैसा ही ऑनलाइन शिक्षण में कर सके तथा शिक्षक इसके लिए भी अपने आप को तैयार करे।

शिक्षा में तकनीकी प्रयोगों के फायदों के साथ ही कुछ नुकसान भी हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को इन्टरनेट कनेक्शन से जुड़ना होता है। अधिकांशतया विद्यार्थी एक बार इन्टरनेट कनेक्शन से जुड़ने के बाद इन्टरनेट का उपयोग केवल अध्ययन के उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं रखते हैं। नतीजतन उनमें इन्टरनेट देखने और प्रयुक्त करने की आदत लगने लगती है। इससे उनके व्यक्तित्व और विकास पर भी असर दृष्टिगोचर होने लगता है। कई बार कम उम्र या किशोर वय अथवा युवा विद्यार्थियों में इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग लत के रूप में भी सामने आने लगता है। ऐसे में उनके व्यक्तित्व पर पड़ रहे प्रभाव का आकलन कई बार इन्टरनेट के फायदे की तुलना में नुकसान अधिक प्रतीत होने लगता है। अत्यधिक उपयोग से विद्यार्थी के सामाजिक भागीदारी पर भी विपरित असर देखा गया है जो इन्टरनेट के एक विरोधाभासी तकनीक होने की बात कहता है। विभिन्न अध्ययनों में इसकी लत और व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव का गहन विश्लेषण किया गया है। किन्तु इसके साथ कई अध्ययनों में इंटरनेट और स्मार्ट फोन से हो रहे शिक्षण के अवसरों और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का भी विश्लेषण हुआ है। ऐसे में शिक्षकों पर यह महत्ती जिम्मेदारी आन पड़ती है कि वे अपने विद्यार्थियों को इन्टरनेट की लत के बारे में सचेत करत हुए उन्हें स्मार्टफोन और ऑनलाइन शिक्षण के जरिए नए विषयों, नई तकनीकों से अवगत करवाएं। नई शिक्षण नीति में व्यवसायिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के प्रावधान ऑनलाइन शिक्षा को ही प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष/सुझाव

शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य एक अटूट संबंध बन जाता है। ऑनलाइन शिक्षण से एक स्थान पर बैठे हुए भी सुदूर क्षेत्रों के शिक्षकों से ज्ञानार्जन संभव हो सका है। शिक्षकों के अथक प्रयास से ऑनलाइन शिक्षण का सतत रूप में उपयोग शिक्षण को जीवंतता प्रदान करने वाला बन सकता है। भविष्य के गर्भ में अनेक संभावनाएं छुपी होती हैं। शिक्षक को स्वयं भी तकनीकी रूप से पूर्ण कुशल बनाना होगा तभी वह अपने विद्यार्थियों से अच्छे परिणाम की आशा कर सकता है शिक्षक के प्रयासों से छात्र के शिक्षक परिणामों में वृद्धि होती है और उनका मनोबल बढ़ता है।

तकनीक के प्रयोग से ही शिक्षक शिक्षण सामग्री को रुचिकर बनाकर कमजोर विद्यार्थियों में भी शिक्षण के प्रति लगाव उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षक तकनीकी रूप से कुशल और योग्य होगा तभी वह कमजोर विद्यार्थियों की निष्क्रियता को कम करके सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना सकेगा। यह शिक्षण में बहुत उच्च स्तर की रुचि, जवाबदेही और एक वास्तविक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण में एक मानवीय स्पर्श को जोड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह तय करती है कि प्रत्येक विद्यालय को एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जिससे की विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा हेतु उपयुक्त मंच मिल सके शिक्षा में शिक्षकों द्वारा इस नवाचार का प्रयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर भी अधिगम के लिए अच्छा माध्यम तैयार कर सकते हैं। शिक्षकों को स्वयं भी पाठ्यवस्तु पर विचार कर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण को अधिक रूचिकर सुगम व सुग्राही बनाने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एल. ऑलपोर्ट, जी.(1961) व्यक्तित्व में पैटर्न और विकास। न्यूयार्क हाल्ट राइनहर्ट और विस्टन कार्डक, एम(2013) जर्नल टेक्नॉलोजी, वॉल्यूम 12
2. ब्लाक जे. जे. (2008) डी एसएमवी के लिए मुद्दे: इंटरनेट की लत अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री
3. Ka Krausdlopf&cj & saumders& D&R& (1994) पर्सनैलिटी एंड एविलिटी: द पर्सनैलिटी आकलन प्रणाली। यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरीका लैन्हम मैरीलैंड।
4. क्रॉट, आर., पैटरसन, एम. लुण्डमार्क ट किसल, एस मुकोपाध्याय टी. और शर्लिस, डबल्यू (1998) इन्टरनेट विरोधाभास एक सामाजिक तकनीक जो सामाजिक भागीदारी को कम करती है और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अमेरीकन साइकोलोजिस्ट 53, 1017-1031.
5. मोराहन मार्टिन, जे. (1997) पैथोलोजिक इंटरनेट की घटनाएं और सह सबंध,अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 105वीं वार्षिक बैठक में प्रस्तुत पेपर, अगस्त 18, 1997. शिकागो, आई.एन
6. मलिक ए.एन. (2015) भारत में छात्रों के बीच इंटरनेट की लत के पूर्ववृत्त
7. रायफ, कैरल डी. (1 जनवरी 1989) । खुशी ही सब कुछ है या फिर कुछ और? मनोवैज्ञानिक कल्याण के अर्थ पर अन्वेषण। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी 57 (8): 1069-1081
8. राबर्ट नोजिक (1981) फिलॉसिफिकल एक्सप्लेशंस, हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 0-647-66479-5
9. शेपर्ड, एल.ए. (1978) स्व स्वीकृति: आत्म अवधारणा का मूल्यांकन घटक अमेरिकन शैक्षिक अनुसंधान जर्नल,16(2) 189-16
10. अदिति पे (2015) स्मार्ट फोन की बढ़ती खौफनाक सनक
11. यंग. के. एस. (1998) इन्टरनेट एडिक्सन इमरजेंस ऑफ ए न्यू क्लिनिकल डिसआर्डर साइबर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, 1 (3). 237-244

12. केनन थ् एटोग्नु । निकोलस ला एट अल इवोल्यूशन ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोपर्टीज ऑफ इन्टरनेट एडिक्शन स्केल इन ए सेम्पल ऑफ तुर्किश हाई स्कूल स्टूडेंट, साइबर साइकोलोजी बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग 2010 13317-320

Internet sites

1. doiþ 10&1037@0022&3514&57&6 & 1069
2. https@@en&wikipedia&04g@wiki@meaning of life
3. https@@traninnggmag-com@content@
4. https@@en&wikipedia-org@wiki
5. https@-Iten&Wikipedia-orgy siki Neurolicism
6. winka joulufi edu@project 2000@olives defined
7. https://www.education.gov.in/en/nep-new

इंटरनेट आसक्ति कारण, प्रभाव और समाधान

डॉ० उषा रानी मदनावत

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग श्याम विश्वविद्यालय, दौसा

शैलजा त्रिपाठी

पी.एच.डी. शोधार्थी शिक्षा विभाग, श्याम विश्वविद्यालय, दौसा

सारांशः -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी समान उपयोग सुनिश्चित करना तय हुआ। इसमें नवाचार को अर्थ तंत्र का सारथी माना गया नई शिक्षा नीति में तकनीकी को लेकर कई बड़े बदलाव हुए जिसमें से एक बदलाव इंटरनेट है। इंटरनेट आज के युग की जरूरत बन गया है। इस इंटरनेट के अनेक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। बुद्धि में वृद्धि, शैक्षिक सामग्री के साथ मानसिक कौशल का विकास, सीखने में वृद्धि, बालक अपने आप समस्याओं का समाधान खोजने लग जाता है, बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति इंटरनेट के द्वारा शांत की जा सकती है, विदेशी भाषा को सीखना, गंभीर सोच का विकास तथा शैक्षिक क्षेत्र में अन्य खेलों का अभ्यास अनेक कौशलों को विकसित करना यह सब इंटरनेट द्वारा ही संभव है। इसके साथ ही इंटरनेट आसक्ति के जो नकारात्मक प्रभाव है वह इस प्रकार हैं अवसाद का खतरा अनिद्रा का शिकार, बालक के समय का दुरुपयोग, जीवन से बालक दूर होकर केवल काल्पनिक जीवन में ही जीता है परिवार से अंतर क्रिया को सजा नहीं कर पाता। शारीरिक प्रभाव जैसे गर्दन में दर्द शरीर के कम कंकाल संरचना, सिरदर्द, एकांत वासी, अपराध बोध, चिन्ता, शर्मिला पन, उदास, तनावग्रस्त, आत्म सम्मान में कमी आदि नकारात्मक प्रभावों से ग्रसित हो जाता है और कभी-कभी तो उसकी स्थिति आत्महत्या तक पहुंचाती है। ''इंटरनेट की आसक्ति'' के नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक की तुलना में अधिक है यह केवल बच्चों की समस्या नहीं है बल्कि वर्तमान युग जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जा रही है और परिवार में दूरी बढ़ती जा रही है बालकों के लिए पारिवारीक लोगों को इंटरनेट की आसक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। वर्तमान युग में ऐसा भी नहीं है कि हम इंटरनेट के बिना रह सके क्योंकि यह आज के युग की जरूरत है।

प्रस्तावनाः -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। यह नीति 21 वी सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यता को संबोधित करना है। नई शिक्षा नीति में नवाचार के अन्तर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया गया है जैसे, विद्यार्थियों के लिए नई नीति, नई तकनीकी, नई कार्यपद्धति, नई सेवा, नया उत्पादन आदि। इस शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा को लेकर कई बदलाव किए और वे बदलाव अब जीवन का हिस्सा बन गए हैं। कोविड महामारी के दौरान युवा डिजिटल माध्यम से अधिक पढाई करने लगे है। वही कम अवधि वाले पाठ्यक्रम भी लाकप्रिय हो गये है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्टरनेट या डिजिटल शिक्षा का प्रभाव अब हमारे जीवन से लम्बे समय तक जुडा रहने वाला है। तकनीकी ने जहॉ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों के कारण मोबाइल इंटरनेट से शिक्षा को आसान बनाया वही इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी बढ़ते गए है। हालांकि इंटरनेट शिक्षा के लिए आसान व सबसे तेज उपलब्ध स्रोतों में से एक है, यह एक अत्यंत सुलभ व विद्यार्थी युवाओं के अनुकूल साधन है। जिसने शिक्षा को अत्यंत आसान बना दिया है। इंटरनेट के कई लाभ है जैसे - इन्टरनेट सूचना प्रदान करने का साधन तो है ही इसके अतिरिक्त सम्मेलन, विचार गोष्ठी, ऑनलाइन बैंकिंग, खरीदारी, शिक्षक संस्थाओं में ऑनलाइन फार्म भराना, ईमेल, एक साथ अनेक व्यक्तियों से संपर्क, ई पुस्तकें, संचार, ऑनलाइन से सीखना, नवीन खबरें, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे, मनोरंजन, संगीत, गेम व शैक्षणिक लक्ष्यों को पाने के लिए विभिन्न ऐप, व मेल का प्रयोग बढ गया है NEP 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीक का विकास बताया गया है उसमें अध्यापक और छात्र शिक्षा संस्था से बाहर रहते हुए भी पठन पाठन कर सकते है। एक अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्था परीक्षा के लिए पारम्परिक तरीको की बजाय इन्टरनेट के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करती है।

इंटरनेट आज के युग की जरूरत बन गया है।वर्तमान युग में बच्चे से लेकर युवाओं तक कोई भी इससे नही बच सका है। इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनो प्रकार के प्रभाव व्यक्ति पर पडते है यह प्रभाव कभी - कभी आसक्ति या लत का रूप भी ले लेते है तो हमें इसके पीछे छिपे कारण को भी जानना जरूरी है। कोविड के कारण ऑन लाईन शिक्षा के लिए जब बालक के हाथ में मोबाइल आ गया, तो वह लंबे समय तक इसका उपयोग करता रहा इससे उसमें इंटरनेट की आदत पड़ गई और इस आदतका ही दूसरा नाम आसक्ति है।

इंटरनेट आसक्ति के प्रमुख कारण है- व्यक्ति का तनाव, ग्रस्त जीवन, एकाकीपन, भावात्मक समर्थन में कमी, लंबी बीमारी, लंबे समय तक मनोरंजन का साधन, मित्रों की कमी, व्यक्ति का अंतर्मुखी होना या अपनी बात किसी से भी ना कहना, आभासी और काल्पनिक दुनिया की ओर खिंचवा, वास्तविकता से काफी दूर, माता-पिता दोनों की व्यस्त जीवनशैली, इकलौती संतान, इंटरनेट एक सस्ता और सुलभ साधन, किशोरावस्था, चिंता अवसाद, मनोरोग संबंधी विकार, माता-पिता का अलगाव ऐसे अन्य कई कारण है जिसकी वजह से बालक केवल मोबाइल को ही अपना एकमात्र सहारा समझने लगा और वह लंबे समय तक इसका उपयोग करने लगा जिसके कारण वह इसका आदि हो गया। इंटरनेट जैसा कि वर्तमान समय की जरूरत बन गया है इसके अनेक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। इनमें से इंटरनेट आसक्ति के कुछ नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है-

इंटरनेट आसक्ति एक मनोरोग या मानसिक बीमारी है इससे बालक में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक आदि नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं जैसे बालक अनिद्रा का शिकार हो जाता है सोने वाले समय में भी सोशल साइट्स पर व्यस्त रहता है जिससे उसकी आदत वैसी ही हो जाती है वह बार-बार उन साइट्स को देखता है साइट्स नही देखने पर बालक का मन बैचन रहता है और नींद आने पर भी बालक सो नहीं पाता। इसे Insomnia कहते हैं। इंटरनेट से ग्रसित व्यक्ति खेलकूद व गैर शैक्षणिक गतिविधियों में कम ही भाग लेता है। वह हमेशा मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। इंटरनेट जहां विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और शिक्षण में सहायता करता है वही अब इसके प्रभाव से विद्यार्थी अपना अमूल्य समय इन निरर्थक व व्यर्थ की साइट्स को देखने में खर्च कर देते हैं। साइबर बुलिंग की घटना भी इन्टरनेट का एक नकारात्मक उदाहरण है। बच्चे इंटरनेट पर अधिकतम समय व्यतीत करते है जो बालक के नैतिक व कैंद्रित मूल्यों को कम करता है। इंटरनेट बुलिंग के माध्यम से एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा बालक को धमकाया जाता है। उसे किसी बात को लेकर भय दिखाया जाता है जिससे बालक अपने आप को सभी से दुर कर एकान्त वातावरण में रहता है इसके साथ ही रिश्तों में अविश्वास की कमी निरंतर बढती जाती है। इन्टरनेट की आदत बालक कों सामाजिक समूह से निरंतर दूर कर रही है। इंटरनेट सीखने की प्रवृत्ति को कम करने के प्रभाव को दर्शाती है नेट से बालक को रेडिमेड जानकारी प्राप्त होजाती है जिससे उसमें सीखने की प्रवृत्ति में निरन्तर गिरावट हो रही है। जिससे बालक की सोच का दायरा सीमित होता जा रहा है सामाजिक और वास्तविकता के दायरे को बालक कम कर रहा है और उसमें उदासीनता, वचिडचिडापन, क्रोध आदि भाव विकसित हो रहे हैं बालक के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में निरंतर कमी आ रही है। इंटरनेट के अधिक उपयोग से बालक माता-पिता शिक्षक से दूर होता जा रहा है। उसकी शिक्षा के प्रति एकाग्रता कम हो रही है जिससे बालक की सफलता प्रभावित हो रही है।

बालक इंटरनेट से प्राप्त सभी दृश्यों को वर्चुअल वातावरण में पाने का प्रयास करता है। इसका एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह भी है की बालक मोबाइल या इंटरनेट में होने वाली गेम को प्रतिस्पर्धा का स्तर मानता है इसमें असफल होने पर अपने मित्रों के बीच आत्मसम्मान खोने के डर से अनेक भयानक कदम उठा लेता है। यह कदम कभी - कभी उसको आत्महत्या तक ले जाते है। बच्चों में बड़ों की तुलना में कल्पना शक्ति का अधिक समावेश होता हैं और हम जानते हैं कि बड़ों की तुलना में बालक अधिक संवेदनशील होते हैं और काल्पनिक तथा वास्तविक जीवन के बीच अंतर समझने में सक्षम नही होता हैं। इंटरनेट की लत होने पर केवल मानसिक तौर पर बालक का विकास ही प्रभावित नहीं होता अपितु शारीरिक तौर पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे बालक की गर्दन में दर्द की समस्या, रीढ की संरचना में विकृति, आखों की रोशनी कम होना, बैचौनी आदि। बालक जब इंटरनेट का अधिक उपयोग करते है तबवह इंटरनेट पर अधिक समय सक्रिय रहना शुरू करता हैं और अगर इंटरनेट पर रहने में बाधा उत्पन्न होने लगेवह आक्रमक हो जाता हैं। बालक के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है वह Online बात करने में सहज महसूस करते हैं जबकि वह परिवार के किसी सदस्य से प्रत्यक्ष रूप से बात करने में असहज महसूस करता है। बालक इन बातों से अनभिज्ञ रहता है कि इन्टरनेट से मिला भरोसा, खुशी एक आभासी पृष्ठ पर हीं होती है। इंटरनेट आसक्ति से ग्रस्त बालक के जीवन जीने के तरीकों में बदलाव आ जाता है। वह आसान काम करने में प्रसन्नता महसूस करता है और बाहरी काम करने से वह जी चुराता है। इंटरनेट में व्यस्त होने के कारण वह आलसी प्रवृति का होता जाता है। वह माता-पिता व रिश्तेदारों से कैसे बात करना है, यह सब भूल जाता है विद्यालय में उसका प्रदर्शन भी निराशाजनक होता है।

दुनिया भर में, इंटरनेट की लत की व्यापकता का अनुमान 6% लगाया गया है। यह चिंताजनक है। अध्ययनों ने हमें मानसिक विकारों की व्यापकता का अंदाजा दिया है जो इंटरनेट की लत के साथ होते हैं। कुछ सबसे आम हैं:

अटेंशन-डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) 14%

हाइपोमेनिया : 7%

सामान्यीकृत चिंता विकार : 15%

सामाजिक चिंता विकार : 15%

जुनूनी-बाध्यकारी विकार : 7%

सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार : 14%

द्वि घातुमान खाने का विकार : 2%

इंटरनेट वीडियो गेम की लत वाले लोगों में विशेष रूप से अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य विकार होने की संभावना होती है, जैसे कि

अवसादग्रस्तता विकार : 57%

असामाजिक लक्षण या असामाजिक व्यक्तित्व विकार : 40%

अन्य व्यसन : 27%

एडीएचडी : 13%

सामाजिक भय (एगोराफोबिया) : 10%

ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का केवल नकारात्मक प्रभाव ही होता है बल्कि इसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं जैसे- बालक की बुद्धि में वृद्धि होती है, मानसिक कौशल का विकास होता है वह अपने आप समस्याओं का समाधान खोजने लग जाता है आपात स्थिति में वह माता-पिता के नियंत्रण में रहता है जैसे इमरजेंसी के समय बालक माता-पिता को फोन के जरिए या अन्य सूचना द्वारा संपर्क स्थापित कर सकता है। इन्टरनेट से बच्चों की जिज्ञासा शांत की जा सकती है। विदेशी भाषा, सांत्वना, गंभीर सोच का विकास, शैक्षणिक खेलों का अभ्यास, कई कौशलो को विकसित करना बच्चों के जीवन को अधिक सक्रिय बनाता है। मनोरंजन, संगीत, दुरस्थ स्थानों पर बैठे सम्बन्धियों से बात इंटरनेट से ही संभव हो सकती है। अत: इन्टरनेट के सकारात्मक व नकारात्मक दोनो प्रभावों को जानने के बाद यदि बालक इसका आदि हो जाये या लत में पड जाये तो इसे अन्य बीमारियों या मानसिक विकारों की तरह ही लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट की लत से ग्रसित हो गया है, तो इसके लिए समय रहते साधन या उपाय अपनाए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार-

किशोरावस्था वाले बच्चों के साथ माता पिता मित्रवत् व्यवहार करें। इस अवस्था या उम्र में बालक में कई शारीरिक बदलाव होते है जिसे बालक किसी को नही बताता, स्वयं परेशान रहता है। जब माता - पिता उसको समझ नही पाते है तो वह अपनी जिज्ञासा शांत करने का सहारा इन्टरनेट को बनाता है। बालक के शारीरिक परिवर्तनों को विज्ञान से जोड कर आप बालक को समझा सकते है, कम्प्यूटर खुले स्थान पर रखे जहा आप उनके द्वारा सर्च की जाने वाली साइट्स को देख सके बच्चों के साथ ज्ञानवर्धक साइट्स को सर्च करें। माता-पिता को चाहिए कि वे इंटरनेट का उपयोग करते समय में बच्चों का ध्यान रखें। माता-पिता विश्वसनीय ऑनलाइन गेम का चयन करें। विशेष अवधि तक ही बच्चों को इंटरनेट के संपर्क में रहने दे। वीडियो सामग्री पर ध्यान दें, जिसका बालक उपयोग कर रहा है और आभासी दुनिया में किसी अजनबी से बात करने को मना करें। नियमित व्यायाम अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करता है। व्यायाम मूड-बूस्टिंग लाभ प्रदान करता है व्यायाम के प्रकार के आधार पर, उसी समय फोन का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है जो उस निर्धारित अवधि के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता को भी समाप्त कर देता। अपना स्मार्टफोन घर पर छोड़ दें। स्मार्टफोन से लोग किसी भी समय कहीं भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो यह मानते हैं कि वे इंटरनेट का उपयोग के लिए अपने फोन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, बाहर जाते समय जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़ना फायदेमंद हो सकता है। इंटरनेट से शेड्यूलिंग ब्रेक या इंटरनेट उपयोग के लिए सीमित समय सीमा निर्धारित करने से समग्र उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है। इस पद्धति के लिए आत्म-अनुशासन और इंटरनेट के उपयोग को कम करने की तीव्र इच्छा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति को एक विशिष्ट समय पर सचेत रूप से अपने इंटरनेट उपयोग को रोकना होगा। 13 साल की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मना कर दें। हमेशा बच्चे से बातचीत करते रहे उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। प्रतिबंध लगाने की बजाय इंटरनेट के उपयोग का समय निर्धारित करें माता-पिता अपने बालको से मित्रवत व्यवहार करें। बच्चों की समय-समय पर सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करते रहे। उन्हें मोबाइल के अलावा मित्रों के साथ समय व्यतीत करने व खेलने को बाहर भेजें। नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव की तुलना में अधिक हैं। इन समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका अच्छा प्रबंधन है। सौभाग्य से, सही देखभाल और मदद से रिकवरी संभव है। पदार्थों के उपयोग की लत वाले लोगों की तरह, इंटरनेट की लत वाले लोग सहकर्मी सहायता समूहों में सहायता पा सकते हैं जो सामाजिक अलगाव और शर्म को कम करते हुए सहायता प्रदान करते हैं। इंटरनेट एडिक्शन सपोर्ट ग्रुप में ऑनलाइन गेमर्स एनोनिमस, कंप्यूटर गेमिंग एडिक्ट्स एनोनिमस, रीस्टार्ट और उपचार केंद्रों द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय समूह शामिल हैं।

हालांकि, इन अध्ययनों से पता चलता है कि एंटीडिप्रेसेंट दवाएं इंटरनेट की लत के इलाज में भूमिका निभा सकती हैं। परिणाम यह भी दिखाते हैं कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, विशेष रूप से संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) और एक विशिष्ट प्रकार की सीबीटी जिसे बहु-परिवार समूह चिकित्सा (एमएफजीटी) के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते है। इंटरनेट की लत से मुक्ति संभव है, व्यावसायिक उपचार मदद कर सकता है। यदि आप या आपका कोई प्रियजन इंटरनेट की लत और पदार्थ विकार के साथ रहता है तो रिकवरी विलेज तक पहुंचने पर विचार करें।अभिभावकों को इस मुद्दे को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों को समझना आवष्यक महत्वपूर्ण है।

इंटरनेट हम सभी को वह सब देता है जो हमने मांगा है। बुरा या अच्छा हम पर निर्भर करता है। बेहतर यही है कि हम बुद्धिमतापूर्ण तरीके से इसे आशीर्वाद या अभिशाप की तरह बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची.

1. एल ऑलपोर्ट, जी, (1961) व्यक्तित्व में पैटर्न और विकास। न्यूयार्क हाल्ट राइनहर्ट और विस्टन कार्डक. एम. (2013) जर्नल टेक्नॉलोजी वॉल्यूम 12
2. ब्लाक जे. जे (2008) डी एसएमवी के लिए मुद्दे: इटरनेट की लत अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 165:306&307 doi:1176/appi-ajp 2007-071015561PMID 18316427
3. Ka Krauslopf-cj & saunders- D-R- (1994) पर्सनैलिटी एण्ड एविलिटीरू द पर्सनैलिटीआकलन प्रणाली। यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरीका लैन्हम मैरीलैण्ड ।
4. क्राट, आर., पैटरसन, एम. लुण्डमार्क ट किसलर, एस मुकोपाध्याय टी, और शर्लिस, डब्ल्यू (1998) इन्टरनेट विरोधाभास एक सामाजिक तकनीक जो सामाजिक भागीदारी को कम करती है और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अमेरिकन साइकोलोजिस्ट 53,1017-1031.
5. मोराहन मार्टिन, जे. (1997), पैथोलोजिकल इन्टरनेट की घटनाए और सहसम्बन्ध अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 105वीं वार्षिक बैठक में प्रस्तुत पेपर, अगस्त 18 1997. शिकागो, आई.एन.
6. मलिक ए. एन (2015) भारत में छात्रों के बीच इन्टरनेट की लत के पूर्ववृत्त
7. रायफ, कैरल डी. (1 जनवरी 1989)। खुशी ही सब कुछ है या फिर कुछ और ? मनोवैज्ञानिक कल्याण के अर्थ पर अन्वेषण। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एण्ड सोशल साइकोलॉजी 57(6)रू 1069-1081

8. राबर्ट नोजिक (1981), फिलॉसॉफिकल एक्सप्लेशंस, हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस आई एस बी एन 0-674-66479-5
9. शेपर्ड, एल. ए. (1978) स्व स्वीकृति: आत्म अवधारणा का मूल्यांकन घटक अमेरिकन शैक्षिक अनुसंधान जनर्स, 16 (2). 189-16
10. अदिति पे (2015) स्मार्टफोन की बढ़ती खौफनाक सनक
11. यंग. के. एस. (1998). इन्टरनेट एडिक्सन इमरजेन्स ऑफ ए न्यू क्लिनिकल डिसआर्डर साइबर साइकोलाजी एण्ड बिहेवियर, 1 (3). 237-244
12. केनन F एटोग्नु A निकोल्स ला एट अल इवोल्यूशन ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोपर्टीज ऑफ इन्टरनेट एडिक्सन स्केल इन ए सेम्पल ऑफ तुर्किश हाई स्कूल स्टूडेन्ट, साइबर साइकोलोजी विषेहियर एण्ड सोशल नेटवर्किंग 2010 13317-320

Internet Sites

1. doi% 10-1037@0022&3514-57-6 & 1069
2. https//en-wikipedia&04g@wiki@ meaning of life
3. https// traininggmag-com@content@
4. https//en-wikipedia-org@wiki
5. https//Iten- Wikipedia-orgy wiki½ Neurolicism

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक दक्षता

Teacher Competencies in National Education Policy 2020

डॉ० गायत्री बैरवा

प्रवक्ता, आकाशदीप शिक्षक प्रशिक्षण, महिला महाविद्यालय, अग्रवाल, फार्म मानसरोवर, जयपुर

सारांश

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते है, अत: हमारे राष्ट्र का भी निर्माण करते है। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान शिक्षक ही बनते थे। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रुप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी जरुरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आस-पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी।

शिक्षकों को ज्यादातर समय गैर-षिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे सम्बन्धित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रुप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेगें।

शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेषे से सम्बन्धित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत् अवसर दिये जायेगें। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यषालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रुप में कई तरीकों में पेष किया जाएगा।

उत्कृष्ट प्रदर्षन कर रहे षिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलें। अत: एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति, और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी।

स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवष्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है।

जो उच्च शिक्षा स्तर पर तैयारी कर रहे है उन्हें निम्न दक्षताओं का प्रशिक्षण देकर सुधार किया जा सकता है -

1. व्यवहार के सम्बन्ध में संवाद करके।
2. अकादमिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. छात्रों के कार्यकलापों का निरीक्षण करके सुधार किया जा सकता है।
4. सीखने के परिणाम के बारे में संवाद करके।
5. विशेष आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करके।

प्रस्तावना:-

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के सन्दर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दषक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापुर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

ज्ञान के परिदृष्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरुरत और मांग बढेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुषल कामगारों की जरुरत होगी। महामारी और महामारी के बढते उद्भव संक्रामक रोग प्रबन्धन और टीकों के

विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढाते है। मानविकी और कला की मांग बढेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरुरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु को बढाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरुरत है कि बच्चे समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रुप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबधों को देख पायें, कुछ नया सोच और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें। जरुरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रुप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और, अवश्य ही, रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का सन्तुलित विकास करें इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवष्य ही समावेष किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, षिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, उनके बीच की खाई को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से षिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्किटी और सिस्टम में अंखडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए।

2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नही है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले शिक्षाथियों को समान रुप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

शिक्षक

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते है, अत: हमारे राष्ट्र का भी निर्माण करते है। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों के निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदन करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरुरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्ते और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरुप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनजीर्वित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सकें। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

भर्ती और पदस्थापन

उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से - शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्षीय बी.एड. डिग्री सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी जिससे कि ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रुप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रुप में सेवा कर सकें जो स्थानीय भाषा बोलते हों। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रुप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी जरुरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आस-पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी।

सेवाकाल के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण

स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सके; जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।

शिक्षकों को ज्यादातर समय गैर-शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे सम्बन्धित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रुप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेगें।

सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी)

शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से सम्बन्धित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत् अवसर दिये जायेगें। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रुप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म (विषेष रुप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) विकसित किये जायेगें ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझ कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। सीपीडी के अवसरों में विशेष रुप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और

सम्बन्धित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत, और कहानी-आधारित दृष्टिकोण, आदि को क्रमबद्ध रुप से सम्मिलित किया जाएगा।

करियर मैनेजमेंट और प्रगति (सी.एम.पी.)

उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलें। अत: एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति, और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जो सहकर्मियों द्वारा की गयी समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सीपीडी के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गयी अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए एनपीएसटी पर आधारित है। इस नीति में, कॅरियर के सन्दर्भ में 'कार्यकाल' से आशय प्रदर्षन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है जबकि 'कार्यकाल ट्रैक' से आशय स्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है।

योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी; उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होनें लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीइ, डीआईईटी के साथ-साथ सम्बन्धित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकेगें।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा एनसीईआरटी, सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्ष से सामान्य मानक परिषद् (जीईसी) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी) के रुप में पुनर्गठित अपने नए स्वरुप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एम सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। मानकों में विशेषज्ञता/रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किये गये प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होगें, जो कि समय-समय पर किये जायेगें। एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कॅरियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, और अन्य पहचान शामिल होगें। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संषोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षो में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा।

विशिष्ट शिक्षक

स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय-शिक्षण ज्ञान और विषय सम्बन्धित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व-सेवाकालीन मोड में, पूर्णकालिक या अंषकालिक/मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेगें। योग्य विशेष शिक्षकों, जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर-गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक-शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढेगें और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्रदान करेगें।

निष्कर्ष

जो उच्च शिक्षा स्तर पर तैयारी कर रहे है उन्हें निम्न दक्षताओं का प्रशिक्षण देकर सुधार किया जा सकता है -

1. व्यवहार के सम्बन्ध में संवाद करके।
2. अकादमिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. छात्रों के कार्यकलापों का निरीक्षण करके सुधार किया जा सकता है।
4. सीखने के परिणाम के बारे में संवाद करके।
5. विशेष आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करके।
6. स्वयं निर्देषन सामग्री का विकास करके सुधार किया जा सकता है।

7. कार्यकलाप आधारित सोच का अभ्यास कराकर।
8. अनुकूल वातावरण तैयार करके सुधार किया जा सकता है।
9. शिक्षक का ज्ञान प्राथमिक स्रोत न होकर सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत समस्या के समाधान पूर्ण होनी चाहिए।
10. अध्यापक मनोवैज्ञानिक, उन्मुख और पेशेवर दृष्टिकोण युक्त होना चाहिए।
11. शिक्षण कार्य करने वाले को अधिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए।
12. शैक्षणिक कार्य कलापों में समुदायों का और अधिक सहयोग लेना चाहिए।
13. समूह समस्याओं के समाधान और सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए निर्देशन तकनीकी का विकास किया जाना चाहिए।
14. शिक्षक शिक्षा में व्यक्तिगत और आत्मगत निर्देशन होना चाहिए।
15. सूचनाओं का वितरण, संग्रहण एक बड़े उद्यम के रुप में होना चाहिए।
16. सीखने वाले को शैक्षणिक फैसले में जिम्मेदारी और जवाबदेही होना चाहिए।
17. छात्र और शिक्षक के बीच आमने-सामने की अंतरंगता होनी चाहिए।

हम सकते हैं कि उपरोक्त बातें यदि ध्यान में रखकर दक्षता आधारित शिक्षा दी जाये तो इस पेशे के लिए योग्य व्यक्ति को अपनाने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। पेशागत तयारी में वे सभी उपकरण होने चाहिए जो ज्ञान और कुशलताओं को बढाने के लिए आवश्यकत होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. शर्मा, आर. ए. अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकी (2002). सूर्या पब्लिकेशन, निकट राजकीय इन्टर कॉलेज, मेरठ-25000।
2. सक्सैना एन.आर., मिश्रा बी.के. अध्यापक शिक्षा (2007). विनय रखेजा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. शर्मा, आर.ए. शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व निर्देशन एवं प्रबन्ध (2007). विनय रखेजा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. बघेला एच.एस. शैक्षिक प्रबन्धन एवं विद्यालय संगठन (2007). राजस्थान शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
5. गुप्ता एल. डी. उच्च शैक्षिक प्रशासन (1990). हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
6. बघेला हेतसिंह विद्यालय प्रबन्धन (2004). राजस्थान प्रकाशक, जयपुर।
7. सक्सैना एवं ओबेराय, शिक्षण की तकनीकी (2001) सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।
8. भटनागर सुरेश, आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ (2005). विनय रखेजा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
9. सिंह मया शंकर, अध्यापक शिक्षा गुणात्मक विकास (2007). अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक दक्षता

डॉ० महेशा कुमार पारीक

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लाल कोठी, जयपुर

श्रीमती ऊषा शर्मा

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लाल कोठी, जयपुर

सारांश

शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए, हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। शिक्षक बालक के भविष्य के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र के निर्माण में अपना अमिट योगदान देते हैं। इस कारण शिक्षक पद स्वयं समाज में सर्वाधिक सम्मानित हैं। विद्यार्थियों में निश्चित ज्ञान, कौशल, व नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक को अपनी आवश्यकतानुरूप वांछनीय चीजें प्रदान करता है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें, और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति पूर्ववत् नहीं हैं जैसी अपेक्षित हैं। इसलिए अध्यापक गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों के आधार पर ग्रहण नहीं कर पाता है। शिक्षकों का उच्च स्थान व उनके प्रति आदर और सम्मान जैसे भाव का पुनर्जीवन अत्यन्त अपेक्षित है। जिससे इस क्षेत्र में अनुभवी लोगों को समाविश्ट कर प्रेरित किया जा सके। विद्यार्थियों में देश के लिए सर्वोत्तम संभव सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का मुख्योद्देश्य 2030 तक विद्यालयीय शिक्षा का 100 प्रतिशत जी ई आर (GER) के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित है।
- केन्द्र व राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से शिक्षा क क्षेत्र में नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्राप्त होगी।
- 3 से 18 वर्ष क बालक को शिक्षा का अधिकार आर टी ई कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है।
- यह नीति विगत 34 वर्षों के बाद आई है।

मुख्य शब्दावली- शिक्षा नीति, शिक्षक दक्षता, मूल्यांकन व्यवस्था

आलेख प्रस्तावना-

वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती व पदस्थापन - भारत एक कृषि प्रधान देश है साथ ही अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण परिवेश के हैं। इस कारण ऐसे विद्यार्थी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त कर सकें इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम में अध्ययन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वरीयता अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान सम्पूर्ण देश में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अध्यनरत विद्यार्थियों हेतु विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है। जिसके तहत चार वर्षीय बी.एड. उपाधि को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद स्थानीय स्तर पर आजिविका का नवीन स्रोत विकसित करने का प्रावधान है। यह छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए स्थानीय नौकरियों के उत्तम अवसर प्रदान करने में उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए अच्छी परीक्षण सामग्री को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों जैसे - बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल एवं माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापकों को शामिल करते हुए टी. ई. टी. को विस्तृत करने का प्रावधान निहित है। इसी प्रकार विविध विषयाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके सम्बन्धित विषय में प्राप्त टी ई टी या एन.टी.ए. परीक्षा के अंकों का भी समावेश किया जाएगा। शिक्षण के प्रति उमंग व उत्साह की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढाने का प्रदर्शन करना, विद्यालय या विद्यालय काम्पलेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। साक्षात्कार का मूलोद्देष्य स्थानीय भाषा में शिक्षण

में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा। इससे प्रत्येक विद्यालय में कम से कम कुछ अध्यापक स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित भाषा में छात्रों के साथ अन्त:क्रिया करने में सक्षम हो सके। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाओं में सेवारत शिक्षकों को भी टी ई टी कक्षा में अध्यापन का प्रदर्शन, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना अनिवार्य है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान में दक्षता प्रदान करने के लिए विविध विषयों जैसे पारम्परिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय दक्षता विद्यमान है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधि जो अध्ययन-अध्यापन से सम्बन्धित न हो, ऐसे समस्त कार्यों को करने की अनुमति इस शिक्षा नीति में नहीं है।
- शिक्षको को विद्यालयों के कार्यानुसार वातावरण और संस्कृतियों में आद्योपान्त परिवर्तन करने का प्राथमि लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढाना होगा, जिससे वे अपने शिक्षण को प्रभावी ढंग से कर सके और विद्यार्थियों को सन्तुष्ट कर सके।
- शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने की अधिक स्वायत्ता दी जाएगी, जिससे वे उन तकनीकियों का शिक्षण में प्रयोग कर सके जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों।
- शिक्षक सामाजिक-भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।
- अध्यापकों को अध्यापन के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी कक्षा में समस्त छात्रों के लिए सबसे प्रभावी तकनीक का प्रयोग कर क्रियान्वित कर सकें।
- सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित - यह छात्र के समग्र विकास का मुख्य पहलू है। शिक्षकों को शिखण दृष्टिकोण के लिए मान्यताओं दी जाएगी जो उनकी कक्षाओं में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाते हैं। इसके लिए सतत व्यावसायिक विकास सी पी डी का प्रावधान है।
- शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।
- शिक्षण में नवाचारों के प्रयोग एवं सीखने के लिए निरन्तर अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिससे शिक्षकों के अध्यापन कार्य में दक्षता विकसित हो।
- शिक्षकों में दक्षता लाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के आयोजन के साथ-साथ ऑनलाईन शिक्षक विकास मॉड्यूल का भी प्रावधान है।
- इसी क्रम में अध्यापकों से यह अपेक्षा भी है कि वि अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास एस पी डी के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे के सीपीडी के अवसर, विशेष रूप से व्यवस्थित साक्षरता और संख्यात्मकता, सीखने के परिणामों, योग्यता-आधारित सीखने, और संबंधित शिक्षण, जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत, और कहानी कहने के रूप में व्यवस्थित रूप से कक्षा में नवीनता को समाहित करे।
- सी एम पी (कैरिअर मैनेजमेन्ट प्रोग्रेस) कैरिअर प्रबंधन और प्रगति
- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त और पदोन्नत किया जाएगा, साथ ही वेतन वृद्धि भी करने का प्रावधान है। जो अध्याकों को दक्ष बनाने में मुख्य भूमिका निर्वहन करेगा।
- योग्यता के आधार पर शिक्षकों की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता भी सर्वोपरि है- प्रदर्षनकारी नेतृत्व और प्रबंधन कौशल के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों को विद्यालयों, विद्यालय परिसर, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीईटी, डायट के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभागों में अकादमिक नेतृत्व के पदों पर लेने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण का प्रावधान भी है।
- कार्यरत शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान इस शिक्षा नीति में है। जैसे-जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी बहुआयामी बनने की ओर अग्रसर होंगे वे बी.एड, एमएड, व पीएच.डी कराने वाले उत्कृष्ट शिक्षक
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा सभी स्तर एवं क्षेत्रों के शिक्षकों की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद (जीईसी) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी) के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। यह सेवापूर्व शिक्षक कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। ओर इसके बाद राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- https://www.education.gov.in
- https://hindi.nvshq.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन और चुनौतियाँ

डॉ० विनोद भाम्बू

सहायक आचार्या, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

श्री अजीत सिंह

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सारांश

शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला है क्योंकि यह देश और उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले एक पैनल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। छात्रों में तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ-साथ जरूरी कौशलों एवं ज्ञान का विकास करके देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां है। शिक्षा नीति में बदलाव के कारण संभावित चुनौतियों से संबंधित सभी विवरणों का विश्लेषण करने का इस आलेख में प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दावली - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कार्यान्वयन, चुनौतियाँ

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है और इस नीति के विविध प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना तथा सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों में समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को छात्रों में मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि, मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते है और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है। गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रूचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है और इसमें मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज है, जिसमें प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मी समीक्षा कार्य और प्रभावी ढ़ग से अध्ययन का समर्थन करेगी। एनईपी 2020 के प्रमुख सिद्धान्त -

- लचीलापन, ताकि शिक्षार्थी अपने सीखने के मार्ग का चयन स्वयं कर सकें।
- पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा को समान रूप से बढ़ावा देना ताकि शिक्षार्थी अपनी रूचि के अनुसार कुछ भी चुन सकें;

- बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में; रटने की बजाय अवधारणात्मक शिक्षा पर जोर;
- सहयोग, टीमवर्क, सहानुभूति, लचीलापन, जैसे जीवन कौशल विकसित करना,
- सीखने के लिए मौजूदा योगात्मक मूल्यांकन के बजाय नियमित रचनात्मक मूल्यांकन।

एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएँ -

- यह प्रशिक्षित शिक्षकों की देख रेख में स्वैच्छिक और आनंदमय गतिविधि के रूप में छात्रों के लिए सहकर्मी-शिक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- औपचारिक कक्षा में सीखना किताबों और निर्देश तक ही सीमित है। इस नीति का उद्देश्य इस सीखने की गतिविधि को कक्षा की चारदीवारी से बाहर ले जाना और छात्रों को वास्तविक दुनिया से आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- एनईपी किताबी शिक्षा की निरर्थक संस्कृति को त्याग कर वास्तविक, समग्र शिक्षा पर बल देती है, जो छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लैस करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिग, डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग और होलिस्टिक हेल्थ जैसे विषयों को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास किया जाएगा, जिन्हें भविष्य के करियर विकल्पों के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान शिक्षक-केन्द्रित मॉडल के विपरीत, जिसमें शिक्षक विषय, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन तय करते हैं, एक छात्र केन्द्रित मॉडल विकसित किया जाएगा जो छात्रों को उन विषयों को तय करने का अधिकार देगा जो वे पढ़ना चाहते हैं।
- कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- एनईपी के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय तथा वर्ष 2030 तक सकल नामांकन को 100: लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। मुख्य शब्दावली।

शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसे लेकर भी कई तरह के सवाल और अनिश्चितताएं हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे प्रदेश में देश के अलग-अलग राज्यों में आए लोग रहते हैं। ऐसे में एक ही स्कूल में अलग-अलग मातृभाषा को जानने वाले बच्चे होंगे, लिहाजा सवाल है कि उन बच्चों का माध्यम क्या होगा? एक बड़ा सवाल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर भी है, क्या ऐसे स्कूल स्थानीय भाषा वाले कांसेप्ट को अपनाने को तैयार होंगे। प्राइमरी में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने वाले बच्चों का माध्यम न बदले इसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी? यह कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर अभी काफी उहापोह का माहौल है। इस नीति द्वारा सरकार के सामने एक चुनौति उन भाषाओं के लिए नई शिक्षण सामग्री विकसित करना जिनका मानकीकरण नहीं किया गया है, यह एक कठिन कार्य होगा जिसके लिए भारी प्रारम्भिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि इस अतिरिक्त लागत को कौन वहन करेगा, यह सरकार होगी या स्कूल या अभिभावकों पर एक अप्रत्यक्ष बोझ पड़ेगा या यह उन सभी द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

वित्त पोषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेगी। हालांकि 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में तस्वीर बेहद अलग है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.1% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। यदि हम और गहराई से देखे तो जान पायेंगे कि 2014-15 से 2019-20 तक सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर खर्च 2.8% से बढ़कर 3.1% ही हुआ है और यह कुल सरकारी बजट का लगभग 10.5% पर स्थिर रहा है। केन्द्र सरकार 2014-15 में शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 4.14: से घटाकर 2020-21 में 3.2% कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की गति वैसे ही धीमी है। जब अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए एवं सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 6: शिक्षा पर खर्च का वित्तपोषण कैसे करेगी, क्योंकि भारत के वर्तमान शिक्षा बजट में इस तरह की वृद्धि के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है।

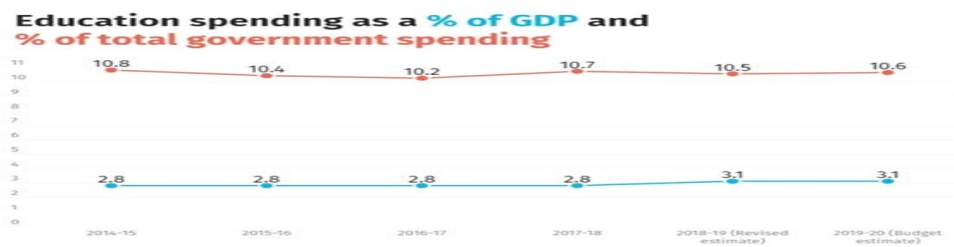

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को स्थानीय शिल्प, बढ़ईगीरी, खाना पकाना, बागवानी जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में उचित संसाधनों की कमी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यत: तीन चीजों की आवश्यकता होगी-बुनियादी ढांचा प्रशिक्षिक स्टाफ और उस पाठ्यक्रम पर होने वाला व्यय। यहाँ सवाल यह उठता है कि इस अतिरिक्त लागत को कौन वहन करेगा क्योंकि इसके लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। इसका एक समाधान यह हो सकता है कि स्कूल उन स्थानीय शिल्पकारों से जिनके पास बुनियादी ढ़ाचा और सेट अप है उनसे साझेदारी कर सकते है। दूसरा समाधान यह हो सकता है कि स्कूल अस्थानीय शिल्पकारों को अपने परिसर में बुला सकते है और बच्चों को उनके प्रदर्शन को देखने के लिए कह सकते है; इससे समय तथा धन दोनों की बचत होगी।

आधारभूत सुविधाएँ -

हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से विद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए बेसिक साधन उपलब्ध नहीं है। आजादी के इतने वर्षो बाद भी भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ बच्चे अभी भी बेसिक शिक्षा ही नहीं ले पा रहे है इसकी वजह ये है कि स्कूल उनके घर से बहुत दूर है और उनके पास साधन नहीं है या फिर वहां पर स्कूल ही नहीं है। जो स्कूल है उनमें भी बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि की कमी है, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार एकल शिक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहेहै, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक अन्य चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को 200 विश्व रेंकिग में जगह मिलती है।

अन्तर अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा-

2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना (26.3%. 50%) करना तथा अन्तर अनुशासनात्मक अधिगम पर ध्यान देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के घोषित लक्ष्यों में से एक है इसका अर्थ होगा कि हमें अगले 15 वर्षो के लिए हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खोलना होगा तथा उनमें ऐसे शिक्षकों को नियुकत करना होगा जो स्व विषय विशेषज्ञ होने के साथ-साथ अन्य विषयों के प्रति भी सम्मान तथा रूचि का भाव रखते हो।

अध्यापक प्रशिक्षण भी एक प्रमुख चुनौती है जैसे गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए कुशल शिक्षकों के प्रशिक्षण की वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होगी? इसका मजबूत ढ़ांचा क्या होगा? मूल्यांकन प्राधिकरण कौन होगा? इन सभी प्रश्नों के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मौन है।

निष्कर्ष -

कुल मिलाकर कहे तो एनईपी हर लिहाज से एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ-साथ शैक्षणिक मुद्दों और ढ़ांचागत विषमताओं के निपटारे पर जोर दिया गया है। इसे 21वीं सदी में भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने तथा छात्रों की भावी मांग के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके साथ ही एनईपी के समक्ष शिक्षा क्षेत्र की अनेक समस्याओं से निपटने की कठिन चुनौती भी है। निश्चित रूप से भारत अपनी युवा आबादी को दक्ष बनाकर उनकी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना चाहता है तथा तेज गति से बढ़ती ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले अवसरों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में एनईपी पर प्रभावी रूप से अमल करना जरूरी हो जाता है किन्तु इसे अभी लम्बा रास्ता तय करना हैं। राज्य, जिला और निजी क्षेत्र समेत विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग कायम करना होगा। देश के विशाल आकार और क्रियान्वयन से जुड़ी जटिलताओं के चलते निश्चित रूप से ये एक कठिन काम है। इसके साथ ही राज्य सत्ता की कमजोर क्षमता और वित्तीय संसाधनों से जुड़ी समस्याओं से भी पार पाना होगा।

संदर्भ:

- एनईपी 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- www.drishtiias.com दृष्टि, The अपेपवद (राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ, 31 श्रनसल 2020)
- राष्ट्रीय षिक्षा निति, अविनाष कुमार सिंह।
- Desk, I. T. W. (2020, August 14). A reality check on NEP 2020: 6 major challenges in implementation. India Today.
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Policy_on_Education
- https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/a-reality-check-on-nep-2020-major-challenges-in-implementation- 1711197-2020-08-14

NEP 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० मौसम पारीक

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सारांश

शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरन्तर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला-कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण सम्बन्धी व्यवहार में समाज में उन्नत बनाना है, जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरन्तर विकास करें। शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण निरन्तर विकसित व परिवर्तित होती रही है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा न नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे का निर्माण करेगी जिससे भारत अपनी विश्वगुरू की छवि को सुदृढ़ बना पायेगा। NEP 2020 समानता, गुणवत्ता और सर्वसाधारण तक पहुँच की दृढ़ नींव पर आधारित है। एनईपी 2020 में प्रावधान है कक्षा 6 के बाद से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी रिपोर्ट कार्ड के स्थान पर प्रगति कार्ड, 5 + 3 + 3 +4 संरचना, आसान प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ बहु-विषयक शिक्षा और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देगी जिससे हम न केवल भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बना सकेंगे साथ ही वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने'' का लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे।

प्रस्तावना -

मनुष्य एक जीव के रूप में धरती पर आता है और लम्बे संघर्ष के बाद एक सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित होता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान उसे अनेक खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं निजी अनुभूतियों के रचनात्मक प्रयोग से वह स्वयं को स्थापित करता है, यदि इसमें कही गलती हो जाए तो फिर जीवन घोर अंधकार में भटकता रह जाता है। स्पष्ट है, इतिहास में भी वही नाम सुनहरे अक्षरों में लिखें जाते हैं जो अपने पुरूषार्थ से समय की शिला पर अपनी सफलताओं की कहानियाँ लिखते है। व्यक्ति के पुरूषार्थ को विकसित करने का कार्य शिक्षा द्वारा किया जाता है। शिक्षा का अर्थ सीखने और सीखाने की प्रक्रिया से है। आदिकाल से ही शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है।

शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरन्तर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला-कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण सम्बन्धी व्यवहार में समाज में उन्नत बनाना है, जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरन्तर विकास करें। शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण निरन्तर विकसित व परिवर्तित होती रही है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक - सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने, कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने, व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसके सुझावों पर भारत सरकार द्वारा अमल में लाने के अनेकानेक प्रयास किये गये। 1983 में तत्कालीन सरकार द्वारा 1951 से 1983 तक की शिक्षा की प्रगति यात्रा पर एक लेख प्रकाशित किया गया - शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education : A Policy perspective) इस पर सम्पूर्ण देश में विचार विमर्श हुआ और इस विचार-विमर्श द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर 8 मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई। यह भारत की पहली शिक्षा नीति थी जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूर्ण योजना भी प्रस्तुत की गई तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु पर्याप्त संसाधन भी जुटाये गये। इस शिक्षा नीति से देश के शैक्षिक ढाँचे में आशातीत परिवर्तन हुए साथ ही देश की शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई। 1991 में भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण व उदारीकरण की नीति को अपनाया गया जिसके फलस्वरूप भारत में शिक्षा की प्रगति में इजाफा हुआ। भारत धीरे-धीरे विकास के पथ पर अग्रसर होने लगा। तदुपरान्त लगभग 3 दशकों तक हमारी नई शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2020 में नरेन्द्र मोदी सरकार ने 3 दशकों के बाद अपनी शैक्षिक नीति में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया, जो की साहसिक, ऐतिहासिक व दूरदर्शी है। शिक्षा नीति 2020 कई मामलों में विशेष है, यह भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाये गये सतत् विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित सभी के लिए समान व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गयी शिक्षा नीति प्रतीत होती है। जो की वर्तमान समय के साथ भविष्य को देखते हुए बनाई गई एक सम्पूर्ण सुदृढ़ नीति प्रतीत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' किया गया । नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6 प्रतिशत तक खर्च हो फिलहाल यह 4.43 प्रतिशत ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही भारत सरकार ने COVId -19 महामारी के दौरान 'आत्मनिर्भर

भारत अभियान' प्रारम्भ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा न नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे का निर्माण करेगी जिससे भारत अपनी विश्वगुरू की छवि को सुदृढ़ बना पायेगा। NEP 2020 समानता, गुणवत्ता और सर्वसाधारण तक पहुँच की दृढ़ नींव पर आधारित है। एनईपी 2020 में प्रावधान है कक्षा 6 के बाद से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी रिपोर्ट कार्ड के स्थान पर प्रगति कार्ड, 5 + 3 + 3 + 4 संरचना, आसान प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ बहु-विषयक शिक्षा और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शामिल है।

विश्व के कई देशों ने एनईपी 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा सुधार बताया है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में बजट का शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2021-22 के बजट में 54873.66 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया जो कि पिछले बजट से 2684.59 करोड़ रू. ज्यादा है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए 2021-22 में कुल बजट आवंटन 38350.65 करोड़ रू. है जो की पिछले बजट से 5450.65 करोड़ रू. अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। जिससे छात्र पैकेज कल्चर से पेटेंट कल्चर की और जाएंगे। कोविड काल में शिक्षा ई-पाठशाला, दीक्षा, स्वयंप्रभा आदी माध्यमों से प्रदान की गई। विद्यार्थियों को परामर्श सेवाएँ देने के लिए मनोदर्पण पोर्टल लान्च किया गया है। एनईपी 2020 द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों का ज्ञान भी प्रदान किया जायेगा, जो वर्तमान युग के लिए आवश्यक है, इन निर्णयों से हमारी स्कूली शिक्षा ज्ञानपरक से रोजगारपरक शिक्षा बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के सार्वभौमीकरण और व्यावसायिक अध्ययन के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक होगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान 5 स्तम्भों पर आधारित है।

- अर्थव्यवस्था
- अवसंरचना
- प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली
- वाइब्रेट डेमोग्राफी
- मांग

आत्मनिर्भर भारत के सभी स्तम्भों में महत्त्वपूर्ण घटक है - अवसंरचना, अवसंरचना के अन्तर्गत संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स/कलस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस संभव हो सकेगा कलस्टर बनने से संसाधनों का साझा उपयोग से अनेक लाभ होंगे। संसाधनों के कुशल उपयोग से शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी।

अवसंरचना सुदृढ़ बनने से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रौद्योगिकी पर भी बल दिया गया जिससे भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकता है वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हो वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हो। इस संबंध में शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्त्व पर भी ध्यान केन्द्रित करती है।

प्रौद्योगिकी के विकास हेतु निम्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है -

- ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
- ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण डिजिटल अंतर को कम करना
- वर्चुअल लैब्स
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन

उपरोक्त कार्यों हेतु एक विश्वस्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक ईकाई की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस इकाई में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस आदि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह कदम प्रौद्योगिकी विकास में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देगी जिससे हम न केवल भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बना सकेंगे साथ ही वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने'' का लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे।

संदर्भ -

- शर्मा, आर.ए. ''शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक मूल्य आधार'' आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर,
- पाण्डेय, रामशक्ल: ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'' आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर
- https://timesofindia/Indiatimes.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 संभावनाएं एवं चुनौतियां

National Education Policy- 2020 Challenges and Prospects

डॉ० भारती विजय

सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लाल कोठी, जयपुर

सारांश -

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह 21 वीं सदी की मांगों व जरूरतों के प्रति छात्रों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। इसमें मेडिकल व विधि की पढ़ाई को सम्मिलित नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 5+3+3+4 का प्रारूप अपनाया जाएगा।

इस नीति के माध्यम से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई है। जिनको शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरा किया जाना है। इन कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है।

प्रस्तावना

शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है, राष्ट्रीय सम्पन्नता व राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा नीतियाँ बनाई जाती रही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति सन् 1968 में, बनाई गई थी द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई, 1992 में इसे संशोधित किया गया। 21 वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में हुआ और यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह 21 वीं सदी की मांगों व जरूरतों के प्रति छात्रों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यः

नई शिक्षा नीति को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। जिससे कि समाज में बदलाव आ सकें। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाएगा। इस नीति के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत भारतीय होने की गर्व की भावना विकसित होगी। इसके अलावा बच्चे ज्ञान, कौशल आदि प्राप्त कर सकेंगे।इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी है जैसे

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना।
- साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना।
- शिक्षा को लचीला बनाना।
- एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना।
- बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना।
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना।
- तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर।

- मूल्यांकन पर जोर देना विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना।
- बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा:

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल: एक शोध के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है इस स्थिति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आरंभिक 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर खास ध्यान देने का प्रावधान रखा गया है। जिससे कि बच्चों का विकास संपूर्ण रूप से हो सके।
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्यामकता: इस घटक के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को विकसित करने के लिए निपुण योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टेटिंग एंड न्यूमरसी है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यामकता का ज्ञान छात्रों को तीसरी कक्षा के अंत तक प्रदान किया जा सकेगा। जिससे वह पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त करे सके।
- ड्रॉपआउट रेट कम करना तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरंभ करने का एक मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट रेट में कमी करना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा को लचीला बनाया जाएगा। जिससे कि बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सके उन विषयों का चयन कर सके जो वह पढ़ना चाहते है। नई निक्षा नीति के अंतर्गत को चुनाव के विकल्प को लचीला बनाया गया है। जिससे कि ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी।
- 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम: शिक्षा की रूपरेखा को 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम में विकसित किया जाएगा। इसके मुख्य चार चरण होंगे।

1. फाउंडेशन स्टेज

फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

2. प्रिप्रंट्री स्टेज

प्रिप्रंट्री स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

3. मिडिल स्टेज

मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

4. सेकेंडरी स्टेज

सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे। परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट से सकते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स का या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी ले सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिलेगा।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए दीक्षा प्लेटफार्म पर 50 घंटे का मॉड्यूल लांच किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत 4 से 5 घंटे के 18 मॉड्यूल होंगे। इस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सकेगी। इस मॉड्यूल में प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया है।

- सरकार द्वारा दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से ई लर्निंग का काफी विस्तार किया जाएगा। जिससे कि छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक इनीशिएटिव लांच किया गया है जिसका नाम मनुदर्पण है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से छात्रों को परामर्श तथा भावनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी मनुदर्पण इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन चौट, नेशनल लेवल डायरेक्टरी एंड डाटाबेस ऑफ काउंसिलर विकसित किया जाएगा।
- एनसीआरटी के द्वारा भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के माध्यम से स्कूल शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश बनाया जाएगा।
- छात्र की वित्तीय सहायता: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि बच्चे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो और उनकी प्रगति हो। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें।

- आईआईटी बहू विषयक संस्थान बनाए जाएंगे: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को मानविकी छात्रों के लिए दरवाजे खोलने होंगे। आईआईटी बहू विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा।
- विदेशी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय: इसके अंतर्गत सस्ती लागत पर अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाला एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में विदेशी छात्रों की मेजबानी करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना होगी।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना: नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जाएगी। जिसके माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से भारत में शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे नई नई रिसर्च सामने आएंगी जो देश की प्रगति में सहायक होगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड का महत्व: इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का महत्व घटाया गया है। जिससे कि बच्चों के अंतर्गत तनाव में कमी आएगी। अब बोर्ड की परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को भी कम किया जाएगा केवल इतना ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा जो अनिवार्य है। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी चौनल, ऑनलाइन बुक, एप आदि से भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा।
- विशेष प्रतिभा वाले एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों की प्रतिभाओं को पहचाना जाएगा एवं उन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनका विकास भी किया जाएगा। छात्रों को अपनी प्रतिभा एवं रुचि की पहचान करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचानने में सक्षम बन सकेंगे।
- सभी छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जिससे कि सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त की जा सके। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है। सरकार द्वारा भी 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्रदान किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस पॉलिसी के माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा छात्राओं की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जाएंगे।
- स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण: स्कूलों द्वारा स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली बनाई जाएगी जिसका लक्ष्य शैक्षिक परिमाण में सुधार करना होगा। इस प्रणाली द्वारा समय-समय पर शोध किया जाएगा। इस प्रणाली द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के तरीके पर भी अध्ययन किया जाएगा पोलिसी लागू होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: नेशनल एजुकेशन पालिसी देश के विकास के लिए एवं बेरोजगारी दर को घटाने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालयों कि शिक्षा में सुधार करने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बढ़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। जिससे कि देश के युवा सक्षम बन सके एवं उनका समग्र विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी उच्चतर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी जिसमें बहु विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

राज्यों का सहयोग: शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।

महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना: कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।

वित्तपोषण: वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।

मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा

नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ सूची

- Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review
- Draft National Education Policy 2019,
- Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.
- *Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education,* ***33.***

शिक्षक-शिक्षा में कशल और प्रभावी तकनीकी संसाधनों का उपयोग

सोनिका चौहान

सहायक आचार्या, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सार -

यह आलेख शिक्षक-षिक्षा में कुशल और प्रभावी तकनीकी संसाधनों के उपयोग, नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में है। इसमें शिक्षक शिक्षा में तकनीकी की आवश्यकता शिक्षा नीति में इसके औचित्य को प्रस्तुत करती है। साथ ही सक्षिप्त रूप से शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं, शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है।

प्राचीन काल से ही भारत अपने ज्ञान और विज्ञान से सम्पूर्ण विश्व को आलोकित करता रहा है क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रही है। भारत को विश्व गुरू के रूप में इसी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मान्यता प्राप्त रही है। समय के साथ यह प्रतिष्ठा विदेशी सोच और राजनीति के कुचक्र में फंस कर अपनी राह भटक गई है। भारत में शिक्षा जगत की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक शैक्षिक आयोगों एवं विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए है और उन्ही के आधार पर भारत की शिक्षा नीति बनती रही है किन्तु वांछित परिवर्तन और दिशा अभी तक भी प्राप्त नही हो पाए है। वर्तमान परिपेक्ष्य में मूलभूत भारतीय चिंतनधारा विश्वास करने वाले विद्वतजनों ने कठोर परिश्रम से नई राष्ट्रीय शिक्षा तैयार कर राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत की है जिससे हम पुनः शिखर को प्राप्त करने का आधार तैयार करने के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। लेकिन किसी भी देश की शिक्षा नीति की सफलता शिक्षकों की योग्यता, क्षमता और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।

समाज में शिक्षकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परम्पराएं पहुचाने का केन्द्र है। एक शिक्षक अपने जीवन काल में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। अतः शिक्षक हमारे भविष्य का संरक्षक है तो इसकी ओर ध्यान देना अपने भविष्य, अपनी सन्तति के भविष्य एवं समाज के भविष्य की ओर ध्यान देता है इसलिए आवश्यक है कि जब एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए तो शिक्षण के लिए प्रयुक्त शिक्षण विधियां उपयोगी एवं निपूर्ण हो। जिनके माध्यम से शिक्षक पढ़ने व समझने की कला में निपूर्ण हो जाए। जिससे उसका शिक्षण उपयोगी एवं प्रभावशाली बन सके। शिक्षकों की यह प्रभावशीलता शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर काफी सीमा तक निर्भर करती है। इसी परिपेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा को कारगर बनाने की आवश्यकता है जिससे आज की जटिल परिस्थितियों में शिक्षक अपनी भूमिका को कही अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से निभा सके।

शिक्षक शिक्षा अर्थात 'शिक्षक के लिए शिक्षा' शिक्षक शिक्षा इस ज्ञान, कौशल एवं योग्यता से सम्बन्धित है जो शिक्षक को शिक्षक के रूप मे सार्थकता प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के सशक्त एवं सफल संचालन हेतु शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है।

मानव विकास के प्रारम्भिक समय में शैक्षणिक प्रक्रिया के स्वरूप व शिक्षण कार्य मौखिक प्रस्तुतीकरण पर पूरी तरह से आधारित था। इस समय विद्यार्थी अच्छी तरह सुनने व सुने हुए ज्ञान को कठस्थ करने एवं पुनः चेतना में लाने व प्रस्तुत करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने संबधी उपायो की उपलब्ध तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में करते थे। हमारे ऋषि और मुनी अपने आश्रमों तथा गृहशालाओं में मौखिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपलब्ध तकनीकीयों का उपयोग करते थे विकास क्रम के इस चक्र मे जैसे-जैसे तकनीकी के क्षेत्र में नवीन आविष्कारी होते गए और जीवन में इनकी उपादेयता बढ़ती गई वैसे-वैसे ही इस विकसित नवीन तकनीकियों को शैक्षिक प्रक्रिया में वांछित प्रतिफल प्राप्ति हेतु व अधिगम प्रक्रिया सरल, सुबोध व ग्रहणशीलता बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता हैं। शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर व पक्ष में तकनीकियों का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है। सूचना क्रान्ति के इस युग ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इस सूचना क्रान्ति ने भविष्य मे अनेक चुनौतियों, अवसरों एवं प्रतिस्पर्धाओं का सृजन किया है। यह अच्छी तरह स्वीकार किया गया है कि तकनीकी में विद्यार्थियों शिक्षक, शिक्षाविद्ध के शिक्षण पर प्रभाव डालने की अपारे क्षमता होती है। वे हमारे देश में शैक्षिक व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों में से कुछ कम करने के नए और अधिक प्रभावी रास्ते उपलब्ध करवाती है।

वर्तमान परिदृष्य में तकनीकी युग का विकास तेजी से हो रहा है। मानव जीवन का शायद ही कोई पक्ष या क्षेत्र ऐसा हो जो तकनीकी के हस्तक्षेप से वंचित हो। संसार में हो रही नित्य नवीन वैज्ञानिक खोजो तथा आविष्कारों ने मानव जीवन में तकनीकी के मानदंड़ स्थापित कर दिये है। इसके अभाव की कल्पना मात्र से जीवन पंगुता सी लगने लगती है। यह शिक्षा का भी एक प्रगतिशील क्षेत्र है क्योंकि शिक्षा मानव में व्यवहारगत परिवर्तन के साथ उसकी सोच और समझ को विकसित करती है वही तकनीकी का प्रयोग शिक्षा को सरल, सुग्राही एवं रूचिपूर्ण बनाता है। आज शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की प्राचीन

अवधाराणाएं बदल चुकी है। शिक्षा और प्रशिक्षण में अनेक यन्त्रों का विकास किया जा चुका हैं। कोविड़-19 के समय में शैक्षिक तकनीकी के बल पर शिक्षक-शिक्षा, शैक्षिक प्रशिक्षण तथा शिक्षण का कार्य रूका नही था। इस समय बहुत सारे यन्त्रों का उपयोग करके शिक्षण कार्यो को भी सुचारू रखा गया था।

शिक्षक-प्रशिक्षक भी ज्ञान की एक शाखा है इस क्षेत्र में भी व्यापक प्रयोग हो रहा है जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है-

1. शिक्षकों को कक्षाकख में आई.सी.टी के प्रयोग का प्रशिक्षण पर बल देता है। इसमें विशेष रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी सम्बन्धी उपकरणों का चमन, उपकरणों का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता तथा अधिगम को आसान बनाने के लिए नए विधियों का प्रयोग, मूल्यांकन आदि पर विशेष बल दिया जाता है।
2. इसमें विड़ियों, टेप, सी.ड़ी आदि का प्रयोग कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है शिक्षक प्रशिक्षकों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है कि कैसे वे अपने शिक्षण कार्य में इसका प्रयोग किया जाए।
3. इसके द्वारा शैक्षिकों के व्यवसायिक विकास के लिए किया जाता है जिसके लिए ऑनलाइन साधन उपलब्ध करवाते है।

यही राष्ट्रीय शिक्षा में भी कही है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में शिक्षक-शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करने को एक ऐसी प्रक्रिया माना जो बहुविषयक दृष्टिकोण, ज्ञान, मूल्यों के निर्माण वाली हो। इसके लिए समृद्व शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुदुढीकरण और विस्तार दिया जाएगा तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मो के उपयोग से मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाये जायेगे।

किन्तु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में संस्थागत एवं सैद्धान्तिक ही रह गया है। अध्यापन अभ्यास जो प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भाग है वही वर्तमान में प्रशिक्षण की सबसे कमजोर कड़ी प्रतीत होती है। शिक्षक में सम्बन्धित तथ्यो, नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव में नही दी जाती है जिससे वे उन तथ्यों से अनभिज्ञ रह जाते है जो कि उनके पाठ्यक्रम में समाहित होते है। इससे प्रशिक्षणार्थियों को उचित प्रशिक्षण नही मिल पाता है तथा इसके साथ ही प्रशिक्षकों का आर्थिक एवं सामाजिक आधार भी इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

उपसंहार -

सम्पूर्ण लेख के अध्ययन से स्पष्ट रूप से कह सकते है कि शिक्षक का स्थान समाज में महत्वपूर्ण होता है और समाज की संरचना का मुख्य आधार शिक्षक प्रशिक्षण से प्रारम्भ होता है उसे एक आदर्श स्वरूप प्रदान करने में यह नीति सफल होगी। शिक्षा नीति में शिक्षक-शिक्षा में वर्णित मानदण्ड़ पूर्ण होते है तो न केवल शिक्षक-शिक्षाा में गुणवत्तापूर्ण होगी बल्कि इसका परिणाम एवं प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र और गतिविधियों पर भी दृष्टिगत होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कुमार दिनेश (2019) ''अध्यापक शिक्षा'' नई दिल्ली: यू.एस.आई पब्लिकेशन्स।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. https://www.drishtias.com
3. https://www.mhrd.gov.in-files-PDF
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (अप्रेल 2009) ''पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए शिक्षक-शिक्षा'' राष्ट्रीय फोकल समूह का आधार पत्र।
5. आई.सी.टी. की आलोचनात्मक समझ एवं उपयोग B.Ed II EPC-1 हल्द्वानी: उत्तराखण्ड़ गुरू विश्वविद्यालय।
6. सुन्दीम, कुमारी, मन्जू (अक्टूबर 2021) अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षाणार्थियों की सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन। International journal of education modern mangement Vol-3.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समता मूलक और समावेशी शिक्षा

डॉ० सुमन लता यादव

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर

सार

प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समता मुलक एवं समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों एवं योजनाओं को लागू किये जाने की स्थिति को दर्षाया गया है। सामान्यत: सभी क्षेत्रों में विशेषत: शिक्षा में समता के लिये जागरूकता देखभाल, अवधान तथा संवैधानिक और वैधानिक सहायता की आवश्यकता है। इस संबंध में षिक्षा की पहचान बच्चों के अधिकार समता एवं सामानता दोनों रूपों में अवसरों का समानीकरण पूरे देश में शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव की आन्तरिक शक्तियों का विकास एवं व्यवहार परिष्कृत होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उददे्श्य ज्ञान एवं कौषल में वृद्धि कर मानव को योग्य नागरिक बनाना प्रगतिशील, सृजनषील, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण एक नये भारत की कल्पना को साकार करना है। समवेषी षिक्षा प्रतिभाषाली, कमजोर तथा औसत प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी के लिये होगी।

भारत की नई षिक्षा प्रणाली का दृष्टिकोण यह सुनिष्चित्त करने के लिये तैयार किया गया है कि न्यायसंगत और समतामूलक समाज बनाने के अलावा प्रत्येक नागरिक के जीवन को उनकी जरूरतों और आवष्यकताओं के अनुरूप कार्य करे। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उनके विकास के लिये प्रयास, बुनियादी साक्षरता पर बल, लचीलापन, बहुविषायक शिक्षा, शोध पर विशेष ध्यान, रचनात्मकता को बढावा, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों पर बल, जीवन कौशल आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मूल सिद्धान्तों के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्येक बालक के सीखने और आगे बढने के अवसरों में उसकी पृष्ठ भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की परिस्थितियां बाधा न पहुंचाये। अत: स्कूली शिक्षा तक पहुंच, सहभागिता और सीखने परिणामों में अन्तराल को दूर करना आदि का शिक्षा के क्षेत्र विकास में मुख्य लक्ष्य रखा गया है।

विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक समानता के अंतरालों को कम करने के निरन्तर प्रयास किये गये हैं किन्तु आज भी सामाजिक असमानता विद्यमान है। विद्यालयों में विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछडे समाज के छात्रों को देख सकते हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं:-

- लिंग पहचान (महिला व ट्रांसजेन्डर)
- सामाजिक सांस्कृतिक पहचान (अनुसूचित जनजाति/जाति)
- भौगोलिक पहचान (गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीखने से संबंधित)
- सामाजिक आर्थिक स्थिति (जैसे प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, बाल तस्करी के शिकार, अनाथ बच्चे, शहरों में भीख मांगने वाले)

गरीबी सामाजिक रीति रिवाज प्राचीन प्रथाएं और भाषा आदि के कारणों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पडा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की स्कूल तक पहुंच, सहभागिता और सीखने के परिणामों में अंतरालों को पूरा करने का लक्ष्य प्रमुख है। स्कूली तथा उच्चतर शिक्षा में अल्प संख्यकों की सहभागिता अपेक्षाकृत कम है इस नीति में अल्प संख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढावा देने का प्रयास किया गया है विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा पद्धति में विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। सर्वे द्वारा आंकडों से ज्ञात होता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में शैक्षिक विकास को बढावा देने की आवश्यकता है इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृष्य को बदलने के लिये नीति एवं योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिये। अनेक ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां छात्रों को स्कूलों तेक पहुंचने के लिये अधिक दूरी तय करनी पडती है वहां निशुल्क छात्रावासों के निर्माण की बात कही गई है विशेष रूप से जिन बच्चों की पृष्ठ भूमि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये सक्षम बनाना है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रावधान पूरा करने की सिफारिश इस नीति के अन्तर्गत शामिल है। दिव्यांग बच्चों के लिये विद्यालय परिसरों के लिये वित्तीय सहायता की दृष्टि से प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिये

आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति का भी ध्यान रखा जायेगा। कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी जिससे दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकेगी। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों में सीखने की अक्षमताएं पाई जाती हैं। अत: ऐसे बालकों को कैसे पढाया जाये इसके लिये शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग छात्र छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति, अवसर एवं योजनाओं का लाभ किसी एकल एजेन्सी या वेबसाईट के द्वारा आवेदन कर प्राप्त कर सकें।

प्राय: देखने में आता है कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है इस नीति के तहत समाज में महिलाओं को विशिश्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, भावी एवं वर्तमान पीढियों के आचार विचार के योगदान को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। भारत सरकार द्वारा सभी लडकियों एवं ट्रांसजेन्डर छात्रों के गुणवतापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा देने के लिये जेन्डर समावेशी निधि का गठन किया जायेगा। इस नीति का प्रमुख उददे्श्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिये शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की असमानता को समाप्त करना है।

निष्कर्ष:-

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप में यह नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। समाज के वंचित वर्गों और आर्थिक रूप से असमर्थ समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच और वहनीयता इस नीति के केन्द्रीय बिन्दु है। नई शिक्षा नीति न्यायपूर्ण समता मूलक और जन कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में होने में सहायता करेगी। शिक्षार्थी आजीविका के प्रति आश्वस्त होकर देश की आर्थिक सांस्कृतिक प्रगति में अधिकतम योगदान दे सकेगें। उच्च स्तरीय बहुविषयक शिक्षा की स्थानीय उपलब्धता में प्राथमिक रूप से लाभान्वित, वंचित वर्गों के विद्यार्थी होगें।

संदर्भ:-

- कोलमैन, जे. एस. (1966). इक्विलिटि ऑफ एजुकेशन अर्पच्युनिटी, वाशिंगटन, डी. सी: यू. एस. गर्वमेण्ट प्रिंटिंग ऑफिस
- चांगला, एम. सी. (1966). एजुकेशन एण्ड नेशन बॉम्बे एलाईड पब्लिशर
- सिंह अवनीश कुमार (2021). नये भारत की नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
- नायक, जे. पी. (1972). इक्विलिटी क्वालिटी एण्ड क्वांटिटी: द इलुसिव ट्रिंगल इन इन्डियन एजुकेशन, नई दिल्ली: एलाईड पब्लिशर्स

संदर्भित वेबसाईट्स:-

- http://www.education.gov.in
- http://bachapanexpress.com>edu
- http://nep2020.hinsoli.com>2020
- http://goveduuk.blogpost.com>20
- http://www.shikshanti,com>equit

शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं

डॉ० गोमती साँखला

सहायक आचार्य, संजय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर, राज0

सारांशः-

जैसा कि हम सब जानते है कि 1968 और 1992 में जारी की गई शिक्षा नीति के बाद यह तीसरी शिक्षा नीति है जो 2020 में लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29.07.2020 में की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। आज यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम बी.एड. व एम.एड. के पाठ्यक्रम के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक प्राप्त करे तथा यहाँ हमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि औसत शिक्षकों के कारण देश पहले से ही पीड़ित है। सभी संभावित कोणों से हमें शिक्षण तंत्र में प्रतिभाशाली, अत्यधिक प्रेरित, पूरी तरह उत्साही युवा पुरूषों और महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें कला, विज्ञान विषयों, पाठ्यचर्या सह पाठ्यक्रम और अतिरिक्त सेवा के संयोजन साथ-साथ पूर्व सेवा और सेवाकालीन दोनों स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा के साथ सर्वश्रेष्ठ नीतियों एवं प्रथाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षक उम्मीदवारों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कौशल विकसित करने के लिए 4 विभिन्न स्तरों/चरणों (आधारभूत, प्रारम्भिक, मध्य और माध्यमिक) के लिए पाठ्यचर्या सम्बधित गतिविधियाँ तथा नवाचार व विचारों के आदान प्रदान के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों की विषयवार समूह बनाकर नेटवर्किंग की जानी चाहिए। शिक्षक छात्र समुदाय के लिए मार्गदर्शक होता हैं, उन्हें गुरू मानना चाहिए। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि शिक्षकों को भी इस स्तर तक बढ़ना होगा जिससे वे समाज के सभी वर्गों से सम्मान प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यह मानते हुए शिक्षको को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बहुविषयक बनने की दशा में बढ़ेगें और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी.एड., एम.एड. और पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान करेगें। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्ययन सामग्री से शिक्षण करवाया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्ही बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जायेगें जो किसी विशिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके है। सभी शिक्षा स्नातक कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जाँची परखी तकनीकों के साथ-साथ नवीन तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक के लागू होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो कि निम्न प्रकार से है-

- सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए देशभर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना।
- बदलती भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षको को तैयार करना।
- बहुविषयक संस्थानों में बदलती भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार शिक्षकों के दृष्टिकोण में बदलाव करना।
- विद्यालयी शिक्षको और शिक्षक प्रंशिक्षकों के लिए उचित शोध के अवसर उपलब्ध न होना।
- विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के बीच उचित सहयोग की कमी होना।

प्रस्तावना

यह एकदम सही कहा गया है कि "यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते है, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते है, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते है तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते है और यदि आप एक शिक्षक को शिक्षित करते है तो आप पूरे समुदाय को शिक्षित करते है। शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते है। इसलिए हमारे देश में शिक्षण को सभी व्यवसायों से श्रेष्ठतम माना गया है। एक शिक्षक की शिक्षा वास्तव में समुदाय के लिए सबसे बड़ा बदलाव लाती है तथा सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद करती है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों का सामाजिक सरोकार, जिम्मेदारी एवं नीति क्रियान्वयन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के साथ ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को भावुक, प्रेरित तथा उच्च योग्य पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाए। शिक्षकों की फौज तैयार करने में शिक्षक शिक्षा वास्तव में महत्वपूर्ण है जो अगली पीढ़ी को आकार देगी। शिक्षकों को भारतीय मूल्यों, ज्ञान और परम्पराओं पर आधारित होना चाहिए। साथ ही शिक्षा और शिक्षा

शास्त्र की प्रगति से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामाग्री के साथ-साथ शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे 2030 तक बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। जैसे-जैसे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय बहुविषयक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे है, वे शिक्षा में बी.एड.,एम.एड़ और पीएचडी की पेशकश करने वाले उत्कृष्ठ शिक्षा विभागों का भी लक्ष्य रखेगें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित करके सभी विद्यालयों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में चार साल की एकीकृत स्नातक की डिग्री स्थापित करके शिक्षको को सामग्री, शिक्षाशास्त्र और अभ्यास में उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षकों की सभी स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा आधारभूत, प्रारम्भिक, मध्य और माध्यमिक विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत होगी। जिसमें चार साल के पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम पेश किए जाएगें।

शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों (नींव, प्रारम्भिक, मध्य और माध्यमिक) में शिक्षको एवं शिक्षाविदो द्वारा सामना किए गए कई मुद्दों व चुनौतियों को हल करने के लिए शिक्षक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की सिफारिश करता है। जो कि निम्न प्रकार से है-

- शिक्षक शिक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता बहाल करना।
- शिक्षक शिक्षा को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ले जाना।
- शिक्षक शिक्षा के शैक्षणिकदृष्टिकोण।
- विद्यालय के अनुभवों/प्रशिक्षुता कार्यक्रम/परामर्श को सेवा पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना।
- सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रम प्रवेश।
- सेवाकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षक शिक्षा का विश्लेषण चार संदर्भों में किया जा सकता है-

1. मूलभूत चरण/आधारभूत स्तर
2. प्रारम्भिक स्तर
3. मध्य स्तर
4. माध्यमिक स्तर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा के बाद मूलभूत, प्रारम्भिक, मध्य, माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। प्रत्येक चरण में पाठ्यक्रम, पालन किए जाने योग्य शैक्षणिक दृष्टिकोण, प्रशिक्षुता/इन्टर्नशिप/मेंटरशिप/विद्यालय के अनुभव, मूल्यांकन आदि शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए सिफारिशें निम्न प्रकार है-

- शिक्षक की तैयारी को राष्ट्रीय लक्ष्यों और लोगों की आंकाक्षाओं की प्राप्ति में एक रूप में कार्य करना चाहिए और भारतीय विरासत को प्रतिबिम्बित करना चाहिए।
- बहुविषयक संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।
- शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के दौरान पाठ्यचार्या के लिए समान भार दिया जाना चाहिए।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- व्यावहारिक उन्मुख शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना।
- ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के महत्व की जानकारी देना।
- शिक्षको के उन्नयन के लिए अनुसंधानों के अवसर प्रदान करने की और बढ़ावा देने की आवश्यकता।
- शिक्षको एवं शिक्षक प्रशिक्षणों के बीच अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण पिछड़े, आदिवासी, महिला छात्रों/वंचित सामाजिक समूहो के इच्छुक उम्मीदवारों को विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए।
- गुणात्मक शिक्षक शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए 4 स्तरों पर उचित पाठ्यचर्या संरचना बनाने के लिए अध्ययन एकीकरण और अभ्यास के साथ मानक निर्धारित करना।
- उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ आना चाहिए।
- मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बी.एड. के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित की जानी चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान जो शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं मान्यता के उद्देश्य से बनाई गई राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- उच्च शिक्षा विभाग को परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करना चाहिए। यह मिशन शिक्षक प्रशिक्षकों को सलाह/पेशेवर सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित हो।

एकीकृत शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए उच्च स्तर पर कार्य करना होगा क्योंकि पारम्परिक शिक्षक शिक्षा प्रणाली से नई शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अपनाने में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिनमें से कुछ चिन्ताएं एवं चुनौतियां निम्न प्रकार से है:-

- सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए देश भर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना
- विद्यालयी शिक्षा को साथ लेकर विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए केन्द्रों के आंवटन के लिए संस्थानों की क्षमता की पहचान करना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए योग्य एवं गुणात्मक शिक्षक शिक्षकों की पहचान करना।
- बहुविषयक संस्थानों में बदलती भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार शिक्षक शिक्षको के दृष्टिकोण में बदलाव।
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए मेधावी छात्रों को आकर्षित करना।
- व्यावसायिक शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए माध्यमिक विद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षित करना।
- मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्त्ति सुनिश्चित करना।
- शिक्षण शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षुओं को पर्याप्त इर्न्टनशिप/विद्यालय अनुभव की व्यवस्था करना।
- विद्यालयी शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए उचित शोध के अवसर उपलब्ध करवाना।
- विद्यालयी शिक्षक, उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के बीच उचित सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करना।
- शिक्षक शिक्षा के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षको के बीच आवश्यक दक्षताओं एवं कौशल विकास की व्यवस्था करना।

अंत में हम बात करते है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र रूप से भारत में लागू करने में किन-किन कठिनाईयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में चुनौतियां-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में मुख्य कठिनाई देश के शिक्षा क्षेत्र का विशाल आकार तथा विविधता है। 1.5 लाख से अधिक विद्यालय, 25 करोड़ छात्र तथा 89 लाख शिक्षकों के साथ भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है।
- दूसरी चुनौती धन की कमी के साथ नौकरशाही और विद्यालयी प्रवर्धन और नवाचार की क्षमता से संबंधित है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की सफलता केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केन्द्र द्वारा प्रस्तुत है।
- चौथी चुनौती देश के निजी विद्यालयों को अपने पक्ष में करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत आवंटित करना होगा। जबकि यह राशि अकल्पनीय है।

संदर्भ-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- https://www.education.gov.in/hindi
- https://www.uge.ac.in/PdPnews/529
- pib.gov.in, Ministry of Education, Azadi ka Mahotsava posted on 1Aug 2022 by PIB DELHI India.com by Avinash Rai
- Position paper on teacher education based on NEP
- Research gate October 2020 New Education P Dr. A.Arun Kumar

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान एवं पाठ्यचर्या संरचना

डॉ० मीनू जैन

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

सारांश

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इस नीति के अन्तर्गत स्कूल तथा कॉलेज शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किये गये हैं। इस नीति में जो परिवर्तन किये हैं, किसी भी शिक्षाविद् को कभी ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े परिवर्तन भी शिक्षा में हो सकते हैं। इस नीति से स्कूल तथा कॉलेज शिक्षा दोनों बराबर प्रभावित होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत् लागू किया गया है। इसमें स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होगी। प्री-प्राइमरी स्कूल से 12 कक्षा तक सभी छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव के बिना कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ शिक्षा में व्यापक व ढ़ाँचागत परिवर्तन किया जायेगा। छात्रों के लिए बहुत सारे विषय होंगे जिनमें से छात्र को अपनी पसंद के विषय लेने की छूट होगी। कला व विज्ञान विषय में कोई कठोर अन्तर नहीं होगा। इस नीति में सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे आधुनिक क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों द्वारा कुशल पेशेवर तैयार होंगे व रोजगार क्षमता बढ़ेगी। इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान तथा पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख बिन्दुओं को समझाया गया है।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। 1986 की शिक्षा नीति में इन सभी कमियों के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति सभी की पहुँच, सभी को बराबर दर्जा, गुणवत्ता, तथा सभी स्तरों पर जवाबदेयता पर आधारित है। इस नीति का लक्ष्य ''भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'' बनाना है। धीरे-धीरे सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु-विषयक संस्थान होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 3,000 या अधिक छात्र होंगे। इस नीति का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करना है। बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व से भी अवगत कराया जायेगा।

प्रस्तावनाः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत् रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत् 2030 तक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली के अनुसार कार्य करेगी। इस नीति द्वारा प्रत्येक विद्यालय में उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार की अपेक्षा है। इस नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी, इस संबंध में अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानः

- कक्षा तीसरी से पाँचवी तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा।
- कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा।
- कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों को 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा।
- जो छात्र एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते हैं उन्हें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा।
- पहली कक्षा व दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी गृह कार्य नहीं दिया जायेगा।
- जब छात्रों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाएगा तब उसके साथ किताबों के वजन पर भी ध्यान दिया जायेगा।
- स्कूल बस्ते का बोझ कम करना, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- प्री-प्राइमरी स्कूल के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जायेगी।
- छात्रों के लिए स्कूल में पानी की सही व्यवस्था होगी।
- विद्यालयों में सभी शिक्षा स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य स्थानीय उपलब्धता के अनुसार सिखाने की कोशिश की जायेगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकें।

- कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित कर दिया जायेगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जायेगी।
- इस नीति में कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अन्तर नहीं होगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा National Curricular Framework for School Education छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 व कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा। इसमें बहु विकल्पीय प्रश्न तथा सेमेस्टर व्यवस्था को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' PARAKHK नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केन्द्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जायेगी।
- छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artifical Intelligence- AI) पर आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके उनके कार्य के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.ए, बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत् शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ राष्ट्रीय सीटें जोड़ी जायेंगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत् स्नातक पाठ्यक्रम में ''मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट'' व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेगा और उसे उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक डिग्री दी जायेगी।
- प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक शिक्षा नीति का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है अर्थात् जो बच्चे स्कूली शिक्षा के योग्य है उन सभी को प्रवेश दिया जायेगा। नवीन शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्र है कि जो बच्चे किसी भी कारण से स्कूल छोड़ रहें हैं, उन्हें वापिस लाया जाये और स्कूल की मुख्यधारा की शिक्षा में ध्यान से उनके सीखने के स्तर पर नजर रखी जाये।
- इस नीति में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है ताकि बच्चे अपने देश की सभी भाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में होगा। प्रत्येक छात्र एक मनोरंजक परियोजना/गतिविधि में भाग ले सकेगा।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत एम.फिल. (M.Phil) डिग्री को समाप्त कर दिया गया है।
- इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन इत्यादि व्यवस्थाओं को सक्षम बनाया जायेगा।
- एक स्वायळा निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा शिक्षा, उसका मूल्यांकन और प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
- एससी, एसटी, ओबीसी तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से सम्बन्धित मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना:

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ वर्तमान में लागू 10+2 की स्कूल पाठ्यक्रम की संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए फार्मूले के चार चरण निम्न प्रकार है:-

(अ) फाउंडेशन स्टेज: इस स्कीम में 3 से 8 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा/आँगनबाड़ी तथा ग्रेड 1 व 2 को सम्मिलित किया गया है जिसमें छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जायेगा और उनके विकास पर ध्यान दिया जायेगा।

(ब) प्रीपरेटरी स्टेज: इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहां छात्रों के संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर ध्यान दिया जायेगा। सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जायेगा।

(स) मीडिल स्टेज: इसमें 11 से 14 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जायेगी। यहां 6वीं कक्षा के बच्चों से कोडिंग सिखाना शुरू हो जायेगा तथा सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जायेगी।

(द) सेकेण्डरी स्टेज: इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्र सम्मिलित किये गये हैं। 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई पहले चरण में और 11वीं तथा 12वीं कक्षा की पढ़ाई दूसरे चरण में होगी। इसमें 8वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। यहाँ छात्र किसी भी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपंसद के अनुसार विषयों को चुन सकते हैं। इस स्टेज पर छात्रों को विषय चुनने की पूर्ण स्वतत्रंता प्रदान की गई है। छात्र विज्ञान विषय के साथ-साथ कला व वाणिज्य विषय भी एक साथ पढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष: यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले लायेगी। 34 वर्ष पश्चात् आयी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी के समावेशन से आधुनिक क्षेत्रों में कुशल पैशेवर तैयार हो सकेंगे। इस नीति में 3 साल से 18 साल तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। इस नीति में 8 वर्ष तक के बच्चों की प्रारम्भिक बचपन देखभाल की जिम्मेदारी छब्म्त्ज् को दी गई है। इस शिक्षा प्रणाली का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यहाँ सभी छात्रों के लिए विषयों की संख्या बहुत अधिक है जिससे छात्रों को अपने मनपंसद विषय चयन करने में बहुत आसानी रहेगी।

सन्दर्भ:

- भारत का शिक्षा का इतिहास "टाईम्स ऑफ इण्डिया ब्लॉग''।
- चोपडा रितिका (2 अगस्त 2020): नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढाना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- www.nep2020.nic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत

ज्योति भारद्वाज

सहायक आचार्य, संजय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर

सारांश

भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों का देश रहा है और इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके ही आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही प्रयोग करना जिससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों से खत्म होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी जिससे कि अन्य देशों से आयात कम और निर्यात ज्यादा संभव हो पाएगा। आत्म निर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्यपालन आंगनबाड़ी में बनाई गयी सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य है और आत्म निर्भर भारत से हमारे देश में उद्योगों की सख्या में वृद्धि होगी। माचिस की तीली से लेकर स्मार्टफोन तक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान का ही नतीजा है। आज हमारी जो भी तरक्की हुई वह शिक्षा का ही परिणाम है। समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का जो प्रारूप बना है उस में आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया।

परिचयः-

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है।

आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन् 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। 1986 की शिक्षा नीति में कुछ कमियां थी जिस कारण बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा था किन्तु यह ज्ञान उसे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नहीं बन पा रहा है।

इन कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

योजना का नाम	*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*
राज्यध् केन्द्र	केन्द्रीय
कब लागू की गयी	29 जुलाई 2020
उद्देश्य	शिक्षा के स्तर में सुधार
लाभार्थी	सभी छात्र व छात्राएं
आधिकारिक वेबसाइट	education.gov.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की एक ऐसी पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीयशिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान सम्बन्धित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के महत्व को स्वीकार करता है और मानता है कि बच्चे ही देश का भविष्य बनाते है और बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में होता है। विद्यार्थियों के बीच महत्वपूर्ण और उच्च सतर की सोच को बढ़ावा देने के लिए एन.ई.पी. मुख्य भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य आधारसमानता, सुलभ, गुणवत्ता और सामर्थ्य है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में प्रमुख बिन्दुः-

''नया भारत नई शिक्षा नीति''

यह कहना उचित होगा कि नए भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही फायदेमंद रही है। युवाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान के अवसर और नए भविष्य के निर्माण के लिए इसका प्रमुख योगदान रहा है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाली शिक्षा की नीति को नया प्रारूप दिया गया इसमें संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के चरणों पर आधारित 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना की गई।

अवधि (वर्ष)	*चरण*	*पाठ्यक्रम*	*आयु*
5	फाउण्डेशन स्टेज	तीन वर्ष आंगनबाड़ी 2 वर्ष कक्षा 1 से 2	3–8
3	प्रीप्रेटरी स्टेज	3–5 तक की पढ़ाई विज्ञान, गणित कला आदि	8–11 वर्ष
3	मिडिल स्टेज	6–8 तक की पढ़ाई खास कौशल विकास कोर्स	11–14 वर्ष
4	सैकेण्डरी स्टेज	9–12 तक की पढ़ाई होगी बच्चे विषय का चयन आजादी से कर सकेगें	14 से 18 वर्ष

- पांचवी तक के छात्रों को मातृभाषा में अध्ययन कराया जाएगा।
- भाषा चुनाव में कोई भी बाध्यता नहीं होगी। संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओं के विकल्प उपलबध होगे।
- कक्षा–10 बोर्ड की अनिवार्यता खत्म – छात्रों को सिर्फ 12वीं की परीक्षा देनी होगी
- स्नातक की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी।
- पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
- दूसरे वर्षकी पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरें और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है।

- मूल्यांकन और समीक्षा के सन्दर्भ में भी सुधार किया गया है।
- विद्यालय परिसर में संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।
- स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा गयाहै।

मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के कौशल, सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा, समग्र प्रगतिकार्ड, विद्यार्थियों के बीच महत्वपूर्ण और उच्च स्तर की सोच को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन और शिक्षक शिक्षा में सुधार सहित मुख्य क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के महत्व को स्वीकार करता है और मानता है कि बच्चे ही देश का भविष्य बनाते है और बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में होता है। एक कुशल शिक्षक ही बच्चे को सही ज्ञान दे सकता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी का भी यही कहना है कि ''शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है, शिक्षको द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाये जा सकते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय मूल्यों में निहित एक शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गईहै जो भारत को परिवर्तित करने में सीधे योगदान देगी यह छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करते हुए भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगी।

मजबूत हो रही शिक्षा व्यवस्था

स्कूलों में वृद्धि	
1947–48	1,40,794
2020–21	15,00,000

2021–22	
97 लाख शिक्षक	26.44 करोड़ छात्र

इससे यही स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं सुधार कर रही है। देश भर में 14,500 से अधिक विद्यालयों को पी.एम. श्री विकसित किया जाएगा। यह विद्यालय महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण व पोषण करेंगें जिससे लोगों में अनुभव के साथ कौशल का भी विकास होगा। इस नीति का उद्देश्य सिर्फ शिक्षित कर नहीं करना है बल्कि उनके जीवन को भी बदलना है।

विकसित भारत का आधार स्तंभ है प्रगतिः-

किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहां के औद्योगिक विकास पर आधारित होती है और किसी भी देश के विकास के लिए उसका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यदि भारत आत्मनिर्भर होगा तभी भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। आत्म निर्भर भारत का मूल उद्देश्य भारत के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है इसके लिए किसी भी राज्य में नागरिकों में हस्तकला, लघु उद्योग धंधे और कुशल कारीगरों की आवश्यकता रहती है। भारत देश के प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि ''जब कौशल विकास होगा, हुनर होगा तो कभी मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। समय बदल रहा है डिग्री रखने वालों की तुलना में ज्यादा हुनरमंद लोगों को सशक्त करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है शिक्षा के विकास के साथ-साथ देश में औद्योगिक विकास भी हो रहा है और वर्तमान शिक्षा नीति औद्योगिक क्षेत्र में भी लोगों के लिए जीविकोपार्जन के अवसर पैदा कर रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कोई भी हुनर सीखकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है।

आत्म निर्भर बनाने की राह को गति प्रदान कर रहा है राष्ट्र। भारत देश को आज के समय में प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना आवश्यक पहल है। ताकि किसी भी क्षेत्र में किसी और पर निर्भरता समाप्त हो सके और भारत आत्मनिर्भर हो सकें जिस प्रकार भारत में विज्ञान और आधुनिक तकनीक से बेहतर सडके बन रही है तो वही पर्यावरण हितैषी ईधन और वाहन बन रहे है।

दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर भारतः-

- जैसे आज भारत में खादी का रिकार्ड उत्पादन और बिक्री हो रही है खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है और सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में पौने 2 करोड़ नए रोजगार बने है।
- भारत इस वर्ष चीनी उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन कर उभरा है वहीं गन्ना उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है।
- 5 महीनों में हीभारत में लगभग 1000 करोड़ के पार मेड इन इंडिया आईफोन का निर्यात पहुंचा है।
- मोढेरा गांव आत्मनिर्भरता का सबसे सटीक उदाहरण है।मोढेरा गांव 24 घंटे और उर्जा का उपयोग करने वाला पहला गांव बन गया है। जिससे कि स्वयं बिजली पैदावर को बढ़ावा मिला है।

इस प्रकार की उपलब्धियों के साथ भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है। छोटे-छोटे लघु उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिल रहा है और इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय मूल्यों में निहित एक शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है। जो भारत में बदलाव में पूर्ण रूप से सहायक होगी और विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करते हुए भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगी।

Reference:

- https://innovateinter.mygov.in/nep 2020
- https://shikshan.org
- New India Samachar – 1-15 Nov. 2022
- संबंधित लेख माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53
- https://www.drishtilian.com > India
- https://hi.m.wikipedia.org>wiki
- New India Samachar 1-15 Oct. 2022
- www.successds.net

शिक्षा का महत्त्वः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में

डॉ० सुनीता शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) श्री भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर रोड, जयपुर।

सारांश -

शिक्षा से मानवीय क्षमताओं का उच्चत्तर विकास सम्भव है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोतर वृद्धि हेतु समय-समय पर सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता रहा है। इस हेतु भारत जैसे राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) का निर्माण किया गया है। यह शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य देश का उच्चत्तम विकास करने हेतु व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर भी बल देती है। एन.ई.पी.-2020 बालक को न केवल साक्षर करती है अपितु उच्च स्तर के चिन्तन, तार्किक और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है। यह शिक्षा नीति बालक के नैतिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास की उत्तरोतर वृद्धि में सहायक है। एन.ई.पी.-2020 के अनुसार शिक्षा समानता को सुनिश्चित करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करने के साथ-साथ सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रकार एन.ई.पी.-2020 वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता व गुणवत्ता लाने हेतु निर्मित की गई है, जो कि पिछली शिक्षा नीतियों के निर्धारित उद्देश्यों को भावी पीढ़ी के लिए संवर्धित, करती है।

संकेताक्षर - रोजगारोन्मुखी, संवर्धित, आन्तरिक एवं मानवीय क्षमताएँ

सीखना आगे बढ़ना है, व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र (शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक) में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीखता है। अतः सीखना दिन-प्रतिदिन ज्ञान की उत्तरोतर वृद्धि करना है। वास्तविकता में सीखना शिक्षा से ही सम्भव हो पाता है। शिक्षा बालक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही बालक की अर्न्तनिहित क्षमताओं का विकास करने में भी उपयोगी है। शिक्षा को हम व्यापक परिपेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते है। जिसके अन्तर्गत शिक्षा जन्म से जीवन पर्यन्त गतिमान होती है अर्थात शिक्षा का अर्थ है, सीखना और यह सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति में जन्म से जीवनपर्यन्त तक चलती है। इस प्रकार किसी भी शिक्षित व्यक्ति का सुसभ्य समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अतः किसी व्यक्ति का सुसंस्कारित एवं सुशिक्षित होना न्यायसंगत व सुसभ्य समाज के निर्माण में अतुल्य योगदान देता है। शिक्षा मानवीय क्षमता व आन्तरिक क्षमताओं का विकास करने के साथ-साथ सभ्य समाज में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार शिक्षा की सहायता से सुसभ्य व्यक्ति सुसभ्य समाज का निर्माण करता है और सुसभ्य समाज से सुसभ्य राष्ट्र का निर्माण होता है अर्थात शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सतत् प्रगति का निर्धारण करती है। शिक्षा यदि गुणवतापूर्ण हो तो वह राष्ट्र के मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम विकास एवं सवर्द्धन करती है, जिससे वह राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाता है। इस प्रकार शिक्षा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की सतत् प्रगति एवं सम्पूर्ण विकास की कुंजी है। इस प्रकार राष्ट्र की मानवीय क्षमताओं का उच्चत्तम एवं प्रखर विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।

शिक्षा द्वारा मानवीय आन्तरिक क्षमताओं के विकास के साथ-साथ व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक सुदृढ़ता भी आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप गांधी जी की बेसिक शिक्षा की अवधारणा जो की बालक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है ताकि वह राष्ट्र की उत्तरोतर प्रगति में योगदान देने के साथ-साथ स्वयं की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। इस हेतु भी रोजगारोन्मुखी शिक्षा की महत्ता परिलक्षित होती है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वालम्बन प्रदान करती है एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। वैश्विक परिदृश्य में देखा जाये तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा की उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षा स्वयं निर्णय एवं चिन्तन-मनन की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा की सहायता से बालक की मानसिक शक्तियों का सृजन किया जा सकता है अर्थात शिक्षा से तर्क, चिन्तन, संज्ञानात्मक एवं सृजनात्मक सोच विकसित की जा सकती है। शिक्षा व्यक्ति को सदैव सीखते रहने हेतु अभिप्रेरित करती है अर्थात बालक को जो कुछ सिखाया जा रहा है, वह सीखे साथ ही सतत् सीखते रहने की कला भी सीखे। अतः बालक में विषयों का सैद्धान्तिक ज्ञान व समझ उत्पन्न करने के साथ-साथ समस्या समाधान और तार्किक चिन्तन एवं सृजनात्मक व रचनात्मक विचारों के विकास पर भी बल देने हेतु प्रयास किया जा सकता है। शिक्षा बालक के सीखे गये ज्ञान को अन्य विषयों से सहसम्बन्धित करना सिखाती है ताकि वह एक समय पर प्राप्त ज्ञान व समझ का उपयोग जीवन की अन्य परिस्थितियों में कर सकें। शिक्षा बालक को दिन-प्रतिदिन सृजनात्मक चिन्तन हेतु प्रेरित करती है। शिक्षा बालक को नवीन चिन्तन करने एवं बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा से व्यक्ति में

आन्तरिक क्षमता व राष्ट्र की उत्तरोतर वृद्धि के साथ-साथ सुसंस्कारित व्यक्तित्त्व का भी निर्माण होता है। क्योंकि शिक्षा बालक में चरित्र निर्माण, नैतिकता, तार्किकता, करूणा, संवेदनशीलता तथा मूल्यों का समावेशन सिखाती है। शिक्षा द्वारा इन सब उपार्जित गुणों के आधार पर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्त्व का निर्माण भी कर सकता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरूकुल व्यवस्था पर आधारित थी अर्थात शिक्षक केन्द्रित शिक्षा प्रचलित थी अर्थात शिक्षक या गुरू के आदेशानुसार व निर्देशानुसार ही शिक्षण व्यवस्था संचालित थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण आत्मज्ञान माना गया। उदाहरण स्वरूप प्राचीन समय में तक्षशिला व नालन्दा जैसे शिक्षण संस्थान विश्व स्तर पर अपनी पहचान के रूप में प्रतिष्ठित थे। लेकिन शनै-शनै समाज बदलता गया और शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। अत: वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार शिक्षा शिक्षक केन्द्रित से विद्यार्थी केन्द्रित हो गयी। वर्तमान शिक्षार्थी केन्द्रित व्यवस्था में विद्यार्थी की रूचि, क्षमता, योग्यता को महत्त्व देकर शिक्षण व्यवस्था को संचालित करने पर जोर दिया जाने लगा ताकि बच्चे में समस्या समाधान और तार्किक चिन्तन की क्षमता का विकास हो। साथ ही वह नवीन चिन्तन कर सकें एवं अपने ज्ञान का बदलती परिस्थितियों में उपयोग कर सकें। अत: वर्तमान शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा बालक के ज्ञान, खोज, अनुभव व संवाद पर संचालित की जानी चाहिए। साथ ही शिक्षार्थी के सम्पूर्ण विकास पर बल देने के लिए जीवन के सभी पक्षों पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सकें। अत: शिक्षा का स्वरूप लचीला व विद्यार्थी की क्षमताओं में उत्तरोतर वृद्धि करने वाला होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का महत्त्व- शिक्षा से मानवीय क्षमताओं का उच्चत्तर विकास सम्भव है। अत: शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोतर वृद्धि हेतु समय-समय पर सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता रहा है। इस हेतु भारत जैसे राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार माना गया। लेकिन भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेण्डा के अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वह किसी से पीछे नहीं हो। साथ ही सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) का निर्माण किया गया है। यह शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य देश का उच्चत्तम विकास करने हेतु व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर भी बल देती है। एन.ई.पी.-2020 बालक को न केवल साक्षर करती है अपितु उच्च स्तर के चिन्तन, तार्किक और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है। यह शिक्षा नीति बालक के नैतिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास की उत्तरोतर वृद्धि में सहायक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का आधार सनातन भारतीय ज्ञान को माना गया है। भारतीय प्राचीनत्तम विचारों में ज्ञान, प्रज्ञा तथा सत्य की खोज मानवीय जीवन के लक्ष्य माने गये। अत: शिक्षा की गुणवत्ता इस बात से परिलक्षित होती है कि मानवीय जीवन के तीनों लक्ष्यों (ज्ञान, प्रज्ञा एवं सत्य) की प्राप्ति हो। प्राचीन सनातन भारतीय ज्ञान का वैश्विक महत्त्व सर्वविदित है। अत: शिक्षा की सहायता से सनातन ज्ञान की इस समृद्ध विरासत के भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है।

''शिक्षा का महत्त्व शिक्षक से ही है'' अर्थात शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलावों के लिए महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता एवं भावी पीढ़ी का सूत्रधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही शिक्षकों के प्रति समाज में आदर व सम्मानजनक स्थान प्रदान करने में भी एन.ई.पी.-2020 सार्थक सिद्ध होगी। एन.ई.पी.-2020 में शिक्षा व्यवस्था के सूत्रधार के रूप में शिक्षक को केन्द्र में रखा गया। अत: शिक्षक को उपयुक्त कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न करने हेतु एवं पूर्ण रूप से सक्षम बनाने का भी शिक्षा नीति में प्रावधान रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का उत्तरदायित्व देने हेतु प्रतिभावान शिक्षकों का चयन करके उनकी आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता को भी सुनिश्चित करने का प्रावधान एन.ई.पी.-2020 में इंगित किया गया है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता व प्रभावशीलता हेतु शिक्षक को जवाबदेय माना गया है। शिक्षक नई शिक्षा नीति के प्रावधानानुसार विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। ''शिक्षा समानता को सुनिश्चित करती है, उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। चाहे समाज का वंचित वर्ग एवं अल्प प्रतिनिधित्व समुह हो। सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि एन.ई.पी.-2020 के अनुसार शिक्षा समानता को सुनिश्चित करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करने के साथ-साथ सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है अर्थात शिक्षा की सहायता से समाज के प्रत्येक नागरिक में सामाजिक मूल्यों एवं विचारों को प्रोन्नत करने के साथ आर्थिक गतिशीलता व सक्षमता भी लायी जा सकती है ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक उच्चस्तर के सामाजिक विचारों से ओतप्रोत होकर सुसभ्य समाज के निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें। नई शिक्षा नीति में नागरिकों के आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह समाज के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर आत्मनिर्भर जीवनयापन करने हेतु प्रेरित करती है। नई शिक्षा नीति समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस हेतु समाज के वंचित एवं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुह पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा में समानता लाने हेतु वंचित वर्ग के सभी बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने का हरसंभव प्रयास किया जाना अपेक्षित है। ऐसे बच्चों का उनके आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग करके उन्हें शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी दिया जाये तथा उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाये। शिक्षा व्यवस्था का सुचारू संचालन उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान की सहायता से किया जा सकता है। शिक्षण संस्थान की गुणात्मकता एवं महत्त्व की जानकारी वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी के मूल्यपरक व्यवहार से परिलक्षित होती है। एन.ई.पी.-2020 के अनुसार शिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का सम्मान करने के साथ प्रेरणादायक एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी में सीखने का कौशल विकसित करना एवं सीखने हेतु संसाधन व अवसर उपलब्ध कराना भी शिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार शिक्षा के महत्त्व को दृष्टिगोचर रखते हुए शिक्षा प्रत्येक स्तर पर सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इस प्रकार एन.ई.पी.-2020 वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता व गुणवत्ता लाने हेतु निर्मित की गई है, जो कि पिछली शिक्षा नीतियों के निर्धारित उद्देश्यों को भावी पीढ़ी के लिए संवर्धित करती है। सन् 1986 की शिक्षा नीति का केन्द्र मुख्यत: शिक्षा के मुख्य मुद्दें थे, जिसमें 1992 में संशोधन किया है। 1992 के पश्चात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। जिसके अन्तर्गत नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी। जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त हुआ। अत: दिन प्रतिदिन भारत की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम फहराने हेतु उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का महान उद्देश्य नई शिक्षा नीति-2020 में प्रस्तावित है। अन्तत: उपरोक्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी आशान्वित है कि एन.ई.पी.-2020 वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक सराहनीय प्रयास होगी। एन.ई.पी.-2020 में वर्णित शिक्षा प्रणाली का निर्धारित उद्देश्य मूल्योन्मुखी शिक्षा प्रदान कर अच्छे इंसानों का विकास करना है। हमारी शिक्षा नीति का बहुत ही सारगर्भित उद्देश्य परिलक्षित होता है, जो कि एक अच्छे इंसान के रूप में विद्यार्थी का विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है अर्थात शिक्षा जो कि विद्यार्थी में तर्कक्षमता का विकास करे, कार्य करने में सक्षम बनाये, करूणा व सहानुभूति व साहस उत्पन्न करने के साथ दूसरों के विचारों को अपनाने एवं समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने हेतु लचीलापन लिये हो। विचारों में वैज्ञानिकता एवं रचनात्मकता के साथ-साथ उत्कृष्ट कल्पना शक्ति का विकास तथा नैतिक मूल्यों का विकास करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार एन.ई.पी.-2020 के अनुसार हमारे देश का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपनी सकारात्मक उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से सुसभ्य समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

सन्दर्भ -

- डॉक्यूमेन्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020, एम.एच.आर.डी., भारत सरकार।
- खन्ना, इन्द्रजीत एवं वर्मा, पन्नालाल (1975)-राजस्थान का शिक्षा अनुसंधान, शिक्षा विभाग, राजस्थान।
- कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2010)-शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
- लक्ष्मी, एस (1993)-इनोवेशनइन एज्यूकेशन, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स।
- लाल एवं फ्लोड, (2007)-उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, मेरठ, आर. लाल बुक डिपो।
- माथूर, एस.एस. (2000)-शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में संस्थागत संभावनाऐं

डॉ० मीनाक्षी तंवर

सहायक आचार्य, श्रीमती कमला देवी गौदीदत्त मित्तल कन्या महाविद्यालयए, सरदारशहर, जिला-चूरू

सार संक्षेप

वर्तमान युग परिवर्तन का युग है वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व जहां कोरोना महामारी से जुझ रहा था। ठीक उसी समय शैक्षिक व्यवस्था चरमरा गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे उनमें मजदूर वर्ग व शिक्षक वर्ग पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखा था। वैसे भी इक्कीसवी सदी में शिक्षा की चुनौतियां बदल रही है और उससे शिक्षक की भूमिका, शिक्षक से अपेक्षाऐं, शिक्षक की जिम्मेदाररियां और उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षाऐं की जाती है कि वह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भली प्रकार से करें जिनसे की शिक्षको के कंधो पर पडे भार में कमी लाई जा सके। इस शोध-पत्र में शिक्षक के लिए अभी तक किए गए प्रयासो की व्याख्या, उनकी पेशेवर जरूरते और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से संबंधित संभावनाओ पर विचार प्रस्तुत किए गए है। शोध-पत्र के इस प्रस्तुतिकरण में नई शिक्षा नीति और कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिकाऐं और शिक्षण संस्थाओं की भूमिकाओं को समझते हुए शिक्षक विकास के समग्र उपागम को अपनाने की बात की गई है।

कुंजी बिन्दू- सेवा पूर्व शिक्षक, सेवारत शिक्षक, नई शिक्षा नीति 2020, व्यवहारवाद, संरचनावाद, संज्ञानवाद, उच्च शिक्षण संस्था आदि।

शिक्षक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व वर्तमान पेशेवर जरूरते-राष्ट्र व राज्य के संदर्भ में-

भारत में शिक्षक शिक्षा की विधिवत शुरूआत 1925 से मानी जाती है जब गिजुभाई ने अपने बाल मनोवैज्ञानिक विचारों को मूर्तरूप देने के लिए दक्षिणमूर्ति अध्यापक मन्दिर की स्थापना की। 1940 के दशक में विद्याभवन संस्थान ने राजस्थान मे शिक्षक शिक्षा के शुरूआत की देश की आजादी के बाद कौठारी आयोग 1964-65 तथा राष्ट्र शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में शिक्षकों व अनुदेशकों के लिए संदर्भ संस्था के रूप में जिला-शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है राजस्थान में सेवारत शिक्षको सतत् प्रषिक्षण देने तथा समुदाय में शिक्षक की सकरात्मक छिवी बनाने में लोकजुम्बीश जैसे कार्यक्रमों की महत्पूर्ण भूमिका रही है। जिसके तहत "अध्यापिका मंच जैसे नवाचार किए गए" सर्वशिक्षा अभियान के तहत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए एक समृर्द्ध अकादमिक संस्थान केन्द्र के रूप में खण्ड संदर्भ केन्द्र (ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर) व संकुल संदर्भ केन्द्र(क्लस्टर रिसार्स सेन्टर) की स्थापना की गई। साथ ही 2008 में 248 बी.आर.सी. व 3074 सी.आर.सी. संचालित थे साथ ही एन.सी.एफ. 2005 में भी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को शिक्षकों के लिए प्रासंगिक व प्रयोगिक बनाये जाने की बात की है इस प्रकार ऐसे शिक्षक शिक्षा प्रणाली को हम देख पा रहे है। जिसमें शिक्षक के सैद्धान्तिक व व्यवहारिक पक्षों पर ध्यान दिया गया है। वर्तमान समाज की बदलती परिस्थितियों, ज्ञान के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण व शिक्षको की भूमिकाऐं और उनकी अपेक्षाओं को पुरा करते हुए शिक्षण संस्थानों में भी काभी परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यह स्पष्ट कर चुकी है-अध्यापक शिक्षक की गुणवत्ता, भर्ती पदस्थापना, सेवाशर्ते और शिक्षकों के अधिकारों की व्यवस्था वैसी नही है जैसी होनी चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता वांछित मानको को प्राप्त नहीं कर पाता। राजस्थान में शिक्षकों की अपर्याप्तता के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होने वाली देरी तथा शिक्षक भर्ती हेतु स्पष्ट, समयबद्ध नीति के अभाव को एक सामान्य कारण माना जा सकता है हांलाकि गुणवत्ता युक्त शिक्षको की भर्ती हेतु एन.ई.पी. 2020 शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परिक्षण सामग्री को विकसित करने की बात करती है, परन्तु सशक्त शिक्षको को तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा (सेवापूर्व व सेवारत प्रशिक्षण) की व्यवस्था के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु एन. ई.पी. 2020 एक उत्कृष्ट चार वर्षीय एकीकृत बी.एड् पाठ्यक्रम तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी स्तरों के शिक्षक भर्ती के लिए विस्तृत करने की बात करती है इसके साथ ही राज्य में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए शैक्षिक संस्थानों (निजी व सरकारी) का सुदृड बनाने के लिए उन पर एक नियामक संस्था की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। शिक्षण अनुभव के व्यवहारिक पक्ष को प्रभावी बनाने के लिए सेवापूर्व चलाए जा रहे इन्टर्नशिप के कार्यक्रम को अधिक सुदृड बनाने की आवश्यकता है। साथ ही विश्व में बदलती परिस्थितियों में शिक्षको द्वारा तकनीकि का संतुलित व प्रासंगिक प्रयोग किया जाना वर्तमान की आवश्यकता है।

वर्तमान संदर्भ में सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक शिक्षा-

सीखनें के सिद्धान्तो की बात करें तो उसमें व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद प्रमुखता से उभर कर आते है। व्यवहारवाद मे कुछ खुलापन देने के बाद एक वांछित प्रतिक्रिया की अपेक्षा होती है। संज्ञानात्मकवाद में ज्ञान और आन्तरिक मानसिक, संरचनाओं के अधिगृहण पर जोर दिया जाता है। जिससे नई

जानकारियों को पहले से निर्मित ज्ञान के साथ व्यवस्थित और जोडने में शिक्षार्थी की मदद की जाती है। रचनावाद जैसे-जैसे हम व्यवहारवाद व संज्ञानात्मकवाद से रचनावाद की तरफ बढते है तो निर्देष का केन्द्र अध्यापन से हट कर सीखना, निश्क्रिय तथ्यों और नियमित गतिविधियों के हस्तान्तरण से हट कर समस्या समाधान के लिए विचारो कों सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने पर होता है। इसमें अधिगमकर्ता ज्ञान निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया में शामिल रहता है। इसके लिए शिक्षक अधिगम के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण हो जाता है यह इस प्रकार हो सकते है -

1. सीखने के लिए तैयार कर पाना-यह समझना जरूरी है कि शिक्षक की जरूरत क्या है, वह किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उसे किन कौशलों पर काम करने की जरूरत है। यह शिक्षक विकास आवश्यकता आंकलन द्वारा पता किया जा सकता है।
2. अधिगम अनुभव शिक्षक के अर्जित अनुभवों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुडे हुए हो और व इस पर आगे के स्तर के लिए कार्य कर सके। अधिगम अनुभव के निर्माण के समय शिक्षक के परिवेष्य, उसकी शब्दावली को शामिल करना आवश्यक है अन्यथा अलग-अलग अधिगम अनुभवो के प्रति शिक्षकों का रूझान कम हो सकता है।
3. स्वायत्ता-शिक्षक को आगे बढने और विकास करने के लिए उचित वातावरण महत्वपूर्ण होता है। यह स्वायत्ता समय निर्धारण, अधिगम सामग्री के रूप और अधिगम के तरिकों से संबंधित हो सकती है। सीखने के अलग-अलग तरिके चुनने का विकल्प शिक्षकों को मिले जैसे ऑन लाईन कोर्स करने और समुदाय के माध्यम से सीखना।
4. दैनिक जीवन में उपयोगिता -शिक्षक चाहेगें कि जो अधिगम अनुभव मिल रहे है व उनके दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापों को बेहतर बनाने में मदद करें और उनमे कौशलों का विकास हो। जिनसे वह कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों के समाधान खोजनें में समर्थ हो सके।
5. शिक्षकों को अनुभवी शिक्षको की मॉनिटरिंग और सीखने का माहौल मिले समुह कार्यो से सीखने में शिक्षको को सहयोग मिलाता है और टीम भावना के महत्व हो समझते है।

शिक्षक शिक्षा में शिक्षण विधियां व नवाचार-

- शिक्षक शिक्षा में कहानी, बालगीत, नाटक, भाषण, प्रर्दशन, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान आदि विधियों का उपयोग किया जाता रहा है। यह समझ विकसित करने कि आश्यकता है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे - छोटे बच्चों के साथ नाटक, कहानी, कविता का उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि किशोर उम्र के बच्चों को प्रोजेक्ट, समस्या समाधान आदि से जुडे कार्य दिये जावें।
- स्थानिय संदर्भो और उपलब्ध संसाधनों का कक्षा कक्ष शिक्षण में उपयोंग करने तथा बच्चों की आवश्यकता अनुसार नवाचार करने की समझ विकसित की जाये।
- देश दुनिया में ज्ञान के क्षैत्र में आ रही नई जानकारियों और नवाचारों से परिचित कराते हुए अपने क्षेत्र में उसका उपयोग करें ।
- महामारी व आपात कालिन परिस्थितियों में बच्चो की शिक्षा के लिए समुदाय व अभिभावको की भूमिका को प्रशिक्षण की विशय वस्तु में शामिल करना होगा।
- शिक्षा में तकनीकि के इस्तेमाल को सोच समझ कर बढावा देना होगा। साथ ही शिक्षको को तैयार करने कि प्रक्रिया मे ऑन लाईन माध्यमों के उपयोग को बढावा देना होगा।
- शिक्षको को प्रशिक्षित करे कि वे डिजिटल संसाधनों व डिजिटल सामग्री के संभावित खतरों के प्रति सचेत रहे।
- शिक्षक टी.वी., रेडियो, यू-ट्यूब जैसे माध्यामों के द्वारा शैक्षिक सामग्री को बच्चों तक पहुचा पाये।

सेवापूर्व व सेवाकालिन प्रशिक्षण संस्थान -

शिक्षको को तैयार करने में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में शिक्षक तैयार करने के काम अधिकांश निजी कॉलेज करे रहे है। इन निजी संस्थाओं को दक्षता अर्जित करने तथा सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानको की पालना करने मे सहयोग देना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता तय करने के नये तरिके से मापदण्ड सोचनें होगें जिनमें -

- शिक्षको को तैयार करने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सरकारी कॉलेज खोले या पहले से चल रहे कॉलेजों मे सीटो की संख्या बढाये।
- डाईट तथा बी.एड् कॉलेजों में जारी कोर्स का नवीनिकरण हो और वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप इसे बनाया जावे।
- निजी कॉलेजों के लिए नये मापदण्ड बनाये जावे तथा सरकार द्वारा नये नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। ऐसे महाविद्यालय जो ऐसी दिशा मे सकारात्मक पहल कर रहे है उनके अनुभवों को लेकर प्रचार प्रसार किया जावे व प्रोत्साहित किया जावे।
- महिला अभ्यार्थी के लिए नियमों को लचिला बनाया जावे। अपने जिले में रहकर अध्ययन करने की संभावनाओं को बढाया जावे।
- कुछ प्रक्रियाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि शिक्षक बनने के लिए ऐसे ही लोगो को चुनाव किया जावे जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते है।
- अध्ययन के दौरान ही ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल मे रहकर बच्चों, शिक्षको और समुदायों के बीच काम करते हुए सीखने के अवसर बढाये जावे।
- शिक्षक शिक्षा के जुडे संस्थानों में काम कर रहे लोगो की सतत् क्षमता सर्वद्धन के लिए योजनाऐं बनाई जावे।
- सरकार की जो इकाईया इस काम मे सहयोग करे रही है। उनके पास संसाधानों की कमी न रहे अत: उन्हे उचित बजट आवंटित किया जावे।

शिक्षक प्रशिक्षण के बाद जुडाव व फॉलोअप-

शिक्षको को प्रतिदिन काम करते हुए सहयोग और सम्बलन की आवश्यकता होती है इस काम में उनके अधिकारी और साथी शिक्षक सहयोग करें। मेन्टर टीचर के विचार को लेकर फॉलोअप कार्यक्रम तैयार किया जावे। प्रशिक्षण से प्राप्त समझ को कक्षा में लागू करते समय जो चुनौतियां आती है। उन पर लगातार सहयोग दिया जावे। नई शिक्षण विधियों को कक्षा कक्ष में ले जाने के लिए सहायक समग्री प्रदान की जावे साथ ही सामग्री की उपयोगीता के तरिके भी समझाऐं जावे।

शिक्षक शिक्षा में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका -

(क) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका -

- मॉड्यूल, टी.एल.एम. और प्रशिक्षण आयोजित करना।
- संदर्भ सदस्यों की चयन प्रक्रिया।
- अकादमिक संबलन की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान करे।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण।
- कार्यपुस्तिका और आंकलन प्रपत्र तैयार करना।
- राज्य स्तरीय सेमिनार और वर्ता आयोजित करना।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को राज्य में लागू करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार योजनाऐं लाना तथा उन्हे लागू करना।
- राज्य स्तरीय शोध व अध्ययन करना तथा मुख्य निश्कर्षो को राज्य के शिक्षको तक पहुचाना।

(ख) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका-

- शिक्षक शिक्षा के कार्स चलाये।
- प्रतिवर्ष कम से कम 100 सीटों पर माध्यमिक स्तर पर शिक्षको को तैयार करे।
- स्थानिय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामग्री का निर्माण व उसका उपयोग।
- जिला स्तर पर शोध अध्ययन का आयोजन तथा उसके प्रस्तुतिकरण के लिए सेमिनार आयोजन।
- नोडल विद्यालयों को अकादमिक संबलन प्रदान कर जिला स्तर पर संदर्भ केन्द्र बनाये।
- नवाचारों को बढाते हुए सभी विद्यालय तक पहुचाऐं।
- जिला केन्द्रीत प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाये और शिक्षको को प्रशिक्षित करे।
- शिक्षको को क्रियात्मक अनुसांधान के चयन और परामर्ष उपलब्ध करावें।

(ग) उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की भूमिका -

- सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संषोधित करें।
- एस.सी.ई.आर.टी. की सलाह से सेवारत शिक्षक शिक्षा की योजना बनाये।
- डाईट के सहयोग से अपने संभाग के कक्षा 11 व 12 के सभी शिक्षकों की जरूरत को जानकर प्रशिक्षण का आयोजन करे।
- शिक्षको को नवाचार करने के लिए प्रेरित करें और परामर्श उपलब्ध करावें।
- महाविद्यालयों को दिशा व सुझाव प्रदान कराते हुए उन्मुखीकरण कार्यशाला का अयोजन करावें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2020
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एन.सी.ई.आर.टी. नई-दिल्ली
3. 10 वर्षीय करिकूलम फ्रेमवर्क 1975 एन.सी.ई.आर.टी. नई-दिल्ली
4. विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000, एन.सी.ई.आर.टी. नई-दिल्ली।
5. सामाजिक अध्ययन मे परेशान करने वाले सवाल(आलेख), हृदय कान्त दिवान, लर्निंग कर्व मई, 2011 अजीमप्रेम जी फाउन्डेशन बैंगलोर
6. इतिहास क्यों पढें? पीटर एन.स्टर्न, शिक्षा विमर्ष नवम्बर-दिसम्बर, 2008 दिगन्तर, जयपुर
7. शिक्षा और राष्ट्र विकास, कौठारी कमीशन 1964-65 नई दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संकल्पना और चुनौतियाँ

श्रीमती सुकिना पुरोहित

अस्सिटेंट प्रोफेसर, श्री भवानी निकेतन गर्ल्स पी.जी. महाविद्यालय, सीकर रोड़, जयपुर

साराश

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्टं का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। नई राष्टीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। 1999 के पश्चात 29 जुलाई सन 2020 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे डॉ कस्तुरंजन की अध्यक्षता में भारत की व्यवसायुन्मुख शिक्षा नीति की घोषणा की जिसमे शिक्षक को व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ बनाने, शिकाहकों के सेवा पूर्व एवं व्यावसायिक माँगो का निर्धारण , ईवीएम उनके वेतनमानों को अपेक्षाकृत सुदृढ़ कर शिक्षा व्यवस्था के स्तर को अपेक्षाकृत अच्छा करना है। इस शिक्षा नीति में शिक्षाक्षेत्र पर 60/0 व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इसके लागू होते ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत 1/4 वर्तमान में 1/2 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी षिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विषय अग्रेंजी में ही होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पर फोकस हिन्दी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर रहेगा तो देश में रोजगाार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएगें। भारत की भौगोलिक विभिधता धर्म निरपेक्षता भाषायी विभिधता शिक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण रही है और आगे भी रहेगी प्रस्तुत शोध भारत की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में चुनौतियों का एक अध्य्यन प्रस्तुत करता है।

मूल शब्दः भौगोलिक विविधता, धर्मनिरपेक्षता, मानव संसाधन

प्रस्तावना

किसी भी देश की शिक्षा की तस्वीर यह सिद्ध कर देती है कि वहां के सरकार की दृष्टि में शिक्षा का स्थान क्या है और वह उसका कितना हिमायती है। हालिया वर्षों में दुनिया भर की बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के पिछड़ने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहल करेगी, ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने को आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। यह इस मायने में भी सुखद पहल है, कि लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका प्रारूप 2019 में ही तैयार कर लिया गया था।

शिक्षा प्रणाली का परिचयः-

शिक्षा क्षेत्र या शिक्षा प्रणाली संस्थानों (शिक्षा के मंत्रालयों, स्थानीय शैक्षिक प्राधिकरण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों आदि) का एक समूह है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को शिक्षा प्रदान करना होता है। हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालय आते हैं, जिनके द्वारा छोटे बच्चों से लेकर युवाओं को नई व पुरानी चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, जिसे शिक्षा नीति कहा जाता है। शिक्षा नीतियों में समय-समय पर बदलाव व संशोधन किए जाते रहे हैं, ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली सुचारू एवं सुलभ हो सके और यह बदलाव हमारे देश को विकास की राह पर अग्रसर रखने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है।

शिक्षा नीति का इतिहासः

भारतीय संविधान के भाग-4 में दिए गए नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है, कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। सन् 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। सन् 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा सन् 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की समीक्षाओं के आधार पर सन् 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनब', चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस

शिक्षा नीति में शिक्षकों को समाज में सम्मान पूर्ण स्थान दिलाने व शिक्षकों की शिक्षा और उसके वेतन को उन्नत करने का प्रावधान था यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया पहला बदलाव था।

दूसरा बदलाव सन् 1986 में लाया गया जब माननीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इस शिक्षा नीति में युवाओं और बच्चों को अपने जीवन काल में अपने आप को एक विकसित नागरिक बनाने के योग्य तथा सामाजिक कल्याण स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने हेतु उचित शिक्षा देने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया गया ताकि प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से संबंध रखता हो, अपनी परंपरा एवं संस्कृति के प्रति गर्व कर सकें। इस नई शिक्षा नीति में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा विभिन्न स्तरों पर तकनीकी क्षेत्रों में या व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। इसके पश्चात् सन् 1992 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मामूली संशोधन किये गए। सन् 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसी का अनुकरण अब तक हुआ है, जिसके लगभग 34 वर्षों बाद अब जाकर भारतीय शिक्षा नीति में किया गया यह तीसरा बदलाव है।

शिक्षा जगत के क्षेत्र में निवेश:

1968 के शिक्षा नीति में कोठारी आयोग का यह कहना था, कि अगर हमें भारत देश को विकास के राहों पर आगे ले जाना है तो हमारी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में देश की कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 6% खर्च करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर ना होकर अवनति की ओर जाएगा। यही बात 1986 की शिक्षा नीति में भी दोहराई गई थी, परंतु यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ अर्थात हमारे देश की सरकार आज तक शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% खर्च नहीं कर पाई। और इस पहलू को बहुत अच्छे से हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 में प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार सन 2017-18 के जीडीपी का मात्र 2.7% ही शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया था, जो कि कुल सरकारी खर्च (केंद्र और राज्यों का मिलाकर) मात्र 10% ही था।

क्या आपने कभी यह सोचा है कि विश्व के अन्य जितने भी विकसित देश है, वह विकसित क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने कुल जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करते हैं। इसलिए वहां की शिक्षा पद्धति इतने उत्तम किस्म की है। यहां पर कुछ देश हैं, जिनकी शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बताया गया है- जैसे भूटान अपनी कुल जीडीपी का लगभग 7.5% खर्च शिक्षा के क्षेत्र में करता है। इसी प्रकार जिम्बाब्वे, स्वीडन, कोस्टारिका और फिनलैंड भी अपनी कुल जीडीपी का 7% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और अहम निवेश है इसलिए वहां की शिक्षा क्षेत्र का बुनियादी ढांचा, प्रयोगशाला और शिक्षक कुशल और सुदृढ़ है। जबकि हमारे देश में अब तक कुल जीडीपी का लगभग 3% ही खर्च हो पाया है। परंतु अब नई शिक्षा नीति 2020 में एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में कुल जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सरकारी खर्च (केंद्र व राज्य मिलाकर) का 20% होगा। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली है। भारत अन्य विकसित देशों की तुलना में इसलिए पिछड़ा है क्योंकि हमारी सरकार ने उस क्षेत्र को अब तक अनदेखा किया है जो कि एक देश को विकसित बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

सन् 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी उसी को हम अब तक अपनाते हुए आए हैं, जिसमें अब जाकर लगभग 34 वर्षों बाद बदलाव किए गए हैं। हालांकि यह निर्णय सन् 2014 में ही लिया गया था जब सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में इसे रखा था। सन् 2015 में इस पुराने शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए पहली समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष टी.एस.आर. सुब्रमण्यम को बनाया गया। इनको यह रिसर्च करने की जिम्मेदारी दी गई, कि कौन-कौन से बदलाव शिक्षा नीति में होने चाहिए हालांकि उन्होंने जो कुछ विचार सरकार के सामने रखे, वो स्वीकार नहीं किए गए। इसके बाद सन् 2016 में एक दूसरी समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉव के. कस्तूरीरंगन थे। यह पहले इसरो के हेड भी रह चुके हैं। उन्होंने 31 मई 2019 को कुछ सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत की और सरकार ने 29 जुलाई को उसे स्वीकार कर लिया।

इस नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव किए गए हैं जो विस्तारपूर्वक नीचे समझाए गए हैं।

मंत्रालय के नाम का नवीनीकरण:

सन 1985 के पहले तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय था, परंतु 1985 में राजीव गांधी जी ने दो और अन्य विभाग युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय को भी इसी में जोड़ दिया। जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया। हालांकि सन 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने फिर से इन दोनों विभागों को शिक्षा मंत्रालय से अलग कर दिया। वाजपेयी सरकार के इन फैसलों के साथ, एचआरडी मंत्रालय केवल नाम में 'एचआरडी' बना रहा, जबकि व्यावहारिक रुप से वह शिक्षा मंत्रालय के स्वरुप में वापस आ गया था। जिसे अब जाकर इसे पुराना नाम ही दिया गया है, अत: अब इसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है।

स्कूली शिक्षा में बदलाव:

पहले हमारी शिक्षा प्रणाली के स्कूली शिक्षा का ढांचा 10+2 पर आधारित था। अब स्कूली शिक्षा की रूपरेखा 5+3+3+4 के अनुसार बदल गई है जिसमें अब प्री-प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पद्धति को चार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है।

प्रथम चरण-

इस चरण में छात्रों के शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इस चरण में नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी., कक्षा 1 तथा कक्षा 2 सम्मिलित रहेंगी। इस चरण को "फाउंडेशन स्टेज एंड स्टडी विद गेम" कहा गया है। इस चरण में बच्चों को पहले 5 सालों में उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाएगा। उन्हें "एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग" अर्थात क्रियाकलापों पर आधारित ज्ञान दिए जाएंगे। उन्हें खेल खेल के जरिए अपने आसपास की चीजों से परिचित कराया जाएगा और उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर उनकी मानसिक शक्ति की नींव को मजबूत किया जाएगा।

द्वितीय चरण (बेसिक ऑफ मैथ, साइंस और ह्यूमैनिटी):

इस चरण में कक्षाएं 3,4,5 शामिल रहेंगे। इस चरण में बच्चों को तार्किक ज्ञान जैसे गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इस चरण में भी सैद्धांतिक ज्ञान पर ज्यादा जोर ना देकर व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा।

तृतीय चरण (स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग, एप डेवलपमेंट इत्यादि):

इस चरण में कक्षाएं छठवीं सातवीं और आठवीं को शामिल किया गया है। इस चरण में बच्चों के कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस चरण में उन्हें कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप डेवलपमेंट आदि विषयों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किए जाएंगे। यहां तक कि उन्हें प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, ताकि वे स्कूल से प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। यह पद्धति चीन की शिक्षा पद्धति में बहुत पहले से शामिल है, इसलिए वे तकनीकी के क्षेत्र में बाकी देशों की तुलना में काफी आगे हैं।

चतुर्थ चरण:

इस चरण में कक्षाएं 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं को शामिल किया गया है। इन कक्षाओं के बच्चों की परीक्षा पद्धति को वार्षिक ना रखकर सेमेस्टर वाली परीक्षा पद्धति में बदल दिया गया है। इस चरण के बच्चों को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाई कराई जाएगी। इन चरण के छात्रों की शिक्षा लक्ष्योन्मुखी होगी, अर्थात छात्रों को उनकी रूचि के अनुसार अपने क्षेत्र की पहचान कराई जाएगी, जिससे वे अपने मनपसंद क्षेत्र को चुनने के बाद उसमें अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। पहले की शिक्षा पद्धति के अनुसार इंटरमीडिएट के बच्चों के पास विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग या कला वर्ग से किसी एक को ही चुनने का विकल्प था। परंतु अब इस नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को एक से ज्यादा वर्ग चुनने की आजादी दी गई है अर्थात अब वे अपनी रूचि के अनुसार विषयों को चुन सकेंगे।

उच्च शिक्षा में बदलाव:

उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई छात्र किसी कारणवश कोर्स बीच में ही छोड़ देना चाहता है, तो उसके साल बर्बाद नहीं होंगे अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो 1 साल के बाद कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल पर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और 4 साल बाद कंपलीट डिग्री मिलेगी। इस सिस्टम में उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती थी।

इस नीति के अनुसार सभी छात्रों के लिए एक "एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" स्थापित किया जाएगा, जिसमें छात्र के एकेडमिक क्रेडिट जमा होंगे। जो उसे बाद में अपना कोर्स वहीँ से शुरू करने का मौका देंगे, जहाँ उसने छोड़ा था, या इस क्रेडिट का प्रयोग अन्य कोर्स करने में किया जा सकेगा। हर एक लेवल क्लियर करने के बाद उस लेवल का 1 पॉइंट बनेगा जिसे "एकेडमिक क्रेडिट" कहा जाएगा और यह क्रेडिट उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। यह क्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार इन को स्थानांतरित किया जा सकेगा। सभी निजी व सरकारी संस्थानों का पाठ्यक्रम एक समान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी राज्यों के पाठ्यक्रम को भी एक समान कर दिया जाएगा। और इस काम के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा जो इन सभी कार्यों की देखरेख करेगा।

अन्य घोषणाएं:

इस नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब छात्रों को अपनी सुविधानुसार जिस भाषा में पढ़ना चाहे उस भाषा में पढ़ाई करने की आजादी रहेगी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है जिनमें हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित हैं।

पहले पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार सभी विश्वविद्यालय अपना अलग-अलग प्रवेश परीक्षा कराते थे। परंतु अब सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को भी एक कर दिया गया है, जिसे बज् (कॉमन एप्टिट्यूड टेस्ट) नाम दिया जाएगा।

इस शिक्षा नीति के अनुसार सभी निजी व सरकारी संस्थानों का संचालन एकल प्राधिकरण (सिंगल अथॉरिटी) के द्वारा किया जाएगा, किन्तु मेडिकल और लॉ इंस्टिट्यूट को इससे स्वतंत्र रखा गया है।

उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक ही नियामक होगा, जो संस्थानों को निर्देश देगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 वर्षों में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा यह कॉलेज आगे चलकर डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज बनेंगे या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज।

शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है, कि इससे भारत के छात्र विश्व के बेस्ट इंस्टिट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे जिसके लिए उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा।

शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति व अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटीज के जरिए शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना है।

इस शिक्षा नीति के अंतर्गत एक लक्ष्य यह भी रखा गया है कि 2035 तक GER (ग्रॉस इनरोलमेंट अनुपात) उच्च शिक्षा का 50% हो जाए। ग्रॉस इनरोलमेंट अनुपात का यह अर्थ है, कि जितने छात्र स्कूली शिक्षा में जा रहे हैं, उनमें से कम से कम 50% बच्चे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, जो वर्तमान समय में अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के मुताबिक मात्र 26.3% है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यः

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सबसे बड़ा उद्देश्य है, कि भारतीय शिक्षा पद्धति को लचीलापन प्रदान करना। इस नई नीति में शिक्षा प्रणाली का ढांचा कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि छात्रों को चीजें समझने में आसानी हो। पुरानी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी समस्या थी छात्रों का मानसिक तनाव, जो कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में ज्यादा उत्पन्न होती थी। जो अब इस नए शिक्षा पद्धति द्वारा दूर हो सकती है, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में हर एक स्टेज में व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) ज्ञान को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

जहां तक मेरा मानना है कि आप सब लोग इस तथ्य से भलीभांति परिचित होंगे, कि अगर हमारा मार्गदर्शक अच्छा होता है तो हम एक अच्छे मार्ग पर जाते हैं अर्थात अगर शिक्षक अच्छा हो तभी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो सकती है। अतः शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना भी इस शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है जिसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाए जाएंगे। हमारे देश के शिक्षा में अनुसंधान भी एक अहम मुद्दा है जिसकी स्थिति हमारे देश में दयनीय है, जिसके कारण बहुत से छात्र रिसर्च के लिए विदेश चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके अनुकूल सुविधा नहीं मिल पाती है। अतः हमारे देश में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना भी एक अहम लक्ष्य है, जिसे इस नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है।

संघर्ष और चुनौतियाँः

नई शिक्षा नीति कई संभावनाओं के साथ कई सारे सवाल और चुनौतियां भी साथ लाई है। नई नीति के मुताबिक सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसदी खर्च करेगी। हालांकि 1968 और 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में तस्वीर बेहद अलग है। दरअसल 2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया। खुद भारत सरकार के अनुसार 2017-18 में हमने शोध कार्यो पर जीडीपी का महज 0.7% खर्च किया। लिहाजा खर्च के मामले में सरकार इतनी बड़ी उछाल कैसे लाएगी इस पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। उधर ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य 26.3% से बढ़ाकर 50% रखा गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के मुताबिक भारत में प्रति एक लाख आबादी पर शोध करने वालों की संख्या महज 15 है, जबकि चीन इतनी ही संख्या में 111 बना रहा है। सरकार ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही है, लेकिन फिर वही सवाल है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के पास क्या खाका है और सरकार इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी? उच्च शिक्षा में यूजीसी-एआईसीटीई की जगह एक ही नियामक को लेकर भी विवाद है। जानकारों का मानना है कि इस नियामक की कमान केंद्र सरकार के हाथ में होगी इसलिए इससे शिक्षा का केंद्रीकरण होगा जिससे संस्थानों की स्वायत्तता की राह में रुकावट पैदा होगी।

बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने को लेकर भी कई तरह के सवाल और अनिश्चितताएं हैं उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में देश के अलग-अलग राज्यों से आए लोग रहते हैं ऐसे में एक ही स्कूल में अलग-अलग मातृभाषा को जानने वाले बच्चे होंगे लिहाजा सवाल है कि उन बच्चों का माध्यम क्या होगा? एक बड़ा सवाल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर भी है, क्या ऐसे स्कूल स्थानीय भाषा वाले कांसेप्ट को अपनाने को तैयार होंगे। प्राइमरी में ही एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट करने वाले बच्चे का माध्यम ना बदले, इसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी? यह कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी काफी उहापोह का माहौल है।

नई शिक्षा नीति द्वारा सरकार के लिए एक चुनौती यह भी होगी कि वर्तमान समय में व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। मण्डी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही है, जिसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन देकर खरीदा जा सकता है। परिणामतरू शिक्षा में एक भिन्न प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जिसमें छात्र धन के आधार पर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और डॉक्टर आदि उपाधियों के लिये प्रवेश पा कर उच्च भावना से ग्रस्त और धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते है, जिससे असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इस का ही परिणाम है।

निष्कर्ष तथा आगे की राहः

सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जहां तक मेरा मानना है कि इस नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलुओं की अपेक्षा अधिक है। मगर आगे की राह संघर्ष और चुनौतियों भरी है। सभी घोषणाओं को जमीन पर उतरने के लिए बुनियादी अवसंरचना की जरूरत होगी। इससे भी ज्यादा राजनीतिक इच्छाशक्ति को प्रबल करना होगा। नीति का क्रियान्वयन इतना मुश्किल है इसका अंदाजा इसी बात से लगे जा सकता है कि अभी शिक्षा के लिए आवंटित फण्ड का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। शिक्षा में सुधार के लिए सबसे जरूरी यह है कि शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को कायम किया जाए। सरकार को अपने 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए ताकि वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपडेटेड कोर्स में विविधता ला सकें।

बहरहाल इस नई शिक्षा नीति को सरकार किस प्रकार लागू करेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि केवल कागजी खानापूर्ति के बजाय सही अर्थों में नीतियों को लागू करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है, तभी शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे देश को अगर विकास के पथ पर अग्रसर रहना है तो इस नए शिक्षा नीति की हमारी देश को बहुत आवश्यकता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मागं पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
- राष्टीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मत्रांलय, भारत सरकार
- राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ट
- तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका
- नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ट
- सिंह दुर्गेष, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ट संख्या 80-81
- प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ट संख्या 2, 24 अगस्त 2020
- गंगवाल सुभाष, नई षिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ट संख्या 4, 22 अगस्त 2020
- राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ट
- तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका
- नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ट
- सिंह दुर्गेष, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ट संख्या 80-81
- www.wikipedia.com
- www.nep2020.nic.in
- www.researchartical.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: मुद्दे और चुनौतियाँ

दीपिका शर्मा

असिस्टेन्ट प्रॉफेसर (शिक्षा विभाग) जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सार

सुपरिभाषित और भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति किसी भी देश के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर परम आवश्यक है क्योंकि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। सभी देश परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं और इसे प्रभावी बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा स्तरों पर अपने समय चक्र के दौरान विभिन्न चरणों को अपनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली की दृष्टि को रेखांकित करती है। नई नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है। नीति प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को आमूलचूल परिवर्तन लाना है। नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। नई षिक्षा नीति में भाषा नीति एक व्यापक दिशानिर्देश देने के साथ-साथ सलाहकारी प्रकृति की है; और यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है कि वे कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लें। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2022 तक पूरे भारत के सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए।

मुख्य तकनीकी शब्दावली: उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP-2020, अवलोकन और विश्लेषण, कार्यान्वयन रणनीतियाँ, दृष्टिकोण, चुनौतियाँ, NEP 2020 के अवसर।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायसंगत बनाने के लिए एक स्वागत योग्य और महत्वाकांक्षी नीति है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए आने वाले वर्षों में निर्णय लेने वाली संस्थानों में सरलीकरण और बजटीय संसाधनों की पुनर्प्राथमिकता की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि आज लगभग 350 मिलियन भारतीय स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले आयु समूहों में हैं, एनईपी दुनिया में कहीं भी पहले कभी भी बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन का प्रयास नहीं करता है।

यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की पर्याप्त निष्पादन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

एनईपी-2020 की प्रमुख विशेषताएं

शिक्षा में सुधार हेतु चिन्तन भारत के विकास के लिए प्रमुख प्राथमिकता रही है (सक्सेना और अनु, 2019)। नई शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से उन्नत करने का प्रयास करती है। यह बहुत ही नवीन विचार और समकालीन प्रस्तावों के साथ नीति में एकीकृत किया गया है। नीति सर्व-समावेशी शिक्षा के एक ऐसे मॉडल की कल्पना करती है जो गहन, सुसंगत और आकर्षक हो।

NEP- 2020 अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा मॉडल दोनों को लागू करना चाहता है। कक्षा में औपचारिक शिक्षा, शिक्षक के निर्देशों और पुस्तकों के माध्यम से होती है। नई नीति सीखने को कक्षा से परे ले जाने और छात्रों को व्यावहारिक अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है। शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से, छात्रों को बहुभाषावाद से अवगत कराया जाएगा, जिसका एक बड़ा संज्ञानात्मक लाभ होगा। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे समकालीन विषयों को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाएगा, जिन्हें भविष्य के करियर के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान शिक्षक-केंद्रित दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, जिसमें छात्रों के पास उन विषयों का चयन करने का विकल्प होगा, जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। भारत की समृद्ध संस्कृति और भाषाओं की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत की पेशकश की जा सकती है। मानविकी, कला और विज्ञान के विभाजन के बजाय और एक अकादमिक और व्यवसाय के बीच: शिक्षा, जो वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव है। एनईपी 2020 की मुख्य सिफारिशें हैं:

1. बहु-अनुशासनात्मक प्रणाली जिसमें विभिन्न धाराओं अर्थात विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य से विषय चुना जा सकता है जो छात्रों की नवीनता, रचनात्मकता और सरलता के लिए होगा।
2. नीति विशेष रूप से व्यावसायिक शिल्प और जीवन कौशल प्रशिक्षण के कौशल विकास पर जोर देती है।

3. सीखने की राह चुनने में लचीलापन। सभी स्ट्रीम से विषयों को महत्व दिया जाता है ताकि छात्र अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार विषय चुन सकें।
4. 2030 तक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली।
5. मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करने के लिए बोर्ड परीक्षा।
6. प्रत्येक बच्चा स्कूल से कम से कम एक कौशल में निपुण होकर निकलेगा।
7. सार्वजनिक और निजी स्कूलों में सीखने के सामान्य मानक।

एनईपी-2020 कौशल विकास के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे

- प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता
- परिवर्तन प्रबंधन
- कानूनी पेचीदगियां
- अंतर-अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा
- लर्निंग या सर्टिफिकेट/डिग्री डिजिटल कनेक्टिविटी
- पुनर्विचार मूल्यांकन
- कौशल विकास

इस नीति का एक प्रमुख आकर्षण कौशल विकास, विशेष रूप से जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण है। जीवन कौशल प्रशिक्षण बच्चों को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाने के लिए तैयार करता है, बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है और इसे लागू करना तुलनात्मक रूप से आसान है। हालाँकि, प्रमुख चुनौती व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में निहित है, क्योंकि कुछ व्यवसायों को कुछ विशिष्ट समुदायों के लिए जिम्मेदार ठहराने का खतरा है जो पारंपरिक रूप से कई पीढ़ियों से कुछ व्यवसायों पर निर्भर हैं। प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रों की अभिज्ञात योग्यता पर आधारित होना चाहिए। लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अपनी धारणा बदलने की जरूरत है, जबकि नीति निर्माताओं और प्रशासकों को उन कारणों का आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्यों भारत अभी भी 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से दूर है (कुकरेती, 2020)।

प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता

इस नीति को लागू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, फैसिलिटेटर्स और सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जो प्रेरक सलाहकारों के एक पूल के पूरक हों, नीरस नियमित मानसिक कार्य के बजाय लीमिंग को एक आकर्षक और आनंददायक गतिविधि बनाने की आवश्यकता है जो अंततः बेरोजगार युवाओं को पैदा करती है। इसलिए, नीति को एक सीखने की व्यवस्था विकसित करनी होगी जो हमारे महान राष्ट्र की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के साथ-साथ प्रत्येक छात्र की अलग-अलग सीखने की गति को ध्यान में रखे। प्रौद्योगिकी की समझ रखने वाले शिक्षकों की आगामी नस्ल नई तकनीकों के बारे में अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने में छात्रों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेगी और स्कूलों में आईटी कार्यान्वयन के मुख्य प्रेरक और आरंभकर्ता होंगे (गुप्ता, 2020)।

परिवर्तन प्रबंधन

एनईपी 2020 न केवल छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करने का प्रयास करता है, जिसमें साक्षरता की नींव के निर्माण के साथ-साथ उच्च स्तरीय सोच कौशल और महत्वपूर्ण सोच का विकास होता है, बल्कि जीवन कौशल भी होता है जो छात्रों को उनके वयस्क जीवन में विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इसलिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में बदलाव समय की मांग है ताकि नई नीति से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। एनईपी शैक्षणिक और पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ मूल्य-आधारित शिक्षा प्रणाली की मांग करता है। इसलिए, नीति के सफल अनुप्रयोग के लिए नए तरीकों में सुधार और नवाचार किए जाने की आवश्यकता है।

कानूनी पेचीदगियां

किसी भी नीति को लागू करने के लिए, यह सुसंगत होना चाहिए। विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के साथ। कानूनी पेचीदगी है। उम्र के संबंध में सही शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसार इस नीति को लागू करने में। लंबे समय में अधिनियम और हाल ही में शुरू की गई नीति के बीच किसी भी समस्या को हल करने के लिए स्कूल शुरू करने की उम्र जैसे कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी।

अंतर-अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा

एक अंतर-अनुशासनात्मक शैक्षिक व्यवस्था एक महान पहल है जो छात्रों को उनकी पसंद के विषयों का अध्ययन करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगी। युगों-युगों से भारतीय विश्वविद्यालयों का विकास बहुत ही बंटे तरीके से हुआ है, विद्वान और प्राध्यापक अपनी विषय-विशेषता के क्षेत्र की जमकर रक्षा करते रहे हैं। यह संस्कृति, बहुत कम अपवादों के साथ इसकी जड़ें गहरी हैं और नई नीति में इसे बदलने की मांग की गई है। अंतःविषय उच्च शिक्षा मॉडल को लागू करने के लिए शिक्षण संकाय को न केवल एक विषय विशेषज्ञ होने की जरूरत है बल्कि अन्य विषयों में भी झुकाव होना चाहिए, जिसे पूरा करना आसान काम नहीं है। व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, अगले एक दशक में विघटनकारी सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है।

सीखना या प्रमाण पत्र / डिग्री

हालांकि कई निकासों की अवधारणा के माध्यम से उच्च शिक्षा मॉडल में लचीलापन ड्रॉपआउट्स की संख्या को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी ऐसे प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा के मूल्य पर एक सवाल उठता है। भारतीय मानस नौकरियों को अर्जित डिग्रियों से निकटता से जोड़ता है। इसलिए, नई प्रणाली को लागू करने के लिए, हमें पहले इस पुरातन सोच को खत्म करना होगा कि केवल एक डिग्री के साथ ही कोई सफलतापूर्वक नौकरी हासिल कर सकता है। यह एक खतरनाक प्रतिमान है जो किसी व्यक्ति की अन्य जन्मजात प्रतिभाओं को कमजोर और हतोत्साहित करता है।

डिजिटल कनेक्टिविटी

हमें दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच की आवश्यकता है क्योंकि ई-लर्निंग आगे का रास्ता है, जैसा कि महामारी के दौरान देखा गया है। इस उद्देश्य के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में डिजिटल क्लासरूम, विशेषज्ञता से संचालित ऑनलाइन शिक्षण मॉडल, भौतिक शिक्षण और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने के लिए एआर/वीआर प्रौद्योगिकियां, स्कूलों में समान मूल्यांकन योजनाएं, कैरियर परामर्श सत्र और नए युग की तकनीकों में निपुण बनने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण शामिल होंगे। यह अगले दशक में एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

पुनर्विचार मूल्यांकन

स्कूल छोड़ने की परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्डों को छात्रों के लिए अपने मूल्यांकन मापदंडों पर फिर से विचार करना होगा और उपयुक्त शिक्षण सामग्री शीर्ष की भी पहचान करनी होगी। स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को तदनुसार पुनर्गठित करना होगा। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुतः अनुपस्थित है। हम इसे कैसे अनुकूलित और कार्यान्वित करते हैं? चूंकि भारत में अधिकांश ज्ञ-12 शिक्षार्थी 12,000 रुपये से कम वार्षिक शिक्षण शुल्क वाले स्कूलों में नामांकित हैं; प्रस्तावित परिवर्तनों को स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर आसानी से लागू करना होगा।

पाठ्यक्रम और सामग्री

एनईपी 10+2 संरचना से 5+3+3+4 संरचना में बदलाव की शुरुआत करना चाहता है, जहां प्रारंभिक बचपन की शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक हिस्सा होगी। इसके अलावा, एनईपी 2020 महत्वपूर्ण सोच के लिए जगह बनाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है और बदले में 21वीं सदी के कौशल वाले व्यक्तियों को विकसित करता है। इसलिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के सभी पहलुओं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।इन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने में चुनौतियों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पाठ्यक्रम को संशोधित करना शामिल है। इसके अलावा, शिक्षकों को सीखने की सामग्री पर पुनर्विचार करने और तदनुसार पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

परीक्षा संरचना

एनईपी योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित है। मूल्यांकन प्रणाली को बदलने का प्राथमिक उद्देश्य सीखने के परिणामों की निरंतर ट्रैकिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि, निरंतर मूल्यांकन के लिए स्कूलों और शिक्षकों को नवीन मूल्यांकन दृष्टिकोण और असाइनमेंट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये दृष्टिकोण तकनीकी हस्तक्षेप और शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी की मांग करते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 15 लाख स्कूलों में से 75 प्रतिशत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। शेष 400,000 निजी स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल 'बजट निजी स्कूल' हैं। इसलिए, इन स्कूलों में एक सतत मूल्यांकन ढांचे को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

निष्कर्ष

NEP 2020 एक उन्नत व्यवस्था है जो मूल्य-आधारित शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी। यह 'पाठ्यचर्या' की पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा जो कठोर है और इसे बदलने के लिए बोझिल नौकरशाही प्रणाली के बदलते समय के कारण बदलने के लिए असहनीय है। एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला और 21वीं सदी की शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर देता है। हालाँकि, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हमें आने वाले वर्षों के लिए सभी निष्पादन चुनौतियों को निरंतर तरीके से दूर करना होगा। NEP 2020 की मसौदा समिति ने एक ऐसी नीति तैयार करने का व्यापक प्रयास किया है जो विविध दृष्टिकोणों, शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षेत्र के अनुभवों और हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करती है। मिशन आकांक्षी है, लेकिन कार्यान्वयन रोडमैप तय करेगा कि क्या यह वास्तव में एक सर्व-समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा जो शिक्षार्थियों को उद्योग और भविष्य के लिए तैयार बनाती है।

संदर्भः

[1] NEP 2020: Implementation challenges, Ministry of Education. Indiatoday.in/education-today/feature philia/story/a-reality-check- on-nep-2020-major-challenges-in-implementation-1711197-2022-11-28.

[2] Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review Draft National Education Policy 2019.

[3] Gupta, Stuti (2020). Role and Perspective Contribution of Technology in Education Sector with respect to Natioanal Education Policy 2020. In Gupta. Payal (Ed) National Education Policy (2020) A paradigm shift in indian Educaton Ishika Book Distribution, p183.

[4] Manoj, Ambika (2021): National Education Policy-2020: Issues and Challenges in implementation. University news Vol.59, no-5, April 12-18. p.146.

युवाओं की प्रौद्योगिकी निर्भरता

अंकश्री भार्गव

असिस्टेंट प्रोफेसर, एस. एस. जी. पारीक पी. जी.कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर

सारांशः-

21वीं सदी पूर्णतया तकनीकी का युग है। जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए हम सभी तकनीकी से जुड़े संयंत्रों पर निर्भर है। बच्चे, युवा फिर बुजुर्ग सभी अपने विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु तकनीकी पर निर्भर है। यह तकनीक पर निर्भरता हमारी मानवीय संवेदना को भी प्रभावित करती है। पूर्व काल से यदि तुलना करें तो आज फेस टू फेस मिलने से ज्यादा युवा फेसबुक पर रहना पसंद करते हैं। कोई भी समस्या हो उसका समाधान अपने अभिभावकों व शिक्षकों से प्राप्त करने से अधिक गूगल पर सर्च करना पसंद करते हैं। यह सिर्फ एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं अपितु विश्वव्यापी समस्या है यहां यह जानना अति आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग युवाओं के शैक्षिक स्तर को कितना प्रभावित करेगा। यह युवाओं का भविष्य निर्माता की भूमिका निर्वाह करेगा? या फिर युवाओं से संबंधित समस्याओं और परेशानियों का जनक बनेगा?

मुख्य शब्दः- तकनीकी, प्रौद्योगिकी, युवा, सोशल मीडिया

युवाओं की प्रौद्योगिकी निर्भरताः- ''शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना काल में तकनीकी शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई थी। परंतु जैसे-जैसे यह महामारी का काल समाप्ति की ओर है वैसे वैसे यह अनुभूति तीव्र गति से हो रही है कि इस काल ने युवाओं को तथा विद्यार्थियों को काफी हद तक पंगु बना दिया है। आज विद्यार्थी कक्षा कक्ष शिक्षण से अधिक रुचि इंटरनेट पर यूट्यूब पर अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु को ढूंढना व पढ़ना अधिक पसंद करता है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रथम प्रयास किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का ढांचा सुधारने का प्रयास किया जाए ।यह प्रयास यथा योग्य प्रशंसनीय है परंतु जो युवा वर्ग के लाभ से वंचित है तकनीक का लाभ किस प्रकार ले सकता है, यह सोचने का विषय है।''

युवा तकनीक का प्रयोग कब, कैसे व कितना कर रहे हैं यह जानना शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षक भी विभिन्न ऐप द्वारा विद्यार्थियों को नवीन तकनीक से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धि (ए.आई.)आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जिसके द्वारा विद्यार्थी को नवीन युग से कदम मिलाकर चलने को तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य कितने ही गैजेट हैं जिनके बिना किशोरों को उनका जीवन अपूर्ण लगता है। विद्यार्थी कितनी जिम्मेदारी से इसका प्रयोग कर रहे हैं इसका आकलन स्वयं विद्यार्थियों द्वारा ही संभव है।

युवाओं का प्रौद्योगिकी उपयोगरू- युवाओं और तकनीकी का संबंध समझना थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि युवाओं का जीवन उनके वह तकनीकी उपकरणों के आसपास ही घूमता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, एप्स, गेम्स, टेलीविजन आदि सभी उनके जीवन का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। युवा तकनीकी का प्रयोग निम्न कारणों के लिए बहुतायत से करते हैं।

- सोशल नेटवर्किंग व संदेशों का आदान प्रदान हेतु
- वीडियो ,फोटो व लेख इत्यादि ढूंढने के लिए
- रुचि से युक्त समूह से जुड़ने के लिए
- ऑनलाइन गेम खेलने के लिए
- स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए
- अध्ययन उपकरण के रूप में विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
- व्यवसायिक हितों के लिए

युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी के संभावित लाभः- प्रत्येक वस्तु जब तक अपनी सीमा में रहती है और अपने निर्माण के कारणों व नियमों का पूर्ण रुप से पालन करती है फायदा या लाभ प्रदान करती है। युवा वर्ग प्रौद्योगिकी को अपनाकर कार्य दक्षता को प्राप्त करना चाहते हैं

- वह स्वयं को शिक्षित करने व सूचना से अवगत रहने व विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने हेतु इसका प्रयोग पसंद करते हैं।
- स्वयं से संबंधों को बनाने तथा उन्हें विकसित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
- आत्म अभिव्यक्ति व आत्म प्रत्यय का पोषण किसके द्वारा संभव है।
- मित्रों से जुड़ना विविध समुदायों तक पहुंच और आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है।

- विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है
- विभिन्न ऑनलाइन कक्षाएं जैस बायजूस ,अनअकैडमी इत्यादि से भी विद्यार्थियों को शिक्षा में फायदा मिलता है।
- इंजीनियरिंग व मेडिकल डिजाइनिंग मीडिया इत्यादि पाठ्यक्रमों में भी तकनीकी का विशेष महत्व है।

प्रौद्योगिकी से युवाओं हेतु संभावित जोखिमः- तकनीकी उन्हें देश विदेश से जोड़ने का कार्य तो करती ही है परंतु यथार्थ के धरातल पर नैतिकता, मूल्यों, संस्कारों, भावनाओं इत्यादि का पूर्ण विकास नहीं कर पाती ।तकनीकी से अधिक प्रयोग से कुछ दुष्परिणाम सामने आते हैं

- साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग जैसे इंटरनेट अपराध इसमें शामिल है।
- युवा वर्ग में सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है।
- भावात्मक सहयोग की कमी भी विकसित होती है।
- तकनीकी उपकरणों पर निर्भरता में वृद्धि होती है।
- शारीरिक श्रम की कमी के कारण विभिन्न व्याधियों उत्पन्न हो जाती हैं।
- अनुचित सामग्री का प्रदर्शन में प्रयोग भी समस्या के रूप में दृष्टिगत होता है।
- अनुचित संबंधों से में युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यह विश्व के समक्ष एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण अभी तक संभव नहीं है। ब्रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल" द्वारा 2017 का एक अध्ययन से यह पता चला है कि 13 से 18 वर्ष के युवा घर पर स्क्रीन आधारित गतिविधियों पर सप्ताह में औसतन 43.6 घंटे खर्च करते हैं और यह आंकड़ा 2021 के पश्चात अधिक भयावह रूप लेता जा रहा है।

आज का युवा अपने हर कार्य के लिए तकनीक को महत्व दे रहा है चाहे वह यात्रा का टिकट की बुकिंग हो या कपड़ों की खरीदारी, राशन का सामान हो या दवाइयां, पढ़ाई की सामग्री हो या दोस्तों से मिलना, मनोरंजन हो या फिर नवीन खोज। हर कार्य के लिए युवा तकनीकी पर निर्भर होते जा रहे हैं परंतु यह उनके सामाजिक शैक्षिक विकास में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। अभिभावकों व शिक्षकों का यह निश्चित करना आवश्यक है कि इसकी समय सीमा का निर्धारण किया जा सके जिससे युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित प्रकार से विकास किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका अंक 9 अप्रैल 2021
- नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका अंक 10 11 मई 2022
- प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका अंक 3 जुलाई 2020
- https://www.indianyouth.net
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov

तकनीकी संवर्धित शिक्षक शिक्षा: ICT के उपयोग द्वारा आठ प्रकार की ई-प्रस्तावना शिक्षण कौशल का निर्माण

डॉ० मृदुला शर्मा

एम.एन. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर (राजस्थान)

सारांश -

वर्तमान में हम शिक्षा के एक ऐसे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रौद्योगिकी एक मूल्यवान संसाधन बन चुकी है। प्रौद्योगिकी, डिजिटल मीडिया, सूचना और संप्रेषण तकनीकों जैसे शैक्षिक ऐप, सॉफ्टवेयर और ई लर्निंग, डिजिटल बोर्ड्स, कंप्यूटर टेबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, सोशल साइट प्लेटफॉर्म्स आदि का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान छात्राध्यापकों मे शिक्षण कौशल का निर्माण करने मे किया जा सकता है और शिक्षक शिक्षा को उन्नत बनाया जा सकता है। तकनीकी संवर्धित शिक्षक शिक्षा द्वारा भविष्य के लिए निपुण, आलोचनात्मक, चिंतनशील शिक्षकों का निर्माण किया जा सकता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए आईसीटी के रचनात्मक उपकरण का उपयोग कर पाठ प्रारंभ करने हेतु 8 प्रकार की ई-प्रस्तावना कौशल- आरा पहेली, एनिमेशन क्लिप, श्रृंखलाबद्ध चित्र तकनीक, KBC प्रश्नोत्तरी, चित्र पहेली, आदेशिका तकनीक, ग्राफीय अंतरपरिवर्तन और वीडियो फिल्म का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण हेतु पावर पॉइंट के विभिन्न टूल्स, गूगल इमेज, जीआईएफ, मोबाइल एप्स, ऑडियो वीडियो टूल्स आदि का उपयोग किया गया। ये शिक्षण कौशल छात्राध्यापकों को डिजिटल रुप से साक्षर बनाने में मदद करेंगे और उनका पेशेवर विकास करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द- सूचना और संप्रेषण तकनीक (ICT), शिक्षक प्रशिक्षण, छात्राध्यापक, ई प्रस्तावना कौशल, पावर पॉइंट।

प्रस्तावना -

सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। नवीनतम तकनीके शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में तीव्र गति से बदलाव ला रही है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम, प्रभावी और रूचिकर बनाया जा रहा है। यूनेस्को (1998) की विश्व शैक्षिक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों और शिक्षकों में डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की पर्याप्त अभिगम्यता होनी चाहिए। शिक्षकों में नए डिजिटल उपकरणों के उपयोग करने हेतु पर्याप्त ज्ञान और कौशल होना चाहिए जिससे कि वे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक मानक प्राप्त कराने में मदद कर सके। शिक्षक शिक्षा के व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता, शिक्षक में आईसीटी ज्ञान के विस्तार क्षेत्र एवं उनके एकीकरण पर निर्भर करती है।

एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है और प्रशिक्षण के द्वारा यह विशिष्ट कौशल एक अध्यापक में विकसित किए जाते हैं, इन्ही मे सर्वप्रथम आता है प्रस्तावना कौशल। जिसमें छात्राध्यापकों को विभिन्न तरीकों जैसे- प्रश्नों, मॉडल या चित्रों, कहानी, कविता, प्रदर्शन आदि की सहायता से पाठ प्रारंभ करना सिखाया जाता है। इस कौशल की विशिष्ट क्रियाओं को प्रौद्योगिकी द्वारा संवर्धित कर छात्रध्यापकों को सिखाया जाए तो वे निश्चित ही अपने विद्यार्थियों के मन में नए पाठ के प्रति उत्सुकता पैदा करने में सफल हो पाऐगे। 21वीं सदी विज्ञान एवं तकनीकी संसाधनों की सदी है इसमें सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आईसीटी का उचित ज्ञान छात्राध्यापकों को नहीं दिया जाएगा तो वे पूर्ण शिक्षक बनने पर भी स्वयं की कक्षाओं में सार्थक शिक्षण कराने में असमर्थता महसूस करेंगे।

शिक्षक प्रशिक्षण को तकनीकी रूप से संवर्धित करने की आवश्यकता -

शिक्षक शिक्षा नवाचारों और तकनीकी के उपयोग में अभी भी पिछड़ा हुआ है। आईसीटी का उपयोग बीएड महाविद्यालयों में न के बराबर हो रहा है। छात्राध्यापक वही पुराने शिक्षण कौशल, दैनिक पाठ निर्माण आदि सीखने को मजबूर हैं क्योकि शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षण नवाचारों और तकनीकों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। इस प्रकार से तैयार अध्यापक भविष्य में अपनी कक्षाओं में उन्हीं घिसे,पिटे तरीकों से पढ़ाते हैं। उनके अध्यापन में कोई गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाती है। इन पुराने तरीकों से वे विद्यार्थियों में नए पाठ के प्रति कोई उत्सुकता पैदा नहीं कर पाते हैं जिससे उनके विद्यार्थी पाठ प्रारंभ करने से पहले ही दूसरी दुनिया में खो जाते हैं।

विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता के कारण एक दूसरे से अलग होते है। प्रत्येक विद्यार्थी की ज्ञान के बोध, ग्रहण, धारण करने की स्वयं की एक शैली है जिसे उस विद्यार्थी की अधिगम शैली कहा जाता है। शिक्षक को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के अनुसार स्वयं की शिक्षण शैलियों को विकसित करना अति आवश्यक है। अध्यापन एक स्थिर व्यवसाय नहीं है क्योंकि यह समय-समय पर नये ज्ञान, समाज और प्रौद्योगिकी से प्रभावित होकर बदलता रहता है। इसीलिए समय-समय पर अध्यापन कौशलों और तरीकों में भी निरंतर उद्तन एवं विकास की आवश्यकता होती है। इन नये कौशलों और तकनीको को भावी शिक्षकों को सिखाना अति आवश्यक है।

ई-प्रस्तावना कौशल -

ई- प्रस्तावना कौशल का सामान्य अर्थ शिक्षण कौशल में सूचना एवं संप्रेषण तकनीको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, माध्यमों या संसाधनों के प्रयोग से है। यहां ई का तात्पर्य कंप्यूटर आधारित और प्रस्तावना से तात्पर्य नए पाठ या प्रकरण को प्रारंभ करने से है। अत: ई-प्रस्तावना का अर्थ कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का प्रयोग कर पाठ प्रारंभ करने के नए-नए तरीकों से है। यहां निर्मित ई-प्रस्तावना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। जिसमें तारतम्यता व निरंतरता को ध्यान मे रखते हुए उद्देश्य पूर्ण और प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु का निर्माण किया गया है।

पाठ प्रारंभ करने के आठ ई रोचक तरीके-

1. आरा पहेली (Jigsaw PuzZle)- पाठ प्रारंभ करने का एक नवीन तरीका आरा पहेली हो सकता है। जिसमें नए पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व प्रकरण से संबंधित कुछ चित्रों के टुकड़ों को स्मार्ट बोर्ड पर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों की मदद से उन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा जाता है। जिससे प्रकरण का चित्र उभर कर आएगा। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों को क्रियाशील रखते हुए उनका ध्यान नए पाठ की तरफ आकर्षित कर सकता है। जिस प्रकार चित्र संख्या 1 में दर्शाया गया है।

चित्र संख्या 1

2. एनिमेशन क्लिप (Animation clip)- प्रस्तावना कौशल के इस प्रकार में प्रकरण से संबंधित दो मिनट की ऑडियो वीडियो एनिमेटेड क्लिप विद्यार्थियों को दिखाई जा सकती है। उसके पश्चात विद्यार्थियों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ कर उन्हें प्रकरण की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। जैसा कि चित्र संख्या 2 में जीवो के विभिन्न परिवेशो को ऑडियो वीडियो एनिमेटेड क्लिप के माध्यम से दिखाया गया है। अंत मे विद्यार्थियों से विभिन्न परिवेशो मे अंतर से संबंधित प्रष्न पूछकर प्रकरण को प्रारंभ किया जा सकता है।

चित्र संख्या 2

3. श्रृंखलाबद्ध चित्र तकनीक (Chain picture technique)- कंप्यूटर, लैपटॉप के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभिन्न टूल्स का उपयोग करके पाठ से संबंधित चित्रों की एक श्रंखला बड़े ही रोचक तरीके से बनाई गई है, जिसमें चित्रों के साथ इफेक्ट भी डाले गये है। इस

तकनीक मे विद्यार्थियों के समक्ष एक-एक चित्र इफेक्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते है। चित्र प्रस्तुतीकरण के समय शिक्षक प्रश्न पूछता है और प्रश्न के उत्तर चित्र विकल्प के रूप में एक इफेक्ट के साथ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत होते जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर देने पर प्रश्न रूपी चित्र से संबंधित तीर का निशान स्वत: ही सही उत्तर की तरफ बढ़ जाता है। अब शिक्षक सही उत्तर-चित्र से ही अगला प्रश्न, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों से करता है और उसके भी उत्तर,कई विकल्प चित्र के साथ प्रस्तुत होते हैं। इसी प्रकार से यह श्रंखला आगे बढ़ती जाती है। इस श्रृंखलाबद्ध चित्र तकनीक की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को प्रकरण तक ले जाता है। इसके लिए चित्र संख्या 3 देखें।

चित्र संख्या 3

4 **केबीसी प्रश्नोत्तरी (KBC Quiz)**- ई प्रस्तावना कौशल के इस प्रकार के अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ कौन बनेगा करोड़पति के समान प्रश्नोत्तरी का खेल खेलकर उन्हें प्रकरण तक लाया जा सकता है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत होगा। जिसके चार विकल्प विद्यार्थियों को दिए जाएंगें। विद्यार्थी सही उत्तर का चयन करेंगे तो वह विकल्प हरे रंग का हो जाएगा और यदि गलत उत्तर का चयन करेंगे तो वह विकल्प लाल रंग का हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर देने पर अगला प्रश्न उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाएगा जब तक कि वह सही उत्तर न दे दे। इस प्रकार बडे ही रोचक तरीके से विद्यार्थियों को प्रकरण पर लाया जा सकता है।

5 **चित्र पहेली (Picture puzZle)**- इसके अंर्तगत विद्यार्थियों के समक्ष एक पहेली के रूप में प्रकरण से संबंधित कुछ चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं। इन चित्र पहेलियों के उत्तर विद्यार्थियों से निकलवा कर उन्हें नये पाठ के संकेत दे सकते हैं।

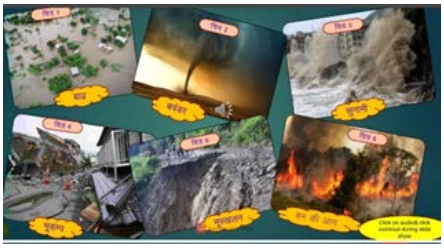

चित्र संख्या-5

6 **आदेशिका तकनीक (Process technique)**- इस तकनीक के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित किसी प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से पुनः स्मरण कराते हुए नए प्रकरण पर ला सकता है। जैसे चित्र सं-6 मे प्राकृतिक रेषो से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को पुनः स्मरण कराते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकरण संष्लेषित रेषे पर ला सकता है।

चित्र सं-6

7. **ग्राफीय अंतरपरिवर्तन तकनीक (GIFK technique)**- प्रस्तावना कौशल के इस ई प्रकार में विद्यार्थियों के समक्ष छोटे-छोटे जीआईएफ एक-एक करके प्रदर्शित करते है। उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हुए उन्हे प्रकरण पर ला सकते हैं। यह छोटे-छोटे जीआईएफ विद्यार्थियों को बहुत आकर्षित करेंगे और उनका ध्यान पाठ शुरू होने से पहले ही केंद्रित कर देंगे। चित्र सं-7 देखे।

चित्र सं-7

8 ओडियो वीडियो कहानी (Audio Video story)- इस प्रकार के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रकरण से संबंधित अति लघु कहानी दिखाई जाती है और उससे संबंधित प्रश्न पूछ कर उन्हें प्रकरण तक लाया जा सकता है। जैसे यदि शिक्षक को कक्षा में बल, कार्य तथा ऊर्जा से संबंधित पाठ का अध्ययन विद्यार्थियों को करवाना है तो वह एक दुबले पतले और एक मोटे बालक के बल प्रयोग और कार्य से संबंधित कहानी दिखा सकता है।

चित्र सं-8

ई-प्रस्तावना निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले ICT उपकरण-

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु कई सूचनात्मक, रचनात्मक, संचार और सहयोगी प्रकार के ICT उपकरण एवं सुविधाएं प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में पाठ प्रारंभ करने के आठ प्रकार की ई प्रस्तावना निर्मित करने हेतु आईसीटी के रचनात्मक उपकरणों का प्रयोग किया गया है जो निम्नानुसार है-

- लैपटॉप
- माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के विभिन्न टूल्स (एनिमेशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, आदि)
- गूगल (इमेज, जीआईएफ)
- मोबाइल एप (वी एन, कॉइन मास्टर आदि)

उपयोगिता -

1) आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर बनाई गई आठ प्रकार की ई-प्रस्तावना छात्राध्यापकों को पाठ प्रारंभ करने के बेहतर अभ्यास सिखा सकते हैं।
2) ये 8 प्रकार की ई-प्रस्तावनाऐ सीख कर छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करवा सकते है।
3) ये ई-प्रस्तावनाऐं छात्राध्यापकों एवं शिक्षकों को पाठ प्रारंभ करने में आ रही परेशानियों का हल प्रस्तुत करता है।
4) पाठ प्रारंभ करने के ये नवीन तरीके शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षा में नवाचार हेतु प्रेरित करेगा।
5) इन प्रस्तावना कौशलो को सीखकर छात्राध्यापक यह जान सकेंगे कि कक्षा के विद्यार्थियों को किस तरह से, अति रोचक तरीकों से संबंधित पाठ पर लाया जा सकता है।
6) ये ई कौशल कक्षा में बैठे नीरस विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में सक्षम होगे।
7) छात्राध्यापक इन ई-प्रस्तावना कौशलो को सीखकर अति रोचक तरीके से विद्यार्थियों को क्रियाशील रखते हुए उनके पूर्व ज्ञान को जांच सकते है।
8) छात्राध्यापक या शिक्षक इन कौशलो का उपयोग सीख कर अन्य शिक्षण कौशलों में भी आईसीटी का उपयोग करना सीख सकेंगे।
9) छात्राध्यापक या शिक्षक शिक्षण अधिगम के नवीन ज्ञान और अनुभवों का आईसीटी के माध्यम से उद्तन कर पाऐगे।
10) इस प्रकार के नवाचार को देखकर, इनसे प्रेरित होकर शिक्षक प्रशिक्षक अपने छात्राध्यापकों को विषय संबंधित अभिनव मॉडल और आईसीटी के उपयोग द्वारा संचार और प्रौद्योगिकी आधारित सहायक सामग्री का उत्पादन कराना सिखा सकते हैं।

निष्कर्ष -

शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में उन्नत सूचना, संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग एक आदर्श परिवर्तन की पेशकश करता है। आईसीटी में शिक्षा पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता मौजूद है। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान यदि विद्यार्थियों में तकनीकी संबंधित शिक्षण कौशलों का विकास किया जाए तो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- Agarwal, J.C. (1996). Essential of Educational Technology, *Vikas Publishing House*, New Delhi.

- Collis (2002). Information TechnologyFor Education And Training. *Handbook On Technologies For Information And Training.* Berlin:Springer Verlag.
- Duffy, L. (2007). Teaching and learning With Technology. Allyn&Bacon.
- Kirwadkar, A & Karanam, P. (2010). E- Learning Methodology. *Sarup Book Publishers Private Limite.* New Delhi.
- Saravankumar, A. R. & Subbin (2011). Effective And Innovative Practices In Teacher Education Through Distance Mode. *Indian Journal of applied research*.1(3):56-57.DOI:10.15373/2249555X/DEC2011/20
- Agarwal, J. P. (2013). Modern Educational Technology. *Black Prints*, Delhi.
- Saravankumar & Jazeel (2014). Influence of ICT Tools For Enhancing The Quality of Teacher Education In Sri Lanka. ISBN 81-909199-9-8.
- Bhattacharjee,B. & Deb,K.(2016). Role of ICT in 21st Century Teacher Education. *International Journal of Education And Information Studies*. ISSN 2277-3169,Vol.6, No.1,Pp1-6. Research India Publications.http://www.ripublication.com
- ICT In Education (2006). Information And Communication Technologies in Teacher Education: *A Planning guide*.
- Satyanarayan,P., Martha,L. & Sesharatnam,C. (2020). ICT Use In Indian Education. ISBN 9789388691390, *Shipra Publications*.
  Arulsamy,S. (2022). Application Of ICT in Education, *Neelkamal Publications* .
- आईसीटी की आलोचनात्मक समझ एवं उपयोग (2017)।ISBN13-978-93-85740-79-4 - शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी का विवेचनात्मक दृष्टिकोण (2020). मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा।
- www.google.com

ऑनलाइन शिक्षा: भविष्य की आवश्यकता एवं निर्भरता

डॉ० उषा मदनावत

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग- श्याम विश्वविद्यालय

संगीता शर्मा

पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, श्याम विश्वविद्यालय, दौसा

सारांश-

शिक्षा मानव समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया समय के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है। समाज की आवश्यकता एवम बदलता परिवेश शिक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में गुरूकुल प्रणाली प्रचलित थी। समय के साथ शिक्षण व्यवस्था बदली और गुरूकुल का स्थान विद्यालयों ने ले लिया। स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात बने विभिन्न शैक्षणिक आयोगों एवम समितियों ने भी शिक्षा के स्तर, गुणवत्ता को बढ़ाने एवं समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा को पहुँचाने हेतु अनेक सुझाव दिये। इन सुक्षावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुये। जहाँ पहले विद्यार्थी अध्ययन हेतु विद्यालय जाता था वहीं विद्यालय द्वारा शिक्षा आपके द्वार में विद्यार्थी तक शिक्षा पहुँचाने का कार्य किया जाने लगा। वर्तमान युग तकनीक आधारित है। जिसमें मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रौधौगिकी से प्रभावित है। शिक्षा में भी तकनीक का प्रभाव बढ़ गया है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कोविड-19 संक्रमण के समय देखने को मिला। लॉकडाउन के कारण लगभग सभी सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियाँ बन्द थी ऐसे में शैक्षणिक सत्र को पूरा करने और विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण का सहारा लिया गया। संकट के समय शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया ने न सिर्फ शैक्षणिक सत्र को पूरा किया वरन् भविष्य की अनेक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का विकल्प भी प्रस्तुत किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी आनलाइन व डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा भारत में नयी प्रक्रिया नहीं है। कोविड-19 से पूर्व भी ऑनलाइन माध्यमों के रूप में रेडियो एवं दूरदर्शन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता रहा है। कोविड-19 महामारी के समय जूम और गूगल मीट ऐप सिक्रोंनस आनलाइन कान्फ्रेसिंग सिस्टम ने विश्व के सभी कोनों से विशेषज्ञों को ऑनलाइन क्लासरूम से जोड दिया। भारत में डिजिटल शिक्षा का प्रारम्भ वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफार्म के तहत 2017 से हुआ। दीक्षा, स्वयं, PM-e विद्या, मेरी ई-पुस्तक, ई-पाठशाला अनेक डिजिटल माध्यम है जो ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करते है। ऑनलाइन शिक्षा जहाँ सूचनाओं एवम सीखने के संसार को विस्तृत करती ही है वहीं अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करती है। जैसे:- कक्षा-कक्ष की अत्यधिक औपचारिकताएँ, पढ़ाई संबन्धी तनाव, परिक्षाओं का भय, शिक्षा में बढ़ता व्यावसायीकरण, महँगी विद्यालयी फीस एवं सीमित सीटें, विद्यालयी आवागमन में लगने वाला समय, शिक्षा में कोचिंग संस्थानों का बढता प्रभाव, बेहतर शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन तथा शहरों एवं महानगरों पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ इत्यादि अनेक समस्याये है जिनका विकल्प ऑनलाइन शिक्षा हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच यह भी विचारणीय विषय है कि शिक्षा में ऑनलाइन माध्यम की प्रक्रिया हमें मशीनों पर निर्भर तो नहीं बना देगी। सीखने-सिखाने में मशीनों का अत्यधिक उपयोग हमारी शारीरिक-मानसिक, व्यावहारिक क्षमताओं को विकास का कितना अवसर देगा। ऑनलाइन शिक्षण मात्र एक तकनीक है जबकि शिक्षा सामाजीकरण की प्रक्रिया भी है। ऐसे में जब मोबाइल व कम्प्यूटर के द्वारा सूचनाओं का विस्तृत संसार विद्यार्थियों के हाथ में हो तो ऐसे में उचित जानकारी के अभाव में क्या वह सही निर्णय ले सकेंगे। साथ ही बढती तकनीकी निर्भरता कहीं घातक तो सिद्ध नहीं होगी। बढ़ता साइबर क्राइम रेट इस बात का सूचक है कि भविष्य में तकनीक का बढ़ता प्रयोग और आसानी से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी के दुरूपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य की आवश्यकताओं एवम डिजिटल युग की डिजिटल पीढ़ी के लिये ऑनलाइन माध्यम अपनाया जाना चाहिए किन्तु मानव मस्तिष्क एवम मशीन के मध्य उचित तालमेल का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रस्तावना: -

शिक्षा मानव समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो कि समाज की आवश्यकता एवं विकास के अनुरूप निर्धारित एवं परिवर्तित होती रहती है। प्राचीन भारतीय समाज में गुरूकुल व्यवस्था थी जिसका स्थान कालान्तर में विद्यालयों ने ले लिया। स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात बने शैक्षणिक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के स्तर को बढाने एवं समाज के सभी वर्गो तक शिक्षा पहुँचाने हेतु अनेक सुझाव दिये, जिनके आधार पर शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुये। जहाँ पहले विद्यार्थी अध्ययन हेतु विद्यालय जाता था वहीं विद्यालय द्वारा ''शिक्षा आपके द्वार'' योजना में विद्यार्थी तक शिक्षा पहुँचाने का विकल्प भी रखा गया। वर्तमान युग तकनीकी आधारित है जिसमें मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रौद्योगिकी से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा में तकनीकी का सर्वाधिक प्रभाव कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिला जब लॉकडाउन के कारण सभी सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियाँ बन्द थी।

शिक्षा आपके द्वार - 2006-07 में प्रारम्भ हुई योजना

ऐसे में शैक्षणिक सत्र को पूरा करने तथा विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिये ऑनलाईन शिक्षण को सहारा लिया गया। संकट के समय शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया ने न सिर्फ शैक्षणिक सत्र को पूरा किया वरन भविष्य की अनेक आवश्यकताओं एवं समास्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया जैसे:-

- कक्षा-कक्ष की अत्यधिक औपचारिकताएँ,
- पढ़ाई संबंधी तनाव एवं परिक्षाओं का भय,
- शिक्षा में बढ़ता व्यावसायीकरण,
- मंहगी विद्यालयी फीस एवं सीमित सीटें,
- विद्यालयीय आवागमन में लगने वाला समय,
- शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों का बढ़ता प्रभाव एवं हस्तक्षेप
- बेहतर शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन,
- शहरों एवं महानगरों पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ

ऐसी अनेक समस्याएँ जिनका विकल्प ऑनलाइन शिक्षा हो सकती हे। कोविड-19 महामारी के समय जूम एप और गूगल मीट सिक्रोंनस ऑनलाइन कान्फ्रेसिंग सिस्टम ने विश्व के सभी कोनों से विशेषज्ञों को ऑनलाइन क्लास रूम से जोड़ दिया। ऑनलानइन शिक्षा को इलेक्ट्रानिक समर्थित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। जो कि इंटरनेट व संचार साधनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे ई-शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, वेब आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम के नाम से भी जाना जाता है। ई-शिक्षा का अर्थ इन्टरनेट से सूचना प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह औपचारिक शिक्षा का एक रूप है। जिसमें इंट्रानेट, कृत्रिम उपग्रह प्रसारण, आडियों-विडियों, टी.वी., सी.डी. इत्यादि इलेक्ट्रानिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। डिजिटल शिक्षा सीखने-सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिकी व डिजिटल उपकरण शामिल है जैसे आई.सी.टी. कम्प्यूटर, लेपटॉप, टेबलेट इत्यादि से लेकर गूगल मीट, गूगल स्प्रेडशीट जैसे साफ्टवेयर भी शामिल होते है। ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा सीखाने का नया व्यापक क्षेत्र है। जो किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। विद्यार्थी आपनी सुविधानुसार सीख सकेंगा। यह ऐसा माध्यम होगा जो भविष्य में सभी महत्वपूर्ण सेवाओं में सहायक होगा। हमारे दैनिक जीवन से जुडी अनेक आवश्यकताएँ है जिसमें तकनीकी का प्रयोग बढ़ रहा है। आर्थिक हिसाब-किताब, बैंकिग, बिजली-पानी के बिल जमा कराना, विद्यालयों-महाविद्यालयों की फीस जमा कराना प्रवेश प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिक्षाओं का संचालन जैसे अनेक कार्य डिजिटल उपकरणों की मदद से होते है।

सिक्रोंनस - ये एक तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग संचार/ऑन-लाईन चौट में किया जाता है।

सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं में सभी आवश्यक रिकार्ड व सूचनाएँ साफ्टवेयर की मदद से संग्रहित की जाती है। सामाजिक समारोह एवं गतिविधियों में भी संचार माध्यमों का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ रहा है ऐसे में समाज में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी की गई है। हमारा देश डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्व विद्यालयों में डिजिटलीकरण को अपनाने, इन्टरनेट का दायरा विस्तृत करने दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत अनुभवों, अभ्यास और ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। ऑनलाइन शिक्षण में विद्यार्थी तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन अपनी सुविधानुसार कर सकता है और उसे दोहरा भी सकता है। भारत में डिजिटल शिक्षा का प्रारम्भ वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफार्म के तहत हुआ। डिजिटल शिक्षा में छात्र ऑनलाइन शिक्षण सामग्री खोजने, उसका उपयोग करने और शैक्षिक सामग्री को साझा करने में सहजता अनुभव करते है।

ऑनलाइन शिक्षा भारत में नयी प्रक्रिया नहीं है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग पूर्व में भी होता आया है। तकनीकी संस्थानों में इस विधा से शिक्षण कार्य कराया जाता रहा है। रेडियों पहला इलेक्ट्रानिक माध्यम है जिससे शिक्षक दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते थे। रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था जिसमें ज्ञानदर्शन व ज्ञानवाणी प्रमुख चौनल है जिन्हे एम.एच.आर.डी. और इग्नू के सहयोग से प्रसारित किया जाता है किन्तु ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक स्वरूप कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिला और अब इसे 21 वी सदी की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020में भी ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। किसी भी देश का भविष्य वहां की शिक्षा नीति तय करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगारन्मुखी व गुणवळा युक्त शिक्षा प्रदान करने की कोशिश है। औपचारिक शिक्षा में समानता, गुणवळा एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करना देश की शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में तकनीकी के समावेश की बात कही है और विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर प्रौद्यौगिकी को अपनाने पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप एम.एच.आर. डी. द्वारा डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। दिसम्बर 2018 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (मूक्स) की उपयोगिता को स्वीकार किया गया

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस - नि:शुल्क वेब आधारित शिक्षा

परम्परागत शिक्षण में ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, डिजिटल इंफ्रास्टकचर तैयार करने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, विशेषज्ञों को ई-शैक्षिक सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान

शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी केन्द्रित है जो ज्ञान के उत्पादन में विद्यार्थी की भूमिका पर अधिक बल देती हे। जिसमें शिक्षक की भूमिका सहायक की होती है और अब इसमें तकनीकी और डिजिटल उपकरण का भी समावेश किया जा रहा है। परम्परागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन माध्यम मिश्रित शिक्षण-अधिगम की दिशा में सार्थक कदम होना चाहिए। ऑनलाइन व डिजीटल शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है। जिनमें स्वयं, दीक्षा, ई-पाठशाला, पी. एम.ई-विधा, ई.पी.जी. पाठशाला, प्रज्ञाता, मेरी ई-पुस्तक जैसे अनेक डिजिटल प्लेटफार्म है जो ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करते है ये माध्यम शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर, पाठ्य-पुस्तकों, पत्रिकाओं, शैक्षिक संसाधनों के प्रदर्शन व प्रसार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते है।

ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे है। जिसके परिणाम हमें भविष्य में परिलक्षित होगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी बात कही गई है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो शिक्षक पारम्परिक कक्षा शिक्षण में पारगंत हो वह ऑनलाइन माध्यम से भी प्रभावी शिक्षण करा सके। शिक्षकों को भी कम्प्यूटर, सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षक अपने शिक्षण में ई-लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, शैक्षिक पोर्टल जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे और ई. लर्निंग संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराने की बात भी कही गई है भारतीय भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुये स्थानीय भाषाओं में गुणवळाापूर्ण-ई-शैक्षिक सामग्री विकसित की जायेगी। इस ई-सामग्री को विविध प्राथमिकताओं के साथ विकसित किया जा रहा है। 6.3 करोड विद्यार्थियों को कवर करने वाली कक्षा 12 से कक्षा 9 तक सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद कक्षा 8 से कक्षा 6 के 6.4 करोड़ विद्यार्थी और इसके पश्चात कक्षा 5 से कक्षा 1 तक के लिये प्राथमिकता तय की जायेगी। साथ ही साथ कौशल विकास आधारित पाठयक्रम वर्चुअल लैब, वर्चुअल वोकेशन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जायेगी। शिक्षक विभिन्न यूजर फ्रेंडली उपकरणों की मदद से छात्रों की प्रगति की निगरानी रख सकेंगे। इस प्रकार ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा किताबी ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करने में सहायता करेगी। जहाँ डिजिटल पहुँच नहीं है

- वर्चुअल लैब- आभासी प्रयोगशाला
- वर्चुअल वोकेशन ट्रेनिंग- आभासी प्रशिक्षण

ऐसे में टी.वी. रेडियों और सामुदायिक रेडियों के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रसारण बड़े स्तर पर किया जायेगा इन शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में चौबिसों घंटे उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षकों को छात्र केन्द्रित अध्यापन का प्रशिक्षण इस प्रकार दिया जायेगा कि वे विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मो और उपकरणों का उपयोग कर स्वयं भी उच्च गुणवळाा वाली ई-सामग्री विकसित कर सकें।

ऑनलाइन शिक्षा तकनीकी आधारित है इसके उपयोग व प्रसार में अनेक व्यावहारिक चुनौतियां भी होगी।

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की वर्ष 2018-19 की रिर्पोट में ऑनलाइन शिक्षण में आने वाली अनेक व्यावहारिक कठिनाईयों का उल्लेख किया है:-

- सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन, कम्प्यूटर, लेपटॉप की सुविधा न होना।
- ऑनलाइन शैक्षिक उपकरणों, माध्यमों की जानकारी ना होना।
- डिजिटल पुस्तकालयों का अभाव।

ऑनलाइन माध्यम से पाठयक्रम को समय पर पूरा कराना आदि अनेक ऐसी कठिनाईयाँ है इसके अतिरिक्त हमारे देश में शैक्षिक संस्थाओं में संस्थागत स्तर पर स्मार्ट क्लासरूम, ई-बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अध्यापकों को ई-कटेंट तैयार करने का अनुभव नहीं है। ई-कटेंट तैयार करने के लिए लोकप्रिय पुस्तकों, पाठ्य-पुस्तकों, सन्दर्भ ग्रन्थों की फोटोकॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना आसान नहीं है। इसमें कॉपीराइट की शर्तो का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के समय प्रारम्भ की गई ऑनलाइन कक्षाओं के अनुभव भी हमारे समक्ष है जिसके तकनीकी कारण तो थे ही साथ-साथ शिक्षण-अधिगम से संबंधित व्यावहारिक कठिनाईयाँ भी थी। परम्परागत शिक्षण में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यार्थी कक्षा में अन्य सहपाठियों के साथ सामाजिकता, सहयोग व सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थी व शिक्षकों की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। घर का वातावरण कक्षा-कक्ष के वातावरण की तुलना में कम प्रभावशाली होता है। सीमित आय वाले मध्ययम वर्गीय परिवारों में पर्याप्त स्थान का अभाव कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक वातावरण निर्मित करने में बाधा उत्पन्न करता है। ऑनलाइन शिक्षण में मोबाइल अथवा कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है। जिसकी स्क्रीन पर लगातार देखने से आँखों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। विद्यार्थियों में रूचि, अभिप्रेरणा को बनाये रखना भी एक समस्या है।

क्योंकि तकनीकी सिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए कैमरे ऑफ रखे जाते है जिससे शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य ध्वनि ही सम्पर्क का माध्यम होती है और ध्वनि के आधार पर लगातार विषय पर ध्यान केन्द्रित रखना मुश्किल होता है। ऑनलाइन शिक्षण में विद्यार्थी पूरे समय शिक्षण से जुडा है और पढ़ रहा है या अन्य गतिविधियों में लिप्त है इसकी सही जानकारी का भी अभाव रहता हैं ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यद्यपि ऑनलाइन शिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है लेकिन इन सबके बीच यह भी विचारणीय विषय है कि ऑनलाइन डिजिटल माध्यम की शिक्षण प्रक्रिया हमें मशीनों पर निर्भर तो नहीं बना देगी। सीखने-सिखाने में डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हमारी शारीरिक, मानसिक व्यावहारिक क्षमताओं को विकास के कितने अवसर प्रदान करेगा। ऑनलाइन शिक्षा मात्र एक तकनीकी है जबकि शिक्षा सामाजीकरण की प्रक्रिया भी है, ऐसे में जब मोबाइल, कम्प्यूटर के द्वारा सूचनाओं का विस्तृत संसार विद्यार्थियों के हाथ में हो तो ऐसे में उचित जानकारी एवं मार्गदर्शन के अभाव में क्या वे सही निर्णय ले सकेंगे। साथ ही बढ़ती तकनीकी निर्भरता कहीं आने वाले समय में घातक तो सिद्ध नहीं होगी। बढ़ता साइबर क्राइम रेट इस बात का सूचक है कि भविष्य में तकनीकी का बढ़ता उपयोग और आसानी से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी का दुरपयोग मानवीय संवेदना व क्षमता को प्रभावित करेगा इस आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। भविष्य की आवश्यकताओं एवं डिजिटल युग की डिजिटल पीढ़ी के लिये ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम आपनाया जाना चाहिए किन्तु

मानव मस्तिष्क की अपार सम्भावनाओं एवं मशीन के मध्य उचित तालमेल हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते-करते मशीनों पर पूर्णत: निर्भर ना हो जाये।

सन्दर्भ सूची

1) चारण नरपतदान: 26 अगस्त 2021 - ऑनलाइन शिक्षा के नकारात्मक असर, विकसित हो शिक्षा का सरकारी मॉडल www. kzagran.com
2) चौबे योगेन्द्र: ऑनलाइन शिक्षा की प्रासंगिकता https://sarkarischool.in
3) गर्ग ललित: ऑनलाइन शिक्षा के नुकसान की भरपाई कैसे हो www.agniban.com
4) गुप्ता प्रो. आर. के.: 31 मार्च 2021 - भारत में उचित और प्रभावी ऑनलाइन शिक्षा संम्भावनाऐं https://www.thefela.org
5) पेतवाल गोविन्द: 25 अक्टूबर 2022 - ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और इसका बच्चों पर प्रभाव https://www.gtechhindi.com
6) रघुवंषी चेल्सी: 28 जुलाई 2022 - डिजिटल शिक्षा क्या है, ई-लर्निंग और फ्यूचर प्लानिंग https://hindi.careerindia.com
7) सौरभ निशान्त - 13 अगस्त 2020 - नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन एंव डिजिटल शिक्षा पर जोर https://ddnews.gov.in
8) शुक्ल अरविन्द: 2021 - भारत में उच्च शिक्षा एंव ऑनलाइन शिक्षण IJARMS - JOURNAL
9) ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली: लाभ और इसे बेहतर बनाने के उपाय - 02 मार्च 2021 https://eepinspiriingme.in
10) ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ - 04 अगस्त 2021 https://www.kzansatta.com
11) मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन षिक्षा का प्रभाव: 18 सितम्बर 2021 - इंडिया टूडे https://www.indiatoday.in

नई शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षिकाओं की शिक्षण दक्षता का अध्ययन

श्रीमती हेमलता सैन

पीएच.डी (शोधार्थी) शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० महेश कुमार पारीक

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध-पत्र सारांश

रस्तौगी कमेटी के अनुसार-"योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में लाया जाना चाहिए" इस समिति के अनुसार शिक्षक पूरे शिक्षण तन्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न संस्थाओं से बाहर आने वाले सैकडों स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध डिग्री प्राप्त छात्रों में से अधिकांश ने शिक्षा तन्त्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रयासों पर हम शक नहीं कर सकते लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा की सार्थकता और स्तर पर लगातार प्रश्न उठ रहे है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण नहीं है। शिक्षिकाओं के मामले में पारिवारिक इकाईयों में महिलायें कैरियर के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सचेत होती है। इसके लिए महिलाओं का बंधनमुक्त होना तथा आर्थिक कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन संयुक्त परिवार में महिलाओं को संभवत: इतनी छूट हासिल नहीं होती है। अगर बच्चे कैरियर निर्माण की आयु के करीब पहुँच चुके है तो महिलाओं को अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं का त्याग करना पड़ता है। ऐसे में यह निश्चित है कि वह अनियमित कैरियर या बाधित कैरियर से नही बच सकती है।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए गए है। उनमें से अध्यापकों की व्यावसायिक जवाबदेही विषय भी विचारणीय है। और आज के बदले हुए परिवेश में इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन स्वतन्त्र भारत की नवीन आवश्यकताओं एवं माँगों के अनुकूल शिक्षा के पुर्नगठन हेतु उपयुक्त सुझाव देने के लिए किया। इस आयोग ने शिक्षकों के दायित्वों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने प्रथम बार "शिक्षकों के दायित्वों" के सन्दर्भ में आचरण एवं अनुशासन सम्बन्धी नियमों की चर्चा की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात की थी। स्वायत्तता से तात्पर्य यह था कि विश्वविद्यालयों को शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षाओं के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की जाये। जिससे वे उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में सक्षम हो।

विशिष्ट शब्द (Keywords):- नईशिक्षा नीति 2020, व्यावसायिक जवाबदेही, शिक्षण दक्षता, स्वजागरूकता, परानुभूति, स्वप्रेरणा संवेगात्मक स्थायित्व, कर्त्तव्यनिष्ठा, प्रबन्धकीय सम्बन्धों स्वविकास, उतरदायित्व।

प्रस्तावाना:-

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए गए है। उनमें से अध्यापकों की शिक्षण दक्षता विषय भी विचारणीय है। और आज के बदले हुए परिवेश में इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है।

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते है अत: हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते है इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे अधिक सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे शिक्षार्थियों को निर्धारित ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरुरत की सभी चीजे प्रदान करता था अध्यापक शिक्षा की गुणवता भर्ती पदस्थापन सेवा शर्ते और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरुप शिक्षकों की गुणवता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनजीर्वित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हे प्रेंरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोतम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

अंग्रेजी शब्द एकाउन्टेबिल्टि के लिए इसके हिन्दी रूपान्तर 'उत्तरदायित्व' और 'जवाबदेही' दोनों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों के बीच भेद बहुत स्पष्ट नहीं है उत्तरदायित्व में एक नैतिक जिम्मेदारी का पुट झलकता है। जबकि 'जवाबदेही' में किसी लाभ के बदले में सौंपे हुए कार्य की पूर्ति अपेक्षानुकूल

होने या न होने पर स्पष्टीकरण देने अथवा कारण बताने के लिए बाध्यता निहित लगती है। जवाबदेही में कार्य पूर्ति न होने पर दण्ड की झलक भी मिलती है। शिक्षा एवं अध्यापन के सन्दर्भ में उत्तरदायित्व का सम्बन्ध किसी बाह्य अभिकरण से नहीं वरन् नैतिक बाध्यता से है और जवाबदेही सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक नियन्त्रण से नियमित प्रत्यय है।

वैदिक काल में गुरू को वेदों, शास्त्रों का महान ज्ञाता माना जाता था। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे। गुरूओं की यह जिम्मेदारी मानी जाती थी कि वे शिक्षण के समय वाक्, मन, विचार, चिन्ता, स्मृति, विश्वास तथा अन्य मानसिक क्रियाओं को अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें।

''एक इन्जीनियर की त्रुटि से कुछ भवन या पुल टूट सकते है, एक डॉक्टर की त्रुटि से कुछ मरीज मर सकते है किन्तु एक शिक्षक की त्रुटि से सम्पूर्ण राष्ट्र की हानि होती है।" अर्थात अध्यापक वह नक्षत्र है सम्पूर्ण मानव जाति का पथ प्रदिर्षत करता है। शिक्षक का किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

शिक्षा का सर्वप्रथम एवं शाश्वत धर्म यह है कि ऐसी मानव संतति का सृजन करना जो नवीन के प्रति जिज्ञासु हो, जिसमें ग्राहता का भाव हो, सृजनधर्मी चिन्तक, भविष्योन्मुख, मननशील मानव का निर्माण शिक्षा का प्रथम धर्म है। द्वितीय धर्म है ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करना जो स्वच्छ आलोचना करने तथा लक्ष्यों का सत्यापन करने में सक्षम हो, सत्य/असत्य में विभेद करने की विवेकक्षमता से युक्त हो। शिक्षाशास्त्री जान ड्यूवी ने भी शिक्षा को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना है उनके अनुसार शिक्षा उन शक्तियों के विकास का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य को अपने वातावरण पर नियन्त्रण रखने तथा अपनी समस्त शक्तियों के विकास की सामर्थ्य उत्पन्न होती है।

वैदिक काल में शिक्षक की योग्यता केवल उसके पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, वरन् आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों से मापी जाती थी, गुरू अपने शिष्यों को कड़े मानदण्डों के आधार पर चुनते थे, और केवल मात्र उपदेश ही नहीं देते थे। बल्कि स्वयं भी उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते थे।

प्रश्न उठता है कि क्या 'शिक्षण दक्षता' कोई नवीन अवधारणा है या प्राचीन? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें भारतीय शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करना होगा। प्राचीन काल में शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था गुरूओं द्वारा सम्पन्न होती थी। राज्य का शिक्षा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था। राजा गुरूकुलों को सिर्फ आर्थिक सहायता ही प्रदान करते थे। अत: इस काल में शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व गुरूओं, शिक्षकों पर था। शिक्षक ज्ञानी, त्यागी एवं नि:स्वार्थ समाजसेवी होते थे। उनका समाज में सर्वोच्च स्थान था। वे अपने कर्त्तव्यों को स्वयं जानते थे और उनका पालन बड़ी निष्ठा एवं लगन से करते थे।

रस्तौगी कमेटी के अनुसार-"योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में लाया जाना चाहिए" इस समिति के अनुसार शिक्षक पूरे शिक्षण तन्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न संस्थाओं से बाहर आने वाले सैकडों स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध डिग्री प्राप्त छात्रों में से अधिकांश ने शिक्षा तन्त्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रयासों पर हम शक नहीं कर सकते लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा की सार्थकता और स्तर पर लगातार प्रश्न उठ रहे है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के तत्वाधान में शिक्षा समाजशास्त्र और टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा बम्बई में 5 से 10 फरवरी 1965 को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय "भारत में शिक्षण व्यवसाय का समाजशास्त्र" था। इसमें देश के अनेक शिक्षा शास्त्रीयों एवं समाजशास्त्र विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें शिक्षा के सभी पक्षों जैसे शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा शिक्षण, शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों की सामाजिक विशेषताएँ, शिक्षकों का वर्तमान समय में समाज में स्थान आदि पर चर्चा की गई इसके उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एम. डी. चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों'' में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज की परिस्थितियों और व्यवस्थाओं में अनेकानेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। उनके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन आ रहे है। इन परिवर्तनों के सन्दर्भ में जब हम एक शिक्षक के कार्य के विषय में सोचते है तो ऐसा प्रतीत होता है कि, शिक्षक अब अपने परम्परागत कार्य को ही करके अपने उत्तरदायित्व की इति श्री नहीं समझ सकता क्योंकि अब उसे अनेक कार्यों और कर्त्तव्यों को पूर्ण करना है। शिक्षकों के मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन आये बिना शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का आधुनिक सामाजिक सन्दर्भ में कोई संतोषप्रद हल नहीं निकल सकता। शिक्षक का परम्परागत कार्य प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं को एक नई पीढ़ी को सौंपना रहा हैं लेकिन भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कार्यकर्त्ता के रूप में शिक्षक की अवधारणा नई ही है। शिक्षकों को यह सोचना आवश्यक है कि वर्तमान भारतीय समाज की आवश्यकताओं और विशेषताओं के सन्दर्भ में वह किस प्रकार अपने इन दोनों प्रकार के कार्यों को समन्वित ढ़ंग से सम्पादित कर सकता है।"

शिक्षक दायित्व को लागू करने में बहुत कम ध्यान दिया गया है, शिक्षक को शैक्षिक वातावरण के महत्व के कम होने में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को मानना चाहिए। वर्तमान में उच्च शिक्षा में हमें ऐसे योग्य और समर्पित शिक्षकों की जरूरत है जो अपना कार्य धार्मिक श्रद्धा से कर सके। हमें यह जाँच करनी है कि क्या सारा दोष शिक्षक का है? प्रशासन, नीति निर्धारकों का इसमें कोई हाथ नहीं है?

आधुनिक काल में जब शिक्षा में दायित्व की बात सोचते है तो इसक सम्बन्ध या तो विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था से होता है या उनके विभिन्न अवयवों जैसे-शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग का अपने व्यवसाय के प्रति जवाबदेही से होता हैं परन्तु इन सभी में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है वैसे तो आदिकाल से शिक्षा मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन रही है शिक्षा ही व्यक्ति को जीवनदर्शन कराती है। परन्तु वर्तमान वैज्ञानिक युग में इसकी महत्ता द्विगुणित हो गई है। आज शिक्षा न केवल व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति का साधन है अपितु समाज के विकास के लिए एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके समाज के उन सभी जीवन मूल्यों, सामाजिक स्थिति, सामाजिक दशा व सामाजिक उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्ति, मूल्य, ज्ञान, कौशल में अभिवृद्धि की जा सकती है। जिसके कारण वह जीवन की बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने आपका सामंजस्य स्थापित कर सके। तथा जिससे सामाजिक जीवन में अपनी अहम् भूमिका निभा सके व समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सके।

शिक्षकों की उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता के अनेक कारण हमारे सामने उभर कर आते है जैसे अध्यापक कार्य में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति न होना, अध्यापकों की शिक्षण कार्य के प्रति रूचि का अभाव, दलगत राजनीति, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का अभाव, समाज में शिक्षक का उचित सम्मान का अभाव आदि। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए गए है। जिनमें से "अध्यापकों की जवाबदेही" विषय भी विचारणीय है अत: आज के परिवेश में इस पर विचार करना अनिवार्य है।

उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार हमारे देश में चिंता का प्रमुख विषय है। हमारे देश में इस समय 17-23 वर्ष के युवाओं की कुल संख्या का 6 प्रतिशत उच्च शिक्षा में है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एन.सी.टी.ई.) शिक्षक को पढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रतिनिधि के रूप में भी देखना चाहती है। हमने शिक्षकों की संख्या को 300 विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा लगभग 6 मिलियन छात्रों वाले लगभग 9000 कॉलेजों में उल्लेख करके बहुत बड़ा काम किया है। क्या इन उपलब्धियों के आधार पर शिक्षक और शिष्य से जुड़े संस्थाओं को और अच्छा बनाने के लिए और कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षा समितियाँ बनाई गई फिर भी हमारे देश में शिक्षा के स्तर में गिरावट की समस्या बनी हुई है।

मध्यकाल मे नारी शिक्षा की ओर से समाज का ध्यान हटा हुआ पाया जाता है। वीर गाथा काल से रीतिकाल तक को साहित्य इस बात का प्रमाण है कि देश मे युद्ध का वातावरण रहा। देशी राजाओं की आपसी लडाइयों के कारण स्त्रियाँ शिक्षा की ओर उदासीन हो गई उन्नीसवीं शताब्दी मे नवजागरण एवं पुनरूत्थान की प्रवृति से प्रभावित होकर नारी शिक्षा का प्रचार-प्रसार होने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समाज मे जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुये है, उनमे से नारी समाज की सापेक्षिक मुक्ति भी एक है। महिलाओं की बदलती हुई जीवनशैली के कारण उनके व्यवहार, मूल्य, संवेदनाओं तथा प्रेरणा शक्ति ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि आज वे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र मे पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही है। सामाजिक परिवर्तन के घूमते चक्र के कारण ही महिलाओं को परम्परागत रूढिवादि भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल पाई है।शिक्षिकाओं के मामले में पारिवारिक इकाईयों में महिलायें कैरियर के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सचेत होती है। इसके लिए महिलाओं का बंधनमुक्त होना तथा आर्थिक कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन संयुक्त परिवार में महिलाओं को संभवत: इतनी छूट हासिल नहीं होती है। अगर बच्चे कैरियर निर्माण की आयु के करीब पहुँच चुके है तो महिलाओं को अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं का त्याग करना पड़ता है। ऐसे में यह निश्चित है कि वह अनियमित कैरियर या बाधित कैरियर से नही बच सकती है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए गए है। उनमें से अध्यापकों की व्यावसायिक जवाबदेही विषय भी विचारणीय है। और आज के बदले हुए परिवेश में इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन स्वतन्त्र भारत की नवीन आवश्यकताओं एवं माँगों के अनुकूल शिक्षा के पुर्नगठन हेतु उपयुक्त सुझाव देने के लिए किया। इस आयोग ने शिक्षकों के दायित्वों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने प्रथम बार "शिक्षकों के दायित्वों" के सन्दर्भ में आचरण एवं अनुशासन सम्बन्धी नियमों की चर्चा की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात की थी। स्वायत्तता से तात्पर्य यह था कि विश्वविद्यालयों को शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षाओं के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की जाये। जिससे वे उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में सक्षम हो। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वजागरूकता, परानुभूति, स्वप्रेरणा संवेगात्मक स्थायित्व कर्त्तव्यनिष्ठा प्रबन्धकीय सम्बन्धों स्वविकास, उतरदायित्व एवं परोपकारी व्यवहार अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण दक्षता को प्रभावित करते है। यदि शिक्षिकाऐं कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी भावनाओं एवं संवेगो पर समुचित नियन्त्रण नहीं रख पाती है जो उसकी शिक्षण दक्षता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। क्योंकि कार्य की अधिकता शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण दक्षता को प्रभावित करती है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने का प्रावधान है जिससे शिक्षण दक्षता प्राप्त की जा सके उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं को उनकी रुचि व सुविधाओं के अनुसार सॉफ्ट स्कील सहित विभिन्न कौशल सिखाया जाये। जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। नईशिक्षा नीति में 2030 तक सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसर बढाना है। यह नीति प्रत्येक महिलाओं में नीहित रचनात्मक दक्षता के विकास पर विशेष जोर देती है।

सन्दर्भ ग्रंथसूची

- .एन.सी.ई. आर.टी. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005
- साहित्य प्रकाशन आगरा 2005 अनुसंधान विधियाँ डा. डीएन. श्रीवास्तव
- Sharma R.p: cbse 2009 Implamentation of cce Scheme in school's - Some reflections.
- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार मई 2013 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद 2013 ''सतत एवं व्यापक मूल्यांकन'' स्रोत पुस्तिका
- राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद 2013 ''सतत एवं व्यापक मूल्यांकन'' शिक्षकों के पठन हेतु वितरित सामग्री।
- 7.www. uttam hindu. com / politics / 150172/ new-education-policy-foundation (नई शिक्षा नीति-नए भारत की नींव, 2 अग 2020)
- www.drishtiias.com दृष्टि, The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति:महत्त्व व चुनौतियाँ, 31 July 2020)
- www.bbc-com/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
- www. bbc-com-/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
- दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020
- https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues

NEP 2020 के आलोक में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० मौसम पारीक

शोध निर्देशक, शिक्षाविभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

ममता शर्मा

शोधार्थी, शिक्षाविभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश -

परिवर्तन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सकारात्मक हो तो आनंद का विषय होता है अत: सकारात्मक परिवर्तन का हमें खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि शिक्षा ही जीवन है। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इसमें कई त्रुटियां है जिसे सुधारना अनिवार्य है अत: नई शिक्षा नीति 2020 का हमें पूरे मन से अपनाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है जिससे वे अपने जीवन में आने वाली समस्त चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर भारत बालक को व्यावसायिक शिक्षा देने के फलस्वरूप ही बन सकता है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अगर प्रभावी रूप से बालक को मध्यम स्तर कक्षा 6 से 8 में व्यवसायिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी तो बेरोजगारी की समस्या बड़े स्तर पर पर हल होगी बालक में कौशल विकास होगा तो अपने आप ही बालक स्वयं ही जीविकोपार्जन के लिए संसाधन एकत्रित कर सकेगा और इससे भारतीय जनसंख्या की नकारात्मकता मानवीय संसाधन के रूप में सकारात्मकता में बदलकर देश को विकास के नए आयामों पर स्थापित करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने बलबूते से आत्मनिर्भर बनते हुए आत्मनिर्भर भारत के रूप में सपने को साकार करेगा।

मुख्य शब्द - वर्तमान शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत।

प्रस्तावना -

भारत एक वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ विकासशील राष्ट्र है यहां की जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियां असीमित मानवीय संसाधनों एवं विकास की संभावनाओं का भंडार है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत सकारात्मक कदम (1968, 1986, 2020) उठाए हैं, जिनके फलस्वरूप भारत को वैश्वीकरण के केन्द्र के रूप में ध्यानाकर्षण का श्रेय दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार हमें यह महसूस हुआ की शिक्षा नीति 1986 जो मुख्य रूप से लॉर्ड मेकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी जिसमें 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए फिर भी उस शिक्षा नीति में कुछ कमियां है। क्योंकि उस नीति के अंतर्गत बालक ज्ञान तो प्राप्त कर रहा है लेकिन यह ज्ञान भविष्य में रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनकर भारत को समग्र रूप से आत्मनिर्भर बना सके इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के साधन भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा के विकास रूपी रथ में भारत सरकार के सकारात्मक कदमों में से सबसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीय शैक्षिक स्तर का मील का पत्थर या भारतीय शिक्षा का नया मैग्नाकार्टा माना जा सकता है। जिसकी संक्षिप्त विवरणात्मक जानकारी निम्न प्रकार से है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 -

भारत सरकार द्वारा शिक्षा को कौशल आधारित बनाने हेतु मंशा बनाई गई है जिसके फलस्वरूप कस्तूरीरंजन (EXISRO HEAD) समिति को शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने हेतु नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई।

- जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारतीय शैक्षिक भविष्य के नए मैग्नाकार्टा के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नवंबर 2020 में अधिसूचना जारी हुई।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप में महाशक्ति बनाना तथा शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता में उच्चतम स्तर पर पहुंचाना है।
- इसकी मुख्य विशेषता 2030 तक शत-प्रतिशत नामांकन एवं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्से का शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है तथा सबसे प्रमुख बात है कि इसे कौशल विकास एवं व्यवसायिक केन्द्रीय बनाया गया है अर्थात् बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत -

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को सभ्य नागरिक बनाने के साथ-साथ आजीविका के लिए भी तैयार करना है जिससे भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और भारत को आत्मनिर्भर बना सके। इस व्यवसाय केंद्रीय शिक्षा से भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा जिसको हम भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस शब्द का उल्लेख किया था जब वे कोरोना वायरस विश्वमारी संबंधित एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे आत्मनिर्भर अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाऐं की गई जिससे गरीबों श्रमिकों और किसानों का हित हो सके विभिन्न प्रकार के कौशलों एवं तकनीकी जानकारी से व्यक्ति अपने बलबूते पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का विकास करने में सक्षम हो सके।

इस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने कुशल प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करने से जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रसंग 4.23 में कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाकर्मीय एकीकरण की बात की गई है जिसके परिणामस्वरूप भारत के जनसंसाधन की क्षमता का स्तर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक प्रकार के कौशलों एवं तकनीकी जानकारी के बलबूते पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास व्यक्ति अपने स्तर पर कर पाने में सक्षम होगा। जिससे आत्मनिर्भर भारत योजना का मंतव्य काफी सीमा तक पूर्ण हो पाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह अवधारणा महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के मॉडल से मिलती-जुलती लगती है जो कि एक प्रकार के बालक को सिर्फ शिक्षा, कक्षा की परीक्षा पास करने व अंकों के आधार पर उनकी योग्यता का निर्धारण करने तक सीमित नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालक को अनेक प्रकार के कौशलों में पारंगत करवाया जाएगा जिससे आत्मनिर्भर भारत योजना के पंख के रूप में देखा जा सकता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसा भी सीखे जो उसे अपने जीविकोपार्जन में मदद करें जैसे कि: -

- **कोडिंग** - कोडिंग एक ऐसी तकनीकी जानकारी है जिसकी मदद से बच्चे अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट आदि का निर्माण कर सकते हैं जिसका परिणाम यह होगा कि बालक अपने इस हुनर से आगे चलकर विभिन्न प्रकार की देशी और विदेशी कंपनी में काम करने के अलावा अपना खुद का भी बिजनेस हब शुरू कर सकता है।
- **मैकेनिकल शिक्षा** - प्रत्येक बच्चे की रूचि बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के मशीनों में होती है, जिससे बच्चे में उनकी कार्यशैली को जानने की उत्सुकता बनी रहती है अगर बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो वह अपनी रूचि के अनुसार अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- **विदेशी भाषा ज्ञान** - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के साथ-साथ, विदेशी भाषा की जानकारी बच्चे को देने की बात कही गई है, जिससे बालकों को टूरिस्ट गाइड और अनेक डछब् में काम करने में आसानी होगी और इससे बालक को रोजगार के अवसर वैश्विक स्तर पर आधारित होंगे। लेकिन चीन की मंडारिन भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- **गृह विज्ञान** - गृह विज्ञान की भी शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक मार्गदर्शन के रूप में देखी जा सकती है क्योंकि बालक आगे जाकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय क्षेत्रों में अपनी आजीविका का प्रबंधन कर सकता है।
- **तकनीकी जानकारी** - यदि विद्यालय में बालक की विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी दी जाए तो बालक आत्मनिर्भर बनने के लिए वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटर, भवन निर्माण, पाइप फिटिंग, मशीनों को ठीक करना आदि कामों को आसानी से कर सकता है जो कि भारतीय समुदाय में एक बड़ा हिस्सा इन्हीं कामों से रोजगार पा रहा है। तकनीकी जानकारी प्राप्त करके बालक काफी हद तक आत्मनिर्भर बन सकता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- **कम्प्यूटर ज्ञान** - आज की पीढ़ी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण काम हो गया है कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है इसलिए जब बालक को बाल्यावस्था में कम्प्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा तो बालक आत्मनिर्भर तो बनेगा ही साथ में राष्ट्र के विकास में अद्वितीय सहयोग भी करेगा।
- चिकित्सा क्षेत्र - चिकित्सा क्षेत्र में बालक विभिन्न प्रकार के रोजगार पाते हुए आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होगा डॉक्टर नर्स मेडिकल क्षेत्र में बहुत ऐसे क्षेत्र है जो कि बालक ज्ञान प्राप्त करें तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सकारात्मक कदम होगा।
- **कृषि क्षेत्र** - इस क्षेत्र में भारत अभी और भी अच्छा कर सकता है लेकिन उचित ज्ञान एवं वैज्ञानिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पाता लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वोकेशनल होने के कारण आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष -

अंत में निष्कर्ष के रूप में हम यह मान सकते है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किया गया है वह पूर्ण रूप से सकारात्मक ही होगा क्योंकि मात्र किताबी ज्ञान परीक्षा पास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि बालक को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा का उद्देश्य

होना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को आत्मनिर्भर होने की बात कही गई है जो कि पूर्ण रूप से वर्तमान समय के हिसाब से सटीक और सही है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता भी थी।

संदर्भ –

- https://youtu.be/8tiQuiCdkM
- https://youtu.be/jJDHm2SY8qo
- New India Samachar 1-15 oct. 2022
- WWW.Succssds.net

समग्र दृष्टिकोण और शैक्षणिक नींव (एनईपी-2020)

सुभिता कुमारी

पीएच.डी शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० रीटा झाझडिया

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश -

शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है - जी.के. चेस्टर्टन इन वाक्यों से हमें मालूम होता है। कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी अनमोल है। इससे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण बदलाव एवं चमत्कारी परिवर्तन किये गये है। लेकिन इसे एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए ताकि देश को विश्व के समक्ष आदर्श शिक्षा मंडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके ताकि एक श्रेष्ठतर समाज की रचना की जा सके जिससे एक श्रेष्ठ विश्व की रचना हो सके शिक्षा एक सफल, शिक्षित और सम्पन्न समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण नींव है। यह हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य शब्दः संसाधन, डेटा संग्रहण तकनीकि, ब्लॉक चौन सिस्टम मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रस्तावना -

शिक्षा शब्द को देखे तो पता चलता है कि शिक्षा एक संस्कृत शब्द है। जिसका अर्थ है। सीखना या सीख होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को ''एजुकेशन'' कहते है। शिक्षा का सही अर्थो में मतलब सीखना होता है। वह सीख चाहे वह आप अपने माता-पिता से सीखते है या फिर समाज से या स्कूल तथा कॉलेज या अपने दोस्तों से जहां कहीं से भी हमें सीखना होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा से हमें ज्ञान, उचित आचरण तकनीकि दक्षता विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते है। इसमें आचरण, तकनीकि दक्षता तथा ज्ञान का समाविष्ट होता है। इसी प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानवीय नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केन्द्रित है। ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विश्व बहुत बड़े - बड़े परिवर्तनों से गुजर रहा जिसमें नई-नई तकनीकि अपनी जगह बना रही है। जिसके डेटा संग्रहण तकनीकि, ब्लॉक चौन सिस्टम मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनी जगह बना रही है। अर्थात् जो अकुशल कामगार की जगह मशीन ले लेगी। वर्तमान विश्व में व्यक्ति को कुशल एवम कौशल की आवश्यकता है। इसी वैश्विक परिस्थिति के अनुसार बच्चों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन्हें जो जो सिखाया जा रहा है। वह तो सीखे ही और साथ में सतत् सीखते रहने का भी गुण भी विकसित करे। भारत के पास अगला दशक विश्व गुरू बनने का सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में निवास करती है। युवा जनसंख्या का अभिप्राय कार्य क्षमता अधिक तथा सीखने तथा जानने की अत्यधिक तीव्र प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्रयासरत रहा है। आजादी से पहले तथा आजादी के पश्चात् कई समितियां बना चुका है। लेकिन शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के समय लायी तथा द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी और तीसरी शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का नाम दिया गया जिसकी अध्यक्षता कस्तूरीरंगन ने की जिसमें इन्होंने NEP - 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। यह अपने देश की पहली नीति है जिसमें देश के परम्परागत एवं सांस्कृतिक महत्त्व को शामिल करते हुये सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल होगा।

पिछली नीति तथा उसका आधार -

भारत सरकार ने पिछली नीतियां तथा कई समितियां को आधार बनाते हुये कार्य किया जिसमें अब तक सरकार ने तीन शिक्षा नीतियों का योगदान रहा है। जिसमें 1968 इंदिरा गांधी सरकार के समय प्रथम नीति तथा 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय द्वितीय शिक्षा नीति एवं वर्तमान में कई समितियों को आधार बनाया गया है। जिसमें 1982 (1986 का संशोधित) अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को आसान एवं वैधानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया जिसके परिणामस्वरूप 86 वां संविधान संशोधन 2002 को एक संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया जो संविधान में अनुच्छेद 21 A के तहत मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया और उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धान्त -

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे सुखपूर्वक एवं सन्तुलित जीवन बिताने के लिए शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। जिससे अच्छे इंसानों का विकास हो सके तथा जिनके विचार तर्कसंगत हो जो अधिकांश कार्य करने में सहायक हो उस मनुष्य में करूणा दया भाव विचारों में लचीलापन तथा नैतिक मूल्य, रचनात्मक शक्ति जो सभी कार्य अपने संवैधानिक अनुसार कर सके ये सब कुछ हासिल करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए जिससे मनुष्यों में परस्पर संवाद बना रहे। मूलभूत सिद्धान्त जो व्यक्ति एवं संस्था दोनों को दिशानिर्देशित कर सकते हैं।

- चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य - स्पेन्सर ने लिखा ''मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं'' सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक है। एक अंग्रेजी विद्धान ने कहा है। कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया।
- प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति और उनके विकास हेतु प्रयास करना- अभिभावकों शिक्षकों तथा समाज को छात्र एवं छात्राओं की विशिष्ट क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करने पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- बुनियादी या आधार साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना - इससे व्यक्ति को संज्ञानात्मक कौशल सीखने में आसानी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को कक्षा 3 तक का तथा आधारभूत ज्ञान लेने में आसानी हो सकती है।
- लचीलापन - शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए छात्र एवं छात्राओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार बदलाव का अवसर या मौका प्राप्त होता रहे।
- अवधारणात्मक समझ पर जोर - रटने की पद्धति नहीं और ना ही परीक्षा के बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर जोर।
- रचनात्मक और तार्किक सोच - निर्णय लेने में तार्किकता हो तथा नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाये।
- तकनीकि के उपयोग पर जोर - जो भाषा सम्बन्धी समस्याऐं है उनको दूर करना एवं दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि या इससे अच्छे उपयोग में मदद करना।
- कौशल विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया जिससे व्यक्तियों के आपसी संवाद सहयोग सामूहिक कार्य एवं लचीलेपन को बढ़ावा मिले।
- शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया जिससे स्वायत्ता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- भारतीय जड़ों तथा परम्परागत एवं सांस्कृतिक जड़ों को भी समेटते हुये नई शिक्षा नीति का विकास करना क्योंकि भारत की जो पारम्परिक एवं सांस्कृतिक इतिहास गौरवशाली है। जो आधुनिक संस्कृति में जुड़ने के बाद इस शिक्षा नीति को अधिक प्रासंगिक बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन - 2020

इस नीति के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना एवं भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा नीति अर्थात् प्रणाली का विकास करना है। जिससे भारत को वैश्विक ज्ञान से समृद्ध किया जा सके ऐसे विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये जिससे बदले परिप्रेक्ष्य में नागरिकों की भूमिका बढ़े एवं उनके व्यवहार एवं आचरण में बदलाव आ सके जिससे मनुष्यों के स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो सके।

स्कूल शिक्षा -

जो पहले 10+2 जिसमें 3 से 18 वर्षीय पाठ्यक्रम शामिल था जिसे वर्तमान बदलकर 5+3+3+4 के सांचे में ढाला जायेगा तथा 3 वर्ष के बच्चों को बुनियादी सुविधा तथा देखभाल के लिये आधारभूत ढांचा प्रदान किया जायेगा -

- प्रथम बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को जानने तथा सीखने की नींव डाली जायेगी जिससे बच्चों के मस्तिष्क के साथ-साथ शारीरिक विकास भी हो सके।
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान: सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता एवं व्यक्ति जीवनभर कुछ सीखने की आदत में ढालने का प्रयास किया जायेगा।
- ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना इत्यादि।
- उच्च शिक्षा, बच्चों, दिव्यांगजनों एवं गरीब बच्चों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई प्रावधान किये गये है जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके जो कि देश के भविष्य निर्माण में साथ निभा सके।

संदर्भ सूची -

- शिक्षा नीति - 2020 (कुछ संस्तुतियां एवं विमर्श) डॉ. सुधांश पाण्डेय
- नई शिक्षा नीति 2020 और मेरे विचार जितेन्द्र यादव
- शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन - साहित्य पब्लिकेशन
- नेशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 द की टू डेवलप इन इण्डिया - डॉ. केशव चन्द्र मण्डल
- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 - डॉ. महात्मा एवं डॉ. चेतना पोख (एक क्रांतिकारी पहल)

युवाओं पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन

प्रियंका कुमावत

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ. विनोद भाम्बू

शोध निर्देशिका, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

21वीं सदी को सूचना एवं संचार क्रांति के नाम से जाना जाता है। तकनीकी मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। मनुष्य के दैनिक कार्य हो या कार्यालय संबंधी कार्य सभी में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कम्प्यूटर तकनीकी में सबसे महत्पूर्ण तकनीकी इंटरनेट को माना जाता है। इंटरनेट सूचनाओं का एक ऐसा भण्डार है जहां पर राजनीति, कला, विज्ञान खेल और शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना हो इंटरनेट पर मौजुद है। अत: इंटरनेट को एक पुस्तकालय भी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वर्तमान समय में लोगों की दिनचर्या में इंटरनेट ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। आधुनिक युग में इंटरनेट ने जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। इंटरनेट का प्रयोग आज मनुष्य की आवश्यकता बन गई है। समाज का हर वर्ग इंटरनेट का उपयोग कर रहा है विशेषकर युवा वर्ग। युवा वर्ग में इंटरनेट बहुत ही अधिक प्रचलित है। युवा वर्ग पर इंटरनेट का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि वह उनके जीवन का एक अहम् हिस्सा बन गया है। इंटरनेट के प्रयोग से युवाओं के तकनीकी ज्ञान तथा सृजनात्मक कौशल में वृद्वि हुई है लेकिन इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग तथा निर्भरता ने उन्हे अंपग बन दिया है। इंटरनेट के ज्यादा उपयोग से उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मुख्य शब्द: ऑनलाईन, तकनीकी संसाधन, संप्रेषण, इंटरनेट, सृजनात्मक।

प्रस्तावना

वर्तमान युग तकनीकी युग है। हमारी जीवन शैली पर तकनीकी संसाधनों का बहुत अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। ना केवल आवश्यक कार्यों में बल्कि अवकाश के समय में तकनीकी का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तकनीकी के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण, सोशल साइटस, बैंकिंग शॉपिंग, ऑनलाईन पेमेंट आदि बहुत से कार्य किए जाते हैं। अत: तकनीक ने हमारी जीवन शैली को बहुत ही आसान बना दिया है। कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल उच्च वर्ग द्वारा आवष्यक कार्य में ही किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, आंकड़े, सूचनाएं तथा विभिन्न संस्थानों से संबंधित सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होती है। इन सूचनाओं को विश्व के किसी भी कोने से शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा स्थान हैं जहां हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ तथा सूचनाएं प्राप्त होती है। आज हम इंटरनेट का प्रयोग व्यापार, चिकित्सा, परिवहन, विद्यालय, उच्च षिक्षा तथा निजी जीवन में भी हर क्षेत्र में कर रहे है। इंटरनेट आज मनुष्य की आवश्यकता बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत अधिक महत्व है। इसके सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं में युवा पीढ़ी तथा बच्चों को शामिल किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से विद्यार्थी किसी भी विषय से संबंधित अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ षिक्षा भी इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाई है। इंटरनेट की सहायता से ही विद्यार्थी अपने कक्षा कक्ष से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क तथा गृह कार्य पूरा करते हैं। युवाओं तथा बच्चों द्वारा इंटरनेट का उपयोग शैक्षिक उद्वेष्यों को पूरा करने में किया जाता हैं। अपने अध्ययन से संबंधित कठिन विषय वस्तु को समझने के लिए विभिन्न ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित होते है और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करते है। दूरस्थ शिक्षा में तो तकनीकी ने बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कामकाजी युवा भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते है। इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त होती हैं जिससे युवा अपने ज्ञान और योग्यता का परिमार्जन करते हैं। इंटरनेट के उपयोग ने युवाओं को तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाया है। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से युवा और बच्चे इसमें जल्दी से प्रवेश करते है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 75% से अधिक युवाओं के पास स्वयं का मोबाइल फोन है। इसके प्रयोग से युवा वर्ग सोशल साइट्स पर अधिक सक्रिय रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल के माध्यम से ही इंटरनेट का अधिक प्रयोग करती है। सोशल साइट्स पर सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक मुद्दों पर युवा वर्ग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें संवेदनशील और जागरूक बनाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीकों को जानकर युवा ऑनलाइन बिजनेस से जुड़कर आत्मनिर्भर बनते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से युवाओं को नवाचार की जानकारी प्राप्त होती हैं जिससे युवाओं में सृजनशीलता

का विकास होता हैं। विभिन्न साइट्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते है जिससे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते है। अधिकतर युवा वर्ग केश लेस लेन देन करता है। ऑनलाइन बिल भुगतान करना हो या शॉपिंग करना, टिकट बुक करना हो आदि सभी कार्य युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं जिससे उनके समय और शारीरिक श्रम की भी बचत होती है। युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट के इतने अभ्यस्त हो चुके है कि वे इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग किए बिना नहीं रह सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा सभी वर्गो के लोग दूर होकर भी आपस में जुड़े रहते है। अत: इंटरनेट ने सम्पूर्ण विश्व की दिनचर्या में बदलाव किया है। इंटरनेट ने हर वर्ग के विकास के लिए द्वार खोल दिए हैं। इंटरनेट ने विश्व में एक चमत्कारी भूमिका निभाई हैं। इंटरनेट सभी वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता हैं। वर्तमान में हम इंटरनेट पर इतने निर्भर हो गए हैं कि स्वयं के ज्ञान और कौशल का प्रयोग करना ही भूल गए हैं। जागरूक होने की अपेक्षा हम मूक हो गए हैं। इसके अत्यधिक प्रयोग ने इंटरनेट को एक अभिशाप बना दिया हैं। आज के युवा वर्ग के लिए इंटरनेट जहां वरदान साबित होता हैं। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट उनके लिए अभिशाप भी बन गया हैं। हमेशा ऑनलाइन रहने तथा ऑनलाइन गेम खेलनें के कारण युवाओं तथा बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। सोशल साइट पर हमेषा सक्रिय रहने के कारण वे वास्तविक दुनिया से दूर होकर आभासी दुनिया का ही हिस्सा बनकर रह गए हैं। इंटरनेट ने जहां जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया हैं वहीं युवाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर विपरीत प्रभाव भी डाला हैं। युवा वर्ग शारीरिक श्रम की अपेक्षा यूट्यूब पर वीडियों देखने में समय बर्बाद करते है जो कि उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में बाधक होता हैं और साथ ही उनकी आंखो को भी खराब करता हैं। इंटरनेट के प्रयोग से पुस्तकें भी ऑनलाइन पढ़ना ज्याद पंसद करते हैं। नि:संदेह इंटरनेट के प्रयोग से महंगी से महंगी पुस्तकें भी आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। गूगल के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक क्लिक के माध्यम से जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता हैं लेकिन इंटरनेट ने सभी को अपने तक सीमित कर दिया हैं। युवाओं द्वारा इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग उन्हें अपराधी प्रवृत्ति की ओर धकेल रहा हैं। साइबर अपराधों में निरंतर वृद्वि हो रही हैं। नए नए तरीकों से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान के द्वारा युवा बहुत ही जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। युवा वर्ग को पारिवारिक तथा सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होना ज्यादा पंसद नहीं होता हैं और यदि युवा सम्मिलित हो भी गए हैं तो वे अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर ही व्यस्त रहते हैं। इंटरनेट का उपयोग करना जितना आरामदायक और सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी हैं। साइबर अपराधों में निरंतर वृद्वि हो रही है। इंटरनेट पर हम हर प्रकार की वेबसाइट से अवगत हो सकते है। अनैतिक सामग्री तथा अवैध वेबसाइटों के प्रयोग से उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किया जा सकता हैं। युवा वर्ग स्वयं भी गलत तरीकों का षिकार हो जाते हैं और आपराधिक कार्यों में फंस जाते हैं। अकांउट हैकिंग आज सामान्य समस्या हैं जिससे उनकी संवेदनषील जानकारी का दुरूपयोग हो सकता हैं। अत: इंटरनेट का उपयोग सजगता और समझदारी से करना चाहिए। इंटरनेट पर संपर्क स्थापित करने से युवाओं के आभासी दुनिया के नजदीक आ जाने से उनके सामाजिक संबंधों में दूरिया बढ़ गई हैं। युवाओं में तनाव, अनिद्रा, क्रोध जैसी समस्याओं को देखा जा सकता हैं।

निष्कर्ष

इंटरनेट ने हमारे ज्ञान, सोच, और सृजनात्मकता में वृद्वि की हैं। इंटरनेट के प्रयोग ने जीवन को सरल, आसान और आरामदायक बना दिया हैं। इंटरनेट ने ना केवल युवा वर्ग बल्कि संपूर्ण मानव जाति के जीवन में ही बदलाव कर दिया हैं। इंटरनेट के अनावश्यक प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिए। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता हैं। हर प्रकार के कार्यों पर इंटरनेट की निर्भरता को सीमित किया जाना चाहिए। इंटरनेट के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता हैं। हमें इंटरनेट पर हावी होना हैं, इंटरनेट को स्वयं पर हावी नहीं होने देना हैं। अत: हमें इंटरनेट को हमारे लिए वरदान बनाना है ना कि अभिशाप।

संदर्भ

- भट्ट, अंजना. (2020). किषोरावस्था में मोबाबल के लाभ हानि और सावधानियां, hindi.momspresso.com.
- माथुर, डॉ. जयश्री. (अगस्त 2021). किषोरावस्था के विद्यार्थियों पर इंटरनेट का प्रभाव, मासिक षिविरा पत्रिका, अंक 2. पृष्ठ संख्या 32.www.rajsevak.com.
- राणावत, डॉ. देवेद्र सिंह. (अगस्त 2021). ऐप से ऑनलाइन शिक्षा, मासिक शिविरा पत्रिका. अंक 2. पृष्ठ संख्या 19.k~ www.rajsevak.com.
- www.edubirdie.com
- www.indiayouth.net
- www.researchgate.net

एनईपी 2020 में शिक्षक दक्षता

कृष्णा कुमारी गौतम

पीएच.डी. शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान

सारांश

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिन्दु है। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही संभव हो सकते है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकाक्षाओं व चुनौतियों का भी घ्यान रखा गया है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक,आर्थिक, वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है। जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत हैं। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इन्टनेट सम्बन्धी विषय अग्रेंजी में होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नही है।

अध्यापक शिक्षा-

यह एक व्यवस्था है जो लोंगों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की आधुनिक तथा बदलती हुई भूमिका का निर्वाह करने की योग्यता व दक्षता को ग्रहण करने के लिए शिक्षित करती है। अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम नही है बल्कि एक मिशन है। अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मान्यताओं और मूल्यों भाषाओं ज्ञान लोकाचार और परपंराओं जनजातीय परंमपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा आयोग (2012) के अनुसार स्टैंड-अलोन टीईआई, जिनकी संख्या 10000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नही कर रहे है, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे है। इस दिशा में अब तक किए गये विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए है और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं। बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अत: इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरूद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानको को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता विश्वसनीयता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामत प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ उल्लघंन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात् कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जो बुनियादी शैक्षिक मानदण्डों को पूरा नही कर पा रहे है। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ. बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होगे।

अध्यापक शिक्षा के लिए बहुविषयक इनपुट के साथ ही साथ उत्तम गुणवत्ता युक्त विषयवस्तु और शैक्षिणक प्रक्रिया की आवश्यकता होती हैं। अत: इसे ध्यान में रखते हुऐ। सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहुविषय सस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी बड़े-बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहुविषयक महाविद्यालयों का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहॉ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग की स्थापना और विकास करे जोकि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंसाधनों को अंजाम देने के साथ-साथ ही मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र,समाजशास्त्र,तंत्रिका विज्ञान भारतीय भाषाओं कला संगीत इतिहास ओर साहित्य के साथ - साथ विज्ञान ओर गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड कार्यक्रम भी संचालित करेगें इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के सस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी। क्योंकि उन्हे भी चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड़ कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह चार वर्षीय एकीकृत बी.एड़ शिक्षा और इसके साथ ही एक विषय जैसें भाषा- इतिहास, संगीत, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र ड्युअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक-शिक्षा में समाजशास्त्र इतिहास, विज्ञान मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों, कला, परपंराएं और भी बहुत

कुछ शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड़ प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते है। के लिए परिसर में 2 वर्षीय बी.एड़ कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते है। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होनें किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है कि लिए 1 वर्षीय बी.एड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीद्वारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबन्धित विषयों के साथ-साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगें। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सधन जुडाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों ओर स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा जहाँ शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण कार्य करेगें शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाये रखने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय प्रशिक्षण ऐजेसीं द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय ओर योगिता प्रशिक्षणों के माध्यम से होगा। और देश की भाषाऐं और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जायेगा। शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। हर किसी के लिए पीएच.डी धारक होना आवश्यक नही होगा। लेकिन शिक्षण- फिल्ड-सोच के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जायेगी। सीधे-सीधें विद्यालय शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों जैसे (मनोविज्ञान, बालविकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान) के साथ ही साथ साथ विज्ञान शिक्षा गणित, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान ओर भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संचारों में आकृर्षित ओर नियुक्त किया जायेगा। जिससे शिक्षा की बहुविषय शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान की जा सके।

सभी नये पी.एच.डी प्रवेशकर्ताओं चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश ले से अपेक्षित होगा कि वे अपनी डॉक्टोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान् उनके द्वारा चुने गये पी.एच.डी विषय से सम्बन्धित शिक्षण शिक्षा/अध्ययन लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम ले डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हे शैक्षणिक प्रक्रियाओं पाठ्यक्रम निर्माण विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षैत्रों का अनुभव प्रदान किया जायेगा। क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुऐ विषयों के संकाय सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधि संचारक बनेगें। पीएच.डी. छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किया गया वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंण्टे भी तय होगें देश भर के विश्वविद्यालयों में संचालित पी.एच.डी. कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुर्नरूपीकरण किया जायेगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत् व्यवसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा। हांलाकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुद्रढ़ीकरण और विस्तार किया जाऐगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं/शिक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षको को मुहैया कराया जा सके।

सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। जिसमें बडी संख्या में वरिष्ठ/सेवानिवृत उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाऐगा। इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होगें जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्धकालीक परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है। और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान जैसें-स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्व तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करे और इसकी शुरूआत आरंभिक वर्षो में व्यावसायिक, शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो जो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगां। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थीयों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाऐगा। जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। जी ई आर के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी घ्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक का विकास और अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्व तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यवसाय शिक्षा को एकीकृत किया जाऐगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आई.टी.आई, पॉलोटेक्निक और स्थानीय उधोगों आदि के साथ सम्पर्क और सहयोग करेगे।

सदंर्भ सूचीः-

1. मुखर्जी एस.एन.(1976) एजूकेशन इन इण्डिया बड़ोदरा, आचार्य पब्लिकेशन्स बड़ोदरा।
2. शर्मा आर.ए.(2005) शिक्षा अनुसंधान, मेरठ इटंरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ।
3. अग्रवाल, जे.सी.(1985) नेशनल एजूकेशन पॉलिसी ए फ्रेम वर्क
4. भटनागर आर. पी.(2003) शिक्षा अनुसंधान मेरठ इटंरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ।
5. गंगवाल सुभाष (अगस्त 2020) नई शिक्षा नीति 21 वी सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नव ज्योति।
6. http://www.education.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd Files/NEP final english o.pdf
7. http://en.wikipedia.org/wiki/national education policy2020
8. http://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indians-new-Education-Policy-2020-final.pdf
9. http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/ volume10-issue2(5)/33.pdf

नईशिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में नामांकन एवं ठहरावा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

सपना पारीक

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० यशवन्ती गौड़

शोध निर्देशिका, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध-पत्र सारांश

शिक्षक की भूमिका केवल शैक्षिक समस्याओं के समाधान में ही नहीं है अपितु उससे आगे भी है। शिक्षक परिवर्तन का अभिकर्ता है। अपने कार्य में प्रशिक्षित व समर्पित शिक्षक जनजागरण व जनचेतना द्वारा सार्वभौमिकरण की समस्या का समूल निदान कर राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दे सकता है। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षो में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकडे बच्चों के स्कूली व्यवस्थामें ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुददों की ओर इशारा करते है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जायेगा।

विशिष्ट शब्द (Keywords): - सार्वभौमिकरण, नामांकन एवं ठहराव, नई शिक्षा नीति 2020 जीवन पर्यन्त शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा, पूर्वप्रथामिक, समग्रविकास, भारतीय लोकाचार।

प्रस्तावना:-

स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हे नियमित रुप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षो में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकडे बच्चों के स्कूली व्यवस्थामें ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुददों की ओर इशारा करते है कक्षा 6 से 8 तक जीइआर 90.9 प्रतिशह है जबकि कक्षा 9 10 और 11-12 के लिए यह केवल 79.3 प्रतिशत और 56 .5 प्रतिशत है सह आंकडे यह दर्शाते है कि किस प्रकार कक्षा 5 और विशेष रुप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017 से 18 में एनएसएसओं के 75 वें राउड हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष की बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड है। इन बच्चों को यथासंभव पुन:शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जायेगा।

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान निर्माण के समय से ही संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। परन्तु इसकी जब तक कोई सार्थकता नहीं जब तक शत प्रतिशत बच्चे विद्यालय में प्रवेश ना ले और शत प्रतिशत बच्चो का प्रवेश लेना तभी तक सार्थक है जब तक बच्चे उसमे ठहरते हो।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के पहलू:-

1. शत प्रतिशत बच्चों को समस्त सुविधाएं प्रदान करना।
2. शत प्रतिशत बालकों का विद्यालय में ठहराव।
3. शत प्रतिशत बालको को विद्यालय में नामांकन।
4. शत प्रतिशत बालको को उच्च प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण कराना।

इतने प्रयत्नो का वर्षो के बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये है। इसकी प्राप्ति में अनेक बाधाएं रही है जिनमें मुख्य है – सामाजिक पिछडापन, धन का अभाव, निरक्षरता, जनसंख्या विस्फोट, भौगोलिक स्थिति ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी।

यह कार्य तभी संभव है जब भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण रूचिकर एवं आकर्षक हो तथा पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां रोचक, सुबोध, प्रासंगिक व उपयोगी होगी कि बच्चे व अभिभावक स्वयं आकर्षित हो। शिक्षा में किसी प्रकार की उन्नति, सुधार व सफलता शिक्षक के बिना संभव नही है। आज उभरते हुए भारतीय समाज में जो कि एक सतत परिवर्तनशील समाज है उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में शिक्षक की भूमिकाः-

- शिक्षक नया विद्यालय तो स्थापित कर नहीं सकता परन्तु जन जागरण व जनचेतना द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते है।
- बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने व नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित कर सकते है।
- जिन क्षेत्र विशेष में विद्यालय नहीं है वहां शासन व शिक्षा विभाग से नया विद्यालय स्थापित करने की मांग करने हेतु जनता को जाग्रत कर सकते है।
- प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं व व्यक्ति विशेष के सहयोग से विद्यालय स्थापित कर सकते है।
- विद्यालय भवन व अन्य भौतिक एवं मानवीय संसाधन की सुलभता के लिए शिक्षक जन सहयोग हेतु जनता को प्रेरित करे।
- शिक्षक जिस विद्यालय में सेवारत है या जहां पर वह निवास करता है वहां आस पास में रहने वाले बालक जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं गए या बीच में ही छोड दिया। उन बच्चो के अध्ययन हेतु अवकाश के समय में शासन या शिक्षा विभाग की अनुमति से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलकर शिक्षा के इस लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग कर सकता है।

शिक्षक की भूमिका केवल शैक्षिक समस्याओं के समाधान में ही नहीं है अपितु उससे आगे भी है। शिक्षक परिवर्तन का अभिकर्ता है। अपने कार्य में प्रशिक्षित व समर्पित शिक्षक जनजागरण व जनचेतना द्वारा सार्वभौमिकरण की समस्या का समूल निदान कर राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दे सकता है।

किसी भी राष्ट्र के विकास एवं समृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व है – शिक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये, जो नामांकन में वृद्धि साक्षरता में बढोतरी तथा शैक्षिक स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुए। इसी क्रम में 15 अगस्त 1995 को मध्यान भोजन कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। प्रारंम्भ में इसे प्राथमिक स्तर पर तथा वाद में उच्च प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य रुप से लागू कर दिया गया। यह कार्यक्रम बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने, लिंग भेद कम करने का प्रयास करने, बच्चों के पोषण में सुधार करने तथा नामांकन में बृद्धि, उपस्थिति, ठहराव एवं बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि के द्वारा शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर प्रारम्भ किया गया।

यह कार्यक्रम अनेक प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुआ है। इससे प्रवेश दर में वृद्धि के साथ साथ मध्यकाल में स्कूल छोडने की दर में भी गिरावट आई है। इससे बच्चों में ''मैं भावना'' के बदले ''हम भावना'' का विकास होता है, जो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। यह कार्यक्रम रुढिगत जाति भाव को समाप्त करने तथा स्कूली बच्चों में सामाजिक समानता की भावना को बढाने का पुनीत कार्य कर रहा है। इसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। भूखे होने पर बच्चे शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते, साथ ही निर्धन तबके के बच्चों को देखते हुए यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम के स्वस्थ संचालन में कुछ कठिनाइयाँ है जिनका समाधान किया जाना चाहिए। जैसे कार्यक्रम के संचालन का दायित्व मुख्यतः स्कूल के प्रधानाध्यापक का होता है, उसका ध्यान भोजन व्यवस्था में ही लग जाता है। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। अधिकांशत स्कूलों में एक ही भोजन माता होने से उनकी सहायता स्कूल के छात्र-छात्राएं करते हैं जिससे शिक्षा में व्यवधान होता है। अतः अनिवार्यतः भोजन माता के साथ एक सहायिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिकांश ग्रामीण स्कूलों में भोजन स्कूल प्रांगण या वरामदे में ही बनता है जो प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। अतः ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर वहाँ किचिन सेड की व्यवस्था की जानी चाहिए। कन्वर्जन चार्ज प्रधानाध्यापक को समय पर नहीं मिल पाने से समस्त भोजन व्यवस्था व भोजन माता का मासिक वेतन प्रभावित होते है अतः अधिकारियों की लापरवाही पर ध्यान रखते हुए समय पर पैसा पहुँचाने की व्यवस्था हो। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता के निर्धारण व जाँच के लिए गठित दल मात्र कागजी कार्यवाही ही करते हैं इस हेतु विशेषज्ञ दल को पूर्ण उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए तथा सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। वास्तव में मध्यान भोजन ग्रामीण एवं प्राथमिक शिक्षा के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसके संचालन में आने वाली कमियों को दूर कर इसके सफल कार्य वयन पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी के समान एवं अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण विद्यालयो में अपव्यय व अवरोधन की समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेशी बालकों के लगातार 5 वर्ष तक ठहराव हेतु सकारात्मक प्रयास किये जाये। नामांकन बालको को वर्ष भर विद्यालय से जोडेध रखने हेतु औपचारिकता के स्थान पर अंतःकरण से व्यवहारिकता से जुडने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक अभिभावक एवं विद्यालय वातावरण में उचित सामंजस्य आवश्यक है। कई विद्यालयों में पहली से पांचवी तक कक्षाओं के बालकों के लिए एक ही अध्यापक हैं जिस पर अध्यापन के अतिरिक्त कार्यों की जिम्मेदारी भी है। परिणामस्वरूप विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण दोनों ही नीरस बन जाते है। जिसका परिणाम है कि बालकों का मध्य सत्र में विद्यालय से पलायन। विद्यालयी वातावरण को रसमय, रूचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दे, उचित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करें, बालक की रूचि के अनुरूप खेल, कहानियों के माध्यम से उसे अध्ययन के प्रति उत्साहित करें, अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य निरंतर सम्पर्क बना रहे। सभी के सक्रिय सहयोग, प्रयास और सकारात्मक सोच के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथसूची

1. www. uttam hindu . com / politics / 150 172/ new-education-policy-foundation (नई शिक्षा नीति-नए भारत की नींव, 2 अग 2020)
2. www.drishtiias.com दृष्टि, The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ, 31 July 2020)
3. www.uttamhindu.com
4. www.bbc-com/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
5. www.bbc-com-/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
6. दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020
7. www.drishtiias.com नई शिक्षा नीति, 25 अग., 2020
8. https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues
9. एन.सी.ई. आर.टी. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005
10. साहित्य प्रकाशन आगरा 2005 अनुसंधान विधियाँ डा. डीएन. श्रीवास्तव
11. Sharma R.p: cbse 2009 Implamentation of cce Scheme in school's - Some reflections.
12. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार मई 2013 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
13. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद 2013 ''सतत एवं व्यापक मूल्यांकन'' स्रोत पुस्तिका
14. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद 2013 ''सतत एवं व्यापक मूल्यांकन'' शिक्षकों के पठन हेतु वितरित सामग्री।

युवा और प्रौद्योगिकी

संगीता कंवर

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो० अशोक कुमार सिडाना

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

राष्ट्रीय षिक्षा नीति-2022

हाल ही के केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 (National Education Policy-2020) को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, National Policy on Education को प्रतिस्थापित करेगी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संषोधित की गई थी। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व रसरो प्रमुख पध विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल ओर उच्च शिक्षा प्रणातियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना हैं। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। साथ ही ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय'' को जब ''शिक्षा मंत्रालय'' के नाम से जाना जाएगा।

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10 + 2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठयक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया।

युवा और प्रौद्योगिकी (YOUTH AND TECHNOLOGIES)

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में युवा और प्रौद्योगिकी के विषय पर निबंध उपलब्ध करवा रहे हैं जो इस प्रकार है।

युवा (YOUTH):-

परिचय:-

आधुनिक युवक या आज के युवा पिछली पीढ़ियों के व्यक्तियों से काफी अलग हैं। युवाओं की विचाराधाराओं और सेस्कृति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसका समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है। पुरानी पीढ़िया अक्सर युवाओं को आवुगपूर्ण और गुस्सैल स्वभाव के कारण गंभीरता से नहीं लेती हैं। वे यह नहीं समझ पाते हैं की उनका यह स्वथाव मुख्य रूप से इस चीज का परिणाम है कि उनकी कैसे परवरिष की गई है। इस प्रकार प्रत्येंक पीढ़ी का अपनी अगली पीढ़ी को षिक्षित करने का कर्तव्य है ताकि वे उन्हें राष्ट्र को गर्व करने का मौका दे सकें।

जिम्मेदार युवा कैसे तैयार करें?

इस दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग हैं-पहले जो जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं और दूसरे वो जो मानदंडों पर सवाल उठाते हैं और गैर जिम्मेदारी रूप से काम करते हैं। हालांकि तर्क के आधार पर मानदंडों पर सवाल उठाने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन गैर जिम्मेदारियों से कार्य करना स्वीकार्य नहीं हैं। आज के युवाओं में बहुत सी क्षमताएं हैं और यह माता-पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे सही दिषा में उनकी रचनात्मकता और क्षमता को निर्देषित करें। यहां कुछ चीजें बताई हैं जिनसे आप जिम्मेदार युवाओं को तैयार कर सकते हैं:

प्रारंभिक शुरूआत करें

अपने बच्चे को नैतिक मूल्यों या और काम सिखाने के लिए उनकी 10 या 10 साल से अधिक की उम्र के लिए इंतजार न करें। इसकी शुरूआत तब करें जब वे बच्चे हो। उन्हें सिखाएं कि कैसे सार्वजनिक रूप से व्यवहार करें, अलग-अलग कार्य और अन्य चीजों को एक शुरूआती उम्र से कैसे संभाले। बेषक उन्हें कुछ भी पढ़ाते वक्त या उनके द्वारा किए किसी कार्य को जांचने के दौरान दनकी आयु को ध्यान में रखें।

नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करें

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सिखाएं। उनकी उम्र के आधार पर उन्हें समय-समय पर नैतिक शिक्षा दें। इसके साथ ही उन्हें बुरे व्यवहार या कर्यों के परिणाम पता करें।

उन्हें मदद करने की अनुमति दें

अपने बच्चों को हर समय लाड़-प्यार करने की बजाए उन्हें आपकी सहायता करने दें। छोटे कार्यों को उन्हें करने दें जैसे कि आप खाने की मेज व्यवस्थित करने या फलों और सब्जियों को अलग करने या खिलौने को सही जगह पर रखने में उनसे मदद ले सकते हैं। यह उनमें जिम्मेदारी की भावना को जन्म देता है और उन्हें जीवन में बड़ी जिम्मेदारीयों को लेने के लिए तैयार करता है।

सराहना

अपने बच्चों के अच्छे काम की सराहना करें। यह उन्हें बार-बार अच्छे व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करने मदद करेगा और यही अंतत: उनके व्यवहार में शामिल हो जाएगा। हर बार दन्हें इनाम देने की कोशिष न करें।

कठोर ना बने

जैसे-जैसे आप उन्हें बताएंगे कि सही और क्या गलत है, उन्हें नैतिक शिक्षा देंगे और कार्य सौंपगें तो दनके प्रति बहुत कठोर ना बनें। आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसा वक्त भी हो सकता है जब वे आपकी उम्मीदो पर खरे नहीं उमरेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है।

समाज में युवाओं की भूमिका अगर देश में युवाओं की मानसिकता सही है और उनके नवोदित प्रतिभाओं को प्रेरित किया गया तो वे निष्चित रूप से समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। उचित ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ वे प्रौद्योगिकी, विज्ञान, चिकित्सा, खेल और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप में विकसित करेगा बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी योगदान देगा। दूसरी ओर यदि देश के युवा शिक्षित नहीं हैं या बेरोजगार हैं तो यह अपराध को जन्म देगा।

निष्कर्ष:-

युवाओं में एक राष्ट्र को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति है। इसलिए युवा दिमाग का पोषण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि उनमें जिम्मेदार युवाओं को विकसित किया जा सके।

प्रौधोगिकी (Technologies)

प्रस्तावना:-

आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योकिं टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ मानव जीवन को विकास की नई गति प्रदान की है, बल्कि उसे सफलता की नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया। वहीं टेक्नोलॉजी से लोगो को अपनी मानसिक क्षमता का आकलन करने में भी मद्द मिली है। वहीं व्यक्ति अथ्वा देष का विकास सीधे तौर पर टैक्नोलॉजी से भी जुड़ा है।

प्रौधोगिकी अर्थ:-

टेक्नोलॉजी से तात्पर्य उन सभी मेथड़ सिस्टम अथवा डिवाइसेस से है, जिसका इस्तेमाल विज्ञान की दुनिया में किसी खोज के प्रयोग के लिए किया जाता है। हालांकि, विज्ञान की दुनिया में इसका उपयोग करने के उचित कौशल, ज्ञान और सामर्थ्यकी जरूरत होती है। प्रौधोगिकी अथवा टेक्नोलॉजी को परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, अत: इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, तो मानव जीवन को सुगम और सरल बनाने वाली तमाम तरह की सुविधाएं टेक्नानेलॉजी द्वारा निर्मित हैं।

प्रौधोगिकी के फायदे:-

प्रौधोगिकी के कुछ फायदे इस प्रकार है:-

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए मेडिकल टेथ्नोलॉजी की सहायता से स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी सुधार और परिवर्तन आए हैं, उनसे कोई भी अनजान नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी की सहायता से जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है।

रोजगार के विभिन्न मार्ग

हर परिवर्तन एक नया अवसर जरूर लाती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी में होने वाले नए बदलावों के साथ हजारों प्रकार के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते जा रहे है।

मनोरंजन का साधन

टेक्नोलॉजी मनोरंजन का ऐसा साधन प्रस्तुत करता है, जिससे कभी भी बोरियत नहीं महसूस होती है। इस तरह मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्रौधौगिकी के कारण बड़ा परिर्वतन आया है।

संचार माध्यम में सहयोगी

अपने परिचितों के साथ दुनिया के किसी भी देश में बैठकर आसानी से मुलाकात की जा सकती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है।

शिक्षा प्रणाली में क्रांति

विकास का पहला चरण ज्ञान होता है। प्रौधौगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय क्रांति लाई है। यह परिणाम है टेक्नोलॉजी का कि अब शिक्षा के द्वारा हर किसी के लिए खुले है।

कम लागत और बेहतर परिणाम

यदि निर्माण कार्य का उदाहरण लिया जाए, तो पहले जितने मजदूरों का परिश्रम और अधिक समय व्यर्थ होता था वह टेक्नोलॉजी अकेले ही कुछ समय के अंदर ही करने की क्षमता रखता है। इससे संसाधनों की बचत तो हो ही रही है, साथ ही कम लागत और बेहतर परिणाम भी मिलते हैं।

यात्रा के लिए सुविधा

जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ने यात्रा को भी बेहद सरल बना दिया है। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, लोगों को एक सामान्य दूरी तय करने में कई दिनों का समय लग जाता था। लेकिन अब वही यात्रा अब कुछ घंटों में सिमट गई है।

नवीनीकरण

प्रगति के रूप में होने वाले बदलाव नवीनीकरण का उदाहरण है। यह नकेवल कलात्मकता को प्रकट करती है, बल्कि नए अविष्कारों की शोध करने में भी काफी सहायक हैं इस तरह टेक्नोलॉजी के कारण ही नवीनीकरण सुगम बन सका है।

घरेलू कार्यों में सुगमता

यदि घरेलू कार्यो के बात की जाए तो वाशिंग मशीन और दूसरे ऑटोमेटीक क्लीनिंग मशीन्स इत्यादि द्वारा कामों का बोझ थोड़ा कम हो गया है। इसके अलावा भेजन तैयार करने के लिए दूसरी मशीने और आरामदायक उपकरणों के कारण जीवन और भी सुखदायक बन गया है।

पुरी दुनिया के लोगों तक पहुंच

जैसा कि पहले बताया गया कि टेक्नोलॉजी ने सुविधाओं के अनंत द्वारा खोल दि हैं, जिनसे कुछ भी करना संभव है। यह हजारों मीलों दूर बैठे किसी व्यक्ति तक आपकी पहुंच आसानी से करवा सकता है।

प्रौधौगिकी के नुकसानः-

पूर्ण निर्भरता किसी भी चीज की अधिकता चाहे भले वह अमृत ही क्यों ना हो विष में आसानी से परिवर्तित हो सकती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी पर पूर्ण निर्भरता भी अच्छी चीज नहीं है। धीरे-धीरे पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी पर आश्रित होते जा रही है, जो एक बुरा संकेत है।

घटती रचनात्मकता

हर क्षेत्र और कार्य में जब मशीनों की सहायता ही ली जाएगी, तब भला स्वंय कास मस्तिष्क का उपयोग किस तरह होगा। यहि कारण है कि लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और मशानों पर आश्रित होकर अपने कार्यो को पूरा करते हैं। यह धीरे-धीरे आपकी रचनात्मकता नष्ट कर देगी।

डिजिटल अपराध

साइबर बुलिंग हैकिंग, टॉलिंग, स्टॉकिंग इत्यादि डिजिटल अपराध का एक स्वरूप है, जिसे टेक्नोलॉजी की आड़ में अंजाम दिया जाता है। प्रौधौगिकी के बढ़ने स्वरूप के साथ ही ऐसे अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है।

प्राकृतिक संसाधन का अतिशोषण

यह आम बात है कि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, उनमें प्राकृतिक संसाधनों का ही अधिकतम उपयोग होता है। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी के सहायता से बडे-बडे आविष्कार अथवा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषणा हो रहा है।

बेरोजगारी का कारण

यह चिंता का विषय है कि जो कार्य पहले लोगों द्वारा किए जाते थे, वह अब मशीनें कर रही है। ऐसे लोगो के रोजगार का माध्यम भी छिन जाता है। यदि ऐसे ही चलता रहा, तो बेरोजगार का स्तर बहुत ऊंचा चला जाएगा।

स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां

जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कारण ही लोगो में तरह-तरह की बीमारियां भी देखी जा रही है। हानिकारक केमिकल्स, निरंतर स्क्रीम तक पहुंच इत्यादि हजारों ऐसे कारण हैं, जिनसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारिया उत्पन्न हो सकते है।

पार्यावरण पर संकट

एसिड रेन ग्लोबल वार्मिग इतयादि जैसी बहुत से ऐसे उदाहरण है, जो टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न होते हैं। भले ही टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन इसका अंधाधुन उपयोग करने के कारण यह पर्यावरण पर काल की तरह मंडरा रहा है।

सोशल मीडिया के दुष्परिणाम

सोशल मीडिया लोगों के लिए किस तरह उपयोगी है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सभी को पता होना चाहिए। यह टेक्नोलॉजी का ही एक निर्मित स्वरूप है, जिसे यदि अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह किसी कृतिम आपदा का स्वरूप ले सकता है।

पृथ्वी के विनाश का अंतिम कारण (युद्ध)

जब तक विकसित देषों के पास परमाणु हथियार नहीं थे तब तक पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना थोडी कम थी। लेकिन अब सभी देश टेक्नोलॉजी की सहायता से सषस्त्र हो चुके है।

यह केवल एक उदाहरण था, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे हजारों कारण है, जो यह बतोते हैं कि किस तरह दिन-ब-दिन मशीनों का प्रभाव बढ रहा है।

निष्कर्ष:-

इस लेख में अपने प्रौधौगिकी - टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान के विषय में पढा। आशा है यह लेख आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. www. uttam hindu. com / politics / 150 172/ new-education-policy-foundation नई शिक्षा नीति-नए भारत की नींव,2 अग 2020ध
2. www.drishtiias.com दृष्टि, The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः महत्त्व व चुनौतियाँ, 31 July 2020)
3. www. uttamhindu.com
4. www.bbc-com/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
5. www.bbc-com-/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
6. दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020

अनीता चौहान

(पी.एच.डी. शोधार्थी) अपेक्स युनिवर्सिटी, जयपुर (राज0)

डॉ० पूनम मिश्रा

(शोध निर्देशिका) एसोसिएट प्रोफेसर अपेक्स युनिवर्सिटी जयपुर (राज0)

सारांश:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) इक्कीसवीं सदी की नीति है। जिसे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन मांगो, जरूरतों विकास तथा प्रतिस्पर्धा के प्रति छात्रों को तैयार करनें के लिए लागू किया गया है। इस नीति को समावेशी, समग्र तथा भागीदारी दृष्टिकाण को अपनाते हुए परामर्श के रूप में अपनाया गया है जिसमें विशेषज्ञों की राय, शिक्षा विदों के शिक्षा क्षेत्र के अनुभव व अनुभव जनित अनुसंधान को ध्यान में रखा गया है। इस शिक्षा नीति को बहुआयामी बहुस्तरिय, गतिविधियें तथा आदर्शो को रखा गया है। जिसमें भाषा, साहित्य, संगीत, कला, नाटक, ड्राइंग, विज्ञान, तकनीक, गणित, सामजिकक्षमता, व्यवहार, शिष्टाचार, मुल्य, नैतिकता व्यक्तिक, सामुदायिक, तार्किकता, चिन्तनक्षमता, खेल, आदतें, स्वच्छता, संवेदनशीलता आदि सभी क्षेत्रों को विकसित करनें का प्रयास किया गया है।

NEP की धारा 5.9 में कहा गया है। इस दिशा की पहली आवश्यकता स्कूलों की शैक्षणिक सुविधाओं व विद्यालय वातावरण का अच्छा व सुखद सेवा शर्तो वाला रखा जाना है। जिसमें स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, अनुकूल शोचालय, खेल-कूद का मैदान, भवन, बिजली, पुस्तकालय, कम्प्यूटरउपकरण इन्टरनेटसुविधा, शिक्षणसुविधा उपकरण जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ-2 समावेशी शिक्षण का स्थान महत्वपूर्ण है। इन सभी सुविधाओं, विद्यालय वातावरण, अनुभवी व योग्य शिक्षक गणों के आकर्षक माहौल में बालक की शिक्षा का स्तर ना केवल अच्छा होगा अपितु उसकी चिन्तन क्षमता भी अधिक विकसित होगी, जिससे बालक भावी समय व परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार कर सकेगा। इसमें विद्यालय, खैल मैदान, शोचालयों पेयजलस्थान ,पुस्तकालय, की दीवारें BALA (Boundary a Leading Aid) की तर्ज पर तैयार होनें से दिवारों पर प्रेरणास्पद आदर्श वाक्य, चित्रांकन, दृष्यभ्रम, अंकित ज्ञान लोकोक्ति व चित्रकथाओं का अंकन) बालकों का अधिगम ना केवल सरल सहज व चिर स्थायी होगा अपितु उनमें तर्क क्षमता, कल्पना क्षमता, चिंतन क्षमता, तुलनात्मक क्षमता का भी अधिक विकास होगा। कक्षा 5 तक तत्पश्चात् कक्षा 8 तक हिन्दी मातृ भाषा में शिक्षण अधिगम बालकों को भय तनाव व कठिनाई रहित शिक्षण में मदद करेगा। ऐसे भय रहित व आनन्द दायी वातावरण में बालक का सृजनात्मक, कलात्मक, रचनात्मक, शारीरिक व मानसिक विकास अधिक होगा जो उसकी चिंतन शक्ति व क्षमता विकसित करनें में मदद करेगा।

प्रस्तावना:- नई राष्ट्रीय नीति 2020 भारत की नई षिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित किया गया। इस नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक व पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट द्वारा बनाया गया है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लानें का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से षिक्षा क्षेत्र पर जी. डी. पी. के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर षिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के बाद अर्थात् 34 वर्षो बाद लायी गई। यह शिक्षा नीति स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षकों प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करनें के तरीके में बदलाव को लागू करनें का नवीन प्रयास करता है। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना तथा षिक्षण संस्थानों में गुणवता व सार्वभोमिकिकरण को स्थापित करना।

उद्देष्य:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्न उद्देश्य हैं:-

1) स्कूली शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना तैयार करना है जिसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रासंगिक है।

2) एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करे।
3) भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा
4) उच्च शिक्षण संस्थानों में नई गुणवत्ता को स्थापित करना तथा उसे सरल बनाना है।
5) नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

महत्वपूर्ण प्रावधानः- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष एकीकृत B.Ed शिक्षक शिक्षा के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा N.C.F.T., N.C.R.T. के परामर्श से बनाई जाएगी।

2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड होगी।

पाठ्यक्रम संरचनाः- स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10घ्2 सरंचना को 3-18 वर्ष की आयु वाले 5+3+3+4 की तर्ज पर एक नया संशोधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाएगा।

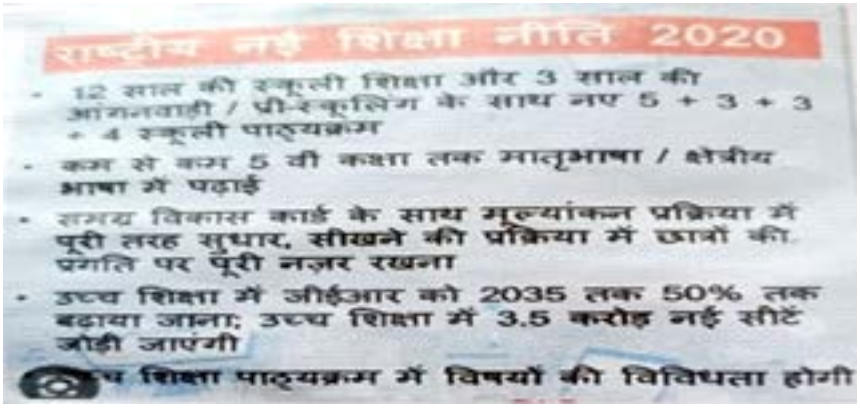

लोभः-

1) नई शिक्षा नीति छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्व देती है।
2) यह छात्रों को कम उम्र में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करनें में मदद करेगा।
3) उच्च शिक्षण संस्थानों की नई गुणवत्ता को स्थापित करना व आसान बनाना
4) विदेशी कॉलेजों के लिए अपने परिसरों को स्थापित करना व आसान बनाना जिससे विदेश जानें में असमर्थ छात्रों को इसका अनुभव करनें और वैश्विक प्रदर्शन प्राप्त करनें में मदद मिलेगी।
5) यह मूल्य आधारित शिक्षा को बढावा देना।
6) डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जाएगा।
7) शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित होना।
8) नीति में पाठ्यक्रम से बाहर निकलनें के अधिक लचीलेपन के साथ स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक बहुत अनुशासनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना करना है।
9) सामान्य बातचीत, समूह चर्चा तथा तर्क चिंतन द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखनें की परिस्थितियॉं उपलब्ध कराना है।

10) भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातिय एवं स्वदेषी ज्ञान शामिल हों इनको पाठ्यक्रम में सटीक एवं वेज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।
11) स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए हिन्दी, संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा।
12) विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी नियमित रूप से खेल कूद योग, नृत्य मार्षल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करनें का प्रयास किया जाएगा।

हानिः-

1) भारत में षिक्षकों की असंतुष्टता एक प्रमुख समस्या है। जो षिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है।
2) शिक्षक और छात्र अनुपात की समस्या है।
3) मातृभाषाओं को प्रस्तुत करना एक प्रमुख समस्या है। जिसमें एक सक्षम शिक्षक खौजना एक प्रमुख चुनौती है। और अब चुनौती है मातृ भाषाओं में अध्ययन सामग्री लानें की।
4) भारत सरकार चीन जर्मनी, फ्रांस, जेसे अन्य देशों के कदमों पर चलना चाहती थी, जहॉ विदेषी छात्र को देश को बेहतर समझनें के लिए देश की भाषा सीखनें की जरूरत है। भारत में 22 सक्रिय भाषाएँ हैं और अन्य देशों की तरह एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है।
5) भाषा का कार्यान्वयन/क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखनें के लिए 5वीं कक्षा तक पढाना एक बड़ी समस्या हो सकती है, बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति कम दृष्टि कोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करनें के बाद आवश्यक है।
6) बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखनें का प्रयास किया जाए जिससे उनके छोटे दिमाग पर बौझ बढ जाता है।

प्रमुख चुनौतियॉ

1) राज्यों का सहयोगः- शिक्षा समवर्ती सूचि का विषय होनें के कारण अधिकांश राज्यों में उसके अपने बोर्ड हैं। इसलिए इनके फैसलों के वास्तविक कार्यान्वयन हैतु राज्य सरकारों को सामनें आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लानें संबंधी विचार पर भी राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
2) महॅगी शिक्षाः- नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्व विद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्व विद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगी होनें की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौति पूर्ण हो सकता है।
3) दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रि.भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करनें का प्रयास कर रही है।
4) फंडिंग संबंधी जॉच का अपर्याप्त होनाः-कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है। लेकिन ये नियामक प्रक्रियाऐं असिमित धन के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगानें में असमर्थ हैं।
5) वितपोषणः- वितपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जी.डी.पी. के प्रस्तावित 6% खर्च करनें की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है।
6) समय का अभावः- नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूर्ण करनें में समय का पर्याप्त होना आवश्यक है, लेकिन सही रणनीतियों के अभाव में समय पर्याप्त नहीं होता।
7) नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा में 10+2 के बजाय 5 + 3 + 3 + 4 पैटर्न लागू किया जायेगा और माध्यमिक शिक्षा अब 12 साल की बजाए 15 साल को लागू किया जाएगा। लेकिन यह पैटर्न कैसे लागू किया जाएगा। क्या इसकी विशेषता रहेगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

8) ऑन लाईन एजेकुशन की बाधाएँ:- इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान और ऑन लाईन एजुकेशन देनें की बात कही गई लेकिन कई लोगों के पास साधन नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौति होगी।

निष्कर्ष:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अच्छी आधुनिक नीति है क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बनानें और 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करनें के उददेश्य से बनाया गया है। भारतीय मूल्यों, आवश्यकताओं व परिस्थितियों पर आधारित इस शिक्षा की नीति को आगामी नवीन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को रखा गया है। यह शिक्षा प्रणाली बालक के अपने सामाजिक, शारिरिक, सांस्कृतिक, रचनात्कता, सृजनात्मक, कलात्मक तथा मानसिक (चिन्तन, तर्क, कल्पना क्षमता) विकास में सहायक होगी। इक्कीसवी सदी की इस शिक्षा प्रणाली को भारतीय लक्ष्यों व आवश्यकताओं के अनुरूप बहु-विषयक, लचीला, व समग्र, पाठयक्रम पर आधरित बनाया गया है, जिससे बालकों की चिन्तन क्षमता, कौशल विकास व बहुमुखी प्रतिभा का निर्माण व विकास हो सके जिससे राष्ट्र प्रगति को वे सही दिशा में ले जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- व्यास, हरीशचन्द्र अधिगम और विकास के मनोसामाजिक आधार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1990
- अरोडा, रीटा, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, 2005, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- दत्ता संजय शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम व्यक्तित्व जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर संस्करण 2005।
- शर्मा आर.ए. शिक्षा अनुसंधान 2008
- अग्रवाल संध्या शिक्षा मनोविज्ञान विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी 2005

नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में

रेखा चाहर

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० मौसम पारीक

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

किसी भी देश के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हमारे देश में शिक्षा से संबंधित अनेक सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न आयोगों का गठन होता रहा है, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में 4 नवम्बर 1948 को इसका गठन किया गया यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान और ये ज्ञान हम सभी को ना केवल सम्पूर्ण मानव बनाने में सहायक है। बल्कि एक सभ्य समाज के निर्माण और मानवता को उसका सही अर्थ बतलाने में पूरी तरह से सक्षम है, शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है, यहीं वजह है कि सभी विकसित देश शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में भी शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। दुनियाँ के अन्य देशों के मुकाबले भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, इसी क्रम में देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डॉ. के.कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया।

नई शिक्षा नीति, शिक्षक शिक्षा

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाय जो छात्रों को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करने के साथ ही साथ शिक्षा में नए बदलाव का सुझाव दे ताकि शिक्षा से देश के सभी लोगों और वर्गों को जोड़ा जा सकें। आइयें जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या-क्या बातें कही गई हैं।

- शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हो के संयोग में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।
- यह नीति यह सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।
- शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। जिससे करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सकें।
- एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है।
- जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए तथा साथ ही साथ विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

हर बच्चों की क्षमताओं की स्वीकृति पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता है और इस तरह से अपनी प्रतिभा और रूचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। सभी ज्ञान की अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, कला, मानविकी, और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना। अवधारणात्मक समझ पर जोर नाकि रटंत पद्धति और परिक्षा फल के लिए पढ़ाई। रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक, संपति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय के लिए प्रेरित करना। बहु भाषिकता और अध्ययन अध्यापन में कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित किया गया है।

- जीवन कौशल जैसे - आपसी संवाद, सहयोग सामूहिक कार्य और लचीलापन पर विशेष बल दिया गया है।
- सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर दिया गया है।
- तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया गया है।
- शिक्षकों तथा संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरन्तर व्यवसायिक का प्रावधान किया गया है।
- शैक्षिक प्रणाली की अखण्डता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन, और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द - बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत् समीक्षा
- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन

- इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। जो सभी को उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत की एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।
- नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षणविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तर दायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें।
- नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकारों स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके।

स्कूली शिक्षा

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3-18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।

2 Ages 16-18	4 Class - 12 Ages 14-18	Secondary
10 Ages 6-16	3 Class 6-to 8 Ages 11-14	Middle
	3 Class 3 - 5 Ages 8-11	Pre Primary
	2 Years Class 1-2 Ages 6-8 3 Years Anganwadi Pre School Balvati	Foundational

- वर्तमान में 3-6 वर्ष की उम्र में बच्चे 10+2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं है क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है।
- नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) की एक मजबूत बुनियाद भी शामिल किया गया है। जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर होगा। वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे और खुशहाल होंगे।

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव

- बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। इसलिए उनके आरंभिक 6 वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के. कडोरो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है।
- इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है। जिससे सभी को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने में समान अवसर मिल सके।
- ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय खेल आधारित, गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे - अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग आकार इत्यादि।
- NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा।

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त

- सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है।
- पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा।

3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

- स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए।

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रूचिकर होना चाहिए।

- 5+3+3+4 के नए डिजाईन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना।
- विद्यार्थियों का समग्र विकास करना
- अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु रोचक बनाना।
- कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना।
- बहुभाषा और भाषा की शक्ति
- अनिवार्य विषयों कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई.)
- विद्यार्थियों के विकास के लिए आंकलन में आमूलचूल परिवर्तन

सन्दर्भ गन्थ सूची

- व्यास, हरीशचन्द्र अधिगम और विकास के मनोसामाजिक आधार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1990
- अरोडा, रीटा, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, 2005, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- दत्ता संजय शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम व्यक्तित्व जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर संस्करण 2005।
- शर्मा आर.ए. शिक्षा अनुसंधान 2008
- अग्रवाल संध्या शिक्षा मनोविज्ञान विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी 2005
- भटनागर ए.वी. भटनागर मीनाक्षी ''भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास आर.लाल. बुकडिपों पटना 2005।
- करलिंगर एफ. एन. फाउडेशन ऑफ विहेवरियल रिसर्च 2002
- मंगल अंशु बटोलिया ए. अग्रवाल ''शैक्षिक अनुसंधान की विधिया एवं शैक्षिक सांख्यिकी राधा प्रकाशन मन्दिर आगरा 2007।
- पुरोहित जगदीश नारायण शर्मा मुरली मनोहर भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम राजस्थान ग्रन्थ अकादमी जयपुर पंचम संस्करण 2002
- रमल जे.एम एन. इन्ट्रोडक्शन टु रिसर्च पोजीशन इन एजुकेशन हार्पर ब्रदर्स 1986
- शर्मा आर. ए. शिक्षा अनुसंधान आर लाल बुक जयपुर 2008
- शर्मा आर.ए. अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार विजय बुक डिपो जयपुर।

आंकलन और मूल्यांकन (एन.ई.पी. 2020)

दामोदर प्रसाद शर्मा

पी.एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर

सारांशः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संदेश देना है, एन.ई.पी. 2020 छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ावा देना और उच्च क्रम कौशल (विश्लेषण, विवेकात्मक सोच, विचारदृष्टि आदि) का परीक्षण करने के लिए नियमित प्रमाणित योग्यता आधारित समझ पर केन्द्रित है। एन.ई.पी. 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, क्योंकि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखना है।

मुख्य शब्दावलीः विवेकात्मक, अनुसंधान, प्रारूप, परिकल्पना, वर्गीकृत, मानकीकृत, गुणात्मक, आधारभूत, अनुपात

प्रस्तावनाः

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये, 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था, कोठारी आयोग की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ, अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों ने अपनी शिक्षा सम्बन्धित टिप्पणीयाँ दी, और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया, इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषेशता यह भी थी, कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढ़ांचे को स्वीकार किया, और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 की संरचना को अपनाया, इसे राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में जारी किया गया था, इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था, 2019 में मानव संशाधन मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया, इस नई नीति में मानव संशाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैंसला लिया गया, इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। इस शिक्षा नीति में संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जायेगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल छः प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है, व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तरों पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जायेगा, इसके तहत पहले पाँच साल में प्री प्राईमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और दो सहित फाउण्डेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी, वही अब तीन साल के प्री प्राईमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी, इसके बाद कक्षा तीन से पाँच के तीन साल शामिल हैं, इसके बाद तीन साल का मिडिल स्टेज आयेगा, यानि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा, चौथा स्टेज चार साल का होगा, इसमें 9 से 12 तक की कक्षा है। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पाँचवी तक मात्र भाषा का इस्तेमाल किया जायेगा, इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की कौशिश की गई है। किसी कारण वश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कॉर्स छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दुबारा से नई शुरूआत करनी पड़ती है, इस नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र दूसरे वर्ष पर छोड़ने पर डिप्लोमा, एवं अतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। एफ.फिल. को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए तीन साल की स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पी.एच.डी. में प्रवेश लिया जा सकता है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातेंः

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% का लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- मानव संशाधन प्रबन्धन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

- पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृ भाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही मातृ भाषा को कक्षा आठ और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।
- शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अबकि बार 2020 में जारी किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परीक्षण तथा मूल्यांकनः

मूल्यांकन नियमित रचनात्मक और योग्यता आधारित होना चाहिए, छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, अधिगम के लिए आंकलन पर ध्यान देना चाहिए, उच्च क्रम कौशल (विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता) का प्रशिक्षण करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी छात्रों के अधिगम् और विकास को अनुकूलित करने के लिए मूल्यांकन को बदलने पर जोर देता है।

1. मूल्यांकन नियमित गुणात्मक और योग्यता आधारित होना चाहिए।
2. छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
3. अधिगम के लिए समझ पर ध्यान देना चाहिए।
4. अधिगम को अनुकूलित करने के लिए निरन्तर शिक्षण अधिगम को अनुरूप करने में सम्पूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की सहायता करता है।

मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निरन्तर और व्यापक तरीके से बच्चों की प्रगति को ट्रेक करने के लिए आंकलन महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित प्रत्येक मूलभूत चरण अर्थात् सीखने की कमियों की शिघ्र पहिचान करना ताकि विशेषज्ञों के रेफरल के माध्यम से शीघ्र हस्तक्षेप की संभावना हो सके। मूल्यांकन को मोटे तौर पर दो प्रमूख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. SBA : स्कूल आधारित मूल्यांकन (School Based Assessment) आधारभूत स्तर पर ैठ। तनाव मुक्त होना चाहिए और बड़े पैमाने पर अनुभव और गतिविधियों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए।
2. LSA : बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन (Large Scale Assessment) राज्य, राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मूल्यांकन डेटा सिस्टम पर केन्द्रीत है, और राष्ट्र राज्य या जिले के शैक्षिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है।

निष्कर्षः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को सम्बोधित करना है। इस शिक्षा नीति में वैचारिक समझ और शैक्षिक शिक्षा में सुधार को बल दिया है, ताकि बच्चे सामान्य ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक निश्चित अवधि के अनुसार बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार

इन्टरनेट पत्र पत्रिकाएं -

https://www.education.gov.in
https://testbook.com
https://www.qkhub.in
https://www.drishtiias.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मुख्य विशेषताएँ

वंदना शर्मा

पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० मौसम पारीक

शोध निर्देशिका, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश -

नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है भारत ने नई नेशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 आकांक्षा की है। जिसके अन्तर्गत सरकार ने एजूकेशन पॉलिसी में कॉफी सारे मुख्य बदलाव किए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। पहले 10+2 का पैटर्न फोलो किया जाता था परन्तु अब नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फोलो किया जाएगा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र शामिल था। इस योजना के माध्यम से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर पूरा किया जाना है। इन कार्यो में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट आप्सन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजूकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री के प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन और संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करेगी इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर एक डैशबोर्ड की निगरानी की जाएगी एवं प्रत्येक कार्य की एक समय सीमा तक की जाएगी।

मुख्य बिन्दु- विशेषताएँ, पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

प्रस्तावना -

शिक्षा नीति का केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गयी है जो 34 वर्षो के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है कैबिनेट ने मानव, संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केन्द्रित करना अैर भारत को एक वैश्विक ज्ञान, महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। एनईपी 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा एक समान पहुंच हो इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परम्पराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए एसडीजीयू सहित 21वीं सदीं की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो यह राज्यों, केन्द्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खत्र को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

एनईपी 2020 के उद्देश्य -

- एनईपी 2020 के उद्देश्य 2035 तक व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत से करना है।
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहु विषयक संस्थान बनना होगा जिनमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे।

एनईपी 2020 के मुख्य बिन्दु -

शिक्षक शिक्षा -

- 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।
- डिजिटल डिवाईड को बांटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा –

- अगले दशक में चरणबद्ध तरीकें से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है।
- शिक्षकों और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नयी National Curriculum Framework पेश की जाएगी।
- कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा।
- सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा।
- पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव।
- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है।
- बोर्ड परीक्षाऐं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगी
- 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है।
- कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गयी है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण।
- 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6) वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना।
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
- कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा।
- एक नया पाठ्यचर्या ढांचा पेश किया जाना है जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी वर्ष शामिल है।
- 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा।
- एनईपी द्वारा अनुशंसित स्कूल परीक्षा में सुधारों में छात्रों के पूरे स्कूल के अनुभव की प्रगति पर नजर रखना शामिल है।
- इसमें कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा शामिल है।
- एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा के पुनर्गठन की थी जो मुख्य रूप से केवल कौशल मूल अवधारणाओं और उच्च क्रम की सोच क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी और उनका परीक्षण करेगी।

उच्च शिक्षा –

- विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण।
- यूजी प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश/निकास उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में एक वर्ष पूरा करने के बाद तक प्रमाण पत्र दिया जाएगा 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 4 वर्षीय बहु विषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा।
- यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो वे उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी।
- एम.फिल को बंद किया जायेगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा।
- Research Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टैंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जाएगी।
- चिकित्सा कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक।
- संस्थानों के बीच हस्तान्तरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीकें से समाप्त किया जाएगा ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सकें।
- इसका उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है जिसमें अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारम्परिक ज्ञान

- आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सटीक और वैज्ञानिक तरीकें से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना करन रहे है उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा।

एनईपी 2020 - त्रि भाषा सूत्र -

- नीति ने सिफारिश की कि त्रि-भाषा सूत्र को जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाए।
- त्रि भाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिन्दी भाषा राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा, एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानत: दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन को और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भाषा के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए।

नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है भारत ने नई नेशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 आकांक्षा की है। जिसके अन्तर्गत सरकार ने एजूकेशन पॉलिसी में कॉफी सारे मुख्य बदलाव किए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा पहले 10+2 का पैटर्न फोलो किया जाता था परन्तु अब नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फोलो किया जाएगा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र शामिल था।

नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अन्तर्गत आरम्भ किया जाएगा एक लाइव डैशबोर्ड। जून 2021 से इस पॉलिसी की सफलता को मॉनिटर करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड का आरम्भ किया जाएगा इस डैशबोर्ड के माध्यम से इस पॉलिसी के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी इस योजना के माध्यम से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर पूरा किया जाना है। इन कार्यो में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट आप्सन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजूकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री के प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन और संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करेगी इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर एक डैशबोर्ड की निगरानी की जाएगी एवं प्रत्येक कार्य की एक समय सीमा तक की जाएगी।

इम्पलीमेंटेशन एंड रिव्यू कमिटी -

मंत्रालय द्वारा एक इप्टीमेटेशन एंड दिव्यू कमिटि का गठन नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाएगा इसको हायर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा इस कमेटी के माध्यम से इस पॉलिसी की सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा इसके अलावा क्रेडिट बैंक प्रणाली एवं आई आईटी को बहु विषय संस्थान में परिवर्तित करने के लिए एक और टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यदि इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब किया जाएगा तो राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को जवाब देना होगा।

संदर्भ -

- https://www.google.com/search?q=national+education+policy+2020&oq=national+education+&aqs=chrome.10i433i512j0i512j69i57j0i433i512j0i512l2j46i175i199i512l2j0i512l2. 5487j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
- https://nvshq.org/article/new-national-education-policy-nep-2022/

शिक्षा स्नातक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020- एक अध्ययन

कमला

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है जो मुख्यत: शिक्षा नीति 2020 की शिक्षक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गेई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थीयों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोण का विकास करना है। इस शोध पत्र में शोधार्थी ने द्वितीय आँकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा की विशेषताओं को दर्शाना चाहता है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शाधार्थी इस शोध पत्र के माध्यम से अनेक सुझायों को प्रस्तुत करता है, जो भारतीय अध्यापक शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

मूल शब्द:- अध्यापक शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020

प्रस्तावना

शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान और ये ज्ञान हम सभी को ना केवल सम्पूर्ण मानव बनाने में सहायक है। बल्कि एक सभ्य समाज के निर्माण और मानवता को उसका सही अर्थ बतलाने में पूरी तरह से सक्षम है, शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है, यहीं वजह है कि सभी विकसित देश शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में भी शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। दुनियाँ के अन्य देशों के मुकाबले भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, इसी क्रम में देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डॉ. के.कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य है कि एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाय जो छात्रों को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करने के साथ ही साथ शिक्षा में नए बदलाव का सुझाव दे ताकि शिक्षा से देश के सभी लोगों और वर्गों को जोड़ा जा सकें। आइयें जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या-क्या बातें कही गई हैं।

- शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हो के संयोग में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।
- यह नीति यह सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।
- शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। जिससे करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सकें।
- एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है।
- जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए तथा साथ ही साथ विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

अध्यापकों के लिए व्यावसायिक मानक

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक का हक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा।
- मानकों में विशेषज्ञता रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा।
- इसमें प्रत्येक रैंक में किये गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे जो कि समय-समय पर किए जायेंगे।
- एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा। जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे।
- कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में, वृद्धि होगी, 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभाविक विश्लेषण किया जाएगा।

विशिष्ट अध्यापक

स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। उन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में दिव्यांग बच्चों ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सिखने में कठिनाई होती है के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल किये जाएंगे।

- इन शिक्षकों को सिर्फ विषय-शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरूआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्णकालिक या अंशकालिक मिश्रित कोर्स, बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे। योग्य विशेष शिक्षकों जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हैं, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई, के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को शामिल किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण

- यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी.एड. एम.एड. और पीएच. डी. की डिग्री प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र-शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहु विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बी.एड. कार्यक्रमों को एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है। जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने 4 वर्षीय बहु-विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परा-स्नातक डिग्री प्राप्त की हैं और उस विशिष्ट विषय में विषयक शिक्षक बनना चाहते हैं।
- इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियां केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।
- चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण की मान्यता भी हो और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ओडीएल मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले बी.एड. कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण और छात्र-शिक्षण घटक तथा मेटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे।
- सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ-साथ हाल-ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रूचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक, प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शोधार्थी केन्द्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है।
- सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा - सभी बी. एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51ए) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत् विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।

- कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की आईटीई, डीआईईटी या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे। जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे - स्थानीय कला संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बी.एड. के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाऐं जायेंगे जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष-जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते है।

सन्दर्भ सूची

- व्यास, हरीशचन्द्र अधिगम और विकास के मनोसामाजिक आधार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1990
- अरोडा, रीटा, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, 2005, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- दत्ता संजय शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम व्यक्तित्व जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर संस्करण 2005।
- शर्मा आर.ए. शिक्षा अनुसंधान 2008
- अग्रवाल संध्या शिक्षा मनोविज्ञान विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी 2005
- भटनागर ए.वी. भटनागर मीनाक्षी ''भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास आर.लाल. बुकडिपों पटना 2005।
- करलिंगर एफ. एन. फाउंडेशन ऑफ विहेवरियल रिसर्च 2002
- मंगल अंशु बटोलिया ए. अग्रवाल ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ एवं शैक्षिक सांख्यिकी राधा प्रकाशन मन्दिर आगरा 2007।
- पुरोहित जगदीश नारायण शर्मा मुरली मनोहर भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम राजस्थान ग्रन्थ अकादमी जयपुर पंचम संस्करण 2002
- रमल जे.एम एन. इन्ट्रोडक्शन टु रिसर्च पोजीशन इन एजुकेशन हार्पर ब्रदर्स 1986
- शर्मा आर. ए. शिक्षा अनुसंधान आर लाल बुक जयपुर 2008
- शर्मा आर.ए. अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार विजय बुक डिपो जयपुर।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ''युवा और प्रौद्योगिकी''

कृतिका जोशी

(पीएच0डी0 शोधार्थी), (शिक्षा शास्त्र विभाग, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, राज0)

ड़ॉ० सुमनलता यादव

शोध निर्देशिका, (शिक्षा शास्त्र विभाग, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, राज0)

सारांशः-

''आज शिक्षा में किए नए बदलाव
ताकि हर किसी को मिले रोजगार
न रहे कोई भी भूखा या गरीब
सही तो है नई शिक्षा नीति का आधार''

भारत में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ 1968 के नई शिक्षा नीति से मानी जाती है। इसमें समय - समय पर संषोधित होता आ रहा है, 1986, 1992 में नई शिक्षा नीति को संषोधित किया गया। 21 वी सदीं में शिक्षा संबंधित नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसी समय मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के नाम को बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2030 तक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 को वर्तमान शैक्षिक प्रणाली 10+2 के साथ प्रतिस्थापित करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनो का निवेश होगा। इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोषिष की जा रही है। नई शिक्षा नीति के अन्दर स्नातक कोर्स 3 से 4 साल तक पढा जा सकता है। इसके साथ-साथ यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी। अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ-साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ई लर्निंग पर जोर दिया जा रहा ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सकें। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च षिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए है -

- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल
- हायर एजुकेशन काउंसिल
- जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा
- नेशनलल एक्रीडिटेशन काउंसिल

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप का श्रेय इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन को दिया जाता है। इस शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए नेशनल ट्यूटर्स प्रोगाम (NTP) रेमेडियल इंस्ट्रक्षनल एड्स प्रोगाम (RIAP) शिक्षा का अधिकार (RTE) से नई शिक्षा नीति 2020 के विकास के लिए सुझाव लिया गया है। सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाईन और पारम्परिक कक्षा शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया गया। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठयक्रम और शिक्षण विधा को रचा गया।

नई शिक्षा नीति 2020 के सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठयचर्चा, विषयों में शिक्षण विधि इन क्लास, ऑनलाईन, ओडीएल और को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य सुनिश्चित किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक एवं वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। जिसमें 3+1 का प्रारूप लिया गया है। नई शिक्षा नीति करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में युवा और प्रौद्योगिकी -

वैश्विक महामारी ने दुनिया को प्रौद्योगिकी की उच्चतम सीमाओं पर पहुँचने का अवसर प्रदान किया है। यह कहना उचित होगा कि विश्व के प्रत्येक देष ने महामारी के दौरान जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अच्छे से उपयोग प्रयोग किया है। पिछले कुछ वर्षो से बढते हाई-स्पीड ब्रांडबैंड इंटरनेट

का उपयोग, कम लागत वाले कम्प्यूटर अथवा मोबाईल उपकरणों के साथ, अब मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगो के घरों में इंटरनेट की सुविधा है जिस कारण, कम से कम शहरों में, विद्यार्थीयों हेतु ई-लर्निंग के लिए नए रास्ते खुल गयें है। वास्तव में वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति नवाचार आधरित और डिजिटल शिक्षण के लिए ड्राइविंग बल प्रदान करने के लिए अनुकुल दृष्टिकोणों को सामने लाकर राष्ट्र की उन्नत षिक्षा का विस्तार करने की और इंगित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी शिक्षा प्रणाली में तकनीकी पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है। और इसके साथ-साथ शिक्षा में विकास का एक स्पष्ट रोडमैप दिया है। इस संषोधित नीति का एक उद्देश्य सभी वर्ग, जाति समुदाय, स्थान के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है। नयी शिक्षा नीति हर वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश करने और बाहर निकलने जैसे प्रावधानों को सुगम बनाती है। मौजूदा भारतीय शिक्षा क्षेत्र में इस परिवर्तन को लाने के लिए विविध तरीको से प्रौद्यौगिकी का उपयोग करना एक अच्छा और पारदर्शी माध्यम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है। प्रौद्यौगिकी का व्यापक उपयोग शिक्षा और शिक्षण में, भाषा अवरोधों को दूर करने में तथा विकलांग छात्रों तक पहुँच बढाने आदि ऐसे कुछ मूलभूत कार्य है जो नई शिक्षा नीति में शिक्षण संस्थाओं को बडै पैमाने पर सहायता करने की बात की इसके अलावा, तकनीकि हस्तक्षेप को एक मार्गदर्शक के रूप में ही लागू करने जो शिक्षकों और छात्रों के बीच मौजूद किसी भी भाषा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करनें में मदद करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग छात्रों तथा विशेष आवश्यकता (जिन्हे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है) वाले छात्रों पर भी केन्द्रित है। यद्यपि यह ठीक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माता-पिता या देखभाल करने वालों के उन्मुखीकरण के लिए प्रौद्यौगिकी - आधारित समाधानों का उपयोग किये जाने को स्थान दिया। भविष्य में एक-पर-एक शिक्षक, सहकर्मी, शिक्षक ओपन स्कूलिंग, उपर्युक्त बुनियादी ढॉचा और उपयुक्त तकनीकि माध्यम विकलांग बच्चों या विशेष आवश्यकताओं वाले कुछ बच्चों के लिए शिक्षा की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऑनलाईन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जोर देती है, जिसके माध्यम से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराए जाने और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने की बात की। शिक्षकों के ऑनलाईन प्रशिक्षण के लिए SWAYAM-DIKSHA जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया, ताकि मानकीकृत प्रषिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के अन्दर बडी संख्या में षिक्षकों को प्रषिक्षित किया जा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उद्देश्य -

- तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य बिठाना है ताकि युवाओं को विषयों के साथ गहराई से जुडने के अवसर मिल सकें।
- 2020 नीति द्वारा पेश किए गए प्रमुख परिवर्तन में से एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना है जो युवा के लिए काफी सहायक हैं। शिक्षण, मूल्याकंन, योजना, प्रशासन और इसके प्रबंधन को बढाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
- 2020 की नीति के नवीन पहलुओं के साथ बोर्ड, नई और नवीनतम तकनीकों जैसे आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटिंग डिवाइस, छात्र विकास के लिए अनुकूली कम्पयूटर परीक्षण और शैक्षिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अन्य रूपों को शिक्षा के सभी स्तरों में एकीकृत किया गया।
- 2020 नीति पुस्तकों, सामग्रियों, प्रश्न बैकों, नवीनतम पाठ्यक्रम, पत्रिकाओं और पांडुलिपियों तक आसान पंहुँच के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को ई-पुस्तकालय तक पहुँच प्रदान करके प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। इन सेवाओं का लाभ युवा अपने उपकरणों, जैसे मोबाईल फोन, टेबलेट, लैपटॉप आदि के माध्यम से उठा सकते है।
- 2020 की नीति विशेष रूप से सक्षम बच्चों की कक्षाओं में बेहतर ढंग से एकीकृत करने के साथ-साथ अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ बातचीत करने में मदद करने के लिए सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण प्रदान करने का भी प्रयास करती है।
- कई प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कम्पयूटर टेस्टिंग, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है वरन् यह भी परिवर्तन होगा कि वो कैसे सीखता है।
- प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम और आंकलन प्रकियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एव प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्याकंन संबंधी प्रकियाए आदि सम्मिलित है।
- मानव संशाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिक्रियास्वरूप, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारम्भ या विस्तार किया जाना सुनिश्चित हुआ।

''विद्यार्थी करे अपने सपने साकार,
नई षिक्षा नीति का यही आधार।''

निष्कर्ष - 2020 की नीति ने प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के युग में पली बढी युवा पीढी को शिक्षित करने की मांगो का उचित आंकलन किया है। यह पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है जहॉ प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए आज की युवा व्याकुलता दिखाई देती है। और अकल्नपीय लाभों को प्राप्त करने के

लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी को स्थान दिया गया है। सही दिशा में एक कदम, 2020 की नीति नई प्रणाली और कुशल प्रकियाओं के निर्माण और छात्रों और शिक्षकों की एक पूरी पीढी को सषक्त बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रवेश अब पहने से कही अधिक निकट है, इस प्रकार सही उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना समय और आज की युवा की आवश्यक्ता है। तेरा मेरा एक व्यवहार, शिक्षा हो सबके द्वार"

संदर्भ सूची -

1. भारत सरकार के (1968)। राट्रीय शिक्षा नीति, 1968
2. इग्नू 1986। इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय अधिनियम 1985
3. एंटरशन, जे0 (2010) आई0सी0टी0 ट्रांसफर्मिग एजुकेशन: ऐ रिजनल गाईड। यूनेस्को।

नई शिक्षा नीति में विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों के लिए नई स्कूल नीति में नवीनतम प्रावधान

मुकेश कुमार रूण्डला

रिसर्च स्कालर, अपैक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर

डॉ० भारती विजय

शोध निर्देशिका, रिसर्च स्कालर, अपैक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर

सारांश –

नई शिक्षा नीति 2020, जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, "बाधा-मुक्त" को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है दिव्यांग सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच। "भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभ की गई तथा 1992 में अंतिम बार संशोधित की गई। तब से, भारत को अपनी संपूर्ण शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता थी, नई शिक्षा नीति उन बहुप्रतीक्षित नए सुधारों का वर्णन करती है जिनकी भारत को तलाश थी। इस तरह की नई स्कूल नीति के तहत उन परिवार तथा उन परिवार के दिव्यांग बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उनके अनुकूलित हो एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है।नई शिक्षा नीति दिव्यांग छात्रों हेतु एक नई सोच को लेकर आई है जिसके माध्यम से दिव्यांग छात्र छात्राएं बाधा मुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं।नई शिक्षा नीति दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने हेतु 2 नियमों पर सबसे अधिक जोर डालती है की इनके लिए पठन-पाठन की सामग्री इनके अनुकूलित हो तथा पढ़ाने के तरीके में भी विशिष्ट प्रकार की शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाए। दिव्यांग छात्रों को प्री-स्कूल और प्राथमिक शिक्षा तकपहुंचने में सबसे ज्यादा बाधा दिखाई देती है। 47þ से कम स्कूल भवनों में रैंप हैं, और केवल लगभग 27þ स्कूलों में हैं सुलभ शौचालय, इनके अलावा ऐसी और भी बाधाएं हैं जो अनेकों स्कूलों में देखने को मिलती हैं छात्रों को कक्षा कक्ष में बैठने का उचित प्रबंध नहीं है तथा इसके साथ-साथ भवन में आवागमन करने का सही स्थान भी उपलब्ध नहीं है दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताए हमारे आसपास हैं इन सभी को शिक्षा में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चे एक समान रूप से शैक्षिक प्रणाली के प्रत्येक पहलू में भाग ले सकेंगे तथा सभी प्रावधानों के अनुसार हर प्रकार की सुविधा ले सकेंगे इसके साथ-साथ दिव्यांग संपूर्ण समुदाय में आवागमन भी एक सामान्य जन की तरह करने में सक्षम होंगे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में दिव्यांगों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पत्र नई शिक्षा में दिए गए प्रावधानों पर केंद्रित है दिव्यांगजनों के लिए नीति 2020 यह दर्शाने के लिए कि कैसे उनके लिए शिक्षा उन तक पहुँचने के लिए बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए।यह दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का भी एक कदम है।

बिन्दुः दिव्यांगता, एनईपी 2020, क्षति, बाधा मुक्त वातावरण, इनइक्वालिटी, अधिनियम

परिचयः-

2030 तक, एनईपी 2020 का उद्देश्य "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और अवसरों को प्रोत्साहित करना है। "सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए।" सहायक उपकरण, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण और भाषा-उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री होगी एनईपी में इस नए अतिरिक्त को समायोजित करने के लिए सुलभ बनाया गया। एनआईओएस को शिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल भी मिलेंगे भारतीय सांकेतिक भाषा और भारतीय सांकेतिक भाषा में अन्य मुख्य विषय। क्योंकि RPWD अधिनियम 2016 द्वारा परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों, गंभीर या बहुदिव्यांगता वाले छात्रों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताएं का विकल्प होगा विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित या विशेष स्कूल, संसाधन केंद्र, साथ ही विशेष शिक्षक और प्रशिक्षक उपलब्ध होंगे। NEP 2020 के तहत स्कूलों और स्कूल के मैदानों को बच्चों को शामिल करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की जाएगी दिव्यांग और ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए तैयार विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति। राज्यों को धन मुहैया कराया जाएगा महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करना (जैसे, शौचालय बनाना, साफ-सफाई, साइकिल, और अधीन नकद हस्तांतरण)। भारत ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। 1986 में, दूसरी को अपनाया गया था। इनमें से किसी में भी दिव्यांग का जिक्र नहीं था। अनेक जब भारत ने 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू की, जिसे मान्यता दी गई और शामिल किया गया, तो उद्योग में दिव्यांगता का उत्साह था। ईस नीति मे कई दिव्यांग कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में शामिल

किए जाने की प्रशंसा की है। हालाँकि, निजीकरण 2020 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्र में है। दिव्यांग व्यक्ति समाज से अलग नहीं हैं बल्कि इस देश की सामान्य आबादी का सदस्य है। हर कानून जब पारित हुआ, या नीति अपनाने का उन पर प्रभाव पड़ता है। हम सबका साथ दिव्यांग व्यक्तियों की सभी बाधाओ को दूर कर सकता है।

संक्षिप्त इतिहास

इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 1869 में भारत में चर्च मिशनरी सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की थी। ईमानदार होने के लिए, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अभी भी धर्मार्थ संगठनों पर निर्भर हैया गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)। सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान बहुत कम हैं। नतीजतन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विशाल बहुमत गैर-सरकारी संगठनों के विशेष विद्यालय महानगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। भले ही नीति वक्तव्य में समानता, इक्विटी और समावेशन जैसी अवधारणाएं कई बार दिखाई देती हैं, लेकिन हैं एक अक्षमता कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से अनेक कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। उनमें से एक सुझाव है कि स्कूलों को एक स्कूल परिसर बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए। एनईपी के अनुसार, स्कूल परिसर में एक शामिल होगा माध्यमिक विद्यालय के साथ-साथ 5-10 किमी के दायरे में अतिरिक्त विद्यालय और आंगनवाड़ी। शैक्षणिक संस्थानों के निजीकरण का दिव्यांग समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? आरपीडी अधिनियम के तहत केवल सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिव्यांगता और गरीबी का अटूट संबंध है। नतीजतन, शिक्षा को महंगा बनाना वस्तु का दिव्यांग आबादी के साथ-साथ अन्य हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम में से कई बच्चों के रूप में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना याद करते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि पंचतंत्र की रचना की गई थी तीन "कमजोर" राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए; दूसरों का सुझाव है कि भारतप्राचीन काल में भी मानसिक रूप से अक्षम लोगों को शिक्षित करने में रुचि रखता था। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राजा के नर बच्चों के लिए पंचतंत्र की स्थापना की गई थी, जो अनपढ़ होने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या यह सच है कि शिक्षा के अवसर नियमित परिवारों के दिव्यांग बच्चों को समकक्ष सुविधा उपलब्ध है? यदि NEP 2020 को वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है

तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार वित्तीय आवंटन हाल के वर्षों में, भारत ने शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मामले में और छात्र नामांकन। 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विशेष रूप से ऊपरी में नामांकन बढ़ाने में लाभकारी रहा है प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8)। देश भर में 2009 और 2016 के बीच, उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वच्छता और सुरक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन ने भी देश के नामांकन में सहायता की है। 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत थी, मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत थी, और अनुसूचित जाति के लोगों की साक्षरता दर लगभग 66 प्रतिशत थी। कई क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति के बावजूद भारत के शैक्षिक प्रणालियाँ अन्याय और बहिष्करण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना जारी रखती हैं। अधिकांश ग्रामीण निवासियों के लिए भी वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के रूप में, एक अच्छी शिक्षा तक पहुंच एक सपना ही बना हुआ है। उच्च शिक्षा में क्षेत्र, यह बहुत अधिक गंभीर है।

एनईपी 2020 में असमानता की खाई को पाटना राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली की बढ़ती असमानता को दूर करना है अन्याय। एनईपी 2020 सामाजिक आर्थिक स्तर और वंचित अल्पसंख्यकों के बीच महत्वपूर्ण ड्रॉपआउट दर को पहचानता है, अन्य बातों के अलावा। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बाधाएं जो अकुशल संसाधन आवंटन में योगदान करती हैं, जैसे छोटे स्कूल परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की कम भागीदारी के कारणों को पहचाना जा रहा है। यह हाइलाइट भी करता है दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की पूरी न की गई शैक्षिक आवश्यकताएं।

दिव्यांगजन - दिव्यांग व्यक्ति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 अरब लोग 'दिव्यांग' हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। आबादी इस दौर में जहां 'समावेशी विकास' को टिकाऊ के उचित मार्ग के रूप में रेखांकित किया जा रहा है विकास, NEP 2020 मिशन दिव्यांग लोगों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए कदमों को लागू करने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करना कि सभी संरचनाएं और सुविधाएं व्हीलचेयर की पहुंच योग्य और दिव्यांगता के अनुकूल हैं दिव्यांग व्यक्तियों/दिव्यांगों के लिए एक सेल की स्थापना, जिसमें से प्रतिनिधि शामिल होंगे प्रशासन, शिक्षक और छात्र भाषा की बाधाओं को दूर करने और अधिक प्रदान करने के लिए शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग दिव्यांग छात्रों के लिए अवसर पुस्तकों और सॉफ्टवेयर की उचित मात्रा की गारंटी के लिए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना जो दिव्यांग लोगों की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप हैं दिव्यांग अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई है दिव्यांग लोगों के लिए एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।

विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की पहचान

नीति असाधारण जरूरतों वाले बच्चों को स्वीकार करती है और नियमित शिक्षा में उनके समावेश की वकालत करती है सिस्टम। यह काफी हद तक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016 के लक्ष्यों के अनुरूप है। रणनीति सभी स्कूल परिसरों में विशेष शिक्षकों को नियुक्त करने की भी इच्छा रखती है ताकि निर्देश अधिक समावेशी और हो बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील। अर्हक दिव्यांग बच्चों को होम-स्कूलिंग और वसीयत चुनने की अनुमति होगी योग्य होम-स्कूलिंग प्रशिक्षकों के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि वे अध्ययन करना जारी रख सकें और महानतम से लाभान्वित हो सकें शैक्षिक अवसर उपलब्ध। बच्चों में सीखने की कठिनाइयों को जल्दी पहचानने के लिए शिक्षकों को भी शिक्षित किया जाएगा और बच्चों को उनके भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सीखने की चुनौतियों के साथ सहायता करने के लिए। पारख, राष्ट्रीय मूल्यांकन

केंद्र, बच्चों के लिए समान मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए स्थापित किया जाएगा सीखने की कठिनाइयों के साथ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के तरीकों की सिफारिश की जाती है। हालांकि, इस मोर्चे पर, एनईपी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और यूटोपियन दिखती है। यह इस वास्तविकता की उपेक्षा करता है कि न केवल अधिकांश हैं प्रशिक्षक इस तरह के विशेष कार्यों के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अधिकांश भारतीय स्कूलों में कर्मचारियों की भारी कमी है। रणनीति यह भी उल्लेख नहीं करता है कि यह व्यक्तिगत-सुलभ वैकल्पिक होम-स्कूलिंग सिस्टम बनाने का इरादा कैसे रखता है। दिल्ली बाल अधिकार आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित एक परीक्षा में, 60 प्रतिशत स्कूलों ने नं होने का दावा किया दिव्यांग विद्यार्थियों, जबकि अन्य 28 प्रतिशत ने 1þ से कम होने की सूचना दी। यह जोर देता है कि दिव्यांग लोग उन लोगों की तुलना में खराब सामाजिक आर्थिक परिणाम होने की अधिक संभावना है जिनके पास हानि नहीं है।नई कार्यनीति में यह योजना शामिल नहीं है कि यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इन लोगों की शिक्षा तक पहुंच हो। यह भी यह नहीं बताता कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीखने की समस्या वाले छात्र छूट न जाएं आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय शिक्षा प्रणाली।

विशेष शैक्षिक क्षेत्रों का निर्माण

विशेष शैक्षिक क्षेत्रों के निर्माण में ऐसे आबादी वाले स्थानों तथा दूरस्थ दूर दराज के स्थानों में शिक्षा को बढ़ावा देना है इस नीति के द्वारा एक नई अवधारणा के माध्यम से शैक्षिक पहुंच में सुधार करने की योजना है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरी बस्ती क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन के लिए कदम

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष सेल के लिए संस्थाओं को बुलाया गया है। दिव्यांग छात्र (दिव्यांगजन, दिव्य शरीर के रूप में माना जाता है)। विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे स्वीकार करने के लिए संस्थान पहल का आयोजन करते हैं मानव अस्तित्व का तत्व। यह एक सम्मानजनक वातावरण को भी बढ़ावा देता है और दिव्यांगजन विद्यार्थियों की पहचान की रक्षा करता है। संस्थानों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी और क्षमताओं से प्रशिक्षकों को परिचित करना होगा ताकि अलग-अलग सक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करें। यह शिक्षण को अधिक समावेशी और आवश्यकताओं के प्रति जागरूक भी बनाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता है ताकि उनके लिए भौतिक संसाधन एक संरचना के साथ पूरे किए जा सकेदिव्यांगजन छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाना।'

- दिव्यांगजन की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षकों और छात्रों को शिक्षित करने के लिए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए समावेशी रणनीतियों का उपयोग किया जाना।
- उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सलाह और परामर्श देना।
- विश्व दिव्यांगता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिनों को मनाने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना।
- दिव्यांगजन की क्षमता 2016 का अधिनियम पीडब्ल्यूडी के अनुपालन में एनईपी 2020 के तहत।
- दिव्यांगजन छात्रों को आत्मनिर्भरता और रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना स
- दिव्यांगजनों के लिए सहायक क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा स
- दिव्यांगजन रियायतों और सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना
- पुस्तकालय में ब्रेल पुस्तकेंस
- सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए लेखकस
- काउंसलर जो छात्रों का मार्गदर्शन और समर्थन करते हैंस
- विशिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षणस
- विशिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय सीमा आवंटनस
- दिव्यांगजन की जरूरतों के प्रति संवेदनशील कार्यशालाएंस
- इमारतों तक आसान पहुंच के लिए रैंपस
- लिफ्ट जो सीढ़ियों का उपयोग किए बिना इमारत में ऊपर और नीचे जाने में आसान बनाती हैस
- सीढ़ियों पर रेलिंग जो चलने में सहायता करेगीस
- परिसर के भीतर आसान आवाजाही के लिए व्हीलचेयरस
- सुलभ शौचालयस

निष्कर्ष -

नई शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं अल्पसंख्यकों और विशिष्ट छात्रों जिनको विशेष जरूरतें हैं उन मुद्दों को संबोधित करने का अच्छा काम किया है इनमें कुछ ऐसे उत्साहित कार्य भी किए गए हैं जिनमें अनेक समस्याओं को समय-समय पर सुलझाया गया है जिनका संबंध दुर्गम क्षेत्रों और स्कूली शिक्षा से रहा है नई शिक्षा नीति में सामाजिक आर्थिक समूह को मिलाकर एक बेहतर तरह से सभी समस्याओं का समाधान किया गया है यह दलितों और आदिवासियों

जैसे समूहों के लिए उपकार का एक साधन बना है इस तरह जो विशेष अंग है उसके लिए सकारात्मक तथा उनके लिए अच्छी अवसर देने वाली नीति भी बनी है इस नीति में छात्रों को बाधा मुक्त वातावरण तथा गुणवत्ता से संबंधित समावेशन के साथ जोड़ा गया है।

सन्दर्भ

- "नई शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
- "नई शिक्षा नीति 2020: स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें". हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.(मृत कड़ियाँ)
- सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". द क्विंट. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
- New Education Policy: अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

प्रावधान और पाठ्यचर्या संरचना (एन.ई.पी.2020)

शकुन्तला जाँगिड़

पी.एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांशः

शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम इसके तीन ध्रुव हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक व शिक्षार्थी की अन्तःक्रिया से ही अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक वृहद बदलाव ला रही है, यह शिक्षा प्रणाली को समानता और समावेश के साथ सभी के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस नीति के सबसे परिवर्तनकारी ढ़ांचे में नया बदलाव 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना का है, जो तीन से आठ वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करती है, यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा कर भारत को एक जीवन्त समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

मुख्य शब्दावलीः वृहद, समावेश, एकीकृत, गुणवत्ता, मसौदा, निवेश, सार्वभौमिक, परिकल्पित, उत्कृष्ट, वैश्विक

प्रस्तावनाः

हमारे देश में आजादी के बाद से ही कई प्रकार की शिक्षा नीतियों का एवं शिक्षा के संदर्भ में सुधारों का प्रयास होता रहा है, सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग (1948) उसके बाद लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में मुदालियर आयोग(1952) बना, उसके माध्यम से काफी सुधार हुआ, उसके बाद सन् 1964-66 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग बना, जिसके माध्यम से दिये गये सुझावों को सन् 1968 में लागू किया गया, उसके बाद सबसे बड़ी शिक्षा नीति का आगमन सन् 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के कार्यकाल में हुआ, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति मानी गई है। सन् 1986 की शिक्षा नीति के बाद अब 34 वर्ष बाद सन् 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, सन् 2015 में पूर्व केबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्य कमेटी बनायी गई थी, इसका कार्य नई शिक्षा नीति को लेकर एक मसौदा बनाना था, परन्तु यह मसौदा सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, दूसरी कमेटी सन् 2016 में बनाई गयी यह कमेटी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन ने बनाई, के. कस्तूरीरंगन द्वारा जो मसौदा बनाया गया उसे 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, यह मसौदा 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया, इसका नाम मानव विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, इस शिक्षा नीति में 10+2 के फोर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फोर्मेट में ढ़ाला गया है, यह ढांचा उम्र के अनुसार होगा, जैसे 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धान्तः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य इंसानों का समग्र रूप से विकास करना है, जो तर्क संगत विचार व कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करूणा, सहानुभूमि, लचीलापन और नैतिक मूल्य सम्मलित हो, इसमें कुछ आधारभूमि सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
2. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
3. लचीलापन।
4. अवधारणात्मक समझ पर जोर।
5. रचनात्मक और तारकीक सोच को प्रोत्साहन करना।
6. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य का विकास।
7. बहुअधिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन।
8. जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, संयोग, सामूहिक कार्य एवं लचीलापन।
9. सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर।
10. तकनीकि के यथा संभव उपयोग पर जोर।
11. स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान।

12. सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण क्षमता और समावेशन।
13. शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल।
14. शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना।
15. शैक्षिक प्रणाली की अखण्ड़ता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता।
16. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध।
17. शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरन्तर अनुसंधान।
18. भारतीय जड़ों व गौरव से बंधे रहना।
19. शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है।
20. एक मजबूत, जीवन्त सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिन्दुः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के पश्चात् वर्ष 2020 की इस नई शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य सन् 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिसमें सभी शिक्षार्थीयों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना, उनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान रूप से पहुंच करवाना है, जिससे शिक्षार्थी समान रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना समग्र रूप से विकास कर सकें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों तथा 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 भाग निम्नलिखित हैं:-

1. स्कूल शिक्षा
2. उच्चतर शिक्षा
3. अन्य केन्द्रीय भारत की शिक्षा नीति
4. क्रियान्वयन की रणनीति

स्कूल शिक्षा में बदलावः

अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा, वही पूरे देश में नोडल ऐजेन्सी होगी, साथ में SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुडे हुए होंगे। एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा के लिए खास पाठ्यचर्या 5+3+3+4 लागू किया गया है, इसके तहत तीन से छः साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा, ताकि उसकी फाउण्डेशन लिट्रेसी को बढ़ाया जा सके।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

1. ECCE के अन्तर्गत प्री प्राईमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जावेगी।
2. TET लागू होगा, नच जव सैकेण्डरी लेवल
3. स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनायी जायेगी।
4. RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष तक लागू किया जायेगा।
5. त्री भाषा फॉर्मूला को पहले की तरह जारी रखा गया है।
6. फोरेन लेंग्वेज कॉर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे।
7. स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
8. नई नेशनल कैरिकूलम फ्रेम वर्क तैयार किया जायेगा।
9. केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर ग्रामीण ईलाकों में स्टॉफ क्वार्टर बनाये जावेगें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम का ढ़ांचाः

पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी, वहीं अब तीन साल के प्री-प्राईमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा तीन से पाँच के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद तीन साल का मिडिल स्टेज आयेगा, यानि कक्षा छः से आठ तक की कक्षा होगी। चौथी स्टेज कक्षा नो से बारहवीं तक चार साल तक की होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम की रूपरेखाः

पूर्व की 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों के पश्चात् आयी इस नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक

शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। शिक्षा की रूपरेखा को 5+3+3+4 के स्कूली पाठ्यक्रम में विकसित किया जायेगा, जिसमें तीन से आठ, आठ से ग्यारह, ग्यारह से चौदह तथा चौदह से अठारह वर्ष की उम्र के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेगें। इस रूपरेखा के पहले भाग में प्री-स्कूल के तीन साल तथा प्राथमिक स्कूल की पहली एवं दूसरी कक्षा, कक्षा तीन से पाँच, कक्षा छः से आठ एवं कक्षा नो से बारह शामिल है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार है:-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत पांचवी कक्षा तक के छात्रों को मात्र भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही अध्ययन करवाया जायेगा।
- भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर काई बाध्यता नहीं होगी, उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेगें।
- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक विषय एवं पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जायेगा, और इसके वर्गीकरण की व्यवस्था भी दी जायेगी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी के लिए नियमित और उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्रणाली को दत्तक ग्रहण का सुझाव दिया गया है, उसी के साथ विश्लेषण और तार्किक क्षमता एवं दृष्टिकोण की दृष्टि को लेकर प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छात्रों की कक्षा के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव शुरू होगें, इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- कक्षा 10 की बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, अब छात्र को सिर्फ 12वीं की परीक्षा देनी होगी।
- स्नातक की डिग्री तीन और चार वर्ष की होगी।
- एक वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है, और फिर दोबारा अपनी पढ़ायी जारी करने का मन बनाता है, तो वह अपनी पढ़ायी वहीं से प्रारम्भ कर सकता है, जहाँ से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था।
- छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे व चौथे वर्ष में डिग्री दी जायेगी।
- तीन वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को चार साल की डिग्री लेनी होगी।
- चार वर्ष की डिग्री लेने वाले छात्र एक वर्ष में एम.ए. कर पायेगें।
- एम.फिल. की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, एम.ए. के छात्र सीधे ही पी.एच.डी. कर पायेगें।
- यदि कोई छात्र अपने कोर्स के बीच में से दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है, तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है।
- स्कूली बच्चों को खेलकूद योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी समेत शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकि शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा को इसके दायरे में लाया गया है।
- नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों में जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल और जरूरी क्षमता विकसित करने पर जोर देती है।
- सरकारी और निजि विश्वविद्यालयों के लिए मानक शिक्षा समान रहेगी।

निष्कर्ष:

यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा कर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना कर भारत को एक जीवन्त समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी, इस नीति में परिकल्पित है, कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुडाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे, इस नीति का विजन है, छात्रों में भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी रहे, साथ ही ज्ञान कौशल मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवअधिकार का स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार

इन्टरनेट पत्र पत्रिकाएं

https://www.shikshaniti.com
https://hi.m.wikipedia.org
https://www.drishtiias.com
https://www.hindi.sscadda.com

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के स्त्री शिक्षा सम्बंधी विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में

समता कुमावत

अपेक्स विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय

प्रो० अशोक कुमार सिडाना

शोध निर्देशक, अपेक्स विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय

प्रस्तावना

किसी मान व्यक्ति का जीवन उस संगीत की तरह होता है। जिसके समाप्त होने पर भी उसकी धून हमेशा गूजंती रहती है। यद्यपि समयानुसार उन्हें इस संसार से विदा होना पड़ता है। लेकिन उनके सद्विचार उनके कार्य जो उनके मन, वचन और कर्म मे व्यक्त हुए जिन्हें समयचक्र नष्ट नही कर सकता। समय-समय पर ऐसे महान व्यक्तियों ने लोगों के पुनरूत्थान व शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये है। लेकिन डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान अविसमरणीय है। अनेक सुधारवादी आंदोलन हुए। जिन्होंने दलित वर्ग के उत्थान व शिक्षा की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया। दलित वर्गों के भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान व शिक्षा में डॉ. अम्बेडकर का अभूतपूर्व योगदान रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिन्हें आज हम अनेक नामों से संबोधित करते हैं जैसे दलित नेता, समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, संविधान निर्माता आदि। उनके द्वारा दिये गये शैक्षिक विचार जो कि उन्होंने उस समय दिये थे जब देश में सामाजिक आन्दोलन का वातावरण निर्मित था, आज भी प्रासंगिक है।

भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर जो स्नेह से बाबा साहब कहे जाते हैं, निश्चित ही भारत के सर्वाधिक यशस्वी सपूतों में से एक है। डॉ. अम्बेडकर का जीवन एक अविश्वसनीय आख्यान है। एक अस्पृश्य बालक, बचपन से जवानी तक कदम-कदम पर अपमानित, सभी विवशताओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालयों से उच्चतम डिग्रियां प्राप्त करता है। इसके बाद वे अपना जीवन अन्यायपूर्ण एवं मानव अधिकारों से वंचित जातिबद्ध पुरानी सामाजिक व्यवस्था के विनाश हेतु समर्पित कर देते है। परिवार के किसी सौभाग्य या किसी राजनीतिक वंशावली के बिना ही केवल कमरतोड मेहनत, दृढनिश्च, उच्चतम साहस एवं स्वार्थरहित बलिदान के बल पर, जबरदस्त राजनीतिक विरोध तथा सामाजिक भेदभाव पर विजय पाते हुए वे स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रधान निर्माता बन जाते है। एक राजनेता और जननायक होने के बावजूद वे गंभीर चिंतक एवं विद्वान थे।

बाबा साहेब द्वारा भारत के उत्थान में किया गया योगदान -

- दलितों के मसीहा
- युवाओं का मार्गदर्शन
- संविधान निर्माता
- महिलाओं का मार्गदर्शन
- दलितों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना
- स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देना
- अछूतों का उत्थान
- मानवाधिकारों को बढ़ावा देना

वे दलितों के मसीहा थे। क्रांति के जनक थे। उन्होंने अल्प संख्यों की समस्याओं को दूर किया और अछूतों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर दिया। उन्होंने अछूतों के लिए संविधान में स्थान सुरक्षित किया। युवाओं का मार्गदर्शन किया।

डॉ. अम्बेडकर ने लड़कियों की शिक्षा पर कहा, "यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती है, तो आपको अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा।'' रिवाजों और 'परंपराओं' को त्यागन को कहा। उन्होंने कहा, "चांदी व पीतल'' के गहनों पर पैसे बरबाद करने की जगह अच्छे कपड़े पहनो। आपको भी सोने के गहने पहनने चाहिए। साथ ही साफ-सफाई व स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप घर की देवियां है।''

डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्त्री शिक्षा में किया गया योगदान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति, सफल वकील, जाने-माने संसद सदस्य तथा दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा है। जिन्हें भारत के गरीबों की सेवा, दलितों एवं महिलाओं के उत्थान हेतु किये गये कार्यों के लिए सदैव याद किया जायेगा। उनके अनुसार सदियों से नारी-जाति शोषण। पुरूष की अधीनता, अत्याचार और दासता की शिकार रही है। बचपन में पिता, बाद मे पति एवं पति की मृत्यु के पश्चात् पुत्र का संरक्षण ही उसका जीवन रहा है। उसे कभी भी स्वतंत्र तथा स्वच्छन्द वातावरण में अपना जीवन जीने का अवसर नही मिला। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलायें दोहरी मार सह रही है। एक तो वह महिला है तथा दूसरा उसका जन्म पिछड़ी अछूत जाति में हुआ है। रही-सही कसर पूरी कर दी शिक्षा के अभाव ने और अधिकारों के लिए नहीं लड़ने की उसकी पुरानी आदत ने शिक्षा के अभाव में वह हमेशा अत्याचार, अनाचार और शोषण का शिकार होती है। जब पिछड़ी जाति का पुरूष ही अनपढ़, अशिक्षित है तो उनकी महिलाओं के शिक्षित होने का सवाल ही पैदा नही होता।

बाबा साहेब ने न केवल अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों बल्कि सभी हिन्दुओं के लिए, महिलाओं के लिए "हिन्दू कोड बिल'' तैयार कराया जिसके माध्यम से पहली बार हिन्दुओं के अधिकारों को जो कि अब तक केवल रीति रिवाजों के अनुसार चले आ रहे थे। संहिताबद्ध करने का प्रयास किया तथा पहली बार महिलाओं को पिता की जायदाद में हिस्सा दिलाने की बात कही गयी। जिन विषयों को लेकर बिल पेश किया गया उनमें खास बिन्दु इस प्रकार है -

1. केवल "जन्म न कि योग्यता'' के आधार पर मिले अधिकारों की समाप्ति।
2. महिला का सम्पति में सम्पूर्ण अधिकार।
3. पुत्री को भी सम्पति में हिस्सा
4. महिलाओं के लिए भी तलाक के प्रावधान।

बाबा साहेब ने नारा दिया- *"शिक्षित बनो-संगठित बनो-संघर्ष करो''*

वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा के संवाहक: डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए समाज में स्त्री शिक्षा यानि बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया और स्त्रियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानकर इस दिशा में पूरी निष्ठा के साथ कार्य भी किया। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरूष हो। क्योंकि यदि मात शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

"पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता''

अपने पूरे जीवन काल में। बाबा साहेब ने भारत में महिलाओं के अधिकरों की लड़ाई लड़ी और उनकी सुरक्षा तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए कई सारी नीतियां लगू की। उन्होंने देश की महिलाओं को पुरूषों के कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया। आज बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य समाज को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इस प्रत्यक्ष व्यवहार से इस मसाज की उपेक्षा तो हो ही जाती है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से समाज की इस मानसिकता को बदला जा सकता है। आज डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे एक युवक का उदाहरण इस मामले में दिया जा सकता है। उसका सम्मान अस्पृश्य समाज तो करता है साथ ही अन्य समाज भी उसे सम्मान देते है। अत: एक व्यक्ति के नाते नाम कमाना और साथ में अपने समाज का नाम भी ऊँचा करना केवल शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा का मुख्य उद्धेश्य खुद शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षित करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जो पियेगा वो दहाड़ेगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और नई शिक्षा नीति 2020

किसी के जीवन में शिक्षा के महत्व को महसूस करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को इस बात के लिए राजी किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण समझा कि "शिक्षा'' को अपनी "शिक्षा, आन्दोलन और संगठन संबंधी तीन नारों वाली कार्यवाही में पहला स्थान दिया। उन्होंने दलितों व स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि महिला राष्ट्र के विकास की केन्द्रीय शक्ति है इसको सशक्त व समृद्ध बनाने का अर्थ है कि प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना। उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए स्त्री शिक्षा के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई। जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। बालिकायें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, प्रियदर्शिनी योजना, गार्गी पुरूस्कार, सीबीएसई उड़ान स्कीम, लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों, लड़कियों के लिए "प्रगति' स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह को मिटाना आदि।

स्त्री शिक्षा को शक्ति प्रदान करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिर्वतन है। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठयचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है।

बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की इसमें ऐसा क्या विशेष है जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देती है।

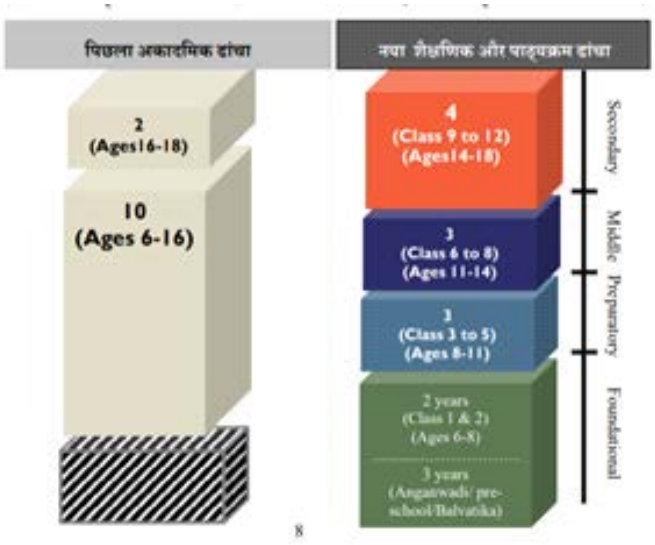

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान -

- बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान की जाएगी।
- सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व समूह में आधी संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है। विशेषकर ऐसी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इन छात्राओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके नीति एवं योजनाएं बनाई जाएगी।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति सभी शिक्षक संवेदनशील होगें तथा विद्यालय में समावेशी एवं संवेदनशील संस्कृति का निर्माण किया जाए।
- बालिकाओं और ट्रांसजेण्डर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करने की बात एक नया और क्रांतिकारी कदम है।

उच्चतम स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रावधान

- उच्चतम शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा "लोक विधाओं'' में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रूचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेगी।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति में महिलाओं को सक्षम और योग्य बनाने और आगे बढ़ने की अनेक संभावनाएं है। यह नीति कस्तूरबा बालिका विद्यालय और नवोदय विद्यालय शुरू करने जैसे प्रावधानों के कारण महिलाओं को पढ़ने का अवसर देती है। नई शिक्षा नीति में राष्ट्र, समाज, संस्कार, भाषा और संस्कृति आदि का विचार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में शिक्षक और छात्र अनुपात में समस्या है, इस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या है। कभी-कभी एक सक्षम शिक्षक को ढूंढना एक समस्या बन जाता है। इसी प्रकार इस नीति के अनुसार स्नातक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को चार साल तक अध्ययन करना होता है, जबकि कोई भी दो साल में आसानी से अपनी डिप्लोमा की डिग्री पूरी कर सकता है। यह छात्र के बीच में ही कोर्स छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस नीति के अनुसार निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत पहले की उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को मातृभाषा में पढाया जायेगा। इससे अंग्रेजी मे संचार करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी ओर इस प्रकार समाज के वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हो जायेगी। नई शिक्षा नीति के तहत पहले से तय की गई सामग्रियों और रटी-रटाई तकनीक पर आधारित मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से हटकर प्रायोगिक शिक्षा और गहन सोच पर आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने का लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षा जगत को चलाने वाले लोगों की सोच में क्रांतिकारी परिर्वतन लाना होगा इसके साथ-साथ शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के व्यवहार में भी बदलाव लाना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सचमुच हर लिहाज से एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ-साथ शैक्षणिक मुद्धों और ढांचागत विषमताओं के निपटारे पर जोर दिया गया है। भारत सरकार महिला शिक्षा को प्रथम वरीयता दे रही है उसके प्रचार प्रसार हेतु भरसक प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नारी को सशक्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मेहता चेतन (1991): युग दृष्टा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर।
2. जाधव, डॉ. नरेन्द्र (2015): डॉ. अम्बेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
3. त्रिपाठी, सूर्य नारायण (1979): डॉ. भीमराव अम्बेडकर, हिन्दी पाकेट बुक्स, दिल्ली
4. नारवाल, राजेश (2015): महानायक डॉ. भीमराव अम्बेडकर, नारवाल प्रकाशन, पिलानी
5. मोनोग्राफ सीरिज, सुविख्यात सांसद (1991): डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. बारहट 'हड़वेचा', नरपत (2010): महापुरूषों की जीवनियां, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर
7. समाचार पत्र: राजस्थान पत्रिका, क्रांतिदूत
8. timesofinida.indiatimes.com
9. deshkiaawaz.in
10. failwise.com
11. hi.m.wikipedia.org
12. https://www.orbonline.org.research

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनोतियाँ व सभांवनायें

रतनी देवी

शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांशः-

आकलन व मूल्यांकन

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस नीति द्धारा देश मे स्कूल उच्च शिक्षा मे परिवर्तनकारी सुघारो की अपेक्षा की गई है। इसके उद्येश्यो के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली नामांकन अनुपात {GER} के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभोतिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पहलू

स्कूल शिक्षा के सम्बंध मे नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 वाले शेक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जा उसे 18 वर्ष की आयु वाले बच्चो को शामिल करता है भविष्य मे समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारो को शामिल किया जा सकता हैं।

छात्रो की प्रगति के मूलयांकन के लिये मानक - निहारिक निकाय के रुप मे परख नामक ने राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र की स्थापना की जायेगी। साथ ही कृत्रिम बुदिमता आधरित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

शिक्षकी की नियुक्ती मे प्रभावी और पारदर्शी प्रकिया का पालन तथा समय-समय पर कार्य प्रदर्षन आकलन के आधार पर पदौन्नति का प्रावधान हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा वरिष्द द्धारा वर्ष 2020 तक शिक्षको के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPSI) का विकास किया जाएगा।

उच्च शिक्षण संसथानो मे सकल नामांकन अनुपात को 20.3% (वर्ष 2018) से बढाकर 50% तक करो का लक्ष्य रखा गया हैं। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संसथानो मे 3.5 करोड नई सीटो को जोडा जाएगा।

NEP -2020 के तहत स्नातक मे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्सवस्था को अपनाया जाता हैं।

विभिन्न उच्च शिक्षण संसथानो से प्राप्त अंको या क्रेडिट को डिजिटल रुप से सुरक्षित रखने के एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थानो मे छात्रो के प्रदर्शन के आधार पर उन्हे डिग्री प्रदान की जर सके। नई शिक्षा नीति के तहत एक फिल कार्यकर्म को समाप्त कर दिया गया। नई शिक्षा नीति NEP मे देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानो के लिये एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की कल्पना की गई हैं।

इस नई नीति मे विकलांग बच्चो के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र,आवस, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणए शिक्षको का पूर्ण समर्थन एंव प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रुप से स्कूली शिक्षा प्रकिया मे भागीदारी सुनिश्चित कला आदि प्रर्कियाओ को समक्ष बनाया जाएगा।

एक स्वायत्त निकाय के रुप मे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच का गठन किया जाएगा जिसके द्धारा शिक्षणए मूल्यांकन योजना प्रशासन मे अभिवृद्धि हेतु विचारो का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

प्रस्तावना -

NEP -2020 मे कक्षा-5 तक की शिक्षा मे मातृभासा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाष को अध्ययन के माध्यम के रुप मे अपनाने पर बल दिया गया है साथ ही इस नीति मे मातृभासा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सूझाव दिया गया है। विद्याालय मे सभी स्तरीय छात्रो को बागवानी, नियमित रुप से खेल-कूद योग, नृत्य,मार्शल आर्ट, को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की काशिश की जाएगी ताकी बच्चे शारीरिक गतिविधियों एंव व्यायाम वगेरह मे भाग ले सके। इस नीति मे प्रस्तावित सुधारो के अनुसार कलाए और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शेक्षनिक विषयो एंव पाटयक्रम व पाटयेतर गतिविधियो के बीच बहुत अधिक अंतर नही होगा। छात्रो के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं मे बदलाव किया जाएगा इसमे डिजिटल शिक्षा संसाधनो की विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिक इकाई का विकास किया जाएगा डिजिटल बुनियादी ढाचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतू समन्वयन का कार्य करेगी

भारतीय ज्ञान प्रणालियों जिनमे जनजातीय स्वदेशी ज्ञान शामिल होगें को पाठ्यक्रम मे सटीक एंव वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

समीक्षा

उपरोक्त सभी के संबंध मे द्धारा NCERT सभी प्रमुख हितधारको जैसे एस.सी.ई.आर.टी.बोर्ड असेसमेंट प्रस्तावित आकलन केन्द्र (एस.सी.ई.आर.टी.) आदि शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिये दिशा निर्देष तैयार किए जाएगे और भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड के लिये विधार्थी आकलन एंव मूल्यांकन के लिये मापदण्ड मानक और दिशा निर्देष बनाने जैसे कुछ मूल उद्येश्यो को पूरा करेगा।

इसके अलावा देश मे सीखने के परिणामो की निगरानी करना इस नीति के घोक्षित उद्येश्यो के अनुरुप 21वी सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा मे अपने मूल्यांकन पैर्टन को बदलने के लिए स्कूल बोर्ड की मदद करना।

संदर्भ सूची:-

1. http://en.wikipedia.org/wiki/national education policy2020 http://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indians-new-Education-Policy-2020-final.pdf

राष्ट्रिय शिक्षा नीति-2020 (चुनौतियां एवं सूचीपत्र)

महेंन्द्र सिंह

रिसर्च, स्कॉलर अपैक्स यूनिवर्सिटी मानसरोवर एजयपुरऋ

उपविषयः- राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न चुनौतियां: -

सारांशः-

देश मे बेहतर परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही अच्छा होगा लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनके बारे मे गंभीरता से गहन करना बहुत जरुरी है जिससे इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस नीति के माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के स्थान पर व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझने पर जोर दिया गया है।

मुख्य शब्दः- नीति, ऑनलाईन शिक्षा, इन्टरनेट

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 को संघीय मंत्रीमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इस नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदू निम्न है:-

1. नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लायी गई है।
2. यह नीति ग्रामिण एवं शहरी भारत के प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा में भी लागू की गई है, जो काफी बड़े रूप में थी। इसी नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा नीति मे सुधार लाना है।
3. सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विशेष भाषा के लिए किसी को दबाव में नहीं डाला जायेगा। और माध्यम के निर्देष अंग्रेजी भाषा से क्षेत्रिय भाषा के तरफ रूपांतरित नही होंगे।
4. राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में भाषा नीति के लिए काफी बड़ी संख्या में दिशा निर्देष एवं सूझाव दिये गये है।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न चुनौतियां

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के दौरान उत्पन्न मुख्य चुनौतियां निम्न है:-

1. प्रत्येंक सप्ताह में नई युनिवर्सिटी खोलना अत्यंत कठिन कार्य: वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में एक हजार विश्वविद्यालय मौजुद है। उच्च शिक्षा में 2035 तक पंजीकरण अनुपात को दुगना करने का लक्ष्य है, इस शिक्षा नीति का प्रत्येक राज्य में यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येंक सप्ताह में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए, जो अगले 15 वर्ष तक के लिए है। प्रत्येंक सप्ताह में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाना एक बड़ी चुनौती है।
2. शिक्षकों की संख्या मे कमी: एक सर्वे से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविधालय स्तर तक ही नही बल्कि मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह शिक्षकों की कमी है। अनेक प्राथमिक विधालय केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं।

   2018 तक देश में 10 लाख अध्यापकों की कमी थी। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण नई नियुक्तियां लगातार टाली जा रही थी। और वर्तमान समय में यह कमी और अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में यह कैसे संभव हो पाएगा कि सरकार अचानक से देश में शिक्षकों की सारी कमी को पूरी कर दे। यह एक विचार करने के लिए गंभीर विषय है जिस पर सरकार को निर्णय लेने होंगे।
3. सभी तक इंटरनेट और कंप्यूटर की पंहुच नही (ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा सपना): केंद्र सरकार ने सौ प्रतिशत नामांकन के लिए ऑनलाइन और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने पर विचार किया है। लेकिन विशेशज्ञों का मानना है कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से तक इंटरनेट और कंप्यूटर की पहुँच संभव नही है। यहां तक की सरकारी स्कूलों मे भी अभी तक इनकी पूर्ण उपलब्धता नही हो सकी है। ऐसे मे सभी को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देने की बात कल्पना ज्यादा और यथार्थ कम लगती है। इसलिए यह बड़ी चुनौती सरकार के सामने हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्स इनफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, (Unified Districts Information on School Education) शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 9.85 प्रतिशत सरकारी स्कूलों मे ही कंप्यूटर की व्यवस्था है, और 4.09 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे मे सरकार के लिए सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा देने की इस नीति पर विचार किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
4. अपने स्कूल तंत्र में इस संख्या में सुधार एक कठिन कार्य: राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 द्वारा दो करोड़ बच्चों को इस तंत्र में और शामिल करना है, जो वर्तमान में विद्यालय मे नही है। इनको वापिस विद्यालय तंत्र में लाना है। प्रत्येंक सप्ताह में अगले 15 सालों के लिए पचास विद्यालयों की स्थापना करनी है।

5. शुरुआती शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण: बच्चों की शुरुआती पांच साल की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह शिक्षा इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे अवैध प्ले स्कूलों को एक ढांचे के अंतर्गत लाया जा सकेगा। शिक्षकों की पक्की नियुक्ति से तदर्थ शिक्षकों को भारी राहत मिलेगी। लेकिन इसमे सोचने की बात यह है कि सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सिर्फ आंगन बाड़ी के माध्यम से कैसे पूरा किया जा सकता है जबकि अभी तक सभी केंद्रों मे संपूर्ण सुविधा उपलब्ध नही है।
6. कोविड के दौरान निधि जारी करना एक बड़ी चुनौति: राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में जी.डी.पी. को 4.6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने की अभिकल्पना को बढ़ाना है। जो प्रत्येंक वर्ष मे अनुमानित राशि ढाई लाख करोड़ है यह रूपये विद्यालय एवं कॉलेज की इमारत बनाने, अध्यापक एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति, विद्यालय के बच्चों के नास्ते के लिए एवं संचालन में खर्च किए जाने है।
7. लक्ष्य बहुत बड़ा, समय सीमा 15 वर्ष: नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (National Democratic Teachers Front) के अध्यक्ष एके भागी कहते हैं कि सरकार ने इस लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित नही किया है। इसके लिए 15 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में भी सरकार शिक्षा पर जीडीपी का चार प्रतिशत से अधिक खर्च करती है। ऐसे में 15 वर्षों की समय सीमा में 6 प्रतिशत का लक्ष्य बहुत बड़ा नही है। यह लक्ष्य तो 1964 में ही तय किया गया था। इसलिए अगर सरकार के इरादे सही हैं तो इसे हासिल करने में बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली।
8. विद्यालय स्तर पर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयने के दौरान उत्पन्न चुनौतीयां
    1. मानसिकता में परिवर्तन
    2. छवि की पुनरावृत्ति और शिक्षा शास्त्र के लागू करने में बदलाव
    3. मुल्यांकन की सोच की पुनरावृत्ति
    4. प्रशिक्षित शिक्षक
    5. बॉटम अप अप्रोच
    6. नये मॉडल की निधि एवं मापन
9. उच्च शिक्षा स्तर पर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयने के दौरान उत्पन्न चुनौतीयां
    1. सीखना या प्रमाण-पत्र या डिग्री
    2. बहु अनुशासित शिक्षा कि तरफ अभिविन्यास
    3. निधि तथा डिजीटल सम्बद्धता
    4. सारांशित करना

निष्कर्ष-

इस लेख में हमने आपको नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए इनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे मे बताया है। देश मे बेहतर परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही अच्छा होगा लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनके बारे मे गंभीरता से गहन करना बहुत जरुरी है जिससे इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस नीति के माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के स्थान पर व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझने पर जोर दिया गया है जिससे सही मायने मे बच्चों का विकास हो सके।

संदर्भ सूची:.

(1) https://www.mhrd.gov.in/siter/upload/files/nep/NEP_iFinal.English .pdf referred on 10.08.2020.
(2) Puri.Natasha (30 August 2019)A Review of the National Education policy of the Government of india –The nees for Data and Dynamism in the 21 Century SSRN.
(3) https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New Education –policy 2020 final.pdf.

राष्ट्रिय शिक्षा नीति-2020 (चुनौतियां एवं सूचीपत्र)

हेमंत कुमार हल्दैनिया

रिसर्च स्कॉलर, अपैक्स यूनिवर्सिटी, मानसरोवर, जयपुर

उपविषयः- राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न चुनौतियां: -

सारांशः-

देश मे बेहतर परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही अच्छा होगा लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनके बारे मे गंभीरता से गहन करना बहुत जरुरी है जिससे इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस नीति के माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के स्थान पर व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझने पर जोर दिया गया है।

मुख्य शब्दः- चुनौतियाँ, शिक्षा, प्राइवेटाइजेशन

1. शिक्षा का अर्थः-

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का है शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ ज्ञान या विद्या ग्रहण करने से है। शिक्षा शब्द का अंग्रजी रूपान्तरण शब्द Education है Education शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Educatiocum (एडूकेटस) शब्द से हुई है जिसका आशक है अध्यापन कराने से है तथा कुछ विद्वानो का मानना है Education शब्द की उत्पत्ति Educartion शब्द मानते हे जिसका अर्थ हे विकसित करना शिक्षा व्यक्ति के जीवन का निर्माण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का स्थानातरण शिक्षा से ही संभव है शिक्षा व्यक्ति को समाज से जोडकर अपनी संस्कृति की निरंन्तरता को बनाये रखती है शिक्षा व्यक्ति को आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज, के प्रतिमानों एवं मूल्यों का ज्ञान कराती है।

2. शिक्षा की परिभाषाएँः-

महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आतमा के सर्वागीण एंव सर्वोत्कृष्ट विकास से है।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगः- 1964-66 या कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामातिक विकास का शक्तिशाली साधन है शिक्षा राष्ट्रिय सम्पन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है।

पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा
पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा
पढ़ो अगर अंध विश्वासों से पाना है छुटकारा
पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा

सफदर हाशमी का यह मषहुर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है जीवन मे शिक्षा के महत्व को देखते हुए गणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश से सकरार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में लगातार समय समय पर प्रयास किये जाते हे नई शिक्षा नीति बनाई गई थी तथा 1986 में भी राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाई गई थी नई शिखा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वागीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बडी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी जिसमें देश के विभिन्न वर्गो से रचनात्मक सुझाव मांगे गये थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सभी की आसान पहूंच समता, गुणवत्ता, वहनीयता व जबाबदेही के आधारभूत स्तम्भों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश 21 वी शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन्त समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में विहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

बदलते वैश्विक परिदृष्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैष्विक स्तर तक पहूंचा सुनिश्चित के लिए शिक्षा को ध्यान में रखतें हुए तथा इन्हें पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति का गठन के कस्तूरीरंगठ समिति की सिफारिशों का आधार पर किया गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की पहूंच समता, गुणवत्ता, वहनियत एवं उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पिर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें केन्द्र व राज्यों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

3. *प्रत्येक सप्ताह विश्वविद्यालयों को खोलना एक अत्यंत कठिन कार्य है:-*

भारत में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है 2035 तक उच्च शिक्षा में संकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना जो नीति के घोशित लक्ष्यों मेसे एक है यानि हर सप्ताह विश्वविद्यालय खोलना एक बडी चुनौती है।

4. *प्राईवेटाईजेशन को बढावा:-*

उच्च शिक्षा को ऑटोनॉमस बनाने से शिक्षा नीति निजीकरण बढ़ने से उच्च शिक्षा आम आदमी की पहूंच से बाहर हो जायेगी।

5. *आंगनवाडी के कार्यकर्ताओं पर निर्भरता:-*

नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 साल से 6 साल की उम्र के छोटे बच्चों को आंगनवाडी केन्द्रो के जरिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु आंगनवाडी कार्यकर्ता शिक्षण कार्यो में इतने कुशल नहीं होते है तो ये बच्चों के भविष्य की नींव कैसे रख सकते है। कई आंगनवाडी केन्द्रो पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नही है।

भारत के लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड देते हैं अधिकाश बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती, धार्मिक अल्पसंख्यक और दिव्यांग समूहों से संबंधित है।

सरकार के सामने बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्या एक चुनौतीपूर्ण कार्य हे अधिकांश स्कूलों विश्वविद्यालयों मे बिलजी, पानी, चारदीवारी, पुस्तकालय, कम्प्युटर आदि की कमी है जिसमें शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है।

निष्कर्ष-

इस लेख में हमने आपको नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए इनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे मे बताया है। देश मे बेहतर परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही अच्छा होगा लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनके बारे मे गंभीरता से गहन करना बहुत जरुरी है जिससे इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस नीति के माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के स्थान पर व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझने पर जोर दिया गया है जिससे सही मायने मे बच्चों का विकास हो सके।

संदर्भ सूची :.

- https://www.mhrd.gov.in/siter/upload/files/nep/NEP_iFinal.English .pdf referred on 10.08.2020.
- Puri.Natasha (30 August 2019)A Review of the National Education policy of the Government of india –The nees for Data and Dynamism in the 21 Century SSRN.
- https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New Education –policy 2020 final.pdf.
- Internet

दिव्यांग विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयनः नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

रीना राठौड़

शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० पूनम मिश्रा

शोध निर्देशिका, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

आज भारत के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उसके बावजूद भी दिव्यांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। आज जरूरत है कि दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया सकारात्मक बनाने की जरूरत है। तभी वे सामान्य लोगों की तरह विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज निर्माण में सशक्त भूमिका निभा सकेंगे। यह सच है कि दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ विशेष स्कूल हैं, लेकिन उतने विशेष स्कूल उपलब्ध नहीं हैं, जितने दिव्यांग बच्चे बड़ी संख्या में हैं। देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां सामान्य स्कूल नहीं है, इसलिए दिव्यांग बच्चों को अपनी शिक्षा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस लेख का उद्देश्य विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन का नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अध्ययन करना। इस नीति के माध्यम से सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर बल दिया है तथा विद्यालय स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों की भागरदारी को सुनिश्चित करने की अनुशंसा की है।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का विकास वहां के बच्चों पर निर्भर होता है, जो उस राष्ट्र-निर्माण की नींव होते हैं। क्योंकि किसी राष्ट्र का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और प्रत्येक बच्चा उस राष्ट्र के निर्माण में अपना व्यक्तिगत योगदान दे सके। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उनकी योग्यता, कर्तव्य और प्रतिभा पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है। उसके पास विशेष आंतरिक शक्तियाँ हैं। वह उत्कृष्ट प्रतिभा के भण्डार होते हैं। इन शक्तियों और प्रतिभाओं के प्रस्फुटित होने के लिए विशिष्ट शिक्षा, उचित वातावरण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश की जनसंख्या का लगभग दसवां हिस्सा उस वर्ग का है जो पर्यावरण या आनुवंशिक कारणों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मानसिक दुर्बलता के साथ पैदा होता है, ऐसे बच्चों को दिव्यांग कहा जाता है। ऐसे बच्चों के अंदर वही आंतरिक शक्ति और प्रतिभा विद्यमान होती है, जो सामान्य बच्चों में पाई जाती है। किसी अंग विशेष के विकृत होने पर उनकी प्रतिभा नष्ट नहीं होती। विशेष शिक्षा, उचित प्रशिक्षण, पूर्ण सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ यदि हम उनकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत और प्रतिभा को निखार कर देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेटा न्यूरॉन रोग से पीड़ित एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिन्स हैं। वे स्वतंत्र रूप से चल और बोल भी नहीं सकते हैं लेकिन उनकी सोच का स्तर इतना ऊंचा है कि उन्होंने कई अनसुलझी समस्याओं को हल किया है और अपने शोध के माध्यम से क्षितिज पर चमक रहे हैं। इसका कारण उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था है, जिसके कारण वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अपनी सशक्त अभिव्यक्ति दे रहे हैं।

दिव्यांग बच्चों में स्वावलंबन एवं समानता का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई है जैसे समेकित बाल विकास योजना (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), विकलांग जन अधिकार अधिनियम (1995), राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999), सर्व शिक्षा अभियान (2000), निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) आदि। इसी क्रम में नई शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार का एक प्रयास है।

नई शिक्षा नीति 2020

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप के अध्याय 6 में समतामूलक समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य एक समावेशी एवं समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक सशक्त साधन मानते हुए सभी के

लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य परिकिल्पत किया गया है।यह नीति आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। इस नीति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय में पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किये गये जो इस प्रकार हैं-

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।
- विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी को संनिश्चित करना।
- विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय में बाधा रहित संरचनाएं, रैम्प, रेलिंग, सुविधानुसार पृथक् शौचालय एवं आवागमन की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रवृतियों की व्यवस्था करना।
- यह नीति बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में सहज रूप से भागीदारी करने के लिए सहायक यंत्र, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, एवं भाषा की दृष्टि से उपयोगी पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध करवाने पर भी बल देती है।
- साथ ही गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को जो कि स्कूल में नहीं जा सकते उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था कराने का प्रावधान सुनिश्चित करती है।
- इस नीति के अनुसार प्रत्येक स्कूल कंपलेक्स में पर्याप्त संख्या में क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है की भारतीय सरकार दिव्यांग बालकों के विकास हेतु कई नीतियां लाती रही है चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पर। परन्तु वर्तमान समय में इन बालकों कई व्यक्तिगत समस्याओं का विभिन्न स्तरों पर सामना करना पड़ रहा हैं। देश में अब भी कई ऐसे जिले व विद्यालय है जिनमे इन विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त निर्धारित मापदंडो का सुचारु रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जितने भी प्रयास किये गए वो दस्तावेज बन कर सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कार्यरत हैं। व्यावहारिक रूप से उनका सही क्रियान्वयन नहीं होते दिख रहा। विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि विशेष बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में बहुत कम शैक्षिक लाभ होता है। कुल मिलाकर, भारत में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक परिणाम निराशाजनक हैं। विकलांगता की समस्याओं को एवं उनके प्रकार को समझना सभी के लिए अति आवश्यक हो गया है।

निष्कर्ष

सरकार के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष विद्यालयों पुनर्वास केंद्रों व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र व स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना के बावजूद भी वर्तमान में बहुत से दिव्यांग बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है अथवा पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

भारत सरकार दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए पर्याप्त कार्य करती है, परंतु वास्तव में लाभार्थियों को उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं का सही से क्रियान्वयन ना होना है। प्रशासनिक अधिकारी दिव्यांग जनों के शैक्षिक सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं को ना तो सही तरीके से क्रियान्वित करते हैं और ना ही अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। जिसके कारण उन तक इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता वर्तमान समय में भारत में दिव्यांगों की शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । परंतु फिर भी इन कार्यक्रमों का लाभ बहुत कम दिव्यांग व्यक्तियों को मिल पा रहा है। उचित प्रशासन ना होने के कारण इन नीतियों तथा योजनाओं को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाता फल स्वरुप आशा अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। प्रशासनिक अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन नीतियों तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए।

संदर्भ सूची:-

- बेहेरा, दुर्योधन. (2020). एटीट्यूड ऑफ प्री-स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स डिसेबीलिट एंड इंक्लूजन. International educational journal CHETANA. 2231.3613, 1(5), 159-163.
- त्रिपाठी, विवेक नाथ. (2016). उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत सामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता का तुलनात्मक अध्ययसामान्य विद्यार्थियों एवं विकलांग विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के प्रति सजगता का तुलनात्मक अधययन. Inquisitive Teacher- A Peer Reviewed Refereed Research Journal,दंसए 3(2), 32-43.

WEBSITES

- www.dsap.rajasthan.gov.in
- http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWDACT2016.pdf
- www.mospi.gov.in
- http://www.unesco.org/new/en/newdelhi/home
- https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-49_1.pdf
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://www.unicef.org/education/inclusive-education#:~:text=Inclusive%20education%20means%20all%20children, speakers%20of%20minority%20languages%20too.
- https://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Policy.pdf

आत्मनिर्भर भारत- "शिक्षा नीति 2020''

विजयता सोनी

एम.ए., एमएड, एम फिल, रिसर्च स्कॉलर, अपैक्स यूनिवर्सिटी

शिक्षा यदि भौतिक जगत का सूक्ष्मतम ज्ञान प्रदान करें, परमाणु को विश्वखण्डित कर उसकी अपरिमित शक्ति की पहचान प्रदान करें, लेकिन सभ्य, सुसंस्कृत एवं शांतिप्रिय मानव-समाज की रचना करने में असमर्थ हो तो "जन्म-मरण'' के मध्य के जीवन को व्यतीत करने की कला यह शिक्षा कैसे प्रदान कर सकती है? मेरी दृष्टि में वर्तमान समय की समस्याओं, संघर्ष, तनाव का कारण शिक्षा के प्रति गलत दृष्टिकोण है "शिक्षा यानि नौकरी'' वास्तव में शिक्षा का संबंध कुशलता का विकास है, जीवन को सही सुन्दर ढंग से व्यतीत करने की कला को सीखना ही शिक्षा है।

शिक्षा के अन्तर्गत जल्दी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा यह महत्त्वपूर्ण घटक होने के कारण ही आज हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके है। बालकों मे किताबी ज्ञान का बोझ तो बढ़ गया लेकिन जीवन में आत्मनिर्भरता शब्द समाप्त होता जा रहा है। व्यावहारिक जीवन में बालक स्वावलम्बी, सहयोग की भावना, स्वार्थहीन जीवन को मानो भूल चुका है। बेरोजगारी, तनाव, संघर्ष, ने इतना कोहराम मचा दिया है कि व्यक्ति मानवता को भूलकर मात्र रोजी-रोटी की धुन में ही लगा है पर परिणाम यह है कि जीविकोपार्जन के लिए भी वह सक्षम नहीं बन पाया है।

प्रश्न उठता है शिक्षित तो प्रत्येक भारत का नागरिक बनने का भरसक प्रयास कर रहा है पर आत्मनिर्भरता का दामन खाली ही क्यों है? अक्षरों का ज्ञान पाने से कुशलता का विकास नही होता है? शिक्षा नीति 2020 जो इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का नवीन प्रकल्प हमारे समक्ष रखती है:-

- बलकों को मात्र उर्त्तीण होने के कारण अध्ययन नहीं करना बल्कि समझ कर पढ़ना होगा।
- विशेष विषय में रूचि होने से उसका व्यावहारिक ज्ञान भी स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही प्राप्त कर सकेगा।
- संगीत, खेल, योग को मुख्य रूप से अध्ययन कराने का लक्ष्य रहेगा, बालक इस कला को प्राप्त कर अपने जीवनयापन का मार्ग भी चुन सकता है।
- नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन जिसका ध्येय संपूर्ण पीढ़ी को योग्य व सक्षम बनाने की दिशा में कार्यरत रहेगा ताकिं भारत देश आत्मनिर्भर बन सकेगा।
- छात्र के बहुआयामी विकास होने पर, शारीरिक विकास, खेल-कूद को सर्वोच्च स्थान दिया जायेगा।
- मृतभाषा को कक्षा पाँच तक मुख्य रूप से आधार बनाया जायेगा ताकि शिक्षण व सीखने में भाषा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।
- बालकों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत कोडिंग सिखाया जायेगा, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, जैसे विषयों को पढ़ाते हुए, किताबों का बोझ हल्का करने हेतु, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जायेगा।
- जो बालक सीखने की योग्यता रखते हैं परन्तु कारणवश अवसर से वंचित हो गए है उन्हें विशेष अवसर प्रदान किये जायेंगे।
- शिक्षा प्रक्रिया में सुधार मंच के रूप में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके।
- भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संवर्द्धन हेतु (आई आई टी आई) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शिक्षा नीति के अन्तर्गत सर्वोपरि स्थान दिया गया है।

निष्कर्ष रूप में शिक्षानीति 2020 जैन आगमों में विशेषत: "रायपसेनीयुत्त'' दशवैकालिक "में जो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है उसी को वर्तमान में साकार करने का साधन सिद्ध हो सकती है। जीवनोपयोगी कला की शिक्षा से बालक भूगोल, खगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य को सीख पायेगा और वहीं आजीविका अर्जन हेतु शिल्पकला में पारगंत हो सकेगा। मुझे पूर्णरूप से विश्वास है कि शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता रहेगा और नि:सन्देह जो आज हमारे सामने बेरोजगारी शब्द है वह पूर्ण रूपेण समाप्त हो जायेगा और फिर भारत देश सोने की चिड़िया कहलायेगा। दशवैकालिक सूत्र में जो शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किये गये हैं - वे ही चार उद्देश्य मुझे इस शिक्षा नीति में नजर आते हैं।

- मुझे व्यावहारिक ज्ञान, कोडिंग का ज्ञान, प्राप्त होगा इसलिये मैं आत्मनिर्भर बनूँगा।
- मैं एकाग्रचित्त होकर अध्ययन कर सकूंगा तो आत्मनिर्भर बनूँगा।
- मैं अपने आप को भारतीय संस्कृति, कला, भाषा में स्थापित करूँगा तो मैं आत्मनिर्भर बनूँगा।
- मैं स्वयं आत्मनिर्भर की कुशलता प्राप्त करूँगा तो देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी बनूँगा।

कूट शब्दः- सभ्य मानव समाज, आत्मनिर्भरता, षिक्षा निति-2020, व्यावहारिक ज्ञान, बहु-आयामी विकास, जीवन उपयोगिकला।

संदर्भः-

- 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- एनआईईपीए 2020 पृष्ठ-129।
- एनईपी 2020 पृष्ठ-24 से 25।
- एनईपी 2020 पृष्ठ-06।
- राष्ट्रीय शिक्षा निति, अविनाश कुमार सिंह।
- वर्तमान शिक्षा दशा व दिशा, नन्दलाल बंसल, बी.ए., बी.एड.।
- दशवैकालिकसूत्र।
- प्रकाश कुमार 21वीं सदी की मांग पुरी करेगी।
- नई शिक्षा निति, आउटलुक हिन्दी, 24 अगस्त 2020।
- नई शिक्षा निति 2020, प्रोफेसर निरंजन कुमार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आंकलन और मूल्यांकन

नीलम जैन

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० सुमनलता यादव

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश –

नई शिक्षा नीति 2020 में आंकलन का मूल्यांकन कर पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार पुनर्गठित करना होगा जिससे कि शिक्षा में परखने की प्रथा को समाप्त कर समाज आधारित शिक्षा विकसित हो सके। वर्तमान में जिन अभिकरणो के द्वारा बच्चों का जो आकलन हो रहा है, उनमें विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड, अशासकीय संस्थाओ जैसे एनसीईआरटी द्वारा संचालित NAS (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) प्रमुख है। इन सभी अभिकरणों का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिससे बच्चों के सीखने का आंकलन व मूल्यांकन तो होता है लेकिन सीधे तौर पर बच्चों को सीखने में मदद नहीं मिलती जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के सीखने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन एवं सीखने के रूप में आंकलन एवं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हुए इसे शालाओं में स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता ओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

- NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है ।
- बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संगीत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में बदलाव किए जाएंगे इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- एनईपी 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है।
- 360 assessment छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 assessment के आधार पर उनके व्यवहार अन्य पाठ्य आगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जाएगा।

प्रस्तावना

राष्ट्र का विकास करना है, प्रगति करनी है तो उसके लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य यही है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से सर्वांगीण विकास हो। इन उद्देश्यों के आधार पर यदि हम अपने आसपास के विद्यालयों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि बच्चों से जो क्रियाकलाप करवाए जा रहे हैं, उससे बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं और इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ बच्चे, शिक्षक और पालक बल्कि पूरा समुदाय शामिल होता है। बालक परीक्षा में जितने अच्छे अंक प्राप्त करता है, वह उतना ही होशियार माना जाता है। भले ही बच्चा कितना ही व्यवहार कुशल, अच्छा कलाकार, अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो। इन बातों पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता और नहीं इसका कहीं कोई स्थान होता है। अत: बच्चे के पास एक अच्छी डिग्री तो होती है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम एक अच्छा इंसान के बजाय तकनीकी

मानव बना रहे हैं। अत: मूल्यांकन या आकलन का मतलब बच्चों को उसकी सफलता या और सफलता का प्रमाण पत्र देना ही नहीं बल्कि उसकी योग्यताओं को बढ़ावा व सही दिशा देना है। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों का सतत आकलन किया जाए जिससे यह पता चल सके कि बच्चे की विकास की गति ठीक है या नहीं। यदि सही नहीं है तो उसे किस प्रकार की बाह्य मदद की आवश्यकता है? आकलन का मूल्यांकन का मूल विचार इस तथ्य पर आधारित है कि सब बच्चे एक से नहीं होते। बच्चों में सोचने समझने की व तर्क करने की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है और इसके लिए आकलन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा हमें इस बात के प्रमाण जुटाते हैं कि बच्चों की योग्यता या व्यवहार में कितना अंतर आया है और उन्होंने कितनी प्रगति की है क्योंकि आकलन एवं मूल्यांकन का मतलब बच्चों को सर्टिफिकेट देना भर नहीं है बल्कि बच्चों का समग्र विकास करना है।

आकलन और मूल्यांकन

आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति, क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष विपक्ष में विषय में सूचना एकत्रित करना है।

आकलन:-

किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीके को आकलन करना यानी एसेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का उद्देश्य यही होता है कि जहां आवश्यक को सुधार किया जा सके।

आकलन का उद्देश्य:-

- आकलन सीखने को प्रेरित करता है ।
- आकलन उसकी प्रगति के छात्रों को सूचित करता है।
- आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है।
- आकलन में ग्रेडिंग की भूमिका होती है।

मूल्यांकन:-

मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन पूर्ण परियोजना प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि इसकी कीमत या महत्व निर्धारित किया जा सके। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है।यह बालकों के परिणामों की गुणवत्ता मूल्य और प्रभाव एकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहार गत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है।

मूल्यांकन का उद्देश्य:-

- बच्चों में उपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना।
- यह जांचना कि बच्चों में कुशलताओं, योग्यता आदि को कितना ग्रहण किया है।
- बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना।
- उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना।
- बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना।
- इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं।
- मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन करना।

मूल्यांकन का महत्व:-

- छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है।
- छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है।
- शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।
- बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है।
- बच्चों की प्रगति में सहायक है।
- शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार -

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए- निर्धारित शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में प्रदान किए गए अधिकतम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है।

मूल्यांकन के प्रतिमानः -

1. अधिगम के लिए मूल्यांकन/आकलन-

अधिगम के लिए मूल्य मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है अर्थात जब हम किसी काम को करते समय बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं।

उदाहरण -जब हम खाना बनाते समय अगर बीच में ही चखते हैं तो हम खाने की जांच कर रहे हैं कि हमने कैसा खाना बनाना सिखा है।

2. अधिगम का मूल्यांकन/आकलन-

अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है अर्थात हम काम को खत्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा।

उदाहरण जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापस आने पर प्रश्न करता है तो वह जांच रहा है कि बच्चों ने वहां क्या-क्या सीखा परंतु इसमें काम के बीच में न कर अंत में मूल्यांकन करते हैं।

3. आकलन /अधिगम के रूप में मूल्यांकन -

अधिगम के रूप में मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं।

निष्कर्षः-

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मूल्यांकन नियमित, रचनात्मक और योग्यता आधारित होना चाहिए। छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ावा देना।

संदर्भ सूची -

- 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/

शिक्षक एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

ललिता धाकड़

(पी.एच.डी.-शोधार्थी), एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान

डॉ० भारती विजय

शोध निर्देशिका, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान

सारांश

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यत: षिक्षक एवं उच्च षिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इस शोधपत्र में शोधकर्त्री द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित है नई शिक्षा नीति की वास्तविक मूक विशेषताओं को दर्शाना चाहता है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्त्री इस शोधपत्र के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रही है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी व आवश्यक हैं।

प्रस्तावना

हमने ऐसी शिक्षा नीति निर्मित करने की कोशिष की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृष्य को परिवर्तित कर देगी ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हर सदस्य ने वैयक्तिक और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृष्य के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिष की है। यह नीति सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने इस क्षेत्र को एक अविछन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही इससे जुडे अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है।

-के. कस्तूरीरंगन पूर्व प्रमुख, इसरो तथा शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष

नई शिक्षा नीति 2020-National Education Policy 2020

नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गयी है जो 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेशज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह राज्यों, केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 6% तक बढाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक विश्लेषण करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को दर्शाना।
- नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक एवं उच्च शिक्षा की मुख्य विशेशताओं को देखना।

आंकड़ो का संकलन

- द्वितीय संमाको का संकलन विशय से सम्बन्धित पूर्व में किये गये प्रकाशित शोध ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।
- प्रविधिः- प्रस्तुत शोध पत्र में पुस्तकालय अध्ययन पद्धति के साथ-साथ उदात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती है।

पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र ''भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।" "भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और साथ ही बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता फ्री-शिप्स और स्कॉलरशिप के साथ योग्यता-आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रूप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन, और निकायों को विनियमित करने में योग्यता आधारित सिद्ध नेताओं, और प्रौद्योगिकी-आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व-घोषणा के आधार पर द्विवार्शिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी-2020 के 2030 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। संबद्ध कॉलेजों के वर्तमान नामकरण के साथ सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु-अनुशासनात्मक स्वायत्त कॉलेजों के रूप में उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ विस्तार करेंगे या उनके संबद्ध विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेज बन जाएंगे। एक निष्पक्ष एजेंसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी।

अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना के शब्दों में, "नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। नई शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यद्यपि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। नई शिक्षा नीति में रीयल-टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथप्रदर्शक बना देगा।"

विश्लेषण

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसारः

सालाना के बजाय अब सेमेस्टर आधारित होंगी परीक्षाएं- 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर आधारित होंगी और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर्स के अंक जोडकर अंतिम अंकतालिका तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब छात्र के तौर पर आपको पूरे वर्ष पढाई करनी होगी और आप यह कहकर नहीं बच पाएंगे कि आप सिर्फ फाईनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं।

बोर्ड एग्जाम को बनाया जाएगा आसान- बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिये रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं।

रिपोर्टकार्ड में शिक्षणेतर गतिविधियों के भी अंक जुडेंगे-रिपोर्टकार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को अंक देते समय उसके व्यवहार व मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। विषय पढाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका आंकलन करेंगे।

कामन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी मिल सकेगा कालेजों में दाखिला- कालेज में पढाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किये गये हैं। अब छात्र कालेज में एडमिशन के लिए कामन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पायेंगे। इसका अर्थ ये है कि 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में आपके नम्बर

इतने नहीं आए हैं कि आपको कट आफ के आधार पर सीधे कालेज में एडमिशन मिल पाए तो आप कामन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते है। इस टेस्ट में आपके प्रदर्षन को आपके 12वीं कक्षा के नतीजों के साथ जोडा जाएगा। उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई बातें

- नई शिक्षा नीति में अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर लाया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढाई पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में विश्वस्तरीय अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढाने से रोकने की सिफारिश की गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीय लोगों, उनकी परम्पराओं, संस्कृति और भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है।
- आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कालेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है।
- अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा।
- अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- इस शिक्षा नीति की सबसे बडी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है।
- नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किये जाने पर जोर देती है।

अध्यापक/व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना

अध्यापक की शिक्षा

- बहु-विषयक संस्थानों में 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक।
- वर्तमान दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहे।
- 2030 के बाद केवल 4-4 वर्ष के शिक्षक शिक्षा चलाने वाले संस्थान 2-वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं।
- घटिया और निश्क्रिय शिक्षक संस्थान बंद किये जाएं।

व्यावसायिक शिक्षा

- उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा।
- स्वचालित (स्टैंड अलोन) तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों, या इन क्षेत्रों अथवा अन्य में भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किये जायेंगे और यदि आवश्यक हो, तो बंद भी कर दिया जाएगा।
- व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को 2030 तक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित होने चाहिए।

इष्टतम शिक्षण वातावरण, छात्र सहायता, अन्तर्राष्ट्रीयकरण और आर्थिक प्रौद्योगिकी

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता का फ्रेमवर्क- परिणाम-आधारित और साख आधारित
- प्रभावी शैक्षणिक प्रथाओं के माध्यम से सीखने के अनुभवों को उभारना
- छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पहलुओं के आधार पर न कर समिति की क्षमताओं और प्रकृति के अनुरूप करना
- छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक, वित्तीय और भावनात्मक समर्थन
- ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार
- शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण सुगम बनाना
- इसके लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी वंचित समूहों तक शैक्षिक पहुंच को बढाया जाना
- शिक्षा योजना, प्रशासन और प्रबंधन
- राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम- एक स्वायत्त निकाय- प्रौद्योगिकी के उपयोग, तैनाती, तैनाती पर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना
- शैक्षिक डेटा का राष्ट्रीय भंडार- संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों के सभी रिकार्ड का रख-रखाव करना।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)

- स्वायत्त निकाय, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित।
- रू. 20,000 करोड का वार्षिक अनुदान- अगले दशक में उत्तरोतर वृद्धि।
- फाउंडेशन के काम के दायरे में शामिल होंगे
- एक प्रतिस्पर्धी, सहकर्मी-समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहित करना और निर्माण करना, राज्य विश्वविद्यालयों में मौजूदा शोध बढ रहा है, डाक्टरेट और पोस्टडाक्टोरल फेलोशिप।
- शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योगों के बीच लाभकारी संबंध बनाना।
- विशेष पुरस्कारों और सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता देना।
- NRF के पास षुरूआत करने के लिए चार प्रमुख विभाग होंगे- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी।

व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण

- व्यावसायिक शिक्षाउदार शिक्षा का अभिन्न अंग है।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत।
- फोकस क्षेत्र- कौशल अंतराल विश्लेषण, स्थानीय मानचित्रण।
- शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जायेगा।
- प्रयास की देखरेख के लिए व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण पर राष्ट्रीय समिति।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा अधिक विकसित होगी।
- लोक विद्या, भारत में विकसित ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ कराना।

भारतीय भाषाओं का प्रचार

- भारतीय भाषाओं में भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान दें।
- देश भर में मजबूत भारतीय भाषा और साहित्य कार्यक्रम।
- भाषा शिक्षकों और अध्यापकों की भर्ती।
- भाषाओं पर केंद्रित शोध।
- शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढावा देने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना।
- पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के बीच महत्व की सामग्री के उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों को करने के लिए की जायेगी।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए नए सिरे से और विस्तारित किया जाए, जिसमें सभी विषय और क्षेत्र शामिल हों, न कि केवल भौतिक विज्ञानों को शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

- राष्ट्रीय शिक्षायोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग- सर्वोच्च निकाय।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय के रूप में नया स्वरूप दिया जायेगा।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री- उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारियों से सीधे निर्वहन करेंगे।
- आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
- विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व।
- आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे, जनता का रिकार्ड, उनके क्षेत्रों में योगदान, अखंडता, समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आयोग हर राज्य के साथ मिलकर काम करेगा।
- राज्य, राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं।

अध्यापक शिक्षा

छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीपी द्वारा शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक तैयार किया जायेगा। शिक्षकों को बहुविषयक दृष्टिकोण एवं ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ अभ्यास भी

करवाया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान, लोकाचार, परंपराओं, जनजाति परंपराओं के प्रति शिक्षकों को जागरूक भी किया जाएगा।

सीखने के लिए सर्वोतम वातावरण और छात्रों का सहयोग

आज के समय में छात्रों को कुछ अन्य क्षमताएं जैसे- फिटनेस, नैतिक मूल्य का आधार एवं अच्छा स्वास्थ्य आदि के बारे में सिखाना भी अत्यधिक आवश्यक है। छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग होना चाहिए। अब ये सभी चीजें नेशनल एजुकेशन पालिसी में जोडी गई हैं जिससे छात्र गुण्वत्तापूर्ण तरीके से अपनी पढाई कर सके। इस पालिसी के तहत शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ताकि भारत में पढने वाले अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में बढोतरी हो और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका प्राप्त हो सके। इसके अलावा इस पालिसी के द्वारा छात्रों को छात्रवृति उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान रखा गया है।

- नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के अनिवार्य व्यवसायिक विकास को 50 घंटे से अधिक समय तक किया जायेगा और इसके लिए सरकार के दीक्षा प्लेटफार्म पर 4 से 5 घंटे के 18 माडल लांच किए गए हैं ताकि इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सके।
- फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरस इस मिशन के साथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है तथा ई-लर्निंग का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा प्लेटफार्म तैयार किया गया है जिससे पाठ्यक्रम से जुडी सामग्री की अधिक मात्रा लोगों तक पहुंचायी जाएगी।
- इसके साथ साथ विभाग ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को भी ध्यान में रखा है और छात्रों को भावनात्मक सहायता के साथ साथ परामर्श प्रदान करने के लिए मनो-दर्पण नामक एक पहल शुरू की है। इसके साथ राष्ट्रीय टोलफ्री नंबर इंटरएक्टिव आनलाइन चौट विकल्प और राष्ट्रीय स्तर की निर्देशिका और काउंसलर के डेटाबेस विकसित किये है।
- NCERT द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है ताकि स्कूल शिक्षा के लिए एक भारतीय सांकेतिक भाषा का निर्माण किया जा सके।
- सीबीएसई परीक्षा में सुधार के लिए कुछ आवश्यक चरण उठाए गए हैं और इस सुधार को जल्द लागू किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2021 और 2022 से जैसे गणित और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दो स्तरो में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा में योग्यता आधारित प्रश्नों में वृद्धि जारी रहेगी जिन्हें पहले ही पेश किया जा चुका है और प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि की खोज करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

संदर्भ सूची

- Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,
- Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.
- *Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education,* ***33.***
- https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy_2020-final.pdf
- http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2(5)/33.pdf
- Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
- https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf. National Education Policy 2020.
- https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: अवलोकन चयनात्मक परिप्रेक्ष्य

माधुरी पंचोली

(पी.एच.डी. शोधार्थी) अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान

सारांश: उक्त शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वास्तविकता व भारतीयता के अनुरूप मूल्य शिक्षा व आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने व पाठ्यक्रम को उचित दृष्टिकोण प्रदान करने से सम्बन्धित है शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान आकर्षण का प्रयास उक्त शोध पत्र के माध्यम से किया गया है व 5+3+3+4 स्तरों पर पाठ्यक्रम परिवर्तन का सुझाव भी शोध पत्र प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द -आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिकता, वैश्विक, डिजिटलीकरण।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यवहारिकता के वास्तविक पहलू

आधुनिकता की चकाचौध में डूबा मानव आत्म के निज स्वरूप को भूल भौतिकता की राह पर ऐसा निकल पड़ा है कि 'स्व शक्ति' सहनशीलता को भुला कर रटन्त पद्धति का अनुगामी बन गया है हमने अपने जीवन का ध्येय ही भौतिकता के सुख साधन व वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान को बना मानव को सुख साधन सम्पन्न उपलब्धि प्रेरक ज्ञान का अनुकरणकर्ता बनाया है।

आज की शिक्षा पद्धति मुख देखकर तिलक करने वाले गुरू ज्ञान की प्रचलनकर्ता है ऐसे में बालक अपनी प्रथम पाठशाला परिवार से मात्र 'अहम सन्तुष्टि' भौतिकता युक्त साधन सम्पन्नता को जीवन शैली के रूप में अपनाकर विद्यालय में ''पोथी ज्ञान'' का धारणकर्ता मात्र बनता है भावनाओं के संसार से उच्च अनुभव तो वह प्राप्त कर ही नहीं पाता।

स्नेह भावना, परोपकारिता, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम, सहज भाव व्यवहार, मानवीय मूल्यों व मानव सम्मान के आन्तरिक मूल्यों का अभाव तो सर्वत्र दिखाई देता है।

''स्व ज्ञान के सामने बालक को सभी गौण प्रतीत होते है ऐसे में बालक पुरानी पीढ़ी व नवीन पीढ़ी का सम्पर्ककर्ता बन सता है परन्तु मानवीय गुणों की अद्‌भुत धरोहर सर्वथा अदृश्य दिखाई देती है और बालक उच्च व्यक्तित्व न बनकर व्यावसायिक शैक्षिक ज्ञान प्राप्तकर्ता अवश्य बन सकता है।

हमें अपने व्यावहारिक मूल्यों के परिवर्तन पर अवश्यभावी ध्यान देना चाहिए अन्यथा भावी पीढ़ी मानव मूल्यहीन बन जाएगी इसके परिणाम भी मानवता के लिए अहितकर होगे।

ऐसे में नवीन शिक्षा पद्धति व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के साथ शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर ढांचेगत परिवर्तन के साथ शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास शिक्षा नीति 2020 में किया गया है जहां प्रथम बार स्थानीय भाषा व मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है।

प्रथम बार भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण की बात की गई है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का प्रयास भारतीय शिक्षा नीति को भारतीयता के ढॉचे में ढालने का प्रयास किया गया।

- भारतीय शिक्षा के ढांचेगत बदलाव को वर्तमान की पृष्ठभूमि पर परिवर्तन का प्रयास के कस्तुरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी व व्यवहारगत समस्याओं का सम्मिलित समाधान उक्त शिक्षा नीति प्रस्तुत करती है।
- जीवन व रोजगार के समावेश का उचित संयोजन शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषता है यही प्रयास भारतीय शिक्षा को नव आयामों में छूने में सहायक हो सकेगा।
- शिक्षा नीति की सफलता के लिए मानवीय समस्याओं व मूल्यों का समायोजन करते हुए आन्तरिक व बाह्य गुणों के विकास के साथ बालक के व्यक्तित्व निर्माण उचित परिस्थितियों व विद्यालयी, व्यावहारिक शैक्षिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय गुणों के व्यावहारिक विकास की धारणकर्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी-2020 के उद्देश्य

भारतीय शिक्षा नीति के भारतीयकरण का प्रयास निसन्देह सराहनीय है जहां तीसरी बार भारतीय शिक्षा के ढांचेगत परिवर्तन की बात की गई है। शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना व भारत में शिक्षा को उचित स्तर प्रदान करना है।

- शिक्षा नीति 2020 तकनीकी व रचनात्मकता के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व से भी अवगत करवाती है।
- एनईपी 5+3+3+4 Structure इसकी विशेषताओं में मुख्य है। वहाँ विद्यालयी जीवन में परिवर्तन की योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की गई है।
- मानव जीवन के सभी पहलूओं पर यहाँ ध्यान दिया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जायेगा जहाँ डिजिटल अकैडमी क्रेडिट बनाया जायेगा इस प्रकार शैक्षिक योग्यताओं का डिजिटलीकरण किया जायेगा व पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की कोशिश भी की जा रही है।
- 2030 तक प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण निसन्देह सराहनीय है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2040 तक सभी उच्च संस्थानों को बहु विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य भी सराहनीय है।
- स्नातक कोर्स की अवधि बढ़ाने के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण से सहज बनाया गया है। जहाँ उच्च शिक्षा व व्यावसायिक दृष्टिकोण दोनों का ही समाधान किया गया।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए है तथा ई-लर्निंग पर जोर दिया गया है। दिव्यांग जनों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरण

- नई शिक्षा नीति के चरणों को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। नए पैटर्न में 3 से 12 साल की स्कूली शिक्षा सम्मिलित की गई हैं इस फार्मूले को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाआं को मानना अनिवार्य होगा।

फाउंडेशन स्टेज	प्रीपेटरी स्टेज	मिडिल स्टेज	सैकेण्डरी स्टेज
• 3 से 8 साल तक • 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा • भाषा कौशल व शैक्षिक स्तर मूल्यांकन	• 8 से 11 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया। • 3 से कक्षा 5 तक के बच्चें • क्षेत्रीय भाषा ज्ञान	• 6 से 8 कक्षा तक • 6 से कोडिंग सीखना • व्यावहारिक प्रशिक्षण व इंटर्नशिप के अवसर	• कक्षा 8 से 12वीं तक • बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू • विज्ञान, वाणिज्य व कला विषय साथ-साथ पढ़ सकेगे

उपरोक्त सभी चरणों में मूल्ययुक्त पाठ्यक्रम निर्माण व बालक के वैयक्तिक गुणों के स्वाभाविक विकास की व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौती है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के महत्वपूर्ण कदम।
- माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास होंगे विदेशी भाषा के विकल्प।
- मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जायेगा।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम में वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक इस प्रतिशत को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- नए कौशलों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्य विवरण-2020

- कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे का गृह कार्य प्रतिदिन
- कक्षा 6 से 8 तक 1 घंटे का होमवर्क
- कक्षा 7 से 12 तक 2 घंटे का होमवर्क
- बेग का वजन उनके वजन के केवल 10 प्रतिशत अधिक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्ट्रीम्स 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एर्केडमिक राष्ट्रीय तथा वोकेशनल को बांटा नहीं जायेगा।

स्ट्रीम्स का चयन नहीं करना पड़ेगा जिस छात्र की जिस स्ट्रीम्स में रूचि है वे उसकी पढ़ाई कर सकते है। एक स्ट्रीम्स के साथ बाकी स्ट्रीमों की पढ़ाई भी कर सकते है।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तन के साथ बी.एड. को 2030 तक 4 वर्ष का किया जायेगा।
- 2025 तक वोकेशनल स्टडी करवाई जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियॉ

- यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों की बात की जाय तो अलग-अलग राज्यों का एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद् का विरोध अलग-अलग राज्यों के भौगोलिक व क्षेत्रीय विभेदों के कारण संभव होना कठिन है।
- विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होने पर भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की आशंका है।
- त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- शिक्षा संबंधी जांच का अपर्याप्त होना तथा जीडीपी के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च की इच्छाशक्ति की सशक्ता पर विचार करना होगा।
- मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियां है।
- भारत में लगभग 1/3 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। अतः अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों व धार्मिक अल्पसंख्यक व दिव्यांग समूह के बालकों की स्कूली शिक्षा पूर्ण करवाई जाए।
- भारतीय शिक्षा में शिक्षा के बुनियादी ढांचे व विद्यालय व विश्वविद्यालय में सुविधाओं को स्तरीकृत करना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढॉचे व शिक्षकों की कमी को दूर करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियों में प्रमुख है।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व टॉप 200 विश्व के स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को स्वीकार करती है।
- शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन शिक्षा में मूल्यांकन के करंट की गुणवत्ता तथा ऑनलाईन शिक्षा में मूल्यांकन, ई कंटेट की गुणवत्ता तथा ऑनलाइन शिक्षा की हानियों के मूल्यांकन के लिए एनईपीएफ, सीटीईटी, एनआईओएस, आईजीएनओएस आदि उपयुक्त एजेंसियों की पहचान कर पृथक अध्ययन की सिफारिश भी 2020 में की गई।
- भारत में आज जिस शिशु शिक्षा की व्यवस्था है वह पश्चिमी देशों में आयात की गई व्यवस्था है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में अनेक नीतिगत बदलाव किए गए है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

निष्कर्षः-

भारतीय शिक्षा नीति भारतीय लक्ष्यों व वास्तविक समस्याओं की नियंत्रण कर्ता होनी चाहिए। वर्तमान की प्रमुख समस्या पश्चिमी अनुकरणकर्ता बन हमने जीवन के व्यावहारिक मूल्यों व धारणाओं को परिवर्तन कर आदर्श जीवन से मुख मोड़ 'शिक्षा को जीविका साधन का उत्पन्नकर्ता मान शिक्षा की लौकिक' व 'आलौकिक' 'ज्ञान' वाली अवधारणाओं से सम्बन्ध तोड़ शिक्षा के संकीर्ण लक्ष्यों की ओर ही उन्मुख हो रहे है अतः हमें शिक्षा के सर्वांगीण विकास वाली अवधारणा पर शिक्षा नीति 2020 में पुनः विचार करना होगा। वर्तमान जीवन की चुनौतियों व समस्याओं की निराकरणकर्ता शिक्षा नीति अपनाना व बनाना होगा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परिवर्तन की यात्रा पर निकलना होगा। शिक्षा नीति 2020 चुनौतियों का निराकरण कर भारत को पुनः विश्व गुरू के पद पर आसीन करने हेतु व्यावहारिक परिवर्तनों को अपनाना होगा।

संदर्भ सूची

1. https://www.mhrd.gov.in/siter/upload/files/nep/NEP_Final.English.pdf referred on 10.08.2020.
2. Puri, Natasha (30 August 2019) A Review of the National Education policy of the Government of India – The need for Data and Dynamism in the 21st Century SSRN.
3. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New Education - Policy 2020 final.pdf.

शिक्षक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 एक अध्ययन

सत्यवीर

शोधार्थी, षिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते है। अत: हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य हैं और सिर्फ सबसे श्रेष्ठ और विद्वान ही शिक्षक बनते हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरूओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है। जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव के पुनर्जीवित करना होगा। ताकि शिक्षक व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

की वर्ड- शिक्षक शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020

प्रस्तावना

शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान और ये ज्ञान हम सभी को ना केवल सम्पूर्ण मानव बनाने में सहायक है। बल्कि एक सभ्य समाज के निर्माण और मानवता को उसका सही अर्थ बतलाने में पूरी तरह से सक्षम है, शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है, यहीं वजह है कि सभी विकसित देश शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में भी शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। दुनियाँ के अन्य देशों के मुकाबले भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, इसी क्रम में देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डॉ. के.कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य है कि एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाय जो छात्रों को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करने के साथ ही साथ शिक्षा में नए बदलाव का सुझाव दे ताकि शिक्षा से देश के सभी लोगों और वर्गों को जोड़ा जा सकें। आइयें जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या-क्या बातें कही गई हैं।

- शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हो के संयोग में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।
- यह नीति यह सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।
- शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। जिससे करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सकें।
- एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है।
- जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए तथा साथ ही साथ विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक का हक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा।
- मानकों में विशेषज्ञता रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा।
- इसमें प्रत्येक रैंक में किये गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे जो कि समय-समय पर किए जायेंगे।
- एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा। जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे।
- कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में, वृद्धि होगी, 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा।

विशिष्ट शिक्षक

स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। उन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में दिव्यांग बच्चों ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सिखने में कठिनाई होती है के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल किये जाएंगे।

- इन शिक्षकों को सिर्फ विषय-शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरूआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्णकालिक या अंशकालिक मिश्रित कोर्स, बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे। योग्य विशेष शिक्षकों जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हैं, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई, के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को शामिल किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

- यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी.एड. एम.एड. और पीएच. डी. की डिग्री प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र-शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहु विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बी.एड. कार्यक्रमों को एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है। जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने 4 वर्षीय बहु-विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परा-स्नातक डिग्री प्राप्त की हैं और उस विशिष्ट विषय में विषयक शिक्षक बनना चाहते हैं।
- इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियां केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।
- चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण की मान्यता भी हो और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ओडीएल मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले बी.एड. कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण और छात्र-शिक्षण घटक तथा मेटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे।
- सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ-साथ हाल-ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रूचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक, प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शोधार्थी केन्द्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है।
- सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा - सभी बी. एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51ए) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत् विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।

- कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की आईटीई, डीआईईटी या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे। जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे - स्थानीय कला संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बी.एड. के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाऐं जायेंगे जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष-जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते है।

सन्दर्भ सूची

- व्यास, हरीशचन्द्र अधिगम और विकास के मनोसामाजिक आधार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1990
- अरोडा, रीटा, शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, 2005, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- दत्ता संजय शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम व्यक्तित्व जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर संस्करण 2005।
- शर्मा आर.ए. शिक्षा अनुसंधान 2008
- अग्रवाल संध्या शिक्षा मनोविज्ञान विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी 2005
- भटनागर ए.वी. भटनागर मीनाक्षी ''भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास आर.लाल. बुकडिपों पटना 2005।
- करलिंगर एफ. एन. फाउडेशन ऑफ विहेवरियल रिसर्च 2002
- मंगल अंशु बटोलिया ए. अग्रवाल ''शैक्षिक अनुसंधान की विधिया एवं शैक्षिक सांख्यिकी राधा प्रकाशन मन्दिर आगरा 2007।
- पुरोहित जगदीश नारायण शर्मा मुरली मनोहर भावी शिक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम राजस्थान ग्रन्थ अकादमी जयपुर पंचम संस्करण 2002
- रमल जे.एम एन. इन्ट्रोडक्शन टु रिसर्च पोजीशन इन एजुकेशन हार्पर ब्रदर्स 1986
- शर्मा आर. ए. शिक्षा अनुसंधान आर लाल बुक जयपुर 2008
- शर्मा आर.ए. अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार विजय बुक डिपो जयपुर।

प्रावधान और पाठ्चर्या संरचना शिक्षक शिक्षकों के संदर्भ में एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएँ

रवि कुमार सेन

पी.एच.डी. शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

नीति के मूल सिद्धान्त-

- जानना ओर पहचानना, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों मे प्रत्येक छात्र को समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करके प्रतयेक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- ग्रेड 3 तक के सभी छात्रों को मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
- लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों को उनके सीखाने के प्रक्षेपवक्र और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन मे अपना रास्ता चुन सकें।
- रहने और परीक्षा के लिए सीखने की अपेक्षा वैचारिक समझ पर जोर।
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच।
- नैतिकता, मानव और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय।
- शिक्षण और सीखने मे बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को बढावा देना।
- जीवन कौशल जैसे संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन।
- सीखने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन कर ध्यान केन्द्रित करे योगात्मक आकलन के बजाय जो आज की कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षण और सीखने मे प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा की बाधाओं को दूर करना। दिव्यांग छात्रों के लिए बढ़ती पहुंच और शैक्षिक योजना और प्रबंधन।
- विधिवत्ता के लिए सम्मान हमेशा यह ध्यान मे रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और सभी पाठ्यक्रमों, शिक्षा शास्त्र और नीति मे स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान।
- बचन की देखभाल और शिक्षा मे स्कूल शिक्षा तक उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम मे तालमेल।
- शिक्षकों और संकाय के सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण मनोयोग से अपनाने के रूप मे उनकी भर्ती, निरन्तर पेशेवर विकास सकारात्मक कार्य वातावरण ओर सेवा की स्थिति।
- उत्कृष्ट शौध उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में।
- निरन्तर समीक्षा शैक्षिक विशेषज्ञो द्वारा निरन्तर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति।
- भारत मे एक जडरीक्ता और गर्व और इसकी समृद्ध विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परम्पराएं।
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रत्येक बच्चे का मूलअधिकार माना जाना चाहिए।

नीति का दर्शन-

- एक शिक्षा प्रणाली जो भारतीय लोकाचार मे निहित है जो भारत को बदलने मे सीधे योगदान देती है, एक समतामूल्क और जीवन्त ज्ञान समाज मे सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
- हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा शस्त्र मे मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान एक देश के साथ संबंध और एक बदलती दुनिया मे किसी की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे मे जागरूकता विकसित करनी चाहिए।

- भारतीय होने मे यह कहने पर गर्वित गर्व पैदा करने के लिए न केवल विचार मे बल्कि आत्मा बुद्धि और कर्मो मे साथ ही साधा ज्ञान कौशल, मूल्यो और प्रस्तावों को विकसित करने के लिए जो मानव अधिकारों टिकाऊ विकास और जिम्मेदार प्रतिबद्धता जिसमे वास्तव मे वैश्विक नागरिकता प्रतिबिम्बित होता है।

गुणवत्ता की शर्ते और संकलन-

भारत के नागरिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण:-

- अच्छी विचारशील, बहुआयामी और रचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।
- एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने मे सक्षम बनाना चाहिए गहन स्तर पर रूचि और चारित्रिक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा सहित विषयों की एक सीमा से परे साथ ही पेशेवर, तकनीकी औरव्यावसायिक विषय को शामिल करते हुए 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करना है।
- उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए व्यक्तिता उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाजोपयोगी योगदान को सक्षम करना चाहिए।
- भारत मे उच्च शिक्षा प्रणाली मे वर्तमान मे मौजूद कुछ प्रमुख समस्याओं मे शामिल है।
- गम्भीर रूप से खंडित उच्च शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र।
- संज्ञानात्मक कौशल और सीखने के परिणामाओं के विकास पर कमजोर।
- प्रारम्भिक विशेषता और अध्ययन के संक्रीर्ण क्षेत्रों मे छात्रों की स्ट्रीमिंग के साथ विषयों का एक कठिन विभाजन।
- विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों मे सिमित पहुंच कुछ उच्च शैक्षणिकसंस्थान को स्थानीय भाषाओं मे पढ़ाते है।
- सिमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्ता।
- योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत नैताओं की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र।
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों मे शौध पर कमजोर और विषयों मे प्रतिस्पर्धा सहकर्मियों की समीक्षा तथा वित्त पोषण की कमी।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों का शासन और नेतागिरी।
- एक अप्रभावी नियामक प्रणाली तथा स्नातक शिक्षा के निम्न मानकों के परिणामस्वरूप बउे संबंद्ध विश्वविद्यालय।
- यह नीति वर्तमान प्रणाली मे निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों को लागू करती है।
- भारत भर मे अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ बहुत विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ओर बढ़घ्ते हुए जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं ने शिक्षा का माध्यम प्रदान करते है।
- एक अधिक बहुत विषयक शिक्षा की और अग्रसर।
- संकाय और संस्थागत स्वायत्ता की ओर अग्रसर।
- पाठयक्रम, शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन और छात्र समर्थन मे सुधार।
- संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना।
- एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन की स्थापना।
- शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्ता वाले स्वतंत्र बोर्डो द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं पर शासन।
- उच्च शिक्षा के लिए कल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग विनियमन।
- पहुंच इक्विटी और समावेश को बढावा।

इस्टीट्यूशनल रिजल्ट और कलॉलिडेशन:-

- 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को बहुत विषयक संस्थान बनना होगा जिनमे से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे।
- 2030 तक हर जिले मे या उसमे वास कम से कम एक बडा बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान होगा।
- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा मे सफल नामांकन अनुपात को 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित 26.30 प्रतिशत (2018) से बढाकर 500 प्रतिशत करना होगा।
- विकास सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों मे होगा, जिसमे बडी संख्या मे उत्कृष्टसार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर जोर होगा।
- एक विश्वविद्यालय का अर्थ उच्च शिक्षा का एक बहु विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के बाद स्त्रतफ और सत्रातक कार्यक्रम प्रदान करता है।
- इस प्रकार विश्वविद्यालय की परिभाषा उन संस्थाओं मे एक स्पेक्टम की अनुमति देगी जोशिक्षण और अनुसंधान यानी अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों पर समान जोर देते है जो शिक्षण पर अधिक जोर देते है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण शोध अर्थात शिक्षकगण विश्वविद्यालयों का संचालन करते है।

- स्वायत डिग्री अनुदान देने वाला कॉलेज (एसी) एक बडे बहु विषयक को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और प्राथमिक रूप से स्नातक शिक्षण केन्द्रित है, हालांकि यह उस पर सिमित नही होगा।
- श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्ता देने के लिए मंच वार तंत्र स्थापित किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी योजनाओं कार्यो और प्रभावशीलता के आधार पर धीरे धीरे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी मे ले जाने की स्वायत्ता और स्वतंत्रता होगी।
- ये तीन व्यापक प्रकार के संस्थान किसी भी प्राकृतिक तरीके से एक कठोर, बहिष्कृत वर्गीकरण नही है, लेकिन व निरन्तरता के साथ है।
- उच्च शैक्षणिक संस्थान उनके विकास, सामुदायिक सहभागिता और सेवा अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों मे योगदान, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संकाय विकास और स्कूली शिक्षा के समर्थन मे अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन करेंगे।
- संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाईन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते उन्हे ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त करें।
- एकल धारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को समय के साथ चरणबद्ध किया जाएगा और सभी जीवन्त बहुविषयक संस्थानों या जीवन्त बहुविषयी उच्च शैक्षणिक संसिान समूहों के भाग बनने की और बढेगे।
- सम्बद्ध कॉलेजों की प्रणाली को क्रमिक स्वायत्ता की एक प्रणाली के माध्यम से पन्द्रह वर्षो की अवधि मे धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा और यह कार्य एक चुनौती मोड मे किया जाएगा।
- समग्र उच्च शिक्षा क्षैत्र का उद्देश्य व्यावासयिक और व्यावसायिक शिक्षा सहित एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली होंगी।
- देश मे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के वर्तमान जटिल नामकरण जेसे कि विश्वविद्यालय के रूप मे समझा जाने वाला सम्बद्ध विश्वविद्यालय, सम्बद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय आदि को मानदण्डों को पूरा करने पर बस विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समर्थनः-

- उच्च शैक्षणिक संस्थान भी अधिक निरन्तर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा मे उच्चतनाव वाली परीक्षाओं से दूरी बनाएंगे।
- सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायता केन्द्र और पेशेवर शैक्षणिक और कैरियर परामर्श उपलब्ध कराए जाएगे।
- संस्थानों और फैकल्टी को पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और उच्च्च शिक्षा के व्यापक ढांचे के भीतर मूल्यांकन के मामलों पर नवाचरण करने की स्वायत्ता होगी।
- सभी कार्यक्रमो, पाठयक्रमो और विषयों मे शिक्षा शास्त्र इन क्लास, ऑनलाईन, और ओडीएल मोड मे और साथ ही छात्र समग्रिन गुणवत्ता के वैश्विक मानको को प्राप्त करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीयकरण-

- भारत मे अध्ययन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय छात्रो की बडी संख्या और भारत मे छात्रों के लिए अधिक गतिशीलता, अध्ययन करना क्रेडिट ट्रांसफर करना या विदेशों मे संस्थानों मे शौध करना।
- भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गतंव्य के रूप मे बढ़ावा दिया जाएगा।
- उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और संकाय/छात्र आदान प्रदान की सुविधा होगी।
- उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों मे परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसी तरह की प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करने वाले एक विधायी ढ़ांचे को रखा जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ नियामक शासन और सामग्री मानदण्डों के बारे मे विशेष जानकारी दी जाएगी।

छात्र की गतिविधि और भागीदारी-

- खेल, संस्कृति, कला क्लबो, इको क्लबो, गतिविधि क्लबो, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि मे भाग लेने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जायेगे।
- प्रत्येक शिक्षा संस्थान मे तनाव और भावनात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना।
- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने संस्थानों मे सभी छात्रों के लिए गुणवत्ता चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

छात्रों के लिए वित्तीय समर्थनः-

- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य एसईडीओ से सम्बन्धित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।
- निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या मे मुफ्त हवाई यात्रा और छात्रवृति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

निजी, अधिकृत और योग्य सुविधा-

- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ कार्य शौचालय, ब्लेकबोर्ड कार्यालय, शिक्षण आपूर्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और सुखद कक्षा स्थान और परिसरों सहित बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं से लैस होंगे।
- हर कक्षा मे नवीनीतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक पहुंच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।
- संकाय को अनुमोदित ढ़ांचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- उच्च शैक्षणिक संस्थान मे स्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया और संकाय भर्ती के मानदंड होंगे।

शिशु शिक्षा मे योग्यता और समावेश:-

- उच्च शिक्षा के लिए विशिष्ट कार्य सभी सरकारों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाएं जाएगें।

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम:-

- SEDs की शिक्षा के लिए वर्षवार उपर्युक्त सरकारी धन उपलब्ध कराना।
- SEDs के लिए उच्च GER के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों मे प्रवेश मे लैंगिक संतुलन बढ़ाना।
- अत्यधिक आवश्यकता वाले जिलो और विशेष शिक्षा क्षेत्रों मे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके पहुंच बढाना।
- उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का विकास और समर्थन करना जो सिानीय भारतीय भाषाओं मे या द्विभाषी रूप से सिखाते है।
- SEDs को सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शैक्षणिक संस्थानों मे अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृति प्रदान करें।
- SEDs के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृति पर बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों का संचालन करना।
- बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का विकास और समर्थन करें।

सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:-

- उच्च शिक्षा को आगे बढाने के लिए अवसर लागत और शुल्क को कम करें।
- अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृति प्रदान करें।
- उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृति के आधार पर आचरण।
- प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाए।
- पाठ्यक्रमों को अधिक समावेशी बनाए।
- उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की रोजगार क्षमता मे वृद्धि।
- भारतीय भाषाओं मे और द्विभाषी रूप मे पढ़ाएं जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना।

कोविड महामारी के दौरान माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

नीरू बाला

रिसर्च स्कोलर (शोधार्थी) यूनिर्वसिटी ऑफ टेक्नोलोजी, जयपुर

शोध सार: ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे-टीवी, कंप्यूटर, टेबलेट, लैपटॉप, रेडियो, स्मार्टफोन आदि के द्वारा घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोविड- 19 महामारी के दौरान यह माध्यम बहुत ही कारगर रहा तथा समाज का हर एक व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा से परिचित हो गया, लेकिन यदि इसके दूसरे पहलू की बात करें तो पता चलेगा कि यह शिक्षा सभी को सीखने के समान अवसर प्रदान नहीं करती, कौशलों का प्रशिक्षण नहीं देती, गरीब-अमीर के बीच खाई पैदा करती है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना है। शोधकत्री द्वारा 'आकस्मिक न्यादर्शन विधि' से राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र के 243 शिक्षकों, 335 विद्यार्थियों तथा उनके 89 अभिभावकों से दत्त संकलन किया गया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, शिक्षकों का दृष्टिकोण एवं अभिभावकों का दृष्टिकोण नामक प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

शोध के परिणाम में पाया गया कि सर्वाधिक 88.05 प्रतिशत विद्यार्थी एवं 86 प्रतिशत शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा को सीखने के नवीन अवसर के रूप में मानते है। सर्वाधिक 74.15 प्रतिशत अभिभावकों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की राय व्यक्त की तथा दूसरे प्रमुख कारण के रूप में 86. 86 प्रतिशत विद्याथियों तथा 83.33 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि कोविड महामारी से स्थिति सामान्य होने तक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को जारी रखा जाए। 77.91 प्रतिशत विद्याथियों ने ऑनलाइन शिक्षा के समय ऑडियो, वीडियो एवं पाठ्यसामग्री की अस्पष्टता तथा 79.01 प्रतिशत शिक्षकों ने यह शिक्षा ग्रहण न करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का प्रभावित होना माना, यह कारण तीसरे स्थान पर विद्यमान था। प्रस्तुत शोध विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने हेतु सभी हितधारकों के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। शोध सुझाता है कि ऑनलाइन शिक्षण के समय शिक्षकों द्वारा ऑडियो, वीडियो, ई-कंटेंट एवं व्याख्यान आदि में से किसी एक या दो ही रोचक-मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किए जाएँ, कोविड-19 के समय ऑनलाइन शिक्षा का समुचित उपयोग किया जाए तथा अभिभावक भी ऑनलाइन शिक्षण के समय बच्चों पर पैनी नजर रखें, उनसे वार्ता करें, मित्रवत व्यवहार करें ताकि वह हमेशा डिजिटल गैजेट्स के सम्पर्क में न रहें और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे।

मुख्य शब्द: ऑनलाइन शिक्षा, कोविड-19, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, दृष्टिकोण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस, वर्ग एवं लिंगभेद।

प्रस्तावना: शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सरल सुगम एवं बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक हर संभव प्रयास करते हैं और प्रत्येक समय यही सोचते रहते हैं कि कैसे या फिर किन साधनों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाए और अपनी बात आसानी से विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाए ताकि उनको समयानुकूल नवीन एवं स्थाई ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस् शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाकर, उसके प्रचार-प्रसार में महती भूमिका निभा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे-टीवी, कंप्यूटर, टेबलेट, लैपटॉप, रेडियो, स्मार्टफोन आदि के द्वारा घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इनके माध्यम से डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन संचार तथा ई-शिक्षा आदि को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत सरकार ने डिजिटल क्रांति लाने हेतु वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कर अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिनव खोजों, गतिविधियों एवं क्रिया-कलापों को बढ़ावा दिया है जिससे शिक्षक ऑनलाइन माध्यम (नोट्स, परिचर्चा, ब्लॉग, ई-शोध पत्र, ई-कक्षा, ई-बुक, ई-कंटेंट, कांफ्रेंसिंग एवं ऑडियो-वीडियो आदि) से अपने विचारों एवं स्तरीय नवीन विषय-वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुँचा पा रहे हैं तथा स्वयं भी ई-प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण-अधिगम के नए-नए तरीकों से परिचित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के गेम्स एवं एप्लीकेशंस आदि के द्वारा सीखने से बच्चों की बोध एवं परावर्ती क्षमता बढ़ रही है। इधर वर्ष 2019 के बाद से जब से समाज कोरोना महामारी से जूझ रहा है तब से तो ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। चाहे-अनचाहे समाज का हर एक व्यक्ति इससे परिचित हो गया है। लॉकडाउन की अवधि में यदि यह माध्यम नहीं होता तो निश्चित रूप से करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाते, उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। यूनेस्को रिपोर्ट-2020 (श्रीवास्तव एवं दवे, 2021) के आँकड़े बताते हैं कि- "191 देशों के लगभग 157 करोड़ तथा भारत में लगभग 32 करोड़ विद्यार्थियों की शिक्षा अचानक स्कूल, कॉलेज एवं विष्वविद्यालय बंद होने से प्रभावित हुई थी।" कोविड-19 काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में स्काइप, व्हाट्सएप, यूटयूब, फेसबुक, गूगल मीट, गूगल क्लास, जूम एवं माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे अनेकों प्लेटफार्मस् ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASAR-2021) से भी स्पष्ट होता है कि- "वर्ष 2018 में जहाँ 36.5 प्रतिशत बच्चों के पास मोबाइल था वहीं वर्ष 2020 में यह प्रतिशत बढ़कर 61.8 फीसदी तथा वर्ष 2021 में 67.6 फीसदी हो गया।"

ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों को सीखने के बहुआयामी अवसर प्रदान करती है। एलन (2014) इस संदर्भ में कहते हैं कि - "डिजिटल मीडिया बच्चों में सकारात्मक प्रेरणा का बहुत ही सुगम स्त्रोत है।" विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई निर्बाध रूप से चलती रहे। इस हेतु भारत सरकार ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस् यथा- दीक्षा पोर्टल, रीड एलोंग एप, संपर्क बैठक एप, ई-पाठशाला, निष्ठा प्रोग्राम, स्वयं, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोकन टयूटोरियल, दूरदर्शन पर गंगा, वर्चुअल लैब, मोबाइल एप्लीकेशन तथा शिक्षा के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आदि के माध्यम से अभिभावकों, शिक्षकों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है।

कोविड-19 महामारी के कारण जब भारत सरकार ने देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद करने की घोषणा की तब ऑनलाइन शिक्षा का दूसरा पहलू भी सामने आया। हम सभी ने देखा कि कैसे गरीब ही क्या मध्यम वर्ग तक के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रति असहाय नजर आ रहे थे। यह शिक्षा सभी को सीखने के समान अवसर प्रदान नहीं करती है, कौशलों का मनोवाँछित प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करा पाती है, जेंडर भेद को बढ़ावा देती है तथा गरीब-अमीर के बीच खाई भी पैदा करती है। जिन विद्यार्थियों ने इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की थी उनकी ई-कक्षा में बमुश्किल 50 फीसदी उपस्थिति हो पाती थी तथा उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों यथा- आँख, सिर, पेट दर्द, कुंठा, तनाव, अवसाद, एवं अलगाव आदि ने घेर लिया था। बच्चे सामाजिक गतिविधियों से कट गए थे। बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते समय चौटिंग, गेम्स खेलने, फिल्में देखने का एक तरह से अधिकार-सा मिल गया था। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये विद्यार्थी पेड़ एवं पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़कर ई-कक्षा से जुड़ने का भी प्रयास करते नजर आते थे। आर्थिक मुश्किलों के कारण निजी स्कूलों से अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम कटवा लिए। वर्ष 2018 में निजी स्कूल में जहां नामांकन का प्रतिशत 32.5 फीसदी था वहीं वर्ष 2020 एवं 2021 में क्रमशः घटकर 28.8 एवं 24.4 फीसदी ही रह गया।

जो अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा संबंधी उपकरण, डेटा प्लान आदि की व्यवस्था कर भी पाए तो वह मात्र एक-दो बच्चों तक ही सीमित रही, ऐसे परिवार जहाँ इससे ज्यादा बच्चे थे वहाँ बालिकाएँ इन सुविधाओं से वंचित रह गईं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव (अहमद एवं कुमार, 2020) ने भी कहा था कि 'कोविड-19 महामारी शिक्षा की अब तक की सबसे बड़ी बाधा है, इससे सबसे अधिक लड़कियाँ तथा महिलाएँ प्रभावित होंगी।' एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASAR-2021) भी बताती है कि 'उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में भी बच्चों के पास स्मार्ट फोन सबसे कम थे। 'एन.सी.ई.आर.टी. (अमर उजाला, 2020) ने ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में केंद्रीय, नवोदय तथा अन्य विद्यालयों के बच्चों, अभिभावकों, प्रिंसिपल एवं शिक्षकों पर किए गए सर्वे में पाया कि 27 फीसदी बच्चों पर न तो लैपटॉप है और न ही स्मार्ट फोन, 28 फीसदी अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी बाधा बिजली तथा 17 फीसदी ने क्लास के दौरान भाषा को न समझना माना।

अतः इस बात की जिज्ञासा महसूस की गई की क्या कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा सभी विद्यार्थियों का समावेशन कर पाने में कारगर रही? क्या कोविड-19 महामारी के दौरान यह शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा के तौर पर कामयाब रही? क्या यह शिक्षा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है? इन्हीं तथ्यों की जानकारी निमित्त प्रस्तुत शोध किया गया है। प्रस्तुत शोध से संबंधित साहित्य का अवलोकन किया गया यथा- मेहरा एवं ओमेडियन (2011) ने 76 फीसदी विद्यार्थियों में ई-लर्निंग के प्रति सार्थक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण पाया, 82 प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस शिक्षा को महत्त्वपूर्ण माना, जबकि 57 प्रतिशत विद्यार्थियों ने ई-लर्निंग को अपनाने की इच्छा प्रकट की। तेवतिया (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि 60 फीसदी शिक्षक ऑनलाइन कक्षा लेने में सहज तथा 4.5 प्रतिशत शिक्षक असहज महसूस करते हैं तथा 59.6 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माना कि लॉकडाउन का उनके शैक्षणिक स्तर पर नकारात्मक, 21.3 प्रतिशत ने सकारात्मक तथा 19.1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कोई भी प्रभाव नहीं माना। विजयलक्ष्मी, दास एवं अन्य (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि ई-लर्निंग पारदर्शिता, आमने-सामने के संपर्क तथा अतः क्रियाशीलता को बनाए रखने में सहायक है। अरोड़ा एवं श्रीनिवासन (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि नेटवर्क समस्या, प्रशिक्षण का अभाव एवं वर्चुअल कक्षाओं के प्रति जागरूकता की कमी इसके मुख्य मुद्दे हैं। कम उपस्थिति, व्यक्तिगत लगाव में कमी, कनेक्टिविटी के कारण अंतःक्रिया में कमी के मध्य सार्थक अंतर पाया गया। श्रीवास्तव एवं दवे (2021) ने अपने शोध परिणाम में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की मनोवृत्ति को सकारात्मक पाया, विषय संबंधी शंका समाधान करने एवं ज्ञान को बढ़ाने में इस शिक्षा की महती भूमिका पाई गई तथा यह भी पाया गया कि यदि तकनीकी समस्याओं का निवारण कर दिया जाए तो इस शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. ऑनलाइन शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. ऑनलाइन शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधि-

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। अतः शोधकत्री द्वारा 'वर्णनात्मक अनुसंधान विधि' का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'आकस्मिक न्यादर्शन विधि' द्वारा राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के 243 शिक्षकों, 335 विद्यार्थियों तथा उनके 89 अभिभावकों, कुल 667 हितधारकों से दत्त संकलन किया गया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधकर्त्री द्वारा 'ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण', 'ऑनलाइन शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण' तथा 'ऑनलाइन शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण' नामक तीन प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। प्रत्येक प्रश्नावली में दस-दस पद थे। प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिशत की गणना की गई है।

निष्कर्ष

भविष्य में हमें ऐसी योजनाओं की जरूरत है जो बच्चों तक शिक्षा के सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा पायें। सभी बच्चों को एक समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक संस्थागंत व्यवस्था की जरूरत है ताकि शिक्षा में आने वाली बाधाओं पर समय अनुसार उचित कदम उठाया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार द्वारा विश्वास जताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगें और शिक्षा को नई ऊँचाईयों पर ले जाने के लिए सभी मूलभूत संसाधनों की पहुँच को सुनिश्चित किया जायेगा। नई शिक्षा नीति का का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर सीखनें की प्रक्रिया अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति एक बहुविश्यक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केन्द्रित है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अनिल कुमार तेवतिया: 'दिल्ली के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और शिक्षकों पर लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन', भारतीय आधुनिक शिक्षा (अंक-1), जुलाई, 2020, पृ. 23-29 वसीम अहमद एवं अनिल कुमार: 'कोरोना महामारी में ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका, चुनौतियाँ और भविष्य एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन', भारतीय आधुनिक शिक्षा (अंक-1), जुलाई, 2020, पृ. 40-50
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशनल रिपोर्ट-ASAR): 'शिक्षा पर असर', संम्पादकीय, अमर उजाला (बरेली संस्करण), 19 नवम्बर, 2021, पृ. 16
- एलन, के.ए., रायन, टी. एवं अन्य (2014) सोशल मीडिया यूज एण्ड सोशल कनेक्टेडनेस इन एडोलेसेंटस रूद पॉजिटिव्ज एण्ड द पोटेंशियल पिटफाल्स, द आस्ट्रेलियन एजूकेशनल एण्ड डेपलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, 31(1), 18-31
- अरोड़ा, ए.के. एंड श्रीनिवास, आर. (2020) इम्पैक्ट ऑफ पेंडमिक कोविड-19 ऑन द टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस: ए स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन टीचर्स, प्रबंधन: इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 13(4)

आत्मनिर्भर भारत और व्यावसायिक शिक्षा - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में

राजेन्द्र शर्मा

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० अशोक कुमार सिडाना

पूर्व आचार्य, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सी.टी.ई., केशव विद्यापीठ, जयपुर

सारांश -

आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर निर्भर विश्व आज इसकी शिक्षा पर अत्यधिक बल देने लगा है। व्यवसाय व तकनीकी दो ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के साथ जुड़े हैं। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रूचि अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना एवं कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्याय 16 में 'व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन' में विस्तृत योजना दी गई है। पैरा संख्या 16-1 से 16-8 तक व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा की गई है जिसमें विद्यालय व महाविद्यालय का उद्देश्य बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना है नवीन शिक्षा नीति से ज्ञातव्य है कि व्यवसायिक शिक्षा ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण, प्रशिक्षित, प्रतिभा का सृजन करने का एक स्वच्छंद स्थिर एवं का परंपरागत माध्यम है। बदलते समय के साथ व्यवसायिक शिक्षा के महत्व अधिक बढ़ गया है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कृषि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा में क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की चर्चा की गई है जो युवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में मदद कर सके।

व्यवसायिक शिक्षा की सफलता भारत का आर्थिक व उन्नत भविष्य को निर्धारित करेगी इसलिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि आज हम व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है व्यवसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरुदंड है।

व्यवसाय व तकनीकी दो ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के साथ जुड़े हैं। व्यवसाय से आषय वाणिज्य व उद्योग के सम्पूर्ण जटिल क्षेत्र, आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक व निर्माणी उद्योग तथा सहायक सेवाओं के वृहद-जाल वितरण, बैंकिंग आदि से है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का अंग है। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था उसके व्यायसायिक विकास पर निर्भर करती है। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करतीं है। ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें।

"व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उस सब प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है।" -सामाजिक विज्ञानों का विश्वकोश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित एवं विद्यार्थी केंद्रित है यह पूरी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है यहां शिक्षा नीति सर्व स्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्व समावेशी एवं राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत हैराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा छात्र को एक विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास किया जाता है तथा विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान, कौशल एवं क्रियात्मक पक्षों को उभारा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति, उद्देश्य, विषयवस्तु, समयावधि एवं कार्य प्रणाली अन्य अकादमिक शिक्षा कार्यक्रमों से साथ सम्पन्न की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक शिक्षा की कल्पना को मूर्त रूप देने का वास्तविक प्रयास किया गया है व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम विद्यार्थियों को नवीन कौशलयुक्त ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षताओं को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की चर्चा की गई है। व्यावसायिक दक्षताओं विद्यार्थियों में विकसित करने में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की विशेष भूमिका होती है। भारत वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट नवाचार

से युक्त कार्यक्रमों का संचालन समय-समय पर किया जाता रहा है। जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान व दक्षता को सर्वाधिक कर समीचीन बनाया जा सके ऐसे ही विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी विशिष्ट उद्देश्य के साथ सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित रोजगार मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के नवीन आकल्पन को भारत की आत्मनिर्भरता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो समाज में होती है। इसके उद्देश्य तथा विधियाँ समाज की प्रकृति पर निर्भर होती हैं। इसके द्वारा वैयक्तिक 'स्व' तथा सामाजिक 'स्व' को अनुशासित तथा अर्थपूर्ण इकाई के रूप में संगठित किया जाता है।

"शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित करती है।"
-महात्मा गांधी

शिक्षा एक सविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में बहुत व्यापक है और विद्यालयीन अनुभवों तक ही सीमित नहीं है किन्तु संकुचित अर्थ में शिक्षा सुनियोजित प्रक्रिया है।

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ-

व्यावसायिक शिक्षा दो शब्दों के संयोग से निर्मित है। जिसमें पहला शब्द व्यवसाय एवं दूसरा शब्द शिक्षा है। "व्यवसाय" शब्द जीविकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार के अर्थ में है तथा शिक्षा-संबधित व्यवसाय के प्रशिक्षणयुक्त सीखने से है। तात्पर्य-व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबधी जानकारी प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य-

व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए भारतीय शिक्षाविद प्रोफेसर हुमायूं कबीर (1956) ने कहा है- 'किसी देश अथवा राष्ट्र की उन्नति का आधार विज्ञान एवं प्राविधिक विषयों की शिक्षा है। यदि किसी देश में इस शिक्षा को सफल और समुचित व्यवस्था है और यदि यह शिक्षा प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है तो उस देश की प्रगति भी अवश्यंभावी है।'

देश को सुदृढ़ बनाने आत्मनिर्भर व सुखी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्याय 16 शीर्षक 'व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन' में विस्तृत व्यावसायिक शिक्षा हेतु योजना दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तुत व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है-

1. प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रूचि अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना।
2. कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना।
3. शिक्षा के सुअवसरों में विभिन्नता लाना।
4. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना।
5. निरूद्देश्य एवं रूचिविहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना।
6. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना।

रोजगार के विशेष क्षेत्र के लिए तैयार करने में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका-

सामाजिक परिवर्तन का 'शिक्षा' एक प्रमुख अभिकरण है। सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परस्पर सहयोगी प्रकृति की हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों के अस्तित्व को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। न तो व्यावसायिक शिक्षा जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती है और न ही सामान्य शिक्षा। इसलिए दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।

वर्तमान में 10+2 स्तर पर संचालित व्यावसायिक शिक्षा का माँडल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बना और परिष्कृत हुआ है। इस मॉडल में वृहद और असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है।

व्यावसायिक शिक्षा किसी को चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्रबंधक या फिर वरिष्ठ शिक्षाविद् आदि बनाने का आश्वासन नहीं देती है। यह शिक्षा कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा, गृह विज्ञान आदि क्षेत्रों के लिए संबंधित विविध पाठ्यक्रमों जैसे - कृषि रसायन, फसल उत्पादन, डेयरी, उद्योग, बीज उत्पादन तकनीकी, लेखांकन एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, कार्यालय प्रबंधन, विपणन, ग्रामीण सूचना प्रबंधन, आशुलिपि एवं टंकण, भवन निर्माण एवं रख-रखाव, ऑटो, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, रेडियो एवं टीवी मरम्मत, अस्पताल देख-रेख, चिकित्सा प्रयोगशाला ऑफथैलमिक एवं एक्सरे टेक्नीशियन, बेकरी, फल एवं सब्जी परिरक्षण एवं संसाधन, कर्मशियल आर्ट, आदि के द्वारा युवाओं को रोजगार योग्य बनाती है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य राष्ट्र विकास के लिए कुशल जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना और लोगों को लाभदायक रोजगार के लिए तैयार करना है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्याय 16 में 'व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन' में विस्तृत योजना दी गई है। पैरा संख्या 16-1 से 16-8 तक व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा की गई है।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यवसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से जो हो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाएँ।

व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो ऐसा करने के परिणामस्वरुप वह श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।

साथ ही कहा गया है कि व्यवसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा इसके लिए माध्यमिक विद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योगों आदि से साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स, 4 वर्षीय बहू विषयक स्नातक कार्यक्रम, बी. वॉक कोर्स करने की अनुमति होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में उद्योगों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यवसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन गठन करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की व्यावसायिक शिक्षा आवश्यकता, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, व्यावसायिक शिक्षा में ड्रॉपआउट तथा उच्च शिक्षा में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने की चर्चा की गई है। साथ ही राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय को व्यवसाय व रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है-

- शिक्षण संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने वाले बनाने होगें। आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे।
- सभी संस्थान जो पेशेवर या सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं, का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से उन संस्थानों / समूहों में विकसित होना होगा जो दोनों को मूल रूप से और 2030 तक एकीकृत तरीके से पेश करेंगे।
- कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं से जुड़े बेहतर कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और बाजार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा।
- कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को सीधे स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए; प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक दृष्टिकोण हो सकता है।
- हेल्थकेयर शिक्षा को फिर से लागू करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना और डिजाइन की भूमिका आवश्यकताओं से मेल खा सके।
- तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों के भीतर पेश किया जाना है और इन विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है।

  सारांश रूप में कहा जा सकता है कि व्यवसायिक शिक्षा ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण, प्रशिक्षित, प्रतिभा का सृजन करने का एक स्वच्छंद स्थिर एवं का परंपरागत माध्यम है।

बदलते समय के साथ व्यवसायिक शिक्षा के महत्व अधिक बढ़ गया है व्यवसायिक शिक्षा की सफलता भारत का आर्थिक व उन्नत भविष्य को निर्धारित करेगी इसलिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि आज हम व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है व्यवसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरुदंड है सही तरीके से यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है तो निश्चित ही भविष्य के स्वर्णिम भारत की आधारशिला साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- जौहरी, बी.पी. (1991): ''भारतीय शिक्षा का इतिहास", विनोद पुस्तक मंदिर,आगरा (उ.प्र.)
- चौबे,डॉ.सरयू प्रसाद (1995): ''भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ, प्रवृत्तियाँ और नवाचार", लोयल बुक डिपो, मेरठ (उ.प्र.)
- अग्निहोत्री,आर. (2006): ''आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

- चौधरी, राम लखन तथा उपाध्याय, राधावल्लभ (1981): "भारतीय शिक्षा की सामयिक की समस्याएं", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- वर्मा, रामपाल सिंह (2003): "विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा", इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
- भारत सरकार, नई दिल्ली: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (2020)
- भारत सरकार, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर: व्यावसायिक शिक्षा योजना दिशा निर्देश (2019-20)
- भटनागर, सुरेश तथा वशिष्ठ कमला (2009): "शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा की समस्याए" आर लाल बुक डिपो, मेरठ
- बेस्ट, जान डब्लू. (1983): 'रिसर्च इन एजुकेशन' प्रिंटिंस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- लाल,आर.बी. (2013): "भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ", रस्तोगी पब्लिकेशनस, मेरठ दिल्ली
- भारत सरकार, नई दिल्ली (2009): निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- https://www.khs.com/en/
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- https://nvshq.org/article/new-national-education-policy-nep-2022/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शैक्षिक वातावरण और विद्यार्थियों के तनाव पर प्रभाव

मुकेश गुर्जर

शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविधालय, जयपुर

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से पूर्व भारत में 1986 की शिक्षा नीति संचालित थी जिसमें केवल किताबी बातों पर ध्यान दिया जाता था पुराने शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था की स्कूल मैं कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अर्जित किया गया ज्ञान भविष्य में कैसे रोजगार सृजन में सहायक होगा। पुराने शिक्षा नीति पाठ्यक्रम प्रधान थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता था। बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने लिखने हेतु विवश किया जाता था, जिस कारण बच्चा अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ बना रहा। पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यदि किसी कारणवश बच्चा 1 या 2 साल बाद पढ़ाई बीच में छोड़ता था तो उसका नुकसान होता था। 1 या 2 वर्षों में उसने जो कुछ भी सीखा उसका कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता था जिसके कारण पुनः डिग्री करने के लिए उसे अपने साल बर्बाद करने पड़ते थे। पहले कंप्यूटर या तकनीकी ज्ञान का अभाव था, बच्चा उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर कोडिंग का ज्ञान लेता था। इस प्रकार शैक्षिक वातावरण केवल कितबी ज्ञान पुरानी परम्पराओं पर निर्भर था वहीं विद्यार्थियों के लिए मानसिक तनाव भी उत्पन्न करने वाला था। प्रस्तुत शोध पत्र में नई शिक्षा नीति का प्रभाव इसी संदर्भ में विश्लेषित किया गया है।

प्रस्तावना

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है।

गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। इसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। आज समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की वह शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उससे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नही बन पा रहा हैं।

अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

नवीन शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तथ्य

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।

NEP -2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।

3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन - 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी / बालवाटिका/ प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

NEP -2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।

NEP-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' IITI 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी।

'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' NCERT द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी।

NEP -2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

NEP -2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसमें मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिये जाएगा

1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट)

2 वर्ष के बाद डिप्लोमा

3 वर्ष के बाद डिग्री

4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातकअब छठी कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। NEP-2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले कॉलेज से 3 साल की डिग्री लेने के बाद 2 वर्ष स्नातकोत्तर और फिर 2 वर्ष का एमफिल उसके बाद 5 वर्ष पीएचडी करने के बाद शोध उपाधि प्राप्त हो पाती थी। किंतु अब एम फिल को समाप्त कर दिया है।

नई शिक्षा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में एक समस्याग्रस्त शिक्षक से छात्र अनुपात है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा की शुरूआत एक समस्या है। कभी-कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है और अब NEP 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है, जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा में लाता है।
2. 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, जो छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उन्हें चार साल की पढ़ाई करनी होगी, जबकि कोई भी आसानी से दो साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है।

   यह छात्र को पाठ्यक्रम को आधा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत कम उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और इस प्रकार समाज के वर्गों के बीच की खाई को चौड़ा किया जा सकेगा।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा।

इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा।

छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- भारत सरकार, नई दिल्ली (2009): निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- https://www.khs.com/en/https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: व्यावसायिक कौशल शिक्षा संबंधी प्रावधानों को लागू करने संबंधी चुनौतियां

सुश्री कल्पना सोनी

शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर राजस्थान

शोध सारांशः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जारी होने के साथ ही सभी का ध्यान शिक्षा नीति में समाहित व्यवसायिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ है। शिक्षा के समान ही इसे भी मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसे धरातल पर उतारने में विलंब प्रतीत होता है। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में धीमी और स्थिर वृद्धि हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार 15 से 29 वर्ष के बीच कुल आबादी में से केवल 2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और केवल 8 प्रतिशत ने अनौपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 19 से 24 वर्ष की आयु के बीच 5 प्रतिशत से भी कम भारतीय कर्मचारियों ने औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की यह उदाहरण कुछ प्रणाली गत मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके कारण भारत में व्यवसायिक शिक्षा का ठहरा हुआ। अब यह विचार सामने आता है कि क्या NEP- 2020 मौजूदा चुनौतियों का समाधान कर सकती है, और साथ ही भविष्य में ठोस लक्ष्य और आधार प्रदान कर सकेगी अथवा नहीं। व्यवसायिक शिक्षा समाज में द्वितीय श्रेणी के नागरिक होने की भावना पैदा करती है, उच्च शिक्षा की मुख्यधारा को चुनने वाले छात्रों द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्रों को हीन समझा जाता है। NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के 75 वें दौर के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्रतिशत छात्र उद्योग प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटी) या किसी अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित है। हालांकि केवल 8.3 प्रतिशत शहरी छात्र किसी भी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकित है, केवल 15.3 प्रतिशत प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित है। बावजूद इसके प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि के तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि समाज में व्यवसायिक शिक्षा अभी भी पसंदीदा विषय नहीं है।

तकनीकी शब्दावलीः-

व्यावसायिक कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान।

महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षाः-

गांधीजी का मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3H की शिक्षा अर्थात् Hand, Head, Heart की शिक्षा दी जावे, जिससे वे स्वयं स्वावलंबी बन सके तथा देश को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सके। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट (एन एस एस ओ 2011-12) के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम आयु के 35 प्रतिशत से अधिक नागरिक हैं। भारत में जनसंख्या 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। ऐसे में 2025 तक भारत वैश्विक स्तर पर युवा मानव संसाधन का पावर हाउस बन जाएगा। भारत को इस युवा शक्ति का प्रयोग गुणवत्ता स्रोतों के रूप में करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके। वहीं एन एस एस ओ 2020 अप्रैल-जून रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.9 प्रतिशत बेरोजगारी है, जिसका एक बड़ा समाधान व्यावसायिक कौशल शिक्षा से समाहित है।

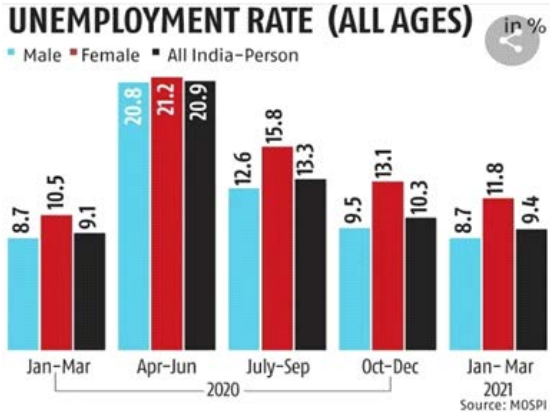

एन ई पी 2020 में व्यावसायिक कौशल शिक्षा के प्रावधानः-

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौशल आधारित शिक्षा के एक महान स्वप्नदृष्टा थे। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों में कौशल शिक्षा/व्यावसायिक कौशल शिक्षा पर इनके विचारों को लगभग प्रत्येक नीतिगत दस्तावेजों में प्रतिध्वनित किश गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब तक व्यावसायिक कौशल शिक्षा की बात माध्यमिक स्तर तक हो रही थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि व्यावसायिक कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा के मध्यचरण से ही प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक कौशल शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है। इसकी शुरुआत आरम्भिक वर्षों में व्यासायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से लेकर फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक ले जाने का सुझाव दिया गया है। इस तरह से व्यावसायिक कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के पीछे मंशा है कि प्रत्येक बालक कम से कम एक कौशल को सीखे, जिससे वह राष्ट्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके, साथ ही बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर कौशल विकास द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यहां व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होगा। व्यावसायिक कौशल शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण (Skill Gap Analysis) और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और स्थानीय उद्योगों आदि के साथ संपर्क और सहयोग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

भारत में व्यावसायिक कौशल शिक्षा का सरकारी नीतियों में विकास-

1) बुनियादी शिक्षा योजना (23 अक्टूबर, 1937):- महात्मा गांधी की इस अत्यंत महत्वपूर्ण व बहुमूल्य देन को वर्धा योजना, नयीतालीम, बेसिक शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस योजना में कहा गया कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केन्द्रित हो। अन्य सभी गुणों व योग्यताओं का विकास हो, बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी गई हस्तकला से सम्बंधित है। गांधी जी का मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को तीन H की शिक्षा अर्थात Head, Hand, Heart की शिक्षा दी जाए। शिक्षा उन्हें स्वावलम्बी बनाए और देश को मजबूत बनाने में योगदान दे सके।

2) एबट-वुड रिपोर्ट (1936-37):-इंग्लैंड के दो विद्वानों एबट और वुड ने भी व्यावसायिक कौशल शिक्षा पर जोर दिया। इस रिपोर्ट व गांधी जी बुनियादी शिक्षा योजना के परिणामस्वरूप भारत में पॉलिटेक्निक, कॉमर्शियल, टेक्निकल तथा एग्रीकल्चरल हाईस्कूलों की स्थापना हुई।

3) मुदालियर आयोग (1952-53):-माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक व उत्पादक कुशलता की सिफारिश की। "चरित्र का प्रशिक्षण देना जिससे विद्यार्थी लोकतांत्रिक सामाजिक कार्यकलापो में संरचनात्मक दृष्टि से भाग ले सके।" अर्थात सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने वाली शिक्षा प्रदान की जाए।

4) कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66):-कोठारी शिक्षा आयोग में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्संरचना का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है, शिक्षा उत्पादकता से संबंधित हो और जीवनशैली के विकास में सहायक हो और आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तीव्र करें।

   पूर्व शिक्षा स्तरों (Stage of Education) हेतु निर्धारित शिक्षा उद्देश्यों की निरंतरता (Continuity) बनाए रखकर अकादमिक विषयों के साथ माध्यमिक स्तर पर समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (Socially Productive Work) पर ध्यान दिया जाए। शिक्षार्थी एक या दो उपयोगी व्यवसायों (Trades) से सम्बद्ध, ज्ञान कौशल या उनके उपकरणों व प्रक्रियाओं के उपयोग का विकास करे। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी अपनी रूचि के विषयों अथवा व्यवसायों का अध्ययन कर सके। 10+2+3 संख्या का मुख्य आधार है- व्यावसायिक कौशल शिक्षा। क्योंकि प्रचलित शिक्षा प्रणाली छात्रों को रोजगार नहीं दे रही। उनमें श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न नहीं करती। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कोठारी कमीशन ने शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र विकास निर्धारित किया।

5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968):- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख सिफारिशों में से एक कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बताया गया।

6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986):- इस नीति में स्कूली शिक्षा के माध्यमिक चरण के बाद एक अलग स्ट्रीम के रूप में व्यावसायिक कौशल शिक्षा की शुरूआत करने की सिफारिश की, जबकि इसे ग्रेड आठ के बाद उपलब्ध कराने की गुंजाइश थी। दो महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सामान्य व्यावसायिक कार्यक्रमों को प्रदान करना था। जो कई व्यावसायिक क्षेत्रों में कटौती करते थे और दूसरा-तृतीयक स्तर पर स्कूल स्नातकों के लिए एक उर्ध्वाधर उद्घाटन सुनिश्चित करना था। इस नीति में प्रस्ताव दिया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 1995 तक दस प्रतिशत तक उच्च माध्यमिक छात्रों को वर्ष 2010 तक पांच प्रतिशत को कवर करना चाहिए।

7) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992):-इस संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, बुनियादी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना, अतर अनुशासनिक अनुसंधान करने आदि प्रयास शामिल थे।

8) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020):- यह कस्तूरीरंगन समिति यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इससे पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में इस समिति का गठन किया गया। जिसने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। इस नई शिक्षा नीति में भी पहले की नीतियों की तरह व्यावसायिक कौशल शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक व्यवसाय को चुनने का लक्ष्य दिया गया है, जो स्कूल शिक्षा के मध्य चरण से शुरू होकर उच्च शिक्षा तक रहेगा।

NEP 2020 ने सिफारिश की है कि 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूल तथा उच्च शिक्षा दोनों में व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य दिया जाएगा।

- कक्षा छह से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- 3-8 आयु वर्ग में शिक्षा को बुनियादी शिक्षा माना जाएगा और इसके लिए बाल अनुकूल शिक्षा और पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा।
- व्यावसायिक कौशल शिक्षा को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वॉकेशन सीखेगा। इसलिए कक्षा 6-8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्पों को सुझाया गया यथा बढ़ईगिरी, तकनीकी काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि।
- इन सबके लिए Open and Distance Learning (ODL) की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा और इसके लिए मंत्रालय व्यावसायिक कौशल शिक्षा NCIVE के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा।
- इस नीति में कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSiQP) के पुनरीक्षण की भी सिफारिश की है।

शिक्षा में व्यावसायिक कौशल शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्वः-

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी शिक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्व होता है या यूं कहा जाए कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव होती है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यदि वही शिक्षा जीविकोपार्जन से जुड़ी हो तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निर्माण निश्चित रूप से सुदृढ़ होता है। वर्तमान में सैद्धान्तिक शिक्षा की ओर अत्यधिक रूझान से शिक्षा की गुणवत्ता घटी है, साथ ही अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ी है। यदि सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक या व्यावसायिक कौशल शिक्षा भी प्रदान की जाए तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा को छात्रों के अनुरूप बनाकर जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए।

व्यावसायिक कौशल शिक्षा तथा प्रशिक्षण में चुनौतियांः-

- देश में एक कुशल श्रम बल का सृजन करने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (IITs) की विफलता
- 2017 में प्रकाशित शारदा प्रसाद समिति की रिपोर्ट यह वर्णित करती है कि किस प्रकार निजी प्रशिक्षण भागीदारों ने अल्पावधि पाठ्यक्रमों का दुरूपयोग कर कौशल प्रशिक्षण की उपेक्षा की।
- भारत सरकार की राष्ट्री प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) के दायरे को उच्च शिक्षा संस्थानों तक विस्तृत करने की आवश्यकता है जो कि अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है।
- शिक्षा प्रणाली कौशल परिवेश से पूर्णतः पृथक है। कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में उच्चतर शिक्षा विभाग का योगदान चार प्रतिशत है जबकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का योगदान 58 प्रतिशत है।
- देश में कौशल प्रशिक्षण अब भी विभागीय स्तर पर अव्यवस्थित तथा विखंडित है।
- ऑटोमेशन, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इत्यादि के रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभावों की पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर कृषि छोड़ने वाले ग्रामीण अर्द्धशहरी श्रमिकों के साथ प्रवास को नियंत्रित करना तथा मांग आपूर्ति के अंतराल को कम करना।
- भारत को ब्रिटेन जैसे उदाहरणों से सीखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन का व्यावसायिक कौशल शिक्षा का मॉडल तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा तथा प्रशिक्षण Technical and Vocational Education and Training (TVET) कहलाता है। इसके अंतर्गत नीति वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन के स्तर पर कौशल एवं उच्च शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसमें कौशल की जांच तथा मूल्यांकन करने हेतु नियामक शक्तियां एक गैर मंत्रालयी विभाग को दी गई है।
- शैक्षणिक संस्थानों तथा कॉपरेट उद्योगों के मध्य एक संवादात्मक मंच स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों की अपेक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके।

सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु उठाए गए कदमः-

- स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना DDU-GKY
- जम्मू एवं कश्मीर के लिए उड़ान
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- आत्मनिर्भर भारत
- Skill India
- Made in India

अध्ययन हेतु प्रश्नः-

- व्यावसायिक कौशल शिक्षा का अकादमिक शिक्षा के 6th Standard में प्रारंभ करने हेतु अभिधारको का प्रत्यक्षण क्या हैं?
- विद्यार्थी इस व्यावसायिक कौशल शिक्षा को केवल एक पाठ्यक्रम के जैसे ही ग्रहण करेंगे या भविष्य में उत्पादन हेतु रूचि भी जागृत करेंगे?
- विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल शिक्षा के प्रति क्या प्रत्यक्षण है?
- अकादमिक स्तर के मध्य चरण से ही व्यावसायिक कौशल शिक्षा देना विद्यार्थियों की रूचियों को भविष्य में किस प्रकार प्रभावित करेगा?
- पहले की नीतियों एवं आयोगों की व्यावसायिक कौशल शिक्षा के प्रति सिफारिश के बाद भी खास प्रगति/लक्ष्यों को प्राप्त ना कर सकने के क्या कारण रहे?
- व्यावसायिक कौशल शिक्षा देने के लिए स्कूल स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध हैं?

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्वः-

गांधी जी भारतीय शिक्षा को Beautiful Tree कहा करते थे। इसके पीछे कारण था कि गांधीजी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा था उसमें पाया था कि भारत में शिक्षा सरकारों की बजाय समाज के अधीन है। गांधीजी हमेशा स्वावलंबन पर जोर देते रहे और स्वावलंबन का यह रास्ता विभिन्न कौशलों से होकर गुजरता है। गांधीजी ने कहा था कि हमारे बालकों की पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे वे मेहतन का तिरस्कार करने लगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अनुमान के अनुसार 19-24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5 प्रतिशत से भी कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक कौशल शिक्षा प्राप्त की। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक 96 प्रतिशत जनसंख्या ने औपचारिक व्यावसायिक कौशल शिक्षा प्राप्त की।

व्यावसायिक कौशल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक कौशल शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रापआउट्स पर केंद्रित थी, इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ 11-12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। शैक्षिक प्रवेश मापदण्ड व्यावसायिक कौशल शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किये गये थे। फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्य धारा की शिक्षा या आकस्मिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे।

प्रायः व्यावसायिक कौशल शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुयी है और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक कौशल शिक्षा से संबंधित किये गये प्रावधानों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण जानना अपेक्षित हो जाता है कि क्या अब विद्यार्थियों की व्यावसायिक कौशल शिक्षा के प्रति धारणा किस स्तर तक परिवर्तित होगी। माता-पिता और अध्यापकगण इसके लिए क्या विचार रखते हैं, ये सभी दृष्टिकोण जानने हेतू इस अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

- https://www.iasbooks.com/hindi/education-in-india-essay/feb.11.2020
- http.wikipedia.org/wiki/egkRek xkaèkh dh f'k{kk n'kZuA
- https://doi.org/10.1080/1.3636820.2020.1847566
- Zargar. A.H. and Mutoo. MI- "Creative thinking ability and vocational interests, Journal of psychological Researches", Vol. 37(3)P.P 47-50
- गहलोत राजेश (1988)- "माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूचियों एवं अभिभावकों की उनके संबंध में व्यावसायिक आकांक्षाओं के संबंध का अध्ययन", एम.एड. लघु शोध, जोधपुर विश्वविद्यालय
- गिल रचना (2018)- "उच्च माध्यमिक स्तर के निम्न निस्पत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों व व्यावसायिक अभिरूचि का अध्ययन", टांटिया यूनिवर्सिटी, Ph.d Page no. 97 and 318
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; 16.6 पेज नंबर 70-71
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; 16.1 पेज नंबर 70-71
- जोहाना कोपसेन (2022) ''आदेश और छात्रों को वस्तुओं के रूप में रखने वाले नियोक्ता: स्वीडिश उत्तर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण नीति'' जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वॉल्यूम 74, PP 167.186
- एन्टोनी, एलेना और फ्रान्सेस्का साल्वा (2022)
- विल्डन टस्ली-काराबुलुट (2022) ''क्षमता दृष्टिकोण के लेंस के माध्यम से तुर्की में राज्य के नेतृत्व वाली व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन साझा नहीं'', जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग।
- वाउटर सेन्डेर्स (2021) ''व्यावसायिक शिक्षा और Bildung: शादी या तलाक?'' जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, पब्लिश ऑनलाईन 19.12.2021
- सीमोन मेकग्रिथ (2020) ''अफ्रीकी विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण'' जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, वॉल्यूम 72, इश्यू 4, पेज 465 से 487

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, क्रियान्वयन के दौरान चुनौतियाँ

नीता आर्य

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांशः-

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, न्यायपूर्ण समाज एवं राष्ट्रीय विकास के उत्थान हेतु मूलभूत आधार स्तंभ है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार वेदों में निहित ज्ञान है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान में द्विगुणित अभिवृद्धि के लिए शिक्षाविदों द्वारा षिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किये गये। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सार्वभौमिकता प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण के सन्दर्भ में शिक्षा को राष्ट्र की सतत् प्रगति एवं आर्थिक विकास की कुंजी माना है। भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) मे परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने'' का लक्ष्य है। नई शैक्षिक व्यवस्था में सतत व्यापक शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी व प्रबंधन का प्रयोग वैश्विक परिपेक्ष्य में न्यायपूर्ण सिद्ध होता है। एन.ई.पी. 2020 शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु ऐसा आयोजन है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए सम्पूर्ण पाठ्यचर्या को परिवर्तित करना है।

मुख्य शब्द- एनईपी, 2020 क्रियान्वयन के दौरान चुनौतिया, रणनीतियाँ, दृष्टिकोण, अवसरों का अवलोकन एवं विश्लेषण।

प्रस्तावनाः- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग 1964-66) के सुझाव को अपनाया गया। इसके पश्चात शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु शिक्षा नीति 1986 लागू की जाकर 1992 में आंशिक संशोधन किये गये। चूंकि परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसी क्रम में शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त व सुव्यवस्थित करने हेतु नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्त्व में आई। लगभग 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को प्रतिस्थापित करने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया गया। एन.ई.पी. 2020 ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है। जनवरी 2015, में पूर्व कैबिनेट के तहत समिति सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति हेतु परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की। जून, 2017 में समिति द्वार प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मसौदा तैयार करने के लिए वर्ष 2019 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख श्री के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक सलाहकार मण्डल का गठन किया। (केपीएमजी, एनपीई, 2020) नई शिक्षा नीति (DNEP) 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 484 पृष्ठों का नवीन एनईपी प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप नीति हेतु 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 2 लाख से अधिक सुझाव, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी निकाय व 676 जिलों से सम्मिलित सुझाव प्राप्त किये गये।

एनईपी 2020 में केन्द्रीय स्तर पर सुधार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने, भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित नई प्रणाली बनाने तथा इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा संरचना में संशोधन व सुधारात्मक प्रस्तावों को अंगीकृत करना है। एनईपी में भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोलना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को समाप्त करना, उच्च शिक्षा के तहत नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन (NRF) की स्थापना, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने जैसे व्यापक बदलाव सम्मिलित है। एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं के तहत मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोंसेज का निर्णय, ड्रॉप-आउट को कम करना, कौशल प्रदर्षन, मूल्यांकन समीक्षा व सामान्य मानक प्रणाली विकसित करना प्रमुख लक्ष्य है। जिससे अधिगम के परिणामों की उपलब्धि हेतु समग्र विकास के लिए ज्ञान में अभिवृद्धि से है। अतः एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली को समकालीन तथा भविष्य की आवश्यकताओं की जननी कहना उपर्युक्त प्रतीत होता है।

''शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते है'' - (नेल्सन मंडेला)

प्रमुख एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताः-

- शिक्षा में बहु-अनुशासनात्मक प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न विषय अर्थात् विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य को चुना जा सकता है। अर्थात मल्टीपल एंट्री (Multiple entry) और (Exit system) विद्यार्थियों के लिए नवीन, रचनात्मक एवं सरल प्रतीत होगा।
- नीति में विशेष रूप से जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल।

- नीति में सीखने के प्रक्षेपवक्र का चयन करने के लिए सभी संकाय से विषयों के चयन को महत्व ताकि छात्र अपनी योग्यता और रूचि के अनुरूप विषय का चयन कर सकें।
- 2030 तक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली पर बल।
- बोर्ड परीक्षाओं की मुख्य अवधारणा ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करने के लिए।
- नीति के अनुसार प्रत्येक बालक विद्यालय में कम से कम एक कौशल में निपुण होकर निकलेगा।

एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के दौरान चुनौतियाँ:-

एनईपी 2020 एक ओर तो कई पहलू ऐसे है जो सराहनीय है, वही दूसरी तरफ कुछ बिंदु चिंताजनक है। इससे भविष्य में शिक्षा का व्यवसायिकरण, अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अतार्किक रूप से अत्याधिक जोर, निष्पक्षता व भेदभावपूर्ण जैसी समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान न देना और आवश्यक वित्त पोषण सुनिश्चित करना नीति के क्रियान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतिपूर्ण प्रस्ताव है:-

- निष्पक्षता और गैर-भेदभाव पूर्ण शिक्षा।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता।
- कानूनी/संवैधानिक जटिलता।
- अन्तर-अनुशासनात्मक शिक्षा व्यवस्था।
- डिजिटल कनेक्टिविटी (प्रौद्योगिकी विस्तार)।
- औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था:-
- पाठ्यक्रम और सामग्री।
- महंगी शिक्षा व्यवस्था का प्रसार।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं का विनियमन।
- व्यावसायिकरण।
- निष्पक्षता और गैर-भेदभाव पूर्ण शिक्षा:- एनईपी के प्रारूप में निष्पक्षता और गैर-भेदभाव पूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि साधारण परिवारों में लड़कियाँ औसतन रूप से 9 साल तक ही शिक्षा प्राप्त करती है जबकि निम्न वर्ग के परिवारों में लड़कियों को औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है। संपत्ति पर आधारित सामाजिक, भौगोलिक और संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त कठिन कार्य है। साथ ही शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और भेदभाव की रोकथाम हेतु एक मजबूत शिकायत-निवारण तंत्र को सुविकसित करना महत्वपूर्ण है।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता - नीति को लागू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों व सहायक कर्मियों की तत्काल आवश्यकता होगी। राष्ट्र की भौगोलिक विविधता के साथ-साथ प्रत्येक छात्र की अलग-अलग अधिगम की प्रकृति होती है। इन कठिनाईयों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति करना आसान नहीं होगा। चूंकि एनईपी के अनुसार 2030 तक लगभग 250 लाख विद्यार्थियों को विद्यालय पुर्नस्थापन का लक्ष्य निर्धारित है। इस तरह की छात्र संख्या को अधिगम प्रदान करने हेतु लगभग 7 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत नहीं है।
- कानूनी/संवैधानिक जटिलता - एनईपी 2020 हेतु विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के साथ सुसंगत कर उन्हें विसंकेतन करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि भारत में 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश है। चूंकि प्रत्येक राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें है। संविधान के अनुसार स्कूली शिक्षा राज्यसूची का विषय है एवं शिक्षा नीतियों को लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता राज्यों के पास है। (एंडरसन और लाइटफुट, 2019) जबकि शैक्षिक नीतियाँ केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाती है। अत: नवीन शिक्षा प्रणाली में केन्द्र व राज्य सरकारों की विरोधाभाषी प्रकृति को दर्शाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) एक राष्ट्रीय संगठन है जो संबंधित राज्यों के SCERT द्वारा पालना की जाने वाली शैक्षिक नीतियों, कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम और दिशा-निर्देषों की देखरेख करती है। 04 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू होने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बनाने तक शैक्षिक नीतियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं किया गया था। (गौतम व अन्य, 2016) एनईपी 2020 को लागू करने के लिए कानूनी व संवैधानिक जटिलताओं को दूर करने की आवश्यकता होगी।
- अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षा व्यवस्था- उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 में अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षा पर ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। जो छात्रों के विषय चयन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। किन्तु नीति में विषयों की मांग को पूरा करना आसान काम नहीं हैं वहीं इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अगले एक दशक तक मूलभूत सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अध्ययन के उद्देश्य है:-

1. एनईपी 2020 की भारत में वर्तमान में अपनाई गई नीति से तुलना।
2. एनईपी 2020 में नवाचारों की पहचान।
3. भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी के प्रभावों की भविष्यवाणी।

4. एनईपी 2020 की उच्च शिक्षा नीतियों के गुण पर चर्चा।
5. एनईपी 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन व सुधार के सुझाव।

- डिजिटल कनेक्टिवीटी (प्रौद्योगिकी विस्तार) :- देश में दूरस्थ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विस्तार की आवश्यकता है। क्योंकि ई-लर्निंग भविष्य की कुंजी है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल कनेक्टिवीटी की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। जिसके द्वारा ऑन-लाईन शिक्षण, डिजिटल कक्षा-कक्ष, भौतिक शिक्षण में बुनियादी ढांचे के अतंराल को समाप्त कर शिक्षण उपागम को सुगम बनाना है। किन्तु आज भी गरीब और अमीर परिवारों के बीच की गैर बराबरी के बावजूद एनईपी में डिजिटल माध्यम तक पहुँच को राज्य की जिम्मेदारी न बनाकर परिवारों पर छोड़ दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑन एजुकेशन 2017-18 के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में केवल 15% आबादी तक ही इंटरनेट की व्यवस्था है। ऑक्सफैम इंडिया के एक अध्ययन में 80% से अधिक सरकारी शिक्षकों को ऑन-लाईन शिक्षण में कठिनाई हुई है।
- औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था:- एनईपी 2020 में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा मॉडल लागू करना प्रमुखता है। एनईपी में बीच सत्र में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निरन्तर अध्ययन हेतु नए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना सराहनीय है। किन्तु इन केंद्रो को औपचारिक स्कूली शिक्षा के विकल्प के रूप में पेश करना शिक्षा के अनौपचारिकरण और स्कूल संस्थान के जोखिम को बढ़ाएगा जो संभावित रूप से बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंड़ों से मेल नहीं रखता है। क्योंकि अधिकांश स्कूल छोड़ने वाले बच्चे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समूहों से होते है। इस प्रकार सभी स्तरों पर समावेषी शिडाक्षा प्रक्रिया को अपनाना चुनौतिपूर्ण होगा।
- पाठ्यक्रम और सामग्री - एनईपी 2020 में 10+2 की संरचना से 5+3+3+4 सरंचना करने की योजना, प्री-स्कूली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के दायरे में रखा है। इसका उद्देश्य बच्चों में एक से अधिक भाषा ज्ञान बढ़ाना और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना है। भारत में शिक्षा पर चल रहा कार्यक्रम 'समग्र शिक्षा' को भी एनईपी प्रावधानों के अनुरूप पुनर्गठित किया जा रहा है। इन प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए शिक्षा प्रणाली को बहुभाषा अनुसार संशोधित करना तथा निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया संचालन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित होने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और ओपन-स्कूल व्यवस्था को मजबूत कर इसका विस्तार करने की प्रतिबद्धता अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
- मंहगी शिक्षा व्यवस्था का प्रसार:- नई शिक्षा नीति के तहत वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में आने का मार्ग प्रशस्त किया है। वित्त के दृष्टिकोण से नीति में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 1.7% से बढ़ाकर 6% करने की महत्वाकाक्षा है। किन्तु कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया है कि वित्त की पूर्ति कैसे होगी? शिक्षा में निवेश का एक हिस्सा शिक्षा प्रणाली के सबसे निचले स्तरों तक पहुँचना आवश्यक है। साथ ही परिचालन खर्च के तौर पर मौजूदा प्रणाली के व्यय/लागत के मामले में बड़ी असमानताओं का आंकलन करने के लिए नीति का विष्लेषण करना आवश्यक है।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं का विनियमन- एनईपी 2020 के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा आयोग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल विनियमन होगा। जो अंतत: यूजीसी या एआईसीटीई जैसे मौजूदा वियामक निकायों को बदलने हेतु दीर्घकालीन योजना है। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से संबंद्ध कॉलेजों की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करना है एवं छोटे कॉलेज जो शैक्षणिक रूप से अव्यवहार्य है और आर्थिक रूप से महंगे है, उन्हें बडे उच्च शैक्षिक संस्थान के साथ विलय करना है। पूर्वकालीन व्यवस्था का विनियमन चुनौतिपूर्ण रहेगा।
- शिक्षा का व्यावसायिकरण:- शिक्षा के व्यावसायिकरण की समस्या को हल करने के बजाय एनईपी में शिक्षा के व्यावसायिकरण को सरल बनाने की प्रक्रिया है। एनईपी स्वीकार करती है कि वर्तमान नियामक व्यवस्था निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण रोकने में असफल रही है। फिर भी राज्यों को शिक्षा में ''निजी परोपकार'' को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। यह योजना निजी और परोपकारी निजी स्कूलों के बीच अंतर करती है। क्योंकि यह शिक्षा को लाभार्जन की वस्तु बनाती है। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए अध्ययन में पाया गया कि महामारी के दौरान देश के 40: निजी स्कूलों ने अपनी फीस में बढ़ोतरी की है, जो सीधे तौर पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन को दर्शाती है। इसकी रोकथाम हेतु शिकायत निवारण तंत्र को अधिक मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता होगी।

लक्ष्य और समय-सीमा:- एनईपी 2020 चुनौतियों के साथ लक्ष्यों की समय-सीमा प्रमुख है:-

- नई नीति को समय अनुसार पूर्ण रूप से लागू करना।
- वर्ष 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देष्य बहु-विषयक संस्थान बनाना।
- 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन, ड्राप-ऑउट समाप्त करना।
- शिक्षकों को 2030 तक मूल्यांकन सुधारों/समीक्षा हेतु तैयार करना।
- सार्वजनिक और निजी विद्यालयों में अधिगम के सामान्य मानक विकसित करना।
- ग्रेड 3 तक सभी छात्रों की मूलभूत संख्या और साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करने का मिषन।
- वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना।
- वर्ष 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था।

निष्कर्ष:- एनईपी 2020 मौजूदा शिक्षा प्रणाली में नए संस्थागत आदर्श बदलाव की परिकल्पना को अंगीकृत करती है जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली के अनुकूल प्रतीत होती है। एनईपी 2020 के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर राष्ट्र को बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में परिकल्पित है, कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि जो छात्रों में मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्यों के प्रति देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न

करती है। एनईपी का विजन है छात्रों में भारतीय होने का गर्व केवल विचार से नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। जो मानवाधिकार स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें। एनईपी 2020 में मूल्यांकन प्रणालियों, परामर्शी व्यवस्था एवं समीक्षा ढांचे में शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त बनाया गया है। एनईपी की सफलता का पैमाना यह होगा कि ''यह भारत में प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों में नवीन शिक्षा नीति के तहत सही मायने में पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी''।

Reference

- Anderson, J and Lightfoot, A., The school education system in India: An Overview, British Council of India, New Delhi, July 2019.
- Gautam, M, Singh, S., Fartyal, G., Tiwari, A. & Arya, Kuldeep. Education System in Modern India, International Journal of Scientific Research And Education., 2016.
- Draft National Education Policy 2019, https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov.pdf
- KPMG, Impact of National Education Policy 2020 and Opportunities and Stakeholders, 2020, pp 3 -28
- https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/the-new-education-policy-2020-is-set-to-be-a- landmark-in-indias-history-of-education/
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://ndpublisher.in/admin/issues/TLv11n1e.pdf
- National Sample Survey on education 2017-18
- भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका-वर्ष 41 अंक- जनवरी-जनू 2022,
- मासिक शिविरा पत्रिका, सितम्बर, 2022

ऑनलाइन शिक्षा का युवा वर्ग पर प्रभाव

डॉ० अंकुश शर्मा

अध्यक्ष शिक्षा विभाग, जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर

अनीता स्वर्णकार

शोधार्थी जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर

सारांशः-

कुछ समय से ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार प्रसार काफी तीव्र गति से हो रहा है,एवं यह ऑफलाइन कक्षाएं लेने में असमर्थ लोगों के लिए काफी सुविधाजनक व लाभकारी है। खासकर की कोरोना महामारी के समय इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं परंतु ऑनलाइन शिक्षा के विद्यार्थियों के ऊपर कई विपरीत प्रभाव भी देखने को सामने आए हैं। जैसे- एकांगीपन, उदासीनता, चिड़चिड़ाहट साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी पूर्ण अधिगम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल कार्य इससे संभव नहीं है व शिक्षक के प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने के कारण विद्यार्थियों आत्मानुशासन की जरूरत है, साथ ही शिक्षक विद्यार्थियों में भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं होता इसका असर अधिगम पर पड़ता है संक्षेप में कहे तो ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा से बेहतर नहीं हो सकती।

मुख्य शब्दावलीः युवा वर्ग, ऑनलाइन शिक्षा

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे वह किसी न किसी माध्यम से पूरा करता है। प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी गुरु के पास जाते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। जिसे गुरुकुल व्यवस्था कहा जाता है। धीर-धीरे स्कूल और विश्व विद्यालयों का निर्माण हुआ और विद्यार्थी एक निश्चित समय के लिए विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगे वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षाओं का दौर शुरू हुआ है जिसमें कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है

अर्थ

ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ली जाती है इस प्रकार की कक्षाओं में शिक्षक कंप्यूटर और मोबाइल के ऐप के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की कक्षाओं में संवाद भी संभव होता है जिससे विद्यार्थी अपनी शंकाओं को दूर कर सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है एवं बाद में सुविधा अनुसार इन्हें देखा जा सकता है। कोई तथ्य समझ में ना आने पर इन्हें बार-बार देखा जा सकता है

ऑनलाइन शिक्षा के प्रकार-

1. सिंक्रोनस
2. असिंक्रोनस

1. सिंक्रोनस - इस शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक व विद्यार्थी अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके विषय से संबंधित शंका भी दूर हो जाती हैं। इस कारण इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है इस प्रकार की (ई लर्निंग) ऑनलाइन शिक्षा में कई ऑनलाइन उपकरणों की मदद से छात्रों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण लिए ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव चौट तथा वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि
2. असिंक्रोनस- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक समय में नहीं अर्थात् यहां विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शिक्षक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले से ही उपलब्ध होती है उदाहरण के लिए वेब अध्ययन ब्लॉग वेबसाइट वीडियो ट्यूटोरियल्स ई बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं इस तरह की शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं

ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार

ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत सन् 2000 से ही हो गई परंतु पांच वर्षों से निरंतर बढोतरी हो रही है षिक्षकों के कोचिंग संस्थानों का रूझान और बढा है एवं वे कई ऐप जैसे यूटयूब, जूम, गूगल क्लास, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे है। कोरोना महामारी के फैलने पर जहां पूरा देश लॉकडाउन के कारण बंद था, वही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सभी स्तर के विद्यार्थी जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तर (विश्वविद्यालय) के विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पाये और अभी भी कर रहे है।

ऑनलाइन शिक्षा का युवा वर्ग पर प्रभाव

यह बात पूर्णतया सत्य है, कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अध्ययन प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो गई है। कामकाजी लोग, गृहणी या विकलांग किसी भी कारण से असमर्थ विद्यार्थी के लिए यह किसी वरदान से कम नही है। जैसे- कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन जैसी स्थिति इत्यादि के वजह से ऑफलाइन शिक्षा में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए यह काफी लाभदायक रही।

ऑडिट और मार्केटिंग शीर्ष एजेन्सी केपीएम जी और गूगल ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 2016 से 2021 की अवधि के दौरान भारत में शिक्षा के कारोबार में 8 गुना की अभुतपूर्व वृद्धि आंकी गई है। पर क्या उच्च स्तर के विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पूर्ण अधिगम प्राप्त कर रहे है? क्या उनके व्यक्तित्व पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नही पडता? यह एक सोचने का विषय है। श्री लाल बहादुर षास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक जिला मण्डी के एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर पंकज सोनी द्वारा बीबीएस एवं नर्सिंग कॉलेज के अभ्यार्थियों पर किये गये ऑनलाइन सर्वे में कई तथ्य सामने आये है। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि 90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। सभी को सप्ताह में 15 घण्टे की क्लास प्रदान की गई। अधिकतम विद्यार्थियों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की उचित शिक्षा प्रदान नही कर सकती। इस सर्वे में ऑनलाइन टीचिंग पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गये थे, जिसमें अधिकतम विद्यार्थियों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली क्लासरूम टीचिंग से बेहतर नही है। सर्वे मे यह भी सामने आया कि शिक्षकों ने विद्यार्थी के भविष्य और कीमती समय को ध्यान में रखते हुये इस प्रणाली को अपनाया ओर अपना सर्वोच्च देने की कोशिश की परन्तु प्रेक्टिकल या क्लिनिकल ज्ञान ऑनलाइन टीचिंग से संभव नही। दृष्टि the vision के एक लेख में 'इलेक्ट्रानिक शिक्षा विशेषताऐं और चुनौतियां' में ऑनलाइन शिक्षा के कुछ विपरित प्रभाव विद्यार्थियो पर पढने की शंका जताई गई है।

1. बिना आत्मानुशासन या अच्छी संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड में की जाने वाली पढाई में पिछड सकते है।
2. छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेलापन महसूस करते है, परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीडित हो सकते है।
3. वर्चुअल क्लासरूम में प्रेक्टिकल या लेब वर्क करना मुश्किल होता है।

ऑनलाईन शिक्षा में एक शिक्षक का सभी विद्यार्थियों पर ध्यान रखना व्यवहारिक रूप से संभव नही है एवं विद्यार्थियो के द्वारा आत्मानुशासन का पालन करना अनिवार्य है। विषय को ध्यान से समझने में सुनने के लिए अकेले एक कमरे में रहकर पढना होता है। इससे विद्यार्थियो में एकांगीपन और व्यवहार में नीरसता भी आ सकती है जबकि ऑफलाइन कक्षाओं में विद्यार्थी अपनी सहपाठियों के साथ पढता है एवं शिक्षक भी प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने होता है। शिक्षार्थी और शिक्षक में भावात्मक जुडाव होता है जिससे एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और अधिगम प्रक्रिया मजबूत होती है। इन चीजो का ऑनलाइन कक्षा में अभाव होता है। जिसका असर विद्यार्थियो के अधिगम पर पडता है। अकेले में रहकर कई बार विद्यार्थी चिडचिडा व अन्तर्मुखी बन जाता है और अपने मन की बात भी किसी को नही बताता। अर्थात कई बार उनके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव भी पड सकता है। साथ ही निरन्तर स्क्रीन के सामने रहने से सिरदर्द, आंखे में दर्द, नींद का ठीक से नही आना, चिडचिडापन, एकाग्रता में कमी, उदासीनता जैसी परेषानियां भी विद्यार्थियों में हो सकती है।

निष्कर्ष

अत: यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों मे लगन और पढने का जुनून होना चाहिए, तभी यह एक उच्च स्तर के विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो पायेगी, अन्यथा यदि विद्यार्थी अनुशासन का पालन ना करके कक्षा में उपस्थित होकर भी पूर्णतया उपस्थित नही है तो पूर्ण अधिगम भी संभव नही है। साथ ही एक या दो घंटे की क्लास लेने के बाद विद्यार्थी को कुछ समय परिवार के सदस्यों के साथ बिताना चाहिए। जिससे उसमें किसी तरह की नीरसता, चिडचिडापन उत्पन्न ना हो और अभिभावको को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- डॉक्टर कुमार निरंजन 'कोरोना के चलते वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन षिक्षा एक जरूरत है लेकिन उपयोगीय कक्षीय शिक्षा ही है' www. jagran.com2020
- डॉक्टर सोनी पंकज 'ऑनलाइन शिक्षा क्लासरूम शिक्षा से बेहतर नही' www.Jagran.com2020
- डॉक्टर चंद्रन बाडिया लीना 'कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत और चुनौतिया' Dr. Bissa Gaurav, Dr Sharma Navin 'creativity Aur Sawal poochne ki ki kshamta ko kam kar rahi hai online studies, www.DainikBhaskar.com
- Naik, Girisha Lakshman, et al. "OnlineTeaching and Learning of Higher Education in India during COVID-19 Emergency Lockdown. "*Pedagogical Research* 6.1(2021)
- Thammi-Raju, D.,et al. "Re-Imagining Higher Agricultural Education in India on the Face of Challenges from COVID-19 Pandemic: Strategies for Adapting to the New Normal. "*HIGHER EDUCATION GOING ONLINE : THE CHALLENGES IN INDIA*(2020):99.

एनईपी के सन्दर्भ मे अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का गुणात्मक विकास

भूपेन्द्र सिंह

शोधार्थी, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रस्तावना

आज शिक्षण के क्षेत्र में वही व्यक्ति सामने आ रहे हैं, जो कि अन्य क्षेत्रों से थके एवं निराश हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आदर्शवादी उत्तर देकर भले ही शिक्षक बनने में सफल हो जाते हैं, परन्तु अपने पेशे से निष्ठापूर्वक नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे शिक्षकों को उनके पेशों से निष्ठापूर्वक जोड़ने का दायित्व शिक्षक-प्रशिक्षकों पर आ जाता है। इस कार्य को कुशलता एवं पूर्णता से करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक-प्रशिक्षक व्यावसायिक बनें। अध्यापन के प्रदर्शन को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाए। इस बारे में सभी शिक्षाविदों की राय है कि शिक्षक शिक्षणकला में निपुण, कार्यकुशल, अच्छा ज्ञान एवं नवीन दृष्टिकोण रखने वाला हो। शिक्षक को कार्य-कुशल बनाने के लिए दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। दक्षता का अभिप्राय 'व्यावसायिक योग्यता, जिसमें अर्जित ज्ञान एवं उच्च स्तर की अवधारणा प्रस्तुत करने की योग्यता शामिल है। दक्षता का अर्थ है-छात्रों की 'कार्यकुशलता'। दक्षता का प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि प्रशिक्षित शिक्षक क्रियाशील योग्यताओं या गुणों के द्वारा विकास कर सके। शिक्षक शिक्षण सामान्यत: एक व्यावसायिक कार्यक्रम प्रणाली है, जो प्रमाणीकरण की ओर ले जाता है। इसमें मनोविज्ञान, दर्शन एवं कक्षा प्रबन्धन है। इसके कार्यकलाप शिक्षण विधि; अध्यापन, अभ्यास आदि शिक्षण दक्षता में शामिल है।

हम वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज 'कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के उपरान्त हमने शिक्षा के विभिन्न स्तरों का केवल मात्रात्मक विकास किया है। इसमें गुणात्मक का अभाव ही है। अध्यापक को अपने छात्रों को सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करना होता है इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा के द्वारा भावी अध्यापकों का सर्वांगीण विकास हो सके क्योंकि जब तक अध्यापक का स्वयं का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं कर सकेगा अत: अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

NEP के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा:

1. शिक्षा की दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत करना,
2. राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान करना,
3. विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना,
4. शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना,
5. अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना,
6. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों व तकनीकों का ज्ञान कराना,
7. छात्र निर्देशन व परामर्श की क्षमता विकसित करना,
8. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता विकसित करना,
9. विद्यालय व कक्षा प्रबन्ध के विभिन्न सिद्धान्तों से अवगत कराना,
10. शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना।

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा एक सतत् और जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान-विज्ञान का भण्डार अनन्त है। अत: शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त एक वर्षीय अथवा द्विवर्षीय जीवन भर के लिए पूर्ण न ही कहा जा सकता है। यह सेवापूर्ण प्रशिक्षण शिक्षक को व्यवसाय सम्बन्धी एक दृष्टिकोण और अन्तर्दृष्टिप्रदान करता है। शिक्षक का कार्य है कि वह आज के बालक को भविष्य के लिए तैयार करें। भविष्य अस्पष्ट और परिवर्तनशील है अत: उसके भावी जीवन की तैयारी के लिए शिक्षक को, बालकों को न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान की शिक्षा ही देनी चाहिए बल्कि इस प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं को उत्पन्न करना चाहिए जिससे वह स्वयं ज्ञान का अन्वेषण करने के योग्य बन सकें इस प्रकार शिक्षा देने हेतु परम्परागत ज्ञान व शिक्षण विधियों का सहारा लेने से काम नहीं चल सकता उसे नए-नए विचारों, सम्प्रत्ययों और अभिनव परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ेगा।

NCTE ने सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्यों को संगठित करते हुए कहा है कि प्रशिक्षण इसलिए भी आवश्यक है: -

1 नई भूमिका हेतु शिक्षण तैयार हो सके,

2 शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता और दक्षता में वृद्धि हो सकें,

3 नवीन अन्वेषित शिक्षण कौशलों, अवधारणाओं, सम्प्रत्ययों तथा मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान हो सके,

4 सामयिक वास्तविकताओं के प्रति जागृति लाना,

5 शिक्षा में जन-संचार तत्वों का प्रभावपूर्ण उपयोग

6 सामुदायिक सहयोग के प्रति रुचि विकसित करने में सहायता मिल सके।

पाठ्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु सुझाव (NEP के सन्दर्भ में)

1 'शिक्षक-शिक्षा' की गुणवत्ता हेतु इसे नवीन तकनीकी आधारित किया जाए, क्योंकि जो विधियाँ आज अपनाई जा रही हैं वे पुरानी पड़ गयी हैं और ये वास्तविक जीवन से सम्बन्धित नहीं रह गयी है।

2 'शिक्षक शिक्षा' को निरन्तर नवीन तकनीकियों से अवगत कराने हेतु आज जॉब ट्रेनिंग की दिशा दी जानी चाहिए। तभी ये वैश्वीकरण के युग में उपयोगी रह पाएगी।

3 नवीन सूचना तकनीकी जो ज्ञान को ऑनलाईन स्थापित करके इसे नवीन अनुसंधानों से जोड़ने को अग्रसर किया है। अत: 'शिक्षक शिक्षा' की उपयोगिता इस दिशा में अधिक बढ़ गयी है।

4 नवीन पाठ्यक्रमों को अपनाकर भी इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

5 शैक्षिक प्रबन्धन की नई दिशा हेतु इसके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। अत: यदि 'शिक्षक-शिक्षा' की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसके प्रबन्धन में भी नवीन विचारों का समावेश करना होगा। इससे नवीन पद्धतियों एवं ज्ञान का तो विस्तार होगा ही, साथ-साथ समाजोपयोगी पाठ्क्रम भी प्राप्त होगा।

6 उच्च स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेश कर प्रवेश किया जाये।

7 भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद एवं प्रकाशन किया जाए।

8 अन्तर्राष्ट्रीय बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास के सापेक्ष 'अध्यापक शिक्षा' का विकास किया जाए।

आज सूचना की भूख बढ़ती जा रही है। आज के बदलते परिवेश में अधिक जिज्ञासु प्रशिक्षणार्थ उनके परिजन, समाज, नीति नियंता अध्यापक शिक्षा से अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं। यह अपेक्षा 'अध्यापक शिक्षा' को गुणवत्ता सुधार एवं व्यावसायिक विकास के लिए प्रेरित करती है। 'शिक्षक-प्रशिक्षक' अपने कार्य में तब तक न्याय नहीं कर सकते, जब तक वे व्यावसायिक न हों। व्यावसायिक विकास से सम्बन्धित शोध कार्यों से उन गुणों एवं सिद्धान्तों का पता चलता है, जो इसे बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं। प्रभावी व्यावसायिक विकास के लिए समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्रयोगों को करने, जोखिम उठाने का साहस, अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता के द्वारा व्यावसायिक विकास हो सकता है। इनके द्वारा शिक्षक प्रशिक्षक अपना समालोचनात्मक मूल्यांकन करके अपने में अपेक्षित परिवर्तन करके अपना व्यावसायिक विकास कर सकता है।

स्वमूल्यांकन प्रदत्त सेमीनार, कार्यशाला, संगोष्ठियों इत्यादि में भागीदारी शोध-पत्रों तथा विचारोत्तेजक व खोजपूर्ण लेखों, सेवाकालीन प्रशिक्षणों, व्यावसायिक तथा अकादमिक संस्थाओं की सदस्यता, संवाद वार्ताओं आदि के द्वारा भी 'शिक्षक-प्रशिक्षक' अपना व्यावसायिक विकास कर सकता है।

समग्र व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है कि इसकी नींव सेवा पूर्व शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही डाल देनी चाहिए। कक्षाओं में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो व्यावसायिक विकास में सहायक हो, शिक्षक-प्रशिक्षक बनने के पश्चात् अध्यापक शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम का मूल्यांकन कर उसे समृद्ध कर व्यावसायिक विकास गतिविधियों की चर्चा कर एवं ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर अपना तथा साथियों का व्यावसायिक विकास किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यावसायिक विकास परिवर्तनों को बढ़ावा देता है और व्यक्ति अथवा संस्था दोनों को ही परिवर्तन को सहजता से आत्मसात् करने में कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए आवश्यक है कि संरचना को इस तरह विकसित की जाए, जिससे प्रारम्भ से ही व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिले। व्यावसायिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे प्रशिक्षण संस्थान से ही आरम्भ कर देना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा इसे कौशल/दक्षता आधारित बनाने के लिए कठोर परिश्रम तथा समर्पण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिनवीकरण इस प्रकार किया जाए कि प्रभावशाली तथा कुशल अध्यापक पैदा हो सकें। आज ज्ञान का विस्फोट हो चुका है तथा जनसंचार माध्यमों का चरम विकास हो चुका है। शिक्षक को प्रभावशाली बनने के लिए ज्ञान तथा चेतना की पराकाष्ठा पर जीना होगा।

एक कुशल शिक्षक वह नहीं है, जो ज्ञान की विशेष शाखा का विशेषण होता है, बल्कि एक कुशल शिक्षक वह होता है, जो ज्ञान की सभी शाखाओं से परिचित होता है और छात्र की जिज्ञासाओं को शान्त करने में सक्षम होता है। आज के परिवेश में सभी 'शिक्षक-शिक्षा' संस्थानों को ऐसे ही कौशल/दक्षता सम्पन्न शिक्षक तैयार करने का प्रयास करना है, तभी देश, समाज और विश्व का कल्याण सम्भव है।

सन्दर्भ

- शर्मा, आर.एण् दृ अध्यापक शिक्षाए लायल बुक डिपोए मेरठ।
- एन. सी. ई.आर.टी.- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- राजपूत जगमोहन सिंह. पाठ्यक्रम परिवर्तन के आयाम, एन.सी.ई.आर.टी.
- माथुर एसण् एसण. शिक्षण कलाए शिक्षण तकनीकि की नवीन पद्धतियाँ।
- अग्रवाल जे.सी. -राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

अधिगम प्रतिफल के सन्दर्भ में विद्यालय वातावरण एवं वैज्ञानिक सृजनशीलता विकास की भूमिका

ममता शर्मा

शोधार्थी, पी-एच.डी. (2021-22) जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

डॉ० गिरिराज भोजक

सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

सारांश

अधिगम प्रतिफल एक नया प्रत्यय है जिसके आधार पर शिक्षण कार्य की सफलता की जाँच की जाती है। वास्तव में शिक्षण अधिगम के पश्चात बालक ज्ञानोपयोग का व्यवहारिक जीवन में कितना प्रयोग करता है। अधिगम प्रतिफल दस्तावेज एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 2017 में लागू किया गया एक नया दस्तावेज है। अधिगम प्रतिफल पर विद्यालय वातावरण एवं वैज्ञानिक सृजनशीलता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है और फिर वह जीवन पर्यन्त जाने-अनजाने कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जैसे एक बच्चा जलती हुई लौ को छूने से जल जाता है। यह अनुभव होता है लेकिन दूसरी बार वह कभी जलती हुई लौ को छूने का प्रयास नही करता। यहाँ जलने के बाद पीड़ा उत्पन्न होने से बालक ने यह सीख लिया कि जलती हुई लौ या गर्म चीजों को हाथ नही लगाना चाहिए।

मनुष्य प्रतिदिन विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है, इन परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए अथवा लाभ उठाने के लिए कुछ अनुक्रिया करता है, इस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य इस प्रकार निरंतर नवीन परिस्थितियों का सामना करता है और इससे अनुभव प्राप्त करता है, इस प्रकार की नई परिस्थितियों के प्रति की गई अनुक्रिया के प्रतिफल में प्राप्त अनुभव है- सीखना या अधिगम। इस अधिगम को सीखने वाले की वैज्ञानिक सृजनशीलता किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती है।

मुख्य शब्दः अधिगम प्रतिफल, विद्यालय वातावरण, वैज्ञानिक सृजनशीलता, समायोजन, प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, गुणवत्ता, निःशुल्क, वैश्विक।

भूमिकाः वैज्ञानिक खोजों को व्यवहारिक रूप देने से हमारी सभ्यता में लगातार परिवर्तन आ रहे है। हमारी सभ्यता का भौतिक क्षेत्र मूल रूप विज्ञान की उन्नति पर निर्भर है। विज्ञान का अध्ययन जीवन में क्रमबद्धता लाता है तथा मानव कार्य को सही व वैज्ञानिक रूप से क्रियात्मक बनाता है। विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में कई गुण विकसित होते है, जैसे- सृजनात्मकता, नेतृत्व, खोजना क्रमबद्ध रूप से कार्य करना, क्यों और कैसे प्रश्नों को हल करने की योग्यता विकसित होती है।

विज्ञान के महत्व को समझ कर इसके विकास के लिए विश्व की कई संस्थाओ ने प्रयास किये जिनमें प्रमुख रूप से अमेरिकी संघ ने 1958 में विज्ञान संसद बुलाई जिसमें विचार व्यक्त किया गया कि-हमारा विश्वास है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का बौद्धिक विकास करना है। हमारे समाज में इसके बढ़ते महत्व को देखते हुए साधारण ज्ञान में विज्ञान का महत्व बढ़ गया है हमारा विश्वास है कि विज्ञान लोगों के बौद्धिक विकास का अच्छा साधन है और वर्तमान समय में सामाजिक और मानव शास्त्र तथा भौतिक विज्ञान का प्रोत्साहन देना आवश्यक है। विज्ञान की आवश्यकता व महत्व को देखते हुए भारतीय लोकसभा तथा विज्ञान समिति ने विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन 1962 के आरम्भ में शुरू कर दिया। जिससे यह पता चले की तृतीय पंचवर्षीय योजना की नीतियों के कारण प्राथमिक, माध्यमिक, हाई तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा की दशा क्या है? इसके लिए शिक्षा आयोग 1962 का गठन किया गया। आयोग ने डॉ. दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व मे अध्ययन किया तथा विज्ञान शिक्षा के संबंध में सुझाव दिये।

कोठारी आयोग ने कहा- "राष्ट्र की प्रगति, कल्याण एवं सुरक्षा विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान में शिक्षा और अनुसंधान की गुणात्मकता एवं विस्तार में द्रूत, सुनियोजित और संधृत वृद्धि पर क्रान्तिक रूप से निर्भर है।"

कोठारी आयोग की विज्ञान शिक्षा के संबंध में सिफारिशें-

- आगामी 10 वर्षों से विज्ञान तथा गणित पढने वालों की संख्या में बहुमुखी वृद्धि हो।
- क्षेत्रीय मतभेद तथा विचारों को स्थान न दिया जाये।

- स्नातक व अधिनस्थ स्तर पर पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय में संशोधन हो।
- प्रयोग तथा सिद्धान्त में संतुलन हो।
- हर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रयोगशाला पूरे साधनों से युक्त हो।
- डाक द्वारा शिक्षण तथा सायं कालीन शिक्षा की व्यवस्था हो।
- विज्ञान तथा गणित में "एडवान्स स्टेडी इन साइंस एण्ड मैथेमेटिक्स सेंटर्स" की स्थापना हो।
- यू.जी.सी. राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समितियों का निर्माण करे जो अतिथि अध्यापकों को आमन्त्रण दे।
- विज्ञान के विद्यार्थियों को आधार भूत सिद्धान्तों जैसे भूल के सिद्धान्त प्राथमिक सांख्यिकी तथा ग्राफ आदि का ज्ञान होना चाहिए।
- अन्तिम परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा न हो। सत्र के मध्य किये गये प्रयोग तथा कक्षा के रिकॉर्ड के आधार पर ही प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाए।
- जीव-विज्ञान विभागों में भौतिक विज्ञान के अध्यापक हो।
- विशेष कार्य के लिये एक वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार हो।
- सांयकालीन कक्षाओं में औद्योगिक कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाए।

उपरोक्त सुझावों को अमल में लाते हुए सरकार ने शिक्षा के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किये।

उच्च प्राथामिक स्तर पर अलग से विज्ञान गणित विषय को पढ़ाया जाने लगा तथा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग से विज्ञान संकाय का गठन किया गया जिससे गणित व जीव-विज्ञान दो उपविभागों में बाँटा गया। जिससे छात्रों में विभिन्न गुणों का विकास हुआ तथा देश की प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन मिला तथा नई राह सुलभ हो सकी। देश में भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा शिल्पी तैयार होने लगे। भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों तथा शिल्पियों ने अपनी प्रतिभा का सृजनशीलता के आधार पर देश की अलग ही छवि स्थापित कर दी।

अधिगम एक प्रतिक्रिया है क्योंकि मनुष्य निरंतर अधिगम की प्रक्रिया करता रहता है। अधिगम का अर्थ व्यापक है और इस अर्थ में व्यक्ति जीवन पर्यन्त पर्यावरण के विभिन्न स्थानों पर जो अनुभव करता है उसे सीखना या अधिगम कहा जाता है।

अधिगम का अर्थ- अधिगम शब्द अधिगम प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में अधिगम सीखने वाले के अनुभवों, उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप में अधिगम व्यवहार परिवर्तनों का उल्लेख करता है। यह व्यवहार परिवर्तन स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते है।

अधिगम का अर्थ है, सीखना या व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होता है।

1. गेट्स के अनुसार- "अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते है।"
2. ई. आर. हिलगार्ड के अनुसार- "सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नयी क्रिया का जन्म होता है या सामने आयी हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है"
3. पील महोदय के अनुसार- "सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है।"
4. गार्डनर मर्फी के शब्दों में- "सीखने शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है।"

वर्तमान समय में अधिगम से संबंधित एक नया सम्प्रत्यय अधिगम के प्रतिफल शिक्षा की गुणवत्ता के रूप में प्रचलित है। जब भी कोई शिक्षक कक्षा-कक्ष में प्रवेश करता है तो बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षक के मस्तिष्क में अनेक उद्देश्य निहित होते है। जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है और एक वांछित परिवर्तन के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है तथा अधिगम के पश्चात् बालक में एक विशिष्ट कौशल या योग्यता एवं निपुणता ही अधिगम प्रतिफल कहलाता है।

विगत तीन दशकों में सभी के लिए शिक्षा (इ.एफ.ए.) पर साहित्य ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया है। इस पर नामांकन, ठहराव और उपलब्धि की दृष्टि से विचार किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की वांछनीय विशेषताओं, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक सुविधाओं, सीखने-सिखाने की सामग्री, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा सीखने के प्रतिफलों को भी सम्मिलित किया गया। सर्वशिक्षा अभियान तथा नि:शुल्क शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा विकसित सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों में गुणवत्ता को प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है कि सभी बच्चों को सीखनें के मूलभूत अवसर उपलब्ध हो, साथ ही वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक सभी हस्तांतरणीय कौशल अर्जित करने के अवसर मिले। यह उन लक्ष्यों को नियत करने की मांग करता है, जो स्पष्ट तथा मापने योग्य हो। अत: शिक्षा प्रणाली के भीतर राष्ट्रीय एवं राज्य शैक्षिक निकायों को सूचित किया जाना आवश्यक है कि प्रशासकों योजनाकारों और नीति-निर्माताओं द्वारा लिए गये निर्णयों पर व्यवस्था कितने सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण इसी दिशा में की गई पहल है। इसके अतिरिक्त, शाला एवं सामुदायिक स्तर पर के विभिन्न साझेदार भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में बुनियादी अधिगम (सीखना) और साथ ही गुणवत्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के नियमित आकलन पर जोर दिया जाता है।

यह सतत् विकास के लक्ष्य तथा ग्लोबल मोनिटरिंग रिपोर्ट 2015 की सिफारिशों के भी अनुरूप है। इस प्रकार से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के माध्यम से गुणवत्ता पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर शामिल साझेदार जैसे अभिभावक और समुदाय के लोग सतर्क रहे। साझेदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया से व्यवस्था अवगत होती है और साझेदारों के प्रति उत्तरदायी बनती है। इसके आधार पर व्यवस्था में सुधार के लिए उचित कदम बढ़ाये जा सकते है। अक्सर शिक्षकों में इस बात की स्पष्टता नहीं होती है कि किस प्रकार का सीखना आवश्यक है तथा वे कौन से मापदण्ड है जिन से मापा जा सकता है। वे पाठ्यपुस्तक को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अंत में दिए गये प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करते है। पाठ्य सामग्री में सदंर्भानुसार भिन्नताएँ और अपनाई गई शिक्षण तकनीक में विविधता पर सामान्यतया ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इनके आकलन की कोई कसौटी नहीं है। प्रत्येक कक्षा में सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को केवल शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में ही सहायक नहीं है, बल्कि अन्य साझेदारों जैसे- संरक्षक, माता-पिता, विद्यालय प्रंबंध समिति के सदस्यों, समुदाय तथा राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को गुणत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सर्तक और जिम्मेदार भी बनाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए और दिशा निर्देश दे सकता है ताकि विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरन्तर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए। जिसमें समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए, जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। उच्चत्तर गुणवत्ता वाली शिक्षण विद्या छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष- अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम अध्यापन, निरन्तर मूल्यांकन और छात्रों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला है। इन आवश्यक बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढ़ाँचा, संसाधन (जैसे- बेहतरीन पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, प्रौद्योगिकी, खेल/मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान और भोजन के लिए स्थान) आदि प्रदान करने के साथ-साथ इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी जिससे सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- शर्मा, आर. ए. (2008): "शिक्षा मनोविज्ञान के आधार", इन्टर नेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
- भटनागर सुरेश, गुप्ता महिमा एवं सिंह के. पी. (2014): "शिक्षा मनोविज्ञान", आर. लाल बुक डिपो
- माथुर, एस.एस. (2008): "शिक्षा मनोविज्ञान", अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
- भटनागर सुरेश, गुप्ता महिमा एवं सिंह के. पी. (2014) "शिक्षा मनोविज्ञान", आर. लाल बुक डिपो, पृष्ठ संख्या-266
- सीखने के प्रतिफल (2017): नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- शर्मा संतोष (2014): ''शिक्षण और अधिगम की सृजनात्मक पद्धतियाँ'', नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० भावेश कुमार सिंहवाल

सहायक आचार्य, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर (राजस्थान)

मिनाक्षी जान्दु

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध सारांश

शिक्षा मानव के आन्तरिक गुणों के विकास में सहायक सिद्ध होती है शिक्षित व्यक्ति दूसरे की प्रकृतिगण आदत तथा व्यक्तित्व को भली-भाँति समझता है तथा उसके अनुकूल व्यवहार करता है। इस शोध समस्या में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना है इस समस्या में विज्ञान व कला वर्ग की छात्राओं को शामिल किया गया हैं। शोध का प्रमुख उद्देश्य सहशिक्षा एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत अनुसंधान के लिए विवरणात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है। शोध में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले का जनसंख्या के लिए चयन किया गया हैं। न्यादर्ष के लिए शोधार्थी ने 400 बालिकाओं का चयन सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों से किया हैं। शोध में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी टेस्ट को सांख्यिकी में प्रयोग किया गया हैं। शोध के उपकरण में ए.के. सिंह एवं कलपना सेनगुप्ता द्वारा निर्मित Mentel Health Battery का प्रयोग किया गया हैं। प्रदत्तों के निष्कर्ष निकालने पर यह तथ्य सामने आये कि सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य गैर सरकारी बालिकाओं की तुलना में निम्न स्तर का पाया गया। सरकारी सह शिक्षा एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य उच्च स्तर का पाया जाता हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा बालिकाओं एवं एकल बालिका विद्यालय की बालिकाओं में से सह षिक्षा के बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य उच्च स्तर का पाया गया हैं।

कुंजी शब्दः मानसिक स्वास्थ्य सह शिक्षा, एकल बालिका विद्यालय, उच्च माध्यमिक स्तर

प्रस्तावनाः-

शिक्षा के अतीत से वर्तमान तक जब हम सम्पूर्ण परिदृष्य को दृष्टिगत करते हैं तो यह तथ्य सामने आता हैं प्राचीन शिक्षा अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक प्रमुख स्त्रोत थी।

विद्याविहीनः पशुः समानः। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें बालिक व बालिकाओं को एक ही पाठ्यक्रम एक ही विधि से पढाया जाता है बालक व बालिकाओं को एक ही कक्षा कक्ष में समायोजित करने, विभिन्न स्कूलों में एक दूसरे के सम्पर्क में आने के साथ-साथ सभी प्रकार की गतिविधियॉ भी साझा की जाती है। यहाँ विद्यालय में छात्र व छात्राओं को एक ही शिक्षण व्यवस्था व प्रशासन मे शिक्षा ग्रहण करनी होती है। बालक-बालिका अपने वातावरण में समायोजन सीखते ही रहते है, प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से सीखता रहता है यह सीखने व सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। किन्तु इसके लिए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। षिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता हैं।

मानसिक स्वास्थ्य

सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य का आशय व्यक्ति में मानसिक विकृतियों की अनुपस्थिति से हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध मनुष्य की मनोदशाओं से होता है। मन के प्रसन्न रहने को या स्वस्थ्य रहने को सामान्य भाषा में मानसिक स्वास्थ्य कहते है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक, संवेदनात्मक, नैतिक,

आध्यात्मिक व सामाजिक स्वास्थ्य का संयुक्त परिणाम है। समायोजन की प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं- व्यक्तिगत व सामाजिक। व्यक्तिगत पक्ष का अभिप्राय: व्यक्ति का आन्तरिक रूप से समायोजित होना होता है। समायोजन, सकारात्मकता, द्वंद्वों से मुक्ति, अनुकूलन आदि पक्ष व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य में आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की पहचान समयोजन व प्रसन्नता से होती हैं। सामाजिक पक्ष का तात्पर्य सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को समायोजित क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रत्यय एक मानसिक दशा है। जिसमें लोग दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उचित प्रकार से निभाते हैं। विलियम स्वीटजर पहले व्यक्ति थे जिन्होनें मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। जॉन्स, सुटन तथा वेबस्टर (1978) के अनुसार ''मानसिक स्वास्थ्य जीवन का एक सकारात्मक परन्तु सापेक्षिक गुण है। यह वह दषा है, तो ऐसे औसत व्यक्ति की विशेषता होती है, जो अपने सामर्थ्य तथा सीमाओं के आधार पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।"

समस्या का औचित्य

शोधकर्त्री द्वारा सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन करने पर देखा गया कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर जीवन कौशलों पर, आत्मविश्वास व समायोजन पर बहुत शोध कार्य किये जा चुके हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत अधिक हो चुके है किशोर बालिकाओं के सम्बन्ध में भी शोधकर्ता द्वारा कार्य किया गया हैं। अवलोकन में शोधकर्त्री ने यह पाया कि सह शिक्षा व बालिका शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुये हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य पर अवलोकन करते हुये भी शोधकर्त्री को यह समस्या निष्कर्ष निकालने योग्य लगी। सामाजिक मापदण्ड़ों में भी यह देखा जाता है कि बालिका की शिक्षा पर विचार करते समय सह शिक्षा व बालिका शिक्षा के विषय में विचार किया जाता हैं। मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान में सफलता का एक आवश्यक तत्व माना जाता हैं यदि विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य सही हैं तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री मानसिक स्वास्थ्य की तुलना दोनों प्रकार के विद्यालयों में देखती हैं। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन में पता चलता है कि बालिका विद्यालय व सह शिक्षा विद्यालय में मिलने वाले परिवेश जो कि निर्मित विभिन्नताएं लिये होते है तथा अवसर भी अलग अलग होते हैं। बालिका विद्यालय व सह शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन यह शोध प्रस्तुत करता हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य -

1. उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं एकल बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं एकल बालिका विद्यालय में अध्ययनरत कला वर्ग के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के सह शिक्षा विद्यालय एवं एकल बालिका विद्यालय में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ-

- उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- उच्च माध्यमिक स्तर के सहशिक्षा विद्यालयों एवं बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं गैर-सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमन

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं को शामिल किया जाता है।
- प्रस्तुत शोध मे जयपुर जिले के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयो की छात्राओं को ही शामिल किया गया है।
- प्रस्तुत शोध मे सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय की छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य, से सम्बन्धित अध्ययन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन मे सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के केवल 400 छात्राओं को न्यादर्ष के रूप में चयन किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन मे केवल विज्ञान व कला वर्ग की छात्राओं को शामिल किया गया है।
- प्रस्तुत शोध मे केवल सह शिक्षा व एकल बालिका विद्यालय मे अध्ययनरत छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध विधि:-

वर्तमान परिस्थितियों के लिए विस्तृत विवरण एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण पद्वति बहुत उपयोगी है। यह विधि वर्तमान स्थिति की प्रकृति का स्थूल रूप से वर्णन करते हुए समस्या से सम्बन्धित प्रष्नों का उत्तर देने में सर्वाधिक सक्षम है।

जनसंख्या एव न्यादर्श:-

जनसंख्या और साधारण प्रस्तुत शोध कार्य हेतु जनसंख्या बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि इसी जनसंख्या से तथ्यों व प्रदतों का संकलन किया जाता है। सांख्यिकी अनुसंधान में विषिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले का जनसंख्या के लिए चयन किया गया है।

न्यादर्श:- वर्तमान अध्ययन में जयपुर जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत 400 बालिकाओं का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी:-

शोध में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी-टैस्ट का प्रयोग किया गया है।

शोध के उपकरण:-

A.K. Singh & Alpna Sengupta द्वारा निर्मित Mentel health Battery का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

परिकल्पना 1- उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-1

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (x)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मान (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
सरकारी विद्यालय की बालिकाएँ	200	78.37	10.77	6.85	अस्वीकृत
गैर–सरकारी विद्यालय की बालिकाएँ	200	84.75	10.48		

0.05 स्तर पर टी का मान = 1.97 स्वतंत्रता के अंश = 398

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.59

तालिका संख्या 1- के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 78.37 मानक विचलन 10.77 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 84.75 मानक विचलन 10.48 है तथा दोनों समूह के टी-मान का मान 6.85 प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता के अंश 398 के 0.05 एवं 0.01 स्तर के तालिका मान 1.97 एवं 2.59 से अधिक हैं। अत: हमारी परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", दोनों स्तर पर अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना 2- उच्च माध्यमिक स्तर के सहशिक्षा विद्यालयों एवं बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-2

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (x)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मान (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
सहशिक्षा विद्यालय की बालिकाएँ	200	84.22	9.57	4.93	अस्वीकृत
बालिका विद्यालय की बालिकाएँ	200	78.90	11.85		

0.05 स्तर पर टी का मान = 1.97 स्वतंत्रता के अंश = 398

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.59

तालिका संख्या 2- के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर के सहशिक्षा विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 84.22 मानक विचलन 9.57 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 78.90 मानक विचलन 11. 85 है तथा दोनों समूह के टी-मान का मान 4.93 प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता के अंश 398 के 0.05 एवं 0.01 स्तर के तालिका मान 1.97 एवं 2.59 से अधिक हैं। अत: हमारी परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के सहशिक्षा विद्यालयों एवं बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", दोनों स्तर पर अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना 3- उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-3

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (x)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मान (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
सरकारी सहशिक्षा विद्यालय की बालिकाएँ	100	81.23	8.21	3.89	अस्वीकृत
सरकारी बालिका विद्यालय की बालिकाएँ	100	75.51	12.21		

0.05 स्तर पर टी का मान = 1.97 स्वतंत्रता के अंश = 198

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.60

तालिका संख्या 3- के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 81.23 मानक विचलन 8.21 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 75. 51 मानक विचलन 12.21 है तथा दोनों समूह के टी-मान का मान 3.89 प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता के अंश 198 के 0.05 एवं 0.01 स्तर के तालिका मान 1.97 एवं 2.60 से अधिक हैं। अत: हमारी परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", दोनों स्तर पर अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना 4- उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं गैर-सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-4

समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (x)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मान (t)	स्वीकृत / अस्वीकृत
गैर–सरकारी सहशिक्षा विद्यालय की बालिकाएँ	100	87.20	9.90	3.39	अस्वीकृत
गैर–सरकारी बालिका विद्यालय की बालिकाएँ	100	82.29	10.49		

0.05 स्तर पर टी का मान = 1.97 स्वतंत्रता के अंश = 198

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.60

तालिका संख्या 4- के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 87.20 मानक विचलन 9.90 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 82.29 मानक विचलन 10.49 है तथा दोनों समूह के टी-मान का मान 3.39 प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता के अंश 198 के 0.05 एवं 0.01 स्तर के तालिका

मान 1.97 एवं 2.60 से अधिक हैं। अतः हमारी परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों एवं सरकारी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", दोनों स्तर पर अस्वीकृत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Pathak, P.D. Educational Psychology Agarwal Publications Agra ISBN -978-93-80011-85-1
- Tripathi, Pritima, Gender, School and Society Agarwal Publications Agra ISBN -978-93-85872-29-7
- Gupta, Dr. Omwati and sexsena, Dr Swati Development of Indian Education Sahitya Prakashan Agra
- Harbard, L. R. Self Analysis workbook New ERA Publication International APS Glortrup, Denmark ISBN – 978-87-649-1785-7
- Good, C.V. 1959 Dictionary of education New york Mcgrawhill
- World health organization 1948 Cited in educational Psychology by S.S. Mathur Agra.Vinod Pustak Mandir.

Websites –

- www. agarwalpublication.com
- www.about.com 2006 july 25 what is mental health Retrieved june 2007
- http://mentalhealth.about.com/cs/stressmangment//a/ what is mentel health
- www.cbse.nic.in
- http://hdl.handle.net/10603/40961
- www.unicef.org/research and report
- www.unicef.org/education/girls education
- http://dx.doi.org/10.21/72/ijict.103.02
- international journal of innovational
- www.eresearch.co.in
- *en.wikipedia.org* ›
- http://hdl.handle.net/10603/198068
- http://hdl.handle.net/10603/198068
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_education_journals

विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन

मंजू सैनी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० रेणु शर्मा

शोध पर्यवेक्षक, केशव विद्यापीठ जामड़ोली, जयपुर

सारांश

बच्चों का संवेगात्मक वातावरण, उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और निश्चित पदार्थो, व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और विकसित होता है, उसके अनुभव तथा ज्ञान की सीमा विस्तृ त होती हो जाती है, उसकी अन्योन्यक्रिया बढ़ती जाती है तथा उसे प्रभावति करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अपने माता-पिता, मित्र, भाई-बहन, शिक्षक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उसके पारस्परिक संबंध् और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं के द्वारा ही बच्चा प्रमुख रूप से निर्देशित होता है।

प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय-समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना क्षोभ आदि का अनुभव करता है. इन्हें संवेग कहते हैं। मानव जीवन में संवेगो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को संवेगों के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की प्रेरणा तथा शाक्ति मिलती है। संवेगों के उदय होने पर व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है तथा वह ऐसे-ऐसे कार्य कर दिखाता है जो सामान्य स्थिति में उसके लिए सम्भव प्रतीत नहीं होते हैं। भय की स्थिति में व्यक्ति कभी-कभी ऊँचे-नीचे गड्ढों तथा नालों को लाँघ जाता है। क्रोध की स्थिति में कभी-कभी व्यक्ति अपने से शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर देता है। संवेगों का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से होता है। सुखद वस्तु को देखकर प्रसन्न होना, डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, इच्छा के विपरीत कार्य होने पर क्रोधित होना, खराब वस्तु को देखकर घृणा आना तथा दूसरों को अभावग्रस्त देखकर दया आना आदि संवेगात्मक स्थिति के कुछ उदाहरण है। संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग वास्तव में मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। संवेगात्मक स्थिति में वुद्धि व विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश नहीं रह जाता है तथा उसे उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता है। एक ओर जहाँ संवेगों की सहायता से व्यक्ति साहसिक तथा प्रशंसनीय कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर संवेगों के वशीभूत होकर वह पशुवत निंदनीय व्यवहार कर जाता है। क्रोध में व्यक्ति माता-पिता अथवा अध्यापकों के साथ अभद्र व्यवहार कर जाता है। काम वासना के वशीभूत होकर व्यक्ति नीच कार्य कर बैठता है। संवेग वास्तव में व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा उस उत्तेजना में व्यक्ति प्रशंसनीय तथा निंदनीय दोनो ही प्रकार के कार्य करता है। संवेग मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है

विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

- थकान - अत्यधिक थकान बालक के संवेगात्मक विकास व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो एवं क्रो का मत है कि- "जब बालक थका हुआ होता है, तब उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है।"
- स्वास्थ्य - क्रो एवं क्रो के शब्दों में- "बालक के स्वास्थ्य की दशा का उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।" अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में अधिक अस्थिरता होती है।
- मानसिक योग्यता - अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का संवेगात्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। वे भविष्य के सुखों और दु:खों, भयों और आपत्तियों को अनुभव कर सकते हैं। हरलॉक का कथन है- "साधारणतया निम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है।"
- अभिलाशा - माता-पिता को अपने बालक से बड़ी-बड़ी आशायें होती हैं। स्वयं बालक में कोई न कोई अभिलाषा होती है। यदि उसकी अभिलाशा पूर्ण नहीं होती है, तो वह निराशा के सागर में डुबकियाँ लगाने लगता है। साथ ही, उसे अपने भग्नाशा माता-पिता की कटु आलोचना सुननी पड़ती

है। ऐसी स्थिति में उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। कारमाइकेल का कथन है- "कोई भी बात जो बालक के आत्म-विश्वास को कम करती है, या उसके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाती है या उसके कार्य में बाधा उपस्थित करती है या उसके द्वारा महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, उसकी चिन्तित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती हैं।"

- परिवार - हरलॉक के विचार से बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास को तीन प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं, तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता है। दूसरा, यदि परिवार में शान्ति और सुरक्षा आनन्द के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है, तो बालक के संवेगात्मक विकास का रूप सन्तुलित होता है। तीसरा, यदि परिवार में लड़ाई-झगड़े होना, मिलने-जुलने वालों का बहुत आना और मनोरंजन का कार्यक्रम बनते रहना। साधारण घटनायें हैं तो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है।
- माता-पिता का दृष्टिकोण - बालक के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस सम्बन्ध में क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि "बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिन्तित रहना बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा न देना, बच्चों को प्रौढ़ों के समान नए अनुभव न करने देना और बच्चों को सब घर के प्रेम का पात्र बनाना माता-पिता की ये सब बातें बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में योग देती हैं।"
- सामाजिक स्थिति - बालकों की सामाजिक स्थिति उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इस सम्बन्ध में क्रो एवं क्रो के ये विचार उल्लेखनीय हैं- सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक अस्थिरता में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। निम्न सामाजिक परिस्थितियों के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक असन्तुलन और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है।"
- सामाजिक स्वीकृति - बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके संवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्रो एवं क्रो ने लिखा है- "यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या शिथिलता आ जाती है।"
- निर्धनता - निर्धनता, बालक के अनेक अशोभनीय संवेगों को स्थायी और शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। यह विद्यालय में धनी बालकों की वेश-भूषा देखता है, उनके आनन्दपूर्ण जीवन की कहानियाँ सुनता है, उनके सुख और ऐश्वर्य की वस्तुओं का अवलोकन करता है। फलस्वरूप, उसमें द्वेष और ईर्ष्या के संवेग सशक्त रूप धारण करके, उस पर अपना सतत् अधिकार स्थापित कर लेते हैं।
- विद्यालय - विद्यालय का बालक के संवेगात्मक विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। बालक की विभिन्न क्रियायें उनके विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती है। यदि विद्यालय के कार्यक्रम उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं, तो उसे उनमें आनन्द का अनुभव होता है। फलस्वरूप, उसके संवेगों का स्वस्थ विकास होता है। इसके विपरीत, यदि उसे विद्यालय के कार्यक्रमों में असफल होने या अपने दोषों के प्रकटीकरण का भय होता है, तो उसमें घृणा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। जरशील्ड ने ठीक ही लिखा है कि "परिवार के बाद विद्यालय ही सम्भवत: वह दूसरा स्थान है, जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है, जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों के प्रति करता है।"
- शिक्षक - शिक्षक का बालक के संवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वह बालक के समक्ष अच्छे और बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके, उसको साहसी या कायर, क्रोधी या सहनशील, झगड़ालू या शान्तिप्रिय बना सकता है। वह उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करके और अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता का विकास कर सकता है।
- अन्य कारक - बालक के संवेगात्मक विकास पर अवांछनीय प्रभाव डालने वाले कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कारक हैं- अत्यधिक कार्य, कार्य में अनावश्यक बाधा और अपमानजनक व्यवहार।

निष्कर्ष

विद्यार्थी राष्ट्र की सम्पत्ति और उसके भावी कर्णधार होते है। उनके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार के निर्माण एवं विकास का उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। छात्र बगीचे के पौधे के समान है, अध्यापक माली है, जो उस पौधे को सींचते हैं, एवं उनकी कांट-छांट करते हैं तथा अन्य सब प्रकार से उनकी देखभाल करते है। शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है। संवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते है और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। संवेग के अभाव में मानव-मस्तिष्क अपनी किसी भी शक्ति को समाप्त करने में असमर्थ रहता है। अत: शिक्षक का प्रमुख कर्त्तव्य है कि बालकों में उचित संवेगो का निर्माण और विकास करे।

संदर्भ

- पाण्डेय, के .पी.: शैक्षिक अनुसंधान की रूपरेखा, अमित प्रकाशन, मेरठ.
- राय, डॉ. एम.एम. मृदा विज्ञान, भोपाल (भारत): मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1976. पृष्ठ. 202.
- कौल लोकेश (1998): शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली.
- कपिल, एच.के. (1996): सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.

आधुनिकता का युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व पर प्रभाव

लता आसनानी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, राजस्थान विष्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० रेणु शर्मा

शोध पर्यवेक्षक, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, केशव विद्यापीठ, जामड़ोली, जयपुर

सार:-

आधुनिक युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। इस युग में वैज्ञानिकों ने जो खोजें की है, जो आविष्कार किये है और जो शोध किये है, उनसे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उनसे मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भावी बदलाव आया है। कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार, चिकित्सा, शिक्षा आदि जीवन के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए है। इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। सामान्यत: आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रयोग समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया गया है। परम्परागत समाज को आधुनिक समाज में बदलना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को एक ओर जहां राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना है, वहीं संविधान के संकल्पों को पूरा करने के समर्थ नयी पीढ़ी को तैयार करना है। शिक्षा की प्रमुख भूमिका है- जनशक्ति का निर्माण। ऐसी जनशक्ति जो विभिन्न दायित्वों को निभाने में समर्थ हो, देश की संस्कृति का संवर्द्धन करें, राष्ट्रीय चरित्र से परिपूर्ण हो तथा प्रतियोगिता के अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आत्मविश्वास के साथ खडी हो सकें। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के व्यक्तित्व के सन्तलित विकास के लिए जहां विषय ज्ञान, कौशल, अभिवृतियां एवं मूल्यों का विकास अपेक्षित होगा वहीं मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाने में षिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परन्तु देखा गया है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप युवा पीढी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनमें आक्रामकता, निर्दयीपन, कठोरता, चरित्रहीनता, एकान्तप्रियता जैसी कुप्रवृत्तियाँ अपना घर बना लेती है। ऐसी युवा अपना समायोजन कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते और ये मानसिक प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि को भी निम्न बना देता है, जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते है। अत: इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने की कोशिष की है कि आधुनिकता का युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम किस प्रकार युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते है?

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन से ही नवीनता आती है। जिस प्रकार हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद नया दिन, उसी प्रकार परिवर्तन के बाद नवीनता आती है।

कामायानीकार प्रसाद भी कहते हैं:-

"दु:ख की पिछली रजनी के बीच
विकसता दु:ख का नवल प्रभात।"

यही प्रक्रिया हमें पुराने से नए की तरफ ले जाती है और बीते हुए कल से नए कल की शुरुआत का बीजारोपण भी करती है। यही नयापन आधुनिकता का संवाहक है, जो हमारे विचारों तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है।

मुख्य शब्द- आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, यूरोपीयकरण, पाश्चात्यकरण

प्रस्तावना:-

आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत एवं लगातार होने वाली क्रिया से है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी समाजों से प्रारंभ हुआ। तत्कालीन यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन स्पष्ट होने लगे, इससे समाज में भिन्नता दिखाई देने लगी। एक तरफ परंपरागत समाज तथा दूसरी तरफ वे समाज जिनमें परिवर्तन हो रहे थे और आधुनिक समाज के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहे थे, इस स्थिति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया। अंग्रेजीकरण, यूरोपीयकरण, पाश्चात्यकरण तथा शहरीकरण को आधुनिकीकरण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है।

'आधुनिकता' शब्द भले ही विचित्र लगे, फिर भी प्रत्येक भारतीय नागरिक इसके बिना स्वयं को अधूरा समझने लगता है। हम स्वयं को आधुनिक यानी 'मॉडर्न' समझने में गर्व अनुभव करते हैं। इस आधुनिकता की चकाचौंध का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्षित हो रहा है। इस आधुनिकता की दौड़ के कारण पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। पारिवारिक परंपराएं एवं संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो रहा है तथा हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति भी सिसकियां बढ़ रही है। आधुनिकता की दौड़ में हमारे बच्चों का बचपन पूरी तरह से कुचला जा रहा है।

आज बच्चों को माता-पिता की गोदी नसीब नहीं है, क्योंकि समाज में अपने रुतबे तथा होड़ ने आजीविका के लिए माता-पिता को बच्चों से दूर किया है। उनका स्थान वेतनभोगी नौकरानी या आया ने ले लिया है। बच्चों के बिलखने, रोने की आवाज माता-पिता तक कैसे पहुंच पाएगी? क्योंकि वे तो कई मील दूर अपनी नौकरी कर रहे हैं। नौकरानी या आया, क्या कभी माता की ममता, प्यार दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। दादा-दादी तथा परिवार के सदस्य पहले ही दूर कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारा देश निरंतर 'एकल परिवार' की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों का लालन-पालन एक पिंजरे में बंद अर्थात बंद कमरे में एक अजनबी महिला द्वारा किया जाता है, जहाँ न संस्कार हैं न ही संस्कृति। जैसे ही बच्चा तोतली आवाज में बोलने लगता है, उसके ऊपर बोझ डालना शुरू कर दिया जाता है- बेटा या बेटी! क्या बनोगे? डॉक्टर या इंजीनियर? बेचारा नन्हा सा बच्चा किसी एक का नाम तोतली आवाज में कहता है, जो उम्र प्यार की होती थी, अब उसी में बड़े-बड़े सपने दिखाकर उसके कोमल मन पर बोझ डाल दिया जाता है।

आज का पूरा भारतीय बचपन इसी प्रकार बिलख रहा है। यद्यपि सरकार ने विद्यालयों में दाखिले की उम्र 5 वर्ष बाद रखी है, लेकिन अपनी तिजोरी भरने के लिए प्राइवेट स्कूल इन बच्चों का बचपन बुरी तरह से रौंद रहे हैं। यही कारण है कि बाल्यावस्था के अंतिम चरण तक यानि उच्च माध्यमिक स्तर तक आते-आते बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उनका मानसिक विकास रुक जाता है, यह एक नाजुक दिमाग पर पड़ने वाला वाला खतरनाक प्रभाव ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास का बाधक तत्व भी है।

आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। यह सत्य है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की धरोहर उस राष्ट्र के बालक होते हैं और अध्यापक को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गई है। यह राष्ट्र निर्माता ही शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करता है। बालक के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और नैतिक विकास आदि से है और बालक को परिपूर्ण रूप से विकसित करने में शिक्षक के साथ-साथ उसके परिवार, पास-पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालयी वातावरण तथा समाज का अपूर्व योगदान होता है। इस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व सामाजिक गुणों का वह सुगठित एवं गतिशील संगठन व्यक्तित्व कहलाता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के आदान-प्रदान के दौरान होती है। व्यक्तित्व की रचना जैविकीय रूप में हस्तांतरित मनोदैहिक कार्य प्रणाली तथा सामाजिक रुप से संचालित सांस्कृतिक प्रतिमानो के आधार पर होती है। हमारे मनोभावों तथा आचरण संबंधी कार्यकलापों का मिलाजुला जो प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, उसी से व्यक्तित्व का ढांचा तैयार होता है। इस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक गुणों का व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु आज आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को दरकिनार करते जा रहे है। आज के समय में हम शिष्टाचार व नैतिकता को भूलते जा रहे है। शिष्टाचार व नैतिकता हमारे जीवन में बहुत अहम चीजें है। किसी भी विषय को ले ले, हम अपनी युवा पीढ़ी पर पूरा दोष डाल कर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आज विद्यार्थियों में अगर संस्कारों की कमी हो रही है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। क्यों हम उनमें संस्कार, नैतिकता, शिष्टाचार नहीं भर पा रहे हैं? यह एक सोचने का विषय है। बच्चों का अनैतिक होना हमारी कमजोरी है। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है ,तो उसका दिमाग बिल्कुल शून्य होता है हम उसको जिस प्रकार के संस्कार व शिक्षा देंगे वह उसी राह पर आगे बढ़ता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि वह हमारे बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं है। आज शिष्टाचार एवं नैतिकता किसे कहा जाता है, यह कभी सिखाया नहीं जाता, बल्कि गणित, विज्ञान ,अंग्रेजी आदि विषयों पर जोर दिया जाता है, जिससे बच्चे पढ़ना तो सीख रहे हैं, लेकिन संस्कार, नैतिकता व शिष्टाचार किसे कहते हैं, उस से अनभिज्ञ हैं। हमें स्कूलों में बच्चों के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में रखते हुए करना चाहिए। आधुनिक युग में नैतिकता की कमी होती जा रही है। अनैतिकता बढ़ने के कारण शिष्टाचार में कमी आ रही है। जैसे-जैसे हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे-वैसे हम नैतिकता को भूल रहे हैं। माना कि आधुनिकता की ओर बढ़ने से हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमें आधुनिक बनना चाहिए ,लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए।

आज यह महसूस किया जा रहा है कि हम शिक्षा में अपेक्षाकृत गतिहीन हो रहे हैं जबकि दूसरे देश तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शिक्षा का स्तर पश्चिम के अन्य विकसित देशों के समान नहीं है। कुछ विषयों में तो हम बहुत पीछे हैं। युवा पीढ़ी किसी भी देश की रीढ़ होती है, इसीलिए राष्ट्र की इस रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ और संस्कारवान बनाना होगा क्योंकि हमारे देश के विकास में आज के युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे युवा ही समाज और देश को नये शिखर पर ले जाते हैं और यही देश के वर्तमान के साथ-साथ भविष्य और भूतकाल के सेतू भी हैं। समाज के अलावा देश के प्रतीक हमारे युवा उच्च महत्वाकांक्षा और गहन ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, हमारे देश को बेहतर बनाने के अलावा राष्ट्र के निर्माण में भी युवाओं का ही अमूल्य योगदान होता है।

परंतु देखने में आता है कि अधिकांशतः आज हमारा यही युवा वर्ग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है जीवन में पढ़ाई और कैरियर महत्वपूर्ण है लेकिन अगर हम शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं होंगे तो कैरियर बनाने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाएंगे इसलिए जरूरी है कि कैरियर के साथ साथ हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। एक 'इच्छा' कुछ नहीं बदलती, एक 'निर्णय' कुछ बदलता है, लेकिन एक 'निश्चय' सब कुछ बदल देता है।

निष्कर्षतः

हम कह सकते है कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है अर्थात् जब समाज आधुनिक होता है तो प्राचीन व्यवस्थाओं से इसका सम्बन्ध टूट जाता है और नई व्यवस्था का निर्माण होता है। आधुनिकीकरण एक स्थिर, धीमी गति वाली, निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण विज्ञान

और तकनीकी का विकास है। आधुनिक युग में षिक्षा का उद्देष्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है यह सत्य है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की धरोहर उस राष्ट्र के बालक होते है और अध्यापक को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गयी है। यह राष्ट्र निर्माता ही शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करता है। आधुनिकीकरण की इस अवधारणा में षिक्षा अत्यधिक सहायक सिद्व हुई है। षिक्षा आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबिंब एवं वातावरण तैयार करती है। यह सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण की गति को तीव्र बनाता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण की सुरक्षा करता है तथा सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण के आच्छादन को रोकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

(1) शर्मा, आर.ए. (2017), "शिक्षा में अनुसंधान'', आर.लाल बुक डिपो, मेरठ
(2) अस्थाना, विपिन एवं अन्य. (2008), "शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी'', ज्योति प्रिटिंग प्रेस, आगरा
(3) गैरिट, हेनरी, ई. (2006), "शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग'', कल्याणजी पब्लिशर्स, लुधियाना
(4) पाठक, पी.डी. (2016), "शिक्षा मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
(5) भार्गव, महेशचन्द्र (2017), "आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'', हरप्रसाद भार्गव, आगरा
(6) माथुर, एस.एस. (2008), "शैक्षिक मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
(7) सिंह, बच्चन (2015), "आधुनिक साहित्य का इतिहास'', कल्याणजी पब्लिषर्स, लुधियाना
(8) कपिल, एच. के. (2012), "अनुसधान विधियाँ'', एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा
(9) सिंह, योगेन्द्र (2014), "मॉडनाइजेशन आफ इण्डियन ट्रेडिशन'', रावल पब्लिकेशन जयपुर
(10) झा, बी.एस. (2010), "मॉडर्न एजूकेशनल साइकोलोजी'', इण्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहबाद
(11) कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2008), "शिक्षा मनोविज्ञान'', आर.लाल बुक डिपो, मेरठ
(12) भटनागर, सुरेश (2005), "अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार'', इन्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस, मेरठ
(13) श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. (2004), "अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा
(14) मंगल, एस.के. (2014), "व्यवहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियाँ'', पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
(15) शर्मा, डॉ. आर.ए. (2014), "शिक्षा के दार्षिनिक एवं सामाजिक मूल आधार'', आर.लाल बुक डिपो, मेरठ

आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी का प्रभाव

मोनालिसा शर्मा

सहायक आचार्य, अंग्रेजी, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर

सारांश

मूलत: जॉन डीवी जो की एक समाजवादी व प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जिनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य एक पूर्ण व्यक्तितव का निर्माण करना है। डीवी ने वास्तविक अनुभव को ही शिक्षा का आधार माना है। इनके अनुसार बालकों को अपनी रुचियों व रूझानों को देखते हुए ही अपने अध्ययन के क्षेत्र व विषय निर्धारित करने चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रगतिशीलता के साथ लचिलापन भी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का समावेश जॉन डीवी की ही देन है।

जॉन डीवी का मनाना है कि शिक्षा के उद्देशय पूर्ण निर्धारित नहीं अपितु समय, काल परिस्थति के अनुसार निर्धारित होने चाहिए अर्थात निश्चित नहीं अपितु गतिशील होने चाहिए। जॉन डीवी का आधुनिक शिक्षा प्रभाव प्रतिलक्षित होता है। आधुनिक शिक्षा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा जाए तो इसमें भी डीवी के कुछ शिक्षण उद्देश्य विधियां शामिल हैं। आधुनिक शिक्षा नीति में भी प्रत्येक बालक की शिक्षा व उपलब्धि का मूल्यांकन उसकी रूचि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी ज्ञान का रूप ना तो पूर्व निर्धारित हो और ना ही उसे पूर्ण माना जाए। ज्ञान बच्चों को वास्तविक परिवेश में अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता प्राप्त होना चाहिए जॉन डीवी शिक्षा में प्रजातांत्रिक परिपाटी का समावेश करते हैं जो कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रयोग विद्यालयों की भी बात कही है जो कि आज भी अनुकरणीय है।

भूमिका

विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं इनमें कुछ भारतीय हैं तो कुछ पाश्चात्य। यूं तो आधुनिक शिक्षा तथा शिक्षण विधियों पर अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने प्रभाव डाले हैं किंतु जॉन डीवी का प्रभाव सर्वथा विलक्षण एवं विशिष्ट है। जॉन डीवी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के वार मोंट नामक स्थान पर हुआ था। अपने विश्वास व विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने एक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की। वस्तुत: इसका उद्देश्य शिक्षा संबंधी विचारों की खोज करना ही था। डीवी महोदय का शिक्षा सिद्धांत उनके प्रयोजन वादी दर्शन पर आधारित है। उनका कहना है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है।

जॉन डीवी द्वारा निर्धारित शिक्षण विधियां – शिक्षण विधियो को निर्धारित करते समय डीवी महोदय ने निम्नांकित बातों पर ध्यान रखा–

ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं दिया जाए। ज्ञान का रूप मैं तो पूर्व निर्धारित हो और ना ही उसे पूर्ण माना जाए ज्ञान तो बच्चे के वास्तविक परिवेश में प्राप्त जीवन अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए।

आंतरिक इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां ही प्रेरक माध्यम हो न कि बाह्य शक्तियाँ।

बच्चों की शिक्षा की योजना का आधार उनकी रुचियाँ उनका रुझान तथा उनकी क्षमताएं हो।

क्योंकि बच्चों को समाज में विकसित होना है, अत: उनकी शिक्षा वास्तविक सामाजिक संपर्क के द्वारा संपन्न हो।

डीवी के शैक्षणिक उद्देश्य – डीवी के पूर्व शिक्षा जगत में नैतिक उद्देश्य, अनुशासित उद्देश्य तथा सूचनात्मक उद्देश्यों की अधिकता थी। किंतु डीवी ने इन उद्देश्यों को कोई महत्व नहीं दिया, उन्होंने प्रतिपल परिवर्तित होते हुए विश्व की मांगों के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं –

बच्चे का विकास– शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों का विकास। शिक्षक का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे की शक्ति तथा उसके व्यक्तित्व का विकास उसकी क्षमता के अनुरूप करें। यह विकास पूर्वाग्रह से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक छात्र की प्रगति का मूल्यांकन उसकी अपनी क्षमता तथा परिवेश सुविधा को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की मैं तो क्षमता एक सी होती है न ही प्रवेश की सुविधा समान होती है। अत: डीवी महोदय का कहना है , शिक्षा विकास को दिशा एवं निरंतरता प्रदान करती है।

सामाजिक कुशलता– डीवी के अनुसार बच्चे की मौलिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास सामाजिक परिवेश में ही संभव है। अत: सही शिक्षा वही है जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करें की भविष्य में सुखी एवं उत्पादक सामाजिक जीवन का आनंद उठा सकेंद्य वस्तुत: डीवी चाहते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा विकास हो जाता है जो प्रजातांत्रिक समाज के अनुरूप हो सके।

आत्मानुभूति- आत्मानुभूति के उद्देश्य में वैयक्तिक विकास तथा सामाजिक कुशलता दोनों ही निहित हैं। आत्मानुभूति बच्चों को सामाजिक हित की सीमा के अंदर आत्म प्रकाश की स्वतंत्रता भी देती है। आत्मानुभूति तभी संभव है जब समाज का एक उपयोगी उत्पादक तथा सफल सदस्य बन जाता है। जब इस उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक विकास व्यवसाई कुशलता अच्छी नागरिकता तथा नैतिकता के उद्देश्य अपने व्यावहारिक रूप में स्वत: ही आ जाते हैं।

जीवन की तैयारी- वस्तुत: डीवी शिक्षा को ही जीवन मानते हैं अत: जीवन तथा निकट भविष्य के जीवन की तैयारी शिक्षा का उद्देश्य है सच तो यह है कि बच्चा अपने वर्तमान तथा निकट भविष्य में रुचि रखते हैं सुदूर भविष्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती क्योंकि उसकी स्पष्ट धारणा ही उनके मन में नहीं हो सकती है इस प्रकार सुदूर भावी जीवन के तैयारी बच्चों के शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकती।

कोई स्थैतिक उद्देश्य नहीं- वस्तुत: प्रयोजन वादी शिक्षक के लिए कोई स्थैतिक निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता बल्कि गत्यात्मक ग्रहण शील तथा परिस्थिति के अनुरूप विचारशक्ति वाले के विकास में ही शिक्षा की सार्थकता है और क्योंकि प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक परिवेश परिवर्तनशील है इसलिए शिक्षा का उद्देश्य निश्चित नहीं गतिशील होना चाहिए।

अत: हम कह सकते हैं कि जॉन डीवी जो कि समाजवादी एवं प्रयोजन वादी शिक्षा शास्त्री थे जिनके अनुसार का उद्देश्य एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना है। डिवी ने वास्तविक अनुभव को ही शिक्षा का आधार माना है। इसके अनुसार बालकों को अपनी रुचियां एवं रुझानों को देखते हुए ही अध्ययन के क्षेत्र में विषय निर्धारित करनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रगतिशीलता के साथ लचीलापन भी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का समावेश जॉन डीवी की देन है।

डीवी ने तत्कालीन विद्यालयों की संरचना के विषय में की आलोचना की वे समय की मांग पर कोई ध्यान नहीं देते केवल पुस्तकीय शिक्षा पर जोर देते हैं स्कूल में बालक को सामाजिक बनाने की कोई चेष्ठा नहीं की जाती विद्यालय समाज और परिसर में कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखलाई पड़ता इस परिस्थिति की आलोचना करते हुए डीवी ने सन 1896 में शिकागो में एक प्रयोगात्मक विद्यालय की नीव डाली प्रयोगात्मक विद्यालय जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है किसी भी क्षेत्र में प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं को ना मानते हुए लोगों के परिणामों के आधार पर ही शिक्षा योजना चलाता था इस विद्यालय में विभिन्न उद्योगों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी यहां पर बढ़ई का काम लोहार का काम खाना बनाना सीना पिरोना व अन्य नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण श्री कार्य खेलना कूदना आधार पर अनेक विषय पढ़ाए जाते थे।

समाज का लघु रूप मानकर डीवी ने विद्यालय में उन सभी क्रियाओं को लघु रूप से किए जाने की सिफारिश की है जो बालक को बड़े होकर विद्यालय से बाहर करनी पड़ती हैं विद्यालय में इस प्रकार की क्रियाओं को करने से बालक के मस्तिष्क और चरित्र का विकास होता है और वह आगे चलकर इन क्रियाओं को कुशलतापूर्वक कर सकता है।

जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं परंतु समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होने चाहिए अर्थात निश्चित नहीं अपितु गतिशील होने चाहिए।

आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी का प्रभाव

अनुभव की अनुभव के द्वारा अनुभव के लिए शिक्षा- डिवी ने बच्चों के वास्तविक अनुभव को ही शिक्षा का आधार माना हैद्य आज विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली शिक्षा की समस्त क्रियाशील अन विधियां डिवी की ही देन है।

बच्चों की रुचियों का महत्व- डिवी ने बच्चों की रुचियां तथा रुझान को काफी महत्व प्रदान किया हैद्य विषयों के चुनाव तथा उनकी शिक्षण के कार्य इन्हीं को ध्यान में रखकर होनी चाहिए यही कारण है कि आज विद्यालय में रुचि एवं रुझान की जांच की परिपाटी लोकप्रिय हो रही है।

शिक्षक का स्थान- डीवी ने विद्यालय को एक समाज माना एवं को उस समाज का वरिष्ठ सदस्य उन्होंने अन्यथा को प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में व्यवहार में लाने का सफल कार्य किया है। उसके शिक्षक को परंपरागत ट्रिडक्टेटर रूप तथा भयावह व्यक्ति से मुक्त कर एक पारिवारिक सामाजिक जीव बना दिया।

सार्थक क्रियाशीलता- डीवी ने शिक्षा के लिए मात्र ऐसे क्रियाशीलनो को चुना जो बच्चे तथा समाज के लिए सार्थक हो। उन्होंने निरर्थक शिक्षण क्रियाशील सर्वथा व्यर्थ बतलाया यही कारण है कि सामाजिक क्रियाशीलन शिक्षा क्षेत्र में स्थान पा सके। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में इसी सार्थक क्रियाशीलता के सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग है। तकली काटना, भोजन बनाना, बागवानी आदि इसी प्रकार के सार्थक क्रियाशीलन है।

सामाजिक संपर्क- यह डीवी के प्रयासों का ही फल है कि आज विद्यालय एवं समाज निकट आ सके हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को सामाजिक अनुभवों के आधार पर खड़ा किया इन क्रियाशील अनों में बौद्धिकता से अधिक सामाजिकता के तत्व कहते हैं।

पाठ्यक्रम निर्माण- डीवी के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में अमूल परिवर्तन कर दिया। आज के पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत की प्रगतिशीलता तथा लचीलापन डीवी की ही देन है।

प्रोजेक्ट विधि- शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का समावेश टीवी की सबसे महान देन है। इस विधि ने शिक्षा को वास्तविकता एवं सार्थकता का वरदान दिया।

नैतिकता- एक तुम्हारी अनुभव- डीवी ने सर्वप्रथम व्यावहारिक अनुभवों द्वारा नैतिकता की शिक्षा दी। यही कारण है कि आधुनिक विद्यालयों में नैतिकता एवं धर्म अब सैद्धांतिक विषय नहीं रहे। अब वे व्यवहार एवं अनुभवजन्य है।

शिक्षा में प्रजातांत्रिक ढंग- डीवी ने शिक्षा में प्रजातांत्रिक परिपाटी का समावेश किया है। इन्होंने विद्यालय को लघुसमाज माना। विद्यालयों में स्वशासन की परिपाटी एवं उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण जॉन की ही देन है। इसके द्वारा बच्चों को प्रजातांत्रिक परिपाटी का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है।

प्रयोग विद्यालयों का निर्माण- आज सभी उन्नत देशों में प्रयोग विद्यालय देखने को मिलते हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा संबंधी प्रयोग होते हैं एवं विभिन्न सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। वस्तुत: इस प्रकार के प्रयोग विद्यालय का श्री गणेश जॉन नहीं सर्वप्रथम शिकागो में किया था।

इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में जॉन डीवी के प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

- नाटाणी, प्र., "विश्व के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री" शिक्षा प्रकाशन जयपुर।
- लाल व तोमर, "विश्व के श्रेष्ठ शैक्षिक चिंतन" आर एल बुक डिपो।
- पांडे, डॉक्टर आर, "विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री" विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- के ओड, डॉक्टर एल, "शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि" राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- शर्मा, आर ए, "शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक मूल आधार" आर एल बुक डिपो।
- सक्सेना, डॉ सरोज, "शिक्षा के दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार"।
- चौबे, डॉ एस., "शिक्षा के दार्शनिक ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय आधार" लॉयल बुक डिपो।
- तरुण, डॉ हरिवंश, "विश्व के महान शिक्षा शास्त्री" नई दिल्ली प्रकाशन संस्थान।
- भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका जुलाई दिसंबर 2016
- www.shodhaganga.com
- www.ncert.nic.in

राजकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल विकास का तुलनात्मक अध्ययन

निकिता गर्ग

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

(इस शोध पत्र में शिक्षा में ICT के प्रयोग से विधार्थियों के तकनीकी कौशल विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजीटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजीटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी कई मायनों में षिक्षा को प्रभावित करती है। सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग से विद्यालय स्तरीय निष्पादन क्षमता के संवर्धन तथा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुगम, सुरुचिपूर्ण और सर्वसुलभ बनाने के लिए आई.सी.टी उपकरणों की व्यवस्था द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध कर विधार्थियो को डिजीटल विश्व से आत्मसात करवाने और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने के योग्य बनाने हेतु राज्य के विद्यालयों में आई सी. टी. का उपयोग किया जा रहा है। निजी विद्यालयों में तो आई सी. टी. का उपयोग किया जाता है। वे स्वपोषित होते है. इसलिए यथा सम्भव संसाधन जुटा लेते है। परन्तु राजकीय विद्यालय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर आश्रित होते है। सरकार की योजनाओं और नीतियों के आधार पर उन्हें संसाधन उपलब्ध होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान गतिविधियों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से कल्प (कम्प्यूटर एंडेड लर्निंग कार्यक्रग) 2004-2005 से प्रारम्भ किया गया। तभी से क्रमशः इस क्षेत्र में सरकार द्वारा नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद डिजीटल शिक्षा ही शिक्षा का माध्यम रह गया था। जो विद्यार्थी तकनीकी से अधिक परिचित नहीं थे, उनका शिक्षा का साधन भी ऑन लाइन होने से वे परिचत हुई। समय की मांग और सरकार के प्रयागों में कहाँ तक सफलता मिली? या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई,? विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल विकास कितना हुआ आदि सभी को जानने के उद्देश्य शोधकर्त्री द्वारा शोध अध्ययन कर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।)

प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एक सार्वभौगिक पहुँच प्रदान कर वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीयकरण इत्यादि के सन्दर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। इसी क्रम में भारत में अनेक आयोग व समितियाँ गठित हुई है, शिक्षा नीति की भी घोषणा हुई है। उन सभी का मुख्य रूप से जोर शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को उस नीति के द्वारा पूरा करने का प्रयास भी किया गया। उन सभी के उपरान्त भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जो कि सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानून का आधार उपलब्ध करवाया। वह अधिनियम है "निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009"

2005 से 2015 के दशक में शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को विशेष स्थान मिला है। यदि हम इतिहास में नजर डालें तो पाएंगे कि भारत में विद्यालयी शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का औपचारिक आरम्भ 1984 में class Project नामक, पायलट प्रोजेक्ट से हुआ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीय स्कूलों में बी.बी.सी माइक्रो संगणकों को विद्यालयों में समावेशित किया गया। इसके बाद सातवी, आठवीं व नवमी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्कूली शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को वरीयता दी गई। NPICTSE यानि 'National Policy on Information and Communication Technology in school Education' का सबसे पहला प्रारूप 2008 में आयो जो भारतीय पीढ़ी को ICT द्वारा समर्थ बनाने तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रचनात्मक भागीदार बनने हेतु प्रेरित करने की बात करता है। इस प्ररूप ने विद्यालयी शिक्षा प्रशासन तथा 'राष्ट्रीय सामर्थ्य निर्माण' को महत्व दिया जिससे वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक निपुण जनबल हो सके। अगला NPICTSE Draft 2012 में आया। इस प्रारूप मे किशोरों को ज्ञान आधारित समाज के निर्माण, जीविका एवं विकास में सृजनात्मक तौर पर भागीदार बनाने हेतु तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उस भागीदारी को वह राष्ट्र के चहुँमुखी विकास तथा वैश्विक प्रतियोगिता से भी सीधे-सीधे जोड़ता है। यह विद्यालयी तन्त्र में अभिगमन, उत्कृष्टता निपुणता हेतु ICT आधारित कार्यकलापों तथा कार्यविधियों के निर्माण, उत्प्रेरण तथा विकास को भी बताती है।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों मे हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्वभर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीने काम करने लगेंगी और दूसरी और डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। इन सभी तीव्र परिवर्तनों के चलते यह आवश्यक हो गया है कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया का रहा है उसे तो वे सीखें ही, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। शिक्षा व्यवस्था में होने वाले बुनियादी बदलावों का दायित्व शिक्षकों पर होता है। इसलिए इन्हें केन्द्र में ही रखा जाता है। ये वे सम्माननीय सदस्य होते है जो कि समाज में अपना एक अलग ही स्थान रखते है ।

संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय-समय पर अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन करता रहा है। इसी क्रम में प्रगतिशीलता और सृजन: शीलता के कारण विश्व में अनेक क्रान्तियाँ आयीं। पहले हरित क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति और अब प्रौद्योगिक क्रांति/वर्तमान में तकनीकी क्रान्ति प्रत्येक क्षेत्र में मानव जीवन का हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने बहुत परिवर्तन कर समूचे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। ICT के द्वारा छात्रों व अध्यापकों के ज्ञानार्जन के साथ उनकी परम्परा शैक्षिक अन्तरक्रिया को भी बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने ही दूरस्थ शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। तथा उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। जब से शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है, शिक्षा की परिभाषा में भी अन्तर आया है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी तकनीकी का प्रयोग करते हुए विद्यार्जन कर सकते है। शिक्षक की उपस्थिति शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी ICT को प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं अपितु समाज जिन उत्तरदायित्वों को छोड़ता जा रहा है, उन सभी उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी शिक्षा की होती है। शिक्षा का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है समाज की संस्कृति एवं मूल्यों को संचित करना है।

विद्यालय की निष्पादन क्षमता के संवर्धन तथा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुगम सुरुचिपूर्ण और सुलभ बनाने के लिए प्ज्ज् द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को संषोधित करते हुए विद्यार्थियों को डिजीटल विश्व से आत्मसात करवाने के लिए राजस्थान के विद्यालयों में आई सी टी का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ICT प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। राजकीय विद्यालयों मे ICt~ प्रयोगशालाओं की स्थापना निम्न दो उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कि गई है

1. ICT स्वयं एक विषय के रूप में
2. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संवर्धन उपकरण

इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उद्देश्यों की शर्त के लिए भी इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है। राजकीय माध्यमिक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीकी के संवर्धन हेतु वातावरण निर्माण के माध्यम से गुणवत्ता प्रदान करना है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षण की विधियों को अधिक समृद्ध करना, विद्यार्थियों को डिजीटल वर्ल्ड तथा प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाना, विश्लेषणात्मक कौशल विद्यार्थियों में समालोचक चिंतन का विकास करना है। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना से प्रभावी अधिगम वातावरण का निर्माण होगा तथा शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित न रहकर विद्यार्थी केन्द्रित होगी।

आईसीटी योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से राज्य के 8500 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित है तथा 2197 कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य पूर्ण हो गया है। ये स्थापना चरणवार हुई हैं। प्रथम चरण 2008 में राजस्थान राज्य के 2500 विद्यालयों में प्रत्येक स्कूल 10 कम्प्यूटर सेट मय आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायी गई। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु GENSET भी प्रदान किये गये। द्वितीय चरण 2010 में 2000 विद्यालय, तृतीय चरण में 2014 में 2000 विद्यालयों में कम्प्यूटर की स्थापना की गई। इसी क्रम में चतुर्थ व पंचम चरण में भी लैब स्थापित की गई है।

शोध के औचित्य का परिभाषीकरण

सर्व शिक्षा अभियान गतिविधियों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (कल्प) सत्र 2004-2005 से प्रारम्भ किया गया। तभी से क्रमश उस क्षेत्र में विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक कम्प्यूटर एवं लैव की स्थापना की जा रही है।

आई सी टी योजनान्तर्गत चिन्हित विद्यालयों हेतु समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति विद्यालय अनावर्ती मद लैब संस्थापना हेतु 4.00 लाख /6.40 लाख रु० एवं आवर्ती मद में प्रति विद्यालय लैब संचालन हेतु 2.40 लाख प्रति वर्ष (5वर्ष के लिए) का प्रावधान है।

सूचना एवं संचार क्रांति के संक्रमण काल में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अति आवश्यक हो गया है। वैष्वीकरण के कारण अपने आप कों प्रस्थित करने के लिए तकनीकी का साथ होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही व्यापक तौर पर कार्य किये गये हैं। विद्यार्थियों को समृद्ध करके डिजीटल विष्व से आत्मसात् करवाने और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने के योग्य बनाने हेतु राज्य के विद्यालयों में आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्कूली शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं एकीकरण की बात कही गयी है। उन सभी बातों को ध्येय करते हुए विद्यार्थियो में प्रौद्योगिकी (तकनीकी) कौशल विकास को जानने के लिए शोधकर्त्री ने इस विषय का चयन किया है।

उद्देश्य:

(1) राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी तथा निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(2) छात्र तथा छात्राओं में तकनीकी कौशल विकास का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ:

(1) राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थीयों के तकनीकी कौशल विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(2) राजकीय विद्यालय के छात्रों के तकनीकी कौशल विकास तथा निजी विद्यालय की छात्राओं के तकनीकी कौशल विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श:

शोधकर्त्री ने अपने अध्ययन को पूर्ण करने के लिए राजस्थान के 05 राजकीय विद्यालय तथा 05 निजी विद्यालयों का चयन किया है। प्रत्येक विद्यालय से 10 विद्यार्थी (5 छात्र एवं 5 छात्राएँ) को न्यादर्श के रूप में लिया।

सारणी -1

राजकीय विद्यालय	25 छात्र	25 छात्राऐं	कुल 50
निजी विद्यालय	25 छात्र	25 छात्राएं	कुल 50

उपकरण:-

शोध अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए शोध विषय के अनुरूप एक स्वनिर्मित उपकरण-विद्यार्थियों की सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास मापनी" का उपयोग किया गया है ।

विद्यार्थियों की सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास मापनी - यह मापनी विद्यार्थियों के सूचना तकनीकी कौशल के विकास को मापने के लिए निर्मित की गई है। निर्मित उपकरण में कुल 25 मद है जिनका उत्तर हाँ या ना मैं होगा। उपकरण में अन्त में विद्यार्थियों से सुझाव भी मांगे गये है। जिससे विद्यार्थी शैक्षिक उपयोग के लाभ या अन्य सुझाव दे सके। निर्मित उपकरण की विश्वसनीयता परीक्षण पुन: परीक्षण विधि द्वारा 0.76 पायी गई।

प्रदत्त संकलन प्रक्रिया

शोधकर्ती ने स्वयं स्कूलों में जाकर वहाँ के प्रधान अध्यापक से सम्पर्क कर शोध कार्य की जानकारी देकर यादृच्छिक रूप से 10 विद्यार्थियो (प्रत्येक स्कूल) से उपकरण भरवाए। तथा उसी प्रकार सभी 10 विद्यालयों में जाकर प्रदत्त संकलन किया।

प्रयुक्त सांख्यिकी:- प्रस्तुत शोध में शोधकर्ती द्वारा एकत्रित प्रदत्त के विश्लेषण हेतु निम्न सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है-

1. मध्यमान
2. प्रमाप विचलन
3. टी. परीक्षण

परिकल्पना व्याख्या:-

परिकल्पना -1.

राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी-2

क्र.स.	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	मूल्य	सार्थकता
1	राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी	50	43.28	11.02	0.112	1.98
2	निजी विद्यालय के विद्यार्थी	50	43.04	11.12		

df = 98

विश्लेषण एवं व्याख्या:-

व्याख्या परिकल्पना के अनुसार राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता। प्रदत्त के आधार पर पाया है कि राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी का मध्यमान 43.28 है तथा मानक विचलन 11.02 है। गणना करने निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का मध्यमान 43.04 एवं मानक विचलन 11.12 है। गणना के पश्चात t का मान 0.112 है। स्वतन्त्रता की कोटि (df) 98 पर

t का सारणी मूल्य 1 प्रतिशत पर 2.63 एवं 5 प्रतिशत पर 1.98 है। t का परिगणित मूल्य सारणी मूल्य से कम है अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। व्याख्या रूप में कह सकते हैं कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों एवं राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल विकास लगभग समान है। उनमें अन्तर नहीं पाया गया है। ICT के उपयोग का लाभ विद्यार्थी समान रूप से ले रहे है। जहाँ निजी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास द्वारा अध्ययन करवाया जाता है वहीं राजकीय विद्यालयों में भी ICT प्रयोगशाला स्थापित की गयी हैं। इनका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। वे अपने शिक्षण/अधिगम में तकनीकी का भरपूर प्रयोग करते हैं। उसका कारण हो सकता है कि कोविड-19 के बाद समस्त शिक्षा प्रणाली आनलाइन आधारित हो गई थी। शिक्षण के साथ-साथ गृहकार्य तथा प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन ही करने होते थे। अपने कार्य को पूरा करने तथा अधिनाम करने के लिए विद्यार्थी सूचना तकनीकी से जुड़े रहे और उनमें तकनीकी कौशल का विकास हुआ। अध्ययन कर गणना करने पर पाया कि राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास लगभग एक जैसा हो रहा है। अत: शोधकत्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना - 2

राजकीय विद्यालय के छात्र एवं निजी विद्यालय की छात्राओं के तकनीकी कौशल विकास में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

सारणी-3

क्र.स.	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	मूल्य	सार्थकता
1	राजकीय विद्यालय के छात्र	25	42.88	10.69	0.	2.01
2	निजी विद्यालय की छात्राऐं	25	42.44	10.73	141	

df = 48

विश्लेषण एवं व्याख्या-

सारणी-3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजकीय विद्यालय के छात्रों का मध्यमान 42.88 तथा प्रमाप विचलन 10.69 है । निजी विद्यालय की छात्राओं का मध्यमान 42.44 तथा प्रमाप विचलन 10.73 है। इनका ज प्राप्तांक 0.141 है। स्वतन्त्रता के अंश 48 पर 5 प्रतिशत पर t का सारणी मूल्य 2.01 है। चूंकि t का परिगणित मूल्य, सारणी मूल्य से कम है। अत: शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

अभिप्राय है कि राजकीय विद्यालय के छात्र एवं निजी विद्यालय की छात्राओं में तकनीकी कौशल का विकास समान रूप से हो रहा है। छात्र एवं छात्रा होने से इनके विकास पर कोई भी लिंग आधारित प्रभाव नहीं पड़ा है। निजी विद्यालय हो या राजकीय विद्यालय दोनों ही प्रकार के विद्यालय में विद्यार्थियों को तकनीकी आधारित शिक्षण करवाया जाता है या सभी को समान सुविधाएँ अथवा समान अवसर दिये जाते हो। हो सकता है कि विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों पर समान ध्यान देते हो तथा उन्हें तकनीकी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हो। उनकी समस्याओं का समाधान समय-समय पर करते हैं। जो सुविधाऐं निजी विद्यालय में छात्राओं को मिल रही है उसी प्रकार को सुविधाएं राजयकीय विद्यालय में छात्रों को भी मिलती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपर्युक्त अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यार्थियो के तकनीकी कौशल विकास में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है। विद्यार्थी चाहे राजकीय विद्यालय के हो या निजी विद्यालय के। छात्र हो या छात्रा सभी में तकनीकी कौशल का विकास हो रहा है। निजी विद्यालयों में तो पहले भी विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था उनके लिए कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य थी। शिक्षक भी उपलब्ध होते थे। लेकिन अब राजकीय विद्यालयों में भी विद्यार्थियो के लिए तकनीकी सम्बन्धी सभी सुविधाए उपलब्ध है। तथा शिक्षक भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। कोविड काल से पहले तथा बाद में राज्य सरकारों द्वारा ICT के प्रयोग के लिए अनेक प्रयास किये गये। उक्त शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा किये गये प्रयास फलीभूत होते दृष्टिगत हो रहे हैं।

प्रत्येक शोध कार्य का प्रारम्भ समस्या से होता है, उस समस्या हेतु कई समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उन समाधानों के आधार पर भावी शोध हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये जाते हैं। निम्न सुझाव है-

प्रस्तुत शोध एक ही जिले तक सीमित हैं। इसे वृहद रूप मे करते हुए एक राज्य तक किया जा सकता है। केवल राजकीय और निजी विद्यालयों को शामिल किया गया है, इसमें पब्लिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय आदि पर शोध अध्ययन किया जा सकता है। तकनीकी कौशल विकास विद्यालय के विद्यार्थियो के साथ-साथ /अतिरिक्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/शोधार्थियों का भी देखा जा सकता है।

सन्दर्भ:-

1. बुच, एम. वी., (1995): सिक्स्थ सर्वे ऑफ रिसर्च एजुकेशन, NCERT, नई दिल्ली।
2. गुप्ता, वी., राजपाल एन., शिक्षा में नवाचार तथा नए आयाम, साहित्य प्रकाशन, प्रथम संस्करण।
3. काँड, जे. (1988) दा कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन एजूकेशन पॉलिसी, जर्नल ऑफ एजूकेशन पॉलिसी, 3(3) 235-2471
4. मिश्रा उ. - एवं सवा के., प्रसार शिक्षा, आगरा: साहित्य प्रकाशन, तृतीय सांकरण
5. श्रीवास्तव डी., एन., - वर्मा पी., 2007: मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर
6. www.rajsmsa.nic.in
7. www.shodhganga.inlibnet.ac.in

कोविड-19 वैश्विक महामारी का छात्रों पर प्रभाव

दुर्गा जाट

शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० अल्पना शर्मा

शोध निर्देशक, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

वैश्विक महामारी कोरोना ने शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र से जुडे सभी लोगों के सामने कई यक्ष प्रश्न खडे कर दिए है जैसे - महामारी के दौरान और उसके बाद का शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। प्रत्येक बालक की षिक्षा से जुडी हुई शैक्षिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जायेगा, आने वाले समय में शिक्षा के वर्तमान ढांचे में कौन से नए परिवर्तन करने आवश्यक होगें इत्यादि। प्रत्येक बुरा समय कई समस्याओं के साथ नए अवसर भी लाता है। वर्तमान वैश्विक महामारी के समय को भी इस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कोविड काल को भी शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से समझ सकते है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन परिवर्तनों को अपनाने के लिए हम दशकों से प्रयास कर रहे थें वर्तमान परिस्थितियों मे वे सहज ही प्रभावी होते दिख रहे है परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए की सिक्के का एक दूसरा पहलु भी है और वह है उपलब्ध संसाधन और आमजन तक उनका विस्तार। सरल शब्दों में कहे तो यही वह समय है जब हम शैक्षिक चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकतें है।

मुख्य शब्दः कोरोना, वैश्विक महामारी, डिजिटल लिटरेसी

प्रस्तावना

कोविड-19 की महामारी ने आज समूचे विश्व की अर्थ व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था तथा सामाजिक स्तर को अत्यंत प्रभावित किया है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन के दिशा निर्देश समय समय पर दिए गए। इस निर्देश के चलते स्कूल, कॉलेज को पूर्णता बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह व्यवस्था ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकेगी। क्यों कि वहां अधिकतर लोगों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ना तो एंडरॉइड फोन है और नेट की उचित व्यवस्था है। ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के छात्रों के लिए पढ़ाई करना बेहद मुश्किल है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया गया। जिनसे विद्यार्थि यों के आत्म विश्वास पर भी असर पड़ा। परीक्षाओं के ना होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है।

विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नत करना पड़ा और विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं में मिले नंबर के आधार पर नंबर दिए गए। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ इसका बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। अतः इस कारण कोरोना काल में हमारा मानव संसाधन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोरोना ने समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों और विकलांगों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर डाला है। समाज के कमजोर वर्ग के छात्र और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था बस कुछ गिने-चुने महंगे प्राइवेट विद्यालयों द्वारा की गई, जोकि समाज के हर स्तर का छात्र अफोर्ड नहीं कर सकता था। समाज के कमजोर वर्ग के और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के साधन जैसे लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्ट फोन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इत्यादि उपलब्ध नहीं है।

कोरोना काल में सरकारी प्राथमिक विद्यालय पूरी तरीके से बंद हैं जिसके कारण वहां पर मिड डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील के कारण बहुत से बच्चे स्कूल आते थे जिससे उन्हें शिक्षा तो प्राप्त होती ही थी साथ ही साथ स्कूल में पौष्टिक भोजन भी मिलता था। कोरोना काल में बच्चों को ना तो शिक्षा मिल पा रही है ना ही पौष्टिक भोजन। इस कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है और साथ ही साथ बच्चों में कुपोषण भी बढ़ सकता है। छोड़ने की दर विशेषकर लड़कियों में ज्यादा हो सकती है, जिससे भविष्य में लैंगिक असमानता बढ़ सकती है और साथ ही साथ बाल विवाह भी बढ़ सकता है। अतः कोरोना काल में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बंद होने के कारण समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा के पूरक के रूप में काम कर सकती है लेकिन ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। स्कूल में जब विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृति के बच्चे आते हैं और एक साथ बैठते, उठते खेलते हैं और पढ़ते हैं तो वे कई तरह की चीजें सीखते हैं उनमें पारस्परिक संपर्क होता है जिससे उनका समाजीकरण होता है। उनकी समाज के बारे में एक और अच्छी समझ उत्पन्न होती है जो डिजिटल

माध्यम की शिक्षा से नहीं संभव है। बच्चों का समग्र व्यक्तित्व विकास तभी हो पाता है जब वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ संपर्क करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के छोटे बच्चों को एक साथ लाकर उन पारस्परिक संपर्क की नकल नहीं कर सकता है जो स्कूल सुविधा प्रदान करते हैं। अत: कोरोना काल में बच्चों का समग्र व्यक्तित्व विकास पारस्परिक संपर्क और समाजीकरण नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ है। हालांकि कोरोना ने शिक्षा पर ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही छोड़े हैं, लेकिन कुछ हम सकारात्मक प्रभाव भी देख सकते हैं कोरोना काल में महसूस किया गया कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के छात्रों को सस्ती और अच्छी शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा ने टीचरों को और ज्यादा रचनात्मक बनाया। ऑनलाइन साधनों का उपयोग करके किसी भी विषय को बच्चों को और अच्छे से समझाया जा सकता है। इसके अलावा, कोविड-19 के समय में डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ीं गुणवत्ता परक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है, क्योंकि गुणवत्ता परक शिक्षा किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनाती है, और कोविड-19 के काल में हमारे बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है।

निष्कर्ष

भविष्य में शिक्षा प्रणाली को पुन: उचित स्तर पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जाने पड़ेंगे। कोविड-19 के कारण उत्पन्न यह स्थिति विद्यार्थियों के मनोबल तथा पढ़ाई हेतु उनके लगन को ठेस पहुंचा रही है। इस समय यह आवश्यकता है कि अभिभावक अपने बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करे ताकि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में कमी ना आए। साथ ही विद्यार्थी अपने साथियों के साथ आपस में पढ़ाई से संबंधित चर्चा करें। इससे उनके ज्ञान में संभावित रूप से वृद्धि होगी। कोविड -19 महामारी ने हमारे सामने ऐसा समय ला दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने हर इंसान की जिंदगी में अपना असर दिखाया है, और ज्यादातर लोगों के जिंदगी में नकारात्मक तरीके सें कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

संदर्भ

http://egyankosh.ac.in
https://nios-iradioindia.in
https://swayam-gov-in/
https://wwwswayamprabha-gov-in/
https://diksha-gov-in/
https://ndl.iitkgp.ac.in/
https://new.e-yantra.org/
http://gd.ignouonline.ac.in/gyandarshan/
http://ignouonline.ac.in/Gyandhara/
https://shodhganga.inflibnet.ac.in

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारः विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रियंका शर्मा

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ० रीटा झाझड़िया

शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सार संक्षेपः-

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए है। आजादी के पश्चात् यदि हम कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियमों की विवेचना करते है तो स्पष्ट होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाये गये है। परन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक की अधिकांशतः महिलाएँ अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने हेतु बनाए गये अधिकारों की विवेचना की गई है।

प्रस्तावनाः-

नारी ईश्वर की अनुपम कृति है। इसमें कोमलता, अखण्डता और सुकुमारता के साथ कठोरता, शीतलता, मधुरता के गुण माँ, पत्नी बहिन तथा बहू अनके रूपों में पाई जाती है। नारी समाज की ऐसी मूलभूत ईकाई है जिसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नारी की इन्हीं विशेषताओं के कारण उसे सम्मानीय स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। तथा ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में आज भी महिलाओं को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उसका सम्मान किया जाता है। हमारे भारत में नारियों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। तथा सभी क्षेत्रों में नारी की भूमिका अहम रही है। परतनु अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे तो नारी को केवल भोग विलास का सामान समझा जाता है। लोगों द्वारा महिलाओं को गलत दृष्टि से देखा जाता है। तथा आये दिन उसे उत्पीडन व हिंसा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

भारत में आज 65 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है फिर भी उनपर तरह तरह के अत्याचार होते है। भारत 21 वीं सदी में तकनीकी, प्रगति और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा दोनों साथ साथ चल रहीं है। यह हिंसा अलग अलग तरह की होती है तथा हिंसा का षिकार किसी भी जगह जैसे दफ्तर, सार्वजनिक स्थान या घर में होना पड़ता है।

हमारे संविधान तथा कानून मे महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान किये गये है परन्तु जागरूकता के अभाव में महिलाएँ अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। या फिर जानते हुए भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहती है। इएलिए महिलाओं के आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस में इतनी वृद्धि हो जिससे की वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण जागरूकता होकर उनका संरक्षण कर सके इसी लक्ष्य की प्राप्त के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंधन एक प्रयास है।

महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबन्धः-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसारः-

1. भारत के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं काय जायेगा। अर्थात् स्त्रीयों को भी पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये है। तथा किसी भी प्रकार का लिंगभेद नहीं किया जायेगा।
2. अनुच्छेद 23-24 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के विरूद्ध मानते हुए महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृति के लिए जबरदस्ती करना भीख मगवाना आदि को दन्डनीय अपराध माना गया है तथा इसके लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया है।
3. धारा 304 बी, 302, 306 एवं 498 ए में दहेज हत्या से जुडे मामलों के लिए कानूनी प्रावधानों का विवरण है। जिसके अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले अपराधी साबित होने पर उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।

4. बलात्कार से सम्बन्धित अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375,376,376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376(घ) से स्पष्ट प्रावधान है।
5. कार्य स्थल पर यौन शौषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय का विशाखा निर्णय 1997 बनाया गया है।

महिलाओं के लिए पारिक किये गये अन्य अधिनियम -

1. दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961
2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
3. बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006
4. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005
5. गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम 1971

अन्य प्रयासः-

महिलाओं की दश सुधारने हेतु भारत सरकारी द्वारा सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई तथा देष में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया।

निष्कर्षः-

महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाये गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति शोधनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है। परन्तु महिलाओं के द्वारा उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जिससे की उनमें आत्मबल, आत्म्विश्वास और साहस की वृद्धि हो सके। तथा वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने सम्मान की रक्षा कर सकें।

संदर्भ सूची

1. आहूजा राम, क्राइम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर, रावत पब्लिकेशन 1987.
2. रोजगार और निर्माण मार्च - 2005.
3. नाटाणी प्रकाषन नारायणः महिला उत्पीडन- विविध उपचार, 2008
4. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली, 41 वाँ संस्करण 2008.
5. महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समाचार विभिन्न समाचार पत्रों के आलेख।

शिक्षक -प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों का प्रयोग

नीलिमा जोशी

शोधार्थी, शिक्षाविभाग, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर (राज.)

डॉ० श्वेता भार्गव

शोध निर्देशक, शिक्षाविभाग, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर (राज.)

सारांश:

शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों के प्रयोग का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा, यह जानने के लिए कि कैसे शिक्षक छात्रों की शैक्षिक और कैरियर परामर्श में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, माध्यमिक विश्लेषण की विधि और पहले के अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च प्रशिक्षित, कुशल और सक्षम शिक्षक एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है जो छात्र की सफलता को प्रभावित करता है। आज के वर्तमान समय शिक्षक की भूमिका उसके विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है और एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करने में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। एक प्रभावशाली प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास होना चाहिए। आज का शिक्षक एक प्राचीन पद्धति पर चलने वाला न होकर हर समय स्वचालित रूप से चलने वाला होगा तभी वह एक अच्छा शिक्षक सिद्ध हो पायेगा। अपने अध्यापन में आवश्यक परिवर्तन कई चुनौतियों का उसे सामना करना होगा। शिक्षा को एक नवीन आयाम देने के लिए शिक्षा में एक नया नवीन पहलु आया है वो है नई शिक्षा नीति-2020 जो आने वाले समय में शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब शिक्षक का ध्यान एक विषय या कहे कि एक वस्तु परक न होकर बहुआयामी होगा।

शब्द कुंजी: ऑनलाइन शिक्षा, कुशल शिक्षण विधियां, प्रभावशाली शिक्षण तकनीक, नई शिक्षा नीति-2020।

प्रस्तावना

आधुनिक विकास एवं तकनीकी प्रगति ने शिक्षाविदो, अध्यापकों एवं छात्रो के लिये शिक्षा के क्षेत्र मे नये स्त्रोत खोले है। तकनीकी का प्रयोग हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक कर सकता है और इस सफलता का प्रयोग समानतौर पर शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसलिये आज अध्यापको के लिये आवश्यक हो गया है कि वे नयी तकनीकियो से परिचित हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिये विभिन्न तकनीकियो का विकास किया गया है जिनका प्रयोग शिक्षाविदों के द्वारा किया जा रहा है।

विभिन्न प्रकार के शिक्षाशास्त्रों द्वारा छात्रों को दिया जाने वाला उपयुक्त ज्ञान ही सीखने के परिणामों के प्रकार को निर्धारित करता है। यहाँ से, सर्वोत्तम सामग्री का चयन करने और शिक्षार्थियों को ज्ञान के सर्वोत्तम विश्वसनीय स्रोतों की ओर निर्देशित करने में शिक्षक की भूमिका को प्रभावित करता है। शिक्षकों और संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा वर्णित प्रभावी शिक्षण के परिणाम सीखने के परिणामों को संदर्भित करते हैं जो टिकाऊ, लचीले, कार्यात्मक, सार्थक, सामान्य और अनुप्रयोग-उन्मुख हैं। कई शोधार्थियों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रभावी शिक्षण एवं कुशल तथा प्रभावशाली तकनीकों द्वारा शिक्षण के परिणामस्वरूप सबसे अधिक लाभकारी प्रकार के ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। प्रभावी शिक्षा एवं कुशल तथा प्रभावशाली तकनीकों का अभाव सफलता और सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, इसलिए, शोधकर्ता ने प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों के प्रयोगो पर प्रकाश डालने के लिए यह अध्ययन किया।

शैक्षिक तकनीक

शैक्षिक तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यक्तानुसार आधुनिक कौशलो एवं तकनीकियों के प्रयोग से जुड़ी है। यह वातावरण को नियंत्रित करके शिक्षण विधियों को अपने अनुसार परिवर्तित करके अधिगम को आगे बढाती हैं इसका प्रभाव अधिगम पर स्पष्ट दिखायी देता है। शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान मापन, एवं मूल्यांकन की तरह ही नया क्षेत्र है। शैक्षिक तकनीकी अधिगम के संसाधनो के नियोजन एंव संगठन के लिये आधार प्रदान करती है तथा शिक्षण उददेश्यों की प्राप्ती में मदद करता है। शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण मे नवीन विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकियों का प्रवेश हो रहा है।

शैक्षिक तकनीकी की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उददेश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्रो के कार्य का निरंतर सरल बनाया है। जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली-भांति समायोजित रहे और अपने उददेश्यों की प्राप्ति मे क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम और समर्थ रहे।

शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। अधिनियम सिद्धान्तों की जगह शिक्षा सिद्धान्तो को उचित महत्व प्रदान करने वाली विषयवस्तु शैक्षिक तकनीकी ही है।

अत: यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी आज के तकनीकी युग मे शिक्षक की उपयोगिता बताती है। छात्रों या छात्राध्यापकों को प्रभावशाली विधि से सिखायी जाती है और समाज के लिये ज्ञान के संचालन, प्रसार, प्रसार तथा विकास के लिये अत्यन्त उपयोगी है।[1]

शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी प्रयोगो के उद्देश्य

1. वर्तमान की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और आशाओं की पूर्ति के लिए।
2. शिक्षक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए।
3. शिक्षक शिक्षा में नवीनतम् प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के ज्ञान का विस्तार करने के लिए।
4. शिक्षक शिक्षा को समय के साथ परिवर्तन युक्त बनाने के लिए।
5. शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास के लिए।
6. बदलते हुए परिवेश को वर्तमान समय के साथ गतिशील बनाने के लिए।
7. शिक्षण विधियों में रचनात्मकता एवं नवीनता लाने के लिए।
8. छात्राध्यापकों को प्रत्यक्ष एवं स्थायी ज्ञान प्रदान करने योग्य बनाने हेतु।
9. छात्राध्यापकों को क्रियाशील बनाने के लिए।
10. छात्राध्यापकों में स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए।
11. शिक्षक शिक्षा संस्थानों एवं विद्यालय में समन्वय स्थापित करने के लिए।
12. सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु ।
13. कार्य के नये क्षेत्रों के बारे में जानने तथा समझने के लिए।
14. शिक्षा के उद्देश्य, उसकी पाठ्यचर्या में नयी विषय सामग्री के विकास के लिए।

शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए निम्म प्रयोग किये जा सकते है:-

- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर:- शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विक्सित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्म और पॉइंट सलूशन द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रोद्योगिकी आधरित समाधान प्रोद्योगिकी में तेजी प्रगति के साथ पुराने न हो जाए।
- ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण:- विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक के एक संरचित, उपयोगकर्त्ता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयंम, दीक्षा, स्माइल जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान इस समय में अनेक महामारी जैसी जटिलताओं का हमारा देश सामना कर रहा है जिसके कारण हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो वर्षो बहुत ही अधिक पिछड़े गए है।
- ऑनलाइन साम्रगी:- कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स ऑनलाइन क्लासेज आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण डिजिटल रिपोजिटरि विकसित की जायेगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी प्रणाली है। छात्रों के लिए मनोरंजन आधरित अधिगम हेतु कई नए-नए उपकरण विकसित किये जा रहे है। छात्रों को ई-सामग्री का प्रसार करना एक शिक्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है।
- वर्चुअलाइजेशन:- वर्चुअल लैब बनाने के लिए सरकार के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप्प को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से उपयोग किया जा रहा है और उनका एक सकरात्मक पक्ष हमें शिक्षा जगत में देखने को मिलता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में इस प्रकार का बदलाव करने के लिए टेबलेट और लैपटॉप का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है और उसके प्रयोग के लिए हमें इसका प्रशिक्षण समय-समय पर लेना चाहिए।
- ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षायें:- राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अथवा परख स्कूल बोर्ड, एनटीए और अन्य चिन्हित मूल्यांकन रूप रेखाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यान्वित जिसमें दक्षताओं औए मूल्यांकन के लिये कुछ विशेष प्रकार के प्रपत्र होंगे और इसके साथ ही 21 वीं सदी के कौशल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षा प्रोद्योगिकी का उपयोग किया जाना अति आवश्यक हो जाएगा।
- मानकों को पूरा करना:- जैसे ही ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन हमारे सामने आ जाएगा तभी शिक्षा का सही स्वरुप हमारे सामने आ जाएगा। डिजिटल शिक्षण पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा जो भविष्य के लिए प्रभावशाली शिक्षा का एक नया आयाम हमारे सामने लेकर आएगा।[2]

अध्ययन को उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों का प्रयोग तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित डेटा का विश्लेषण करना है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु हमने माध्यमिक अनुसंधान शोध पद्धति को उपयोग किया है जिसमें पहले से मौजूद डेटा का उपयोग करना शामिल है। अनुसंधान की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए मौजूदा डेटा को सारांशित और एकत्रित किया जाता है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु विभिन्न स्रोतों जैसे कि किताबें, प्रकाशित पेपर, पत्र-पत्रिकाओं और वेबसाइटों आदि के द्वितीयक डेटा का प्रयोग किया गया है।

कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों का विश्लेषण

शिक्षण रणनीतियाँ वे विधियाँ और तकनीकें हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों या छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन देने के लिए करेगा; एक शिक्षक अध्ययन किए जा रहे विषय, शिक्षार्थी की विशेषज्ञता के स्तर और उनकी सीखने की यात्रा के चरण के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति का चयन करेगा।

एक पाठ में एक शिक्षक अलग-अलग अंतिम लक्ष्यों के साथ कई अलग-अलग शिक्षण रणनीतियों एवं विधियों का उपयोग कर सकता है। सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ एव ंविधियां वे हैं जो बड़े पैमाने पर परीक्षणों पर काम करने के लिए सिद्ध हुई हैं।[3]

ऑनलाइन सीखना

COVID-19 महामारी से पहले अधिकांश शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण आदर्श नहीं हो सकता था, लेकिन हमेशा कुछ शिक्षक ऐसे रहे हैं जो ऑनलाइन काम करना पसंद करते हैं। ऑनलाइन ट्यूटर्स अक्सर घर से काम करने, अपने काम के घंटे चुनने और खुद के बॉस होने की आजादी का आनंद लेते हैं। लेकिन वास्तव में ऑनलाइन शिक्षण में क्या शामिल है? अनिवार्य रूप से, यह इंटरनेट का उपयोग करके दूसरों को शिक्षित करने की प्रक्रिया है, चाहे वह व्यक्तिगत या समूह वीडियो कॉल, वेबिनार या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। आम तौर पर यह छात्रों को जोड़े रखने के लिए चीजों का एक संयोजन होगा। ऑनलाइन सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत से लोगों के लिए सुलभ है। हर कोई स्कूल नहीं जा पाता है, लेकिन अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। बेशक, प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए भी एक बाधा हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते जा रहे हैं, सौभाग्य से यह बाधा टूट रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण विधियाँ एवं तकनीक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी होने के लिए, इसे स्कूलों द्वारा उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। यह नीति प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों पर लागू होती है। यह बहुत सारे वादे करता है और कई तरीकों से शेड्यूल पर प्रतीत होता है, लेकिन यह कैसे किया जाता है इस पर निर्भर करता है।

एनईपी 2020 साहसिक, व्यावहारिक, आगे की सोच रखने वाला और व्यापक है। इसमें प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा, और शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक कई तरह के विषय शामिल हैं। यह देश की शैक्षिक स्थिति की वास्तविकता पर आधारित है, जो छात्रों से अच्छे अंक प्राप्त करने और अवधारणाओं को समझे बिना सामग्री को याद करने की अपेक्षा करने के बजाय उनकी रचनात्मकता, आविष्कार और व्यक्तित्व विकास पर अधिक महत्व देता है। एनईपी 2020 में पूछताछ-आधारित शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल, इंटरएक्टिव क्लासरूम, ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडी और फ्लेक्सिबल असेसमेंट शामिल हैं।

इस नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम सावधानीपूर्वक योजना और गहन शोध का परिणाम है, और जब इसे लागू किया जाता है, तो यह छोटे बच्चों के बीच तनाव को कम करेगा, वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने में सहायता करेगा, आत्मनिर्भर प्रशिक्षित व्यक्तियों का विकास करेगा और अंततः सामान्य रूप से गुणवत्ता सुधार में योगदान देगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि शैक्षिक विधियां एवं तकनीक वह विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शैक्षिक व्यवस्था में शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र बहुत व्यापक हैं जैसे- सभी को शिक्षित करना, ऐतिहासिक सूचनाओं को एकत्र करना, अधिक से अधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण आदि। नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह मौजूदा शिक्षा नीति में पूर्ण परिवर्तन है जिसे अंतिम बार 1986 में लागू किया गया था। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3,000 या अधिक छात्र होंगे। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से शोधार्थी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल एवं प्रभावशाली तकनीकों के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे अध्ययन में उपलब्ध डाटा शोधार्थियों को ऐसे कौशलों पर काम करने में आपकी मदद कर सकता है जो उनकी प्रस्तुत विषय से संबंधित पाठ योजना और निष्पादन को बेहतर बना सकते हैं, जिससे उनको लाभ होगा। शैक्षिक तकनीकी, इसके क्षेत्र और घटक आपको स्पष्ट होने चाहिये। ये सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की ही है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा नीति में जो भी नए परिवर्तन हुये हैं उनको शिक्षक समझ कर विद्यार्थियों व अभिभावकों को समझाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक ही निभा रहे हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढी है। हम आशा करते है कि यह संक्षिप्त विवरण आपके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राबा, अहमद आवाद अमिन महमूद, ''दी इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज ऑन प्रोडूसिंग फास्ट एंड गुड लर्निंग आउटकम्स'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च - ग्रंथालयाः, 5(1), 2017, पृष्ठः 43-58।
2. शैक्षिक तकनीकी, अधिकारिक वेबसाईट- https://www.uou.ac.in
3. टीचिंग मेथड्स, अधिकारिक वेबसाईट- https://www.bffualo.edu
4. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का परिवर्तनरू सलाह देना और प्रशिक्षित करना, अधिकारिक वेबसाईट- https://www.open.edu
5. कुमार अनिल, अनंथा, ''दी मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज तो उसे इन योर स्कूलरू एविडेंस बेस्ड एंड प्रोवें तो वर्क'', थर्ड स्पेस लर्निंग, 2022, पृष्ठः 1-14।
6. फ्रान, ''सिक्स इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड हाउ टू यूज देम'', फ्यूचर लर्न, 2021, पृष्ठः 1-7।
7. दी मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पालिसी, अधिकारिक वेबसाईट- https://beteacher.betechie.in

The Structural and Institutional Reforms in Teacher Education as per NEP 2022

Dr. N. R. Sharma

Principal & Dean, SUS Panjab University Constituent College, Guru Har Sahai

The Reformation in education is proposed and executed to create more equitable learning environments for all as well as to imbibe qualitative Improvement in TLP in the light of vision and mission of the nation.

Today, it is the call of the hour to work on burning need of the nation which is revolving around qualitative education the crux is we still have a great a global power in India which is our role strength and that is the largest number of young populations in the globe. The population size which will be a boon only if these young people are skilled enough to join the workforce. The skill development at all levels has to be the integrant part of education after the execution of NEP 2020. In addition to building of skilled workforce, education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment. The gap between the current state of learning outcomes and what is required must be bridged through undertaking major reforms that bring the highest quality, equity, and integrity into the system, from early childhood care and education.

Structural Level Reforms in Teacher Education – by 2030

- The Teacher Education institutes will gradually be moved into multidisciplinary colleges and university.
- The minimum degree qualification for our teachers will be a 4year integrated.
- B.Ed. standalone colleges will disappear and cluster of colleges will operate.
- All Teacher Education programs will be conducted within composite multidisciplinary institutions.
- Education departments will carry out research in various aspects of Education and also will run B.Ed. programmes in collaboration with other departments e.g., Psychology, Philosophy, Sociology, Science and Literature.
- In service Teacher training will be restructured with modules on curriculum development, exclusion on practices, inclusive policies, gender sensitization and initiative to support Children with special needs.
- HEI with Teacher Education program have to ensure the availability of a range of experts in various disciplines.
- Network of government and private schools with member of potential Teacher's availability will be required.
- Essential arrangement for numerous pedagogies like brain-based learning, experiential learning, blended learning and flipped classes too.
- Reformation in annual calendar as to include community interactions and outreach programmes
- Essential arrangements and reformation in structure for providing enriched training in visual and performing arts.
- Art integrated curriculum requires art related practice modules and its setting in the timetable creatively and innovatively.
- Sports integration is needed to be focused towards development of collaboration; selfregulated behaviour and citizenship so its continuous assessment must be a regular part of routine in TE programme.
- Reflective inquiry is to be practiced under tutorial sessions in routine work.
- Furthermore, special shorter local teacher education programmes will also be available at BITEs, DIETs, and school complexes. These courses will promote local professions, knowledge and skills such as local art, music, agriculture, business, sports, carpentry, and other vocational crafts. This also align with the vision of the policy to provide holistic education.
- In the Book "Keeping Good Teachers", written by Mark.F.Goldberg observes that it is difficult to be a great teacher without being comfortable with the age group of eleven to fourteen. Middle school teachers help students build them the fundamentals they learned in the elementary schools and prepare them for the more complex subjects and lessons in secondary level. The students also have high regard for their teachers during this age

and consider their teachers as ideals or role models. So more focus has to be given to training of teachers for middle school level.

- TEIs and so-called department of education in HEI have to make immediate changes.
- Enriched community service program and enriched adult education and number of vocational education sessions involving pool of experts from the immediate periphery of the district.

Institution Level Reforms

- Equipped Educational Technology labs with IT experts with skills of organizing practical sessions.
- Digitalized labs for organizing teaching practice sessions in all the subjects through all available pedagogies.
- Enough space for organizing advanced simulated teaching-learning sessions as well as micro and macro lessons as per the need of 4-year, 2 year and 1 year TE programs.
- Equipments as per the need of numerous vocations and skill practices.
- At least every TEIs has to build new departments in order to get in shape of multidisciplinary institute.
- Some of these are department of Psychology, department of child development, department of linguistics which actually needs lots of investment.
- Department of Science, Mathematics, Economics, Social Sciences can be merged with pharmacy and degree colleges as they already have invested in these.
- The emerging need of creating a large pool of senior and retired faculty needs lots of infrastructural changes at various level and of course lots of investment too.
- Institution has to reform teacher training programme and workshops as reflective studies are still missing in today's scenario which is the major ingredient of TE after NEP 2020. Thus institutional investments are required in this part too.
- Arrangement for inclusion of rubrics development has to be an important part and parcel of TEIs.
- TEIs have to invest a lot to have teacher education program at foundational, preparatory, middle and secondary level. Online course needs to be implemented with collaboration of MOOC (Massive Open Online Course), NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning).
- Classrooms will be changed to practice rooms and teacher educators will be the facilitator throughout.
- Recruitment of diverse faculty expert in various advanced areas of skill and education.
- "Light but tight" regulatory model demands institution to invest in research tools and instruments with utmost transparency.
- A technology platform as SWAYAM / DIKSHA requires vigorous 4G, 5G facility in the campus.
- Extensive infrastructures for organizing digitalized workshop for own faculty and other Institutes.
- Advanced software for evaluating system and credit calculation.
- Well-equipped laboratories with material of technology usage.

Conclusion

As teacher education requires multidisciplinary inputs, and education in high-quality content as well as pedagogy, all teacher education programmes must be conducted within composite multidisciplinary institutions. To this end, all multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education departments which, besides carrying out cutting-edge research in various aspects of education, will also run B.Ed. programmes, in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, neuroscience, Indian languages, arts, music, history, literature, physical education, science and mathematics.

Thus, teacher education program needs a drastic reformation by 2030 for which all TEIs have to prepare a lot in regard to the structure and level of institution available today. The eminent educationists and even fresh teacher including students have to be an integral part of reformation process right from the present moment if we really wish to execute the policy for the development of skillful workforce and making India the knowledge power and Indian youth as highly competent entity at global level.

New Education Policy 2020 And Teacher Education

Prof. Kamla Vashist

Prof. Emeritus, Ex. Director, SOE, Jaipur National University

National education policy 2020 approved by Union Cabinet in July 2020. This policy ushered with sweeping changes to the education and a big paradigm shift in teacher education. It has presented visionary, practical, progressive, comprehensive model of teacher and teacher education, which is aimed at making India a global super power and revamp the teacher as a developmental path maker. It has proposed several reforms to empower teachers and envisioned to restore the high respect and status to this profession, eventually, so it may attract the best mind and talent to choose teaching as their profession. It has also revolutionaries the selection, promotion and service conditions of teachers. The proposed modal of teacher education is for innovative curriculums, creative and participatory pedagogy with a view to inculcate competent, committed and skilled teachers and teacher educators with desirable affinity and interest in students' appreciated attitudes, aptitudes, values with social, cultural and national awareness. for such teacher's pre-entry procedure has to be rationalised and upgraded. Serious implementation strategies are equally important to adopt for harnessing the expected results of this progressive NEP-2020.

The first Indian Education Commission (1964-66) is ever first and last comprehensive document which connected education with national development and suggested for adopting a sound policy of education for revamping education system of India. On its recommendation first education policy of India were declared by union government. the second policy of education was adopted in the year 1986 condition of education specially the teacher education was more over like the same as depicted in 1968 and 1986. Education policy 2020 has envision for teacher to lift them out their current uninspiring job profile, rampant exploitation and disincentivised service conditions. It has proposed completely paradigm shift in the modal of teacher profession and has created a robust merit-based structure of entry, salary, promotion and incentivised and recognizing outstanding teachers.

Justice JS Verma committee report, 2012 mentioned that a broking teacher education sector is putting over 370 million children at risk. Private teacher education institutes were found to have only a foundation stone on the name of infrastructure and 99 percent passing rate. The report also reviled the 85 percent teacher failed to qualify the post qualification, Competency text- Central Teacher Eligibility (C-TET) adhocism and poor salaries and one hand to absenteeism, outdated teacher Knowledge and skills, lack of teacher professionalism and commitment on the other. Resulting poor learning outcomes in Indian classrooms.

There are certain issues which have to be addressed prayer to implement the suggested reforms in pre training system, in service orientation the first of all the values interest, attitudes and aptitude of prospective teachers have to be analysed, adjudge along with their academic, competencies. Every teacher must have love to his student and accountability and commitment to his or her profession. And awareness of rights, simultaneously with his duties, code of conduct and lust for live learning. Our entrance test have to upgrade up to more intensive performance level than merely qualifying teacher entrance examination.

NEP has recognized the power of teachers and has restored the high respect and status, hopping that it would attract the best stuff with best minds and talent. To achieve this Hercules task, strong strategies for implementations of the policy have to be adopted with continuous review of ground level outcomes of the implication endeavours.

School Environment in the Light of NEP 2020

Dr. Poonam Mishra

Associate Professor (Education), Apex University, Jaipur

Prof. Ashok Sidana

Dean (Education), Apex University, Jaipur

To quote the vision of the new policy of education NEP 2020, in few words won't be too easy rather one has to understand and look at it as a whole. It takes the new world's complexities into concern and envision education in a new garb. Today's world is full of everyday innovation. Changes are taking place due to scientific, revolutionary technological advancements and digitalization. India is marching and emerging as a fast-growing in all aspects of life on global map but unmistakably requires immediate and prompt changes in the system to cope up with high peak rising demands by preparing 21st century befitted youth only via education.

Education has a crucial role to play in the development of a person, and subsequently, the entire nation. NEP 2020 visualize the present scenario of education from 360 degree angle. Taking into consideration all the issues related to school and higher education, it talks on making vast and unmeasurable changes in the education sector with a well-structured plan. It basically focuses on laying strong foundation at school level through adopting new trends and approaches of teaching and learning for preparing better future generation at higher level education. There is a paradigm shift in the concept, purpose and delivery of education. The shift is from teaching to learning. Learning is foregrounded and focused and teaching is expected to be a process of facilitating learning.

Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities but both the "foundational capacities' of literacy and numeracy and 'higher cognitive capacities, such as the critical thinking and problem solving and also social, ethical, emotional, and emotional capacities and dispositions.

The policy hints on the same national structure of education but with a new mind-set, which demands to look at the whole education system with a new perspective as envisioned in the policy, where all stakeholders are to set the only one goal education and make their efforts united one in the same direction, rather working as a team selflessly for the good of students and the nation.

School Environment

Surveys have time and again displayed the fact that the school where all composite elements physical, socio-emotional and educational, contributing to the fulfilment of the goals and targets, is promise for not only students' academic achievement but also, mental and psychological growth and development, for fostering values and self-motivation in children at the age when their minds are porous enough to absorb the most.

The education stakeholders are to take up the reshaped roles and responsibilities and paving the way and making an easy approach for one and all. Like a family, they are in demand to work together to lend voice to all's ideas, opinions, perspectives, decision-making and thus influencing the organizational action. Like each member of the family, they can make students, experiencing the importance of values like empathy, integrity, compassion, creating the foundation of their character, shaping their beliefs, values and their view of themselves. Nurturing school environment helps to expand the horizon of the learning experiences. School environment demands on developing family-friendly policies and laws to encourage participation and team spirit among stakeholders and is crucial for achieving the goals of the new policy.

School Environment as Highlighted in the NEP, 2020

It takes great care to address the common issues related to the school environment. The new education system takes over a kid when she or he is just three years old and that certainly puts enormous responsibility on the system. Teacher is visualized as the vehicle of the vision and mission of NEP 2020 and teaching strategies are to steer the all-round/ holistic development of the child. Teachers require an effective school environment to maximize their abilities and do their job effectively. School environment has to be built to ensure that teachers are part of, "vibrant, caring and inclusive communities of teachers, students, parents, principals and other support staff, all of whom share a common goal: to ensure that our children are learning."

The policy emphasizes that "to achieve the goals, the first requirement in this direction will be to ensure decent and pleasant service conditions at schools. Adequate and safe infrastructure, including working toilets, clean drinking water, clean and attractive spaces, electricity, computing devices, internet, libraries, sports and recreational resources will be provided to all schools to ensure that teachers and students, including children of all genders and children with disabilities, receive a safe, inclusive, and effective learning environment and are comfortable and inspired to teach and learn in their schools," and "to help ensure that schools have positive learning environment, the role expectations of principals and teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools, for effective learning and the benefits of all stakeholders."

Teachers with a New Mind-set

A new conducive school environment is to be failed unless teachers develop fair understanding and promise with the new vision of education, and revamp their mental-framework and be ready to trigger the task a new way. Education is to prepare next generations not only to be able to enter future life confidently but also be able to navigate uncertain future where uncountable new opportunities will open and they will need to master varied skills at various stages in this world of uncertainties awaiting ahead. Teachers will have to nurture these same values of adaptability and innovations in their classroom. Teachers are to be empowered to lead the change. As per the policy teachers are to work on students' multi-disciplinary thinking as in school in Finland where they challenge students to look at real-world problems through the lens of different subjects, e.g. whether Math can hold a solution to climate change. At higher level also visualizes education where graduates expected be skilled and knowledgeable to look at the problem or issue with different point of views, analysing them with different perspectives, thinking creatively on original and unique solutions. This is possible through integrated approach of learning where faculty members from technology, computers and engineering to liberal arts professors are involved in the same field and process without segregating different streams of education.

Teaching-Learning Culture

Teachers are the early mentors. They can mould child mind to 'HOW-TO-THINK', a 21st century skill. APJ Abdul Kalam, "Learning needs freedom to think and freedom to imagine, and both to be facilitated by the teacher." Adopting appropriate pedagogies and creating suitable environment can help which cannot be imagined until teachers are prepared within the new framework and standards of teaching.

New and higher demands pressed on human shoulder due to infinite possibilities of technological advancements and digitalization, uncertain but expected worldwide emerging new roles in coming future, where definitely too much to cope with, has changed the very goal of education from traditional, book oriented, child centric to make each child independent, a thinker and a lifelong learner. Unavoidably students will ever need to skill and up skill them to upgrade professionally or pivot in their careers. Teachers have a major role to play in creating an environment that fosters a mind-set for lifelong learning. The powers entrusted on teachers and through their appropriate use and creation of a suitable environment, teachers can make children interactive, question raiser, explorative, creative, problem solver, critical thinkers and ethical learners through applying suitable strategies. Policy points out to give autonomy to teachers in choosing finer aspects of pedagogy so that they may teach in the manner that they find most effective for the students in their classroom and communities. For holistic development of the child, teachers need to focus on socio-emotional learning through integrating teaching and learning processes with Art and Sports. Teachers were given importance through preventing them from non-teaching/academic tasks. Teachers will be recognized for novel approaches to teaching that improve learning outcomes in their classroom.

Teaching Machines

The possibilities with use of technology in the class are immense. Schools are in need for proper arrangement and internet use and accessibility. With introduction of technology and AI based learning tools, teachers can adapt hybrid classroom to build engagement. Teachers can lean on technology to solve the problems of one-size-fits-all learning, will be able to tailor instruction and assessment for every single student and also to personalize assignments so that students

can learn according to their strength or creating learning paths unique to each student and thus impact and effectively benefit every student. For example, the concept of flipped classroom, course lecture could be pre-recorded and shared as a video and with class time utilized for discussion on how to apply that knowledge. Thus teaching will change dramatically to increase participation in the classroom and promote 'inquiry based', discussion based' methods as envisaged by NEP.

Cooperation and Collaboration among Stakeholders

Creating a vibrant, caring and friendly environment to maximize abilities of the teachers and students' learning, to enable teachers to do their job effectively, teachers with students, parents, principals and other support staff, they all have to share a common goal and that is to ensure that our children are learning

Government adopting innovative formats. The local community of every school is considered a significant part of the school and learning environment and is a core aspect of the policy. In collaboration with parents and other key stakeholders teachers will be involved in the governance of school/school complexes, including as member of SMC/ SCMC. This will help teachers to perform better and for parents it will become easier to communicate and provide feedback about the management. The parents' concern, participation and overall involvement will lead to better learning outcomes of their ward. The creation of school complexes could go a long way towards building vibrant teacher communities. The hiring of teachers to school complexes could automatically create relationship between schools across the school complexes:

To Ensure Decent and Pleasant Service Conditions at Schools

Good working environment with adequate support system will lead to better productivity. Learning supportive environment will enhance students' interest in learning and resultantly to low drop outs. The first requirement in this direction will be adequate and safe infrastructure, including working toilets, clean drinking water, clean and attractive spaces, electricity, computing devices, internet, libraries, sports and recreational resources.

NEP advocate for an environment of enjoyable, flexible, multi-level, play/activity based methodology along focusing on skills' development, vocational training, talks about art integration and sports integration. Also puts emphasis on high quality bilingual texts, a lot teaching –learning material, creating national textbooks with local content and flavour and also online teaching-learning material.

Inclusive and Effective Learning Environment

Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. The policy advocate for a system of education where no child loses any opportunity to learn and excel because of birth, gender, social category or background. Policy gives importance to make a change in school culture where all participants in the school education system including teachers, principal, administrators, counsellors, social workers, public-private partners, parents and the local community as a whole has to be sensitized to the requirement of all students; the notion of inclusion and equity, the respect and dignity, and privacy of all persons.

To all schools to ensure that teachers and students, including children of all genders and children with disabilities etc., receive and are comfortable and inspired to teach and learn in their schools. The policy also recognizes the importance of creating enabling mechanism for all especially the underrepresented, disadvantages, gifted and Divyang. It calls for bettering efforts like scholarships, conditional cash transfer to incentivize, providing transport means, dividends funds, hostels and boarding facilities. "One-on-one teachers and tutors, peer tutoring, open schooling, appropriate infrastructure, and suitable technological interventions etc. are to be ensured so that access can be made effective with the disadvantages and deprived groups.

The role expectations of principals and teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools, for effective learning and the benefits of all stakeholders. Such an educational culture will provide the best pathway to help students become empowered individuals who in turn, will enable society to transform into one that is responsible towards its most vulnerable citizens.

The School Curriculum

To inculcate ethical and humane values, the school curriculum will include values like respect for all persons, empathy, tolerance, human rights, gender equity, non-violence, global citizenship, inclusion and equity, also including knowledge of various cultures, religions, languages, gender identities etc. to sensitize and develop respect for diversity among students and creating a local environment where people learn to live together respecting individual's difference and the diversities at all levels.

Safe and Decent Environment

Careful attention must be paid to their safety and rights-particularly girl children-and the various difficult issues faced by adolescents, such as substance or drug abuse and forms of discrimination and harassment including violence, with clear, safe, and efficient mechanisms for reporting and for due process on any infractions against children's/ adolescents' rights or safety. The development of such mechanisms that are effective timely, and well-known to all students will be accorded high priority.

References:

- National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India
- Kaul, Anjni. (2015). School Environment from Physical Aspects to Learning. The Primary Teacher. Vol. 40 (No. 1). pp. 40-50. ISSN 0970-9282
- Malhotra, Taruna (2015). Influence of School Environment on Mental Health of Students at Formal Operational Stage of Cognitive Development. Indian Educational Review. Vol. 53 (No.2). pp. 51-104. ISSN 0972-561X
- Sharma, R.K. & Kamath, A.K.V.D. (2015). Learning Environment in Schools: A Field Experience. Journal of Indian Education. Vol. 41(No. 3). Pp. 34-45. ISSN 0972-5628
- Manual 'Child Friendly Schools' (2006) UNICEF
- Borkar, V. N. (2016). Positive school climate and positive education: impact on students' well-being. Indian J. Health Wellbe. 7, 861–862. Google Scholar
- The relationships between school climate and adolescent mental health and wellbeing: A systematic literature review, IJERT ELSEVIER

Web Links:

- https://books.google.co.in/books?id=eSXDREdKliMC&pg=PP20&lpg=PP20&dq=text+books+on+creating+good+school+environment+for+school+children
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://safesupportivelearning.ed.gov/sites/default/files/NCSSLE-Safe-Respectful%20Mod-2-SlfStdy-508.pdf
- https://safesupportivelearning.ed.gov/scirp/online-modules
- https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/edutrends-india/nep-2020-empowering-the-teacher/
- https://miracle-learning.com/blog/2020/08/22/nep-2020-policies-on-learning-environment-in-schools/
- https://www.educationworld.in/nep-2020-school-education-service-environment-and-culture/

National Education Policy: A Thrust on Vocational Education

Dr. Kalpana Sengar

Professor, Sanjay Teacher's Training College, Jaipur

The present study aims to analyse the manner in which the National Education Policy introduced by Ministry of Education is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development and aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to 21st century needs and aimed at bringing out the unique capabilities of each student. The study further explores the significance of Vocational Education in present times and focuses on the provisions in National Education Policy for its practical implementation.

Keywords: *education, employment, student, policy, vocational*

1.1 An Introduction

The National Education Policy is envisaged with a vision to provide universal access to quality education which is the key to India's leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural development. The reconfiguration of entire education system is a necessary step to 'ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all' by 2030 – as reflected in the Goal 4 (SDG 4) of the 2030 Agenda for Sustainable Development , adopted by India in 2015.

In the National Education Policy 2020, vocational education is seen as a way to provide students with the skills and knowledge they need to succeed in the workforce. The policy emphasizes the need for students to be able to choose a vocational education path that is aligned with their interests and aptitudes.

1.2 Objectives

1.2.1 To study the concept of Vocational Education

1.2.2 To analyze the need for Vocational Education in present times

1.2.3 To explore the benefits of Vocational Education

1.2.4 To analyze the steps taken under NEP for inculcation of Vocational studies in present education system

1.3 The Concept of Vocational Education

Vocational Education refers to a system or course of study which prepares individuals for jobs that are based on manual or practical activities. Until recently i.e. until the end of the twentieth century, the aim of vocational education was to focus on specific trades such as automobile mechanic or welder and was therefore associated with the activities of lower social classes. Because of this, it attracted a level of stigma.

Vocational education, in fact, is closely related to the age-old apprenticeship system of learning. But with the development of economies worldwide, the labor market became more specialized. The demand for higher levels of skill both in government and business sector started increasing. Demand for Vocational Professionals is required more than ever in various industries such as retail, tourism, information technology, funeral services and cosmetics, as well as in the traditional crafts and cottage industries

1.4 Need for Vocational Education

The vocational education space, over the years, has witnessed a painfully slow and stagnant growth. An assessment by the National Institute of Open Schooling highlights that only 2% of the total population in between 15-29 years of age have received formal vocational training, and only 8% have received non-formal vocational training. The NEP 2020 highlights the issues that teachers, especially at higher secondary levels, are not fully skilled to teach vocational

courses. There was no proper detailed curriculum, only basic introduction to all the vocational courses, which proves to be ineffective in sparking an interest in vocational education among school students. The existing system, therefore, fails to attract students from taking up vocational courses in future. Even if students opt to pursue vocational courses at higher education level, there are no proper admission criteria (especially in the general higher education system) for vocational education qualifications, which constraints the vertical mobility in this education system.

1.5 Significance of Vocational Education in Present Times

Vocational Education helps people in the better performance of their jobs as they acquire a great learning experience. Working professionals get a chance to hone their skills while making money. Many students who are in a dilemma whether they should attend college or not, Vocational education really opens a completely new door. It makes an individual a responsible and independent whereas those who study regular courses lack in this sphere.

The career of one's own choice is one of the major benefits of this education. A vast majority of people are caught in the wrong jobs because they were in it for the sake of job, money, lack of alternative and professional compromise whereas an individual pursuing Vocational Education is already pursuing his dream job. Vocational Education as the term itself denotes the students are specialized and therefore they have more chances of employment as compared to others.

1.6 Provision in NEP for inculcation of Vocational Studies in Education System

With the roll-out of the National Education Policy (NEP) 2020, vocational education has garnered the required spotlight. The new policy focuses on bringing vocational education into mainstream education, as recommended by successive commissions on education over the years. It includes teaching the mother tongue and regional languages up to the 5th year of schooling. Training in vocational skills will be included from the 6th class onwards. In order to make vocational education more structured, the policy recommends conducting a proper skills gap analysis and mapping of local opportunities to assign vocational courses relevant to a particular area. Alongside this, the NEP also emphasizes the credit-based National Skills Qualification Framework (NSQF), which was introduced in 2013. The framework will help in the assessment of prior learning of the enrolled students, which, in turn, will help in re-integrating the dropouts (from mainstream education) by aligning their practical experiences and appropriate level of the framework.

To overcome the situation of social stigma attached to vocationalisation, the NEP recommends:

(i) The integration of vocational education programmes into mainstream education in all educational institutions in a phased manner which "would lead to emphasizing the dignity of labour and importance of various vocations involving Indian arts and artisanship".

(ii) The teaching of vocational courses from class 6, mostly in the form of internships and practical activities, to ensure that every student should at least study one vocational course.

1.7 Conclusion

The National Education Policy (NEP) 2020 has envisaged for some transformational reforms in the Indian education system. It talks about the education system that lays emphasis on experiential learning along with a focus on 21st-century skills like critical thinking, problem-solving, etc. It is believed by many that by implementing these changes, the Indian academic system will be taken a step higher.

1.8 References:

1. M. (2020). NEP 2020: New education policy moots formation of technology forum.
2. Jayan, T.V. (2020). National Research Foundation to boost research, innovation.
3. No language imposition in new education policy, says drafting panel chief. Retrieved from https://www.indiatoday.in/education/story/no-language-imposition-new-education-policy-drafting-panel-chief-1705975-2020-07-30.
4. Pandit, A. (2020). Gender inclusion fund, spl edu zones in policy. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/gender-inclusion-fund-spl-edu-zones-in policy/articleshow/77252728.cms#:~:text=NEW%20DELHI%3A%20In%20what%20opens,as%20well%20as%20transgender%20students.
5. PM Narendra Modi speech lives on NEP: Policy to shift focus from 'what to think' to 'how to think. Retrieved from https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/pm-narendra-modi-speech-live-new-education-policy-inaugural-education-conclave-1708665-2020-08-07.

6. Shukla, A. (2019). HRD begins process for creation of National Research Foundation. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/education/hrd-begins-process-for-creation-of-national-research-foundation/story-W37ngkZmNkw6cSYZlXTlIL.html.
7. Shukla, A. (2020). Govt unveils sweeping changes for education. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-unveils-sweeping-changes-for-education/story-zSewHWq7IiCaOOLNXUiRcK.html.
8. To improve gross enrolment ratio, new education policy proposes academic bank of credit; Multiple entry, exit points. Retrieved from https://www.news18.com/news/india/to-improve-gross-enrolment-ratio-new-education-policy-proposes-academic-bank-of-credit-multiple-entry-exit-points-2742693.html.
9. UGC ask varsities to create awareness about new education policy among students, teachers. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/education/ugc-ask-varsities-to-create-awareness-about-new-education-policy-among-students-teachers/story-XjDXDw978SXD0VUPUmxhvL.html.
10. Upadhyay, D. (2020). New school education policy approved: Grading system, more choice of subjects. Retrieved from https://www.livemint.com/education/news/new-school-education-policy-grading-system-more-choice-of-subjects-11596001769379.html.

NEP 2020: Reimagining Vocational Education

Dr. Reena Uniyal Tiwari

Associate Professor, Department of Teacher Education, D.A.V. (P.G.) College Dehradun

Abstract

To achieve full human potential, Education is very important. For any country to continuously grow in the field of economy, scientific advancement justice equality, culture and society, there is an important requirement of access to quality education. And to achieve this there is also need for skilled work force. To prepare students for occupations requiring specialized skills, vocational training is a must. Over the years, many commissions and policies on Education recommended to bring vocational educational into mainstream education yet, there is very slow and stagnant growth in vocational Education.

The NEP 2020 proposed the revision and revamping of all aspects of education, including vocational Education, to create a new education system which is aligned with the aspirational goals of 21st Century students. NEP 2000 also intends to focus on areas of vocational Education based on skill-gap analysis and mapping of local opportunities. The NEP 2020 also stated that there will be no hard separation between the vocational and academic streams. This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education and integration of vocational education into mainstream education in all educational institutions – middle and secondary school, Higher Educational Institution in a phased manner. This paper discusses the present status of vocational education as well as Reimaging Vocational Education and skill building as proposed by NEP 2020.

Keywords – NEP 2020, Vocational Education, skill, skilled workforce, economic growth, National Skills Qualifications framework (NSQF), Challenges and action.

Introduction

There are two kinds of education – Education for living and education for life. Our entire education system, delivers education for living and not for life. Along with the life skills, there is urgent requirement of gaining practical knowledge and hands- On training, learning experience which will make the students employable and industry ready. Students who do not have the necessary skills, find themselves struggling in their new positions. Vocational education and training, allows students to gain practical experience in their chosen career path before they even graduate.

Vocational learning opportunities play a critical role in skills development and employability. Vocational education help with bridging the skills gaps between work and education.

Vocational education should be introduced to students from the school level to help them understand their interests and career preferences in a better way. Immersive learning as part of the vocationalization of students' education would help them gain exposure to practical and hands-on skills. It will also help them develop the necessary life skills which they lack otherwise.

The NEP 2020 is a comprehensive policy that extensively discusses the revamping of vocational Education and bringing it into mainstream education. According to the policy, by 2025 at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines are to be developed.

Vocational Education in India

According to 12th Five Year Plan (2012-2017) it is estimated that 5% of the Indian workforce in the age group of 19-24 received formal vocational Education; as comparted to Egypt 30%, Denmark 50%, USA – 52%, Germany – 75% and

South Korea – 96%. Various Education Commissions have recommended to bring Vocational Education into mainstream education.

The Kothari Commission report of 1966 was one of the earliest to emphasize diversifying the curriculum at higher secondary levels through vocational courses.

The National Education Policy, 1986, focused on improving the organizational and management structure of vocational Education. It recommended vocationalization, both at secondary and higher education levels, by introducing Socially Useful Productive Work (SUPW) as a separate subject in secondary classes and vocational degree course at higher education level.

The National Knowledge Commission (NKC) (2005) considered Vocational Education and Training (VET) as an important element of the nation's education initiative. NKC recommended the following long and short term strategies.

- Place vocational Education entirely under the Ministry of Human Resource Development.
- Increase the flexibility of VET within the mainstream education system.
- QuantiFy and monitor the impact of Vocational Education.
- Increase resource allocation to VE and expand capacity through innovative delivery models.
- Strengthen the current institutional structures.
- Ensure proper certification and a robust regulatory and accreditation framework.

Even after all these recommendations, very slow growth can be witnessed in the field of vocational education. National Institute of Open Schooling (NIOS) has assessed the vocational training scenario and highlighted that only 2% of the total population in between 15-29 years of age have received formal vocational training and only 8% have received non-formal vocational training.

Reasons for Stagnation of Vocational Education

In India, Vocational Education is treated as poor cousin of the main stream education system. There is mismatch between demand and supply in the job market. In our country, vocational education is imparted at two levels – VE (Theory) and training (practical). Theoretical part of vocational education was taught through SUPW which hasn't proved to be effective and students as well as teachers take it as an additional burden. The SUPW courses were neither well defined nor properly segregated. There was only basic introduction to all the vocational courses, which failed to create interest in vocational education among school students. At higher Secondary levels, there is huge shortage of fully skilled teachers to teach vocational courses. The vertical mobility in the field of vocational education from secondary, higher secondary to higher education level was constrained due to no proper admission criteria and courses. A student pursuing a vocational course is considered inferior to those opting for main stream HEI.

National sample Survey Office (NSSO) data of 75th round (2017-18) reported that as compared to 24% students from rural areas enrolled in ITI's or VTI's, only 8.3% of Urban students are enrolled in any kind of vocational education. Large number of Vocational Training Institute were established by govt., but only 15.3% of the student population is enrolled in formal vocational training institutes. This indicates that VE is still not a preferred choice among students and parents. The main reason behind this can be – there is limited mobility between general and vocational education. Our society has a belief that mainstream education gives a more dignified employment, than vocational education.

The main issues and challenges for vocational education are

1. Mismatch between demand and Supply

Demand	***Supply***
● Social Mind Set ● Low status & importance to VE. ● Low priority and WW positioning to VE	● Lack of trained vocational teachers. ● Inadequate logistics and requirements. ● Lack of weightage given to students from VE stream in admission to higher education.

2. Less acceptance of vocational education as a career of choice.
3. Lack of professional growth and career advancement for the vocational pass outs.
4. The stakeholders have a mindset that vocational education is considered as last opportunity in the career progression.

5. There is over emphasis on skill development than education and training.
6. Development of Quality standard, acceptable to industries is a big challenge.
7. No pathways for employability of vocational pass out and institutional assessment and certification.

Vocational Education And Skill Enhancement in the NEP 2020.

The 2030 Agenda for Sustainable Development has Education at the central place for success of all the SDG.In the Goal 4 on 'Quality Education' – four out of its seven targets are related to Technical and Vocational Education and Training (TVET). The NEP 2020 has embraced the Education 2030 Agenda in a complete manner and is totally committed to expansion of TVET by providing quality life long learning opportunities for all.

TARGET: NEP 2020 aims at 50% of Learners through school and Higher Education System to have exposure to vocational education by 2025. It also suggests that while arriving at the GER target, the number of students in vocational education will be considered.

Integration Into Mainstream Education

NEP 2020 recommends to integrate vocational Education Programmes into mainstream education in a phased manner. Vocational exposure should begin at early ages, quality vocational Education needs to be given through Middle and Secondary School and should continue smoothly in Higher Education.

Collrboration:

Academic Institutions with vocational education should collaborate with Industrial Training Institutes, Polytechnics, Local Business, Industries, Hospitals, farms and NGO's to provide practical hands on exposure to students.

FOCUS AREAS: Vocational Education courses will be chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities, and technical and vocational education will become part of the larger vision of holistic education.

MINISTRY OF EDUCATION: The Ministry of Education will constitute a National Committee for the Integration of Vocational Education (NCIVE), along with industry participation, to oversee the effort for integration of Vocational Education and should also earmark budget for promoting this integration.

Vocational Exposure at Upper Primary Stage

For students of classes 6-8, year long fun based activities will be organized to give hand on experience of important vocational crafts, such as, carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc.

Vocational Education at Secondary and Higher Secondary Level: In classes 9-12 in Secondary Schools, along with traditional academic courses, vocational courses, will be offered. Students from classes 9-12 will be allowed to mix and match academics with skills education, with sports and arts and with soft skills training. At Secondary and Senior Secondary level, expansion of implementation of vocational education is proposed.

Vocational Education through open Schooling – At present 5% of the cumulative enrolment of 27 lakhs in National Institute of Open School (NIOS) is under vocational courses. Vocational courses offered by NIOS will be expanded and strengthened by open and Distance learning Programmes (ODL), to meet the learning needs of those aspirants who are unable to attend a physical school.

Vocational Education in Higher Education Institutes : Higher Education Institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry. B.VOC Degrees which were introduced in 2013 will continue to exist. In all other bachelor's degree programmes, including the new 4 year holistic Bachelor's programmes, vocational courses will be available to students enrolled.

Mapping of Vocational Job Roles Under NSQF: The National skills Qualification Framework is a nationally integrated education and competency-based skill and quality assurance framework to provide for multiple pathways, horizontal as well as vertical, including vocational education, vocational training, general education and technical education, thus linking one level of learning to another high level. Under NSQF, Mapping of vocational job roles offered in schools to the B.Voc. and other vocational courses offered at higher educational institutions is recommended in NEP 2020. NSQF will encourage more Higher Education Institutions to offer vocational degrees and skills based courses. Weightage will be given to students who have cleared NSQF Level 3 or 4 courses at school level to enter higher level vocational courses so that their vertical mobility is ensured.

Short Term Vocational Courses in Higher Education Institutions

NEP 2020 proposed that Higher Education Institutions will be allowed to conduct short term certificate courses in various skills including soft skills. Along with short term courses, 'Lok Vidya', knowledge developed in India, will be made accessible to students through integration into Vocational Education Courses.

Monitoring Mechanism:

A Portal for monitoring and tracking of the Vocational Education will be maintained. This portal will fetch data of students moving to ITI's, Polytechnics and skill development Programmes of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). For the students undergoing Vocational Courses, NIOS will provide the data.

NEP 2020 – Impementation Plan

The NEP 2020 acknowledges the shortcomings in the existing education system and aims at making it inclusive and aspirational. The main objectives of NEP 2020 are- renewed emphasis on vocational education and bridging the skills gap. A skilled work force can help India achieve its goal of self reliance.

	GOAL	Action To be Taken
1.	By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education	Students will be exposed to vocational education from class 6 onwards in all secondary and higher secondary schools through integration of Vocational Education with general education subjects.
2.	Awareness about the importance of vocational education and destigmatisation through social media and ICT	● Awareness programmes will be organized to change the general perception and attitude towards vocational education. ● Focus on good practices and innovations by teachers and students.
3.	Students will be allowed to mix and match academics with skills education, with sports and arts, and with soft skills	● Collaboration of schools with Industrial Training Institutes, Polytechnics, Local businesses, industries, hospitals, agriculture farms, local artisan and NGOs for imparting skills training.
4.	Career Counselling and guidance will be provided to children in classes 9 to 12 so that children can make a career choice, based on their interest, aspiration and abilities.	● Skill Based Aptitude Test (SBAT) will be introduced in class 8 to provide guidance to the students for making informed career choice.
5.	Innovation and entrepreneurship will be promoted in schools through problem based learning and enterprise education	● Vocational courses on new and emerging skills demands of the industry, such as Artificial Intelligence, Robotics and Internet of Things (IOT) will be introduced and enterprise education will be promoted from class 6 onwards.
6.	Preparation of Vocational Teachers/Trainers in selected job sectors by National Council of Teacher Education (NCTE) in consultation with MoE, MoSDE, All India Council for Technical Education (AICTE) and University Grants Commission (UGC)	● Pre-service Training and Short-Term Training (STTP) Courses for preparing vocational Teachers/ Trainers through online and offline mode to be offered through SCERTs and DIETs. ● External trainers, who are experts in their vocations will be invited to train local teachers at Cluster Resource Centres (CRCs) Block Resource Centres (BRcs) and DIETs.
7.	Vocational Teachers Training progtrammes for promoting use of ICT in VET.	● New Learning Methods and digital tools, like Massive open Online Courses (MOOC), Flipped Learning and Virtual learning methods will be used for training teachers.

NEP 2020 requires all the educational institutions to integrate vocational education into their offerings, for growth of vocational education in our country. In the coming decade, a large number of schools, colleges and universities will become the potential Vocational Education & Training (VET) Providers.

Pathway Proposed For Vocational Education In NEP 2020.

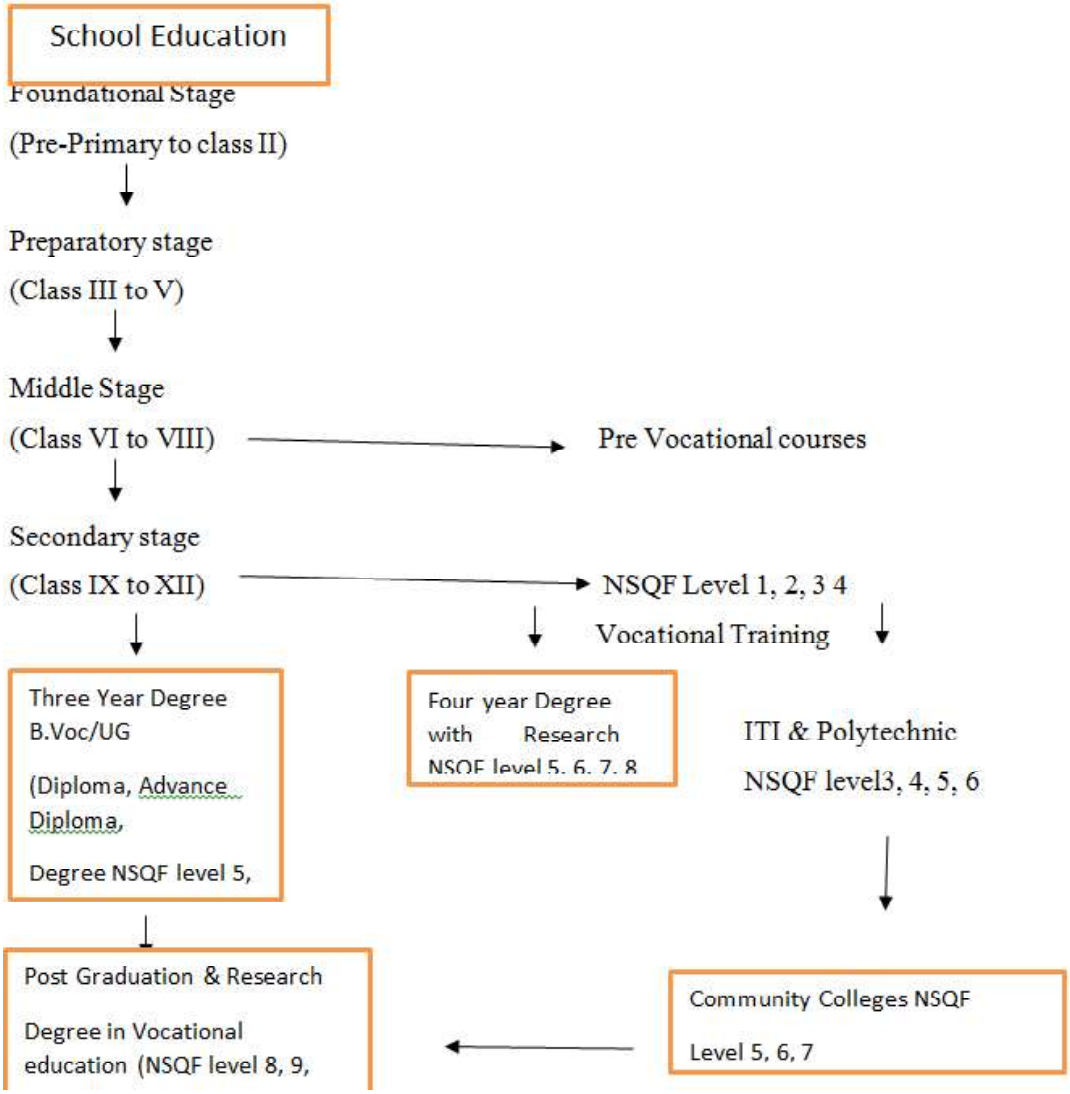

Conclusion

Vocational education has played a major role in economic develop-ment of a country. For meeting the requirement of skilled manpower for India's economy, the Technical and Vocational Education and Training System was always needed. Till date the vocational Development programs have not been very successful despite governments paying much attention to it in the past years. Two major challenges faced by vocational development programs are – the quality of vocational institutions and lack of linkages between providers and industries. To boost the employability skills and vocational skills of the learners at all levels, the New Education Policy 2020 has given due importance to vocational Education and capacity development of teachers. To improve the quality and sustainability of the VET Programmes, at national level common norms and skill standards are to be identified, and vocational courses need to be designed and developed accordingly. A strong system of capacity development of the stakeholders at Institutional, District, State and National level would be required for the administration and management of the vocational Education and Training System. To enhance the quality and sustainability of the VET programmes, accreditation of vocational course and providers should be done. Through proper planning and effectives implementation of VET Programmes, as recommended by NEP 2020, a young work force equipped with skills and practical experience will enhance productivity and will play a very important role in reducing unemployment and building a self reliant India.

References:

1. Jain, Balbir, (1992) : "Vocational Education in India: Problems and Policies." Indian Journal of Industrial Relations, 28 (1), pp. 25-36.

2. Jens Henning Peters. (April 4, 2021) "The importance of Vocational Training for Career Development". EHL insights, https://hospitality insights.ehc.edu> Retrieved on Dec. 4, 2022.
3. Jena, Sitansu S. "Reimagining Vocational Education : The NEP 2020 Perspective." School of Vocational Studies, Ambedkar University, Delhi.
4. Khambayat, Rajesh P and Mehtotra, U.S. "National Education Policy 2020 – Reimagining Vocational Education." NCERT, PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal
www.psscive.ac.in
5. Kumar, Sanjay, (2022), "Vocational Education and skill – enhancement in the NEP-2020, IJCRT, Vol. 10, Issue 5 May 2022, ISSN:L 2320-2882. www.ijcrt.org
6. Pathak, R.K., :"Reimagining Vocational Education and Skill Building". PSSCIVE, Bhopal.
7. Pitroda, Sam (2008) "Recommendations on Vocational Education:. National knowledge Commission. Wordpress.com, Nov. 17, 2008.
8. NEP 2020 New National Education Policy in India, Chapter 16. Reimagining Vocational Education
https://shikshan.org/nep.2020/vocational-education/Retrieved on 5 December, 2022.
9. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites /upload-files/mhrd/files/nep/NEP-Final-English. Pdf referred on 29.11.2022.
10. Tilak, Jhandyala B.G.,(1988) "Vocational Education in South Asia: Problems and Prospects." International Review of Educational , 34(2), pp-244-257
11. United Nations in India- Sustainable Development goals, SDG4: Quality Education" , Available at: https://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/sdg-4/, last assessment on November 26,2022.

A Remarkable Step Towards Digital India- Vision of NEP 2020

Dr. Alpna Sharma

Assistant Professor, Sanjay T.T.College, Lal Kothi, Jaipur

Abstract :

NEP 2020 policy promoted by the government of India has to positive development amongst various difficulties surrounding the world in present scenario. The main objectives of NEP 2020 is to increase student's enrollment in all educational institutions such as elementary school, professional and higher education by 2030.This policy aims to bring tremendous changes in all aspects of education. The weightage given to educational technology in NEP 2020 is remarkable. We have to input such skills in the future generation. We have to help them to develop imagination power, exploration ability, creation ability of more sustainable world. The paper is based on the policy document analysis and highlighted some important vision, mission, policy goals towards ICT and building a self reliant India by creating an digital infrastructure and capacity in India.

Keywords: NEP 2020, ICT, HEIs, GER

Introduction: During the pandemic time of COVID-19 the world had to use alternative ways of quality education. There came the wide spread applications of educational technology in limelight. India which is an over-populous country was also striving for providing the obstacle free education to the children of nation. This also raised the need of technology to speed up the process of teaching learning. In this regard, NEP 2020 identifies the vital need of technology and its accessibility throughout the nation.

A unit for building digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the ministry to look after the e- learning that needs both school and higher education.

The policy calls for investment in digital infrastructure, development of online teaching platform and tools, creation of virtual labs and digital repositories, training teachers to become high quality online content creators, designing and implementing of online assessments, establishing standards for content, technology and pedagogy for online teaching – learning. The policy envisages the creation of a dedicated unit for the purpose of devising the development of digital infrastructure, digital content and capacity building to supervise the e-education needs of both school and higher education.

As per the survey of India conducted for the period July 2017 to June 2018 and published in November 2019, in rural India, only 4.4% of households have computers as against 23.4% of urban households and nearly 14.9% of rural households have internet facility as against 42% of urban households. As per the same survey, in rural areas, among persons aged 5 years and above, 9.9% were able to use the internet as against 37.1% in urban areas. Research has shown that internet penetration in urban areas is higher, but rural penetration is growing faster.

Objectives:

1. To study the vision, mission and targets of the policy related to digitalization.
2. To study the challenges related to digitalization of India.

Vision:

The policy aims to prepare youngsters to participate creatively in establishment sustenance and growth of a knowledge society leading to all round socio- economic development of the nation.

Mission:

To device, catalyze, support, sustain ICT enabled processes to improvise the accessibility, quality and efficiency in education.

Targets Set by Policy:

1. To create community literate in ICT.
2. To promote universal, equitable, open and free access ICT enabled tools and resources to all students and teachers.
3. To motivate the participation of different sections of society in strengthening the education through ICT.

Enhancement of Competency:

Policy explains in detail about levels of competence. There are different stages of school for a student who requires ICT for different needs. These stages must be revised to keep pace with changing technology. All the benefits of digital education cannot be reached to all people unless there is a availability of different devices of technology.

The policy emphasized to give various educational programmes made available round the clock in the needs of masses. In the policy , there is a suggestion to conduct pilot studies for online education , developing platforms for online teaching ,various tools such as SWAYAM, DIKSHA for e- learning platforms . The hands of teachers will be strengthened with these tools to benefit the students . Most of the educational institutions require two way video, two way audio interface for online classes are a need at present.

Creation of course work, learning games & stimulations are all involved in digital repository. Students use appropriate tools like apps related to games. A reliable backup mechanism for disseminating e- content to students will be provided.

Assessment and Examinations:

While promoting digital learning and education, the importance of face to face in person learning is fully recognized. Accordingly different effective models of blended learning will be identified for appropriate replication for different subjects.

Training for Teachers:

In order to become high quality content developers , teachers will undergo training in child- centric pedagogy. Teacher play important role in facilitating active student engagement with the content and with each other.

Setting Standards:

For online teaching learning, NETF shall set up standard of content, technology and pedagogy. These standards will help to formulate guidelines for e- learning by states, Boards schools and school complexes, Higher Education Institutions.

Conclusions: Each of us agrees that technology based education should be adopted in the educational environment . The NEP 2020 is progressive document, acknowledging the invaluable role of technology in facilitating learning and teaching. There are number of challenges to conduct online exams at scale, that includes limitations on the types of questions that can be asked in online examinations, handling network problems and power disruptions and preventing unethical practices . Few subjects have limitations in digital education mode, which can be overcome to a partial extent with innovative measures.

Thus, it shows the intense need to use the online education with activity based learning to make it more effective and achieve the goals of education.

References:

1. Aithal P.S., & Aithal.S. Impact of on-line education on higher education system.*International Journal of Engineering Research and Modern Education (JERME),1(1),225-235*
2. A.P. Pavel, A. Fruth, and M.N.Neacsu (2014). ICT and E- Learning – Catalysts for Innovation and Quality in Higher Education. *Procedia Economics and Finance, 23, 704- 711.http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00409-8*
3. Pandey.A.(2020).ICT in teaching and learning : An Indian Scene. *Journal of Critical Reviews, 7(9), 861-865. doi:10.31838/jcr07.09.161.*
4. Agarwal,J.P. (2013).Teacher Adoption of Technology, Black Print: Delhi.
5. Aldunate, R., & Nussbaum, M. (2013). Teacher Adoption of Technology. *Computers in Human Behaviour, 29(3), 519-524.* http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074756321200297X.
6. Chigona,A. (2015). Pedagogical Shift in the Twenty- First Century: Preparing teachers to teach with new technologies. *Africa Education Review, 12(3), 478-492.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18146627.2015.111091*

Challenges during the Implementation of NEP 2020

Dr. Sweta Bhargava

Assistant Professor, Sanjay Teacher's Training College, Jaipur

A pioneering education policy is essential for each and every country because it is the operator of economic and social progress. Recently, the Govt. of India took mammoth skip ahead by announcing its new education policy, the National Education Policy 2020 (NEP). The policy is extensive scheme for elementary education to higher education furthermore vocational training both together in rural and urban India. The NEP 2020 anticipated at transform India's education system into a contemporary progressive and impartial one.

The new policy focuses on enhancing poor literacy and numeracy outcomes correlated with primary schools, reducing drop out levels in secondary schools and introducing the multidisciplinary approach in the higher education system. Besides, the policy also lays emphasis on early childhood education reconstructing curriculum and pedagogy, reforming the contribution examination process and in teacher training. Although the NEP 2020 aims to bring a holistic change in the education system of India, there are substantial challenges, both quantitative and qualitative in implementing the reforms. The main objective of the paper is to study biggest reforms and challenges incorporated in NEP 2020.

The NEP has the entire implementation path very clear in its policy guidelines, but at the same time, has the challenges that are innate in it, though explicitly not written down anywhere in the policy. The factors of an application here for the implementation like the ICT issues and the scale, the transformation of the traditional classroom to modern digital transformation of delivery, the impact on the pedagogy, the stage challenges like the early stages of developmental issues, etc. The challenges of Learning Access, Equity, Landscape, Quality Framework, and the affordability of the government and the taxpayers for the huge establishment have its challenges, which this chapter tries to explore and find facts to suggest the best possible means and methods of implementation at various levels.

This study is purely qualitative in nature using secondary data consisting of books, journals and websites, research articles, government publications and so.

Keywords: National Education Policy 2020, Overview and Analysis Implementation, Strategies, Challenges.

Introduction

Change is the eternal and unwavering rule of the universe keeping in view the evolution intention of the whole country, the Indian government concluded to change India's Education Policy after 34 years. The National Education Policy 2020 aims at evolving the current system of education in India with its vital heterogeneity and confinement of some extremely continuing and fresh changes.

The rigorous implementation of this policy surely calls for meticulous revamping of certain structures related to pedagogy and curriculum in general.

The new education policy is a positive reconsideration of India's enduring education system. It has some magnificent and substantial manifesto. The policy envisage a model of holistic learning that is consolidated appealing and immersive scientific temper and evidence based thinking will be inculcated alongside aesthetics and art.

The main principle of this policy are:

1. Flexibility
2. Equal promotion of arts, science physical education and other extra curricular activities so that learners can pick whatever rouse their interests.
3. Multidisciplinary approach (Across the science, social science, arts, humanities and sports).
4. Emphasis on conceptual learning rather than rote learning creativity and critical thinking.
5. Cultivating life skills like co-operation, teamwork, empathy, resilience.

6. Regular formative assessment for learning rather than the existing summative assessment.
7. NEP seeks to facilitate multiple pathways to learning that will involve formal non formal education modes.
8. The new policy aims to take this learning outside of the four walls of a classroom and encourage students to imbibe from the real world.
9. Abandoning the redundant culture of bookish learning there will now be a move to real, holistic learning that equips individuals with 21st century skills.

Why the need for change in pre education policy

1. To cater to the needs of a knowledge based economy in the changing global scenario changes were needed in the current education system.
2. New education to enhance the quality of education, promote innovation and research.
3. In education policy to ensure global access to Indian Education System.

What is New Education Policy in India?

Under the new education policy of 2020; the educational system has been fixed by 2030. The curriculum will be divided on the basis of the educational system of 5+3+3+4 in place of the currently running 10+2 model.

Four Steps of New Education Policy

Foundation Stage- Foundation Stage of New Education Policy for 3 to 8 years children are included. The Foundation Stage has been fixed for 5 years. In which 3 years of pre-school education will be done in Anganwadi and class 1, 2 school education under which the language skills and skill level of the students will be evaluated and focused in its development.

Preparatory Stage- The time of this stage is kept for 3 years. This stage includes children from 8 to 11 years. In which he will have children up to class 5. In this stage of the new education policy, special attention will be focused on strengthening the numerical skills of the students. At the same time, all children will also be given knowledge of the regional language. Along with this, children will be taught science, art, mathematics, etc. through experiments.

Middle Stage - The period of this stage has been fixed for 3 years. In this stage children from 6th grade to 8th grade have been included in which subject-based curriculum will be taught and coding will also be started from the children of 6th grade. At the same time, all the children will be given opportunities for vocational testing as well as vocational internship, whose aim is to make the children eligible for employment only during school education.

Secondary Stage- The period of this stage is 4 years 9th grade in this stage Students from 12th standard is included. In this, intensive study of the subjects will be done. Within this stage, the educational curriculum of 8th to 12th standard courses has also been started and the alternative educational course has been started. Students can choose their subjects according to their choice, not within a specified stream. Under the new education policy, students have been given the freedom to choose subjects. Students can study the subjects of science as well as the subject of Arts or Commerce simultaneously. Due to the earlier 10+2 system, there was no pre-schooling in government schools: General from class 1 to 10 there was education and class 6 was a moist subject and there was freedom to choose subjects from class 6. Education used to start in the first 6 years, but now it will start in 3 years.

- Board on students of 10th and 12th, keeping in mind the goal of development before the students the format of board examinations will also be changed to reduce the burden of examinations, Improvements such as a semester or multiple choice questions will be included. The examination will be conducted 2 times a year. There will be objective and subjective tests once a year. The main emphasis in the board examination will be on the test of knowledge so that the tendency of rote among students can be eliminated. From this point of view, this thinking of the government is welcome.
- Assessment as a standard prescribing body for the assessment of the progress of students a new national assessment center will be established.
- "Artificial intelligence" based software will be used to evaluate the progress of the students and help the students to take decisions related to their future.

Provisions Related to Higher Education

Gross enrollment ratio in higher educational institutions under National Education Policy 2020 it has been targeted to increase from 26.3 percent (the year 2018) to 50 percent also 3.5 crores new seat will be added in higher educational institutions.

The gross enrollment ratio is the number of total eligible population at an education level who has taken admission in educational institutions. For example, the total number of students in the age group eligible for admission to higher education is 100 but if the admission is taken by 60, then this ratio will be 60 percent.

For all types of higher education except medical and legal education, a Higher Education Commission of India will be set up which will replace the UGC. A multidisciplinary education and research university equivalent to IITs and IIMs will be made. These institutes will be world-class. For admission in these, there will be a general entrance test, which will be conducted by the National Testing Agency. It will be an elective for all students, there will be no compulsory subject under this, the subjects of Arts and Humanities will also be taught in technical institutions. There will be no division like Arts, Science, and Commerce. Students can choose any subject of their choice. All the institutes of the country including IITs will adopt a holistic approach.

Four Bodies of Higher Education of Commission (HECI)

National Higher Education Regulatory Council (NHERC): It will act as a regulator for the higher sector including teacher education.

General Education Council (GEC): This will create the framework of expected learning outcomes for higher education programs, that is, their standardization work.

National Accreditation Council (NAAC): These institutions are accredited, Will function primarily based on basic criteria, public self-disclosure, good governance and results.

Higher Education Grants Council (HGFC): This body financing work for colleges and universities.

Currently, higher education bodies are regulated through bodies like University Grants Commission (UGC). All India Council for Technical Education (AICTE) and National Council for Teacher Education (NCTE).

Multiple entries and exit in the undergraduate curriculum in the National Education Policy 2020. The system has been adopted under this, in a three or four year undergraduate program, students will be able to leave the course at different levels and they will be awarded degrees or certificates accordingly. Like, certificate after one year. Advanced Diploma after two years, and Bachelor's degree after three years after four years Graduate Certificate with research. Students doing four years degree will be able to do Ph.D. with MA in one year M.Phil program has been abolished in the new education policy. The academic bank of credit will be formed through this policy, In this, the digit or credit received by the students will be preserved digitally.

Provisions Related to Online and Digital Education

National Educational Technological Farm will be formed to promote digital education. It will carry out the work of coordination for digital infrastructure, materials, and capacity building. With this, study and assessment technology along with teaching training is an important part will form.

To ensure the preparation of alternative means of quality education, the Ministry of Education will become a dedicated entity for digital infrastructure, digital content, and capacity building to cater to the e-education needs of both school and higher education. E-content will be made available for study in regional languages.

Related to Advanced Education

Target to achieve 100 percent youth and adult literacy by 2030 has been done.

Protection of Linguistic Diversity

In the new education policy, many options have been kept regarding languages. Class 5 and class 8 Priority has been suggested to study mother tongue or regional language as a study. Students will be able to take foreign language from secondary level i.e. 9th grade.

- It will be mandatory to have at least two Indian languages in the tri language formula. In this, preference will be given to the choice of state, region, and student. For example. students studying Marathi and English languages in Mumbai will have to study a third language. No student will be affected by the choice of language, in the educational curriculum; there is an option to read Sanskrit and other traditional and ancient languages.

Physical Education

Under the new education policy 2020, along with the education of students, skills will also be developed. In which all students from the minimum class will be given training in subjects like Horticulture, Yoga, Music, Dance, Sports, and Sculpture, etc. So baby Proficient in physical activities as well as other types of skills.

Challenges in the Implementation of NEP 2020

1. Opening new universities and school will be a greater challenge: India has around 1000 universities across the country. Doubling the Gross Enrolment Ratio in higher education institution by 2030 which is stated in policy goals will required opening new universities. The National Education Policy 2020 intends to bring 2 crores children who are currently not in schools, back into the school system. This will surely require a substantial

amount of investment in classrooms and campuses and also need for appointing new teachers. Though many teaching positions are still unfilled in existing schools, this may become challenging to achieve the goal.

2. Funding Challenges: Appropriate resource allocation is a major challenge. For example 6 % of GDP budget for education discussed and recommended in all previous Education Commissions and Policy documents but it never became a reality. Unlike the previous policy documents in NEP 2020 also assures of 6% GDP Budget to education but for provisions and implementation the NEP 2020 document only says, Central and State Governments will make efforts for such allocations. When the Central Government is facing resource crisis during global slowdown of economies and Covid-19 severe and negative impact of economics becoming standstill, how one can expect that during the revamping of economies education sector will get due share and use full resource. At least next 3/4 years are challenging for countries recover their economies from Covid-19 impact.

   Over 250 million students are expected to enroll in schools in India by 2030. With a teacher-student ratio of 1:35, India needs an estimated 7 million plus teachers to address this huge student population. Those teachers need to have graduated in an esteemed B.Ed. programme for a 12th pass, graduates and post-graduates for one, two and four-year respectively. Teaching also happens to be one of the lowest- paid professions in India. Due to these constraints, conceptual and experiential teaching will be tough as compared to the prevailing printed content-oriented teaching More fund allocation is required from the government's end to overcome this major shortcoming. Also, the current pool of teachers has to be orientated towards the new-age teaching techniques.

   In the proposals of NEP 2020 budget of higher education is limited. It requires private institutions to offer more scholarships to make admissions possible for students from low-income strata as well, but NEP fails to discuss how this can be achieved. This indicates a need for greater public funding in higher education, which in reality does not sit well within the current scenario. The increase in education- budget up to 6% percent of GDP is simply not enough to meet the implementation needs.

3. Need to create trained teachers: NEP proposes to add three years to a child's education through ECCE for the age-group 3-6 years. As per international norms, the idea is to prepare the child for primary school through play, activities, nutrition and care so as to aid cognitive growth and learning abilities in a safe and caring environment This requires adequately trained persons who ate given due recognition as professionals performing specialised roles in the education and child care system.

4. Educational facilities and opportunities: In NEP 2020 educational facilities and Opportunities reduce for rural, poor, SC/ST and other disadvantaged sections.

   There is no mention about reservations or other affirmative action. The increase costs of education across the board may fail to meet the aspirations for all round knowledge and productive employment.

5. Reimagining and adopting pedagogical changes : Education must not only develop the cognitive skills in learners both foundational skills of literacy and numeracy and the 'high-order' cognitive skills like critical thinking - but also 'social and emotional skills' known as the soft skills like empathy, grit, determination, leadership and teamwork. The NEP calls for such value-based learning along with significant curriculum and pedagogical changes. These pedagogical changes are tough and need to be figured out softly for successful implementation.

6. Bottom-up approach: Bottom-line approach is acceptable by all areas of life. This social and educational transformation is only possible with a bottom-up grass-root level intervention which will enhance and bring a massive change in the mindset of the stakeholders, including the office staff and parents, right at the outset. A transformation is needed from 'what to think' and how to think"

7. Building public house for Remote school teachers: Teacher is regarded as the most respected and essential members of our society, as they are the ones who truly shape our next generation of citizens. Work also needs to be done in removing personal and professional barriers of working in remote, inaccessible locations which is crucial for preparing this workforce and also for making the NEP successful.

8. Evaluating of effective use of Digital Devices: Challenge of evaluating of effective use of digital devices the teachers and students, in their teaching-learning process. The challenges due to digital gadget usage in the world are not a new concept anymore and every citizen across the countries in the world including India is not an exception. The National Education Policy is looking forward to taking advantage of the habit of utilizing digital devices for a productive purpose is a welcome move.

9. The challenge of appointing quality staffs for support for educational technology with teachers playing a central role: All use and integration of technology to improve multiple aspects of education will be supported and adopted, provided these interventions have been rigorously and transparently evaluated in relevant contexts before they are scaled up. Education technology is amongst the most powerful array of tools and methods that a teacher may potentially use in her/his work. Teachers will be completely empowered through adequate training and support to lead the activities and initiatives related to the use of appropriate technologies in classrooms, and for all other uses of technology in educational institutions.

10. The variegated use of ICT along with the technology integration in educational settings: Binding the available technology and improving the overall quality of education will be a very vital combination for the next move towards a dynamic educational support structure. The technology provided, the content creating capabilities of the teachers and the authorities must be very high, and the mode of delivering high-quality content. The delivery mode needs to be very legal and binding to creative commons licenses and other quality benchmarks to avoid duplicating the contents as well as the problems of redundancy.
11. The challenges of translation of content into multiple languages: Comprehensive support software applications to assist differently-abled learners and methods to improve the quality of pedagogy and learning processes through the use of intelligent tutoring systems and adaptive assessment systems are to be created. The inbuilt challenges for creating new types of interactive and immersive content (e.g. using augmented and virtual reality) to strengthen educational planning and management and bring greater transparency and efficiency to the examination system as well as to administrative and governance processes needs to be done. The challenges for assisting and getting assistance from the top management of educational initiatives such as supporting teacher development programmers, for scaling up the ODL system so that it can respond to the growing demand for education from all age groups, across school education, higher education, professional and vocational education, adult education, and lifelong learning. Establishing the Centers of Excellence in Educational Technology establishment needs to be established at prominent Universities and other institutions to perform research as well as support functions for the uptake of appropriate technology solutions.
12. Integrating educational technology into the school curriculum: It is a very positive move, but the challenges to operationally make it feasible and scaling to the level of Indian Population is a huge challenge to be faced. Development of tools for automated language translation of educational content like the NRF will prioritise research and development of tools for automated and/or crowd-sourced language translation of educational content into all major Indian languages so that additional content created in one language can be made rapidly available in others language.
13. Digital connectivity: We require internet penetration in remote areas because e- learning is the way forward, as witnessed during the pandemic. Digital infrastructure for this purpose will include digital classrooms, expertise-driven online teaching models, AR/VR technologies to overcome gaps in physical teaching and lab infrastructure, uniform assessment schemes across schools, career counseling sessions and teacher training to become skillful at new-age technologies. According to the NSS conducted by the National Statistical Office in 2016-17, only 23.4 percent of people in cities and only 4.4 percent of people in villages have computers. In all, only 23.7 per cent of people in India have access to the internet. It is 42 percent in urban areas and only 14.9 percent in rural areas. Only 11 per cent of students in this country have online services. This will continue to be a major challenge in the next decade.

Suggestions

- The initial 5 years are included in early childhood care education. It will be implemented through Anganwadi. First. Anganwadi should be converted into Kids Zone so that the child can get an education in sports. Also, one of the two Anganwadi workers should be replaced by an ASHA worker and physiotherapy so that both education and health will work together. It is said that 85% of brain development takes place in this period. Therefore, to prepare a strong and capable generation in this, skilled training will have to be made available to the children in this period.
- Will receive education from class 3 to class 5 in the primary stage. Children between 8 and 11 years of age. come. In this class, the child has to reduce the burden of books. In this phase, children should get an education through moral stories so that the round development of the child is possible. Bagless education should be imparted at this stage.
- In the secondary stage, the child develops knowledge about his environment. The government not only distributes bicycles, mid-day meals to children, as well as the facility of de-warding like Navodaya. Because of the economic problem in rural areas of India, they are unable to get an education by engaging in agricultural work and leave their education in between.
- Also, 50% evaluation textbook and 50% evaluation should be based on local arts promotion, culture and small cottage industries only then the concept of employment education will come true.
- In the presence of parents in addition to the provision of custom education in the higher secondary stage abstain from sexual education also.
- Internships in various areas of the country to the child through vocational training and entrepreneurship should be given so that children are aware of the geographical environment.
- Implementing all the declarations requires the strong political will of basic infrastructure.
- To improve education, universities must be made autonomous.

- 200 top ranked universities should be given full academic, administrative financial autonomy to diversify the updated curriculum to promote global innovation.
- Less money is spent on research in India Research spent 0.7 percent of GDP in 2017-18 The United State spent 2.8 percent in China and 2.1 percent in Israel. To promote research in the new policy, the National Research Foundation needs to be set up on fast track messages.
- Top Universities of India should produce more than 50.000 PhDs every year so that innovation and specialty talent can be improved
- To increase the Gross Enrolment Ratio, the Central and State Governments should equally provide special packages to institutions.
- The new policy is emphasizing on the environment, sports, culture, research and development. There is a lack of basic infrastructure required to meet all these needs. For this, the government should arrange to give a large amount to the universities in the form of a loan for 20-30 years.

Recommendations related to the educational system

- Teachers' promotion will be arranged based on performance from time to time through the new education policy.
- The National Council for Teacher Education will develop a professional standard for teachers by the year 2022.
- National level educational for teacher's education on the advice of NCERT Course content of the course will be prepared.
- Four-year B.Ed. degree for teaching in the new education policy by 2030 will be made mandatory.

Provision for Differently-abled Children

Changes in the educational curriculum for PWD through a new education policy have been done. For these, regular from basic stage to higher education will be enabled to participate fully in the education process.

Funding Education

Emphasis is to invest up to 6 percent of GDP in the education sector. Present it is 4.43 percent of GDP.

Financial Aid to Students

- Efforts will be made to encourage the qualification of students belonging to SC, ST, OBC, and other specific categories.
- To support and progress the progress of students receiving student's stipends National scholarship portal will be expanded to track.

Conclusion

The new National Education Policy, 2020, which has been approved by the central government to change the Indian education system to meet the needs of 21st century India. if it is implemented successfully, this new system will make India one of the world's leading countries: Equivalent Under the new education policy, 2020, children from 3 years to 18 years have been placed under the Right to Education Act, 2009. The aim of this new education policy, which came after 34 years, is to provide higher education to all students, which aims to universalize pre-primary education (age range of 3-6 years) by 2025.

To conclude we can say that the NEP 2020 made a full attempt to design a policy that considers diverse viewpoints, global best practices in education, field experiences and stakeholders' feedback. The mission is aspirational but the implementation roadmap will decide if this will truly foster an all-inclusive education that makes learners industry and future ready.

While the students & rigid outcome is not feasible, since policies are subject to get intervening adaptations as and when required even before application, this paper can formally bring out the following outcome, that can be used as a research addendum to the policy draft. The real scenarios from the pre-existing theoretical framework to assess the suitability of present conditions for the implementation of NEP shall be the outcome indirectly. Newer implementation ideas related to the policy frameworks according to varying states/union territories owing to a variety of landscapes within the country and the challenges, disruptions and directions required for successful implementation can be arrived at. Finally with the pillars, can it be strengthened, or is it required to be more pragmatic for Indian situation needs to be assessed, may turn out to be the general outcome with the suggestive mode of research pieces of evidence, with supportive prima facie pieces of evidence from the previous research done, can add to the existing knowledge of the draft policy? Strategies to make it feasible shall be done by exploring and analysing the challenges in integrating ICT into the school curriculum, and a thorough evaluation whether integrating ICT in the school curriculum is possible to various boards and the methods, and to explore how the classification of the

stages to grades (for all 1-12), with the grades 1-5 as the primary stage, Grades 6-8 as Upper Primary stage, Grades 9-10 as the Secondary Stage, and 11-12 as the higher secondary stage, and its possible impact with support of earlier studies. Practical valuation as per the state-supported curriculum also needs to be evaluated from different sources and compare from the experiences whether the new design of ICT integration can be successfully implemented and can it yield results for all the stakeholder and the social-psychological issues revolving around it. The think tank of the education ministry shall examine from the available literature review on the socio-psychological issues that may develop due to support the factors relating to effective implementation strategies of ICT into school curriculum as per NEP 19, on the various stages from the foundational stages to the higher secondary stages. Apart from the above the acceptance, as well as the practice of using ICT suitable to the curriculum, pedagogical structure, and the design based on socio-economic, and socio-psychological areas may be made accessible. Finally, the challenges that are thrown directly or indirectly do impacts on the standard of life of the students, and society in general, which can improve the nation's productivity too by the implementation of ICT supported pedagogy and curriculum implementation with the new design.

References

[1] Amar Ujala 31 July 2020; now studying till 5th, an examination for admission in mother tongue till graduation.

[2] Dainik Jagran 30 July 2020, Let us know why a new national education policy was needed to change the education system of the country https://www.education.gov.in sites upload_files/mhrd/files/Draft

[3] Draft National Education Policy 2019, Committee for Draft National Education Policy, Ministry of Human Resource Development. Government of India. https://www.education.gov.in/ sites/upload_files/ mhrd/files/Draft_ NEP 2019 EN Revised.pdf

[14] Govt. of India (1968). National Policy on Education, 1968 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf

[5] Govt of India (1986) National Policy on Education, 1986.

[6] hups://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92 pdf

[7] Govt. of India (2020) National Education Policy 2020. https://www. education.gov.in/sites/upload files mhrd/files/NEP Final English .pdf

[8] Government of India (2020) National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development. https:// www.education.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

[9] Hindustan live 30 July 2020; New education policy, school education board exam. major changes in graduation degree, learn special things.

[10] Hindustan Times 2020.08.08 NEP will play role in reducing gap between research and education in India-PM Modi.

[11] India Today. (5 Sep 2020). How can schools implement the National Education Policy 2020 effectively? India Today. https:// www.indiatoday. in/ educationtoday/ featurephilia/story/how-can-schools-implement-national- educationpolicy- 2020-1718932-2020-09-05.

[12] Kumar, K., Prakash, A., Singh, K. (2020). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public Affairs an international Journal, e2500, 1-5. https://doi.org/ 10.1002/pa.2500.

[13] M. M. Goel (2020): A View on Higher Education in New Education Policy 2020.

[14] Punjab Kesari 29 July 2020, Chairman JP Nadda; said on the new education policy. New education policy takes into account the needs of new India Supporting the new education policy.

[15] Singh Saroj 30 July 2020 New Education Policy 2020 Only RSS agenda or talk of common people BBC Hindi Access Date 31 July 2020.

[16] Jose (2009). Education (1st Edition) Livingstone publishing House.

[17] Pawan, Kalyani.(2020) An Empirical Study on NEP 2020 [National Education Policy] with Special Reference to the Future of Indian Education System and Its effects on the Stakeholders, Journal of Management Engineering and Information Technology (JMEIT),7(5), 1-17.DOI: 10.5281/zenodo.4159546.

[18] Aithal, P.S, & Aithal, Shubrajyotsna (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. International Journal of Management. Technology, and Social Science (IJMTS), 5(2), 19-4. DOI: http:/doi.org/ 10.5281/zenod.39876.

[19] Dr. Sudhir Ghavane, (2020) India's National Education Policy 2020: critical Appraisal. Published by MGM University.www.mgmu.ac.in

[20] People 2020.https:www.peoplesdemocracy.in/2020/0809-pd/cpim-response-new-education-policy-2020-nep.

Assessment and Evaluation in New Education Policy 2020

Garima Yadav

Research Scholar, Prof. Neetu Singhal, Professor, MJRP jaipur

Abstract

The potential of the continuous improvement in the teaching and learning process required an appreciation of the difference in a spirit between assessment and evaluation. The assessment provide the feedback to the mentee and improve the quality the performance .To measure the quality the evaluation and assessment both is necessary.

Keywords: - Assessment, Evaluation Diagnostic, Aptitude, instructor , Reliable, Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability.

Introduction:-

The National Education Policy was framed in 1986 and modified in 1992. More than three decades have passed since previous Policy. During this period significant changes have taken place in our country, society economy, and the world at large. It is in this context that the education sector needs to gear itself towards the demands of the 21st Century and the needs of the people and the country. Quality, innovation and research will be the pillars on which India will become a knowledge super power. Clearly, a new Education Policy is needed. The new National Education Policy (NEP 2020) seeks to make education smore inclusive, equitable, and accessible for all, with a particular focus on marginalized communities. It also emphasizes the development of 21st century skills like creativity, critical thinking, and problem-solving. Additionally, the policy provides for the establishment of new institutions, such as digital universities, and the use of technology to facilitate learning India is about to bring dramatic changes to its education system to become a global power. The recent changes were made to put an end to 34 years of education policies. The new system, which is still being implemented, includes an emphasis on online learning, more school hours and a shift away from rote learning Assessment is a systematic process for measuring the persons or an individual's abilities. Assessment is an ongoing process. Assessment are collaborative, consistent ,reliable and the Tailored to a specific context . The word "assess" is derived from the Medieval Latin word "assesses" whose meaning is "fix a tax upon." Therefore, assessment can be defined as the process of collecting information about something or somebody from different sources to get the idea of the knowledge or skills or quality possessed by it. The meaning of the word "evaluate" is to make a judgment about something or someone to learn about their abilities or skills or qualities. The word evaluate is derived from the Latin word "Valera" whose meaning is to "too strong, be of value, be well, or be worth."The outcome of the evaluation process is the result. In an exam, the person's ability to apply his or her knowledge is evaluated, and based on the outcome; conclusions are drawn. The evaluation process is conducted to compare the skills and qualities of two or more individuals. The person being evaluated must fulfill the criteria set by the evaluator. Unlike assessment, the result of does not provide constructive feedback, but it passes the judgment.

There were three common assessment that is the formative assessment ,summative assessment and the Diagnostic assessment. Diagnostic assessment usually help the understand the level of the learner's knowledge .Formative assessment improve the instructor land individual's learning process and summative assessment determines the learner's results for the next step. The purpose of conducting an assessment is to provide constructive feedback so that the assessee (the assessed person) can improve. Assessment is a continuous interactive process where two parties are involved.

The assessor who assesses the performance of an individual in a particular field or in various fields to help the assessee improve. The word assessment often is used to assess skills, abilities, aptitude, performance, and competence.

A formative assessment aims to provide ongoing feedback that improves both the individual and instructor throughout the learning process. Summative assessment happens at the of an instructional unit, and its results determine whether the learner unlocks the next milestone. The term can be used to gauge the effectiveness of an education system, a

course, a curriculum, a teacher, etc. evaluation is a thorough process of accessing the performance of someone or something to determine the difference between the actual and intended outcomes. An evaluation is one step further from traditional assessments. Evaluation is measuring the success .An evaluation aims to make an objective judgments on the value, quality and set a .well defined criteria. A good evaluation process is valid, reliable and the practical.

Evaluations, assessments are very popular in educational research and human resources. They are used during employee engagement surveys to gather feedback from workers on how to improve the workplace.

To a large extent, both assessments and evaluations are used in similar industries. Evaluations are also used in the accounting/finance industries to determine the viability of a business.

An evaluation helps you to match the resources and outcomes of a project. In this sense, it's a great way to measure returns on investments, and determine whether an endeavor is yielding the greatest benefit for stakeholders.

Assessments are spontaneous and flexible, Evaluations are strict and artificial to an extent. This can affect the performance of individuals during this process. Also, if there's an error in the grading parameters, it affects the quality of data resulting from an evaluation process.

Assessments help the researcher to gather feedback on the quality of the systematic investigation. At the same time, assessments help you to define and modify the research framework at different points in the process.

Evaluations provide useful data for measuring the impact and success of the research. It helps you to determine how much progress has been made in the systematic investigation and if any changes need to be effected along the way

Assessments provide valuable information about a student's knowledge, how much he has learned, the quality of this knowledge, and the different challenges faced during the learning process. Through assessments, teachers identify learning gaps and address them on time.

Evaluation provides useful data for building the core of the educational curriculum and improving it from time to time. For the learners, it validates their knowledge and determines how they progress from one level to the next. Data from an evaluation is a great way to show how successful a program is.

When we assess a person, we assess the level of performance or that individual, and when you evaluate someone, you evaluate how much goal is attained by the individual.These two words are commonly used in the academic system, and even teachers make the mistake of using these words interchangeabl.

There are few differences between assessment and evaluation—

Assessment

- The meaning of assessment is to review the data about something or someone from different sources in order to make improvement in the current performance of an individual.
- An assessment is an ongoing process.
- The purpose of assessment is to improve the quality of performance.
- The assessment is an individualized process and is not done against already set standards.
- The orientation of assessment is process oriented.
- The outcome of assessment is constructive feedback.
- The assessment is graded.
- assessing the relationship between two parties is reflective.
- The criteria of assessment is decided by the mutual understanding of both parties involved in the process.
- Teacher does assessment of students' performance and provide constructive feedback.

Evaluation

- The meaning of evaluation is to judge the performance of something or someone by measuring the performance on the basis of existing standards.
- An evaluation provide closure on the existing process.
- The purpose of evaluation is to judge the performance.
- The evaluation is applied against the set standards.
- The orientation of evaluation is product oriented.
- The outcome of evaluation is to show shortcomings.
- The evaluation is not graded.
- Evaluating the relationship between two parties is perspective.
- The criteria of evaluation is solely decided by the evaluator.
- the evaluation of the skills of a candidate is done before hiring him or her for the job

Conclusion :-

In short way we can say that both assessment and evaluation are important processes in the field of education and other important fields where necessary. Assessment and Evaluation play important parts and make the work easy for higher authorities to the lower persons. The assessment and evaluation are often used in a synonymously, they are distinctive and different .The assessment is to measure effectiveness, evaluation adds a value component to the process. evaluation and assessment are both used to review the performance of an individual. But these two terms are used in a completely different context. The assessment is done to provide constructive feedback and the motive behind assessment to improve, whereas, evaluation is done to judge. In last we can say that both assessment and evaluation necessary in every field. Without these work cannot be run smoothly. It shows the clear images and pictures of particular field of working place.

The New Education Policy (NEP) 2020 is a comprehensive policy released by the Government of India in July 2020. It replaces the National Policy on Education (NPE) 1986 and is the first major overhaul of the education system in India in over three decades. The New National Educational Policy (NEP) focuses on 5 pillars: Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability.

References—

- 1.Kassim Shaaban, 2001 , Assessment of Young Learners.
- Cindy Ives, 2010, Canadian Journal of Higher …A Systematic Approach to Evaluating Teaching and Learning Initiatives in Post-secondary Education
- Jayanti Banerjee, J. Charles Alderson, 2002,Language Teaching,Language testing and assessment (Part I)
- Tomas Yambi,https://www.academia.edu/35685843/ASSESSMENT-AND-EVALUATION-IN-EDUCATION
- 5.https://www.formpl.us/blog/assessment-and-evaluation

Holistic Approach and Educational Foundation of National Education Policy

Mr. Khemraj Choudhary

Research Scholar, Apex University Mansarovar Jaipur

Dr. Anita Vyas

Research Guide Associate Professor, Apex University, Jaipur

Abstract

Education must be multi-disciplinary and holistic in approach for students.They must have holistic development in both academic and non academic spheres. The aim of education to foster unique capabilities of all students by curricular and extra curricular activities and ensure unity and integrity of the whole knowledge; education should develop interest for more and more learning for the whole life.Education must prepare good citizens for the country so that country grows well globally.

Keywords: Multidisciplinary, self discipline, critical thinking, holistic and Fostering.

Introduction

National Education Policy 2020 has been emphasizing development of Creative potential of each individual. This is based on the principle that education must develop not only cognitive skills but also foundational capacities etc. Where knowledge is power and the goal of this policy ancient Indian education was not just the acquisition of knowledge but going beyond it as a preparation of life in the world class Institutions of Ancient Indian Research and made scholars and students run across countries and boundaries.Indian Scholars were Charak, Sushruta Nagarjuna, Gautam, Pingla, Sanskriti , knowledge and subjects such as mathematics Astronomy, Metrology, Medical Science Surgery, Civil Engineering, Culture and Philosophy which had great influence on the world heritage to come but also Research and uses by our education system. New education policy empowers teachers to help them to do their job very effectively .It must help recruit the very best and writers to enter the teaching profession at all levels by ensuring livelihood respect dignity and autonomy and also installing in the system basic method of quality control and accountability the new education policy must provide to all students it respective of the place of present quality education under represented groups education inspite of many obstacles my provided target it opportunities to enter an excel in the educational system. Such elements must be incorporated taking into account local and global nature of the country and with the respect for difference of its diversity and culture and giving knowledge of India and it's very social, cultural, technical, artistic, language and knowledge tradition and strong knowledge cooperation and integration previous policies have been incomplete and this respect so NEP 2020 is a landmark and is the milestone of education. It fulfils all the needs of world class education and it has changed the education structure from 10 + 2 + 3 to 5 + 3 + 3 + 4.

So there are four stages of education in new education policy these are up to 5 years of age there is free primary education and students are attracted towards school. In playing methods of playgroup schools where they are playing while learning. In second stage they have no burden of bags and text books which is part of foundation only they are given primary education class 1to 5 where they are taught in mother tongue which is in their own choice. In 3rd stages of middle school that is from 6 to 8 foreign language given to students in their own choice and if they are learning professional learning they have no education for exams that is by their ability. Classes 9 to 12 in this classes they are taught streamless education no water tight compartments of science arts or commerce they can choose subjects of their choice according to their interest. Student can do B.Sc. the geography or History also. The fourth part is graduation, in the graduation student studies for 1 year he will get diploma , certificate in the second year and in the third year he will get graduation degree and in the 4th year he will get research with graduation degree. Thus he will complete 5 + 3 + 3

+ 4 system of education after that he can follow post graduation for 1 year if he is than 4 year degree in graduation and for 2 years, if he has then 3 degree in post graduation . M.Phil. degree has been removed

National education policy envisages an education system rooted in Indian ethos that contributes to transforming India that is in Bharat which is sustainable and equitable and vibrant knowledgeable society by providing high quality education to all citizens and students and thus making India a global knowledge super power. The policy includes that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values bonding with one's country and conscious Awareness of Once rows its responsibilities in changing and transforming world the aim of policy is to instill among all the learners deep rooted Pride of being Indian not only in thought but also in Spirit, intellect and deeds.

Part 1 school education in this policy the system of 10 + 2 structure of school education has been modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5 + 3 + 3 + 4 which includes ages 3to18 yours of age Foundation education starts in early childhood care and education system from age of 3. It promotes better over learning development and with the early childhood Care Education the foundation learning the child brain will become fully developed with development which occurs before the age of 6 after that the child will be starting class 1 from 6 years of age from one to three class the child will be taught in mother tongue and from 3 to 5 also the child has option of learning in mother tongue language. He can also learn in Hindi or English but can learn in mother tongue too. Thus child will learn very quickly and the studies will not become burden for him or her the third stage is from 11 to 14 years which is middle education in this the child will be given vocational education and training as teaching tailoring carpentering or any work office choice so that he can become professionally well versed in anyone field besides passing class 8. He will also learn one foreign language and then in the 4th stage is from 9 to 12 class this is secondary stage where the child will be learning stream less education. He will not be caught in water tight compartments arts commerce or Science but he will be given education office option. There will be no wrote learning for exams. Only he will be developed so that his personality becomes more diverse. He can learn Science, Mathematics, Social Science and Humanities. He will learn critical thinking and logical reasoning at the stage and comprehend all the subjects of his choice. Experiment of the subjects and the subject teachers does overall education will be given to all students. The 4th stage is the stage of graduation in this if the student drops study in 1 year then he will get diploma. Then if he studies for 2 years he will get certificate and if you studies for 3 years, he will get graduation. If he studies for 4 years he will get graduation with research after which we can do PG in one year only but if we do 3 years graduation then he will do 2 years and M. Phil. no longer exists to be in curriculum of studies.

References

- Draft New Education Policy (2020) PDF Report from MHRD
- Final National Education Policy (2020) PDF Report from MHRD
- Aithal, P.S; Aithal, Shubhrajyotsna (2019), Analysis of Higher Education in Indian National Education Policy Proposal 2019, International Journal of Applied Engineering and Management Letters. 3(2):1-35.SSRN 3417517
- Malhotra, Smrithi (2019), A Distressing Attempt to Redefine India, Journal of the Gujarat Research Society, 21 (11).
- Maniar, Vikas (2019), Overlooking the Idea of Common School in the Education Policy (PDF), Economic and Political Weekly, LLV (37): 18–19
- Puri, Natasha (8 November 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India: The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. Social Science Research Network (SSRN). SSRN 3472247.
- Jeebanlata Salam, Draft National Education Policy (NEP), 2019 and jingoistic nationalism, The People's Chronicle, 27 June 2019
- .Tilak, Jandhyala B. G. (2019). Promising but Perplexing Solutions: A Critique of the Draft National Education Policy 2019. Social Change. 49 (4): 686–712. doi:10.1177/0049085719876831. ISSN 0049-0857. S2CID 213369494.
- Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 concerning National Institutes of Technical Teachers Training and Research, Journal of Engineering Education, 33

Skill India and Digital India: Make in India

Laxmi Chhipa

Research Scholar, Education Department, Apex University, Jaipur

Abstract

To make India one of self- sufficient in manufacturing sector. make in India camaign was launched by prime minister shri Narendra Modi on sep. 25, 2014. As a support to make the country digitally empowered in the field of technology digital India was launched on 2 July 2015 with an objective of connecting rural areas with high-speed internet networks and improving digital literacy by concentrating on three major ares - Digital literacy by concentrating on three major areas- Digital infrastructure as a utility to every citizen. Governance as a utility to every citizen. Governance & services on demand and digital Empowerment of citizen. After Digital India. and make in India, the NaMo government has launched assorted program skill India in July 2015 with the aim of economically empowering every Indian by 2022 or a national priority ever the next 10 years.

Key words : A purchaging, power parity, GDP, Make in India, Digital Empowerment

Skill India and Digital India - Make in India

Make in India is an international marketing campaigning slogan coined by the prime minister of to encourage multinational companies and domestic companies to manufacture their products in india as an important investment destination and a global hub for manufacturing, design, and innovation. The campaign is aimed to attract foreign firms to setup their manufacturing units in India and to seek greater forign investment. The objective of the campaign is to get manufacturing sector to grow over 100 percent on a sustainable basis over a long run. The govt. will look into all regulatory processes to ease the burden of investors. A dedicated cell has been created to answer queries from business entities through a fresh created web portal. Through this campaign, the union government aims to clear the drainting image of complex ruler and bureaucratic red tape of India administration. It will facilitate the world investors to foster their investment decisions. This will faciliate inrealizing the aim of libralized economy. Make in India will act as a primary reference point for guiding foreign investors on all aspects of regulatory and policy problems and assists them in getting regulatory clearnces. Through make in india initiative, government will focus on building physical infrastructure as well or creating a digital network to make India a global hub for manufacturing of goods ranging from cars to satellites to submarines, pharmaceuticals to ports and paper to power. For the make in India campaign, the government of India has identified 25 priority sectors that shall be promoted adequatly.

Make in India majorly concentrating on following Automobiles, oil and gases, biotechnology aviation, Tourism and Hospitality, chemicals, Railways and many more.

Digital India :-

"Digital India is an intiative of the central government of India. designed to transform India into a global digitized hub" by reviving a rundown digital sector of India with the help of improving digital connectivity and skill enhancement and various other incentives to make the country digitally empowered in the field of technology.It Includes various proposals and incentives given to companies, basically the manufacturing companies both domestic and foreign to invest in India and make the country a digital destination. The emphasis of digital india campaign is on creating jobs and skill enhancement in the broadband highways, E-governance, and Electronic delivery of services, universal access to mobile connectivity, Electronics manufacturing and information for all etc. The campaign's aim is to resolve the problems of connectivity and therefore help us to connect with each other and also to share information on issues and concernsfaced by us. In some cases they also enable resolution of those issues in near time. This initiative is focused to help Indiagain a better rural connectivity with a stable governmental policies in the back ground coupled with benefits and incentives via. the campaign. simultaneously the initiative is designed to create jobs & enhace skill development which will ultimately lead to increase in GDP and revenuer from tax.

Digital India has 3 core components those are :

- The creation of digital infrastructure (to connect 550 farmer markets)
- Delivering services digitally
- Digital leteracy (to cover six crore rural households)

Skill India: -

This new programme called 'skill India' is supposed to be a multi - skill programme. It will be launched in march 2015. Like all other programmes, 'skill India' too is a dream project of Narendra Modi and the work to launch this programme has already been initiated. The main goal is to create opportunities, space and scope for the development of the talents of the India youth and to develop more of those sector which have already been put under skill development for the last so many years and also to identify new sectors for skill development. The new programme aims at providing training and skill development to 500 million youth of our country by 2020, covering each and every village various schemes are also proposed to achieve this objective.

Features of skill India:-

- The emphasis is to skill the youths in such a way so that they get employment and also improve entrepreneurship.
- Provides training, support and guidance for all occupations that were of traditional type like carpenters, cobblers, welders, blacksmiths, mason, nurses, tailors, weavers etc.
- More emphasis will be given on new areas like real estate, constuction, transportation, textile, gem industry, Jewellery designing, banking, tourism and various other sectors, where skill development is inadequate or nil.
- Another remarkable feature of the 'skill India' programme would be to create a hall mark called "Rural India skill" so as to standardise and certify the training process.
- Tailor- made, need based programmes would be initiated for specific age groups which can be like language and communication skills, life and positive thinking skills, personality development skills, management skills, behavioural skills, including job and employability skills.
- The course methodology of "skill India" would be innovative which would include games, group discussions, brains storming sessions, practical experiences, case studies etc.

Challenges in Implementing -

Make in India, No doubt the abar discussed advantages of make in India Concept will boost up our economic growth & the initiatives taken by the present government in being a welcome by arry cornerd th wold. It is very clear that countries and private sector players are showing their Reen interest in manufacturing sector, but following are certain grey area's which needs immediate attention of the government for smooth implementation and sucss of this concept . India's labour. laws are still ancient by most standards which makes hiring and firing and shutting down of inefficient units next to impossible, India in one sense has a federal structure, which reduces the central governments . power in pulling off such schemes & ideas.

Digital India -

India has a huge digital gap to over come it is hardly posible within given period of 4 years of programme absence of privacy law and data protection laws civil liberties abuse possiblities, lack of parliamentary oversight for e- surveillance in India lack of parliamentary oversight for e- surveillance in India, lack of intelligence related reforms in india, in scure indian cyberspace etc. expose the users of these programmes to risk of 'identity theft. misuse of database and cyber abuse.

Skill India -

- Introducing special mechanisms in the delivery of training to increase participation by women, including mobile training writes, extension schemes & in plant trains.
- Significantly expanding training provisions for rural poor, youth & vulneralble groups in rural areas. This could be achived through greater equitable integration into existing institutions, structures & facilities.

Reference-

- http://www.make in india.com/
- http://skillindia.gov.in/
- http://www.digital india. gov.in/
- http://www/thenudge/org/Digital Literacy

Relationship between Competencies and Aspirations of Primary School Teachers: An Empirical Study

Dr. Alpna Sharma

Research Supervisor, Apex University, Jaipur

Ashima Jain

Research Scholar, Education, Apex University, Jaipur

Abstract

The issue of teacher quality is integrally related to the interplay of supply and demand. Since not all teachers have the same competencies and aspirations, quality is an important variable that can be adjusted by policymakers in their efforts to bring supply in line with demand. Teachers' competencies and aspirations determine their supply while their demand is influenced by seeking the right talent from the school management. The present study aims to analyze the relationship between the competencies and aspirations of primary school teachers with reference to CBSE schools of Kota city, Rajasthan. A sample of 164 primary school teachers of CBSE schools in Kota city has been drawn for the study. Self-constructed survey tools seeking administrators' responses were used constituting 64 and 27 statements pertaining to teachers' competencies and aspirations respectively. Data were analyzed using percentage analysis and Pearson Correlation. The analysis revealed that there is a significant and highly positive relationship between competencies and aspirations of primary school teachers which implies that higher competencies lead to higher aspirations among teachers.

Keywords: Teachers' Competencies, Aspirations, Primary School Teacher

Introduction

The world of the 21st century is rapidly changing and there is a need to educate our children in a new way to survive in this new world. It is the responsibility of not only the government but the educators to redesign the education system in such a way as to help the students to connect with the rapidly changing world and to face the challenges raised by it. They need many skills in order to be successful such as the ability to work in teams, presentation skills, writing skills, willingness to examine civic and global issues, ability to use technology, critical thinking skills, ability to conduct research, willingness and ability to learn about new career opportunities, etc. The educational curriculum of this century is to be revamped to incorporate these skills by making use of internet technology and multimedia.

Thus, overhauling the educational system needs to be done by the restructuring teaching profession and making the teachers competent enough so that the goal of delivering such a level of quality education can be met. Moreover, a highly occupationally aspirant teacher aspires to be more technically skilled and thus leads to bringing creativity in every field (Kaur R, 2013). Occupational aspiration is one of the characteristics of motivated teachers because they must keep abreast of the latest methods and techniques and improve their pedagogical skills to perform effectively (Singh G, 2007).

The present study would aim to establish the relationship between the competencies and aspirations of primary school teachers, particularly with reference to CBSE schools of Kota city, Rajasthan.

Literature Review

Shukla S. (2014) found no significant relationship between teaching competencies and job satisfaction levels of primary school teachers. The competency of teachers depends more on the training of the teacher and on offering a

facilitating environment to work. There is also no significant difference between teaching competency levels and high, average and low levels of job satisfaction. As per the findings, the teaching competencies of the teachers are not dependent on job satisfaction but frequent workshops or interaction with experts can groom the competencies required by the teachers. She concluded that school authorities should identify the ways and means through which teachers can be provided with facilitating work environments that will influence their work and their commitment to teaching.

Martel, L. (2007) discussed that recognizing acquired competencies play a primary role in the creation of a culture of ongoing learning. This culture makes it possible for all to achieve their goals and continue fine-tuning their competencies and learning throughout life. This is a major issue for the interveners and the leaders in education who are concerned with developing and training the workforce. For teachers in general, the recognition of acquired competencies makes it possible for them to move forward in their ongoing training and continue progressing in their professional development.

Galchus et al. (1994) found that average salaries have a statistically significant and negative effect on demand for teacher quality and a significant and positive effect on the supply of teacher quality. As per the study, demand for teacher quality appears to be price-inelastic. Supply for teacher quality is much more elastic. Moreover, the authors revealed that higher-quality teachers appear to prefer high-achieving schools.

Murugan & Rajammal (2018) suggested that teachers must be well-trained and have professional qualifications. If teachers acquire teaching skills with commitment and perform their many duties in the classroom and in the community in a truly professional manner, teaching effectiveness will increase by being more efficient.

Solheim K. (2019) found that teachers' willingness to improve their classroom interactions with students is based on their professional needs as well as opportunities to learn. It contributes to an emergent understanding of teachers' motivations to develop classroom interaction knowledge in the workplace. This study also provides evidence of the importance of teachers' professional values, expectations and emotions for new knowledge development. Given that teachers' motivation is at the core of their improvement and learning, it is important to continue exploring teachers' desire to learn and create opportunities for their growth and development in classroom interaction.

Methodology

Research Objective

To analyze the relationship between teaching competencies and aspirations of primary school teachers.

Hypothesis

H_0: There is no significant relationship between Teaching Competencies and Aspirations of Primary School Teachers.

H_1: There is a significant relationship between Teaching Competencies and Aspirations of Primary School Teachers.

Delimitation

- The study is limited to CBSE Primary School Teachers.
- The area of the study is confined only to Kota city of Rajasthan State.

Population

In the present study, the population comprises primary school teachers teaching in different CBSE schools in Kota.

Sample and Sampling Method

200 primary school teachers were randomly identified for data collection out of which the researcher could get 164 questionnaires that were found complete and considered for the analysis.

Data Collection Tools

As per the objective and hypothesis of the study, the researcher has used the following tools:

a. Teaching Competencies Scales.

The Competencies tool is self–constructed and covers statements related to planning, presentation, closing, evaluation, managerial skills, and Awareness of the CBSE Guidelines for teachers. The tool was finalized at a five-point Likert scale ranging from Not at all to Very much. The scale contained 64 statements.

b. Teachers' Aspirations Scales

The Aspiration tool is also self-constructed and covers statements related to aspirations of primary teachers regarding Learning & Development Opportunities, Opportunities to Excel, Workplace environment, Emoluments/Rewards, and Additional Skills. The tool was finalized at a five-point Likert scale ranging from Very Low to Very High. The scale contained 27 statements.

A Tryout was conducted on a sample of 75 teachers and a reliability test was applied using Cronbach's Alpha. Since values of Chronbach's Alpha for both the scales were found nearly 0.9 indicated strong internal consistency of the research tool.

Table 1: Reliability of Teaching Competencies and Aspiration ScalesScale

Reliability Statistics		
Scales	Cronbach's Alpha	N of Items
Teaching Competencies	0.934	65
Teachers' Aspirations	0.898	27

Statistical Techniques

In this study, the researcher applied percentage analysis and Pearson Correlation for analyzing data.

Analysis and Interpretation of Data

The analysis of data and the results have been discussed in this section in relation to the objectives of the study.

a. Relationship between Total Aspirations and Total Competencies

Pearson's Correlation was applied to measure the relationship between the competencies and aspirations of primary school teachers.

Table 2: Correlation between Total Aspiration and Total Competencies

Correlation			
Variables		Values	Result
Total Aspiration and Total Competencies	Pearson Correlation	0.814	Highly Positive and Significant correlation.
	P Value	0.000	
	N	164	

Pearson Correlation applied, level of significance 0.05

As per table 2, a highly positive (0.744) and significant ($p<0.05$) correlation exists between the Total Aspiration and the Total Competencies of primary school teachers which indicates that the higher the competencies higher would be their aspirations. Thus, *the null hypothesis gets rejected* that there is no significant relationship between the competencies and aspirations of primary school teachers.

Conclusion

Based on findings, it has been detected that there is a significant relationship between competencies and aspirations of primary school teachers which implies that higher competencies lead to higher aspirations among teachers. Teachers can ensure changes by implementing new ideas to bring reforms to existing pedagogical practices run in primary sections. In this respect, teachers need to have more competencies than they had before. It has already been established that teachers who are committed and competent need a conducive work environment to prove their abilities and capabilities (Shukla, S., 2014). It can be suggested to school management that the competency of teachers can be enhanced through regular training and by providing a positive environment to work.

Implications of the Study

The study entails the following implications-

- There is a need to get insights into what motivates teachers to perform exceptionally and based on that their aspirations should be met.
- Efforts should be made to motivate teachers with meeting their aspirations, not only for the sake of teachers but also in the interest of students' wellbeing.
- Providing a healthy environment to teachers not only helps them to develop their competencies and build a positive attitude rather it helps in retaining good talent.
- Keeping teachers motivated and encouraging them to attend workshops and training programs on a regular basis.
- Hire fresher teachers and give them proper guidance.

References

- Cohen, L. et.al. (2007). *Research Methods in Education* (6th edition). New York: Routledge.
- D. Senthil Murugan and T. Sivasakthi Rajammal (2018). Development of Teaching Competency Scale of B. Ed. Trainees. *Scholarly Research Journal for Humanity Sciences & English Language*, 6 (29), 8003-8011
- Galchus et al. (1994). An Analysis of the Factors Affecting the Supply and Demand for Teacher Quality. *Journal of Economics and Finance*, 18 (2), 165-178.
- Honagudi, S. & Shinde, V. M. (2019). A Study on Educational Aspiration with School Environment of Secondary School Teachers. *International Journal of Research in Social Sciences*, 9 (8).
- Howe, E. (2006) Exemplary Teacher Induction: An International Review. *Educational Philosophy and Theory*, 38 (3), 287– 297.
- Kaur R (2013). *Teaching aptitude of college students in Technical and Non-technical discipline in relation to their parental occupation*. Lovely Professional University.
- Kothari C. R. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques*. New Age International (P) Ltd.
- Martel, L. (2007). Recognizing the Acquired Competencies of College Teachers: A Good way to support Professional Development. *Pédagogie Collégiale, HIVER*, 12 (2), 6.
- Passi, B. K. and Lalitha, M. S. (1994) as cited in M. Balasubramaniam (2019). Teaching Competency of Student Teachers at B. Ed Level. *Journal of Information and Computational Science*, 9(9).
- Shukla S. (2014)Teaching Competency, Professional Commitment and Job Satisfaction-A Study of Primary School Teachers *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 4 (3-II), 44-64
- Singh G (2007). Job Satisfaction of Teacher Educators in Relation to their Attitude towards Teaching. *Journal all India association for Educational Research*, 19(3-4): 1-4.
- Solheim K. (2019). Teachers' Aspirations to Improve their Classroom Interaction. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research,* 18 (6), 147-169.

Salient Features of NEP 2020 in the context of Teacher Educator

Dr. Jagriti Parikh

Associate Professor, Research Guide, RM T.T. College, MLSU, Udaipur

Mrs. Chandan Bala Jain

Assistant Professor, Sanjay Teacher's Training College, Jaipur
Research Scholar, Mohan Lal Sukhadia University Udaipur

Abstract

NEP2020 proposes to change the school's academic structure from (10+2 years) of schooling format to (5+3+3+4 years) format. Teacher preparation is an activity that requires a multidisciplinary approach and knowledge. Teachers can be introduced to Indian values, language, knowledge and traditions. Teachers can be made familiar with the latest advances in education. it has become necessary that children should not only learn what is being taught, but also learn the art of continuous learning, so there is a need to increase the content in education. Instead the emphasis needs to be on children learning to solve problem, think logically and creatively, to see the inter-relationships between different subjects, to think out of the box, to apply new information to new and changing situations or areas. The in- service training provided to teachers includes modules on curriculum knowledge, exclusion practices, inclusive policies, gender sensitization and initiated to support children with special needs.

Salient Features of NEP 2020 in the Context of Teacher Educator

The key to success in life is education. Our future career completely depends upon the quality of education given to us. That's why dedicated, hardworking teachers and a good quality of education is required in everyone's life, so that they can fulfill their dreams. Teachers have a significant impact on the achievement of many people. It has been aptly remarked "If you educate a boy,you educate one individual but if you educate a girl,you educate the whole family and if you educate a teacher,you educate the whole community."Education of a teacher in fact drives the extreme change for society and makes progress in achieving societal transformation.

For new education system of India, the 'National Education policy 2020 was started by union cabinet of India on 29 July, 2020. It replaces previous National policy of Education, 1986. NEP proposes to change the school's academic structure from (10+2 years) of schooling format to (5+3+3+4 years) format. But before this, it is important to consider that teacher education is vital in producing teachers who shape the new generation.

Teacher preparation is an activity that requires a multidisciplinary approach and knowledge. Good teacher educators are needs for a quality teacher education. Teachers can be introduced to Indian values, language, knowledge and traditions. Through this a good nature and values can be inculcated in the future teachers. Teachers can be made familiar with the latest advances in education.

But according to Justice J.S. Verma commission (2012) set up by supreme court, more than 10,000 teacher education institutions in the country are not making serious effort towards teachers education, These institutions are selling degrees at high prices. Effort made in this direction have neither been able to stop corruption in the system nor have been able to implement basic standards for quality . Therefore, there is an urgent need for re-civilization of this sector to restore the credibility, effectiveness and high quality of teacher education system.

The world is going through rapid changes in the knowledge land scape. Due to this it has become necessary that children should not only learn what is being taught, but also learn the art of continuous learning, so there is a need to increase the content in education. Instead the emphasis needs to be on children learning to solve problem, think logically and creatively, to see the inter-relationships between different subjects, to think out of the box, to apply new

information to new and changing situations or areas. This can only be achieved if future teachers are given good training by the teacher educators.

Good educational institutions, availability of experts, good teacher trainees and adequate teaching material result in quality teacher education and make a complete teacher. NEP -2020 outlines some approaches to quality teacher education, like, multidisciplinary college, establishment of education departments in all colleges and universities, 4 - year integrated B.Ed. Degree, short term teacher education program, use of innovation and best teaching methods, construction of NEW NCFTE, action against irresponsible teachers education institutions.

Teacher education will be included in multidisciplinary colleges and universities by 2030. By the year 2030. the minimum qualification for teaching would be a 4- year integrated B.Ed. degree. The B.Ed. program will be of 4 years, 2 years and 1 year. The 2 - year B.Ed. program will be required only for those who have obtained bachelor's degree in specific subjects. 2-year B.Ed. program for those who have obtained a 4- year bachlor's degree or master's degree in a specific discipline. All these B.Ed. degrees can be awarded only in a specific discipline. All these B.Ed. degrees can be awarded only by recognized special education institutions offering 4-year integrated B.Ed.

Training in the latest technologies will be provided in all B.Ed. programs. These include pedagogy, multilevel teaching and evaluation, teaching children with special interests and talents, use of educational technologies, learner- centered and collaborative learning.

There are some short- term teacher education programs also, under which some special short - term local teacher education programs will be available in the school campus. In this, local art, music, business, sports etc. will be promoted. for this purpose, eminent local persons will be deputed to teach as 'Master Instructor' in school premises.

To make teaching effective, many subject specific teaching methods are being used at the international level. To use the best and new teaching methods from different other methods after the suggestion of NCERT. To prepare a new and comprehensive national curriculum framework for teacher Education (NCFTE) based on principles of new education policy - 2020 by NCTE in consultation with NCERT. In order to maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre- service teacher preparation programs shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by National testing agency, and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country. The faculty profile in Departments of Education will necessarily aim to be diverse and teaching or field or research experience will be highly valued. Faculty with training in areas of social sciences that are directly relevant to school education for example, psychology child development , linguistics, sociology, philosophy, economics, and political science as well as science education, mathematics education and language education programs will be attracted and retained in teacher education institutions.

From January 2022, forty - five institutions across Indian will begin to after a four year integrated teacher education program (ITEP) specially designed for school teachers. The NEP - 2020 states that from 2030 onwards, teachers recruitment will be purely based on ITEP.

Some recommendations for teacher education are -

- The training institutions have to be earmarked separately for foundational, preparatory, middle and secondary levels.
- Security for qualified teachers in government, aided and unaided institutions have to be taken care of for giving quality training to teacher aspirants.
- Direct practical - oriented teacher training programs have to be focused over giving importance to online teacher training context.
- During teacher education equal weight age has to be given for curricular activities throughout teacher training program.
- Research anddevelopment wing should be started to promote research activities among teachers and teacher educators.
- Research opportunities have to be provided and promoted to upgrade theteachers and teacher educators.
- Outstanding teachers with demonstrated leadership and management skills would be trained over time to take on academic leadership positions in school complexes.

In-service training sessions are crucial to adapt to the fast- changing educational landscape. The in- service training provided to teachers includes modules on curriculum knowledge, exclusion practices, inclusive policies, gender sensitization and initiated to support children with special needs. Teacher's education is undergoing rapid changes in keeping pace with demand of learning and expectation of learners, society and community. various efforts have been made to improve teachers education. But gaps can still be seen. It should also aim upgrade the standard of teachers education, enhance the professional and social status of teachers and develop a sense of commitment among them. Here are some challenges coming in the way of improving education sector of our country -

- Training of existing teachers, to face the new challenges as per NEP 2020.
- Preparing a uniform curriculum across the country for different levels of pre-service teachers education.
- Designing thecurriculum across the country for different levels by mapping curriculum with school education.
- Identifying the qualified and quality human resources for teacher education and training.
- Changing attitude of teacher educators as per the changing roles and responsibilities at multi-disciplinary institutions.
- Hence the varied dimensions of teacher education mentioned in NEP2020,hasto be properly analyzed with social concern,responsibility and integrated view for policy implementation.

References

- Report of the education commission (1964-66) educational and national development ministry of education.
- National policy of education (1992) MHRD.
- National curriculum framework for teacher education towards preparing professional and human teacher NCTE,New Delhi.
- http://dsort.kar.nic in nep
- http://www.researchgate.net

Self-efficacy of Special Educator in Special Education: A Review

Virendra Singh Ruhela

Research Scholar, Department of Education, Apex University, Jaipur (Rajasthan

Dr. Poonam Mishra

Associate Professor, Department of Education, Apex University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Special education is a modified programme which involves some unique tools, techniques and research efforts in improving instructional arrangements to meet the need of exceptional children. A special educator helps children with special needs learn the same information and skills as other children in a school learn. Although the work can be challenging at times, it can also be satisfying to help children reach their full potential and see them prosper. Educators' self-efficacy is significant as it influences their perspectives on their capacity to instruct. In special education, self-efficacy is especially basic since it helps educators comprehend and help Children with Special Educational Needs (CWSEN). According to NEP(2020)The awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities (including learning disabilities) will be an integral part of all teacher education programmes, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation.

Keyword: Self-efficacy, special education, special educator

Introduction

Special Education

Special education is a modified programme which involves some unique tools, techniques and research efforts in improving instructional arrangements to meet the need of exceptional children. It is not a total different programme which is assigned for the normal children. But it adds a sort of design proposed to assist the gifted children, physically and mentally handicapped and socially retarded children. As it is a planned and systematically mentioned arrangement, majority of average children are not grouped into this category of education.

Special education can be provided in general schools with some special arrangement or in special schools the early history of special education was largely a history of separate schools; especially for children who were blind or deaf, whatever the problem, the solution was to put the child in a class with other children having similar problems.

This was nothing but to exclude the handicapped from the main stream of the society. Thus separate, became only one of the meanings associated with special education. But as society's response to the handicapped began gradually to shift away from education critics of special classes, began to express doubts and there came special education.

In accelerating the special education programme, extra time may be devoted by the same teacher or by an expert in the concerning field when a project is taken for a delinquent child the child may be directed to attend his regular classes. He should also participate all the curricular and co-curricular activities carried out by the school. In addition to this he may be assigned with extra consultation hours in the school with the counsellor or school guidance officer or with the specific teacher to go through his special problems. The children with some difficulties may be included in this class but there is no necessity for the ordinary children to attend it. With such kind of designed programmes the exceptional children achieve a great deal success in their personal and academic endeavours.

Objective of special education - (1) To develop motivational patterns in the handicapped that will produce achievement in school. (2) To develop a realistic self-concept in handicapped children. (3) To reach the maximum level of effectiveness in school subjects. (4) To pursue those curricular matters that strategically determines effective living or specific types

of handicapped children. (5) To consider the mental as well as the physical hygiene of handicapped school children. (6) To produce in the handicapped a desire to participate in the activities of non-handicapped persons.

Special Educator

A special educator helps children with special needs learn the same information and skills as other children in a school learn. Although the work can be challenging at times, it can also be satisfying to help children reach their full potential and see them prosper.

A special educator is a teacher who works with children of all ages who have special needs, whether these are cognitive, emotional or physical. These professionals may work in classrooms or resource centres that include only special needs students, or they may work in inclusive classrooms where they assist general teachers in providing special needs kids with the individualised attention and unique approaches they need to develop to their full potential.

These educators/teachers often develop Individualised Education Programs (IEPs) to set goals and track each student's progress. Furthermore, special educators coordinate with other teachers and counsellors to prepare lessons and write reports. They also regularly communicate with the parents of students about their child's progress.

Skills of a Special Educator

A special education teacher may use the following skills to perform their job well:

- Time management - These professionals often use their time-management skills to perform multiple tasks on a given day. This includes assisting children, evaluating their progress and making reports.
- Positive and energetic approach - As children with special needs may take extra time to understand a concept, special educators need to use a positive approach towards students.
- Critical thinking and social perceptiveness - Special educators need to determine effective methods to improve a child's learning experience.
- Communication - Special educators need to have strong communication skills to instruct children with a variety of special needs and communication styles. These professionals also need this skill to communicate with other relevant parties, such as general teachers, parents, physical therapists, social workers and counsellors.

Duties of a Special Educator

The job of a special educator is somewhat similar to a general teacher in schools. They provide learning assistance to students with mental, emotional, or physical disorders by evaluating each student's progress and making reports for each of them. A special educator often uses effective teaching techniques so that the learning experiences of students can be improved. Their primary duties include:

- Meeting with parents to discuss the progress of their children
- Modifying the general education curriculum to address the needs of specific students
- Providing the required instruction to individual students
- Diagnosing children with special needs as early as possible through tests and scrutinising their workbooks and behaviour
- Advising general teachers and parents on techniques to assist students in the learning process

Self-efficacy

In psychology, self-efficacy is a one's confidence in their ability to act in the ways important to arrive at explicit goals (Americal Psychological Association, 2020). The idea was initially proposed by the famous psychologist Albert Bandura.

Self-efficacy influences each area of human life. By deciding the convictions an individual holds with respect to their ability to influence circumstances, self-efficacy unequivocally impacts both the power an individual really needs to confront difficulties capability and the decisions an individual is probably going to make. These impacts are especially obvious, and convincing, as to speculation ways of behaving. (Luszczynska & Schwarzer, 2005)

According to Bandura; A solid sense of self efficacy advances human achievement and individual prosperity. An individual with high self-efficacy sees difficulties as things that should be dominated instead of dangers to stay away from. These individuals can recuperate from disappointment quicker and are bound to credit inability to an absence of exertion. They approach undermining circumstances with the conviction that they have some control over them. These things have been connected to bring down degrees of stress and a lower vulnerability to depression. (Bandura A. , 2010)

Conversely, individuals with a low sense of self efficacy view troublesome tasks as personal threats and avoid them. Troublesome tasks lead them to take a gander at the abilities they need instead of the ones they have. It is simple for them to lose confidence in their own capacities after a disappointment. Low self-efficacy can be connected to more significant levels of pressure and melancholy. (Bandura A.,2010)

Albert Bandura characterized self-efficacy as one's confidence in his capacity to prevail in unambiguous circumstances or achieve tasks. One's sense of self efficacy can assume a significant part by the way how he achieves objectives, tasks, and challenges (Luszczynska & Schwarzer, 2005). The concept of self-efficacy lies at the focal point of Bandura's social cognitive theory, which emphasized on the role of observational learning and social involvement in the development of personality (Miller & Dollard, 1941). The principal idea in social cognitive theory is that a singular's activities and responses, including social ways of behaving and cognitive process, in pretty much every circumstance are impacted by the activities that individual has seen in others. Since self-efficacy is created from outer experiences and self-perceptions and is persuasive in deciding the result of numerous occasions, it is a significant part of social cognitive theory (Bandura A. , 1988). Self-efficacy addresses the individual impression of external social factors (Bandura A. , 1977). As per Bandura's theory, individuals with high self-efficacy are the people who accept they can perform well and are bound to see troublesome errands as something to be dominated as opposed to something to be kept away from. (Mischel & Shoda, 1995)

Components of Self-efficacy

According to Bandura, there are four main sources of self-efficacy beliefs:

- Mastery experiences refer to the experiences we gain when we take on a new challenge and succeed. The best way to learn a skill or improve our performance by practice; part of the reason this works so well is that we are teaching ourselves that we are capable of acquiring new skills.
- Vicarious experience is—quite simply—having a role model to observe and emulate. When we have positive role models who display a healthy level of self-efficacy, we are likely to absorb some of those positive beliefs about the self. Vicarious experiences can come from a wide range of sources, including parents, grandparents, aunts and uncles, older siblings, teachers, and administrative staff, coaches, mentors, and counsellors.
- The verbal persuasion factor describes the positive impact that our words can have on someone's self-efficacy; telling a child that she is capable and face any challenge ahead of her can encourage and motivate her, as well as adding to her growing belief in her own ability to succeed.
- Emotional and physiological states refer to the importance of context and overall health and wellbeing in the development and maintenance of self-efficacy. It's difficult to have a healthy level of wellbeing when you are struggling with anxiety or depression, or battling a serious health condition—it's not impossible, of course, but it is certainly much easier to boost your self-efficacy when you're healthy and well!

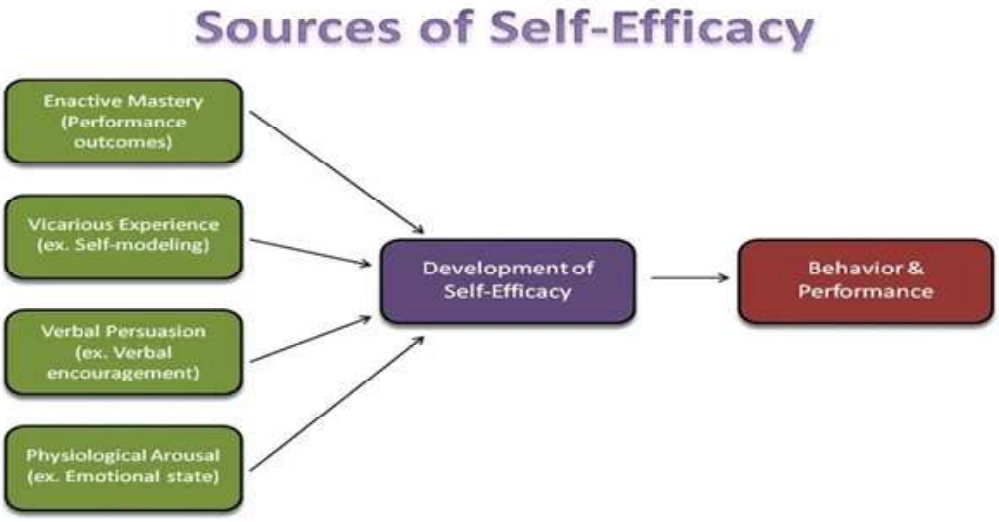

Self-efficacy and Special Education

Children with Special Needs (CWSN) frequently need particular guidance under an Individualized Instruction Program. Teachers of these students need to work harder to achieve similar outcomes as non-learning-disabled students. After some time, this influences the educator's self-efficacy. They might have lost their confidence in their capacities to teach CWSN with same spirit as they were at before. "Self-efficacy discernments impact decision of action, task diligence, amount of exertion extended, and at last, level of progress accomplished" (Klassen & Lynch, 2007). After some time, these discernments can wear on steadiness, exertion, and inspiration toward scholastics (Zimmerman, 2000). A need exertion and inspiration is a hazardous dynamic for educators who for the most part need to put forth a concentrated effort more than their normal counterparts to come by similar outcomes.

What is presently had some significant awareness of self-efficacy; particularly comparable to a special educator should be inspected. Then, how current information can be based upon in the future to guarantee that all, and particularly special educators, keep up with strong degrees of self-efficacy all through their teaching.

Special Educators or Teachers Self-Efficacy

Teacher self-efficacy relates to positive teacher behaviours such as enthusiasm, persistence, instructional behaviour, and commitment, as well as teachers willingness to try new instructional strategies (Berman et al., 1977). Teachers' self-efficacy relates to improvements in student motivation (Scherer et al., 2016; Tschannen-Moran & Hoy, 2001a). Carlson et al. (2002) led a nationwide study of people who serve students with special needs. They found that generally, special education teachers reported a positive or high efficacy. For those teachers that teach effectively, studies have shown that their self-efficacy is one of the important factors that contribute to their effectiveness (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Teaching in the general education classroom and the special education classroom are different (McCarty, 2013). In order to provide the appropriate and necessary education, special education teachers should be versed in interventions for cognitive disorders, 25 speech, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and other behavioural disorders (Skuller, 2011). A teacher's self-efficacy has a significant impact on their self-determination, classroom instructional ability, and how well their students preform (Dixon et al., 2014; Pacheco & Garcia, 2012; Scherer et al., 2016). Special education teacher self-efficacy should be thoroughly examined (Minghui et al., 2018). Special education teacher efficacy is an important subject. With self-efficacy being so important, it is no wonder that job satisfaction is paramount to teachers overall and even more so for special education teachers. It should be no surprise that those that teach special education students leave their job more often than general education teachers. With this attrition, it makes special education teaching positions difficult to staff consistently.

NEP (2020)

There is an urgent need for additional special educators for certain areas of school education. Some examples of such specialist requirements include subject teaching for children with disabilities/Divyang children at the Middle and Secondary school level, including teaching for specific learning disabilities. Such teachers would require not only subject-teaching knowledge and understanding of subject-related aims of education, but also the relevant skills for understanding of special requirements of children. Therefore, such areas could be developed as secondary specializations for subject teachers or generalist teachers, during or after pre-service teacher preparation. They will be offered as certificate courses, in the pre-service as well as in-service mode, either full time or as part-time/blended courses - again, necessarily, at multidisciplinary colleges or universities. Greater synergy will be enabled between the course curriculum of NCTE and RCI to ensure adequate availability of qualified special educators who can handle subject teaching as well.

The awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities (including learning disabilities) will be an integral part of all teacher education programmes, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation.

Conclusion

Special education is a modified programme which involves some unique tools, techniques and research efforts in improving instructional arrangements to meet the need of exceptional children. A special educator helps children with special needs learn the same information and skills as other children in a school learn. Although the work can be challenging at times, it can also be satisfying to help children reach their full potential and see them prosper. Educators' self-efficacy is significant as it influences their perspectives on their capacity to instruct. In special education, self-efficacy is especially basic since it helps educators comprehend and help Children with Special Educational Needs (CWSEN). According to NEP(2020)The awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities (including learning disabilities) will be an integral part of all teacher education programmes, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation.

Reference

- Baker, Harry J. : Intorudction to Exceptional children New York. The Mac Millan Company, 1947.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review, 84*(2), 191-215. Retrieved August 15, 2022, from https://www.apa.org/pi/aids/resources/education/self-efficacy#:~:text=Self%2Defficacy%20refers%20to%20an,%2C%20behavior%2C%20and%20social%20environment.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.* New Jersey: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1988). Organizational Application of Social Cognitive Theory. *Australian Journal of Management., 13*(2), 275-302. doi:10.1177%2F031289628801300210
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The exercise of control.* New York: W. H. Freeman.
- Bandura, A. (2010). *Self-Efficacy.* Atlanta: American Cancer Society. doi:10.1002/9780470479216.corpsy0836

- Barik N. (1990) : A Text Book of Exceptional Children, BANIRUPA, Cuttack-2.
- Berman, P., McLaughlin, M., Bass, G., Pauly, E., & Zellman, G. (1977). Federal programs supporting educational change. Vol. VII: Factors affecting implementation and continuation (Rep. No. R-1589/7-HEW). Rand Corporation. https://www.rand.org/pubs/reports/R1589z7.html
- Brafford, L. J., & Beck, K. H. (1991). Development and validation of a condom self-efficacy scale for college students. *Journal of American College Health, 39*(5), 219-225. doi:10.1080/07448481.1991.9936238
- Carlson, E., Brauen, M., Klein, S., Schroll, K., & Willig, S. (2002). Study of personnel needs in special education. Westat Research Corporation.
- Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 111–127. https://doi.org/10.1177%2F0162353214529042
- Dunn, Liyod M (Ed) Exceptional Children in School (2nd Ed) New York, Holt, Rine hart and Winston, 1973.

Teacher Education in the Light of NEP-2020

Prof. Mudit Rathore

Research Supervisor, University of Rajasthan, Jaipur (India)

Ms. Mahak Chhabra

Research Scholar, University of Rajasthan, Jaipur (India)

Abstract

Education is a dynamic process in which teachers' performance is the most crucial input in the field of education as they prepare future citizens and pillars of growth and development of Nation. Education gives new shape to individual and the nation as well. Education helps the people learn to take right action at right time and making proper decisions. Such a education require efficient and well trained teachers. It is a well known saying that teacher is a nation builder and they hold an important position in the society. National Education Policy is one of the salient educational phenomenon for which our Indian Education System was eagerly waiting for and which was much needed for the transformation of the present structure of our Education System. National Education Policy 2020 is the first education policy of the contemporary century, which was approved by the Union Cabinet of India on 29th July, 2020 outlining the vision of India's New Education System which replaced National Education Policy, 1986 and brought major changes in the education system. The new policy aimed to bring transformation in India's Education system by 2030. Out of all the fundamental changes, there were changes seen in the teacher education also. The quality of Teacher education needs to be upgraded as it has not come up to the required standards. Teacher education require comprehensive reform and restructuring of curriculum of teacher education, to be modified as per requirement of our contemporary societal needs

The present paper will explore teacher education in the light of New Education Policy (NEP), 2020 covering basic introduction to New Education Policy 2020 and salient features of New Education Policy in context of teacher education.

Keyword: National Education Policy 2020, Teacher Education, Salient features of NEP 2020 in context to teacher education.

Introduction

Education is crucial for achieving full human potential, human excellence, developing equitable and just society and promotion of overall national development. The provision of providing universal access to quality education is vital to India's continuous progress and showing leadership on global stage in terms of economic growth and development, social justice, equity and equality, scientific advancement, national integration and preservation of culture. Quality Education is the outstanding way for development and maximization of country's rich talents and resources for the good of individuals and society as a whole. India has highest population of youth and the ability to provide high quality educational and professional opportunities will decide the future of our country. The agenda of global education development was given consideration in the Goal 4 of sustainable development for 2030 which was adopted by India in 2015 seeking to ensure inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all without any kind of discrimination.

With continuous scientific and technological advancement such as rise of big data, machine learning and artificial intelligence, the need for skilled workforce involving mathematics, computer science and data science in connection with multidisciplinary abilities across science, social science and humanities is increasing with greater demand towards them. With changing knowledge and employment landscape, it is becoming crucial that students not only learn but also learn how to learn. Students must become logical in their approach and should always find answer to how and why and not just what to learn to pass the exams. Education must move towards less of content and more towards learning

about how to think critically, problem solving, creative and multidisciplinary. Teaching pedagogy must evolve itself to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry based, discovery oriented, learner based, flexible, discussion based and recreational. The structure of curriculum must include arts, craft, games and sports, culture, literature, languages and values for development of all aspects and capabilities of learners and making education useful and fulfilling for students. Education must be such that it is helpful in development of character and fulfilling their employment in future which will ultimately lead to nation development.

The National Education Policy 2020 is the first education policy of contemporary 21st Century which aims to take into account many growing developmental imperatives of our country. The National Education Policy of India 2020 was started by Union Cabinet of India on 29th July 2020, which outlined the vision of new education system of India. This policy replaced the National Education Policy on Education, 1986. The national Education Policy (NEP) will be implemented in the state from 2023-24 academic year. Karnataka became the first state to accept and implement the new education policy 2020 and has been constantly trying to iron out any issue within the new framework. This policy put forth the revision and revamping of all aspects of education structure, its regulation and creation of a new system that will be aligned with future goals of 21st Century education, including sustainable goals (Goal 4) built on the basis of India's tradition and human values. This policy is based on the principle that education must not just develop cognitive capabilities but also critical thinking and problem solving, ethical and emotional capabilities too.

The teacher must be centre of the fundamental reforms in Indian Education System. The new National Education Policy must help to re-establish and re-define teachers, at all levels as most dignified and essential members of our society who are responsible to shaping future leaders and creating responsible citizens. It must do anything and everything to empower the teachers of all the levels of education and help them to perform their job duties effectively. The new education policy must help recruit well equipped, skilled and well knowledgeable teachers who enter teaching profession at all levels by ensuring livelihood, respect, dignity and autonomy, also instilling in the system basic methods of quality control and accountability. Instead of blaming teachers for poor learning outcomes, the NEP 2020 holds dismal conditions of teacher education, recruitment, deployment and service condition responsible for lack of teacher quality.NEP 2020 has put forth such systematic reforms that would help teaching emerge as attractive profession of choice for bright and talented young minds.

Salient Features of National Education Policy 2020 in Context to Teacher Education

Teachers are the backbone of the society and acts as an architect of nation's development. They form the heart of Indian Education system and educational process and represent an crucial vehicle towards progressive and prosperous society. In ancient India, teachers paid high regards and were respected but in present day scenario, our system does not show trust in their teachers which is why the society does not pay high regards to our teachers. Teacher Education is crucial in creating a pool of schoolteachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity which requires multidisciplinary perspectives and knowledge, information, values and development of teaching practice under best mentors which are the teacher educators. The present scenario reflects that the quality of education, recruitment, deployment, service conditions and empowerment of teachers are not there where they should be placed which consequently leads to poor quality and motivation of teachers which makes us realize the urgency to revive the complete teaching profession so that people are inspired to be a part of this prestigious profession.

In order to ensure quality teaching and quality learning, it becomes important to prepare teachers to face challenges of dynamic society and impart quality education. The quality and excellence of teacher education lies in its appropriateness of design, effectiveness of curriculum of teacher education, viability of organization, efficiency of transactional modes, appropriate integration of technology an continuous commitment to meaningful research and innovations. The Justice Verma Commission Report, 2012 which was set up by Supreme court to submit the report on the state of teacher education studied the state of teacher education and functioning of National Council Of Teacher Education (NCTE) and identified the gaps in current perspectives and aspirations for education and situation of teacher education institutions in various states and put forth the issues and challenges faced by teacher education. The present New National Education Policy addressed those issues and challenges of teachers and teacher education and made recommendations to ensure quality teachers at all levels of school education to higher education, their service conditions, professional development etc. The NEP 2020 acknowledged the reality of unmotivated and dispirited Indian teachers and proposed to completely overhaul the teaching profession to create merit-based structure of tenure, salary, promotion and recognizing outstanding teachers. Based on the recommendations of NEP, 2020 on Teacher Education and training, the National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021 will be drafted to provide guidance to all teacher education, pre-service and in-service, teachers working in academic, vocational and special education streams.

Pre-Service Teacher Education

The NEP, 2020 recommended the introduction of four-year integrated B.Ed as dual-major Bachelor's Degree in Education as well as a specialized subject and will be offered in multidisciplinary Institutions/Universities by 2030.

NEP 2020 aimed to make teacher education gradually move into multidisciplinary colleges and universities by 2030. The new policy also suggested the introduction of a 2 year B.Ed programme for students who have already received a Bachelor's degree in a specialized subject and a one year B.Ed for the candidates who have received four year undergraduate degree in specialized subject or post graduation in school subject who wish to become subject teacher in that subject of specialization.

The Multidisciplinary higher education institutions which are having accreditation for ODL (Open and Distant Learning) many also offer high-quality B.Ed programmes in blended or ODL mode. All B.Ed programmes will include training in time-tested as well as most recent techniques in pedagogy with respect to foundational literacy and numeracy, multi level teaching and evaluation, teaching children with disabilities, children with different interests or talents, use of educational technology, student centered and collaborative learning. Special shorter local teacher education programmes will also available at BITEs, DIETs for eminent local people who can be hired to teach at school as "master instructors" and shorter post-B.Ed certification courses will also be available for professional growth of teachers who wish to enter into more specialized areas of teaching or into leadership and management positions in schooling system.

To ensure objective and transparent selection of excellent students entering teaching profession, the new education policy also recommended a common entrance test at National Level (NET) for admission to all institutions of Education conducted through National Testing Agency.

Teacher Recruitment and Employment

For the recruitment of the teachers in private or government school, the teacher must qualify Teacher Eligibility Test (TET), give the demonstration class, pass the interview and have the basic knowledge of local language. The NEP, 2020 provided Teacher Eligibility Tests (TETs) will now be extended to cover teachers across all the new stages (Foundation, Preparatory, Middle and Secondary) of school education. For subject teachers, TET as well as NTA test scores in corresponding subjects will be considered for recruitment. NEP,2020 also promotes the idea of recruiting teachers to school complex and sharing them across group of schools to deal with the shortage of teachers specially for music, art, craft, vocational education trainers, classical language teachers, technical and maintenance staff. The new education policy also made suggestion for stopping the unhealthy practice of excessive teacher transfer and also recommended that it will be conducted through online computerized system that will ensure transparency.

Enculturation of Teacher Empowerment

Teacher Empowerment means giving equal share of power to teachers and right to participate in determination of school goals and policies and to exercise their professional judgement about what and how to teach and giving their suggestions and recommendations to the system for further enhancement of quality education which makes teachers feel empowered, motivates them to work hard and enhance their commitment towards their students during teaching learning process. The NEP, 2020 gives the teachers autonomy for selection of appropriate pedagogy and encourages them to ensure social-emotional learning of their students, which is one of the critical aspect of holistic development of the students. Social –Emotional Learning is the process through which young people and adults acquire skills and abilities to develop healthy identities ,manage their emotions effectively and achieve personal and collective goals and show empathy towards others and establish and maintain supportive relationships. Innovative teaching methods to be adopted by the teachers to improve the teaching learning experience of the students.

Development of National Curriculum for Teacher Education

A new and comprehensive National Curriculum for Teacher Education, NCFTE 2021 was formulated in the year 2021 by National Council for Teacher Education (NCTE) in consultation with NCERT. The NCFTE thereafter will be revised once after every 5 - 10 years by reflecting the changes as well as considering emerging needs of teacher education.

Improving Working Condition for Teachers

The NEP, 2020 also recommended ensuring decent and pleasant service condition at schools, rationalization of schools without reducing accessibility in any way for effective school governance, resource finding, community building and not engaging teachers in such extra works other than teaching.

Continuous Professional Development of Teachers and Teacher Educators

The New Education Policy (NPE) 2020 has given due importance to Continuous Professional Development Programme for teachers which will be provided in various multiple modes such as workshop, seminars, online teacher development modules etc for self –improvement. Each and Every teacher will be expected to participate, in at least 50 hours of Continuous Professional Development (CDP) opportunities every year for their own professional development, driven by self interest. It will also be expected from school principals to participate in 50 hours or more of CDP modules per year, covering leadership and management with focus on implementation of pedagogical plans based on competency based education.

Systematic Reforms in Context of Teacher Education

- The regulatory system shall be given control to take stringent action against dysfunctional teacher education institutions which do not meet basic educational criteria.
- Only and only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education programmes shall be in force by 2030.
- All multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education departments which will run B.Ed programmes, in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, Indian language, art, music, literature, physical education, science and mathematics.
- All teacher training institutions which stand alone will be required to convert into multidisciplinary institutions by 2030, since they have to offer four years integrated teacher preparation programmes.
- The admission to pre service teacher preparation programmes will be through suitable subject and aptitude tests conducted by National Testing Agency.
- All the fresh Ph.D entrants, irrespective of discipline will be required to take credit based courses in teacher education /pedagogy/writing related to their chosen Ph.D subject area.
- The use of technology platforms such as SWAYAM/DIKSHA for online training for teachers will be encouraged.
- A National Mission for Mentoring will be established with pool of outstanding senior/retired faculty who will be willing to provide short and long term mentoring or professional support to university or college teachers.

Conclusion

The New Education Policy came up as a comprehensive attempt to transform our education system to as to cater the needs of individual as well as complete system. It considered the diverse need, viewpoints, globally accepted best practices in education, field experiences and stakeholders' feedback. The mission of the new education policy is really aspirational but the implementation needs a proper roadmap for successful outcome.

References

Useful Internet sites in the present research study:

National Education Policy 2020: A Viewpoint on the Implementing Challenges in Hospitality and Tourism Education System of India

Mahesh Kumar Bairwa

Lecturer, State Institute of Hotel Management, Jodhpur (Rajasthan), India 342001
(Affiliated to NCHMCT, MOT, GOI Noida, UP)

Dr. Vipula Mathur

Associate Professor, Rajdhani Engineering College, Jaipur Affiliated to RTU (Rajasthan Technical University, Kota) Jaipur (Rajasthan)

Abstract

India ratified Goal 4 of the UN's Agenda for Sustainable Development in 2015, which states that all people should have access to high-quality education and opportunities for lifelong learning. In order to achieve the intended sustainable aim, the Indian government introduced the New Education Policy (NEP) in 2020 because the current educational system was insufficient. This investigation seeks to assess the NEP paradigm in the higher education sector as an inclusive educational policy that places an emphasis on building knowledge and value based education. Authors seek to peek deep in to the policy documentation and its implementation in the education system of hospitality & tourism education system of Indian universities and other institutions and tries to analyze and asses its various parameter in consideration with hospitality and tourism education. NEP 2020 is anticipated to significantly improve India's higher education system. The goal is to build India 2.0 for the twenty-first century, which will undoubtedly assume a leadership position on the world stage. The majority of NEP 2020 is a fairly forward-thinking text, with a clear understanding of the existing socio-economic landscape and the potential to tackle future difficulties. By 2030, India might become a hub for education especially in the field of hospitality and tourism education on a global scale if successfully executed. However challenges are need to address by the education system stakeholders with immediate approach.

Keywords: National Education Policy 2020 (NEP 2020), Hospitality and Tourism Education, Hotel Industry, Indian Education System

Introduction

Countries improve their educational institutions to enhance societal advancement (Rizvi & Lingard, 2009). To promote inclusive and equitable educational system in the country, India's Government (GoI) devised the National Policy on Education (NPE) in 2020 (Kaurav, Suresh, Narula, & Baber, 2020). Many universities are planning to implement the new education policy and many are in process to assess the resources, infrastructures and other requirement at par with regulations of NEP 2020. Although, many institutions are creating awareness among the education stakeholders about the policy, its benefits and challenges if any through open discussions, talks and conferences etc. Various scholars have stressed their ideas and thoughts over the different education levels of schooling, HEI (Higher Education Institution) and other courses. The most of the studies are over the generalized courses of medical, engineering, management and other humanities courses. This research article tries to provide the glimpses of National Education Policy 2020 in reference to hospitality and tourism education in the country with the following research questions in the form of view point generated from the secondary resources.

a) To understand the NEP 2020 in reference to earlier existing education policies of the nation.
b) To assess the implacability of NEP 2020 in the education system of Hospitality and Tourism of the country.
c) To assess the major prospects and challenges faced by the hospitality and tourism education industry in respect to NEP 2020.

Hospitality and Tourism Education System

There are various significances of tourism and hospitality education in the country such as economic, infrastructural, capacity building, employment, Youth and nation-building, and international and inter-state understanding and peace etc. The National Action Plan for Tourism, unveiled in May 1992, encouraged the development of tourism education in India. In India hospitality and tourism education is primarily being provided through various institutions under the umbrella of NCHMCT (National Council for Hotel Management and Catering Technology, Society). NCHMCT was set up in the year 1982 by the Government of India as an autonomous body for coordinating growth and development of hospitality education in the country (Bairwa, & Kumari, 2020). Under the Ministry: IITMs were started to provide human resource in travel and tourism sector where as IHMs were created to cater the skilled professional graduate in the field of catering and hotels (Bairwa, & Kumari, 2020). The first IHM was established in 1954 in Mumbai (Maharashtra). Currently 71 IHMs are in operation, all over the India: 21 Central IHMs, 25 SIHMs, 14 Food Craft Institute (FCI), 1 Public Sector Undertaking (PSU) and 24 Private Institute of Hotel Management (nchmct.nic.in, 2022). Along with these institution, universities (private and Government) are also imparting H&T education in the country. However, their curriculum, credit scheme are not same. Some institutions are operating under the umbrella of AICTE (All India Council for Technical Education), State Board of Technical Education, even some universities is covered under UGC (Union Grant Commission), and they are self eligible for implementing their own curriculum and awarding degrees. From these institution and universities every year more than one lakh students completes their studies and serve to the country through various employment opportunities (hospitality.com).

Historical Evolution of Education Policies in India

In the past, information dissemination and education delivery have a long and illustrious history in India. At least 15 universities or institutions of higher learning are known to have existed in ancient India, including Takshashila, Nalanda, and Mithila, to name a few. They crumbled and were totally destroyed under the relentless assaults of savage invaders and attackers. The "Gurukul" institution preserved the rich ethos of teachings and customs, nonetheless. The new age of English-dominant university setup under the British Empire came into being. Especially under Lord Macaulay's misguided ideas and his self-serving plans to produce generations of bureaucrats and clerical workers who would slavishly and obediently serve the British Raj's rulers. There was established and maintained a system of servitude and mediocrity. Scholarly principles, creative thinking, and a critical analytical mindset were scorned and mercilessly suppressed. The historic, cultural, and legitimately indigenous philosophy was suppressed and replaced by succeeding administrators, who advanced this mindset/plan and artificially transplanted this system.

After India gained its independence in 1947, a commission led by Dr. S. Radhakrishnan, the country's second president and one of the greatest educators (Teacher's Day is observed his birth anniversary), attempted to update previous policies and bring them into line with the needs of the present and the future. The Kothari Commission in 1966, the National Education Policy in 1968 and then in 1986, which was modified in 1992 (1986/92), the Yashpal Committee in 1993, the National Knowledge Commission in 2006, the Tandon Committee in 2009, and the third NEP in 2019 were significant turning points in the development of educational reforms in India to shape the policies in correlation with the evolving challenges. And it has been introduced by Prime Minister Sh. Narendra Modi led NDA government in the name of "National Education Policy 2020" (NEP 2020) and got approved on 29 July 2020 in the parliament (education.gov.in/).

National Education Policy 2020

This NEP 2020, introduced in the verge of giving universal acknowledge to the importance of good quality and universal education in the overall well-being of the economy and society. As per Praveen Jha and Puja Parvati (2020) "it is a truism that governments need to be committed and proactive in ensuring relevant, robust policy frameworks and their adequate provisioning".

There are mainly four parts, the first three being various levels of learning followed by the actual implementation. Two parts are discussed in this to conceptualize the scope in higher education.

Part I – School education, Part II – Higher education, Part III – Other key areas of focus and Part IV – Making it happen (implementation).

Part I – School education, the model of may be understood with the given diagram-1, comparing with existing education model at present.

Figure 1: Diagrammatic representation of existingand proposed (Source: NEP2020, Gov.in)

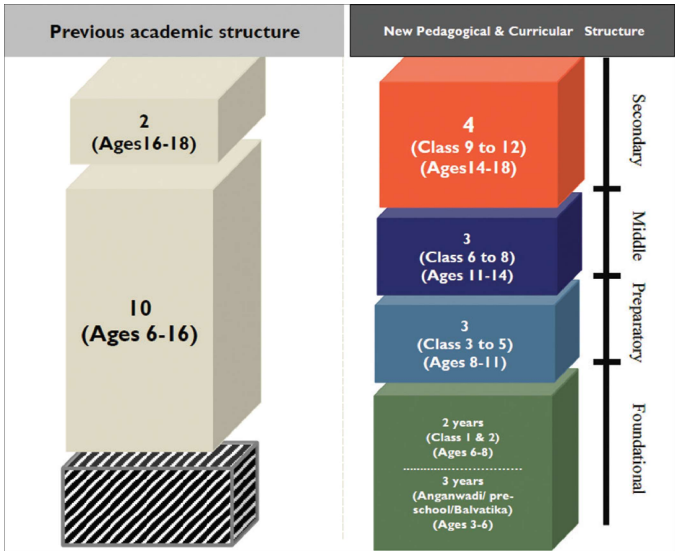

The present day 10+2 structure of school curricula is to be replaced by a 5+3+3+4 (total of 15 years) curricular structure corresponding to ages 3–8 (5) + 8–11 (3) + 11–14 (3) + 14–18 (4) years, respectively. This will bring the up until now, uncovered group of age group of 3–6 years under school curriculum, globally accepted as the crucial stage of mental faculty development, early childhood care education, pedagogical framework for experiential leaning, attaining foundational literacy and numeracy, flexibility in choice of the subjects, no rigid boundary or separation between streams and curricular & extracurricular activities and overall development of the child through multilingualism and power of languages. Furthermore it also advocates for reforms in assessment, equitable and inclusive education, entrance test, teacher recruitment and career path etc.

Part II – Higher Education: The Higher Education Commission of India (HECI), a single regulator for HEIs in India, would consolidate several higher education (HE) regulatory bodies. A strong National Certification Council (NAC) will be established in place of the existing certification organizations (NAAC and NBA). The research and innovation financing in higher education would be supported by National Research Foundation (NRF). NEP has legislated for multidisciplinary education paradigm for higher educational institutions. These universities ought to have a campus with at least 3000 students. They have a 2030 target to become multidisciplinary, and by 2040, they hope to have 3000 students enrolled. Furthermore, these multidisciplinary universities can specialize in one of them and should either concentrate on research or teaching.

Figure 2, National Education Policy: Frame work for Higher Education

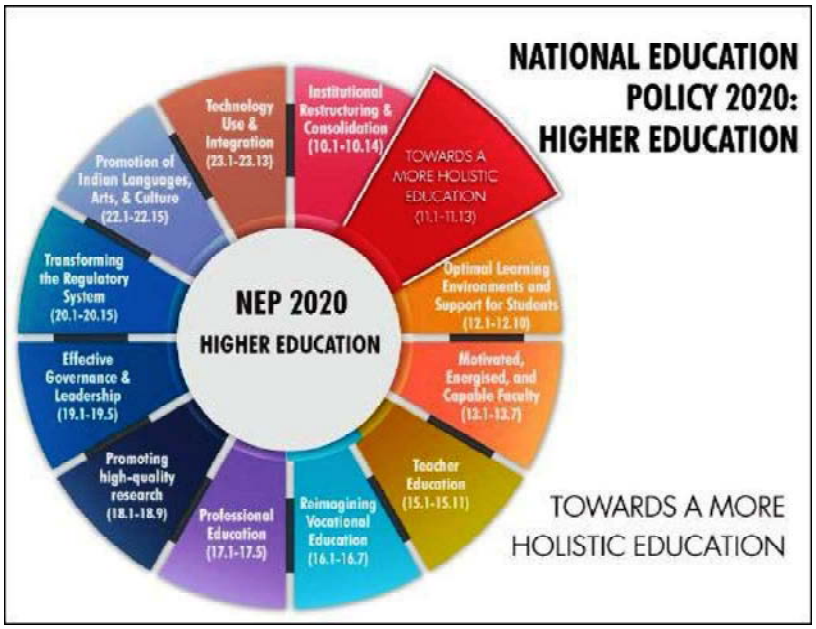

The colleges have the choice of becoming independent and issuing their own degrees or joining an already-existing university. The NEP discusses strategies for boosting student enrollment in various kinds of educational institutions. The current education policy places a special emphasis on GER (Gross Enrollment Ratio) because it is an issue of concern in India. The NEP places a strong emphasis on a multidisciplinary, holistic approach to education, and it only encourages research at the UG level nowadays. Current policies place a strong emphasis on a student's whole development through cross-disciplinary, outcome-based education. An academic bank of credit is being proposed at the national level to offer flexibility in degree acquisition and different entry-exit options at all levels of education.

To promote online learning and the digitization of libraries, a number of digital platforms will either be launched or refurbished (NEP, 2020). A student-focused teaching and learning approach will be used in place of the current teacher-focused teaching paradigm. Competency-based evaluation will replace the current Choice-based evaluation methodology. A continuous assessment approach will replace the end-of-semester examination model for evaluation and assessment. The focus will be on skill education for all HEIs. Additionally, they must provide counseling centers with counselors to look after the students' mental health. Since it will now be driven by the market, traditional education is undergoing a significant transition.

The Indian government wants to build top-notch educational institutions and draw in many foreign students. Additionally, a student's coursework from overseas universities would be awarded credit and treated equally in India. This will give students the option to begin a degree programme overseas and finish it in India (NEP, 2020 and Aithal & Aithal, (2020).

Scope for Private Institutions it is suggested that all private universities receive varying degrees of autonomy. Their accreditation, involvement in cutting-edge research, and provision of high-quality education will serve as the foundation for this autonomy. Additionally, they would have to maintain open financial transactions. Financial irregularities shouldn't exist, and a set method needs to be in place to monitor that. Private higher education institutions must offer free tuition and scholarships to deserving and meritorious students in every course. A mechanism has been established to monitor this during the accreditation process. When allocating research funds, which need to be completely based on the quality of the proposals, there shouldn't be any distinction between public and private institutions. However, Private HEIs need to have strength of more than 3000 student otherwise; they would be asked to close down (NEP, 2020) Aithal & Aithal, (2020).

NEP 2020 Implementation

Fourth part of the NEP 2020 policy document guide upon the implementation of the policy. Policy gives some framework of implementation, but looking to the hospitality and tourism education, it seems bit tricky. Although, for implementing any policy some authors has stated their views. As per Hess (2013), there is a distinction between enacting a policy or strategy and having it become standard operating procedure for educators, school leaders, and local communities. Administrations and educators may be left to work out the specifics of implementation, ultimately stopping the reform movement in its tracks (Hess, 2013). The implementation may pose some challenges like coordination issues, inadequacy of organizational resources, reaction of organization against reforms. However, education stakeholders are increasingly diverse and growing in pace with international bodies and institution with the thought of global villages with diverse functionalities. In this course, the use of technology may contribute helping role as well as acting agencies may perform their duties in the corrective implementation.

Prospects & Challenges of NEP 2020 in Hospitality and Tourism Education - As discussed earlier, hospitality and tourism studies are started late in the country after independence. Mostly the education is imparted by institute affiliated with NCHMCT (National Council for Hotel Management and Catering Technology), an apex body for developing human resources for hotels and tourism industry enterprises working as an autonomous body under Ministry of Tourism Govt. of India. As NEP 2020 proposes, the introduction of four year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options i.e. exit after one year with a certificate or after two years with diploma or after three/four years with a bachelors degree. This policy seems most desirable policy foe the hospitality institutes as the present system of education does not allow the peers to exit in between the programs. Presently NCHMCT offering three years program of B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration (in Collaboration with IGNOU university), where selection is made through the competition test conducted by NTA (National Testing Agency) and students gets enrolled in the NCHM affiliated institutes (Central Govt., State Govt. and Private institutes affiliated with NCHM). In the existing systems, institute also offers the one and half year diploma in core trades of hotel operations viz. Front Office, Food & Beverage Production and services, Housekeeping and Bakery and Confectionery. Also some institute offers Master of Science (Two years full time program), PG diploma in Front office and Accommodation Management, Craft Courses for providing entry level operational manpower to the industry. All the courses are separate in their credit system.

After the proposed implementation of NEP 2020, peers will get an opportunity to exit from the course and awarding of the diploma or certificates shall be done. In the present systems of education, there is no provision of credit transfer

from one course to another and even lateral entry systems is not there. Moreover, four years degree with research component will make the students ready for academics, where they can directly pursue Ph.D., as they will be equipped with prior research knowledge. As Gartner (2019), states that, "More than 50% of higher education institutions will begin redesigning their student experience with the goal of making it more integrated and personalized by 2021, making technology a critical element to achieve this objective". So, the technological embedded curriculums and tie-ups with foreign universities may be done to bring excellence in the education at par with global academics. After have a glimpse over the prospects of NEP2020, it imposes some challenges also to the existing system of education. Some of the major challenges in overall and some particularly given for the hospitality and tourism industry are discussed below:

1. As it can be seen from the formulation, it appears to be designed to encourage the privatization of education in India. (NEP, 2020). The document also mentions that among other things, encouraging the top 100 foreign universities to open their doors to India. It is arguable whether this serves to promote profiteering or the cause of education.
2. Despite the fact that NEP 2020 emphasizes the need for increased transparency, particularly in relation to pricing structure. It provides no guidance on how to address the escalating capitation epidemic private colleges, many of which are controlled by strong political and religious organizations, charge tuition. Thus, universal education will always remain a pipe dream (Aithal, P. S., & Aithal, S., 2020)
3. NEP 2020, mention that students until 5th class should be taught in mother tongue or regional language, however, hospitality and tourism education gives more emphasis on English as plays an instrumental role to connect with the outer world of hospitality industry.
4. As per the policy document, a new target of 50% GER (Gross Enrollment Ratio) seems an ambitious figure to aim by 2035 especially in the hospitality and tourism education sector.
5. NEP 2020, places a strong emphasis on cognitive abilities, learning results, and quality studies. It also places restrictions on institutional autonomy and weak regulatory and governance frameworks, which result in low Higher Education Institutions (HEIs). Most students are discouraged from pursuing higher education as a result of these crippling flaws; the Total Enrolment Ratio (GER) in higher education is a meagre 26% compared to 58% in Senior Secondary and 79% in Secondary. The NEP aims to remedy this by emphasizing adaptability, multidisciplinary, capability development, and high-quality research. The national and state governments must collaborate to ensure that the commitments do not become meaningless platitudes because education is a parallel theme of the list.
6. At present hospitality education in India is governed by Ministry of Tourism, Govt. of India as an umbrella for NCHMCT, where amalgamation of all institution without a proper framework seems uneasy task for the education stakeholders. Further, Institutional governance bodies like UGC and AICTE shall be amalgamated in Higher Education Commission of India (HECI), this may cover the entire university affiliated bodies but the question mark still lies on NCHM affiliated autonomous bodies.

Conclusion

Higher education in India is to be modernized as part of NEP 2020. It will make use of worldwide communities' cooperation and their experiences. In addition, ICT would be used in higher education delivered in Indian universities and colleges under NEP 2020 to meet modern educational needs. Keeping up with the outmoded educational system is pointless now. The Indian government will need to make significant adjustments to the higher education curricula to meet the demand for qualified workers around the world. NEP 2020 implementation would be extremely difficult as a result. The policy will undoubtedly bring about new and revolutionary developments.

From the current system of several regulators, higher educational institutions (HEI) will fall under the purview of one regulator. There will be a free-wheeling, autonomous atmosphere to support academic independence, research breadth, and an emphasis on innovation. Foreign universities will have the chance to open campuses in India, and there won't be any obstacles standing in the way of Indian universities opening campuses abroad. As it offers students several entry and departure options and allows them to continue their higher education after taking a break for job, NEP 2020 will significantly boost India's talent development. Overall, NEP 2020 is a very forward-thinking text with a solid understanding of the socioeconomic environment now and the potential to address difficulties in the future.

However, on the other side of coin, especially in the field of tourism and hospitality, the governing bodies at present, seems passive, and not formulated any initiation step so far. As the biggest problems seem that, institution affiliated with NCHMCT (under MOT, GOI) does come under UGC and AICTE, neither with their affiliation nor under their control. Also, all the institution, presently affiliated with NCHMCT, they have their own autonomy for their operation, governance under different rules and regulation of state. Furthermore, NCHM has collaboration with IGNOU (Indira Gandhi National Open University, Delhi) and awarding three years bachelor's degree to their peers. Which is contrary itself in the purview of the present education system, then getting reforms and resolution in the current education systems of hospitality and tourism education seem the nuts tough to crack.

Limitations and Further Study

This research article is presented the study in the viewpoint, generated from the secondary source of data available in the repository of quality indexed articles, NEP 2020 policy documents etc. This article has highlighted the theoretical construct only with the viewpoint. However, NEP 2020 is in initial phase of implementation, where preliminary requirements of implementation are at the outset. Authors are in position to extend the study with primary data to bring out the exact results with sentiments.

References

1. Aithal, P. S. & Aithal, Shubhrajyotsna (2020). Implementation Strategies of Higher Education Part of National Education Policy 2020 of India towards Achieving its Objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5(2), 283- 325. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4301906.
2. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, *5*(2), 19-41.
3. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Implementation strategies of higher education part of national education policy 2020 of India towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, *5*(2), 283-325.
4. Bairwa, M. K., & Kumari, R. (2020). Perception and Expectations of Interns: A Study on Internship in Hospitality Education. *Hospitality and Tourism Emerging Practices in Human Resource Management*, 162.
5. Dixit, R. K. NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020-OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN TEACHER EDUCATION. *NATIONAL EDUCATION POLICY 2020*, *120*.
6. Kochar, A. (2002). Emerging challenges for Indian education policy. *Economic Policy Reforms and the Indian Economy*, 303-28.
7. Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. In W. B. James, C. Cobanoglu, & M. Cavusoglu (Eds.), *Advances in global education and research* (Vol. 4, pp. 1–8). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833042
8. Lall, M. C., & House, C. (2005). *The challenges for India's education system*. London: Chatham House.
9. *Panditrao MM, Panditrao MM. National Education Policy 2020: What is in it for a student, a parent, a teacher, or us, as a Higher Education Institution/University? Adesh Univ J Med Sci Res 2020;2(2):70-9.*
10. Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). Globalizing Education Policy. Routledge.
11. Tholath, D. I., Ramasubramaniam, M., & Xavier, M. J. (2021). Comparing and Contrasting India'S NEP 2020 and UNESCO'S Educational Policy Using Text Analytics. *International Journal of Business and Economics*, *6*(1), 63-73.
12. Velaskar, P. (2010). Quality and Inequality in Indian Education. *Contemporary Education Dialogue*. https://doi.org/10.1177/0973184913411200

New Education Policy 2020 and inclusive Education

Mrs Akanksha Dhir

Research Scholar , Department of Education, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

Prof. (Dr.) Vinod Kumar Upadhyay

Head & Dean, Department of Education, Maharaj Vinayak Global University,Jaipur

National Education Policy-2020 has drawn much attention to equality and inclusivity in education by addressing the aim to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. NEP-2020 has opened its heart for more and more social inclusion and providing education to all the diverse groups of India. In India, there is no need to make an effort to have diversity. India itself is the most diverse country in the world. But it is said that inclusion is a state of mind. It becomes essential to in an education system, an organizational system, or a political system. There are five pillars of NEP-2020 which strengthen the quality education in India e.g. accessibility, equity, quality, affordability, and accountability.

"Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education – while indeed an essential goal in its own right – is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation" (NEP 2020). It is indeed an equal and inclusive system for all where every community is included, there is an inclusion of disability, gender inclusion, the inclusion of an unprivileged and deprived group of society, regional languages, etc.

National Education Policy-2020 has drawn much attention to equality and inclusivity in education by addressing the aim to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. NEP-2020 has opened its heart for more and more social inclusion and providing education to all the diverse groups of India. In India, there is no need to make an effort to have diversity. India itself is the most diverse country in the world. But it is said that inclusion is a state of mind. It becomes essential to in an education system, an organizational system, or a political system. There are five pillars of NEP-2020 which strengthen the quality education in India e.g. accessibility, equity, quality, affordability, and accountability.

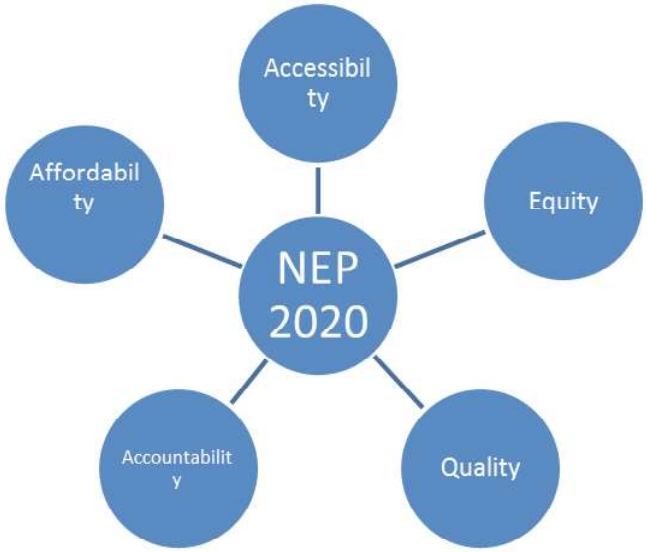

Need and Importance of Equitable and Inclusive Education

According to (UNICEF, 2021) inclusive education is the most significant way to give access to all children a barrier-free education to learn and develop the skills they need to thrive. There are 240 million children are struggling with some physical or mental disabilities. They need to realize their full potential like a common child.

Gender Inclusion

NAP has addressed all the issues which cause Gender inequality like disparity, inequality in opportunities to have higher education, marginalization, vulnerability, and inability to access education. Though there is outstanding progress in girls' education in the country and there are programs such as " *Beti Bacho Beti Padhao* " , " *Sukanya and Balika Samridhi Yojana* " run by the government, still there is a lot to be done for girls' education. NEP has put all the efforts into bringing gender sensitivity an integral part of the curriculum and gender inclusion covers widely socio-economically disadvantaged groups and also the Trans genders (Anuja, 2020). The Government has also initiated the "Gender Inclusion Fund "to support deprived girl children in education.

Community Inclusion

As the major points of inclusion, NEP indicates there is a wide range of inclusivity in education this time e.g. inclusion of minorities, girls, youth, skill courses, pedagogical courses, the inclusion of disability, local and regional languages, etc. This will minimize the exclusion on every basis and will provide sensitivity for diversity among educationalists and the children who will get to know more about diversity and inclusion at all levels.

Disability Inclusion

By considering the fact that disabled people are not different from the integral part of the society, the final NEP policy has recommended several disability organizations.

NEP-2020 has resolved some issues of disability for which RTE (Right to education) Act, and RPWD (Right of person with disabilities) Act have no clear answer. This is a social inclusion towards a charitable model of social isolation. The above flow chart is a summary of how disabled children will get barrier-free access to education. There will be school choices for these children where they can opt for the nearest or neighborhood fulfill the educational environmental requirement and there will be home-based schools. There is also an emphasis to include every type of disability e.g. Cognitive (autism), intellectual or physical (Divyang) children (Sarkar, 2020).

Conclusion

"Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education – while indeed an essential goal in its own right – is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation" (NEP 2020).

It is indeed an equal and inclusive system for all where every community is included, there is an inclusion of disability, gender inclusion, the inclusion of an unprivileged and deprived group of society, regional languages, etc.

Reference:

1. Government of India (2018). All India Survey of Higher Education (2017-18), MHRD, New Delhi.
2. New Education Policy (2020). Available at http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
3. https://indianexpress.com/article/education/new-education-policy-2020-

New Education Policy 2020 with Special Reference towards Teacher Education

Mrs Priyanka Narang

Research Scholar , Department of Education, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

Prof.(Dr.) Vinod Kumar Upadhyay

Head & Dean, Department of Education, Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

The National Education Policy-2020 has been a game changer in the existing educational system of India. The NEP-2020 seeks to restructure the current education system by making it more interdisciplinary and holistic in its approach. The proposed document envisions an academic future where the students will be able to choose from a diverse range of study programs and apply for courses of their choice from several disciplines.

The NEP-2020 has brought some significant changes to the entire Higher Education curriculum and framework. The word 'multidisciplinary' has found its place many time in the document. The proposed reform focuses on a research-oriented academic programme in higher education. The Universities can either become research-intensive or teaching – intensive, but in either case, the curriculum will follow a multidisciplinary and cross- disciplinary pattern where both the students and the teachers will gain independence and felicity in the teaching learning process.

Opening Departments of Education and moving teacher education into multidisciplinary college and Universities with improved in curriculum and pedagogy will enhance liberal and independent thinking among the teacher educators enabling them to inculcate this sense among the teacher trainees.

Higher education's institutions offering the 4 year integrated B.Ed. may also run a year B.Ed. for students who have a bachelor degree in a offered for candidates who Undergraduate degree in a specialized subject. The provision of different level of B.Ed. programme will ensure equal accession of the opportunity, catering varied requirements of B.Ed. aspirant. Gradual movement of Teacher Education institutions by 2030 into multidisciplinary colleges and universities aiming to house outstanding Education Departments for offering B.Ed.,M.Ed. and Ph.D. degrees in education for innovation in education will help in framing improved curriculum and innovative methodologies in teacher education

The National Education Policy-2020 has been a game changer in the existing educational system of India. The NEP-2020 seeks to restructure the current education system by making it more interdisciplinary and holistic in its approach. The proposed document envisions an academic future where the students will be able to choose from a diverse range of study programs and apply for courses of their choice from several disciplines. The NEP-2020 has brought some significant changes to the entire Higher Education curriculum and framework. The word 'multidisciplinary' has found its place many time in the document. The proposed reform focuses on a research-oriented academic programme in higher education. The Universities can either become research-intensive or teaching – intensive, but in either case, the curriculum will follow a multidisciplinary and cross- disciplinary pattern where both the students and the teachers will gain independence and felicity in the teaching learning process.

Prospects of Teacher Education in NEP-2020

By 2030, minimum degree qualification for teaching will be a 4 year multidisciplinary and integrated dual major bachelor degree in Education as well as a specialized subject that teaches a range of For qualitative development of Teacher Education following measures need to be taken as per policy:

1. Opening Departments of Education and moving teacher education into multidisciplinary college and Universities with improved in curriculum and pedagogy will enhance liberal and independent thinking among the teacher educators enabling them to inculcate this sense among the teacher trainees.
2. Higher education's institutions offering the 4 year integrated B.Ed. may also run a year B.Ed. for students who have a bachelor degree in a offered for candidates who Undergraduate degree in a specialized subject. The

provision of different level of B.Ed. programme will ensure equal accession of the opportunity, catering varied requirements of B.Ed. aspirant.

3. Gradual movement of Teacher Education institutions by 2030 into multidisciplinary colleges and universities aiming to house outstanding Education Departments for offering B.Ed.,M.Ed. and Ph.D. degrees in education for innovation in education will help in framing improved curriculum and innovative methodologies in teacher education.
4. Recommendation for holding admission test for the pre-service programme, National Testing Agency will be entrusted the responsibility that will ensure eligible and interested candidates that will ultimately enhance teacher quality.
5. Multi-disciplinary higher education institutions offering the 4 year in class integrated B.Ed. programme and having accreditation for ODL may also offer high quality B.Ed. programmes in blended or ODL mode in remote areas will provide increased access to quality teacher education. 2 | P a g e
6. The recommendation of including training on recent technique in pedagogy on foundational literacy and numeracy, multi-level teaching and evaluation, teaching children with disabilities, use of educational technology, learner centered and collaborative learning, practice of Fundamental Duties (Article 51 A), integration of environmental awareness and sustainable development throughout the B.Ed. curriculum programmes will will lead to holistic development of the teacher trainees.
7. Stringent action will be taken against substandard stand alone Teacher Education Institution run in the country including shutting them. By 2030, only educationally sound, multidisciplinary, and integrated teacher education programmes shall be in force, those will carry out cutting edge research in various aspects of education to enhance the quality of their B.Ed. programme.
8. All fresh Ph.D. entrants will be required to take credit based courses in teaching/education/pedagogy writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral training period including actual teaching experience gatherer through teaching assistantship
9. Special short term teacher education programmes will also be made available at BITES, DIETs or at school complexes themselves for eminent local persons who can be hired to teach at local school complexes as master trainer.
10. Short term post B.Ed. certification courses will also be made available at multidisciplinary colleges and universities who wish to move into more specialized areas of teaching.
11. NCERT will compile varied international pedagogical approaches for teaching different subjects and make recommendations on what can learnt and assimilated from these approaches into the pedagogies being practiced in India
12. National Curriculum Framework for Teacher Education (NCTEF) is to be drafted in consultation with NCERT for guiding pre service and in service teacher education, academic, vocational, and special education stream. The NCFTE 2021 will factor in the requirements of a new and comprehensive curriculum in teacher education.
13. One important area NEP 2020 highlighted is career management and progression. Teachers are not confined for classroom activities only. Social involvement with contribution and creativity of the teacher is encouraged. Recommendation of a system of multiple parameters for proper assessment of performance and contribution may enhance motivation among the teachers.
14. For blending technology with the teaching learning process, National Alliance for Technology (NEAT) which aims to use artificial intelligence for personalizing and customizing learner requirement is proposed in NEP 2020. "Teachers truly shape the future of our children – and therefore, the future of our nation" and admit that teachers play the most important role in nation building producing competent, creative, skilled, employable and ethical citizen" However, the Policy also acknowledge the reality of unmotivated Indian teacher and recommend complete overhaul of the teaching profession to create a robust structure of qualification, training, appointment, salary, professional development that recognize the contribution of outstanding teachers.

Reference:

1. Government of India (2018). All India Survey of Higher Education (2017-18), MHRD, New Delhi.
2. New Education Policy (2020). Available at http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
3. https://indianexpress.com/article/education/new-education-policy-2020-

Provisions and Curriculum Structure: "Analyzing the Inclusivity perspectives of the National Education Policy 2020"

Asha Sharma

Research Scholar, Dept. of Education, Apex University, Jaipur

Dr. Archana Mendiratta

Research Supervisor

Abstract

A new educational policy was adopted in India in the year 2000 to promote the inclusive approach of the United Nations Development Program along with providing equitable access to the highest quality of education for all learners and satisfying the maximum demand of society and individuals through education, regardless of any bias. The new education policy, NEP-2000 intends to give equal importance to the educational development of those who are denied equal educational opportunities, ensuring that all neglected issues in education for persons with disabilities are addressed. Against this backdrop, the current article conducts a cross-sectional analysis of the different education policies enacted from time to time in India, with a special focus on the key highlights of NEP-2020 from an inclusivity perspective. The study concludes that the inclusivity perspectives of NEP-2020 can improve the quality of life of children with disabilities by increasing their access to quality education, employment, health, and other services and understanding of their rights, provided the policies are implemented in a planned manner.

Keywords: Inclusive Education, New Education Policy, NEP-2000.

Introduction

The United Nations' "World Conference on Special Education Access and Equality" (1994) clearly mentioned the significance of education for all, regardless of prejudice, especially for future generations. Special attention was drawn to ensure the education of students living in remote areas, are socially or economically backward, or are physically challenged or mentally disabled. Globally, therefore, United Nations Development Program proposes and adopts an inclusive approach to achieve the goal of universal literacy.To provide for equitable access to the highest quality of education for all learners regardless of socioeconomic backwardness, and to satisfy the maximum demand of society and individuals through education, irrespective of any bias, a new educational policy was adopted in India. One of the most important principles on which the new "National Education Policy" (NEP) 2020 is based, is quality and inclusion in education, which clearly demonstrates the intent of an inclusive education policy. This clearly shows that the purpose of the policy is to give equal importance to the educational development of those who are denied equal educational opportunities. NEP-2020 ensures that all neglected issues in education for persons with disabilities are addressed.

Educational Policies in India and Inclusive Education

Regardless of any sort of bias, the education of every child is a matter of concern to any conscious society. Almost every country including India implements inclusive education through its education policies. In all educational policies, inclusive education is emphasized. The Indian Constitution also states in several of its articles that all citizens have equal rights in all respects. Various other constitutional provisions were enacted and amended from time to time to include all future generations of the nation in the field of education. Measures have been taken to improve the quality of education.

To gain insight into the growing emphasis on inclusive education by educators and policymakers in formulating education policies, it is necessary to conduct a cross-sectional analysis of the different education policies enacted from time to time in India.

National Education Policy, 1968:

This policy proposed to raise the level of education in remote areas and backward social classes. It also mentioned that educational facilities and amenities should be provided for children with disabilities in regular schools to ensure that they attend school together with children without disabilities, thereby aiming at developing an integrated approach to education.

National Educational Policy, 1986:

The National Education Policy formulated in 1986 provided a comprehensive blueprint for encouraging and developing integrated education for persons with disabilities in India. The policy proposed to strengthen services for children with disabilities not only in the framework of general education but also in vocational and technical education by overhauling the physical infrastructure of educational institutions and removing any form of physical barriers. It also highlighted the role of various national and state educational agencies in promoting, securing, developing, and accelerating special education and providing psychological support for children with disabilities.

Program of Action, 1992:

The Program of Action formulated in 1992 aims to improve the level of education and ensure that children with various disabilities receive quality education on an equal footing with normal children. Children with disabilities who can attend regular schools are advised not to be sent to special schools. Furthermore, after training in special schools, if they can enter regular schools, they should be transferred to regular schools to remain in the mainstream of society.

The Persons with Disabilities Act, 1995:

Under the "Persons with Disabilities (Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation) Act" 1995, several committees with specific mandates were established at the grassroots level to ensure equality for children with disabilities. It planned to establish in sufficient number, special schools throughout the country to provide a good educational environment for students with disabilities under the age of 18. Additionally, it provided higher education and vocational education for persons with disabilities.

National Policy for Persons with Disabilities, 2006:

The policy affirmed that education is the most effective tool for socioeconomic empowerment. It emphasized on the integrated educational provisions for disabled children as mentioned in "Sarva Siksha Abhiyan". It recommended learning aids, remedial instruction, mobility aids, financial assistance, vocational education, alternative education, open education, community rehabilitation, etc. to improve the morale and educational advancement of children with disabilities. It also advocated trained teachers to create a friendly educational environment for teaching students with disabilities.

Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage, 2009-2010:

This centrally funded scheme aimed to provide students with disabilities the opportunity to continue their secondary education after completing 8 years of primary education. It also provided for the development of school building infrastructure and accessibility, supply of learning materials and assistive devices, training of school teachers, etc. to ensure enrollment of students with disabilities in the age group 14-18 years in secondary education.

Right to Education Act, 2009:

The Act provided for "free and compulsory" education for all, including children with disabilities, regardless of prejudice. It ensures equal opportunities and rights for all children of age 6 to 14 years in an appropriate environment. The Act also provides for the participation of guardians, families, and the community in promoting inclusive education. It provides specific provisions on all aspects of education such as school infrastructure, admission procedures, protection of children's rights, monitoring systems, responsibilities of competent authorities, examination and evaluation procedures, etc., to ensure inclusive education.

The Rights of Persons with Physical Disabilities Act, 2016:

This act aimed to create a social environment that ensures equality in all spheres of life, be it communication, culture, economy, education, or institutions, where no one is discriminated against because of an incomplete body structure. Special provisions were made for students with underlying disabilities by providing reservations, scholarships,

and support materials. A common curriculum with appropriate pedagogy was recommended to assist all students equally. Special emphasis was placed on vocational education to make them financially self-sufficient.

National Education Policy, 2020:

The new education policy identifies education as the most important tool for social progress and promotes equality in education regardless of gender, socioeconomic status, disability, or any other grounds. It mentions that "the educational system must aim to benefit all Indian children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background" (NEP-2020, p.23). The admission procedure for children with disabilities was further simplified with specific reservations to encourage students to get involved in education. To avoid the barrier of distance and the pain of commuting to and from school every day, free boarding and all logistical services are planned and proposed to support centrally funded schools like Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, etc. The act recommends the recruitment of specially trained teachers to better facilitate learning for students with disabilities, emphasizing the revival of teacher training programs. It suggests engaging counselors to provide counseling to students and advise teachers and guardians, as well as other stakeholders, to change positive societal attitudes towards people with disabilities. It integrates value-based education into curricula at all levels to enhance the moral character of the new generation.

Inclusivity perspectives of NEP-2020

The key highlights of NEP-2020 for children with special needs are discussed below:

- NEP-2020 recognizes the importance of having mechanisms in place to provide "Divyang" learners or children with special needs, with an equivalent access to quality education as available to other normally developing child.
- To enable children with disabilities to participate fully in the formal educational process from elementary to higher level education.
- To ensure and provide barrier-free accessibility for all children with disabilities.
- Inclusive education is emphasized as an education system where students with disabilities learn alongside students without disabilities.
- NCERT will ensure consultation with expert bodies such as the "Department of Empowerment of Persons with Disabilities" (DEPwD), to prepare the National Curriculum Framework.
- Resources will be provided to institutional complexes to assist in the social integration of all children, whether with disabilities or not.
- To recruit special trainers who provide cross-disability training for children with severe or multiple disabilities.
- Assistive technology tools and devices along with instructional materials will be provided.
- To teach Indian Sign Language, using high-quality modules developed by NIOS.
- To ensure the safety and security of disabled children.
- Homeschooling will continue to be an option for disabled children who cannot attend school, and they should be treated as equivalent to other children in the general educational system.
- Assessment and accreditation bodies, including the proposed new National Assessment Centre "PARAKH", will develop guidelines for assessment from the foundation stage to tertiary education to ensure fair opportunities for students with disability.
- Awareness and knowledge of how to educate children with specific disabilities will be an integral part of all teacher education programs.

Conclusion

A cross-sectional study of Indian education policies clearly shows that inclusive education remains a top priority for educators, administrators, policymakers, and social needs. Special attention needs to be paid to providing education to persons with disabilities who face many problems in their daily lives. Negative attitudes towards people with disabilities have become a social stigma (Saha, 2022). This social perception needs to be changed through education and awareness.

Thus, education has a double role in promoting inclusive education, on the one hand, it empowers persons with disabilities through quality education so that they can demonstrate their abilities, and on the other hand, through proper education, society should be made aware and sensitive of the inclusive education perspective through fostering an attitude of empathy, thereby removing social stigma (Saha, 2022).

To sum up, by disseminating and educating more people with disabilities, and by empowering them, an inclusive society with equality and justice for all can be achieved. In this context, the highlighted inclusivity perspectives of NEP-

2020 can improve the quality of life of children with disabilities by increasing their access to quality education, employment, health, and other services and understanding of their rights, provided the policies are implemented in a planned manner.

References

- Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (2009- 2010). Available at: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/EDU.pdf
- National Educational Policy (1968). Available at: https://www.education.gov.in/ sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf
- National Educational Policy (1986). Available at: https://www.education.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- National Educational Policy (2020). Available at: https://www.education.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- National Policy for Persons with Disabilities (2006). Available at: http://disability affairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Policy.pdf
- Persons with Disabilities (Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation) Act (1995). Available at: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1996-1.pdf
- Program of Action (1992). Available at: https://www.education.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/document-reports/POA_1992.pdf
- Right to Education Act (2009). Available at: https://legislative.gov.in/sites/default/ files/The%20Right%20of%20Children%20to%20Free%20and%20Compulsory%20Education%20Act,%202009.pdf
- Saha, Prosenjit (2022). "Inclusive Education and Educational Policy in India with Special Emphasis on National Education Policy 2020: A Study". IAR Journal of Humanities and Social Science, 3(2): 95-99.
- The Rights of Persons with Physical Disabilities Act (2016). Available at: http://www.upfc india.com/documents/rpwd_101017.pdf

National Educational Policy, 2020: A Critical Review

Minaxi Acharya

Rajasthan Shiksha Mahavidyalaya, Jaipur, Rajasthan, India

Dr. Kripa Shankar Sharma

Asst. Prof., Sanjay Teachers Training College, Jaipur, Rajasthan, India.

Abstract-

On July 28, 2020, the Indian Union Cabinet approved the National Education Policy (NEP). After 34 years of the declaration of the last education policy in 1986, the Indian government gathered feedback from 2.5 lakh stakeholders at the village level and presented it to two national parliamentary committees after more than 50 months of workshops and consultations. However, it is unknown to what extent recommendations have been incorporated into the policy.

This article tries to examine the policy through the eyes of young principals of B.Ed. colleges, situated in Rajasthan, India amid numerous op-eds and comments on the NEP. An interview schedule was developed to find the views of these principals selected by purposive sampling method from three districts of Rajasthan (Bhilwara, Sawaimadhopur, and Tonk) where scheduled caste, scheduled tribes, and minority populations are found together in a large portion and hence, people of these geographical places keep more expectations from the government in light of providing education. The interview schedule was focused on four important aspects of NEP, 2020. A total of 6 principals of the selected locale were interviewed in this qualitative study. The findings of the study have been discussed.

Keywords- NEP- 2020, National Education Policy- 2020.

Introduction-

1966 saw the creation of the National Education Policy by the Kothari Commission. It stated, "The quality, competence, and character of our teachers are unquestionably the most significant of all the factors that influence the quality of education and its contribution to national development." Their point of view still holds fifty-six years later, and our teachers still control our nation's future.The NEP, also known as the New Education Policy, was launched in 2020 by the Ministry of Human Resource Development. The Indian education system needs to be updated and modernized, and the new education policy for 2020 promises to do just that. Teachers-related changes are among the most welcome of these.

According to NEP 2020, the poor conditions of education, recruitment, deployment, and service are to blame for the low level of teaching quality and teacher motivation in India. The significance of high-quality teacher education is emphasized in the policy. To encourage bright and talented young minds to enter the teaching profession, it aims to initiate several systemic reforms.

Purpose-

The government of India is still seeking the views of the stakeholders on NEP, 2020 through different channels. The NCTE was one of the platforms from which the Government of India called for online suggestions/inputs not only from the mass public but also from the teacher-educators (NCTE, 2020). The purpose of the study was to find the views of young principals of B.Ed. colleges on NEP, 2020. Principal of any B.Ed. College is a teacher-educator and keeps knowledge of pedagogy as well as the core content of syllabus taught at different stages of education.

Rationale of the Study-

The National Educational Policy- 2020 is under great discussion between and within various platforms and people including the common man as well as specialists are discussing the merits and demerits of this policy (Oxfam India,

2022). There are many advantages and disadvantages seen in NEP-2020 (The Times of India, 2021). Researchers have discussed the drawbacks of the policy also (Sarangi, 2021). In light of this research, there was a need to find the views of those people who not only know about education but also have experience working with different educational platforms. Teacher-educators are those people who not only work with a college education but also are connected with school education as their trainees go there for internships and present lesson planning on school content. The principals of teacher-training colleges have a direct connection with every stage of education and hence they understand the significance of NEP-2020 more than others. The findings of the present study shall be helpful for the government, policymakers, and all stakeholders to take necessary actions in context to better enforcement of national education policy.

Research Approach-

The present research was based on a qualitative approach to collect the data and an inductive approach was adopted to interpret the same.

Research Design-

The present research was review research, and the critical review from the stakeholders was taken through a qualitative study.

Method-

An Interview Survey was conducted to collect information from the interviewees.

Population and Sample-

The population of the present research comprises all teacher-educators working in different teacher-training colleges. The target population comprises the principals of these colleges as they are more experienced among all teacher-educators. The accessible population comprises the principals of B.Ed. colleges situated in the Bhilwara, Sawai Madhopur, and Tonk districts of Rajasthan, India. These districts have the majority of Scheduled caste, Scheduled Tribes, and Muslim Minorities, and hence, people of these geographical places keep more expectations from the government in light of providing education. The researchers decided to take interviews together and hence they visited selected districts in May and June 2021, when the principals were relaxed from hard administrative work and the researchers were also enjoying their summer breaks. The prior permission from the selected principals was taken. A total of 6 principals were selected through a purposive sampling method.

Tool and Technique-

The data were gathered by using a self-constructed open-ended interview schedule. The interview schedule had four main items based on the four major aspects of NEP-2020 and was made as flexible as the researcher can ask new questions based on the need or the responses of the interviewee.

Findings-

Early Childhood Care And Education-

The NEP-2020 increases the eligibility window for the Right to Education from 6 to 18 years to 3 to 18 years. The policy calls for the universalization of ECCE to make all children "school-ready" by 2030. Continuous professional development (CPD) for ECCE teachers and Anganwadi workers through a six-month certification program with some online components and investments in infrastructure like play equipment and child-friendly buildings. The participants opined that the policy took a good initiative for early childhood education and this can lead the education system towards a new horizon but there must be several checks. They opined that preserving the status quo of a single ministry's curriculum and three ministries' implementation. ECCE and elementary education have not been well integrated as a result of this strategy up to this point. The NEP's suggestion of a "joint task force" doesn't seem like a good way to close this obvious gap. It is unclear whether every Anganwadi or pre-primary learning center will have a worker (Sahayika) and a teacher of high quality.

Pedagogy and Curriculum-

At least through fifth grade, the policy encourages instruction in local languages; encourages bilingual education, and educational textbooks; as well as multiple middle- and secondary-level languages. The multidisciplinary approach, the focus on defining learning levels at each critical juncture, and the focus on reducing content by focusing on core learning competencies are all emphasized in the proposed 5+3+3+4 class system. At the middle school level, new-age subjects like coding and computational thinking are introduced. In secondary education, students can now select subject courses, primarily in arts, physical, and vocational education. The respondents opined that this system may be

encourageable for building competencies among learners but regarding the language of instruction, there is neither a definitive decision nor a standard. For instance, the policy states that local languages should be used "wherever possible." This leaves a lot of room for the three-language formula, which is already in place, to continue, particularly in the case of high-performing government-run school systems like Kendriya Vidyalayas (KVs). A seemingly comprehensive list of "good to have" pedagogies, values, skills, and methods is included in the policy. The National Curriculum Framework of 2005 already includes many of these, but it has been shown that implementing them into classroom practices or student behavior can be challenging. It has not been addressed that children's "mother tongue" and home language differ from the local language used for school instruction, particularly in the case of Adivasi and migrant families. The policy asks teachers to include "Indian knowledge systems" in the syllabus, such as yoga, Indian philosophy, and Adivasi (indigenous) methods of learning. However, it is a challenge to upskill teachers, who currently struggle even to teach the fundamental syllabus, to integrate these complex ideas in a secular and inclusive manner.

Education For All-

The policy has committed to achieving a Gross Enrollment Ratio (GER) of 100 percent at all levels by the year 2030. investment in resources for students through 12th grade, including teachers and infrastructure; as well as guaranteeing social workers and counselors are made accessible to pupils, so they can address factors adding to dropout rates. Through a platform based on technology, thorough tracking of all children ensures that no one is left behind. promoting various public-private partnership school models to reduce the number of out-of-school children and dropouts. The respondents opined that the tracking and arrangements of counselors shall be beneficial in stopping dropout rates but there is a lack of understanding regarding the ratio of counselors and social workers to children, the level at which they will be appointed (such as school or cluster level), and whether or not they will be recruited from other ministries' personnel. There is no clear mention of legal violations that contribute to school dropouts, such as child marriage and child labor. There is a lack of understanding regarding the open learning courses' social and professional (as well as financial) value for children who are unable to attend school.

Numeracy and Literacy as Foundation-

In NEP-2020, it is suggested that community tutoring, student-led peer learning, a three-month preparatory course, access to digital content through energized textbooks (ETB-DIKSHA), and 100% foundational level (up to Grade 3) learning be achieved by 2025. Teacher vacancies must be filled promptly, with disadvantaged communities and groups receiving priority. On this point, the respondents opined that there is no standard against which literacy will be evaluated that defines a basic text. A Public Book Advancement Strategy is referenced. However, access to relevant, age-appropriate reading materials in a variety of languages for students is more important than a book policy, and government programs like SSA already focus on this. Students' ability to comprehend grade-level learning outcomes may be hindered by a singular focus on foundational learning. Additionally, as a result, children who are regarded as "gifted" or "high performers" may have fewer opportunities.

Discussion-

Although the policy is not legally obligated to take any action, it demonstrates the government's intention to bring about significant changes to the education sector. Much will depend on transparent and prompt implementation, just like with any other policy. The findings of the present research show that the policy is however good in context to the present need for education but the government should also concern with early childhood, literacy, education for all, and pedagogical aspects as we can provide better content, as well as better teachers to all the students either they, are studying in government-run schools or private schools.

References

- NCTE. (2020). *My NEP*. National Council For Teacher Education MyNEP2020. Retrieved December 04, 2022, from https://ncte.gov.in/nep/
- Oxfam India. (2022, May 4). *National Education Policy(NEP) 2020: Measures to Combat Commercialization and Ensure an Equitable Education System*. Oxfam India. Retrieved December 01, 2022, from https://www.oxfamindia.org/knowledgehub/policybrief/national-education-policy-nep-2020-measures-combat-commercialization-and-ensure-equitable-education?gclid=CjwKCAiA-dCcBhBQEiwAeWidtfx4xqs3ZJXmgnaeGD2mkDKNukh7qscZoU7YDa8nrOPByC3IjXafVxoC6hsQAvD_BwE
- Sarangi, S. (2021, May 05). *Advantages and Drawbacks of NEP2020*. India NCC. Retrieved December 01, 2022, from https://indiancc.mygov.in/wp-content/uploads/2021/05/mygov-999999992043353732.pdf
- The Times of India. (2021, May 25). *New Education Policy: Advantages & Disadvantages*. Times of India. Retrieved December 02, 2022, from https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/ray-of-thought/new-education-policy-advantages-disadvantages-32468/

National Education Policy -2020 Considering Futuristic Challenges And Its Prospects

Bharat Joshi

Research Scholar, Apex University, Jaipur

Abstract

Due to the fact that education promotes social and economic advancement, a nation's school and college levels require a well-defined and futuristic education strategy. Various nations use various forms of education.

To be effective, systems must take into account tradition and culture and adopt several stages throughout their life cycles at the school and college education levels. The aim for India's future educational system is described in the National Education Policy 2020 (NEP 2020), which was adopted by the Indian Union Cabinet on July 29, 2020.

The old National Policy on Education, 1986, has been replaced with the new policy. In both rural and urban India, the policy provides a complete framework for education from early childhood through higher education. It also covers vocational training. The plan may serve as a complete framework for professional preparation, higher education, and basic education. Himachal Pradesh is becoming the first state to adopt the Unused Instruction Arrangement 2020. The national instructive approach ought to be actualized in all schools over India by 2022.

Keywords: National Education Policy 2020, Higher Education, NEP-2020, Approaches Overview & Analysis, Implementation Strategies, Challenges, Opportunities of NEP 2020.

Introduction

The National Education Policy 2020 is a commendable and ambitious attempt to modernize, advance, and make equal India's educational system. Effective implementation of this policy necessitates

In the coming months and years, decision-making processes will be streamlined, and financial resources will be prioritized differently.

The NEP calls for a large-scale implementation of a magnitude that has never before been undertaken anywhere in the world, given that there are currently about 350 million Indians in the age categories that are enrolled in school or attending college.

The execution of this poses significant problems on both a quantitative and qualitative level.

Salient Features of NEP-2020

The National Education Policy 2020 is a commendable and ambitious attempt to modernize, advance, and make equal India's educational system. Effective implementation of this policy necessitates In the coming months and years, decision-making processes will be streamlined, and financial resources will be prioritized differently.

The NEP calls for a large-scale implementation of a magnitude that has never before been undertaken anywhere in the world, given that there are currently about 350 million Indians in the age categories that are enrolled in school or attending college.

The execution of this poses significant problems on both a quantitative and qualitative level. India's development has prioritized improving education, according to its education structure(Saxena and Anu 2019). An intentional attempt will be made to promote modern topics like data analytics, artificial intelligence, and machine learning.Which are advertised as the future of employment. The current teacher-centric strategy will be replaced with a student-centric one in which the students can choose the subjects they want to study. Aware of India's well- known reputation for its diverse culture and languages At all stages of secondary and postsecondary education, Sanskrit is a course option. Education is no longer divided between the humanities, arts, and sciences, or between academic and vocational pursuits, which is a truly revolutionary change. The key NEP 2020 recommendations

- The multidisciplinary system, where students can select courses from the Science, Humanities, and Commerce streams, which will foster their inventiveness, originality, and ingenuity.
- The policy places a strong emphasis on skill development, especially training in vocational crafts and life skills.
- The ability to select a learning path. The goal is for students to select their courses based on aptitude and interest, so emphasis is placed on subjects from all streams.by 2030
- Inclusive and equitable educational system.
- Board Exams to evaluate knowledge application and fundamental principles
- Each child will graduate from school with at least one skill under their belt.
- Several significant problems with NEP-2020 skill development Need for Trained Teachers
- Change Administration

Legal Difficulties

Higher education that is multidisciplinary or learning or certificate/degree Digital connectivity Re-thinking assessment

Development of Skill

One of the major policy highlights is skill development, especially life skills and vocational training. Education. Life skills training prepares children for social behavior and makes them social

Adaptable and relatively easy to implement. However, the big challenge lies in the placement of specialists training. Because a particular profession may belong to a particular community that already trains them.

Traditionally, generations have been dependent on a particular profession. The proposed vocational training based on the student's determined suitability. People have to change their perception of work Policy makers and managers should consider why India is so far away from education. Achievement of the goals set by the Kothari Commission in 1964-66(Kukreti,2020).

Need for Trained Teachers

Implementing this policy requires trained teachers, facilitators, and support staff. A pool of inspirational mentors. Learning should be an engaging and enjoyable activity, not just study. A monotonous mental routine that ultimately produces disabled youth. Politics should therefore develop a learning regime that takes into account cultural and cultural factors the geographical diversity of our great country, and the different learning pace of each student. From now on a generation of tech-savvy teachers act as student mentors and educate students about new things. Technology becoming the main motivation and initiator of IT adoption in schools (Gupta, 2020).

Change management

NEP 2020 not only improves the cognitive abilities of highly developed students Build a foundation not only of literacy but of life skills as well as creating thinking skills and critical thinking Prepare students for the various challenges of adult life. Therefore, the curriculum was changed and getting the most out of the new policy requires an educational approach. Nep- A value-based education system and changes in education and curriculum are required. So a new way Successful policy enforcement requires improvisation and innovation.

Legalcomplexity

Implementing policies must be consistent. In various laws and laws. There are legal complications. Enforce this policy in accordance with the Rights Education Act 2009, in relation to age. Safety Regulations such as school age need to be clarified to resolve inter-legislative issues and recently introduced long-term policies.

Interdisciplinary Higher Education

A multidisciplinary education system is a great initiative to provide flexibility to students Study your chosen subject. Indian universities have long developed in a highly fragmented manner Wise scholars and professors have kept their subjects strictly guarded.

With a few exceptions, it is deeply ingrained and the new policy calls for changing this. Must be a thing. This is not easy. For the system to be successful, It will require disruptive cultural change in the next decade or so.

Study or certificate/degree However, the flexibility of the university model with multiple departure concepts is important. The question of the value of such certificates and diplomas remains to reduce the number of school dropouts.

Indian psychology has a close link between a job and a degree. Therefore, to implement the new system, First, break out of the archaic notion that you can only get a job with a degree. That is A dangerous paradigm that undermines and discourages an individual's other innate talents. digital connection As we have seen, e-learning is the way forward, so

we call for internet penetration in remote areas. During a pandemic. Digital infrastructure for this purpose includes subject knowledge-based digital classrooms. Online teaching model, AR/VR technology bridging the gap between physical teaching and laboratory infrastructure, Inter-school uniform evaluation system, career counseling sessions, teacher training for certification new age technology. This will continue to be a major challenge over the next decade. Rethinking evaluation Institutions Administering Baccalaureate Exams Should Rethink Assessment Parameters It also identifies rubrics for appropriate learning content. The school textbook Reorganize accordingly. There is virtually no formative assessment. How do you customize and implement seamlessly? Most of her K-12 learners in India are enrolled in schools with annual tuition fees of less than her Rs 12,000. Of Proposed changes should conveniently cascade across different school levels. Curriculum and content NEP is about to introduce a shift from a 10+2 structure to a 5+3+3+4 structure. Education becomes part of formal education. Additionally, NEP 2020 focuses on curricula reduction. Content to create a space for critical thinking and develop individuals with 21st century skills she. Achieving these goals therefore requires a restructuring of all aspects of curriculum and pedagogy.

One of the challenges in making these changes successful is adapting the curriculum accordingly in the National Curriculum Framework. Also, educators need to rethink what they learn. Adjust your textbook accordingly.

test structure NEP focuses on formative assessment rather than summative assessment of learning. Primary purpose of changing the grading system is to facilitate continuous tracking of learning outcomes. but, Continuous assessment requires schools and teachers to use innovative assessment approaches and tasks.

These approaches require technical intervention and active participation of teachers and students.

Research shows that of her 1.5 million schools in India, 75% are run by the government. of of the rest of his 400,000 private schools, about 80% are "budget private schools." therefore, A framework for continuous assessment is a difficult task in these schools.

References:

- B. L. Gupta and A. K. Choubey. 2021. Higher Education Institutions – Some Guidelines for Obtaining and Sustaining Autonomy in the Context of NEP 2020. International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), Vol. 9, Issue 1, January, 2021, ISSN: 2455-6211, Impact Factor: 7.429. Pp. 72- 84 Available online at: www.ijaresm.com
- K. Viswanathan.2020. A Reality Check on NEP 2020: 6 Major Challenges in Implementation.India today, 14th August, 2020, Available on: https://www.indiatoday.in/education- today/featurephilia/story/a-reality- check-on-nep-2020-major-challenges-inimplementation-1711197-2020-08-14
- P. S. Aithal et. al. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), Srinivas Publication, Vol. 5, No. 2, ISSN: 2581-6012, August, 2020. Pp. 22-31. Available on: www.srinivaspublication.com
- Gupta, Stuti (2020). Role and Perspective Contribution of Technology in Education Sector with respect to Natioanal Education Policy 2020. In Gupta. Payal (Ed) National Education Policy (2020) A paradigm shift in indian Educaton Ishika Book Distribution, p183.
- Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review Draft National Education Policy 2019.
- Manoj, Ambika (2021): National Education Policy-2020: Issues and Challenges in implementation. University news Vol.59, no-5, April 12-18. p.146. [4]. NEP 2020: Implementation challenges, Ministry of Education. Indiatoday.in/education-today/ feature philia/story/a-reality-checkon-nep-2020-major-challenges-in- implementation-1711197-2020-08-14.

NEP 2020 From the Lens of Dr. Zakir Hussain: A Theoretical Analysis

Mrs. Shivanshi Shekhawat

Research Scholar, Department of Education, Apex University, Jaipur

Abstract

Education has a key and decisive role in this scenario of contingencies. The National Education Policy 2020 (NEP 2020), which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, outlines the vision of India's new education system. The new policy replaces the previous National Policy on Education, 1986. The National Education Policy 2020 has therefore been transformed into the framework of this reform, which could help to build a new education system in the country, in addition to strengthening those economic and social indicators. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system in the coming years. Although this has been the concern of Indian leaders since Independence, *Dr Zakir Hussain* had the vision of the National Education System with a worldview of a non-violent social system, originally articulated in his various works. He articulated his vision of education further also, as available in his Collected Works. This has led to many deliberations through various committees and commissions since the *Zakir Hussain* Committee after the Wardha Conference on National Education in 1937 and culminated in various sets of recommendations for the betterment of education in India. The current research paper describes the theoretical analysis of the contributions of *Dr Zakir Hussain* in the advancements and successful implementation of NEP 2020 provisions and management practices at the school, college and university levels. Finally, the paper provides significant recommendations for the design and implementation of NEPs at schools and HEIs (Higher Education levels) as per the suggestions of *Dr Zakir Husssain.*

Keywords: *Dr Zakir Husssain, Higher Education, National Education Policy 2020, NEP-2020, Implementation Strategies, Approaches, Challenges*.

Dr Zakir Hussain was born in Hyderabad on February 8, 1897. He founded Jamia Milia Islamia (National Muslim University) in 1920 at Aligarh along with other students. He earned his Ph. D. degree in Economics from Berlin University. He became the Vice-Chancellor of Jamia Milia Islamia, Delhi, at the age of 29 after his return. He was nominated to the Rajya Sabha in 1952. He became the President of India in 1967. Various reflections of *Dr Zakir Hussain's* educational philosophy prompted the researcher to take up the present study to *analyse the context of NEP 2020 from the lens of Dr Zakir Hussain. In the present research work, a humble attempt was made to embody this neglected scope.*

To formulate a new education policy, the Central Government in 2017, Dr K.K. Kasturirangan constituted a committee under the chairmanship of the Kasturirangan committee to draft the National Education Policy 2019. In India in July 2020, the Central Government approved the National Education Policy 2020. In connection with this approval, *Prime Minister Shri Narendra Modi* tweeted and the Minister of Human Resource Development *"Shri Ramesh Pokhriyal Nishak"* made the public aware by the press conference. Our very recent National Education Policy (NEP-2020) has rightly justified by changing the existing structure of the education system in the formal setup of schools, colleges and Universities in India. This structural reform will help nurture the children's creative and original thinking potential and lead them towards utmost development which was the ultimate aim of *Dr Zakir Hussain* towards the education system for India. Thus the research papers will inlay a new correlation among the thoughts and practices of *Dr Zakir Hussain* towards the success of NEP 2020.

Under the new education policy of 2020, the educational system has to be fixed by 2030. The curriculum will be divided based on the educational system of 5 + 3 + 3 + 4 in place of the currently running 10 + 2 model. The target of investment of the Central and State governments has also been set for the new Education Policy 2020 in which Central and State Governments will invest in the education sector equal to 6 per cent GDP of the country for cooperation in the education sector.

Dr Zakir Husain was a staunch supporter of Basic Education. He believed that the physical, mental, emotional and spiritual faculties of children could be drawn out and developed in a balanced way through Basic Education which is craft-centred, creative, productive and self-supporting. He originally thought of productive work as an instrument of education. He made a beautiful analysis of various steps of educative and productive work-

- Firstly it should be motivated for purpose.
- Secondly, it should be followed by mental activities.
- It means actual execution through appropriate tools.
- Evaluation of the work done is the fourth step.
- The most important step is its emotional and educational aspects.

Work should lead to social service, altruism, ethical ideals and spiritual goals. Devoid of social and ethical ideals work has no meaning. While advocating the linkage of productive craft with intellectual work, he strongly, emphasized "quality" both in intellectual and craft work, cautioning against turning the schools into small factories of spinning and weaving.

He discussed various aspects of the Wardha scheme, namely-

- Teacher Training.
- Inspection and Supervision.
- Administration.
- Evaluation.

NEP 2020 gave content, meaning and practicability to the rough ideals of *Dr Zakir Hussain*. He was not a blind believer in what was originally thought of. Like a bold thinker, he expressed his disagreement with many points originally given by *Dr Zakir Hussain*. He raised his objections regarding the universal application of takli as the craft as well as its supporting aspect. When an opinion that Basic Education had failed was being made popular, *Dr Zakir Hussain* observed,

"How could a scheme of education of such far-reaching significance and based on such manifestly sound educational, psychological and sociological foundations be declared to have failed before it has been honestly tried….. Basic education cannot be said to have failed. It awaits being honestly tried". According to him, "It presupposes genuineness, honesty and a little patience".

The NEP 2020 policy aims to transform India's education system by 2030. Shortly after the release of the policy, the Government clarified that no one will be forced to study any particular language and that the medium of instruction will not be shifted from English to any regional language. *Dr Zakir Hussain* was of the firm opinion that true and original education remains natural, environment-friendly, and useful in life and results in all-around development (moral, cultural, and material improvement) of the individual and society with self-reliance and dignity of labour. Therefore, education in the mother tongue is the best medium.

Dr Zakir Hussain's method of teaching was, therefore, different from the current one. He emphasized the importance of some principles in his method of teaching, To achieve mental development, training of senses and parts of the body should be given. Reading should precede the teaching of writing. More opportunities should be given for learning by doing. Encouragement should be given to learning by experience. Correlation should be established in the teaching methods and learning experiences.

If we specifically talk about the early childhood education program as proposed by the current policy, the foundational stages will focus on the 360-degree holistic development of the child as advocated by *Dr Zakir Hussain*. The foundational stage will be to have a single curriculum based on play and discovery-based learning pedagogy. More focus has to be given during the early years to Arts, Crafts, Games and Music. To better understand the kids' multilingual approach has to be adopted. According to NEP, 2020, school education should focus on a competency-based, inclusive, digitalized and ICT-integrated education system, leading to developing the child's scientific temperament and problem-solving ability.

According to *Dr Zakir Hussain* through education, a child must be able to learn a productive craft to meet his future needs of life by adopting some industry or business. Hence, he advocated education for self-reliance and the capacity to earn one's livelihood as the main aim of education. By this aim, he did mean to make the child a labourer but wished that each child should earn while engaged in learning and gain some learning as he is busy with earning. He advocated that together with vocational education, cultural advancement should also be achieved. The two aspects of development should go together side by side which are parts of NEP 2020.

Dr Zakir Hussain's recommended imparting education through the mother tongue, bridging the gaps between mental and physical labour, with values of dignity of labour, character-building, dutifulness, morality, self-reliance, and equality, embedded with life, culture, and prosperity for integrated personality development. This NEP 2020

report in reference has been divided into four parts that are ideally in correlation with the educational philosophy of *Dr Zakir Hussain*. Part one deals extensively with school education from early child care to pedagogy, teachers, inclusive and equitable education, child rights and protection besides proposals for what to teach, how to teach, numbers, language, curriculum framework, diversity, etc. Part two discusses higher education for more liberal, quality, learning environment, capacity building for teaching and research, hard and soft infrastructure, effective governance, and regulations. Part three deals with additional key focus areas, such as technology, vocation and adult education, and the promotion of Indian languages. And part four focuses on the transformation of education by creating a National Education Commission followed by an addendum of making it happen with finance and way forward, along with appendices.

It is precisely here that we, inheritors of the great heritage, have failed miserably to live up to it. *Dr Zakir Hussain's* educational philosophy is based upon the philosophy of Idealism and the thoughts have been duly inlayed in NEP 2020. The new National Education Policy, 2020, which has been approved by the central government to change the Indian education system to meet the needs of 21st century India, if it is implemented successfully, this new system will make India one of the world's leading countries and fulfil the dream of *Dr Zakir Hussain.*

References

1. Amar Ujala 31 July 2020; now studying till 5th, an examination for admission in mother tongue till graduation.
2. Dainik Jagran 30 July 2020; Let us know why a new national education policy was needed to change the education system of the country. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft _NEP_2019_EN_Revised.pdf
3. Draft National Education Policy 2019. Committee for Draft National Education Policy, Ministry of Human Resource Development, Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft _NEP_2019_EN_Revised.pdf
4. Govt. of India (1968). National Policy on Education,1968 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/docu ment-reports/NPE-1968.pdf
5. Govt. of India (1986). National Policy on Education, 1986
6. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/docu ment-reports/NPE86-mod92.pdf
7. Govt. of India (2020).National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP _Final_English_0.pdf
8. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development. https:// www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/NEP_Final_English_0.pdf
9. Hindustan live 30 July 2020; New education policy, school education board exam, major changes in graduation degree, learn special things,
10. Hindustan Times 2020.08.08; 'NEP will play role in reducing the gap between research and education in India'-PM Modi.
11. India Today. (5 Sep 2020). How can schools implement the National Education Policy 2020 effectively? India Today. https:// www.indiatoday.in/educationtoday/ featurephilia/story/how-can-schools-implement-nationaleducationpolicy- 2020-1718932-2020-09-05.
12. Kumar, K., Prakash, A., Singh, K. (2020). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generations in India. Journal of Public Affairs an international Journal, e2500, 1-5. https://doi.org/10.1002/pa.2500
13. M. M. Goel (2020): A View on Higher Education in New Education Policy 2020.
14. Punjab Kesari 29 July 2020, Chairman JP Nadda; said on the new education policy. The new education policy takes into account the needs of new India Supporting the new education policy.
15. Singh Saroj 30 July 2020 New Education Policy 2020 Only RSS agenda or talk of common people BBC Hindi Access Date 31 July 2020.
16. Cain, K. & Dweck, C. (1987). The development of children's theories of intelligence. Cited in Dweck, C. & Leggett, E. (1988).
17. Ghosh, S. (2019). Inequalities in Demand and Access to Early Childhood Education in India. International Journal of Early Childhood, 51(2), 145-161. doi:10.1007/s13158- 019-00241-8
18. Kalam, A.P.(2012). You are unique. Puniya publishing private Ltd. Banglore
19. Katz, Lilian G.(1987). What Should Young Children Be Learning? ERIC Digest. Retrieved from https:// files.eric.ed.gov/ fulltext/ED290554.pdf on 06th Jan 2021.
20. Manhas, S., &Qadiri, F. (2010). A Comparative Study of Preschool Education in Early Childhood Education Centres in India. Contemporary Issues in Early Childhood, 11(4), 443–447. https://doi.org/10.2304/ciec.2010.11.4.443
21. MHRD. (2020). National Education Policy 2020 (Rep.). New Delhi: MHRD, Gov. of India.
22. Ministry of Labour and Employment Rehabilitation Ministry of Labour and Employment and Rehabilitation (1969). Retrieved from https://indianculture.gov.in/ flipbook/2862 on 11th Jan 2021.
23. National Policy for Children,1974. (1979). Indian Journal of Public Administration, 25(3), 919–921. https://doi.org/ 10.1177/ 0019556119790357
24. NIPCCD.(1992). Research on ICDS: An Overview(1986- 1995), Vol 2. Retrieved from https://www.nipccd.nic.in/file/ reports/ icdsvol2.pdf on 10th Jan 2021.